186

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की बैठक दिनांक 6.1.86 को सम्पन्न हुई 121 वीं बैठक के निर्णय

बोर्ड की 121 वीं बैठक दिनांक 6.1.86 को बोर्ड मुख्यालय के बैठक कक्ष में श्री आदर्श किशोर, अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न उपस्थित रहे:-

1.	श्री आदर्श किशोर	अध्यक्ष, राज. आवा. मण्डल	अध्यक्ष
2.	श्री बी. के. जुत्शी	वित्त सचिव, राज. सरकार	सदस्य
3.	श्री एच. एस. माथुर	मुख्य नगर नियोजक, राज.	सदस्य
4.	श्री सी. के. लोरिया	आवासन आयुक्त, राज. आवा.	सदस्य
5.	श्री शंकर लाल	बोर्ड सदस्य	सदस्य
6.	श्री धर्म नारायण माथुर	बोर्ड सदस्य	सदस्य
7.	श्री रामचन्द्र त्यागी	बोर्ड सदस्य	सदस्य
8.	श्री मो. हनीफ खत्री	बोर्ड सदस्य	सदस्य
9.	श्री एस. एन. माहेश्वरी	बोर्ड सचिव	सचिव
10.	श्री बी. एल. बंजारा	मुख्य लेखाधिकारी	विशेष आमंत्रित
11.	श्री अब्दुल मतीन	उप आवासन आयुक्त	विशेष आमंत्रित

श्री गजानंद डेरोलिया ने सूचित किया है कि वे राजस्थान से बाहर रहेंगे, अतः उपस्थित नहीं हो सकेंगे तथा शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन भी जयपुर से बाहर रहेंगे।

विशेष उल्लेख:

दिवंगत बोर्ड सदस्य डा. हाकिम सिंह अंबला एवं निधि सलाहकार श्री दीनदयाल शर्मा, एडवोकेट की सेवाओं का विशेष उल्लेख---

अध्यक्ष महोदय ने संतप्त हृदय से बोर्ड सदस्य डा. हाकिम सिंह अंबला के दुर्घटना में आकस्मिक निधन दिनांक 16.12.85 को याद दिलाते हुए अवगत

.....2

कराया कि इस दुखद समाचार के प्राप्त होने पर बोर्ड मुख्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया तथा उन्होंने बोर्ड की ओर से श्रीमती अंचला को संवेदना संदेश भिजवा दिया। इसके अलावा उप आवासन आयुक्त, जोधपुर को व्यक्तिगत रूप में संवेदना प्रगट करने के लिए श्री अंचला के घर पर भी भिजवाया। सदस्यों ने डा. अंचला द्वारा बोर्ड को दी गई महती सेवाओं एवं योगदान को अभिलेख बद्ध करने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष महोदय ने बोर्ड के विधि सलाहकार श्री दीनदयाल शर्मा, एडवोकेट के दुखद निधन दिनांक 12.12.85 को याद दिलाते हुए अवगत कराया कि उनकी अनुपस्थिति में सचिव द्वारा मुख्यालय में शोक सभा का आयोजन किया तथा संवेदना संदेश भिजवा दिया था। सदस्यों ने श्री शर्मा द्वारा बोर्ड के विधिक कार्यों एवं मामलों में जो उत्कृष्ट सेवायें दी, उनको अभिलेख बद्ध करने का निर्णय लिया।

दिवंगत आत्माओं को सद्गति प्रदान करने के लिए सदस्यों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन रखते हुए प्रार्थना की।

121.1 बोर्ड की 120 वीं बैठक में लिये गये निर्णय का अनुमोदन :-

बोर्ड की 120 वीं बैठक दिनांक 30.10.85 के निर्णय का अनुमोदन किया गया।

121.2 बोर्ड की 120 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट:-

बोर्ड की 120 वीं बैठक में लिए गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। निर्णय संख्या 120.8 एवं 120.18 के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावे।

121.3 Loan from HUDCO for composite Housing Scheme at Gandhi Nagar, Chittor garh (Scheme No. 416-C)

उप आवासन आयुक्त (मु.) एवं मुख्य लेखाधिकारी

इस योजना के लिए 28.13 लाख रुपया ऋण की स्वीकृति "हुडको" द्वारा पत्र संख्या 21441 दिनांक 18.11.85 द्वारा प्राप्त हो गई है

तथा इस का ले-आउट प्लान प्रोजेक्ट कमेटी ने बैठक दिनांक 17.5.85 में स्वीकृत कर दिया था। इस योजना में अल्प आय वर्ग के 161 व मध्यम आय वर्ग "अ" के 56 मकान बनाये जायेगें। जिस पर हुडको से ऋण क्रमशः 18.14 लाख व 9.99 लाख रूपया प्राप्त होगा तथा कुल लागत क्रमशः 23.17 लाख व 13.59 लाख रु. होगी। योजना का प्रारम्भ दिनांक 1.1.86 से होगा व 31.12.86 को पूर्ण होगी। बोर्ड ने हुडको से 28.13 लाख रूपया ऋण प्राप्त करने एवं ऋण अनुबंध पर मुख्य लेखाधिकारी की उपस्थिति में आवासन आयुक्त द्वारा हस्ताक्षर करने की स्वीकृति प्रदान की ।

121.4 Loan from HUDCO for composite Housing Scheme Ph.I at Goverdhan vilas, Udaipur (Scheme No.4201-)

उप आवासन आयुक्त(मु.) एवं मुख्य लेखाधिकारी

इस योजना हेतु 53.84 लाख रूपया की स्वीकृति "हुडको" द्वारा पत्र संख्या 22983 दिनांक 3.12.85 द्वारा दे दी गई और ले-आउट प्लान प्रोजेक्ट कमेटी ने दिनांक 20.4.85 की बैठक में स्वीकृत कर दिया था। योजना में अल्प आय वर्ग"अ" के 189, अल्प आय वर्ग (वि.) के 166 व मध्यम आय वर्ग के 50 मकान बनाये जायेगें और कुल व्यय क्रमशः 23.65 लाख, 32.20 लाख एवं 14.71 लाख रूपया होगा, जिसमें से क्रमशः 18.77 लाख, 24.57 लाख व 10.50 लाख रूपया "हुडको " ऋण होगा। योजना दिनांक 1.1.86 से प्रारम्भ होगी और दिनांक 31.12.86 को पूर्ण होगी ।

बोर्ड द्वारा इस योजना हेतु "हुडको" से 53.84 लाख रूपया ऋण लेने तथा ऋण अनुबंध पर मुख्य लेखाधिकारी की उपस्थिति में आवासन आयुक्त द्वारा हस्ताक्षर करने की स्वीकृति प्रदान की ।

121.5 Loan from HUDCO for LIG Housing Scheme Ph.III Sec.XI Mansarowar, Jaipur (Scheme No.4215)

उप आवासन आयुक्त(मु.) एवं मुख्य लेखाधिकारी

इस योजना के लिए "हुडको" द्वारा पत्र क्रमांक 22986 दिनांक 3.12.85 से 21.29 लाख रूपया की स्वीकृति दी गई है और प्रोजेक्ट कमेटी से ले-आउट प्लान की स्वीकृति बैठक दिनांक 17.5.85 में हो गई

थी। योजना में अल्प आय वर्ग के 148 मकान बनाये जायेंगे। योजना की कुल लागत 28.09 लाख रूपया होगी जिसमें से 21.29 लाख रूपया "हुडको" से ऋण प्राप्त होगा। योजना का प्रारम्भ दिनांक 1.1.86 से और पूर्णता दिनांक 31.12.86 को होगी।

बोर्ड ने 21.29 लाख रूपया "हुडको" से ऋण प्राप्त करने तथा ऋण अनुबन्ध पर मुख्यलेखाधिकारी की उपस्थिति में आवासन आयुक्त द्वारा हस्ताक्षर करने की स्वीकृति प्रदान की।

121.6 श्री एन. आर. माथुर, उप आवासन आयुक्त की तैनाती अवधि में अभिवृद्धि के लिए स्वीकृति हेतु:-

बोर्ड द्वारा लिख जाने पर राज्य सरकार ने श्री एन. आर. माथुर की प्रतिनियुक्ति की अवधि 1.10.86 तक के लिए बढ़ा दी है। इसका अनुमोदन किया गया। भविष्य में ऐसे मामलों में अवधि बढ़ाने हेतु राज्य सरकार को लिखने से पूर्व यदि डेलीगेशन ऑफ पावर्स के अनुसार बोर्ड की स्वीकृति आवश्यक हो तो प्राप्त की जावे।

121.7 Acceptance of Block State Government guarantee by HUDCO for its Loans.

उप आवासन आयुक्त एवं मुख्य लेखाधिकारी

"हुडको" के सर्कुलर संख्या हुडको/लोगल/टेक्नो सर्कुलर/128/85/11811 दिनांक 1.8.85 के प्रत्येक ऋण योजना के लिए राज्य सरकार की गारंटी लेने के बजाय "ब्लाक गारंटी" लेने का प्रावधान हो गया है जो उन योजनाओं के लिए लागू है जिनकी औसत ब्याज दर 10.5 प्रतिशत वार्षिक से कम है। अतः वर्ष 1985-86 के लिए 5 करोड़ रूपये की ब्लाक गारंटी हेतु वादे अनुसार स्वीकृति बोर्ड द्वारा दी गई। विगत के दौरान वर्ष 1986-87 के लिए भी "ब्लाक गारंटी" की स्वीकृति अभी से देने की आवश्यकता महसूस की गई। अतः 1986-87 के लिए 10 करोड़ रूपया की "ब्लाक गारंटी" की स्वीकृति भी दी गई

...5

156

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की दिनांक 29.1.86 को हुई 122 वीं बैठक के निर्णय

बोर्ड की 122 वीं बैठक दिनांक 29.1.86 को बोर्ड मुख्यालय के बैठक कक्ष में श्री आदर्श किशोर, अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न उपस्थित रहे:-

1.	श्री आदर्श किशोर	अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	श्री आर. रामाकृष्णन	शासन सचिव, नविआ	सदस्य
3.	श्री एच. एस. माथुर	मुख्य नगर नियोजक	सदस्य
4.	श्री पी. के. लोरिया	आवासन आयुक्त	सदस्य
5.	श्री शंकर लाल	बोर्ड सदस्य	सदस्य
6.	श्री धर्म नारायण माथुर	बोर्ड सदस्य	सदस्य
7.	श्री रामचन्द्र त्यागी	बोर्ड सदस्य	सदस्य
8.	श्री मो. हनीफ खत्री	बोर्ड सदस्य	सदस्य
9.	श्री एस. एन. माहेश्वरी	बोर्ड सचिव	सचिव
10.	श्री बी. एल. बजाज	मुख्यलेखाधिकारी	विशेष आमं.
11.	श्री अब्दुल मतीन	उप आ. आयुक्त (मु.)	विशेष आमं.

श्री बी. के. गुप्ता, वित्त सचिव ने आवश्यक सरकारी कार्य के कारण उपस्थित न हो सकने की अनुज्ञा चाही तथा श्री गजानंद डेरोलिया राजस्थान के बाहर होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके।

122.1 बोर्ड की 121 वीं बैठक में लिए गये निर्णयों का अनुमोदन:-

निर्णय संख्या 121.24:- योजनाओं की स्वीकृति के संबंध में:-

इस निर्णय को और स्पष्ट करने हेतु निम्न प्रकार पढा जावे:-

अतः संभावित योजनाओं की मोटी रूपरेखा तो बोर्ड से बजट बैठक में या बोर्ड की अन्य बैठक में या सरकूलेशन एजेण्डा से स्वीकृत करा ली जावे। परन्तु यथा आवश्यकता विस्तृत योजना की स्वीकृति प्रोजेक्ट

कमेटी में विचार विमर्श व अनुमोदन के पश्चात अंतिम स्वीकृति हेतु अधिकार अध्यक्ष को दिए जाते हैं।"

तत्पश्चात निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

122.2 121 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति:-

इस संबंध में निम्न प्रकार चर्चा एवं निर्देश हुए:-

निर्णय संख्या 121.20:- के संदर्भ में पाली में अतिरिक्त भूमि अवाप्ति हेतु कार्यवाही करने के बारे में श्री शंकर लाल द्वारा ध्यान दिलाने पर यह निश्चय किया गया कि अध्यक्ष, आवासन आयुक्त, सचिव एवं श्री शंकर लाल इस मामले में शीघ्र विमर्श कर अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता आदि तय करें और तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे। 122.4

122. निर्णय संख्या 121.26:- पाली में बोर्ड कालोनी में सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैन समाज को देने का मामला:-श्री शंकर लाल ने बताया कि पत्रावली बोर्ड में पहले से है और पूर्तियाँ हो चुकी है। श्री अब्दुल मतीन उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय) ने बताया कि पत्रावली तलाश नहीं हो रही है। सचिव न. वि. आ. ने महसूस किया कि सम्भवत: धार्मिक कार्यों के लिए स्थान देना उपयुक्त नहीं होगा। परन्तु यह स्पष्ट किया गया कि प्रयोजन सार्वजनिक व सामाजिक होगा न कि धार्मिक। इस संबंध में यह निर्देश हुए कि पत्रावली दूसरी गठित करा कर निर्णय हेतु अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दी जावे तथा निर्णय के संबंध में बोर्ड को अवगत कराया जावे। 122.5

(दाखिल)

निर्णय संख्या 121.8 : सीकर में भूमि अवाप्ति के संबंध में श्री मो. हनीफ खत्री ने चर्चा उठायी। इस संबंध में संबंधित समिति अपने प्रस्ताव शीघ्र पेश करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

122.3 Budget Estimates of the Rajasthan Housing Board for the year 1986-87 and revised Estimates for the year 1985-86.

अध्यक्ष द्वारा वर्ष 1986-87 के बजट अनुमान तथा वर्ष 1985-86 के संशोधित बजट अनुमान प्रस्तुत किए गये। बजट पर चर्चा प्रस्तावों

.....3

का पूर्ण अध्ययन के बाद अगली बैठक में किए जाने का निर्णय लिया गया। इस हेतु बोर्ड की बैठक दिनांक 12.2.86 को 11.00 बजे रखा जाना तय किया गया।

122.4 कार्यालय आदेश क्रमांक पी. एस. सी. एम/आर. एच. सी/20/86/75 दिनांक 24 जनवरी, 1986 सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ:-

अवलोकन व अनुमोदित किया गया।

122.5 मण्डल की कनिष्ठ चयन समिति की बैठक दिनांक 2, 3, 16, 17, 18. 12.85 में लिये गये निर्णय अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ:-

अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

सचिव

(दाधीच)

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन बोर्ड की दिनांक 12.2.86 को हुई 123 वीं बैठक में लिये गये निर्णय:-

बोर्ड की 123 वीं बैठक दिनांक 12.2.86 को बोर्ड मुख्यालय के बैठक कक्ष में श्री आदर्श किशोर, अध्यक्ष राजस्थान आवासन बोर्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न उपस्थित रहे:-

1.	श्री आदर्श किशोर	अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	श्री आर. रामाकृष्णन	शासन सचिव, नविआ	सदस्य
3.	श्री एच. एस. माथुर	मुख्य नगर नियोजक	सदस्य
4.	श्री पी. के. लोरिया	आवासन आयुक्त	सदस्य
5.	श्री शंकर लाल	बोर्ड सदस्य	सदस्य
6.	श्री रामचन्द्र त्यागी	बोर्ड सदस्य	सदस्य
7.	श्री मो. हनीफ खत्री	बोर्ड सदस्य	सदस्य
8.	श्री एस. एन. माहेश्वरी	बोर्ड सचिव	सचिव
9.	श्री अब्दुल मतीन	उप आवा. आयुक्त (मु.)	विशेष आमंत्रित
10.	श्री बी. एल. बजाज	मुख्यलेखाधिकारी	विशेष आमंत्रित

श्री गजानन्द डेरोलिया, सदस्य राजस्थान के बाहर होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके तथा श्री बी. के. जुत्शी, शासन सचिव वित्त, अन्य आवश्यक सरकारी कार्य के कारण स्वयं उपस्थित नहीं हो सके और उनकी ओर से श्री बी. के. माथुरेन, उप शासन सचिव, वित्त विभाग ने बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लिया।

123.1 बोर्ड की 122 वीं बैठक में लिये गये निर्णय का अनुमोदन:-

बोर्ड की 122 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

...2

123.2 बोर्ड की 122 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति:-

122 वीं बैठक की क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

123.3 वर्ष 1986-87 के बजट अनुमान एवं वर्ष 1985-86 के संशोधित बजट अनुमान:-

अध्यक्ष ने वर्ष 1986-87 के बजट अनुमान तथा 1985-86 के संशोधित बजट अनुमान पर चर्चा प्रारम्भ करते हुए बताया कि 1985-86 वर्ष बोर्ड के लिए प्रशासनिक सुधारों एवं आवासीय कार्य को सुदृढ आधार प्रदान करने का माना जा सकता है। उन्होंने मुख्य रूप से निम्न जानकारी दी:-

(क) अपूर्ण मकानों को पूर्ण कराने के लिए विशेष प्रयास किये गये और वर्ष 1985-86 के लक्ष्य 14714 के मुकाबले 15330 मकान पूर्ण कराये जा सकेंगे।

(ख) वर्ष 1984-85 में 5900 मकानों के कब्जे आवंटियों को दिये गये थे, जबकि वर्ष 1985-86 में लगभग 9000 मकानों के कब्जे दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

(ग) सभी मामलों में पंजीकृत आवंदकों की वरीयता सूची बनायी जा चुकी है और प्रत्येक आवेदक को वरीयता क्रमांक डाक से सूचित करने की व्यवस्था की गयी है।

(घ) कई शहरों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के अतिरिक्त निर्मित मकान उपलब्ध थे। अतः उन शहरों में विशेष पंजीकरण खोला जाकर पंजीकृत आवेदकों को अल्प अवधि में मकान उपलब्ध कराये गये है।

(च) जयपुर शहर का आवासन कार्य जयपुर वृत्तों में हस्तान्तरित कर दिया गया है। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर एवं अजमेर के अलावा सम्पत्ति के रजिस्ट्रेशन का कार्य भी संबंधित आवासीय अभियन्ता को हस्तान्तरित कर दिया गया है। इससे आवेदकों को अधिक सुविधा उपलब्ध होगी।

(छ) जिन शहरों में पंजीकरण 100 से कम था, उनके लिए बोर्ड के

निर्णयानुसार पंजीयन राशि आवेदकों को लौटायी जानी थी। ऐसे 1600 आवेदकों को पंजीयन राशि नियमानुसार वापस लौटा दी गयी है। ऐसे आवेदकों को यह सुविधा भी दी गयी है कि वे अपने पंजीकरण को उन शहरों में स्थानान्तरण करवा सकते हैं जहां बोर्ड द्वारा आवासीय कार्य कराये जा रहे हैं।

(ज) वसूली का कार्य एवं आवंटियों के लेखे रखने का कार्य भी आंशिक तौर पर आवासीय अभियन्ताओं को हस्तान्तरित किया गया है तथा पूर्ण हस्तान्तरण की प्रक्रिया जारी है।

(झ) आवंटियों के खातों को पूर्ण कराने के लिए विशेष दल बनाकर अभियान किये गये, जिसके अच्छे परिणाम आये है।

(ट) बोर्ड का लेखा कार्य काफी पिछड़ा हुआ था और अब केवल विगत दो वर्ष का कार्य अवशेष है और दिनांक 30.6.86 तक वर्ष 1985-86 तक के लेखे पूर्ण करा लिये जावेगें।

(ठ) कर्मचारियों के भविष्य निधि के खाते अपूर्ण थे। अब उन्हें पूर्ण करने की कार्यवाही चालू है तथा दिनांक 31.3.86 तक सभी खाते पूर्ण कर लिये जावेगे।

(ड) वसूली कार्य को सुदृढ करने के लिए प्रत्येक डिवीजन द्वारा हर माह मांग एवं वसूली का विवरण बनाया जाकर वसूली के विशेष प्रयास किये जाने की व्यवस्था की गयी है। वर्ष 1985-86 में 1420 करोड रूपया वसूली के लक्ष्य के मुकाबले 16.50 करोड़ रूपया वसूल किया जायेगा।

(ढ) प्रशासनकि व्यय 7.5 प्रतिशत तक सीमित करने के पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं।

(ण) निर्माण कार्य हेतु अधिकाधिक राशि उपलब्ध करने की दृष्टि से तथा निर्माण कार्य का विस्तार करने के उद्देश्य से "यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया" से ऋण लिया गया है तथा राजस्थान सरकार द्वारा पुलिस हाऊसिंग स्कीम का कार्य बोर्ड को दिया गया है।

(घ) मुख्यालय में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आरम्भ की जा रही है ताकि आवंटियों के कार्य तथा अन्य प्रशासनकि कार्य कम समय व अच्छे तरीके से सम्पन्न हो सके।

(क) शिकायतों के निपटारे के लिए "ओपन काउन्टर सिस्टम" प्रारम्भ किया गया था, जो सुचारू रूप से कार्य कर रहा है।

बजट पर चर्चा करते हुए शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन ने ध्यान दिलाया कि वर्ष 1985-86 के बजट अनुमान के मुकाबले संशोधित बजट अनुमान में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के मकानों के निर्माण हेतु राशि काफी कम आंकी गयी है, जिससे भौतिक लक्ष्य किस प्रकार पूर्ण हो सकेंगे? इस पर अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि पूर्व के अधूरे मकानों के पूर्ण करने पर अधिक ध्यान दिया जाने के कारण व्यय तो कम आयेगा परन्तु भौतिक लक्ष्य हर हालत में प्राप्त कर लिये जावेंगे।

श्री शंकर लाल ने चर्चा में भाग लेते हुए बताया कि बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों की विगत ओडिट रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध होने पर उन्होंने इसका अवलोकन किया है और यह पाया कि गलत ठेकेदारों के विरुद्ध आवासीय अभियन्ता एवं उप आवासन आयुक्तों ने समय पर समुचित कानूनी कार्यवाही नहीं की है और नरमी बरती गयी है। इस कारण बहुत सी धन राशि ठेकेदारों के पास फंसी हुई है और बोर्ड का न केवल कार्य खराब होता है बल्कि उसमें देरी होती है तथा व्यय भी अधिक होता है और यही मुख्य कारण है जिससे हर वर्ष हजारों मकान अधूरे रह जाते है। उन्होंने अध्यक्ष से निवेदन किया है कि वे ओडिट रिपोर्टों में जो गंभीर एतराज है उन्हें खास तौर से देखें और कार्यवाही करें।

इसी संदर्भ में श्री मो. हनीफ खत्री ने इस बात का अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद दिया कि उन्होंने प्रथम बार ओडिट रिपोर्ट सदस्यों को उपलब्ध करायी। उन्होंने सभी ओडिट रिपोर्ट के एतराजों को दूर कराने तथा दोषियों के

.....5

विरुद्ध कार्यवाही करने का आग्रह किया।

.....5

श्री रामचन्द्र त्यागी ने भी व्यक्त किया कि गलती करने वालों के खिलाफ तुरन्त एवं प्रभावी कार्यवाही की जावे तथा अच्छे कार्य करने वालों को प्रोहत्साहन दिया जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा बोर्ड के कार्य में सुधार के लिए जो प्रयास किये है उनकी सराहना की ।

आवासन आयुक्त ने यह स्पष्ट किया कि "सिक्योर्ड एडवान्स" बंद किया जा चुका है तथा अपंजीकृत ठेकेदारों को भी ठेके देना बंद कर दिया गया है। इसके अलावा पुराने विवादास्पद ठेकों के मामलों को देखा जाकर समुचित कार्यवाही की जा रही है।

इस पर अध्यक्ष ने अगली बैठक से पूर्व ओडिट रिपोर्ट के एतराजों के संबंध में गंभीरता से कार्यवाही शुरू करने का आश्वासन दिया तथा मुख्यलेखाधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे इस हेतु एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन करें और स्थिति का अध्ययन कर जिम्मेदारी तय करवायें तथा की गयी कार्यवाही का प्रतिवेदन अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करें।

श्री शंकर लाल ने कानूनी प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सुझाव दिया कि बजट के साथ देनदारियां एवं लेनदारियों का विवरण भी प्रस्तुत होना चाहिए था। इस संबंध में अवगत कराया कि बैलेन्सशीट तैयार नहीं होने के कारण यह विवरण प्रस्तुत नहीं हो सका है जो तैयार किया जाकर प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

श्री बी. के. माथुरेन ने चर्चा के दौरान कई मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण चाहे जो बताये गये। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अब "परफोरमेन्स बजट" बनाने की प्रक्रिया आरम्भ की जानी चाहिए तथा समस्त आवश्यक विवरण बजट के साथ प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

श्री मो. हनीफ खत्री ने बताया कि सीकर में काफी समय बीत जाने के बाद भी भूमि नहीं ली जा सकी है और अब भूमि शीघ्र लिये जाने की कार्यवाही चल रही है। अतः भुगतान हेतु बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए। इस पर आवासन आयुक्त ने बताया कि बजट के पृष्ठ संख्या 22 पर भूमि

.....6

के भुगतान हेतु जो 100 लाख रूपया रखा गया है उसमें से किसी भी भूमि के लिए भुगतान किया जा सकेगा। विचार विमर्श के बाद इस 100 लाख रूपये में से 50 लाख रूपया सीकर की भूमि के भुगतान के लिए रखा जाना तय किया गया।

तत्पश्चात संशोधित बजट अनुमान वर्ष 1985-86 एवं अजट अनुमान वर्ष 1986-87 स्वीकृत किये गये।

123.4 वित्त एवं लागत समिति की बैठक दि. 30.1.86 के निर्णय अनुमोदनार्थ:-

अध्यक्ष ने समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की विगत बताई जिनका बोर्ड ने अवलोकन किया तथा निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

-: अन्य अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :-

123.5 12 कनिष्ठ सहायकों (तदर्थ) को वापिस नौकरी पर लेने के संबंध में:-

अध्यक्ष की अनुमति से राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ ने एक ज्ञापन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया तथा संघ के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में सदस्यों को विस्तार से अवगत कराया। ज्ञापन के अनुसार तदर्थ नियुक्त कनिष्ठ सहायकों में से 12 कनिष्ठ सहायकों को टंकण परीक्षा पास न करने के कारण सेवा से हटा दिया गया है, उन्हें वापिस लेने हेतु संघ ने आग्रह किया है। दाधीच

अध्यक्ष ने अवगत कराया कि बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसरण में उन्होंने तदर्थ नियुक्त कनिष्ठ सहायकों का स्क्रीनिंग किया एवं तत्पश्चात कनिष्ठ चयन समिति ने साक्षात्कार लिया। ऐसे 29 तदर्थ कनिष्ठ सहायकों में से 17 ने टंकण परीक्षा पास कर ली जो कि नियमों में निर्धारित योग्यता है और अन्यथा भी वे योग्य पाये गये अत: उन्हें नियमित नियुक्ति दे दी गयी है। शेष 12 कनिष्ठ सहायक टंकण परीक्षा पास नहीं कर सके यद्यपि उन्हें अवसर दिये गये थे। अत: उनकी सेवायें नियमानुसार समाप्त की जा चुकी हैं।

.....9

विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि उन 12 कनिष्ठ सहायकों को अध्यक्ष, उन्हें प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत 80 दिन की नियुक्ति तदर्थ तौर पर देदें और इस अवधि में यदि ये कर्मचारी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते है और अन्य प्रकार भी योग्य पाये जाते है तो नियमित नियुक्ति दे दी जावे और इस हेतु अधिक आयु में छूट देने की आवश्यकता हो तो नियमों में अध्यक्ष को प्राप्त अधिकारों का उपयोग किया जा सकता है। यह इन्हें दिया जाने वाला अंतिम अवसर होगा। यदि 79 दिन के अंदर ली जाने वाली परीक्षा व इन्टरव्यू में वे पास नहीं होते तो उनकी सेवायें तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी। तदर्थ नियुक्ति देने से पूर्व यह शर्त होगी कि उन कर्मचारियों को जो राशि श्रम कानून के प्रावधान में सेवा समाप्ति के साथ दी गई है उसे वे बोर्ड को वापस जमा करायें।

तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

(एस.एन.माहेश्वरी)

(एस. एन. माहेश्वरी)
सचिव

राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की दिनांक 28.4.86 को हुई 124 वीं बैठक के निर्णय

बोर्ड की 124 वीं बैठक दिनांक 28.4.86 को हुई बोर्ड मुख्यालय के बैठक कक्ष में श्री आदर्श किशोर अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न उपस्थित थे:-

1.	श्री आदर्श किशोर	अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	श्री आर. रामाकृष्णन	शासन सचिव नविआ राजस्थान सरकार	सदस्य
3.	श्री एच. एस. माथुर	मुख्य नगर नियोजक राजस्थान सरकार	सदस्य
4.	श्री पी. के. लोरिया	आवासन आयुक्त राज. आवासन बोर्ड	सदस्य
5.	श्री शंकर लाल	बोर्ड सदस्य	सदस्य
6.	श्री रामचन्द्र त्यागी	बोर्ड सदस्य	सदस्य
7.	श्री मो. हनीफ खत्री	बोर्ड सदस्य	सदस्य
8.	श्री गजानन्द डेरोलिया	बोर्ड सदस्य	सदस्य
9.	श्री धर्म नारायण माथुर	बोर्ड सदस्य	सदस्य

श्री बी. के. जुत्शी, वित्त सचिव, राजस्थान सरकार अन्य आवश्यक सरकारी कार्य होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे:-

1.	श्री एम. बी. गुप्ता	सचिव
2.	श्री अब्दुल मतीन	उप आवासन आयुक्त (मु.)
3.	श्री बी. एल. बजाज	मुख्य लेखाधिकारी

124.1 बोर्ड की 123 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन:-

बोर्ड की 123 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

124.2 बोर्ड की 123 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विती रिपोर्ट

बोर्ड की 123 वीं बैठक की क्रियान्विती रिपोर्ट का अवलोकन कर

.....2

निम्न संशोधन से अनुमोदित की गई:-

123.3 (फ):- (ए) श्री मो. हनीफ खत्री बोर्ड सदस्य ने बताया कि आडिट में बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध गंभीर अनियमितताएं पाई गई है। परन्तु उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उत्तर में अध्यक्ष महोदय ने बताया कि आडिट रिपोर्ट के आधार पर अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाने की कार्यवाही की जा रही है तत्पश्चात् समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। प्रगति की जानकारी भी सदस्यों को दी गई। CAO

(बी):- भविष्य निधि के खाते पूर्ण करने बाबत अवगत कराया कि 1980-81 तक के खाते पूर्ण कर लिये गये हैं व शेष पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है। CAO

(सी):- बोर्ड के खाते 1983-84 तक के पूर्ण हो गये हैं व 1984-85 एवं 1985-86 के खाते पूर्ण होने की प्रगति से अगली बैठक में अवगत कराया जायेगा। CAO

123.5:- तदर्थ कर्मचारियों के बारे में दिनांक 17.2.86 को आदेश जारी कर दिये गये थे व दिनांक 29.4.86 को टंकण परीक्षा लेकर मामला कनिष्ठ चयन समिति के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जायेगा। PM

124.3 Project for consideration of World Food Programme.

आवासन आयुक्त ने योजना के विशिष्ठ गुणों के बारे में बताया। श्री मो. हनीफ खत्री ने कहा कि इसमें किसी तरह की अनियमितता न हो व माल बाजार में न बिके। इस पर अध्यक्ष महोदय ने बताया कि वे इससे सहमत है और इस पर पूर्ण ध्यान रखा जावे। सामग्री का वितरण कार्ड पर किया जावेगा। इस हेतु आवासन आयुक्त को अधिकृत किया गया कि वे पूर्ण स्कीम बनाकर वित्तीय भार सहित बोर्ड को अवगत करावें। H.C.

124.4 कांग्रेस शताब्दी समारोह की प्रदर्शनी के भुगतान के संबंध में।

बोर्ड की 119 वीं बैठक में रू. 60,000/- व्यय करने की स्वीकृति प्रदान Dy.H.C. (HC)

की गई थी व अब रू. 15200/-की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान की जाती है। भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने पूर्व में दी गई राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया है।

124.5 P.M. **Amendment in clause 38 of RHB Employees Service Regulation 1970**

Amendment approved as per Govt. Notification No.F-1(49)FD(Gr.2)/82 dated 22 Feb.1983 regarding grant of Privilege leave.

124.6 विभिन्न समितियों के गठन के विषय में:-

विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:-

(1) सम्पति आवंटन समिति (अपीलीय) की कोई उपादेयता नहीं हैं अत: इसे समाप्त किया जावे ।

(2) सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार को इच्छानुसार उन्हें बोर्ड की लैण्ड निगोसियेशन कमेटी का सदस्य नहीं रखा जाये ।

(3) नियमोपनियम हेतु एक समिति गठित की गई, जिसके निम्न सदस्य मनोनीत किये गये:-

1.	श्री आदर्श किशोर	अध्यक्ष
2.	श्री धर्मनारायण माथुर	सदस्य
3.	श्री शंकर लाल	सदस्य
4.	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य
5.	श्री राजेन्द्र सिंह (विधि अधिकारी)	सदस्य-सचिव

137

(4) सदस्यों की राय से निम्न समितियों का पुनर्गठन किया गया:-

(क) वित्त एवं लागत समिति

1. अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2. वित्त सचिव, राज्य सरकार	सदस्य
3. आवासन आयुक्त, राज. आवासन मण्डल	सदस्य
4. श्री गजानन्द डेरोलिया	सदस्य
5. श्री मो. हनीफ खत्री	सदस्य
6. श्री धर्मनारायण माथुर	सदस्य
7. श्री रामचन्द्र त्यागी	सदस्य
8. मुख्यलेखाधिकारी	सदस्य-सचिव

(ख) लैण्ड निगोसियेशन कमेटी

1. अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2. मुख्य नगर नियोजक राज्य सरकार	सदस्य
3. आवासन आयुक्त	सदस्य
4. श्री शंकर लाल	सदस्य
5. श्री धर्मनारायण माथुर	सदस्य
6. श्री गजानन्द डेरोलिया	सदस्य
7. मुख्यलेखाधिकारी राज. आवासन मण्डल	सदस्य
8. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य-सचिव

(ग) निरीक्षक चयन समिति

1. अध्यक्ष, राज. आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2. आवासन आयुक्त रा. आवासन मण्डल	सदस्य
3. श्री शंकर लाल	सदस्य
4. श्री गजानन्द डेरोलिया	सदस्य

.....5

5.	श्री मो. हनीफ खत्री	सदस्य
6.	दो विषय विशेषज्ञ (सीधी भर्ती हेतु)	सदस्य
7.	सचिव, रा. आ. मण्डल	सदस्य-सचिव

(घ) कनिष्ठ चयन समिति

1.	अध्यक्ष, राज. आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2.	आवासन आयुक्त, राज. आवासन मण्डल	सदस्य
3.	श्री शंकर लाल	सदस्य
4.	श्री मो. हनीफ खत्री	सदस्य
5.	श्री गजानन्द डेरोलिया	सदस्य
6.	उप आवासन आयुक्त (मु.) रा. आ. मण्डल	सदस्य
7.	मुख्यलेखाधिकारी, राज. आवासन मण्डल	सदस्य
8.	सचिव, राज. आवा. मण्डल	सदस्य-सचिव

(ङ) प्रोजेक्ट कमेटी

1.	अध्यक्ष, राज. आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2.	मुख्य नगर नियोजक, राज. सरकार	सदस्य
3.	आवासन आयुक्त, राज. आवासन मण्डल	सदस्य
4.	श्री रामचन्द्र त्यागी	सदस्य
5.	श्री धर्मनारायण माथुर	सदस्य
6.	श्री शंकर लाल	सदस्य
7.	आर्किटेक्ट प्लानर, राज. आवासन मण्डल,	सदस्यसचिव
8.	निदेशक, नगर नियोजना, जयपुर विकास प्राधिकरण	विशेष-आमंत्रित

139

(च) वर्क्स कमेटी

1. अध्यक्ष, राज. आवा. मण्डल	अध्यक्ष
2. आवासन आयुक्त, राज. आवासन मण्डल	सदस्य
3. श्री गजानन्द डेरोलिया	सदस्य
4. श्री रामचन्द्र त्यागी	सदस्य
5. श्री मो. हनीफ खत्री	सदस्य
6. मुख्यलेखाधिकारी, राज. आवासन मण्डल	सदस्य
7. उप आवासन आयुक्त (मु.) (रा. आ. मण्डल	सदस्य-सचिव

(छ) गुणवत्ता नियंत्रण समिति

1. अध्यक्ष, राज. आवा. मण्डल	अध्यक्ष
2. आवासन आयुक्त, रा. आवा. मण्डल	सदस्य
3. श्री मो. हनीफ खत्री	सदस्य
4. श्री धर्मनारायण माथुर	सदस्य
5. श्री शंकर लाल	सदस्य
6. संबंधित क्षेत्र के उप आवासन आयुक्त	सदस्य
7. उप आवासन आयुक्त (मु.)	सदस्य-सचिव

(ज) अभाव अभियोग सलाहकार समिति

1. अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2. आवासन आयुक्त, राज. आवासन मण्डल	सदस्य
3. श्री शंकर लाल	सदस्य
4. श्री रामचन्द्र त्यागी	सदस्य
5. श्री गजानन्द डेरोलिया	सदस्य
6. श्री धर्मनारायण माथुर	सदस्य
7. सचिव, राज. आवासन मण्डल	सदस्य

.....7

140

8. उप आवासन आयुक्त (मु.)	सदस्य
9. विधि अधिकारी	सदस्य
10. जन सम्पर्क अधिकारी	सदस्य-सचिव

(झ) भविष्य निधि समिति:-

1. अध्यक्ष राज. आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2. श्री मो. हनीफ खत्री	सदस्य
3. श्री रामचन्द्र त्यागी	सदस्य
4. मुख्यलेखाधिकारी	सदस्य-सचिव
5. श्री सुधीर कुमार लहरी	सदस्य
6. श्री ओम प्रकाश चौहान	सदस्य

(ञ) नियमो उपनियम उप समिति:-

1. अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2. श्री शंकर लाल	सदस्य
3. श्री धर्मनारायण माथुर	सदस्य
4. सचिव, राज. आवासन मण्डल	सदस्य
5. विधि अधिकारी	सदस्य-सचिव

...

124.7 (1) मण्डल की कनिष्ठ चयन समिति कीबैठक दिनांक 27.2.86 के
Secretary निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

(2) मण्डल की लैण्ड निगोसियेशन कमेटी की बैठक दिनांक 12.12.85 एवं 20.1.86 के निर्णयो का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

(3) मण्डल की नियमो उप नियम समिति की बैठक दिनांक 24.2.86 के निर्णयो का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

(4) मण्डल की अभाव अभियोग सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 14.2.86 के निर्णयों का अवलोकन किया गया। श्री मोहम्मद हनीफ खत्री ने बताया कि निर्णयों की क्रियान्विती में विलम्ब हो रहा है फिर भी उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं होती है। इस पर ध्यान दिया जावे वरना लोगों की कठिनाई बढती जावेगी। इन बातो की ओर गंभीरता से ध्यान दिया जावे। इस पर अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि आरोप पत्र जारी किये गये है व जिम्मेदारी निर्धारित करके कार्यवाही की जा रही है। जाँचों का निष्पादन शीघ्र किया जा रहा है। वे खुद इसे देख रहे हैं। अगली बैठक में विभागीय जाँच संबंधी सूचना बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर दी जावेगी।

(5) आदेश क्रमांक F-3(5)/HUD/(T)/SC/259/464 दिनांक 29.3.86 का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

124.8 Permission for attending the programme of international
P.M. experience in Housing and Urban Development on Board expenses at Bankok and Singapore.

निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार की स्वीकृति आने पर श्री सोइन उप आवासन आयुक्त जयपुर वृत द्वितीय को बोर्ड के खर्चे पर भेजने की

स्वीकृति प्रदान की गई।

इस हेतु रू. 13500/-व 75 यू.एस.डॉलर की स्वीकृति प्रदान की गई।

124.9 Grant of Dearness allowance to the employees of the Board.

CAO बोर्ड के आदेश क्रमांक पी-2161एफ.सी/18/85/1229 दि. 14.3.86 का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

124.10 सांख्यिकी आयोजना एवं परिवीक्षण शाखा में संगणक के पद सृजन की स्वीकृति हेतु ।

P.M. विचार विमर्श कर संगणक के पद का वेतनमान 520-925 में सृजन करने की स्वीकृति देते हुए निर्णय लिया गया कि पहले यह देख लेवे कि कार्यरत कर्मचारियों में से कनिष्ठ सहायक जो सांख्यिकी में योग्यता रखता हो पदोन्नत कर दिया जावे ताकि बोर्ड पर अधिक वित्तीय भार न पड़े ।

124.11 बोर्ड की 100 वीं मीटिंग के निर्णय बिन्दु सं. 100.4 में संशोधन के सम्बन्ध में:-

Secretary इस पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि बोर्ड केवल मूल आवंटी के पक्ष में ही भविष्य में क्रिय परिलेख पत्र पंजीकृत करायेगा एवं उसके पश्चात आवंटी बोर्ड की स्वीकृति से तीन साल बाद चाहे तो पुनः हस्तांतरण/बेचान कर सकता है। यदि वह निर्धारित शुल्क बोर्ड को अदा करे जो कि शुल्क की राशि निम्न प्रकार होगी:-

हस्तांतरण का वर्ष	दर
1. मूल आवंटन से चतुर्थ वर्ष की अवधि में	आवास/फ्लैट/भवन की मूल आवंटन राशि का 10%
2. मूल आवंटन से पंचम वर्ष में	आवास/फ्लैट/भवन की मूल आवंटन राशि का $7\frac{1}{2}$ %
3. मूल आवंटन से षष्ठम वर्ष में	आवास/फ्लैट/भवन की मूल आवंटन राशि का 5%

4.	मूल आवंटन से सप्तम वर्ष में	आवास/फ्लैट/भवन की मूल आवंटन राशि का 2%
5.	मूल आवंटन से अष्ठम वर्ष में	कुछ नहीं

यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 31.3.86 तक जिन आवंटियों ने डाक्यूमेन्टस प्रस्तुत कर दिये थे और ट्रान्सफर की स्वीकृति दी जा चुकी थी उनकी रजिस्ट्री पूर्व की भाँति उनके नाम करा दी जावे जिनके लिए हस्तांतरण के आदेश हो चुके है।

124.12 मण्डल की कनिष्ठ चयन समिति की बैठक दिनांक 16.4.86 के निर्णयों का अवलोकन कर निर्णय लिया गया कि नियमों में स्क्रीनिंग के प्रावधान जोड़ने के लिए राज्य सरकार को लिखा जावे व उसके बाद में पुनः स्क्रीनिंग की जावे।

P.M.

124.13 तदर्थ कर्मचारियों को उपार्जित एवं चिकित्सा अवकाश आदि की सुविधा प्रदान करने के संबंध में।

समयाभाव के कारण इस बिन्दु पर विचार नहीं किया जा सका।

124.14 मण्डल की वित्त एवं लागत समिति की बैठक दिनांक 17.4.86 के निर्णयों का अवलोकन किया गया एवं बिन्दु सं. 3 बोर्ड के कर्मचारियों/अधिकारियों को देय वाहन भत्ता राशि बढ़ाने के संबंध में सूचना प्राप्त की जावे कि अन्य संस्थाओं में वाहन भत्ता किस दर से दिया जाता है तदोपरान्त बोर्ड के समक्ष पुनः रखा जावे। बैठक में लिये गये अन्य निर्णय बिन्दुओं का अनुमोदन किया गया।

C.A.O.

124.15 वेल्डर को कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति देने के क्रम में।

P.M.

विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि "वेल्डर" को भी कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नती हेतु शामिल किया जाय।

.....11

-: अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से: -

124.16 राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष की स्थापना करने के सम्बन्ध में: -

C.A.O. उक्त बिन्दु पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। इस हेतु प्रस्तुत संविधान की रूप रेखाओं पर भी चर्चा की गई। तदोपरान्त इस संविधान का अनुमोदन किया गया एवं निर्णय लिया गया कि इस कोष की स्थापना हेतु मण्डल 00.50 लाख रूपये अनुदान के रूप में प्रदान करेगा। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त कोष की व्यवस्था व संविधान 1.4.86 से लागू किया जाये।

124.17 श्री बलराम मेंहदीरत्ता कनिष्ठ परियोजना अभियन्ता (तदर्थ) के आकस्मिक निधन पर संवेदना प्रकट की गई व निर्णय लिया गया कि स्वर्गीय श्री मेंहदीरत्ता की धर्मपत्नि जो कि स्नातक है को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दे दी जावे। इसी प्रकार स्वर्गीय डा. हाकिम सिंह अंबला भूतपूर्व बोर्ड सदस्य के पुत्र को [illegible] शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति ओफर कर दी जाये।

P.M.

124.18 निम्बाहेड़ा आवासीय योजना हेतु भूमि क्रय बाबत बजट में प्रावधान हेतु: -

C.A.O. निर्णय लिया गया कि बजट सत्र 1986-87 में निम्बाहेड़ा आवासीय योजना के लिए भूमि क्रय करने हेतु 1.00 लाख रूपये की आंशिक राशि का प्रावधान कर लिया जाये।

124.19 अध्यक्ष महोदय ने विशिष्ट आइटम के रूप में बोर्ड द्वारा वर्ष 1985-86 में मण्डल द्वारा की गई प्रगति के बारे में सदस्यों को अवगत कराया। पिछले वर्षों में मकानों का निर्माण, मकानों का कब्जा देने एवं आवंटियों से वसूली के सम्बन्ध में विवरण दिया गया जो निम्न प्रकार है: -

	Since 1971 upto 31.3.1983	During 1983-84	During 1984-85	During 1985-86	Total
Completion of houses	34,227	5,290	12,281	15,943	67,741
Physical delivery of houses to allottees	19,530	8,088	5,557	11,828	45,003
Recovery(in crores)	13.57 (1982-83)	13.17	16.41	23.86	-

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कब्जे दिये गए मकानों की संख्या गत वर्ष 1984-85 की अपेक्षा 113 प्रतिशत अधिक है तथा मकान निर्माण करने तथा वसूली में भी प्रगति अपेक्षाकृत बेहतर है। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विभिन्न कार्यों के विकेन्द्रीकरण के कारण आवंटियों से अधिक राशि वसूल करना सम्भव हो सका। इन प्रयासों को आगे लगातार बढाने की आवश्यकता पर अध्यक्ष द्वारा जोर दिया गया।

तत्पश्चात् अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

सचिव
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

॥दाधीच॥

राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर
राजस्थान आवासन मंडल की दिनांक 29 अगस्त, 1986 को संपन्न हुई 126 वीं बैठक के निर्णय

बोर्ड की 126 वीं बैठक दिनांक 29 अगस्त 1986 को बोर्ड मुख्यालय के नये बोर्ड कक्ष में श्री आदर्श किशोर, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन बोर्ड की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न उपस्थित रहे:-

1.	श्री आदर्श किशोर	अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	श्री पी. के. लौरिया	आवासन आयुक्त	सदस्य
3.	श्री शंकर लाल	बोर्ड सदस्य	सदस्य
4.	श्री रामचंद्र त्यागी	बोर्ड सदस्य	सदस्य
5.	श्री मोहम्मद हनीफ खत्री	बोर्ड सदस्य	सदस्य
6.	श्री गजानन्द डेरोलिया	बोर्ड सदस्य	सदस्य
7.	श्री धर्म नारायण माथुर	बोर्ड सदस्य	सदस्य

वित्त सचिव, सचिव, नगर विकास एवं आयोजना, तथा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार अन्य आवश्यक सरकारी कार्यवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। वित्त सचिव की ओर श्री एल एन यादव उप शासन सचिव बोर्ड बैठक में उपस्थित रहे। इन सदस्यों को लीव ऑफ एबसेंस दी गई। बैठक में बोर्ड के निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे:-

1.	श्री मुकुट बिहारी गुप्ता	बोर्ड सचिव
2.	श्री सोहन लाल मीणा	मुख्य लेखाधिकारी

बैठक में निम्न लिखित निर्णय लिये गये:-

126.1 बोर्ड की 125 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन :

बोर्ड की 125 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन निम्नलिखित संशोधनों के साथ किया गया।

(1) मद सं. 123.3(ए) आडिट रिपोर्ट्स के संबंध में

प्रथम पंक्ति में शब्द "आडिट रिपोर्ट्स के संबंध में" के बाद निम्न

.....2

संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया:-

"बोर्ड सदस्य श्री धर्मनारायण माथुर, श्री मोहम्मद हनीफ खत्री श्री गजानन्द डेरोलिया एवं श्री शंकर लाल ने बताया कि कुछ समाचार पत्रों में बोर्ड की आडिट रिपोर्ट के संबंध में जो खबरें प्रकाशित हुई हैं, यह एक गम्भीर विषय है।"

(2) मद सं. 123.3(ए) के बिन्दु सं. 4.3 के पश्चात् पृष्ठ 4 की अंतिम पंक्ति के बाद कार्यवाही विवरण में निम्न संशोधन और जोड़ा गया:

4. "बोर्ड ने निर्णय लिया कि संभवतः कतिपय अनुत्तरदायी कर्मचारियों ने अनधिकृत रूप से समाचार पत्रों में आडिट रिपोर्ट्स के संबंध में सूचना प्रकाशनार्थ दी है, जिसकी निन्दा की जाती है तथा बोर्ड, प्रबन्धकों को इस आशय के निर्देश देता है कि ऐसे तत्वों को, जिन्होंने यह खबरें प्रकाशित करवायी है, इंगित (आईडेंटीफाई) करके उनके विरुद्ध कार्यवाही करके उन्हें दण्डित करें व नियमित रूप से ऐसे समाचारों का प्रतिवाद करे। यह भी निर्णय लिया गया कि बोर्ड द्वारा अपनी सकारात्मक छवि को सुधारने के उद्देश्य से अर्जित की गयी उपलब्धियों का समाचार पत्रों में समय समय पर प्रकाशन करायें जावे"

(3) मद सं. 124.7(4) जांच निष्पादन के संबंध में:

उक्त बिन्दु का अनुमोदन निम्न संशोधन के साथ किया गया:-

"प्रस्तुत सूचना का अवलोकन किया गया। श्री धर्मनारायण माथुर व अन्य सदस्यों ने कहा कि विभागीय जांच के संबंध में पूर्ण विवरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जैसे कि जांच के मामले कब कब से विचाराधीन हैं। एवं निर्णित जांच प्रकरणों में क्या क्या दण्ड दिया गया? यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार संपूर्ण विवरण विभागीय जांच के सम्बन्ध में आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जावे।"

(4) पृष्ठ सं. 7 के अन्तिम पैरा में वाक्यांश "इस पर अध्यक्ष ने अवगत कराया

.....3

कि नियमों को दृष्टिगत रखते हुए" के बाद निम्न संशोधन की अनुमति प्रदान की गयी:

"तथा बोर्ड सदस्यों द्वारा व्यक्त की गयी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मण्डल में कार्यरत अधिकारियों को अधिक से अधिक पदोन्नति के पूर्ण अवसर प्रदान किये जावेंगे।

(5) श्री धर्मनारायण माथुर के सुझाव पर परियोजना समिति की बैठक दिनांक 15.7.86 को आयोजित की जाएगी।

126.2 बोर्ड की 125 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट

बोर्ड की 125 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन कर निम्न संशोधनों के साथ अनुमोदन किया गया:-

(1) मद सं. 123.3(ए)(2) एडवान्स की राशि के बकाया के संबंध में

श्री धर्मनारायण माथुर व अन्य बोर्ड सदस्यों ने इस विषय में अब तक हुई प्रगति पर सन्तोष व्यक्त किया।

(2) मद सं. 123.3(ए)(3) ठेकेदारों में बकाया राशि के संबंध में

बोर्ड सदस्य श्री शंकर लाल ने मत व्यक्त किया कि ठेकेदारों में बकाया राशि के समायोजन के संबंध में जो प्रगति हुई है वह सन्तोषजनक नहीं है। अध्यक्ष महोदय के द्वारा इस विषय में बताया गया कि अभी तक मेनेजमेंट के द्वारा विशेष रूप से कर्मचारियों के विरूद्ध बकाया राशि के समायोजन पर ही ध्यान दिया गया है अब ठेकेदारों में बकाया राशि के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाएगा एवं आगामी 2 माह में राशि समायोजन में हुई प्रगति से बोर्ड को अवगत कराया जाएगा।

(3) मद सं. 124.7(4) जांच निष्पादन के संबंध में

अध्यक्ष महोदय ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य के लिए दो माह की विभागीय जांचों की नवीनतम स्थिति व मकानों के निर्माण में हुई प्रगति की अनोपचारिक नोट मीटिंग से पूर्व बोर्ड सदस्यों को दिया जावे।

(4) मद सं. 125.8 शेष रही सूचना के संबंध में।

रही सूचना आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जावे।

126.3 श्री सोमकान्त जोशी, लेखा सहायक (तदर्थ) की सेवाएं नियमित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में:

HQ-I

P.M.

इस बिन्दु पर विचार विमर्श करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड सचिव इस प्रकरण में पूरी जांच कर लें तथा श्री जोशी की सेवाएं नियमित करने के संबंध में राज्य सरकार को निवेदन कर दिया जावे।

126.4 स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत आनासागर में एस एफ एस (ए) के 94 मकानों के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु।

RE HQ-I

प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

126.5 विधायकों के लिए बजाज नगर में 54 फ्लैट्स के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु।

HQ-II

RE HQ-I

इस बिन्दु पर विचार विमर्श के दौरान बोर्ड सदस्य सर्व श्री धर्मनारायण माथुर व श्री शंकरलाल के द्वारा यह आशंका व्यक्त की गयी कि यदि बोर्ड, विधायकों के लिए फ्लैट्स के निर्माण का कार्य हाथ में लेगा तो बोर्ड के आवंटियों के मकानों का निर्माण कार्य करने गति धीमी हो जाएगी और वैसे भी बोर्ड का उद्देश्य आवंटियों के लिए मकानों का निर्माण करना है। इस बिन्दु पर आवासन आयुक्त महोदय ने बताया कि बोर्ड के पास 35 करोड़ तक निर्माण कार्य कराने की क्षमता है जबकि बोर्ड के पास वर्तमान में केवल 25 करोड़ का ही कार्य है।

HQ-II

A.O.

श्री मोहम्मद हनीफ खत्री ने इस आशय का विचार व्यक्त किया कि यदि विधायकों के लिए फ्लैट्स का निर्माण कार्य हाथ में लिया जाता है तो बोर्ड का एस्टिब्लिशमेंट का खर्च कम होगा। अध्यक्ष महोदय के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि आवंटियों के लिए भवन निर्माण का कार्य बोर्ड के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का है एवं सदस्यों के द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी। बोर्ड इस कार्य के लिए हुडको से कोई ऋण नहीं ले रहा है। विचार विमर्श के बाद प्रस्तावानुसार उसको

A.O.

स्वीकृति दी गयी।

126.6 हुडको से स्वीकृत स्कीम की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।कंपोजिट हाउसिंग स्कीम फेज प्रथम, मुक्ताप्रसाद नगर विस्तार।

HC-I

बोर्ड सदस्य श्री धर्मनारायण माथुर ने विचार व्यक्त किया कि इस स्कीम में प्लाट साइज बहुत छोटा है और जब तक प्लाट साईज में संशोधन नहीं कर दिया जाता है तब तक इस स्कीम का निर्माण कार्य हाथ में न लिया जाना चाहिए। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि स्कीम की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति देकर भी स्टेडिंग कमेटी।प्रोजेक्ट कमेटी। में इस मामले को देखकर प्लाट साईज में संशोधन किया जा सकता है। विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गई।

126.7 हुडको से स्वीकृत स्कीम की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ।अल्प आयवर्ग हाउसिंग स्कीम फेज तृतीय, सैक्टर-12, मानसरोवर।

HQ-II

प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गयी।

HQ-II

126.8 Interest free loan assistance under HUDCO's Technical Assistance Programme (TAP No.13).

प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गयी एवं यह निर्देश दिये गये कि मशीने आवश्यकतानुसार ही क्रय की जावे।

126.9 Grant of Dearness allowance to the employees of the Board.

प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गयी।

126.10 राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी कल्याण कोष समिति के संविधान में संशोधन बाबत ।

A.O.

संविधान में आवश्यक संशोधन कर संलग्नानुसार इसका अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि:-

।।। यह संविधान दिनांक 1.4.86 से लागू होगा जिस तारीख को मूल संविधान का प्रस्ताव प्रथम बार तैयार किया गया एवं जिसे बोर्ड ने दि. 28.4.86 को स्वीकृति दी थी।

(2) कमेटी को यह अधिकार भी होगा कि संविधान में उल्लिखित परिस्थितियों में नहीं आने वाले मामलों को विशिष्ठ परिस्थितियों में कमेटी के समक्ष रखा जा सकता है और कमेटी उन पर विचार व निर्णय ले सकती है।

3. सचिव, राज. आवा. मण्डल को भी कल्याण कोष समिति का सदस्य मनोनीत किया गया।

126.11 मण्डल की विभिन्न समितियों की बैठकों के निर्णयों का अनुमोदन।

(1) कनिष्ठ चयन समिति की बैठक दि. 18, 19, एवं 20.6.86 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन निम्न संशोधन के साथ किया गया:-

P.M.

"अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए यदि रोजगार कार्यालयों से सूचना 15 दिवस में प्राप्त नहीं होती है तो इन पदोंको सामान्य प्रवर्ग के पैनल में रखे गये प्रत्याशियों से भर दिया जावे क्योंकि पद रिक्त होने से मण्डल के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है तथा नियमानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदों को अग्रेषित कर दिया जावे।"

(2) अभाव अभियोग सलाहकार समिति की नवीं बैठक दि. 28.7.86 के निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

(3) लैण्ड नेगोशिएसन कमेटी की बैठक दिनांक 16.4.86 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

LAO

(4) लैण्ड नेगोशिएसन कमेटी की दिनांक 7.8.86 की बैठक में लिये गये निर्णयों का निम्न संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया:-

क- आईटम नं. 3 हिण्डौन में भूमि अवाप्ति:- निर्णय लिया गया कि कि जिलाधीश सवाईमाधोपुर से दूरभाष पर वार्ता कर दिनांक 10.9.86 से पूर्व मौके का मुआयना कर लिया जावे।

ख- आईटम नं. 7 सिरोही व आबू रोड़ में भूमि अवाप्ति:

बोर्ड सदस्य श्री धर्मनारायण माथुर ने बताया कि कमेटी के निर्णय की सूचना समय पर नहीं मिल पायी जिसके कारण तैयारी नहीं हो सकी तथा पाली भूमि के संबंध में स्थगन आदेश आ गये जिसकी जानकारी

.....7

किसी भी अधिकारी को नहीं थी। उन्होंने यह भी बताया कि धारा 17(4) के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद भी पाली सिरोही व आबू रोड़ में ओ. एस डी द्वारा कब्जा लेने की कार्यवाही नहीं की गयी जिसके फलस्वरूप अदालतों से स्थगन आदेश प्राप्त हो गये हैं। श्री धर्मनारायण माथुर ने यह भी बताया कि इन स्थगन आदेशों को वेकेट कराने की और भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। बोर्ड सदस्य श्री त्यागी ने बताया कि श्री गंगानगर में काश्तकारोंने धारा 17(4) के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद भी जमीनों को बेचना शुरू कर दिया है तथा मकानों का अनधिकृत निर्माण करवाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय के द्वारा भी इस आशय के विचार व्यक्त किये गये कि भूमि के मामलें में पैरवी के प्रबन्ध सन्तोषजनक नहीं है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। श्री शंकरलाल बोर्ड सदस्य ने इस आशय का विचार व्यक्त किया कि जिन व्यक्तियों ने मकानों के लिए पंजीयन करा रखा है उनमें असन्तोष है कि अब तक भी भूमि अप्राप्त नहीं की गयी है। विस्तार विमर्श के बाद इस संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

अ- सचिव, इस बिन्दु पर समीक्षा करें कि जिस जमीन की आवश्यकता है, उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है तथा समस्त मामलों को रिव्यू करके प्रस्तुत करें।

ब- जिन मामलों में कोई कमेटी काश्तकारों से नेगोशिएसन्स करने के लिए जावे तो इस संबंध में निम्न कार्यवाही पहले से ही कर ली जावे:-

I- कमेटी के सदस्यों को प्रकरण के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध करायी जावे।

II- काश्तकारों को इसकी इत्तला दी जावे।

III- स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जावे कि कमेटी से किन बिन्दुओं पर कार्यवाही करानी है।

यह भी निर्णय लिया गया कि स्थगन आदेशों को निरस्त करने के लिए अदालतों में योग्य एवं अनुभवी वकील नियुक्त किये जाने चाहिए।

(5) परियोजना समिति की दिनांक 25.7.86 को हुई बैठक के निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

126.12 श्री गजानन्द डेरोलिया, बोर्ड सदस्य द्वारा प्रस्तावित

(1) बोर्ड की कालोनियों में व्यावसायिक भूखण्डों की नीलामी द्वारा बिक्री:

बोर्ड सदस्य श्री गजानन्द डेरोलिया ने बताया कि कर्नाटक में हाउसिंग बोर्ड द्वारा मकानों के साथ साथ भूखंड भी बेचे जाते हैं, उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कोटा में दुकानों को लेने वाला कोई नहीं है और बोर्ड की धनराशि अनावश्यक रूप से ब्लॉक हो गयी है इसलिए बोर्ड को भूखण्ड नीलाम करने चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने विचार व्यक्त किया कि बड़े भूखण्डों को नीलामी से बेचा जा सकता है परन्तु छोटे भूखण्डों को नीलामी से बेचा जा सकता है परन्तु छोटे भूखण्डों को बेचना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि वहां कामन दीवार होती है। श्री शंकरलाल बोर्ड सदस्य ने बताया कि जिन दुकानों को समाज कल्याण विभाग आवंटित करता है उसकी कार्यवाही करने के लिए निदेशक, समाज कल्याण विभाग को लिखा जाना चाहिए। श्री धर्मनारायण माथुर ने बताया कि यदि समाज कल्याण विभाग दुकानों को नीलाम नहीं करता है तो बोर्ड द्वारा अनुसूचित जाति और अनु. जनजाति के लिए आरक्षित आवेदकों को ही नीलाम कर दिया जावे। विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि सिद्धान्ततः प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है।

(2) सरकारी भवनों के निर्माण का दायित्व लिया जाए:

विचार विमर्श के बाद यह प्रस्ताव इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया कि सरकारी भवनों के निर्माण कार्य का दायित्व लेते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जावे कि इस कार्य से आवंटियों के मकानों का निर्माण धीमी गति से न हो क्योंकि उपरोक्त कार्य सर्वोपरी महत्व का है।

126.13 Brief on the Activities of the Housing Board.

प्रगति का अवलोकन किया गया।

126. 14 Market Borrowing of Rs.1.00 crores by issue of secured Debentures during the year 1986-87, II series.

प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गयी।

126.15 Loan from HUDCO for composite Housing Scheme Ph.V, Sector IX, Mansarowar, Jaipur (Scheme No.4667).

प्रस्ताव-नुसार स्वीकृति दी गयी।

126.16 Delay in allotment of houses to registered applicants at Ajmer due to PHED's inability to supply water in RHB Colonies.

विचार विमर्श करने के उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत करके निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

(1) जिन नगरों के लिए पी. एच. ई. डी. ने पानी सप्लाई देना संभव नहीं बताया है तथा जहां भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है उनके लिए निम्न निर्णय लिये गये:-

अ- समस्त पंजीकृत आवेदकों को पत्र लिखकर सूचित कर दिया जावे कि आगामी 5-7 वर्षों तक उन्हें मकान देने में मण्डल की असमर्थता है अत: यदि वे चाहें तो अपना पंजीकरण निरस्त करवा लें तथा पंजीकरण राशि का पुनर्भुगतान करवा सकते है।
उपरोक्त राशि पर कोई कटौती नहीं की जाएगी तथा नियमानुसार ब्याज भी दिया जायेगा। और यदि वे मकान के लिए प्रतिक्षा करना चाहें तो कर सकते है।

ब- यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में ऐसे नगरों में नयह पंजीकरण किये जाएं तो ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने इस आवेदन की पालना में अपनी पंजीकरण राशि वापस ली है।

स- समाचार पत्रों में भी प्रकाशन कराया जावे।

126.17 अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

(1) श्री धर्मनारायण माथुर ने विचार व्यक्त किया कि बोर्ड की स्थाई

समितियों की बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिए। श्री त्यागी ने भी बताया कि वर्क्स कमेटी की बैठक काफी अर्से से नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय ने बैठक में जानकारी दी कि गत एक वर्ष में कब कब स्थाई समितियों की बैठकें हुई हैं तथा विशेष रूप से बताया कि जहां तक वर्क्स कमेटी की बैठक का सम्बन्ध है इसकी तीन बैठकें हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय ने यह भी बताया कि प्रति माह समिति की बैठक बुलाना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि पर्याप्त ऐजेण्डा होने पर ही बैठक आयोजित की जाती है।

§2§ श्री मोहम्मद हनीफ खत्री श्री गजानन्द डेरोलिया व श्री शंकर लाल ने विचार व्यक्त किया कि सीकर, हिण्डौन और पाली की भूमि शीघ्र ही लेने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए। इस बिन्दु पर पूर्व में ही यह निर्णय लिया जा चुका है कि सचिव, भूमि अवाप्ति के समस्त मामलों की समीक्षा करेंगे तथा अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

§3§ बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों के सम्बन्ध में।

बोर्ड सदस्य श्री गजानन्द डेरोलिया ने बताया कि गत बैठक में अध्यक्ष महोदय ने जानकारी दी थी कि बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर कम से कम अधिकारियों को लिया जाएगा। इस बिन्दु पर प्रतिनियुक्ति के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने नियमों की जानकारी दी और बताया कि वर्तमान में अप्रैल, 87 तक 7 सहायक परि. अभियंता प्रतिनियुक्ति पर हैं और उन्हें 31 अक्टूबर 87 तक उनके मूलक विभागों में भेज दिया जाएगा। आवासीय अभियंता के स्तर तक कोई भी अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय ने यह भी बताया कि जहां तक उप-आवासन आयुक्त का संबंध है, इस श्रेणी के 6 पद हैं जिसमें से केवल 2 अधिकारी ही प्रतिनियुक्ति पर हैं जबकि शासन के आदेशानुसार प्रतिनियुक्ति पर 50% तक अधिकारी होने चाहिए और इसलिये उप आवासन आयुक्त के पद पर बोर्ड के अधिकारी को पदोन्नत करना सम्भव नहीं है।

P.R.O. §4§ अभाव अभियोग समिति की बैठक वृत्त कार्यालयों पर किये जाने हेतु

श्री डेरोलिया ने यह सुझाव दिया कि भविष्य में अभाव अभियोग

....11

सलाहकार समिति की बैठक वृत्त मुख्यालयों पर आयोजित की जानी चाहिए। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि यथासम्भव अग्रिम माहों में ऐसी बैठकें उदयपुर जोधपुर और कोटा में आयोजित की जावें।

§5§ परियोजना समिति की बैठक आयोजित करने के संबंध में:

निर्णय लिया गया कि प्लाट सब कमेटी की आगामी बैठक दिनांक 10.9.86 को हाउसिंग कमिश्नर के तत्वाधान में आयोजित की जावे जिसमें प्लाट साइज के संशोधन पर विचार किया जावे।

§6§ नियमोपनियम समिति की बैठक आयोजित करने के संबंध में

यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान आवासन मण्डल के नियमोपनियम के संशोधन के लिए समिति की बैठक आयोजित की जाए।

§7§ श्री गजानन्द डेरोलिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर कार्यवाही

श्री गजानन्द डेरोलिया द्वारा यह जानकारी चाही गयी कि उनके द्वारा अध्यक्ष महोदय को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी उस पर क्या कार्यवाही की गयी? अध्यक्ष महोदय ने बताया कि रिपोर्ट का परीक्षण किया जाकर निर्णय लिया जाना विचाराधीन है।

§8§ श्री मोहम्मद हनीफ खत्री बोर्ड सदस्य ने बताया कि तसूली के कार्य को विकेन्द्रित करने से बोर्ड के कार्य में सुधार होने की आशा है। अध्यक्ष महोदय के द्वारा बताया गया कि इस संबंध में बोर्ड को पूरी जानकारी आगामी बैठक में दी जायेगी।

§9§ श्री गजानन्द डेरोलिया के द्वारा पूछे जाने पर अध्यक्ष महोदय ने यह भी बताया कि कोटा में दुकानों के आवंटन के लिए उप आवासन आयुक्त, कोटा वृत्त को अधिकृत कर दिया गया है तथा कोटा में बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा नाजायज तरीके से मकानों पर कब्जा कर रखा है, इस बाबत प्रगति से आगामी बोर्ड की बैठक में अवगत करा दिया जाएगा।

§10§ बोर्ड सदस्य श्री शंकर लाल ने यह सुझाव दिया कि बोर्ड द्वारा

Dy.H.C. HC

बनाये जा रहे मकानों का स्तर पूर्णतया संतोषजनक नहीं है और इसके लिए यह उचित होगा कि गुणवत्ता नियंत्रण समिति मकानों का मौके पर जाकर निरीक्षण करें ताकि निर्माण कार्य के स्तर में सुधार आ सके।

आवासन आयुक्त महोदय के द्वारा इस बिन्दु पर जानकारी दी गयी कि आकस्मिक अभियंताओं से समय पर रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है और निरीक्षण निर्धारित संख्या में नहीं किये जाते हैं। श्री धर्मनारायण माथुर ने विचार व्यक्त किया कि दोषी अधिकारियों के विरूद्ध समय पर कोई कार्यवाही नहीं करने से निर्माण कार्य के स्तर पर गिरावट आ रही है। श्री खत्री ने बताया कि कर्नाटक और तमिलनाडु में बन रहे आवासन मंडलों के मकानों का स्तर काफी अच्छा है। श्री डेरोलिया ने बताया कि निर्धारित निरीक्षण करने से ही निर्माण कार्य के स्तर में सुधार आयेगा। विचार विमर्श के उपरान्त इस बिन्दु पर निम्न निर्णय लिये गये:-

1. निरीक्षण प्रणाली को मजबूत बनाया जावे तथा इसकी समीक्षा स्वयं अध्यक्ष महोदय के द्वारा की जावे।
2. प्रत्येक खण्ड में निर्माण सामग्री की जांच ने के लिए प्रयोगशालाएं एवं पर्याप्त मात्रा में आवश्यक उपकरण होने चाहिए।
3. निर्माण कार्य के संबंध में जो भी आदेश समय समय पर जारी किये जाते हैं उन सभी को कम्पाईल करके प्रत्येक डिविजन में उपलब्ध कराना जाना चाहिए।
4. जिन खंडो में विशेष रूप से निर्माण कार्य का स्तर ठीक नहीं पाया जाए वहां अध्यक्ष महोदय एवं आवासन आयुक्त के द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

सचिव
राजस्थान आवासन बोर्ड

राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की दिनांक 22.10.86 को सम्पन्न हुई 127 वीं बैठक के निर्णय

बोर्ड की 127 वीं बैठक दिनांक 22 अक्टूबर, 1986 को बोर्ड के मुख्यालय भवन में बोर्ड कक्ष में श्री आदर्श किशोर, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन बोर्ड की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे:-

1.	श्री आदर्श किशोर	अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	श्री अखयराज	आवासन आयुक्त	सदस्य
3.	श्री एच. एस. माथुर	मुख्य नगर नियोजक	सदस्य
4.	श्री शंकर लाल	बोर्ड सदस्य	सदस्य
5.	श्री रामचन्द्र स्थागी	बोर्ड सदस्य	सदस्य
6.	श्री मोहम्मद हनीफ खत्री	बोर्ड सदस्य	सदस्य
7.	श्री गजानन्द डेरोलिया	बोर्ड सदस्य	सदस्य
8.	श्री धर्मनारायण माथुर	बोर्ड सदस्य	सदस्य

वित्त सचिव, एवं सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन, राजस्थान सरकार अन्य आवश्यक सरकारी कार्यवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। इन सदस्यों को "लीव ऑफ एबसेंस" दी गयी। बोर्ड के निम्न अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे:-

1.	श्री मुकुट बिहारी गुप्ता	बोर्ड सचिव
2.	श्री आर. के. शर्मा	मुख्य लेखाधिकारी

सर्वप्रथम श्री गोकुल भाई भट्ट, स्वतंत्रता सेनानी के निधन पर समस्त उपस्थित सदस्यों द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। तदुपरांत बैठक में निम्न निर्णय लिये गये:-

127.1 बोर्ड की 126 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन निम्न संशोधन के साथ किया गया:-

126.17(4) में उदयपुर, जोधपुर, कोटा के साथ बीकानेर भी जोड़ा जा

.....2

127.2 बोर्ड की 126 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट:

बोर्ड की 126 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन कर निम्न संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया:-

1. 126.2(2) के अन्तर्गत मद सं. 123.3(ए)(3) के ठेकेदारों में बकाया राशि के सम्बन्ध में:-

CAO "इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का विवरण बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।" ATP

2. मद सं. 126.2(4) के अन्तर्गत मद सं. 125.8 शेष रही सूचना के सम्बन्ध में।

PM "खण्ड बीकानेर के सम्बन्ध में शिड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की सूचना बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे।" PM

127.3 हुडको से स्वीकृत स्कीम सैक्टर 11 फेज-5, मानसरोवर, जयपुर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में:

RE I.(I) प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गयी। PM

127.4 (1) ऐजेण्डा बाई सर्कूलेशन सं. 70 प्रोमसरी नोट को स्टॉक सर्टिफिकेट में बदलने के सम्बन्ध में:

CAO प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गयी।

(2) वर्क्स कमेटी की दिनांक 20.9.86 को हुई बैठक के कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में:

DY.HC HC उपरोक्त कार्यवाही विवरण का अवलोकन करने पर बोर्ड सदस्य श्री मोहम्मद हनीफ खत्री ने अवगत कराया कि दिनांक 24.1.86 को संपन्न हुई बैठक के निर्णयों की दिनांक 20.9.86 की बैठक में पुष्टि नहीं की गयी थी। अतः निर्णय लिया गया कि दिनांक 20.9.86 PM

के कार्यवाही विवरण को अनुमोदन हेतु बोर्ड की आगामी बैठक में दिनांक 24.1.86 के कार्यवाही विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाय।

§3.§ वित्त एवं लागत समिति की दिनांक 11.9.86 को संपन्न हुई बैठक के निर्णयों के सम्बन्ध में:

अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

§4§ प्रोजेक्ट कमेटी की 49 वीं बैठक दिनांक 11.8.86 के निर्णयों के सम्बन्ध में:

अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

127.5 निजी सहायक आवासन आयुक्त के पद को निजी सचिव के पद में परिवर्तित करने हेतु:

प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गयी।

127.6 तदर्थ रूप से पण्डल में नियुक्त कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश दिये जाने के संबंध में:

विचार विमर्श कर प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गयी।

127.7 सांगानेर स्कीम सं. 4705, कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम हेतु हुडको से ऋण लेने के सम्बन्ध में:

प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गयी।

127.8 राज्य सरकार की भांति 100 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली को बोर्ड में लागू करने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श करके प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गयी।

127.9 श्री धर्मनारायण माथुर, बोर्ड सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव बाबत आवंटियों द्वारा देय राशि की वसूली हेतु विशेष अभियान चलाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव के पैरा सं. 6 को

छोड़कर शेष प्रस्ताव को सिद्धान्ततः स्वीकार किया जाता है। आवासन आयुक्त ने यह भी बताया कि वे वसूली की कार्यवाही को सशक्त और प्रभावशाली बनाने के लिए एक योजना तैयार कर रहे हैं जिसे मण्डल की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

127.10 जोधपुर की गोपालनी रोड़ साउथ एक्सटेंशन फेज 10 और फेज-VI वेस्ट एक्सटेंशन स्कीम नं. 4736 कंपोजिट हाउसिंग स्कीम हेतु हुडको से ऋण लेने के संबंध में:

RE HC(II) प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गयी।

127.11 बोर्ड मुख्यालय में रिसर्च एण्ड डवलपमेंट तथा प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एण्ड मॉनीटरिंग के दो नये डिविजन खोलने तथा इनके लिए नये पद सृजित करने के संबंध में।

PM इस प्रस्ताव पर बोर्ड की बैठक में गहराई से विचार विमर्श किया गया। मुख्य नगर नियोजक ने बोर्ड को बताया कि प्लानिंग एवं डिजाइनिंग तथा निर्माण कार्य में सुधार लाने और नयी तकनीक के प्रयोग के लिए प्रस्तावित नये डिविजन्स खोले जाने बहुत आवश्यक हैं क्योंकि रिसर्च एवं डवलपमेंट के लिए हुडको व भारत सरकार से आर्थिक सहायता भी मिलती है और ऐसे डिविजन्स खोलने से ऐसी आर्थिक सहायता का उपयोग किया जा सकेगा। इस संबंध में श्री गजानन्द डेरोलिया ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि रिसर्च एण्ड डवलपमेंट तथा मॉनीटरिंग के लिए नये डिविजन्स खोलना बहुत उपयोगी तथा आवश्यक है तथा इस कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए यह जरूरी है कि इन डिविजन्स का नियंत्रण उप-आवासन आयुक्त स्तर के अधिकारी के पास हो और इसके लिए मुख्यालय में उप आवासन आयुक्त का एक पद और सृजित किया जावे क्योंकि वर्तमान में नियुक्त उप आवासन आयुक्त (मु. I) के पास पहले से ही कार्य की अधिकता है। विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव

स्वीकार करते हुए निम्न निर्णय लिये गये:-

1. मुख्यालय में दो नये डिविजन्स बनाये जावें:-

अ- रिसर्च एण्ड डवलपमेंट डिविजन,

ब- प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एण्ड मॉनीटरिंग

2. इनके लिए निम्न पद सृजित करने की स्वीकृति भी प्रदान की गयी:-

अ- नियंत्रक अधिकारी : उप-आवासन आयुक्त।

ब- रिसर्च एण्ड डवलपमेंट डिविजन

1. आवासीय अभियंता	- एक
2. परि. अभि. वरिष्ठ	- चार
(इनमें एक पद इवोल्यूशन ऑफिस से प्रतिनियुक्ति पर हो सकेगा)	
3. परि. अभि. कनिष्ठ	- दो
4. स्टेनोग्राफर	-एक
5. कनिष्ठ सहायक	- तीन
6. लैब सहायक	- तीन
7. लैब हैल्पर	- तीन
8. हैल्पर	- एक

स- प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एण्ड मॉनीटरिंग डिविजन:

1. आवासीय अभियन्ता	- एक
2. परि. अभि. वरिष्ठ (कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग)	- एक
3. परि. अभि. (वरिष्ठ) मोनेटरिंग	- एक
4. परि. अभि. (वे0) डिविजन इम्प्लीमेंटेशन	- एक
5. परि. अभि. (वे0) मोनीटरिंग एवं पब्लिक ग्रिवेंसेज व धारा 60	- एक
6. परि. अभियंता (कनिष्ठ) कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग	- दो
7. स्टेनोग्राफर (एक हिन्दी एवं एक अंग्रेजी)	- दो (1+1)

8. कनिष्ठ सहायक – दो

9. हेल्पर – दो

10. साइकिल सवार – एक

यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त समस्त पद एक साथ नहीं भरे जावें बल्कि अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया कि वे आवश्यकतानुसार शनैः शनैः पदों को भरते रहें।

127.12 बिना पानी, बिजली की व्यवस्था के कब्जा पत्र जारी होने तथा आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लेने पर शास्ति चार्ज नहीं किये जाने के संबंध में:

HC/SECRETARY

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि कुछ स्थानों से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विशेष रूप से उदयपुर से कि, आवासन मण्डल के द्वारा बिना पानी बिजली की व्यवस्था किये हुए, आवंटियों को कब्जा पत्र जारी कर दिये जाते हैं और आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिये जाने पर शास्ति आरोपित की जाती है, अध्यक्ष महोदय ने यह भी बताया कि बोर्ड की नीति के अनुसार मकान पूर्ण होने पर ही कब्जा दिया जाना चाहिए और बिना पानी बिजली की व्यवस्था के मकानों को पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय ने यह भी बताया कि ऐसे कई केसेज में जिनमें गल्ती बोर्ड के कार्यालयों की होती है और हम उनसे शास्तियों की मांग करते है उससे आवंटि में को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों में उनसे शास्ति चार्ज नहीं की जानी चाहिए। विचार विमर्श के उपरान्त यह प्रस्ताव निम्न प्रकार स्वीकृत किया गया:–

1. अपूर्ण मकानों के कब्जा पत्र जारी नहीं किये जावें और कब्जा न लेने पर यदि किसी आवंटी के विरूद्ध शास्ति आरोपित की जाती है या अन्य किसी कारण से शास्ति लगाई जाती है तो वह शास्ति हटाने के लिए अपनी अपील प्रस्तुत कर सकते

2. अपील की सुनवाई हेतु आवासन आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जिसके सदस्य प्रति माह क्रमवार बोर्ड के एक गैर सरकारी सदस्य और सचिव तथा मुख्यलेखाधिकारी होंगे।
3. इस कमेटी की बैठक माह में एक बार आवश्यक रूप से होगी।
4. अपील का निपटारा 60 दिन की अवधि में किया जावे।
5. अपील की सुनवाई बिना शास्ति का पूर्व भुगतान किये हुए की जा सकती है परन्तु यदि आवंटी मकान का कब्जा तत्काल लेना चाहता है तो उसे अपील प्रस्तुत करने के साथ साथ शास्ति राशि भी जमा करानी होगी जो कि बाद में अपील का फैसला आवंटी के हक में होने पर उसे वापस लौटा दी जावेगी।
6. कुछ विशेष मामलों में यदि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हो, तो कमेटी के अध्यक्ष अपील की सुनवाई के दौरान शास्ति की वसूली स्थगित कर सकते हैं।

127.13 एक शहर से दूसरे शहर में पंजीकरण हस्तान्तरण करते समय वरीयता निर्धारित करने के संबंध में:

बोर्ड द्वारा पूर्व में यह निर्णय लिया जा चुका है कि अध्यक्ष महोदय परिस्थितियों के अनुसार एक नगर से दूसरे नगर में पंजीकरण का हस्तान्तरण कर सकते हैं परन्तु ऐसे मामलों में पंजीकृत आवेदक को वरीयता निर्धारित किये जाने के संबंध में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया था। अतः इस बिन्दु पर विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि ऐसे मामलों में पंजीकृत आवेदक की वरीयता पंजीकरण हस्तान्तरित किये जाने वाले नगर की जारी हुई उसी वर्ष और यदि उसी वर्ष में उस नगर की कोई सूचि, रजिस्ट्रेशन नहीं हुए होने के कारण, नहीं हो तो उस नगर की उसी वर्ग की अगली सूचि में एवं उसी वर्ग की वरीयता सूची

127.14 बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों/कर्मचारियों को बोर्ड कर्मचारी कोटे में प्राथमिकता के आधार पर मकान दिये जाने के संबंध में:

Secretary

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इस विषय में बोर्ड के द्वारा अभी तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है और इसीलिए इस बिन्दु पर विचार विमर्श करके निम्न निर्णय लिये गये:-

1. बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को बोर्ड कर्मचारी की श्रेणी में माना जाना चाहिए और बोर्ड कर्मचारियों के आरक्षित कोटे में से प्राथमिकता के आधार पर उन्हें मकान का आवंटन किया जा सकता है परन्तु ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति से वापस चले जाने पर उन्हें बोर्ड कर्मचारी मान कर उक्त कोटे में मकान का आवंटन नहीं किया जा सकेगा।

2. प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की वरीयता पूर्व में बोर्ड कर्मचारियों हेतु जारी वरीयता सूची में उसी वर्ष एवं उसी वर्ग में अन्तिम क्रमांक पर निर्धारित की जाएगी।

127.15 (1) राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 के तहत नये पदों के सृजन के संबंध में:

PM

बोर्ड के क्रियाकलापों के बढ़ने तथा कार्यरत हैल्पर्स को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु मुख्यालय के लिए निम्नलिखित नये पद, जो कि प्रस्तावानुसार शैक्षणिक योग्यता अनुभव, एवं अर्हताएं रखने वाले प्रत्याशियों से भरे जाएंगे, सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1.	प्लम्बर/सैनिटरी फिटर	420-740
2.	लिफ्ट मैन	370-530
3.	गार्डनर	370-530
4.	दफ्तरी	360-460
5.	जमादार 8 पद	

यह भी निर्णय लिया गया कि जिन हैल्पर्स को जमादार के पदों पर पदोन्नति दी जानी है तो ऐसे रिक्त हैल्पर्स के पद नहीं भरे जावें। ये हैल्पर्स के पद समाप्त कर दिये जायेंगे।

127.15(2) असिस्टेंट टाउन प्लानर/असिस्टेंट आर्किटेक्ट के पदों को 75% सीधी भर्ती तथा 25% पदोन्नति से भरने के स्थान पर 50-50% के अनुपात से भरने के संबंध में।

PM इस विषय में मुख्य नगर नियोजक ने बताया कि यह प्रकरण राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है और यह उचित रहेगा कि राज्य सरकार का निर्णय आने के बाद ही बोर्ड के द्वारा इस विषय पर निर्णय लिया जावे ताकि निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप ही हो। अतः निर्णय लिया गया कि इस बिन्दु पर राज्य सरकार का निर्णय आने के पश्चात् बोर्ड की बैठक में रखा जावे।

127.16 सांख्यिकी सहायक के पद को क्रमोन्नत करके सांख्यिकी अधिकारी के पद का सृजन करने के संबंध में।

PM अध्यक्ष महोदय ने बताया कि वर्तमान में बोर्ड का सांख्यिकी कार्य बहुत बढ़ता जा रहा है। जिस समय इस प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी थी उस समय मंडल के केवल 14 खंड कार्यालय ही थे जबकि वर्तमान में उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गयी है। विचार विमर्श करके निर्णय लिया गया कि वर्तमान में सांख्यिकी सहायक के पद को सांख्यिकी अधिकारी के पद में क्रमोन्नत कर दिया जावे जिसकी वेतन श्रृंखला 860-1750 होगी।

-: अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :-

127.17(1) अग्रिम राशि स्वीकृत करने का अधिकार बढ़ाने के संबंध में:

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि वर्तमान में आवासन आयुक्त

Secretary

को 1,000/-रू. तथा सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी को 200/-रू. (प्रत्येक) की अग्रिम राशि स्वीकृत करने का अधिकार है जो कि बहुत कम है अतः विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि आवासन आयुक्त को 2,000/-रू. तथा सचिव एवं मुख्यलेखाधिकारी को 1,000/-रू. (प्रत्येक) तक की अग्रिम राशि स्वीकृत करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

127.17(2) श्री जगदीश चंद पुरोहित, निजी सचिव, अध्यक्ष, के अन्तर्लेखन के साथ प्रतिनियुक्ति भत्ते को वेतन में सम्मिलित किये जाने के संबंध में:

Secretary/PM

इस संबंध में निर्णय लिया गया कि बोर्ड सचिव श्री पुरोहित की पत्रावली का परीक्षण करके अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया कि वे इस मामले में श्री राधेश्याम कुमावत और श्री लल्लुलाल जैन को दिये गये लाभ (पेंशन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता) के अनुसार निर्णय करें।

127.17(3) आउट राइट सैल के मामलों को हायर परचेज में परिवर्तित करने के संबंध में:

Secretary

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि वर्तमान बोर्ड नियमों में हायर परचेज के मामलों को आउट राइट सैल में परिवर्तित करने का प्रावधान तो है परन्तु आउट राइट सैल के मामलों को हायर परचेज में परिवर्तित करने का प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने यह भी बताया कि आवंटियों को अपरिहार्य कारणों से एक मुश्त राशि जमा कराना कभी कभी संभव नहीं हो पाता है और उनकी सुविधा के लिए आउट राइट सैल के मामलों को हायर परचेज में परिवर्तित करने की सुविधा होनी चाहिए।

विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि आउट राइट सैल के मामलों को इस शर्त के साथ हायर परचेज में परिवर्तित

....11

..11..

किया जा सकेगा कि उस आवंटी की वरीयता नये सिरे से पूर्व में जारी हायर परचेज की वरीयता सूची में उसी वर्ष एवं उसी वर्ग के आवेदकों में अन्तिम क्रमांक पर निर्धारित होगी ।

127.17(4) आवंटित मकान का नजदीकी रक्त संबंधियों के नाम हस्तांतरण:

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि बोर्ड ने इस आशय का निर्णय पूर्व में ले रखा है कि मकान आवंटन के पूर्व पंजीकरण का हस्तान्तरण नजदीकी रक्त संबंधियों के नाम किया जा सकता है परन्तु वर्तमान नियमों के अन्तर्गत मकान आवंटन होने के उपरान्त उसका नजदीकी रक्त संबंधियों के नाम हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में बोर्ड में काफी संख्या में ऐसे आवेदन पत्र आ रहे हैं जिनमें आवेदक आवंटित मकान को नजदीकी रक्त संबंधियों के नाम हस्तान्तरित करवाना चाहते हैं। विचार विमर्श करने के उपरान्त इस बिन्दु को निम्न प्रकार स्वीकृति प्रदान की गयी:-

अ- आवंटित मकान का हस्तान्तरण परिवार के निकटतम सदस्यों के नाम से स्वीकार कर लिया जावे।

ब- निकटतम सदस्यों में पति, पत्नी, माता, पिता, पुत्र, पुत्री एवं पुत्रवधु एवं दामाद को ही मान्य किया जावे।

स- आवंटित मकान के हस्तान्तरण के लिए आवेदक यदि किसी अन्य व्यक्ति को नामजद (मनोनीत) करे तो मकान का हस्तान्तरण आवेदक के जीवन काल में संभव नहीं होगा।

द- सहोदर भाई को हस्तान्तरण उसी अवस्था में स्वीकार किया जाये जबकि पुत्र, पुत्री, माता पिता आदि को कोई आपत्ति न हो तथा भुगतान एक मुश्त किया जाय। इस संबंध में कानूनी प्रक्रिया भी तय करने का निर्णय लिया गया।

य- उपरोक्त हस्तान्तरण के लिए यह शर्त होगी कि जिस व्यक्ति के नाम हस्तान्तरण किया जाय वह उसी आयवर्ग का हो

.....12

ताकि ब्याज दर तथा किश्त की राशि में फेरबदल की आवश्यकता न हो। तथा वह अन्य प्रकार से भी आवंटन का पात्र हो।

र- आवंटित मकान के प्रत्येक हस्तान्तरण निम्नलिखित राशि प्रशासनिक व्यय हेतु बोर्ड को देय होगी:-

आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अल्प आयवर्ग - 200/-रू.
मध्यम आयवर्ग एवं उच्च आयवर्ग - 500/-रू.

127.18 बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों द्वारा उठाये गये बिन्दु:

PM (1) श्री मोहम्मद हनीफ खत्री ने बताया कि काफी लम्बी अवधि बीत जाने के उपरान्त भी कनिष्ठ परियोजना अभियंताओं को नियमित नहीं किया गया है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने बताया कि यह मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन है और यह प्रयास किया जा रहा है कि इस विषय में शीघ्र ही निर्णय प्राप्त हो जाएगा।

PM (2) श्री मोहम्मद हनीफ खत्री ने यह भी जानकारी चाही कि जो कर्मचारी काफी अर्से से अस्थाई पदों के विपक्ष में कार्यरत हैं, उन पदों को स्थाई पदों में परिवर्तित किया जावे। इस पर अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इस बिन्दु को अगली बोर्ड बैठक में रखकर पूरी जानकारी दे दी जाएगी।

DY HC HQ (3) श्री धर्मनारायण माथुर ने बाया कि प्रोजेक्ट कमेटी का कार्यवाही विवरण अभी तक जारी नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इसे शीघ्र ही जारी किया जा रहा है।

LAO (4) बोर्ड सदस्य श्री धर्मनारायण माथुर और श्री शंकर लाल ने

कहा कि भूमि अवाप्ति की धारा 17(4) के अन्तर्गत नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी विशेषाधिकारी के द्वारा तत्सम्बन्धी कार्यवाही में ढील बरती जाकर भूमि का कब्जा नहीं लिया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि पाली और जोधपुर की जिस भूमि पर न्यायालय के कोई स्थगन आदेश नहीं हैं, उसका भी कब्जा नहीं लिया गया है। इसी प्रकार के विचार श्री रामचन्द्र त्यागी, बोर्ड सदस्य ने भी व्यक्त किये। अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को जानकारी दी कि भूमि को शीघ्रता से अवाप्त करने के संबंध में निर्देश दे दिये गये हैं।

(5) श्री मोहम्मद हनीफ खत्री ने बताया कि सीकर नगर में अभी तक कोई कार्यवाही भूमि अवाप्ति के संबंध में नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि आवासन आयुक्त इस बिन्दु पर जिलाधीश सीकर से वार्ता कर ले और सीकर नगर में माह नवम्बर तक कार्य आरंभ कर दिया जावे। आवासन आयुक्त ने बताया कि उन्होंने सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर और अन्य स्थानों का दौरा किया है तथा प्राथमिकता के आधार पर इन पर कार्यवाही की जा रही है।

(6) श्री मोहम्मद हनीफ खत्री ने बताया कि सीकर जिले में जिला आवंटन समिति की बैठक हुए लगभग 2-3 माह हो चुके हैं परन्तु अभी तक कॉन्स्टिंग संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और कब्जा पत्र जारी नहीं किये गये है। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि मुख्यलेखाधिकारी तत्काल कॉन्स्टिंग की कार्यवाही पूरी करें ताकि शीघ्र ही कब्जा पत्र जारी किये जा सकें।

(7) बोर्ड सदस्य श्री गजानन्द डेरोलिया के द्वारा जानकारी

चाहने पर अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हिण्डौन के लिए सिवाय एक भूमि का मौका मुआयना देखकर चुनाव किया जा चुका है तथा इस भूमि को मंडल को आवंटित करने हेतु राज्य सरकार को निवेदन कर दिया गया है। राज्य सरकार से आदेश प्राप्त होने पर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

RE HQ-II

(8) श्री धर्मनारायण माथुर ने बताया कि सुमेरपुर के लिए अभी तक कोई स्कीम तैयार नहीं की गयी है और मेड़ता सिटी में भी भूमि अवाप्ति की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इन दोनों मामलों में शीघ्र ही कार्यवाही की जाएगी।

PM

(9) यह तय किया गया कि-
बैठक में मण्डल के पूर्व आवासन आयुक्त श्री पी. के. लोहिया की तीन वर्ष में की गई सेवाओं की सराहना की गई। तथा उनके परिश्रम, कार्यकुशलता व लगन से किए गए कार्य व सेवाओं की सराहना को रिकार्ड पर रखा जाए।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

सचिव

(दाधीच)

90

राजस्थान आवासन बोर्ड: जयपुर

बोर्ड की 128 वीं बैठक दिनांक 20 दिसम्बर, 1986 में लिये गये निर्णय

राजस्थान आवासन मण्डल की 128 वीं बैठक दिनांक 20 दिसम्बर 1986 को बोर्ड मुख्यालय के बोर्ड कक्ष में श्री आदर्श किशोर, अध्यक्ष राजस्थान आवासन बोर्ड की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहें :-

1-	श्री आदर्श किशोर	अध्यक्ष	अध्यक्ष
2-	श्री पी.बी. माथुर	सचिव, न. वि. आ.	सदस्य
3-	श्री अखिल राज	आवासन आयुक्त	सदस्य
4-	श्री एच.एस. माथुर	मुख्य नगर नियोजनक	सदस्य
5-	श्री शंकर लाल	बोर्ड सदस्य	सदस्य
6-	श्री गजानन्द डेरोलिया	बोर्ड सदस्य	सदस्य
7-	श्री मोहम्मद हनीफ खत्री	बोर्ड सदस्य	सदस्य
8-	श्री धर्मनारायण माथुर	बोर्ड सदस्य	सदस्य
9-	श्री रामचन्द्र त्यागी	बोर्ड सदस्य	सदस्य

वित्त सचिव, राजस्थान सरकार अन्य आवश्यक सरकारी कार्यवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके परन्तु उनकी ओर से उनके प्रतिनिधि श्री एल.एन. यादव, उप-शासन सचिव ने भाग लिया।

बोर्ड के निम्न अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे :-

1-	श्री मुकुट बिहारी गुप्ता	सचिव
2-	श्री अब्दुल अमीन	उप-आवासन आयुक्त, मु0
3-	श्री आर.के. शर्मा	मुख्य लेखाधिकारी

बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

128.1 बोर्ड की 127 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन निम्न संशोधनों के साथ किया गया :-

1- मद संख्या 127.11 में यह भी जोड़ा जावे कि बोर्ड में डिजाइनिंग विंग की भी स्थापना की जावेगी।

/DM

.....2.

Secy

2- मद सं. 127.17(4) में "ब" कॉलम में सहोदर भाई और बहन भी जोड़ा जावे।

A.E.E.

3- प्लाट साइज सब कमेटी का कार्यवाही विवरण नहीं भेजा गया है जो शीघ्र भेजा जावे।

128.2 बोर्ड की 127 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति

बोर्ड की 127 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन कर निम्न संशोधनों के साथ अनुमोदन किया गया :-

1- मद सं. 127.18(5) सीकर नगर में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही के सम्बन्ध में :-

LAO

श्री मोहम्मद हनीफ खत्री के यह पूछे जाने पर कि नवीनतम स्थिति क्या हैं ? अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जिलाधीश सीकर से उनकी टेलीफोन पर वार्ता हो गयी थी। भूमि के लिए कागजात तैयार करके राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु शीघ्र ही भेजे जा रहे हैं।

128.3 मण्डल की निम्नलिखित उप-समितियों की बैठकों के निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया :

1-	परियोजना समिति	22-09-86
2-	कनिष्ठ चयन समिति	28-10-86
3-	वित्त एवं लागत समिति	29-10-86
4-	वर्क्स कमेटी	24-1-86, 20-9-86 एवं 25-10-86
5-	अभाव अभियोग सलाहकार समिति	24-10-86

HE HQ-II

6- ऐजेण्डा नोट नाई सर्कुलेशन बाबत ऑपरेशनल फाइनेंस सपोर्ट v.HC(HQ) प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गयी।

....3.

92

128.4 8 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए मकानों के निर्माण के सम्बन्ध में।

प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गयी।

128.5 मण्डल की 124 वीं बैठक दिनांक 28-4-86 के बिन्दु सं. 124.11 में संशोधन के सम्बन्ध में।

यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

128.6 लोन फ्रॉम हुडको फार ई डब्लू एस हाउसिंग स्कीम से-5, मानसरोवर, जयपुर (स्कीम नं. 4800)

प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गयी।

128.7 लोन फ्रॉम हुडको फार ई डब्लू एस हाउसिंग स्कीम फोर कंस्ट्रक्शन ओफ हाउसेज फार वर्क्स एट सेक्टर 6, मानसरोवर जयपुर (स्कीम नं. 4801)

प्रस्तावानुसार स्वीकृति देते हुए यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय यह भी उल्लेख किया जावे कि इन योजनाओं पर प्रोजेक्ट कमेटी से अनुमोदन हो चुका हैं।

128.8 चेन्ज ऑफ सिक्यूरिटी अगेन्स्ट लोन फ्राम हुडको फार कंपोजिट हाउसिंग स्कीम फेज-1, सांगानेर (स्कीम नं. 4705)

प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गयी।

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से :

128.9 रायला एवं गुलाबपुरा में मकानों के आवंटन के संबंध में उत्पन्न हुई विषम स्थिति के सन्दर्भ में।

आवासन आयुक्त महोदय के द्वारा बैठक में बताया गया कि आवासन

.....4.

मंडल ने रायला और गुलाबपुरा में, जो कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों वाले नगर हैं, श्रमिकों के लिए क्रमशः 177 एवं 148 मकानों का निर्माण कराया था, जिन पर अब तक 14.95 लाख एवं 15.78 लाख रूपये खर्च हो चुके हैं। आवासन आयुक्त ने यह भी जानकारी दी कि जब आवेदकों को सीड मनी जमा कराने के लिए पत्र जारी किये गये तो अब तक किसी भी आवेदक ने सीड मनी की राशि जमा नहीं करायी हैं। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने यह बताया कि नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया से रायला और गुलाबपुरा में निर्मित भवनों का निस्तारण नहीं किया जा सकता हैं। इस समस्या पर बहुत गम्भीरता से विचार विमर्श कर उसके समाधान हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

1- यदि पंजीकृत आवेदक मकान नहीं लेते हैं तो उनके द्वारा जमा राशि वापस नहीं दी जावे।

2- अगर अन्य व्यक्ति मकान लेने हेतु इच्छुक हो तो पंजीकरण स्थानान्तरण करने की स्वीकृति दे दी जावे।

3- यदि रायला और गुलाबपुरा में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठान नकद भुगतान पद्धति से अपने श्रमिकों के लिए इन मकानों को खरीदने के लिए तैयार हो तो मकान बेच दिये जावें।

4- बोर्ड के द्वारा प्रशासन को अधिकृत किया गया कि उपरोक्त निर्णयों के अलावा अन्य किसी तरीके से भी यदि इन मकानों का निस्तारण हो सके तो वह प्रक्रिया अपनायी जा सकती हैं।

5- सिवाना में भी मकानों का निस्तारण नहीं हो रहा है। अतः निर्णय लिया गया कि सिवाना के लिये भी उपरोक्त प्रक्रिया ही अपना ली जावे।

6- यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में किसी भी स्थान पर योजना आरंभ करने से पूर्व मकानों की मांग, भूमि की सुविधाजनक उपलब्धि, पानी एवं बिजली की उपलब्धता को देखते हुए निर्माण की कार्यवाही की जावें।

....5.

7- श्री धर्मनारायण माथुर के सुझाव पर यह भी निर्णय लिया गया कि यदि मकानों की मांग हो तो समस्त जिला मुख्यालयों पर मकानों के निर्माण की योजना बनायी जावें।

128.10 बोर्ड के शेष पंजीकृत आवेदकों को अगले तीन वर्षों में मकान उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त स्टाफ, वृत्त कार्यालय एवं पाँच खण्ड कार्यालय सृजित किये जाने के सम्बन्ध में।

आवासन आयुक्त ने बताया कि राजस्थान आवासन बोर्ड द्वारा वर्ष 1979 में अंतिम बार सामान्य पंजीकरण योजना प्रारम्भ की गयी थी। आवासन मंडल आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के सभी पंजीकृत आवेदकों को इसी वित्तीय वर्ष में मकान उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है परन्तु मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के आवेदकों को मकान नहीं दिये जा सके हैं। इन वर्गों में वर्ष 1973 के पंजीकृत आवेदक भी शेष हैं और शेष पंजीकृत आवेदकों के इन वर्गों के लिए कुल संख्या 10817 है जिनके लिए मकानों की लागत लगभग 63 करोड़ रु. होगी। आवासन आयुक्त महोदय ने यह भी जानकारी दी कि वर्ष 1982 में सांगानेर हेतु भी पंजीकरण खोला गया था जिसमें 24,129 आवेदन प्राप्त हुए थे परन्तु भूमि की अनुपलब्धता के कारण अभी तक मकान नहीं दिये जा सके हैं। हुडको से अभी तक इन वर्गों के मकानों के निर्माण हेतु पर्याप्त धनराशि भी उपलब्ध नहीं हो पायी थी। जयपुर और सांगानेर में 37000 मकान बनाने के लिए लगभग 138 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी और अभी हाल ही में जब अध्यक्ष महोदय दिल्ली गये थे, तो हुडको के अध्यक्ष ने राजस्थान आवासन बोर्ड को उपरोक्त वर्ग के मकानों के निर्माण हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। आवासन आयुक्त महोदय ने यह भी स्पष्ट किया कि चूँकि अब इन मकानों के निर्माण के लिए मंडल के पास काफी

उपलब्ध भूमि है एवं धनराशि की उपलब्धि का आश्वासन प्रमुख ऋणदात्री संस्था द्वारा मिल चुका है इसलिए आवासन मंडल 3 वर्ष के भीतर इन आवेदकों को मकान उपलब्ध कराने की योजना बना रहा हैं। उन्होंने यह भी बताया कि तीन वर्ष में मकान देने के लिए आवासन मंडल को प्रतिवर्ष लगभग 86 करोड़ रूपये खर्च करने होंगे। आयुक्त महोदय ने जानकारी दी कि निर्माण की इन बड़ी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए काफी स्टाफ की आवश्यकता होगी तथा इस कार्य के लिए एक नया वृत्त तथा 4 खण्ड कार्यालय खोलने होंगे। आवासन आयुक्त ने बताया कि अलवर नगर में आवेदकों की संख्या को देखते हुए और एक नया खण्ड खोले जाने की आवश्यकता है ताकि पंजीकृतों को शीघ्र ही मकान उपलब्ध कराये जा सकें। पूर्व में अलवर में दो खण्ड स्वीकृत थे परन्तु बाद में एक खण्ड भरतपुर स्थानान्तरित कर दिया गया था जो कि वर्तमान में भरतपुर, सवाईमाधोपुर एवं धौलपुर का कार्य देख रहा हैं।

श्री गजानन्द बैरोलिया, बोर्ड सदस्य ने अपने विचार प्रकट करते हुए सुझाव दिया कि भरतपुर के खण्ड कार्यालय को सवाईमाधोपुर स्थानान्तरित कर दिया जावे।

इस पर अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जो भी आवश्यकता होगी प्रशासनिक निर्णय लेकर खण्ड कार्यालय के मुख्यालय को बदला जा सकता हैं।

श्री पी.सी. माथुर, सचिव, नगरीय विकास एवं आयोजना ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि प्रबन्ध यह सुनिश्चित कर ले कि नये पद बिना कोर्ट के सूचित नहीं किये जावें। इस बारे में अध्यक्ष महोदय ने बताया कि पूरे देश में राजस्थान ने हुडको से आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के आवेदकों हेतु मकानों के निर्माण के लिए सर्वाधिक ऋण प्राप्त किया हैं। जहां तक ऋण के पुनर्भुगतान

....7.

का प्रश्न है राजस्थान आवासन मण्डल सदैव समय पर ऋण की किश्तों का भुगतान कर रहा है और ऋण के भुगतान में कभी भी डिफाल्टर नहीं रहा है। अध्यक्ष महोदय ने यह भी बताया कि नव सृजित पदों को एक साथ नहीं भरा जायेगा बल्कि धीरे:2 काम को देखते हुए भरा जाएगा। सभी पद अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति से अथवा मण्डल में कार्यरत कर्मचारियों की तदर्थ पदोन्नति से भरे जाएंगे ताकि अनावश्यक व स्थाई रूप से मण्डल की जिम्मेदारी न बढ़े और आवश्यकता अनुसार उनमें कमी भी की जा सके। विचार विमर्श करने के उपरान्त निर्णय लिया गया कि:-

1- एक नया वृत्त जयपुर में पांच 4 खण्ड कार्यालयों के सृजित किया जावे।

2- अलवर में भी एक और नया खण्ड कार्यालय सृजित किया जावे।

128.11 बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल समाप्ति पर उनके कार्य की सराहना के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि दिनांक 22-12-86 को बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों श्री श्रीकिशनलाल, धर्मनारायण माथुर, गजानन्द डरोलिया, मोहम्मद हनीफ खत्री एवं रामचन्द्र त्यागी की कार्यावधि समाप्त होने जा रही है। अध्यक्ष महोदय ने एक प्रस्ताव जिसका समर्थन श्री पी.सी. माथुर, सचिव, नगरीय विकास एवं आयोजना ने इस आशय का रखा कि गत तीन वर्षों से गैर सरकारी सदस्यों द्वारा दी गयी सलाह योजनाओं, जनता की समस्याओं को बोर्ड के समक्ष रखने में उनकी भूमिका, बोर्ड की कठिनाइयाँ और जनता की समस्याओं के निराकरण में सामन्जस्य रखने तथा बोर्ड के

कार्यकलापों में सुधार लाने हेतु जो प्रयास किये गये है उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करता है।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

सचिव,
राजस्थान आवासन मंडल,
जयपुर।

§ओ०पी०वर्मा§

राजस्थान आवासन बोर्ड: जयपुर

बोर्ड की 129 वीं बैठक दिनांक 28 जनवरी, 1987 में लिए गये निर्णय

राजस्थान आवासन मण्डल की 129 वीं बैठक दिनांक 28.1.87 को बोर्ड कार्यालय (मुख्यालय) के बोर्ड कक्ष में श्री आदर्श किशोर, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन बोर्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहें :-

1-	श्री आदर्श किशोर	अध्यक्ष	अध्यक्ष
2-	श्री अखय राज	आवासन आयुक्त	सदस्य
3-	श्री गजानन्द डेरोलिया	बोर्ड सदस्य	सदस्य
4-	श्री मोहम्मद हनीफ खत्री	बोर्ड सदस्य	सदस्य
5-	श्री धर्म नारायण माथुर	बोर्ड सदस्य	सदस्य
6-	श्री रामचन्द्र त्यागी	बोर्ड सदस्य	सदस्य

वित्त सचिव, राजस्थान सरकार, सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा मुख्य नगर नियोजक अन्य आवश्यक सरकारी कार्यवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके परन्तु उनकी ओर से उनके प्रतिनिधि सर्वश्री एल. एन. यादव, उप शासन सचिव, वित्त विभाग, श्री बी. के. रस्तोगी, उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं श्री बी. एल. मेहरा, वरिष्ठ टाऊन प्लानर ने भाग लिया। बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य श्री शंकर लाल को "लीव आफ एबसेंस" की अनुमति दी गई।

बोर्ड के निम्न अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे :-

1-	श्री मुकुट बिहारी गुप्ता	सचिव
2-	श्री अब्दुल गनीन	उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय)
3-	श्री आर०के० शर्मा	मुख्य लेखाधिकारी

बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

....2.

16 230

129.1 बोर्ड की 128 वी बैठक के निर्णयों का अनुमोदन किया गया :-

129.2 बोर्ड की 128 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति:-

A.T.P.

बोर्ड की 128 वी बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन कर निम्न संशोधनों के साथ अनुमोदन किया गया:-

1- 128.1§3§ श्री धर्म नारायण और श्री गजानन्द डेरोलिया ने इस आशय के विचार व्यक्त किये कि प्लाट साइज सब कमेटी का कार्यवाही विवरण अभी तक नहीं भेजा गया है। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि कमेटी का कार्यवाही विवरण शीघ्र जारी किया जाये और अनुमोदन हेतु बोर्ड की बैठक में रखे जावे, तथा जयपुर के प्लाट की साईज निर्धारित करने के लिए अलग मिटिंग बुलाई जावे।

Dy.H.C.(H.Q.)

2- 128.9§5§ रायला एवं गुलाबपुरा के साथ सिवाना श्री जोड़ा जावे। इस बिन्दु पर यह भी निर्णय लिया गया कि इसकी क्रियान्विति बहुत जल्दी कराई जावे।

129.3 Loan for Hudco for composit Housing Scheme Ph.I at Sunel (Scheme. No. 4802)

R.E.(H.Q.)II

प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गई।

129.4 Loan for Hudco for composit Housing Scheme at Nathdwara (Scheme No. 4803)

R.E.(H.Q)-II

प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गई।

129.5 Training Programme through Environmental management observation workshop, New Delhi.

Dy.H.C.(HQ)/ P.M.

प्रस्तावानुसार इस वर्कशोप में भाग लेने के लिए श्री अक्षय राज माथुर, आवासन आयुक्त को स्वीकृति दी गई तथा यह भी निर्णय लिया गया कि इस विषय में राज्य सरकार का भी अनुमोदन प्राप्त कर लिया जावें।

.....3.

1296. अभाव अभियोग सलाहकार समिति के सदस्य सचिव की नियुक्ति में परिवर्तन बाबत:-

प्रस्तावानुसार पी. आर. ओ. के स्थान पर आवासन अधिकारी को अभाव अभियोग सलाहकार समिति का सदस्य सचिव नियुक्त करने के अध्यक्ष महोदय के आदेश का अनुमोदन किया गया।

129.7 मण्डल के नियमित रिक्त पदों का दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमन के बारे में :-

अध्यक्ष महोदय ने बोर्ड के समक्ष विस्तार से इस समस्या को रखा जिस पर विचार विमर्श करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि जो कर्मचारी बोर्ड में स्वीकृत पदों पर कार्य कर रहे है और निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखते है उन्हे कनिष्ठ चयन समिति के द्वारा स्क्रिनिंग करके उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि जो कर्मचारी निर्धारित योग्यता नहीं रखते है अथवा स्वीकृत पद के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे है तो ऐसे मामलों की सूची बना कर अग्रिम निर्णय हेतु बोर्ड के समक्ष पुन: रखे।

129.8 उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय)/के पद को अतिरिक्त आवासन आयुक्त के पद पर क्रमोन्नत करने के संबंध में :-

इस बिन्दु पर विस्तार से चर्चा की गयी तथा समस्त सदस्यों की आम राय यह रही कि आवासन मण्डल के कार्य कलापों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है एवं कुछ नई स्कीम (प्रोग्राम) लिये गये है और आवासन आयुक्त के पास कार्यभार बहुत अधिक हो गया है तथा वे क्वालिटि कन्ट्रोल प्लानिंग और डिजायनिंग के कार्य में काफी व्यस्त रहते है इसलिए मण्डल में अतिरिक्त आवासन आयुक्त का पद होना भी आवश्यक है।

.....4.

232
48

पूर्व में भी बोर्ड की बैठक में 104.3 और 111 की बैठक में भी उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय) के पद को क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया जा चुका था। इस बिन्दु पर निर्णय लिया गया कि वर्तमान में कार्यभार की अधिकता को देखते हुए उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय) के पद को अतिरिक्त आवासन आयुक्त के पद पर क्रमोन्नत किया जाये जो कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद के समकक्ष होगा। इस संबंध में नियमानुसार बोर्ड में कार्यरत उप आवासन आयुक्त को पदोन्नत कर के ही इस पद को भरा जाये।

129.9 बजट अनुमान वर्ष 1987-88 एवं संशोधित बजट अनुमान 1986-87

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने वर्ष 1986-87 के संशोधित अनुमान और वर्ष 87-88 के बजट अनुमानों के मुख्य बिन्दुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला

C.A.O.

बोर्ड के सदस्यों द्वारा भी निम्न प्रकार बजट पर अपने विचार व्यक्त किये गये :-

1- श्री रामचन्द्र त्यागी:- श्री त्यागी ने बताया कि श्रीगंगानगर नई योजनाओं के लिए बोर्ड द्वारा भूमि अवाप्त नहीं की गई है तथा अच्छी भूमि नगर विकास न्यास ले लेता है तथा खराब भूमि आवासन मण्डल को मिलती है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन कर्मचारियों का काम अच्छा है उन्हें इनाम दिया जाना चाहिए और जिन का कार्य खराब है उनको दण्डित किया जाना चाहिए तथा बोर्ड का काम अधिक से अधिक हिन्दी में होना चाहिए।

L.A.O/H.C.

2- श्री गजानन्द डेरोलिया:- श्री डेरोलिया ने बताया कि कर्मचारी को अच्छा कार्य करने के लिए प्रेषित करने हेतु योजनायें बनाई जा चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आवासन मण्डल को ग्रामीण

A.T.P/Dy.HC(HQ)

.....5.

233

क्षेत्रों में भी आवासीय योजना बनायी जानी चाहिए। प्रत्येक जिले में जिलाधीश की राय से एक कस्बे में एक आवासीय योजना अवश्य बनाई जानी चाहिए। बड़े नगरों में कामर्शियल काम्पलेक्स का निर्माण किया जाये। मण्डल की आय बढ़ाने के लिए बड़े भू-खण्डों को नीलाम किया जाना चाहिए जिससे मकानों की लागत कम हो जायेगी। निर्माण कार्य के स्तर में सुधार होना चाहिए तथा बोर्ड में प्रशासनिक खर्चा 7-$\frac{1}{2}$- प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

3- श्री हनीफ मोहम्मद खत्री:- श्री खत्री ने इस आशय के विचार व्यक्त किये कि यदि आवश्यकता हो तो प्रशासनिक खर्चा बढ़ाया जा सकता है परन्तु ऐसा करने से आवंटियों पर भार बढ़ेगा और जहाँ तक संभव हो प्रशासनिक खर्च 7-$\frac{1}{2}$- प्रतिशत ही रखा जाना चाहिए। श्री खत्री ने यह भी कहा कि कोटा में बहुत समस्यायें है जिनको शीघ्र दूर किया जाना चाहिए। बोर्ड ने जो दूकानो निलाम की है उनको छतों के मालिकान हक यदि दूकानदों को दे दिये जाये तो इससे बोर्ड की आय में और वृद्धि हो सकती है। श्री खत्री ने यह भी बताया कि मकान का साईज घटाना उचित नहीं है और नई योजना हाथ में लेने से पूर्व चल रही योजना के मकानों के निर्माण का कार्य पूर्ण होना चाहिए। निर्माण कार्य के स्तर में सुधार होना चाहिए। इस सन्दर्भ में उन्होने यह भी कहा कि कोटा की बल्लभ बाडी योजना के अन्तर्गत बनाये गये मकानों का स्तर बहुत घटीया है और ऐसी प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए जिससे मकानों के निर्माण में काम आने वाले सामान की क्वालिटि की जाँच सही ढंग से और तत्परता से हो सके। श्री खत्री ने यह भी कहा कि कमजोर आय वर्ग के लिए जो मकान बनाये जा रहे है उनकी साइज बहुत छोटा

.....6..

कर दिया गया है और कम से कम 50 वर्ग गज का मकान होना ही चाहिए । श्री खत्री ने इस आशय के भी विचार भी व्यक्त किये की अलोटियों से किश्तों की राशि समय पर वसूल नहीं होती है जिससे बोर्ड को अनावश्यक रूप से ब्याज का भार वहन करना पड़ता है और इसलिए डिफाल्टरों को चिन्हीत किया जा कर वसूली की प्रक्रिया में गति लाई जानी चाहिए तथा आगामी वर्षों में भूमि खरीदने के लिए अधिक राशि का प्रावधान रखा जाना चाहिए।

C.A.O.

4- श्री धर्म नारायण माथुर :- श्री माथुर ने बताया कि बजट उत्साहवर्द्धक है परन्तु प्रशासनिक व्यय को 7-½-- प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए तथा जोधपुर में नई योजनायें प्रारम्भ की जानी चाहिए और एच. आई. जी. एवं एम. आई. जी. के लिए अधिक राशि का प्रावधान रखा जाना चाहिए। श्रीमाथुर ने यह भी कहा कि जोधपुर में निर्माण कार्य का स्तर बहुत सराहनीय है परन्तु अन्य शहरों में क्वालिटी में और अधिक ध्यान देने की जरूरत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विकेन्द्रीकरण करने से अलोटियों को राहत मिलेगी और वर्ष 1987 जो कि "अन्तरराष्ट्रीय साथी मिलीनों के लिये गृह वर्ष" वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। बोर्ड को नई योजना प्रारम्भ करनी चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि नयी योजना के लिए अभी से सर्वे होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जोधपुर डिविजन में केवल दो जिला मुख्यालयों में आवासन बोर्ड की योजनायें ही है और इसलिए आगामी वर्ष में बचे हुए जिला मुख्यालयों में भी आवासीय योजनायें बनाई जानी चाहिए।

DY.HC.(HQ)

5- श्री बी. एल. मेहरा:- श्री मेहरा ने विचार व्यक्त किये की आवासन मण्डल की ओर से निर्मित कॉलोनियों में पर्यावरण सुधार

....7.

के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया जा रहा हैं। उन्होने सुझाव दिया कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसके लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए। उन्होने इस सुझाव का भी समर्थन किया कि शहरों में मेन रोड़स के प्लाट 400 वर्ग गज के होने चाहिए तथा नीलाम किया जाना चाहिए, जिससे बोर्ड के पास अपना एक रिवालविंग फण्ड स्थापित हो सकेगा। श्री मेहरा ने यह भी सुझाव दिया कि शापिंग काम्पलेक्स में प्लाट या भू-खण्ड देकर इच्छुक व्यक्तियों से अग्रिम राशि ली जा सकती हैं।

H.C(HQ)/C.A.O.

6- श्री एल. एन. यादव:- श्री यादव ने बताया कि बजट में रिकवरी रेकार्ड और कम्प्यूटराईजेशन के लिए जो प्रावधान रखा गया है वह बहुत ही प्रशसंनीय है। परन्तु प्रशासनिक खर्च 7-$\frac{1}{2}$- प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्होने यह भी सुझाव दिया कि बोर्ड को दो वर्ष में मकान निर्माण के कार्य को पूर्ण कर लेना चाहिए और ऐसा करने से मकान की लागत नहीं बढ़ेगी। उन्होने इस ओर भी ध्यान दिलाया गया कि अलवर नगर में बहुत वर्षों से मकान अभी तक अधुरे पड़े है। श्री यादव ने इस आशय का सुझाव भी दिया कि भूमि की उपलब्धता कम होती जा रही है इसलिए बोर्ड को फ्लेट्स के निर्माण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उन्होने यह भी सुझाव दिया कि पुराने ऋण की किश्तों का पुर्नभुगतान नये ऋण से नहीं किया जाना चाहिए और पुर्नभुगतान के लिए आवेदकों से वसूली के कार्य में तेजी लानी चाहिए।

H.C.(HQ)/C.A.O.

7- श्री वी. के. रस्तोगी:- श्री रस्तोगी ने प्रस्तुत बजट को प्रगति का सूचक बताया परन्तु इस आशय के विचार भी व्यक्त किये कि आगामी वर्ष में खर्च का 41 करोड़ रूपये का जो बजट रखा गया है वह अधिक है श्री रस्तोगी ने इस आशय के विचार भी

व्यक्त किये कि प्रशासनिक खर्च में वृद्धि नहीं की जानी चाहिए क्योंकि पैरे। हो अलोटी से काफी अन्य ओवर हेड चार्ज लिये जाते है जिससे मकान की कीमत निरन्तर बढ़ती जा रही है। इसलिए बोर्ड को बने हुए मकान का निस्तारण शीघ्रता से करना चाहिए और वसूली की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री रस्तोगी ने इस आयाम के विचार व्यक्त किये कि जहाँ तक भूमि की उपलब्धता का प्रश्न है भूमि अवाप्त किये जाने संबंधी कानूनी प्रक्रिया में विलम्ब होता है इसलिए वार्ता कर के भूमि लेने की कार्यवाही की जानी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने यह भी बताया कि जिला स्तर पर इस कार्य हेतु कमेटी का गठन किये जाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय ने बजट पर चर्चा करते हुए व्यय, भौतिक उपलब्धियों, 20 सूत्री कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रीय आवासन वर्ष, गुणवत्ता नियन्त्रण, विकेन्द्रीकरण, कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं, कम्प्यूटराइजेशन प्रोग्राम, प्रशासनिक व्यय तथा आगामी वर्षों में 16 कस्बों में लिये जाने वाली योजनाओं आदि विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया जिनके लिए आगामी वर्ष 87-88 के लिए प्रावधान रखा गया है।

बजट पर विस्तार से विचार विमर्श करने के उपरान्त वर्ष 86-87 के संशोधित अनुमान और वर्ष 87-88 के बजट अनुमान को बोर्ड के द्वारा अनुमोदन किया गया इस संबंध में निम्न निर्णय भी लिये गये :-

C.A.O.

1- प्लाट साईज सब कमेटी को बोर्ड की एक स्टेण्डिंग कमेटी बना दी जाये जिसके अध्यक्ष आवासन आयुक्त होंगे।

Secretary

.....9.

2- एनक्रोचमेन्ट सुधार हेतु पुरानी एवं नयी कोलोनी में मकानों की कीमत का 1 प्रतिशत की राशि का प्रावधान रखा जावे जिसका लेखा जोखा आवासन आयुक्त की देख रेख में होगा।

3- मण्डल की आय बढ़ाने के लिए बड़े शहरों में भू-खण्डों को निलाम करने की योजना बना कर राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भेजी जावे।

4- ग्रामीण क्षेत्रों में मण्डल के द्वारा आवासीय योजना बनाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि जिले के जिलाधीश की राय से प्रत्येक जिले में एक ऐसी योजना ली जावे।

5- बोर्ड की आय में वृद्धि करने के लिए कामर्शियल काम्पलेक्स का निर्माण किया जावे।

6- फिलहाल प्रशासनिक व्यय को 7-$\frac{1}{2}$ प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाया जावे।

7- यह भी निर्णय लिया गया कि अलोटियों से चार्ज किये जाने वाले ओवरहेड चार्जेज को रेशनलाइज करने के लिए आवासन आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जावे जिसके सदस्य जिले के गैर सरकारी सदस्य और श्री एल. एन. यादव उप सचिव वित्त एवं श्री मेहरा सिनियर हाऊस प्लानर होंगे।

8- बोर्ड की मिटिंग की कार्यवाही हिन्दी में की जावे।

.....10.

129.10 अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से राजस्थान आवासन बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नती नियम 1976 में संशोधन किये जाने के संबंध में :-

Secretary/PM

// वर्तमान में आवासन मण्डल में कार्यरत डिप्लोमाधारी परियोजना अभियन्ता वरिष्ठता से आवासीय अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु कोई प्रावधान नहीं है इस बिन्दु पर विचार विमर्श करने के उपरान्त निर्णय लिया गया :-

1- नियमों में प्रावधान जोड़ा जा कर अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भेजा जावे।

2- यह भी निर्णय लिया गया कि डिप्लोमाधारी अभियन्ता के लिए पदोन्नति का कोटा 25 प्रतिशत रहेगा।

3- यह भी निर्णय लिया गया कि जहाँ तक अनुभव के वर्षों की संख्या निर्धारित किये जाने की संख्या का प्रश्न है इस संबंध में ब्यूरो आफ स्टेट इन्टरप्राईजेज को पत्र लिख कर उनकी राय ले ली जावे कि अन्य बोर्ड एवं निगमों में बने हुए नियमों को ध्यान में रखते हुए कितने वर्षों का अनुभव रखा जावे। //

129.11 Special deposits from Housing Development Finance Corporation Ltd.

C.A.O.

उपरोक्त विषय पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि उक्त संस्था से मण्डल द्वारा मकानों के निर्माण कार्यों के लिए एक करोड़ रूपये का ऋण उनके द्वारा प्रस्तावित शर्तों के आधार पर ले लिया जावे।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

सचिव,
राजस्थान आवासन बोर्ड,
जयपुर।

॥ओ०पी०वर्मा॥

राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर

बोर्ड की 130 वीं बैठक दिनांक 31.3.87 को बोर्ड मुख्यालय के बोर्ड कक्ष में श्री आदर्श किशोर, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन बोर्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार रही:-

1. श्री आदर्श किशोर	अध्यक्ष
2. श्री पी. बी. माथुर	सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन, सदस्य
3. श्री अखयराज	आवासन आयुक्त, सदस्य
4. श्री एच. एस. माथुर	मुख्य नगर नियोजक, सदस्य
5. श्री एल. एन. यादव	उप शासन सचिव, वित्त
6. श्री शंकर लाल	बोर्ड सदस्य
7. श्री रामचन्द्र त्यागी	बोर्ड सदस्य
8. श्री मोहम्मद हनीफ खत्री	बोर्ड सदस्य
9. श्री गजानन्द डरोलिया	बोर्ड सदस्य
10. श्री धर्मनारायण माथुर	बोर्ड सदस्य

बोर्ड के निम्न अधिकारीगण भी बैठक में उपस्थित थे:-

1. श्री वी. डी. पुरोहित	सचिव, राज. आवासन बोर्ड
2. श्री अब्दुल मतीन	उप आवासन आयुक्त (मु.)
3. श्री आर. के. शर्मा	मुख्यलेखाधिकारी

वित्त सचिव, राजस्थान सरकार आवश्यक शासकीय कार्यवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। उनका प्रतिनिधित्व श्री एल. एन. यादव, उप शासन सचिव वित्त ने किया। वित्त सचिव महोदय को लीवआफ एबसेन्स दी गई।

बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई:-

130.1 व 130.2 **129 वीं बैठक की कार्यवाही एवं क्रियान्विति का अनुमोदन :-**

" बोर्ड की 129 वीं बैठक के निर्णयों व क्रियान्विति का अवलोकन

व अनुमोदन निम्न संशोधन/स्पष्टीकरणों के साथ किया गया:-

1. अभाव अभियोग समिति की सदस्यता:-

Secretary

आइटम संख्या 129.6 के संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया कि अभाव अभियोग समिति के सदस्य सचिव का कार्य आवासन अधिकारी करेंगे, लेकिन मण्डल के जनसम्पर्क अधिकारी इस समिति के सदस्य बने रहेंगे।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय योजना:-

Dy.H.C.HQ

आइटम संख्या 129.9(7) के संदर्भ में लिये गये निर्णय संख्या 4 के संबंध में यह जोड़ा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मंडल के द्वारा प्रत्येक जिले में आवासीय योजना का चयन संबंधित जिले की जिला परिषद एवं जिलाधीश की सलाह से किया जावे।

आईटम संख्या 129.9(7) के निर्णय संख्या 7 के संदर्भ में यह निर्देश हुआ कि आवंटियों से लिये जाने वाले ओवरहैड (over head) व्यय को रेशनलाइज करने के लिये आवासन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी में मंडल के गैर-सरकारी सदस्य का मनोनयन अध्यक्ष महोदय द्वारा कर दिया जावे।

3. अन्य सुझाव:-

Secy.

अ. आवासन मंडल की बस्तियों की सफाई व सार्वजनिक सुविधाओं के रख-रखाव की समस्याओं का निदान:-

चर्चा (विचार-विमर्श) के दौरान श्री धर्मनारायण माथुर बोर्ड सदस्य का यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया है कि सचिव, शहरी विकास एवं आवासन, राज्य सरकार को यह निवेदन किया जावे कि वे आवासन बोर्ड द्वारा निर्मि

कालोनियों को नगरपरिषदों व नगरपालिकाओं को संभलाने के समय सार्वजनिक सुविधाओं के रख-रखाव के न्यूनतम मापदण्ड निश्चितकर ऐसी बस्तियों को रख-रखाव की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दे, ताकि कालोनियों को संभलवाते समय आवासन मंडल सड़को-नालियों गटरलाईनों इत्यादि को पूरा करके कब्जा दे सके।

(ख) अजमेर के पंजीकृत आवेदकों को मकान की बजाय प्लाट (भूखण्ड) उपलब्ध कराने हेतु:-

श्री धर्मनारायण माथुर ने चर्चा के दौरान यह सुझाव दिया कि अजमेर नगर के पंजीकृत उन आवंटियों को, जिनके लिये आवासन मंडल मकान उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा है, मकान के स्थान पर सुरक्षित दरों से कुछ अतिरिक्त राशि लेकर भूखण्ड उपलब्ध करादें ताकि ऐसे आवंटी उपलब्ध कराये गये भूखण्डों पर स्वयं अपना मकान निर्मित करा सके। चर्चा के पश्चात् यह निश्चय हुआ कि इस सुझाव पर कानूनी राय लेकर इसके क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं व तरीको (मोडेलिटिज) पर विचार किया जाकर ही निर्णय लिया जाना उपयुक्त होगा।

(स) मंडल की आवासीय बस्तियों में व्यवसायिक-स्थल का निर्माण तथा कुछ भूखण्डों की नीलामी द्वारा बिक्री व शेष दुकानों का निष्पादन:-

श्री गजानन्द डरोलिया, श्री शंकरलाल इत्यादि द्वारा आवासन मण्डल की योजनाओं में नीलामी द्वारा भूखण्डों की बिक्री और कमर्शियल कम्पलेक्स बनवाने के प्रस्ताव एवं अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सुरक्षित दुकानों के

आवंटन पर भी विचार-विमर्श हुआ। दुकानों की नीलामी के मामले में अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया गया कि वे कमला नेहरू नगर पालिका में सुरक्षित दुकानों के आवंटन के मामले में अनुसूचित जाति विकास निगम से सम्पर्क कर इस समस्या का निस्तारण करवाये और यदि वे तैयार न हो तो अनुसूचित जाति के लोगों में नीलामी का प्रश्न को पर्यावरण हेतु एक प्रतिशत राशि की व्यवस्था:-

Dy.HC HQ/CMO

आयुक्त संख्या 129.9878 के निर्णय संख्या के संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया कि पर्यावरण एवं सुधार के लिये एक प्रतिशत का प्रावधान आवासीय योजनाओं में किया जाता है। अतः इस कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त विचार-विमर्श के साथ 129 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया। उनकी क्रियान्वित रिपोर्ट का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

130.3 आवासीय एवं नगरीय विकास के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय अनुभवों पर कार्यशाला में बोर्ड से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भाग लेने हेतु:-

PM

नेशनल सेन्टर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एनवायरमेंट भोपाल तथा मैसर्स गुप्ता नई दिल्ली के तत्वाधान में आवासीय एवं नगरीय विकास क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय अनुभवों पर सिंगापुर व बैंकॉक में 26 मई से जून 87 तक आयोजित कार्यशाला में मंडल की ओर से श्री मनोज सोईन को भेजे जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। तदनुसार इस कार्यशाला में भाग लेने हेतु श्री सोईन के नाम का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ राज्य सरकार को भेजे जाने की स्वीकृति प्रदान की

130.4 विकलांग व्यक्तियों को आवंटित मकानों के आवंटनपत्रों की आंशिक राशि जमा कराने की अवधि बिना शास्ति व ब्याज के दिनांक 25.3.87 तक बढ़ाने के संबंध में:-

H.C. JC-I

जयपुर नगर की मानसरोवर योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग के अन्तर्गत आने वाले विकलांग लोगों को पूर्वग्रहण राशि जमा कराकर दि. 17.2.87 तक मकानों का कब्जा लेने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया था।

भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के माध्यम से ऐसे लोगों की ओर से मंडल को यह अनुरोध प्राप्त हुआ है कि गरीबी एवं धनाभाव के कारण इन लोगों द्वारा निर्धारित समय में पूर्वग्रहण राशि जमा कराने में भारी कठिनाई हो रही है। इनकी यह कठिनाई दूर करने हेतु महावीर विकलांग समिति इनकी सहायतार्थ फंड एकत्रित कर रही है, जिसमें कुछ समय लगेगा। अतः ऐसे आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग के अंतर्गत आने वाले विकलांग आवेदकों को आंशिक राशि जमा करने की अवधि में 25.3.87 तक छूट प्रदान की जावे।

अतः उनकी विशेष परिस्थितियों को देखते हुये अध्यक्ष द्वारा बिना ब्याज एवं शास्ति के दिनांक 25.3.87 तक आंशिक राशि जमा कराने की छूट दिये जाने के आदेश की पुष्टि की गई, तथा इन लोगों की विशेष परिस्थिति को देखते हुये यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे लोगों की कीडमनी की दूसरी किश्त का भुगतान एक मुश्त न लिया जाकर उसकी राशि मासिक किश्तों में समायोजित करके ले ली जावे।

130.5 कार्यशील पूंजी बैंक गारन्टी के अंतर्गत हुडको से कर्ज लेने हेतु:-

H.C. JC-II

हुडको द्वारा बैंक गारंटी के आधार पर कार्यशील पूंजी हेतु पांच करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा की ऋण योजना का लाभ उठाते हुये मंडल ने दिनांक 13.12.86 तक ढाई करोड़ रुपये का कर्ज प्राप्त कर लिया है।

शेष उक्त सीमा के अंतर्गत ढाई करोड़ की शेष राशि का कर्ज प्राप्त करने हेतु दिनांक 9.3.87 को जारी सरकुलेशन के एजेण्डा के संदर्भ में आवासन आयुक्त को हुडको से अनुबन्ध करने को अधिकृत किया जाकर शेष राशि प्राप्त किये जाने बाबत कार्यालय मंडल सचिवालय आदेश क्रमांक 144, दिनांक 13.3.87 का अनुमोदन किया गया।

130.582 वित्त एवं लाभ समिति की दिनांक 19.12.86 की बैठक के निर्णय:-

CAO

उक्त समिति की दिनांक 19.12.86 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

130.583 लैण्ड नेगो-सिएशन कमेटी की बैठक दिनांक 25.2.87 के निर्णय:-

CAO

दिनांक 25.2.87 को आयोजित लैण्ड नेगो-सिएशन कमेटी के निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

130.584 सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 11.2.87 के निर्णय:-

HO

सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 11.2.87 से संबंधित एजेण्डा आइटम 130.584 को वापिस लेने की अनुमति दी गई।

130.585 प्लाट साइज उप-समिति की बैठक दिनांक 10 एवं 18.9.86 के नि

ATP

प्लाट साइज उप-समिति की बैठक दिनांक 10 एवं 18.9.86 के निर्णयों का अवलोकन किया गया। इस संबंध में श्री धर्मनारायण माथुर बोर्ड सदस्य ने चर्चा के दौरान यह जाहिर किया कि जयपुर नगर में प्लाटों का आकार छोटा किये जाने से लोगों को भारी असुविधा हो जायेगी, अतएव इस मामले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। विचार-विमर्श के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि इस संबंध में विस्तृत चर्चा किये जाने हेतु मंडल की एक बैठक आयोजित की जा

....7

मामले के सभी पहलुओं पर विचार किये जाने का निश्चय किया गया।

130.5(6) अभाव अभियोग सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 23.2.87 के निर्णय:-

अभाव अभियोग सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 23.2.87 के निर्णयों का अवलोकनकर अनुमोदन किया गया।

130.5(7) परियोजना समिति की बैठक दिनांक 12.1.87 के निर्णय:-

परियोजना समिति की बैठक दिनांक 12.1.87 की बैठक में हुए निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

130.6 मण्डल के वर्कचार्ज कर्मचारी/श्रमिक की सेवाकाल में मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार के भरणपोषण हेतु उसके परिवार के किसी आश्रित सदस्य को मंडल में नियुक्ति देने बाबत:-

बोर्ड की 105.20 बैठक में बोर्ड के नियमित पदों पर कार्यरत किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके परिवार के भरण-पोषण हेतु ऐसे स्वर्गीय कर्मचारी के परिवार के किसी भी आश्रित सदस्य को मंडल में नौकरी देने का प्रावधान नियमों में किया गया था, लेकिन उस समय ऐसी सुविधा मंडल के वर्कचार्ज कर्मचारियों को नहीं दी गई थी।

चूंकि अब राज्य सरकार ने आदेश जारी कर सार्वजनिक निर्माण/सिंचाई इत्यादि इंजिनीयरिंग विभागों के वर्कचार्ज कर्मचारियों के लिये ऐसी सुविधा उपलब्ध करा दी है। अत: शासकीय आदेशों के अनुरूप मंडल के वर्कचार्ज कर्मचारियों को भी ऐसी सुविधा दिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृत कर तदनुसार मण्डल सचिवालय को संबंधित वर्कचार्ज कर्मचारियों के संशोधित सेवा नियमों में संशोधन किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

130.7 श्रीमती कान्ता मेहदीरत्ता क. सहायक को अग्रिम ऋण स्वीकृति हेतु:-

श्री बलराम मेहदीरत्ता की आकस्मिक मृत्यु पर उनकी पत्नी श्रीमती

कांता मेहदीरत्ता को क. सहायक के पद पर 1986 में नौकरी में नियुक्त की गई थी तथा उनके पंजीकरण पर जो मकान 7/227, मालवीय नगर योजना में आवंटित किया गया था, उसकी मासिक किश्त 647/- रु प्रतिमाह उनकी आय व आर्थिक परिस्थिति को देखते हुये बहुत अधिक है। इस प्रकार भवन अग्रिम देने की उनकी प्रार्थना पर जो नियमानुसार 5 वर्ष सेवा अवधि पूरी कर लेने पर ही देय है, श्रीमती मेहदीरत्ता की विशेष परिस्थितियों को सहानुभूतिपूर्वक देखते हुये इस नियम में रियायत देकर उन्हें भवन अग्रिम प्रदान स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।

130.8 आवासन मंडल में राजकीय उपक्रम ब्यूरो द्वारा निर्देशित निर्धारित वेतनमान में संशोधित भत्ते आदि विनिर्दिष्ट दिनांक से लागू करने की स्वीकृति हेतु:-

CAO

इस समय राजस्थान आवासन मंडल के कर्मचारियों को राज्य सरकार के वेतनमानों के अनुरूप ही वेतनमान स्वीकृत है। चूंकि राज्य सरकार ने 1.9.86 से अपने कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन कर दिया है अतः मंडल को भी उनके अनुरूप अपने कर्मचारियों हेतु संशोधित वेतनमान स्वीकृत करने के प्रयोजनार्थ मंडल प्रशासन का शासकीय उपक्रम ब्यूरो से परामर्श हो चुका है तथा ब्यूरो ने सिद्धान्त रूप में राज्य सरकार द्वारा संशोधित वेतनमानों को मंडल में लागू करने की बात को मान लिया है। तथा इस संबंध में शीघ्र ही मंडल को निर्देश प्राप्त होने वाले है।

आवासन मंडल के कर्मचारीगण भी बार बार अपने वेतनमानों में संशोधन की मांग कर रहें है। उपरोक्त स्थिति को मध्यनजर रखते हुये मंडल के कर्मचारियों के वेतनमानों को राज्य सरकार द्वारा संशोधित वेतनमानों के अनुरूप संशोधित वेतनमान देने की अग्रिम स्वीकृति प्रदान की जाती है।

..9

130.9 अपीलीय समिति की बैठक दिनांक 10.2.87 एवं 5.3.87 के निर्णय:-

अपीलीय समिति की बैठक दिनांक 10.2.87 एवं 5.3.87 की बैठक के निर्णय का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

130.10 मंडल कर्मचारियों को तदर्थ बोनस दिये जाने हेतु:-

आवासन मण्डल में इस समय कर्मचारियों को 8.33% प्रतिशत की दर से बोनस की बजाय अनुग्रह राशि (ex-gratia) दी जा रही है। अब राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिनांक 27.12.86 से तदर्थ बोनस दिये जाने के आदेश प्रदानकर दिये है। अतः उक्त नीति के अनुरूप ही दि. 1.4.87 से मंडल कर्मचारियों को 8.33% प्रतिशत की दर से तदर्थ बोनस दिये जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

130.11 ग्रीनकार्ड होल्डर्स को प्राथमिकता के आधार पर दो प्रतिशत मकानों का आवंटन:-

राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सुझावानुसार मंडल ने अपनी 125 वीं बैठक के बिन्दु संख्या 4 के द्वारा यह निर्णय लिया था कि प्रशासनिक विभाग की अनुमति के पश्चात् कमजोर व निम्न आयवर्ग के परिवार विशेषज्ञ से संबंधित ग्रीनकार्ड होल्डर्स को प्राथमिकता के आधार पर आवासन मंडल द्वारा निर्मित मकान उपलब्ध कराये जावे तथा इस हेतु 2 प्रतिशत मकान सुरक्षित रखें जावे। तदुपरान्त अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने यह कहा है कि मंडल के उपरोक्त निर्णय में आंशिक संशोधन किया जाकर सभी वर्ग के ग्रीनकार्ड होल्डर्स को प्राथमिकता के आधार पर आवासन मंडल द्वारा निर्मित मकान प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किये जायें।

उक्त मामले पर बैठक में विचार-विमर्श के दौरान यह अभिमंशा व्यक्त हुई, कि यदि यह सुविधा सभी ग्रीनकार्ड होल्डर्स को दे दी जायेगी तो इसका लाभ ऐसे लोगों को भी मिल जायेगा, जो आर्थिक रूप से सम्पन्न है। इस मामले पर विचार-विमर्श के पश्चात् यह निश्चय हुआ कि सभी ग्रीन कार्ड होल्डर्स को प्राथमिकता दिये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के नगरीय एवं आवासन विभाग को रैफर किया जाकर वहां से प्राप्त निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाय।

130.12 मालवीय नगर में मध्यम आयवर्ग "अ" के आवंटित मकान नं. 6/41 के कब्जे को समय पर न लेने पर ली जाने वाली शास्ति माफ करने के

Dy.HC JC-I

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग के 1973 के पंजीकृत आवंटी श्री चांदबिहारी को दिनांक 9.2.85 तक अपने आवंटित मकान का कब्जा लेना था लेकिन परिवार नियोजन से संबंधित सरकारी कार्य में व्यस्त रहने एवं अवकाश न मिलने के कारण वे यथासमय मकान का कब्जा लेने में असमर्थ रहे। अब श्री चांदबिहारी ने अपनी उपरोक्त परिस्थिति की ओर मंडल का ध्यान आकर्षित कर समय पर कब्जा न लेने की वजह से लगाई जाने वाली पेनल्टी को माफ करने का अनुरोध किया है। श्री चांदबिहारी द्वारा दर्शाई गई परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् यह निर्णय किया गया कि अध्यक्ष महोदय इस मामले की परिस्थितियों पर विचार कर अपने स्तर पर निर्णय लेकर इस मामले को निपटा दें।

130.13 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.3.87 के संदर्भ में श्री रतनलाल शर्मा, निजी सहायक को नियमित वेतन भुगतान किये जाने बाबत:-

P.M.

आवासन मण्डल के अध्यक्ष के पूर्व निजी सहायक श्री रतनलाल शर्मा को स्थाई करने तथा निजी सहायक को नियमित वेतन भुगतान किये

....11

जाने से संबंधित उनकेआवेदन पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा (श्री रतनलाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका के संबंध में) दिनांक 25.3.87 को पारित अंतरिम आदेश के संदर्भ में सहानुभूति-पूर्वक एवं गहन रूप से विचार-विमर्श किया गया। इस प्रकरण के संबंध में श्री रतनलाल की नियुक्ति के सभी तथ्यों, बोर्ड के इस पद पर नियुक्ति-नियमों, अनुभव, निर्धारित योग्यता एवं निर्धारित नियुक्ति प्रणाली पर भी गहराई से गौर किये जाने के पश्चात् संचालक मंडल सर्व-सम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि श्री रतनलाल शर्मा निर्धारित मापदण्डों, योग्यता, अनुभव एवं पात्रता की दृष्टि से किसी भी प्रकार से निजी सहायक के पद पर स्थाई होने तथा वेतन श्रृंखला दिये जाने के योग्य व हकदार नहीं है। अतः मण्डल के लिये उनका प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना संभव नहीं है। तदनुसार यह अस्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त संचालक मंडल का यह भी सर्वसम्मत मत है कि मण्डल के वर्तमान एवं एकदम पूर्ववर्ती अध्यक्षगण (जिनको कैबिनेट मंत्री पद की समकक्षता प्राप्त नहीं है) संविदा के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निजी सहायक नियुक्त करने में सक्षम नहीं थे और इस प्रकार संविदा (कान्ट्रैक्ट) के आधार पर भी श्री रतनलाल शर्मा को बरकरार रखना नियमों के (स्ट्रिक्ट) प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आता। परन्तु ऐसी स्थिति में जबकि यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है यह उचित होगा कि कर्मचारी की रिट का मेरिट्स पर अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर ली जाये एवं उनके निर्देशों के अनुसार कार्य किया जावे।

130.14 राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 के लेखा परिशिष्ट में संशोधन हेतु:-

---

इस समय मंडल में वरिष्ठ लेखाधिकारी का एक पद [illegible]

भरे जाने की व्यवस्था है तथा मंडल में कार्यरत लेखाधिकारियों के लिये पदोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं है। चूंकि आ मण्डल में कार्यरत लेखाधिकारियों ने पर्याप्त अनुभव एवं योग्यता प्राप्त कर ली है। अतः उनको पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने हेतु वरिष्ठ लेखाधिकारियों के पचास प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाकर तदनुसार नियमों में आवश्यक प्रावधान करने की अनुमति दी जाती है।

130.15 मकानों के निस्तारण एवं वसूली प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण के संबंध में:-

CAO/Dy.HC HQ

इस वर्ष मण्डल ने मकानों के निर्माण एवं वसूली के विकेन्द्रीकरण के संबंध में जो कदम उठाये है उनके फलस्वरूप मकानों के निर्माण, आवंटन तथा कब्जा देने की स्थिति में सुधार के साथ साथ पुरानी बकाया की वसूली एवं मण्डल की आय में उल्लेखनीय प्रगति हुई है जिसका निम्न ब्यौरा अध्यक्ष महोदय ने मण्डल की जानकारी हेतु प्रस्तुत किया:-

(1) निर्मित मकानों का कब्जा देने की प्रगति:-

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि 14,000 के लक्ष्य के पेटे विभिन्न खण्डों से बैठक के समय तक प्राप्त सूचना के अनुसार 14,350 मकानों का कब्जा दिया जा चुका है। कुछ खण्डों से अभी सूचना प्राप्त होना अवशेष है। अतः ऐसी आशा है कि यह संख्या 14,500 तक पहुंच जायेगी।

(2) इस वर्ष 11,500 नये मकान बनाने का लक्ष्य था, जिसके पेटे 12,380 मकान निर्मित हो चुके है। अध्यक्ष महोदय ने बोर्ड को यह भी सूचित किया कि मण्डल ने वसूली के कार्य में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 84-85 में कुल वसूली 16 करोड़ 41 लाख रुपये

की हुई थी जबकि वर्ष 85-86 में 23 करोड़ 9 लाख रूपये की वसूली हुई थी। इस वर्ष अर्थात् 86-87 में इकारी वसूली के आंकड़े 26 करोड़ तक पहुँच जायेंगे।

(3) आबंटियों से पुरानी बकाया वसूली के लिये भी इस वर्ष माह दिसम्बर 86 से सघन अभियान चलाया जाकर लगभग 45 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। मंडल ने प्रगति के आंकड़ों के प्रति संतोष एवं प्रसन्नता अभिव्यक्त करते हुए मंडल प्रशासन को उल्लेखनीय कीर्तिमान स्थापित किये जाने हेतु बधाई देते हुये यह आशा प्रकट की कि भविष्य में भी प्रगति की यह गति बनी रहेगी।

इस प्रकरण पर विचार करने के पश्चात् यह महसूस किया गया कि इस मामले से संबंधित वित्तिय एवं विभिन्न पहलूओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है। अतः इस मामले को पुनर्विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

130.16 प्रशासनिक एवं स्थापना संबंधी वर्तमान में प्रदत्त अधिकारों की अनुसूची में संशोधन बाबत:-

---

इस एजेण्डा आइटम से संबंधित प्रस्ताव में प्रशासनिक एवं संस्थापन संबंधी वर्तमान प्रदत्त अधिकारों की अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता प्रचलित वेतनमानों में परिवर्तन की वजह से है। कुछ मामलों में कार्य सुविधा की वजह से अध्यक्ष में निहित अधिकारों को प्रशासनिक स्तर पर प्रत्यावर्तन (डेलीगेशन) की आवश्यकता है। अतः

उपरोक्त परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात प्रदत्त अधिकारों की अनुसूची में प्रस्तावित संशोधन अनुलग्नक 1 से 12 तक के अनुरूप प्रशासनिक एवं संस्थापन संबंधी अधिकारों की अनुसूची में संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

130.17 अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल को भेजी जाने वाले केन्द्रीय प्रतिनिधिमण्डल में सम्मिलित होने की अनुमति के बारे में :-

P.M.

केन्द्रीय सरकार के तत्वावधान में भेजी जाने वाले प्रतिनिधि मण्डल में मंडल के अध्यक्ष श्री आदर्श किशोर के चयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये मण्डल द्वारा उनको दिनांक 5.4.87 से की जाने वाली विदेश यात्रा का अनुमोदन किया जाकर यह जाहिर किया कि यह राजस्थान आवासन मण्डल के लिये गौरव का विषय है।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किये जाने के पश्चात् बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(विष्णु दयाल पुरोहित)
सचिव

राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर

बोर्ड की 130 वीं बैठक दिनांक 31.3.87 को बोर्ड मुख्यालय के बोर्ड कक्ष में श्री आदर्श किशोर, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन बोर्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार रही:-

1. श्री आदर्श किशोर	अध्यक्ष
2. श्री पी. बी. माथुर	सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन, सदस्य
3. श्री अखयराज	आवासन आयुक्त, सदस्य
4. श्री एच. एस. माथुर	मुख्य नगर नियोजक, सदस्य
5. श्री एल. एन. यादव	उप शासन सचिव, वित्त
6. श्री शंकर लाल	बोर्ड सदस्य
7. श्री रामचन्द्र त्यागी	बोर्ड सदस्य
8. श्री मोहम्मद हनीफ खत्री	बोर्ड सदस्य
9. श्री गजानन्द डरोलिया	बोर्ड सदस्य
10. श्री धर्मनारायण माथुर	बोर्ड सदस्य

बोर्ड के निम्न अधिकारीगण भी बैठक में उपस्थित थे:-

1. श्री वी. डी. पुरोहित	सचिव, राज. आवासन बोर्ड
2. श्री अब्दुल मतीन	उप आवासन आयुक्त (मु.)
3. श्री आर. के. शर्मा	मुख्यलेखाधिकारी

वित्त सचिव, राजस्थान सरकार आवश्यक शासकीय कार्यवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। उनका प्रतिनिधित्व श्री एल. एन. यादव, उप शासन सचिव वित्त ने किया। वित्त सचिव महोदय को लीवआफ ऐबसेन्स दी गई।

बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई:-

130.1 व 130.2 **129 वीं बैठक की कार्यवाही एवं क्रियान्विति का अनुमोदन :-**

बोर्ड की 129 वीं बैठक के निर्णयों व क्रियान्विति का अवलोकन

व अनुमोदन निम्न संशोधन/स्पष्टीकरणों के साथ किया गया:-

1. अभाव अभियोग समिति की सदस्यता:-

Secretary

आइटम संख्या 129.6 के संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया कि अभाव अभियोग समिति के सदस्य सचिव का कार्य आवासन अधिकारी करेंगे, लेकिन मण्डल के जनसम्पर्क अधिकारी इस समिति के सदस्य बने रहेंगे।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय योजना:-

Dy.H.C.HQ

आइटम संख्या 129.9(7) के संदर्भ में लिये गये निर्णय संख्या 4 के संबंध में यह जोड़ा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मंडल के द्वारा प्रत्येक जिले में आवासीय योजना का चयन संबंधित जिले की जिला परिषद एवं जिलाधीश की सलाह से किया जावे।

आईटम संख्या 129.9(7) के निर्णय संख्या 7 के संदर्भ में यह निर्देश हुआ कि आवंटियों से लिये जाने वाले ओवरहैड (Over head) व्यय को रेशनलाइज करने के लिये आवास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी में मंडल के गैर-सरकारी सदस्य का मनोनयन अध्यक्ष महोदय द्वारा कर दिया जावे।

3. अन्य सुझाव:-

Secy.

अ. आवासन मंडल की बस्तियों की सफाई व सार्वजनिक सुविधाओं के रख-रखाव की समस्याओं का निदान:-

चर्चा (विचार-विमर्श) के दौरान श्री धर्मनारायण माथुर, बोर्ड सदस्य का यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया है कि सचिव, शहरी विकास एवं आवासन, राज्य सरकार को यह निवेदन किया जावे कि वे आवासन बोर्ड द्वारा निर्मि

कालोनियों को नगरपरिषदों व नगरपालिकाओं को संभलाने के समय सार्वजनिक सुविधाओं के रख-रखाव के न्यूनतम मापदण्ड निश्चितकर ऐसी बस्तियों को रख-रखाव की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दे, ताकि कालोनियों को संभलवाते समय आवासन मंडल सड़कों-नालियों गटरलाईनों इत्यादि को पूरा करके कब्जा दे सके।

(ख) अजमेर के पंजीकृत आवंटकों को मकान की बजाय प्लाट (भूखण्ड) उपलब्ध कराने हेतु:-

श्री धर्मनारायण माथुर ने चर्चा के दौरान यह सुझाव दिया कि अजमेर नगर के पंजीकृत उन आवंटियों को, जिनके लिये आवासन मंडल मकान उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा है, मकान के स्थान पर सुरक्षित दरों से कुछ अतिरिक्त राशि लेकर भूखण्ड उपलब्ध करादें ताकि ऐसे आवंटी उपलब्ध कराये गये भूखण्डों पर स्वयं अपना मकान निर्मित करा सके। चर्चा के पश्चात् यह निश्चय हुआ कि इस सुझाव पर कानूनी राय लेकर इसके क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं व तरीकों (मोडेलिटिज) पर विचार किया जाकर ही निर्णय लिया जाना उपयुक्त होगा।

(स) मंडल की आवासीय बस्तियों में व्यवसायिक-स्थल का निर्माण कर कुछ भूखण्डों की नीलामी द्वारा बिक्री व शेष दुकानों का निष्पादन:-

श्री गजानन्द डरोलिया, श्री शंकरलाल इत्यादि द्वारा आवासन मण्डल की योजनाओं में नीलामी द्वारा भूखण्डों की बिक्री और कामर्शियल काम्पलेक्स बनवाने के प्रस्ताव एवं अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सुरक्षित दुकानों के

आवंटन पर भी विचार-विमर्श हुआ। दुकानों की नीलामी के मामले में अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया गया कि वे कमला नेहरू नगर पाली में सुरक्षित दुकानों के आवंटन के मामले में अनुसूचित जाति विकास निगम से सम्पर्क कर इस समस्या का निस्तारण करवाये और यदि वे तैयार न हो तो अनुसूचित जाति के लोगों में नीलामी का प्रचार करें।

(द) पर्यावरण हेतु एक प्रतिशत राशि की व्यवस्था:-

Dy.HC HQ/CAO

आइटम संख्या 129.9(7) के निर्णय संख्या 2 के संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया कि पर्यावरण (एनवायरमेंट) सुधार के लिये एक प्रतिशत का प्रावधान आवासीय योजनाओं में किया जाता है। अतः इस कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त विचार-विमर्श के साथ 129 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया। उनकी क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

130.3 आवासीय एवं नगरीय विकास के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय अनुभवों पर कार्यशाला में बोर्ड से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भाग लेने हेतु:-

PM

नेशनल सेन्टर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एनवायरमेंट भोपाल तथा मैनेजमेंट ग्रुप नई दिल्ली के तत्वाधान में आवासीय एवं नगरीय विकास के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय अनुभवों पर सिंगापुर व बैंकॉक में 26 मई से 5 जून 87 तक आयोजित कार्यशाला में मंडल की ओर से श्री अजय सोर्डन को भेजे जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। उक्त इस कार्यशाला में भाग लेने हेतु श्री सोर्डन के नाम का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ राज्य सरकार को भेजे जाने की स्वीकृति प्रदान की

130.4 विकलांग व्यक्तियों को आवंटित मकानों के आवंटनपत्रों की आंशिक राशि जमा कराने की अवधि बिना शास्ति व ब्याज के दिनांक 25.3.87 तक बढाने के संबंध में:-

H.C. JC-I

जयपुर नगर की मानसरोवर योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग के अन्तर्गत आने वाले विकलांग लोगों को पूर्वग्रहण राशि जमा कराकर दि. 17.2.87 तक मकानों का कब्जा लेने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया था।

भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के माध्यम से ऐसे लोगों की ओर से मंडल को यह अनुरोध प्राप्त हुआ है कि गरीबी एवं धनाभाव के कारण इन लोगों द्वारा निर्धारित समय में पूर्वग्रहण राशि जमा कराने में भारी कठिनाई हो रही है। इनकी यह कठिनाई दूर करने हेतु महावीर विकलांग समिति इनकी सहायतार्थ फंड एकत्रित कर रही है, जिसमें कुछ समय लगेगा। अतः ऐसे आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग के अंतर्गत आने वाले विकलांग आवेदकों को आंशिक राशि जमा करने की अवधि में 25.3.87 तक छूट प्रदान की जावे।

अतः उनकी विशेष परिस्थितियों को देखते हुये अध्यक्ष द्वारा बिना ब्याज एवं शास्ति के दिनांक 25.3.87 तक आंशिक राशि जमा कराने की छूट दिये जाने के आदेश की पुष्टि की गई, तथा इन लोगों की विशेष परिस्थिति को देखते हुये यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे लोगों की मोडपनी की दूसरी किश्त का भुगतान एक मुश्त न लिया जाकर उसकी राशि मासिक किश्तों में समायोजित करके ले ली जावे।

130.5 कार्यशील पूंजी बैंक गारन्टी के अंतर्गत हुडको से कर्ज लेने हेतु:-

H.C. JC-II

हुडको द्वारा बैंक गारंटी के आधार पर कार्यशील पूंजी हेतु पांच करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा की ऋण योजना का लाभ उठाते हुये मंडल ने दिनांक 13.12.86 तक ढाई करोड़ रुपये का कर्ज प्राप्त कर लिया है।

शेष उक्त सीमा के अंतर्गत ढाई करोड़ की शेष राशि का कर्ज प्राप्त करने हेतु दिनांक 9.3.87 को जारी सरकुलेशन के एजेण्डा के संदर्भ में आवासन आयुक्त को हुडको से अनुबन्ध करने को अधिकृत किया जाकर शेष राशि प्राप्त किये जाने बाबत कार्यालय मंडल सचिवालय आदेश क्रमांक 144, दिनांक 13.3.87 का अनुमोदन किया गया।

130.582 वित्त एवं लागत समिति की दिनांक 19.12.86 की बैठक के निर्णय:-

CAO

उक्त समिति की दिनांक 19.12.86 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

130.583 लैण्ड नेगोसिएशन कमेटी की बैठक दिनांक 25.2.87 के निर्णय:-

CAO

दिनांक 25.2.87 को आयोजित लैण्ड नेगोसिएशन कमेटी के निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

130.584 सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 11.2.87 के निर्णय:-

HO

सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 11.2.87 से संबंधित एजेण्डा आइटम 130.584 को वापिस लेने की अनुमति दी गई।

130.585 प्लाट साइज उप-समिति की बैठक दिनांक 10 एवं 18.9.86 के नि

ATP

प्लाट साइज उप-समिति की बैठक दिनांक 10 एवं 18.9.86 के निर्णयों का अवलोकन किया गया। इस संबंध में श्री धर्मनारायण आथुर बोर्ड सदस्य ने चर्चा के दौरान यह जाहिर किया कि जयपुर नगर में प्लाटों का आकार छोटा किये जाने से लोगों को भारी असुविधा हो जायेगी, अतएव इस मामले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। विचार-विमर्श के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि इस संबंध में विस्तृत चर्चा किये जाने हेतु मंडल की एक बैठक आयोजित की जा

....7

मामले के सभी पहलुओं पर विचार किये जाने का निश्चय किया गया।

130.5(6) अभाव अभियोग सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 23.2.87 के निर्णय:-

अभाव अभियोग सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 23.2.87 के निर्णयों का अवलोकनकर अनुमोदन किया गया।

130.5(7) परियोजना समिति की बैठक दिनांक 12.1.87 के निर्णय:-

परियोजना समिति की बैठक दिनांक 12.1.87 की बैठक में हुए निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

130.6 मण्डल के वर्कचार्ज कर्मचारी/श्रमिक की सेवाकाल में मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार के भरणपोषण हेतु उसके परिवार के किसी आश्रित को मंडल में नियुक्ति देने बाबत:-

बोर्ड की 105.20 बैठक में बोर्ड के नियमित पदों पर कार्यरत किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके परिवार के भरण-पोषण हेतु ऐसे स्वर्गीय कर्मचारी के परिवार के किसी भी आश्रित सदस्य को मंडल में नौकरी देने का प्रावधान नियमों में किया गया था, लेकिन उस समय ऐसी सुविधा मंडल के वर्कचार्ज कर्मचारियों को नहीं दी गई थी।

चूंकि अब राज्य सरकार ने आदेश जारी कर सार्वजनिक निर्माण/सिंचाई इत्यादि इंजिनीयरिंग विभागों के वर्कचार्ज कर्मचारियों के लिये ऐसी सुविधा उपलब्ध करा दी है। अत: शासकीय आदेशों के अनुरूप मंडल के वर्कचार्ज कर्मचारियों को भी ऐसी सुविधा दिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृत कर तदनुसार मण्डल सचिवालय को संबंधित वर्कचार्ज कर्मचारियों के संशोधित सेवा नियमों में संशोधन किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

130.7 श्रीमती कान्ता मेंहदीरत्ता क. सहायक को अग्रिम ऋण स्वीकृति हेतु:-

श्री बलराम मेंहदीरत्ता की आकस्मिक मृत्यु पर उनकी पत्नी श्रीमती

कांता मेहदीरत्ता को क. सहायक के पद पर 1986 में बोर्ड में नियुक्ति दी गई थी तथा उनके पंजीकरण पर जो मकान 7/227, मालवीय नगर योजना में आवंटित किया गया था, उसकी मासिक किश्त 647/रु प्रतिमाह उनकी आयात आर्थिक परिस्थिति को देखते हुये बहुत अधिक है। इस प्रकार भवन अग्रिम देने की उनकी प्रार्थना पर जो नियमानुसार 5 वर्ष सेवा अवधि पूरी कर लेने पर ही देय है, श्रीमती मेहदीरत्ता की विशेष परिस्थितियों को सहानुभूतिपूर्वक देखते हुये इस नियम में रियायत देकर उन्हें भवन अग्रिम ऋण स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।

130.8 आवासन मंडल में राजकीय उपक्रम ब्यूरो द्वारा निर्देशित निर्धारित वेतनमान में संशोधित भत्ते आदि विनिर्दिष्ट दिनांक से लागू करने की स्वीकृति हेतु:-

CAO

इस समय राजस्थान आवासन मंडल के कर्मचारियों को राज्य सरकार के वेतनमानों के अनुरूप ही वेतनमान स्वीकृत है। चूंकि राज्य सरकार ने 1.9.86 से अपने कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन कर दिया है अतः मंडल को भी उनके अनुरूप अपने कर्मचारियों हेतु संशोधित वेतनमान स्वीकृत करने के प्रयोजनार्थ मंडल प्रशासन का शासकीय उपक्रम ब्यूरो से परामर्श हो चुका है तथा ब्यूरो ने सिद्धान्त रूप में राज्य सरकार द्वारा संशोधित वेतनमानों को मंडल में लागू करने की बात को मान लिया है। तथा इस संबंध में शीघ्र ही मंडल को निर्देश प्राप्त होने वाले है।

आवासन मंडल के कर्मचारीगण भी बार बार अपने वेतनमानों में संशोधन की मांग कर रहे है। उपरोक्त स्थिति को मध्यनजर रखते हुये मंडल के कर्मचारियों के वेतनमानों को राज्य सरकार द्वारा संशोधित वेतनमानों के अनुरूप संशोधित वेतनमान देने की अग्रिम स्वीकृति प्रदान की जाती है।

..9

130.9 अपीलीय समिति की बैठक दिनांक 10.2.87 एवं 5.3.87 के निर्णय:-

अपीलीय समिति की बैठक दिनांक 10.2.87 एवं 5.3.87 की बैठक के निर्णय का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

130.10 मंडल कर्मचारियों को तदर्थ बोनस दिये जाने हेतु:-

आवासन मण्डल में इस समय कर्मचारियों को 8.33% प्रतिशत की दर से बोनस की बजाय अनुग्रह राशि (ex-gratia) दी जा रही है। अब राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिनांक 27.12.86 से तदर्थ बोनस दिये जाने के आदेश प्रदानकर दिये है। अतः उक्त नीति के अनुरूप ही दि. 1.4.87 से मंडल कर्मचारियों को 8.33% प्रतिशत की दर से तदर्थ बोनस दिये जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

130.11 ग्रीनकार्ड होल्डर्स को प्राथमिकता के आधार पर दो प्रतिशत मकानों का आवंटन जाना:-

राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सुझावानुसार मंडल ने अपनी 125 वीं बैठक के बिन्दु संख्या 4 के द्वारा यह निर्णय लिया था कि प्रशासनिक विभाग की अनुमति के पश्चात् कमजोर व निम्न आयवर्ग के परिवार नियोजन से संबंधित ग्रीनकार्ड होल्डर्स को प्राथमिकता के आधार पर आवासन मंडल द्वारा निर्मित मकान उपलब्ध कराये जावे तथा इस हेतु 2 प्रतिशत मकान सुरक्षित रखें जावे। तदुपरान्त अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने यह कहा है कि मंडल के उपरोक्त निर्णय में आंशिक संशोधन किया जाकर सभी वर्ग के ग्रीनकार्ड होल्डर्स को प्राथमिकता के आधार पर आवासन मंडल द्वारा निर्मित मकान प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किये जावें।

उक्त मामले पर बैठक में विचार-विमर्श के दौरान यह अभिमंशा व्यक्त हुई कि यदि यह सुविधा सभी ग्रीनकार्ड होल्डर्स को दे दी जायेगी तो इसका लाभ ऐसे लोगों को भी मिल जायेगा, जो आर्थिक रूप से सम्पन्न है। इस मामले पर विचार-विमर्श के पश्चात् यह निश्चय हुआ कि सभी ग्रीन कार्ड होल्डर्स को प्राथमिकता दिये जाने का मामला राज्य सरकार के नगरीय एवं आवासन विभाग को रैफर किया जाकर वहां से प्राप्त निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाए।

130.12 मालवीय नगर में पंचम आयवर्ग"अ" के आवंटित मकान नं. 6/41 के कब्जे को समय पर न लेने पर ली जाने वाली शास्ति माफ करने हेतु

Dy.HC JC-I

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग के 1973 के पंजीकृत आवंटी श्री चांदबिहारी को दिनांक 9.2.85 तक अपने आवंटित मकान का कब्जा लेना था लेकिन परिवार नियोजन से संबंधित सरकारी कार्य में व्यस्त रहने एवं अवकाश न मिलने के कारण वे यथासमय मकान का कब्जा लेने में असमर्थ रहे। अब श्री चांदबिहारी ने अपनी उपरोक्त परिस्थिति की ओर मंडल का ध्यान आकर्षित कर समय पर कब्जा न लेने की वजह से लगाई जाने वाली पेनल्टी को माफ करने का अनुरोध किया है। श्री चांदबिहारी द्वारा दर्शाई गई परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि अध्यक्ष महोदय इस मामले की परिस्थितियों पर विचार कर अपने स्तर पर निर्णय लेकर इस मामले को निपटा दें।

130.13 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.3.87 के संदर्भ में श्री रतनलाल शर्मा, निजी सहायक को नियमित वेतन श्रृंखला दिये जाने बाबत:-

P.H.

आवासन मण्डल के अध्यक्ष के पूर्व निजी सहायक श्री रतनलाल शर्मा को स्थाई करने तथा निजी सहायक की नियमित वेतन श्रृंखला दिये

....11

जाने से संबंधित उनके आवेदन पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा श्री रतनलाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका के संबंध में दिनांक 25.3.87 को पारित अंतरिम आदेश के संदर्भ में सहानुभूति-पूर्वक एवं गहन रूप से विचार-विमर्श किया गया। इस प्रकरण के संबंध में श्री रतनलाल की नियुक्ति के सभी तथ्यों, बोर्ड के इस पद पर नियुक्ति-नियमों, अनुभव, निर्धारित योग्यता एवं निर्धारित नियुक्ति प्रणाली पर भी गहराई से गौर किये जाने के पश्चात् संचालक मंडल सर्व-सम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि श्री रतनलाल शर्मा निर्धारित मापदण्डों, योग्यता, अनुभव एवं पात्रता की दृष्टि से किसी भी प्रकार से निजी सहायक के पद पर स्थाई होने तथा वेतन श्रृंखला दिये जाने के योग्य व हकदार नहीं है। अतः मण्डल के लिये उनका प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना संभव नहीं है। तदनुसार यह अस्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त संचालक मंडल का यह भी सर्वसम्मत मत है कि मण्डल के वर्तमान एवं एकदम पूर्ववर्ती अध्यक्षगण (जिनको कैबिनेट मंत्री पद की समकक्षता प्राप्त नहीं है) संविदा के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निजी सहायक नियुक्त करने में सक्षम नहीं थे और इस प्रकार संविदा (कान्ट्रैक्ट) के आधार पर भी श्री रतनलाल शर्मा को बरकरार रखना नियमों के (स्ट्रिक्ट) प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आता। परन्तु ऐसी स्थिति में जबकि यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है यह उचित होगा कि कर्मचारी की रिट का मेरिट्स पर अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर ली जाये एवं उनके निर्देशों के अनुसार कार्य किया जावे।

130. 14 राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 के नियम परिशिष्ट में संशोधन हेतु:-

---

इस समय मंडल में वरिष्ठ लेखाधिकारी का एक पद प्रतिनियुक्ति से

भरे जाने की व्यवस्था है तथा मंडल में कार्यरत लेखाधिकारियों के लिये पदोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं है। चूंकि अब मण्डल में कार्यरत लेखाधिकारियों ने पर्याप्त अनुभव एवं योग्यता प्राप्त कर ली है। अतः उनको पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने हेतु वरिष्ठ लेखाधिकारियों के पचास प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाकर तदनुसार नियमों में आवश्यक प्रावधान करने की अनुमति दी जाती है।

130.15 मकानों के विस्तारण एवं वसूली प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण के संबंध में:-

CAO/Dy.HC HQ

इस वर्ष मण्डल ने मकानों के निर्माण एवं वसूली के विकेन्द्रीकरण के संबंध में जो कदम उठाये है उनके फलस्वरूप मकानों के निर्माण, आवंटन तथा कब्जा देने की स्थिति में सुधार के साथ साथ पुरानी बकाया की वसूली एवं मण्डल की आय में उल्लेखनीय प्रगति हुई है जिसका विवरण अध्यक्ष महोदय ने मण्डल की जानकारी हेतु प्रस्तुत किया:-

(1) निर्मित मकानों का कब्जा देने की प्रगति:-

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि 14,000 के लक्ष्य के पेटे विभिन्न खण्डों से बैठक के समय तक प्राप्त सूचना के अनुसार 14,350 मकानों का कब्जा दिया जा चुका है। कुछ खण्डों से अभी सूचना प्राप्त होना अवशेष है। अतः ऐसी आशा है कि यह संख्या 14,500 तक पहुंच जायेगी।

(2) इस वर्ष 11,500 नये मकान बनाने का लक्ष्य था, जिसके पेटे 12,380 मकान निर्मित हो चुके है। अध्यक्ष महोदय ने बोर्ड को यह भी सूचित किया कि मण्डल ने वसूली के कार्य में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 84-85 में कुल वसूली 16 करोड़ 41 लाख रुपये

की हुई थी जबकि वर्ष 85-86 में 23 करोड़ 9 लाख रूपये की वसूलीहुई थी। इस वर्ष अर्थात् 86-87 में हमारी वसूली के आंकड़े 26 करोड़ तक पहुँच जायेंगे।

(3) आवंटियों से पुरानी बकाया वसूली के लिये भी इस वर्ष माह दिसम्बर 86 से सघन अभियान चलाया जाकर लगभग 45 लाख रूपये की वसूली की जा चुकी है। मंडल ने प्रगति के आंकड़ों के प्रति संतोष एवं प्रसन्नताअभिव्यक्त करते हुए मंडल प्रशासन को उल्लेखनीय कीर्तिमान स्थापित किये जाने हेतु बधाई देते हुये यह आशा प्रकट की कि भविष्य में भी प्रगति की यह गति बनी रहेगी।

इस प्रकरण पर विचार करने के पश्चात् यह मंजूर किया गया कि इस मामले से संबंधित वित्तीय एवं विभिन्न पहलूओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है। अतः इस मामले को पुनर्विचारार्थ प्रस्तुत किया जायें।

130.16 प्रशासनिक एवं स्थापना संबंधी वर्तमान में प्रदत्त अधिकारों की अनुसूची में संशोधन बाबत:-

Dy.HC/C.Ao/ /Chairman/ E.s

इस एजेण्डा आइटम से संबंधित प्रस्ताव में प्रशासनिक एवं संस्थापन संबंधी वर्तमान प्रदत्त अधिकारों की अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता प्रचलित वेतनमानों में परिवर्तन की वजह से है। कुछ मामलों में कार्य सुविधा की वजह से अध्यक्ष में निहित अधिकारों को प्रशासनिक स्तर पर प्रत्यावर्तन (डेलीगेशन) की आवश्यकता है। अतः

उपरोक्त परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात प्रदत्त अधिकारों की अनुसूची में प्रस्तावित संशोधन अनुलग्नक 1 से 12 तक के अनुरूप प्रशासनिक एवं संस्थापन संबंधी अधिकारों की अनुसूची में संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

130.17 अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल को नैरोबी जाने वाले केन्द्रीय प्रतिनिधिमण्डल में सम्मिलित होने की अनुमति के बारे में :-

P.M.

केन्द्रीय सरकार के तत्वावधान में नैरोबी जाने वाले प्रतिनिधि मण्डल में मंडल के अध्यक्ष श्री आदर्श किशोर के चयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये मण्डल द्वारा उनकी दिनांक 5.4.87 से की जाने वाली विदेश यात्रा का अनुमोदन किया जाकर यह जाहिर किया कि यह राजस्थान आवासन मण्डल के लिये गौरव का विषय है।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किये जाने के पश्चात् बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

विष्णु दयाल पुरोहित
सचिव

राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर

बोर्ड की 132 वीं बैठक दिनांक 28.5.87 को बोर्ड मुख्यालय के बोर्ड कक्ष में श्री आदर्श किशोर, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन बोर्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार रही:-

1-	श्री आदर्श किशोर	अध्यक्ष
2-	श्री पी. बी. माथुर	सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
3-	श्री अखयराज	आवासन आयुक्त
4-	श्री एल. एन. यादव	उप शासन सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)
5-	श्री बी. डी. पुरोहित	बोर्ड सचिव

बोर्ड के निम्न अधिकारीगण भी बैठक में उपस्थित थे:-

1-	श्री अब्दुल मतीन	उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय)
2-	श्री आर. के. शर्मा	मुख्यलेखाधिकारी

वित्त सचिव, राजस्थान सरकार एवं मुख्य नगर नियोजक आवश्यक शासकीय कार्यवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। वित्त सचिव, का प्रतिनिधित्व श्री एल. एन. यादव, उप शासन सचिव, वित्त ने किया। वित्त सचिव एवं मुख्य नगर नियोजक महोदय को लीव आफ एबसेन्स दी गई।

बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई:-

132.1 बोर्ड की 131 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन:-

बोर्ड की 131 वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया। गत बैठक के आईटम संख्या 131.21 के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय ने मंडल को सूचित किया कि श्रीनगर में आयोजित अखिल भारतीय आवासन मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान, शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन के आवागमन, आवास, परिवहन इत्यादि पर मंडल की ओर से किसी प्रकार का खर्चा नहीं हुआ है। उनका यात्रा व्यय राज्य सरकार ने वहन किया है तथा Lodging की व्यवस्था (RUDCO) हुडको द्वारा की गई थी।

.....2/-

132.2 बोर्ड की 131 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति:-

बोर्ड की 131 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति का अवलोकन किया गया।

132.3 स्व. श्री एम. एस. माथुर, परियोजना अभियंता ॥वरिष्ठ॥ को स्वीकृत आवास ऋण की वसूली के संबंध में:-

CAO

श्रीमती कुन्ती माथुर, विधवा श्री एम. एस. माथुर, परियोजना अभियन्ता वरिष्ठ ॥दिवंगत॥ के प्रतिवेदन पर बोर्ड ने उनकी समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक एवं मानवीय दृष्टि से विचार कर प्रस्ताव पर सिद्धान्तत: सहमति प्रकट की।

मानवीय दृष्टिकोण से यह भी सोचा गया कि श्री एम. एस. माथुर के मुकाबले उनकी धर्मपत्नी को कम वेतन मिलता है अत: ऐसी परिस्थिति में कर्जे की वजह से पड़ने वाले अधिक भार को तय करने के पहले श्रीमती माथुर की ऋण भुगतान क्षमता को देख लिया जावे। यदि इस पर कोई राहत देने की आवश्यकता हो तो इस बिन्दु को दुबारा बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जावे जिसके लिए मकान के कर्जे की वसूली के संबंध में देय मूलधन एवं ब्याज की किश्तों की गणना कर ली जावे।

132.4 Amendment in the Rajasthan Housing Board (Grain Advance to Employees Regulation 1971).

CAO

राज्य सरकार के अनुरूप ही, मंडल के कर्मचारियों को दिये जाने वाले फूडग्रेन एडवान्स की मात्रा में वृद्धि करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी।

....3/-

132.5 Competition for special projects for the I Y S H for the Homeless

DY.HC(HQ) प्रस्ताव को सर्वसम्मति से बोर्ड के अभियन्ताओं में स्पर्धा की भावना जागृत करने एवं मकानों को योजनाबद्ध समयावधि में पूर्ण करने के लिए सराहनीय मानकर उस पर सिद्धान्ततः सहमति प्रकट की गयी।

साथ में यह भी निर्देश दिये गये कि प्लानिंग एवं निर्माण की टीम में एक से अधिक विभिन्न स्तरों पर अधिकारी/कर्मचारी होते हैं अतः पुरस्कार राशि किस अनुपात में वितरित की जाएगी, इसको भी पहले तय करना उचित होगा।

स्पर्धा के विस्तृत नियम बनाना भी आवश्यक समझा गया। अतः निर्देश दिये गये कि पुरस्कार वितरण की प्रक्रिया एवं स्पर्धा के विस्तृत नियम बनाकर बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जावे।

प्रस्तावित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों के अतिरिक्त जो भी टीम समयबद्ध कार्यक्रम से एक वर्ष के अन्दर अन्दर अपनी परियोजना को पूर्ण करती है, उसको भी एक सान्त्वना पुरस्कार दिया जावे। इसके लिए भी अगली बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

132.6 बोर्ड द्वारा मासिक पत्रिका जारी करने के संदर्भ में:-

DY.HC(HQ) मंडल द्वारा अपनी गतिविधियों के संबंध में पत्रिका जारी किये जाने की आवश्यकता को महसूस करते हुये विचार-विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि फिलहाल मासिक पत्रिका की बजाय त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित किया जाना अधिक उपयोगी होगा लेकिन इस हेतु अतिरिक्त स्टाफ उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

132.7 मंडल में पदों के सृजन/नियुक्ति हेतु राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड एक्ट 1970 की धारा 14(2-3) के अन्तर्गत वेतन के अधिकतम की वर्तमान सीमा को बढ़ाये जाने बाबत:-

ecy/AO(T)

....4/-

मंडल में नये पदो के सृजन व नियुक्ति हेतु निर्धारित वेतन की वर्तमान अधिकतम सीमा को बढ़ाये जाने हेतु राज्य सरकार को प्रस्तावानुसार निवेदन किये जाने का अनुमोदन किया गया।

132.8 स्ववित्त पोषित योजना 1986 के अन्तर्गत जोधपुर में मकानों का निर्माण कार्य:-

RE.HQ-I

जोधपुर नगर की स्ववित्त पोषित योजना हेतु 134.50 लाख रु. की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

132.9 श्री जयकृष्ण वर्कचार्ज हैल्पर के चिकित्सा अवकाश की अवधि को नियमित करने बाबत:-

PM

श्री जयकृष्ण वर्कचार्ज हैल्पर की बीमारी की स्थिति व विशेष परिस्थितियों को देखते हुये, प्रस्तावानुसार अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने की मंजूरी इस शर्त के साथ प्रदान की गई की बकाया देय अवकाश स्वीकृत करने के पश्चात ही शेष अवधि के लिये ‡अवैतनिक अवकाश‡ स्वीकृत किया जावे।

132.10 मण्डल में कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों हेतु स्थापित कर्मचारी कल्याण कोष में सम्मिलित किये जाने एवं स्थाई वर्कचार्ज कर्मचारियों पर ग्रुप ग्रेच्यूटी की स्कीम लागू किये जाने हेतु:-

PM

वर्कचार्ज कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों की तरह कर्मचारी कल्याण कोष का लाभ देने के मामले में यह निर्देश हुआ कि इस प्रश्न के सभी पहलूओं पर मुख्यलेखाधिकारीजी विचारकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करे।

132.11 मण्डल की उप समितियों के निर्णय अनुमोदनार्थ:-

HO/CAO

मंडल की निम्न उप समितियों की बैठकों में लिये गये निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया:-

..5/-

1- अपीलीय समिति की दिनांक 28.3.87 की बैठक के निर्णय

2- वित्त एवं लागत समिति की दिनांक 28.3.87 की बैठक के निर्णय

अन्य, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:-

132.12 बैठक के अन्त में, शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन ने, मंडल के वर्तमान अध्यक्ष श्री आदर्श किशोर की सेवाओं को प्रतिनियुक्ति पर भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय को (संयुक्त सचिव के पद की नियुक्ति हेतु) सौंपी जाने की जानकारी देते हुये बताया गया कि अब आगे से राजस्थान आवासन मंडल को श्री आदर्श किशोर की सेवाएँ उपलब्ध नहीं होगी। इस अवसर पर अपनी मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये श्री माथुर ने उनके पिछले दो वर्षों के कार्यों की सफलता को याद करते हुये फरमाया कि श्री आदर्श किशोर के गतिशील व सफल नेतृत्व के फलस्वरूप ही, राजस्थान आवासन मंडल, नये मकानों के निर्माण, अधूरे मकानों को पूरा करने व निर्मित मकानों के वास्तविक कब्जे देने के साथ साथ अतिरिक्त आर्थिक साधनों को जुटाने में बकाया वसूली इत्यादि कार्यों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर इन कार्यों के उत्कृष्ट कीर्तिमान कायम करने में सफल रहा। उनके प्रयासों के फलस्वरूप मंडल की पुरानी प्रशासनिक समस्याओं का भी निदान हुआ है व मंडल के कर्मचारियों में अपने कार्यों के प्रति नया उत्साह व आत्मविश्वास पैदा हुआ हैं। यद्यपि अब ऐसे योग्य एवं निष्ठावान अधिकारी की सेवाओं से बोर्ड विमुख होगा, लेकिन यह संतोष का विषय है, कि अब उनकी प्रतिभा व योग्यता का लाभ राष्ट्रीय स्तर पर इस्पात मंत्रालय को मिलेगा।

...6/-

वित्त सचिव के प्रतिनिधि श्री एल. एन. यादव, उप सचिव ने भी श्री आदर्श किशोर की कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुये उनसे प्राप्त सहयोग के लिये आभार प्रकट किया।

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

सचिव,
राजस्थान आवासन मंडल,
जयपुर।

॥ओ. पी. वर्मा॥

राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर

बोर्ड की 134 वीं बैठक दिनांक 13.8.87 को बोर्ड मुख्यालय के बोर्ड कक्ष में श्री एम. एल. मेहता, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन बोर्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार रही:-

1.	श्री एम. एल. मेहता	बोर्ड अध्यक्ष
2.	श्री पी. बी. माथुर	आयुक्त व शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
3.	श्री एल. एन. यादव	उप शासन सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)
4.	श्री एन. के. सेठी	बोर्ड सचिव

बोर्ड के निम्न अधिकारीगण भी बैठक में उपस्थित थे:-

1.	श्री अब्दुल मतीन	उप आवासन आयुक्त (मु0)
2.	श्री आर. के. शर्मा	मुख्य लेखाधिकारी

वित्त सचिव, राजस्थान सरकार आवश्यक शासकीय कार्यवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। वित्त सचिव का प्रतिनिधित्व श्री एल. एन. यादव, उप शासन सचिव वित्त ने किया। श्री सी. एस. मेहता, मुख्य नगर नियोजक एवं वास्तुविद् सलाहकार, सदस्य बोर्ड तथा श्री अखयराज, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन बोर्ड को लीव आफ एब्सेन्स दी गई।

बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई:-

134.1 मण्डल की 133 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन:-

बोर्ड की 133 वीं बैठक, दिनांक 4.7.87 के निर्णयों की पुष्टि की गई।

134.2 मण्डल की 133 वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन:-

मण्डल की 133 वीं बैठक में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति का

अवलोकन किया गया।

134.3 मण्डल में कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन:-

मण्डल में कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों के वेतन में दिनांक 1.9.86 से राज्य सरकार, वित्त (एक्सपण्डीचर-III) विभाग के आदेश संख्या एफ. 1 (3) एफडी/इएक्सपी. III/86, दिनांक 21.5.87 के अनुरूप संशोधन किये जाने से संबंधित विचार-बिन्दु पर विचार किया गया। मण्डल की 133 वीं बैठक में चाहेनुसार वर्कचार्ज कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन के फलस्वरूप होने वाले वित्तीयभार जो लगभग 22 लाख, 97 हजार, 845 रु0 80 पैसे (22,97,845.80) होगा, के संबंध में प्रस्तुत जानकारी देखी गई।

विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये:-

CAO I. मण्डल में कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों को दिनांक 1.9.86 से राज्य सरकार द्वारा संशोधित वेतनमान दे दिये गये।

Dy.HC(HQ)/PM II. भविष्य में यह व्यवस्था की जावे कि मण्डल में वर्कचार्ज कर्मचारियों की संख्या में अब कोई अभिवृद्धि नहीं हो।

Dy.HC(HQ)/CAO/PM III. एक नीति संबंधी पत्र तैयार किया जाये, जिसमें मण्डल में वर्कचार्ज कर्मचारियों में हुई अभिवृद्धि, वर्कचार्ज कर्मचारियों की वजह से कोई पर पड़ने वाले आर्थिक भार तथा वर्कचार्ज कर्मचारियों की सेवाओं के अच्छे से अच्छे उपयोग के संबंध में रोशनी डाली जावे।

134.4 हुडको से स्वीकृत स्कीम नं. 5165 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत:-

RE(HQ)I/II

आवासीय स्कीम मालवीय नगर, फेज 13 में भवन निर्माण से संबंधित हुडको से स्वीकृत स्कीम नम्बर 5165, जिसकी परियोजना

लागत 113.04 लाख रू. है, के प्रति प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

134.5 पंजीकरण राशि की वापसी एवं ब्याज दर के सम्बन्ध में।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि पंजीकरण राशि के रखने या लौटाने के सम्बन्ध में वर्तमान व्यवस्था में निम्न परिवर्तन किये जायें:-

1. पंजीकरण राशि पर प्रथम तीन वर्ष तक 6 प्रतिशत, 3 से 6 वर्ष तक की अवधि तक 8 प्रतिशत तथा 6 से अधिक वर्ष की अवधि के लिए 10 प्रतिशत ब्याज आवेदक को दिया जाये।

2. आवंटी द्वारा पूर्वग्रहण राशि - जमा कराने में चूक किये जाने पर उसका पंजीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा पंजीकरण राशि में से 50 प्रतिशत राशि की कटौती कर शेष राशि लौटा दी जाये। ऐसी दशा में पंजीकरण राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

3. आवास के आरक्षण/आवंटन के बाद यदि आवंटी आवास लेने का इच्छुक न हो और अपनी जमा राशि वापस लेना चाहे तो पंजीकरण की राशि शतप्रतिशत जब्त करली जाये तथा पूर्वग्रहण राशि को सम्पूर्ण रूप से बिना ब्याज के लौटा दी जावे।

4. नकद भुगतान पद्धति से मकान चाहे जाने पर आवंटी द्वारा भुगतान में विलम्ब करने की स्थिति में पहले माह में विलम्ब के लिए उस वर्ग की प्रचलित दर से 2 प्रतिशत अधिक ब्याज लिया जाये। उसके बाद और एक माह से अधिक के विलम्ब पर उस आयवर्ग के मकान पर प्रचलित ब्याज दर से 4 प्रतिशत अधिक ब्याज लिया जाये।

....4

5. नकद भुगतान पद्धति के आवंटी को पैसा जमा कराने के लिए भविष्य में 4 माह की अवधि के स्थान पर 3 माह की अवधि दी जाये।

6. वर्तमान में नकद भुगतान पद्धति या किराया क्रय पद्धति के आवंटि द्वारा निश्चित अवधि में पैसा जमा करा कर मकान नहीं लेने की स्थिति में निर्धारित अवधि के 9 माह बाद शास्ति के साथ पैसा जमा करा कर निबटा लिया जा सकता है। इस प्रक्रिया से मण्डल की लाखों रूपये की सम्पति रूकी रहती है। अतः निर्णय लिया गया कि 9 माह की सीमा को घटा कर नकद भुगतान पद्धति के लिए 3 माह व किराया क्रय पद्धति के लिए एक माह कर दिया जाये। उक्त समयावधि समाप्ति के बाद चूक करने वाले व्यक्ति का पंजीकरण स्वतः ही समाप्त माना जायेगा, जिसका नियमितिकरण नहीं किया जायेगा। HD 134.9

134.10

134.6 दिनांक 29.6.87 को आयोजित मण्डल की अपीलीय समिति की 5 वीं बैठक के निर्णयों का अवलोकन/अनुमोदन:- DY.HC(HQ), RE(HQ)II

दिनांक 29.6.87 को हुई बोर्ड की अपीलीय समिति की 5वीं बैठक में लिये गये निर्णयों का अवलोकन किया गया।

CAO 134.7 Agenda note by circulation No.78 Regarding Market Borrowing of Rs. 2.25 Crores by issue of Secured debentures during the year 1987-88.

उक्त एजेण्डा आइटम से सम्बन्धित संकल्प क्रमांक एफ.1(6)जोएडी/एजीइएन.सीआइआर. 78/87/317, दिनांक 24.7.87 की पुष्टि की गई। 135 RE (HQ) I

134.12 HD

LAO 134.8 सांगानेर योजना में अवाप्त भूमि के रेफरेंस वापस लेने एवं उनके भुगतान के संबंध में:-

उपर्युक्त प्रकरण में भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1987 के प्रावधानों

को ध्यान में रखते हुये मण्डल द्वारा दायर 35 रेफरेंस वापस लेने तथा काश्तकारों को 13,21,051.02 + (प्लस) ब्याज की राशि 1,81,131.00 (कुल राशि रू. 15,02,182.02) का मुआवजा दो-तीन किश्तों में भुगतान करने के प्रति सहमति व्यक्त की गई।

134.9 जी. आर. ई. एफ के सदस्यों को भूतपूर्व सैनिकों हेतु आवंटन में आरक्षित 2 प्रतिशत कोटे में सम्मिलित करने हेतु ।

विचारोपरान्त राज्य सरकार के निर्देश, जो पत्र क्रमांक: प9(4)यूडीएन/3/86, दिनांक 21.7.87 के द्वारा प्राप्त हुए हैं, के अनुरूप जी. आर. ई. एफ के सदस्यों को भूतपूर्व सैनिकों हेतु 2 प्रतिशत आरक्षित कोटे में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया।

134.10 हुडको से स्कीम वापस लेने के सम्बन्ध में:-

विचारोपरान्त, परिवर्तित परिस्थितियों के फलस्वरूप मानसरोवर आवासीय योजना में 1988 मकानों से संबंधित सात योजनाएं हुडको से वापस लेने के प्रति सहमति व्यक्त की गई। इस परिपेक्ष्य में हुडको को दिया गया 5 हजार रू. प्रति स्कीम के हिसाब से डाक्युमेंटेशन फीस के 35 हजार रू. छोड़े जाने के प्रति भी सहमति प्रदान की गई।

134.11 Loan from HUDCO for Composit housing Scheme ph.II at Gordhan Vilas, Udaipur. (Scheme No.5247)

विचारोपरान्त प्रस्ताव, प्रस्तावानुसार स्वीकार किया गया।

134.12 थल, वायु एवं नौ सेवा में सेना मैडल, नौसेना मैडल एवं वायु सेना मैडल प्राप्त सैनिकों को सुविधाएं प्रदान कराने हेतु :-

मण्डल के समक्ष राज्य सरकार, राज्य सैनिक बोर्ड, राजस्थान,

जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक 4527 दिनांक 20 मई, 87 के परिपेक्ष में मण्डल का कार्यालय आदेश क्रमांक: प. 1 86 साप्र/76/105 एवं 118 बोर्ड/86/256, दिनांक 18. 6. 86 देखा गया। विचार-वि के दौरान यह महसूस किया गया कि मण्डल, वास्तविकता में भू व भवन निर्माण पर भारी लागत को देखते हुये "न लाभ न हानि के सिद्धान्त पर काम करते हुये सभी वर्ग के व्यक्तियों को मकान उपलब्ध करवाता है। ऐसी स्थिति में यदि उपरोक्त वर्णित का आदेश दिनांक 18. 6. 86 की अनुपालना में थल, वायु एवं नौसे के ऐसे सैनिकों को जिन्हें गैलेन्टरी अवार्ड मिला है, मकान रियायती दर पर उपलब्ध करवाये जाते हैं तो निश्चित रूप से उस रियायत के फलस्वरूप पड़ने वाला आर्थिक भार अन्य आवंटि को वहन करना पड़ता है। यह स्थिति न्यायोचित प्रतीत नहीं होती। अत: यह महसूस किया गया कि राजस्थान सरकार, राज्य सैनिक बोर्ड, राजस्थान, जयपुर के उपरोक्त वर्णित पत्र दिनांक 20 मई 87 द्वारा निवेदित सेना मैडल, नौसेना मैडल और वायु सेना मैडल प्राप्त सैनिकों को उक्त छूट में सम्मिलित करना सुनाशिब नहीं है। यह भी स्वीकार किया गया कि 105व बैठक दिनांक 26. 3. 83 में लिये गये निर्णय संख्या 105. 8 तथा 118 वीं बैठक, दिनांक 15. 7. 85 में लिये गये निर्णय संख्या 118. 10 के संदर्भ में प्रसारित उपरोक्त वर्णित कार्यालय आदेश दिनांक 18. 6. 86 को भी वापस लिये जाने की आवश्यकता है। फिर भी तीनों सेना के गैलेन्टरी अवार्ड प्राप्त सैनिकों को कुछ सुविधाएं दिये जाने के संबंध में विचार करते हुये यह महसूस किया गया कि ऐसे वीर सैनिकों के लिए मण्डल में आरक्षित कोटे का प्रावधान किया जाना चाहिये। तदनुसार निम्न निर्णय लिये गये:

1. बोर्ड की 105 वीं बैठक, दिनांक 26. 3. 83 में लिये गये निर्णय

LAO 134. 13

.....7

संख्या 105.8 तथा 118 वीं बैठक, दिनांक 15.7.85 में लिये गये निर्णय संख्या 118.10 के अनुपालन में प्रसारित कार्यालय आदेश क्रमांक प।।6।।सापु/76/।।105 व 118 बोमो।।/86/256, दिनांक 18.6.86 तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जावे।

2. थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना के गेलेन्टरी अवार्ड प्राप्त करने वाले सैनिकों के लिये प्रत्येक योजना में 1/4 प्रतिशत ।।प्रत्येक योजना में कम से कम एक मकान।। मकान आरक्षित रखे जावें। इस आरक्षित कोटे से वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले सैनिको को निम्न प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया जाये:-

1. परमवीर चक्र
2. महावीर चक्र
3. वीर चक्र
4. अशोक चक्र
5. कीर्ति चक्र
6. शौर्य चक्र
7. थल सेना/नौसेना/वायु सेना मैडल

134.13 सांगानेर योजना में श्री भौरीलाल को अवार्डेड भूमि के भुगतान के संबंध में।

इस मामले में कानूनी स्थिति को देखते हुये यह महसूस किया गया कि कानून में अधिग्रहित की गई भूमि को वापस छोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि सांगानेर योजना से संबंधित ग्राम बम्लाला की भूमि खसरा नं. 406/716, रकबा 29 बीघा जो श्री भौरीलाल की है और जो योजना के बाहर नाले के दूसरीओर स्थित होने के कारण मौजूदा परिस्थितियों में बोर्ड के विशेष

काम को नहीं है, मण्डल अध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया कि वे श्री औरीलाल से चर्चा करें तथा यदि वह किसी शर्त पर वापस लेना चाहे तो उस शर्त के बारे में बात कर संचालक मण्डल को अवगत करायें। यह भी निर्णय लिया गया कि इस मामले की जाँच की जाये कि इस भूमि का अधिग्रहण बोर्ड के हित के लिए कराये जाने के प्रति किस अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है।

CAO

PM

134.14 Construction of houses for Govt. Servants with the loan assistance from Unit Trust of India.

RE (HQ) II

प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

134.15 पंजीकृत आवेदकों को मकान उपलब्ध कराने हेतु धन की व्यवस्था

PI

बोर्ड अध्यक्ष ने पंजीकृत आवेदकों को मकान उपलब्ध कराने हेतु धन की व्यवस्था किये जाने के संबंध में कुछ नवीन योजनायें विचारार्थ रखी। विचारोपरान्त यह महसूस किया गया कि इन पर एक बार गंभीरता से विचार किया जाना आवश्यक होगा। अतः इस बिन्दु को अगली बैठक में पुनः विचारार्थ लिये जाने का निर्णय लिया गया।

DY.HC

134.16 Loan from HUDCO for Central Govt. Employees, Housing Scheme Ph.I, Sect. IX.(Scheme No.5261)

RE (HQ) II

प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

Dy.HC

134.17 Loan from HUDCO for Composite Housing Scheme for Central Govt. employees, Ph.II, Sector-IX, M.S.Jaipur(Scheme No.526

HD

RE (HQ) II

प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

134.18 आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग एवं अल्प आयवर्ग के आवेदकों को नकद ऋण योजना, 1987.

समयाभाव के कारण इस बिन्दु पर विचार अगली बैठक के लिए स्थगित रखा गया।

....9

134.19 Computerisation of Loan accounts.

विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये:-

CAO 1. आवंटियों के लेखों को अद्यतन करने की दृष्टि से मैसर्स आर.जी. कम्प्यूटर्स के माध्यम से वर्ष 1981-82 से वर्ष 1985-86 तक के लेखों को पूर्ण करवाया जावे।

PM 2. इस कार्य को सम्पन्न करवाने की दृष्टि से उप निदेशक (कम्प्यूटर-राजस्थान) का एक पद प्रारंभिक रूप में एक वर्ष के लिये और अधिक से अधिक दो वर्ष की अवधि के लिये सृजित किये जाने के प्रति स्वीकृति प्रदान की गई।

PM 3. मण्डल का अपना कम्प्यूटर लिए जाने की अपेक्षा में निम्न पदों को सृजित किये जाने के प्रति भी स्वीकृति प्रदान की गई:-

1. सिस्टम एनेलिस्ट, (आवासीय अभियंता की वेतन श्रृंखला में) एक पद
2. प्रोग्रामर, (वेतन श्रृंखला में) एक पद ।

134.20 Regarding Enlistment of Contractor's Regulations.

DY.HC (HQ) प्रस्तावानुसार मण्डल में ठेकेदारों के एनलिस्टमेंट के संबंध में प्रस्तावित रेग्यूलेशन्स का अनुमोदन किया गया।

134.21 बोर्ड की कालोनीज में विविध सेवाओं की उपलब्धि के सम्बन्ध में।

Dy.HC(HQ)/ HD राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा बनायी गई कालोनीज में शिक्षण संस्था, चिकित्सालय आदि सामुदायिक सुविधाओं की कमी रहती है। यद्यपि मण्डल द्वारा इन कार्यों के लिए भूमि छोड़ दी जाती है। पर सरकार के पास भवन निर्माण हेतु राशि नहीं होने के कारण निजी संस्थाऐं ही ऐसे भूखण्डों का लाभ उठाती है। इससे गरीब व्यक्तियों को शिक्षा व चिकित्सा की राजकीय

....10

सुविधाऐं नहीं मिल पाती है। अतः विस्तृत विचार विमर्श के बाद निम्न निर्णय लिये गये:-

1. आवासन मण्डल द्वारा बनायी गई प्रत्येक कालोनी में वहां के आवंटियों की संख्या एवं सामुदायिक सुविधाओं के लिए उपलब्ध राशि को देखते हुए राजकीय शिक्षण संस्थाऐं एवं चिकित्सा सुविधाओं व अन्य सुविधाओं हेतु मण्डल द्वारा भवनों का निर्माण किया जाय। छोटी कालोनी में प्राथमिक शाला का कम से कम एक भवन मण्डल द्वारा अवश्य बनाया जाय।

2. सामुदायिक सुविधाओं- यदि चिकित्सा एवं शिक्षण संस्थाओं के भवनों के निर्माण का भार आवंटियों पर डाला जाता है तो वह बहुत अधिक होगा। अतः उचित यह होगा कि हर कालोनी में विभिन्न श्रेणियों में 10 प्रतिशत तक भूखण्ड नीलामी से बेच दिये जायें व इससे प्राप्त राशि को सामुदायिक सुविधाओं के भवनों के निर्माण में लगा दिया जाये इसके लिए अलग से खाता बना लिये जायें।

3. निजी, धार्मिक एवं समाज सेवी संस्थाओं को शिक्षा, चिकित्सा व अन्य सामुदायिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जो भूमि दी जाय उसके बारे में निम्न प्रक्रिया अपनायी जाय:-

   i. इन सुविधाओं हेतु भूमि चाहने वाली संस्थाओं की पात्रता तय कर ली जाये।

   ii संस्थाओं की पात्रता दर्शाते हुए ऐसे भूखण्डों को समाचार पत्रों के द्वारा विज्ञापित कर दिया जावे एवं रूचि रखने वाली संस्थाओं से प्रार्थना पत्र मांग लिये जावें।

   iii बोर्ड के नियमानुसार इन आवेदकों के प्रार्थना पत्रों की जांच कर भूमि आवंटन योग्य संस्थाओं के नाम तय कर लिये जावें।

....11

यदि उपलब्ध भूखण्डों से अधिक आवेदक योग्य पाये जायें तो जमीन का आवंटन लाटरी से कर दिया जावे अन्यथा सीधे ही आवंटन किये जा सकते हैं।

iv) बड़े भूखण्डों के कारण यदि संस्थायें एक मुश्त पैसा देने में कठिनाई महसूस करती हैं तो जमीन की लागत को किश्तों में वसूल किया जावे, 25 प्रतिशत मूल्य तक भूमि की लागत पहले ले ली जावे एवं शेष राशि पाँच वर्ष में 15 प्रतिशत ब्याज की दर से वार्षिक किश्तों में वसूल कर ली जावे।

v) सामूहिक कार्यों के लिए संस्थाओं को आरक्षित मूल्य पर ही भूमि दी जावे, संस्थायें भूमि लेकर निर्माण में विलम्ब करती हैं क्योंकि उनके पास धनराशि उपलब्ध नहीं होती। अतः "हुडको" से सहायता लेकर भवन निर्माण कर किश्तों में वसूली करने की पद्धति भी लागू की जा सकती है। इसके लिए संस्थाओं से पहले सहमति प्राप्त करनी होगी।

vi) एन्सीलरी सेवाओं का अधिभार वर्तमान में 2/-रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से लिया जाता है। इसके बढाने के प्रश्न पर विचार स्थगित किया गया। इससे पूर्व मण्डल द्वारा जमीन पर जो विभिन्न अधिभार लगाये जाते हैं उनका आंकलन अध्यक्ष द्वारा कराया जाये। बाद में इस पर विचार किया जायेगा।

134. 22 Ammendments in HUB Contract Agreement.

Dy.HC (HQ)

प्रस्तावानुसार बोर्ड के कान्ट्रेक्ट एग्रीमेंट में सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप संशोधित अनुबंध पत्र, निम्न परिवर्तनों के साथ स्वीकार किया गया:-

1. प्रस्ताव में दिया गया मूल्य वृद्धि का प्रावधान हटा दिया जाये।

....12

2. सिक्यूरिटी मनी के संबंध में मण्डल में प्रचलित पुराने नियम प्रक्रियाएं यथावत जारी रखी जायें। सार्वजनिक निर्माण विभाग में सुरक्षा राशि के रूप में किसी भी ठेकेदार की अधिकतम राशि 1.5 लाख रू. फाइनल बिल तक रोकी जाती है। इस बात को देखते हुए निर्णय लिया गया कि मण्डल नियमों में यह प्रावधान जोड़ दिया जाये कि कार्य समाप्ति के एक वर्ष के पश्चात् उस कार्य के प्रति रखी गई सुरक्षा राशि में से 1.5 लाख रू. की राशि रोकी जाकर बाकी राशि ठेकेदारों को वापिस कर दी जावेगी। रोकी गई 1.5 लाख रु. की सुरक्षा राशि पूर्वानुसार फाइनल बिल पारित किये जाने के पश्चात् दी जा सकेगी।

तत्पश्चात् धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की।

सचिव
राजस्थान आवासन बोर्ड
जयपुर

राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर

बोर्ड की 135 वीं बैठक दिनांक 25.8.87 को बोर्ड मुख्यालय के बोर्ड कक्ष में श्री एम. एल. मेहता, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन बोर्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

1-	श्री एम. एल. मेहता	बोर्ड अध्यक्ष
2-	श्री पी. बी. माथुर	आयुक्त व शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
3-	श्री एल. एन. यादव	उप शासन सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)
4-	श्री सी. एस. मेहता	मुख्य नगर नियोजक एवं वास्तुविद् सलाहकार
5-	श्री अखयराज	आवासन आयुक्त
6-	श्री एन. के. सेठी	बोर्ड सचिव

बोर्ड के निम्न अधिकारीगण भी बैठक में उपस्थित थे:-

1-	श्री अब्दुल मतीन	उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय)
2-	श्री आर. के. शर्मा	मुख्यलेखाधिकारी

वित्त सचिव, राजस्थान सरकार आवश्यक शासकीय कार्यवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। उनका प्रतिनिधित्व श्री एल. एन. यादव, उप शासन सचिव, वित्त ने किया।

बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई :-

135.1 मण्डल की 134 वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि:-

बोर्ड की 134 वीं बैठक दिनांक 13.8.87 के निर्णयों की पुष्टि निम्न संशोधनों के साथ की गई:-

(I) बिन्दु संख्या 134.5 के पैरा नम्बर तीन में प्रथम पंक्ति में आया "आरक्षण" शब्द विलोपित कर दिया जाये।

....2/-

Action by

॥ II ॥ बिन्दु संख्या 134.22 के पैरा नम्बर दो को विलोपित कर दिया जाये।

सदस्य महानुभावों ने यह चाहा कि मध्यम आय वर्ग व उच्च आय के आवंटियों से अल्प आय वर्ग व आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय के आवंटियों के मुकाबले में जमीन की कीमत कुछ ऊँची दर से लि के संबंध में प्रस्ताव बनाकर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

135.2 मण्डल की 134 वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन:-

मण्डल की 134 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति का विवरण बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

135.3 पंजीकृत आवेदकों को मकान उपलब्ध कराने हेतु धन की व्यवस्था:-

DHC(Hq) बोर्ड अध्यक्ष द्वारा पंजीकरण की निम्न तीन योजनाओं के संबंध में विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया गया :

1- कल्पतरू योजना
2- गृह-लक्ष्मी योजना
3- कुबेर योजना

विचारोपरान्त तीनों योजनाओं को प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

135.4 DHC.Hq./CAO आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के आवेदकों हेतु "नकद ऋण योजना 1987" :-

प्रस्तावानुसार जोधपुर के लिये आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के आवेदकों हेतु "नकद ऋण योजना 1987" स्वीकार की

...3 पर

135.5 DHC.Hq. — हुडको कर्मचारियों के लिये मकानों के आरक्षण के संबंध में।

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि हुडको कर्मचारियों के लिये अलग से मकानों के आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। यदि हुडको के कर्मचारियों के लिये कभी आवश्यकता प्रतीत हो तो प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ लाया जा सकता है।

135.6 RE Hq-I/ & II — हुडको से स्वीकृत स्कीम नं. 4705 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति:-

प्रस्तावानुसार हुडको से स्वीकृत स्कीम संख्या 4705, जिसकी लागत 173.20 लाख रू. है, के प्रति प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

135.7 DHC.Hq — मण्डल द्वारा छोटे स्थानों पर मकान बनाने संबंधी नीति:-

विचारोपरान्त निम्न स्थानों के संबंध में उनके सामने अंकित निर्णय लिये गये:-

सुनेल एवं भवानीमंडी	अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया कि वे एक बार स्थल का निरीक्षण कर लें, और पानी की उपलब्धता के संबंध में संबंधित अधिकारियों से विचार-विमर्श कर इन स्थानों पर बोर्ड के मकान बनाने या न बनाने के संबंध में अंतिम निर्णय ले लें।
हिण्डौन	चूँकि हिण्डौन में भूमि उपलब्ध नहीं है, व पंजीकरण भी केवल 131 का ही है, इसलिए वहाँ के पंजीकरणकर्ताओं को या तो जमा राशि लौटा दी जाये या उनके

पंजीकरण अन्य स्थानों पर स्थानां
करने का विकल्प माँग लिया जाये।

निर्णय लिया गया कि निम्न स्थानों पर मकान बनाने के संबंध
भूमि तथा पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये प्रसंग बोर्ड
आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे :- 135.10 P.M.

1- चौमू
2- नौहर
3- दौसा
4- आबूरोड़
5- टोंक
6- सिरोही 135.1
7- प्रतापगढ़ DHC.H
8- निम्बाहेड़ा
9- मेड़ता
10- नागौर

135.8 P.M. खर्च में कटौती करते हुये बोर्ड में लम्बे समय से पड़े रिक्त पदों को
के संबंध में:-

निर्णय लिया गया कि बोर्ड के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को ध्य
में रखते हुये प्रस्ताव बोर्ड की आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया ज 135.

135.9 H.O. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवंटित मकानों को मूल आवंटी
स्थान पर अन्य व्यक्ति के नाम सीधे हस्तान्तरण के संबंध में:-

प्रस्तावानुसार 1.4.86 से पूर्व लंबित 13 मामलों में आवंटित मकान
मूल आवंटी के स्थान पर अन्य व्यक्ति के नाम बोर्ड में पूर्व में प्रचलि

.....5

नियमों/प्रक्रियाओं के अनुरूप हस्तान्तरण की अनुमति प्रदान की गई।

चूँकि ऐसे मामले और भी हो सकते हैं, इसलिये यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में कानूनी दृष्टि से मामले को पुनः जँचवाया जाकर सामान्य नीति निर्धारण हेतु आगला बोर्ड की बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाये।

135.10 मण्डल के नियमित रिक्त पदों पर दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमन के बारे में:-

निर्णय लिया गया कि बोर्ड के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को ध्यान में रखते हुये यह प्रसंग बोर्ड की आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

135.11 अजमेर शहर में जल प्रदाय विभाग द्वारा पानी सप्लाई में असमर्थता के कारण मकान आवंटन में विलम्ब।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि नाका मदार योजना में जहाँ मकान बन चुके हैं वहाँ हैण्डपम्प लगाये जाकर मकानों के आवंटन किये जाने की कार्यवाही की जावे। मकान देने से पहले आवंटी से हैण्डपम्प की सुविधा में मकान लेने का विकल्प भी ले लिया जावे ताकि बाद में किसी प्रकार की कानूनी कठिनाई न आये। जब बीसलपुर योजना बन जायेगी तब पानी की लाइन डाल दी जायेगी।

135.12 दिनांक 30.7.87 को आयोजित सम्पत्ति आवंटन समिति, जयपुर की बैठक के निर्णय।

विचारोपरान्त सम्पत्ति आवंटन समिति की दिनांक 30.7.87 को हुई बैठक के निर्णयों के प्रति अनुमति प्रदान की गई।

तत्पश्चात् धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

सचिव,
राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर

राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर।

क्रमांक:- प।16(सा.प्र/बोर्ड)135 8/352 दिनांक: 27/8/87

उप आवासन आयुक्त
जयपुर/अलवर/प्रथम/द्वितीय/तृतीय/कोटा/
जोधपुर/उदयपुर/आ.अभि.मुख्या.I/II/
सहायक आवासन अधिकारी (मु०)/P.M/
O/L.A./A.O.(F)

विषय :- दिनांक 25/8/87 को आयोजित बोर्ड की 135 वीं बैठक के निर्णय।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको दिनांक 25/8/87 को आयोजित बोर्ड की 135 वीं बैठक के निर्णयों की प्रति प्रेषित की जा रही है। यदि बैठक का कोई निर्णय बिन्दु आपसे सम्बन्धित हो तो कृपया वांछित कार्यवाही प्राथमिकता पर सम्पन्न कर लें। दिनांक में क्रियान्विति प्रतिवेदन प्रशासन प्रकोष्ठ को प्रेषित करने का श्रम करें।

भवदीय,

27/8/87

कार्यालय अधीक्षक
प्रशासन प्रकोष्ठ

संलग्न :- बोर्ड की 135 वीं बैठक के निर्णयों की एक प्रति।

(ओ. पी. वर्मा)

राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर

बोर्ड की 136 वीं बैठक दिनांक 3.10.87 को बोर्ड मुख्यालय के बोर्ड कक्ष में श्री एम. एल. मेहता, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन बोर्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार रही:-

1.	श्री एम. एल. मेहता	बोर्ड अध्यक्ष
2.	श्री पी. बी. माथुर	आयुक्त व शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
3.	श्री एल. एन. यादव	उप शासन सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)
4.	श्री सी. एस. मेहता	मुख्य नगर नियोजक एवं वास्तुविद सलाहकार
5.	श्री अखयराज	आवासन आयुक्त
6.	श्री एन. के. सेठी	बोर्ड सचिव

बोर्ड के निम्न अधिकारीगण भी बैठक में उपस्थित थे:-

1.	श्री अब्दुल मतीन	उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय)
2.	श्री आर. के. शर्मा	मुख्यलेखाधिकारी

वित्त सचिव, राजस्थान सरकार आवश्यक शासकीय कार्यवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। उनका प्रतिनिधित्व श्री एल. एन. यादव, उप शासन सचिव, वित्त ने किया।

बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई:-

136.1 मण्डल की 135 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन:-

मण्डल की 135 वीं बैठक दिनांक 25.8.87 के निर्णयों की पुष्टि की गई।

136. 2 मण्डल की 135 वीं बैठक में स्वीकृत कुबेर योजना, [illegible]
(HQ) तथा गृह लक्ष्मी योजना की क्रियान्विति के संबंध [illegible]

अध्यक्ष महोदय ने निम्न नई योजनाओं के अंतिम प्र[illegible] प्रस्तुत किये :-

1. पूर्व पंजीकृत आवेदकों के लिये पारिजात स्व वित्त पोषित।
2. पूर्व पंजीकृत आवेदकों को अधिकाधिक छः वर्ष में मकान देने हेतु कुबेर योजना।
3. 10 वर्ष की अवधि में निश्चित रूप से आवास की उपलब्धि हेतु कल्पतरू योजना।

सर्वसम्मति से उपरोक्त तीनों योजनाओं के प्रति स्वीकृति प्रदान की गई और बोर्ड के अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया कि वे यथाशीघ्र जब भी उपयुक्त समझें, इन नवीन योजनाओं को प्रारम्भ करवा दें।

136.3 नवीन योजनाओं के लेखों के संधारण तथा बैंकों व कम्प्यूटर फर्मों की नियुक्ति पर विचार:-

CAO सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार निम्न निर्णय लिये गये:-

1. विभिन्न नवीन योजनाओं के पंजीकृत आवेदकों से प्राप्त राशि सीधे ही बैंकों द्वारा प्राप्त की जावे। इस हेतु अलग अलग योजना के लिये अलग अलग बैंकों का चयन करने और उनसे अनुबंध करने के लिये अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।
2. लेखों के संधारण में कम्प्यूटर की भूमिका को स्वीकार करते हुये अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया कि वे कम्प्यूटर फर्मस से निविदाएं प्राप्त करलें और कुशलतम कम्प्यूटर फर्म को इस कार्य हेतु अनुबंधित करलें। सदस्य महानुभावों ने यह व्यक्त किया कि इन योजनाओं की सफलता आवेदकों के लेखों के संधारण पर और उसके फलस्वरूप बोर्ड की साख पर आधारित है। अतः कम्प्यूटर व बैंक के चयन में पूरी सावधानी बरती जानी चाहिये।

136.4 नई योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में विनियोजन समिति गठित किये जाने पर विचार:-
SECRETARY

...3

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि नवीन योजनाओं से जमा राशि का मण्डल द्वारा निर्देशित नीति तथा दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत ही उपयोग किया जा सकेगा एवं विनियोजन के सम्बन्ध में सभी निर्णय एक उच्च स्तरीय विनियोजन समिति द्वारा लिये जायेंगे। जमा राशि के विनियोजन के लिये निम्नानुसार एक उच्च स्तरीय विनियोजन समिति के गठन का निर्णय भी लिया गया:-

1. मण्डल के अध्यक्ष	अध्यक्ष
2. वित्त सचिव, राजस्थान सरकार या उनके प्रतिनिधि, जो उप सचिव स्तर से कम न हों।	सदस्य
3. नगरीय विकास एवं आवासन सचिव या उनके प्रतिनिधि, जो उप सचिव के स्तर से कम न हो।	सदस्य
4. आवासन आयुक्त	सदस्य
5. बोर्ड द्वारा मनोनीत एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड एकाउन्टेंट जिन्हें पब्लिक फाईनेंस (सार्वजनिक वित्त) का अनुभव हो।	

मण्डल के मुख्यलेखाधिकारी इस समिति के सचिव होंगे।

इस समिति में एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड एकाउन्टेंट के स्थान पर श्री सतीश अजमेरा, चार्टर्ड एकाउन्टेंट को मनोनीत करने का निर्णय भी लिया गया।

136.5 मण्डल के कर्मचारियों को वर्ष 1986-87 का बोनस देने पर विचार:-

CAO विचार विमर्श के बाद यह महसूस किया गया कि वर्ष 1986-87 के लिए बोनस देने के सम्बन्ध में राज्य सरकार, ब्यूरो आफ पब्लिक

एन्टरप्राईजेज की अनुमति आवश्यक होगी। अतः ब्यूरो आफ पब्लि
एन्टरप्राइजेज को प्रसंग करने का निर्णय लिया गया।

136.6 श्री भौंरीलाल की अवाप्त भूमि को वापस दिये जाने बाबत:- CAO/ATP

प्रस्तावानुसार श्री भौंरीलाल पुत्र श्री बालूराम निवासी ग्राम
बम्बाला को उनकी अवाप्तशुदा भूमि खसरा नं. 406/716 रकबा
LAO 29 बीघा की मुआवजा राशि 9,24,927.73 मय देय ब्याज के 136.
भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही साथ यह निर्णय भी लिया गया कि इस भूमि से PM
लगती हुई अन्य भूमि की अवाप्ति/आवंटन की कार्यवाही भी की
और पूरी भूमि के सम्बन्ध में आवासीय योजना बनाई जावे।

136.7 राजस्थान विकास मेला प्रदर्शनी 1984 हेतु राजस्थान आवासन
मण्डल के मण्डप की स्थापना तथा साज-सज्जा हेतु किये गये व्यय
का अनुमोदन:-

CAO/ATP उपरोक्त सन्दर्भ में श्री ताराचन्द वर्मा, वरिष्ठ प्रारूपकार द्वारा
गए 6,393.19 रू0 के व्यय को स्वीकृत किये जाने के संबंध में मामला
विचारार्थ लिया गया। विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि
यदि इस प्रकार के व्यय की स्वीकृति के लिये अध्यक्ष महोदय अधिकृत
हों तो अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से इस मामले को निपटा दिया
जावे। यदि किसी कारण बोर्ड की स्वीकृति आवश्यक समझी जावे
तो इसे बोर्ड की स्वीकृति भी मान लिया जावे।

136.8 गणतंत्र मेला प्रदर्शनी 1984 में आवासन मण्डल के मण्डप लगाये
जाने हेतु किये गये व्यय के अनुमोदन बाबत :-

उपरोक्त सन्दर्भ में श्री योगेन्द्र सिंह, वास्तुविद सहायक के द्वारा
गए 3,039.26 रू0 व्यय के प्रति स्वीकृति प्रदान करने का मामला

.....5

विचारार्थ रखा गया। विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि यदि इस व्यय की स्वीकृति के लिये अध्यक्ष महोदय अधिकृत हों तो उनसे स्वीकृति प्राप्त कर इस प्रसंग को निपटा दिया जावे और यदि बोर्ड की स्वीकृति इसमें आवश्यक समझी जावे तो एतद्द्वारा बोर्ड की स्वीकृति मान ली जावे।

CAO/ATP

136.9 दिनांक 14.9.87 को आयोजित कनिष्ठ चयन समिति की बैठक के निर्णय:-

मण्डल की कनिष्ठ चयन समिति की बैठक दिनांक 14.9.87 के कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया गया।

PM

तत्पश्चात् धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

एन. के. सेठी
सचिव
राजस्थान आवासन बोर्ड
जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 137 वीं बैठक दिनांक 5.12.87 एवं 9.12.87 को बोर्ड मुख्यालय के बोर्ड कक्ष में श्री एम. एल. मेहता, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

1-	श्री एम. एल. मेहता	अध्यक्ष
2-	श्री पी. सी. माथुर	शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
3-	श्री एल. एन. यादव	उप शासन सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)
4-	श्री सी. एस. मेहता	मुख्य नगर नियोजक एवं वास्तुविद सलाहकार
5-	श्री एन. के. सेठी	बोर्ड सचिव

बैठक में निम्न अधिकारीगण भी उपस्थित थे :-

1-	श्री अब्दुल मतीन	उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय)
2-	श्री आर. के. शर्मा	मुख्यलेखाधिकारी

वित्त सचिव, राजस्थान सरकार आवश्यक शासकीय कार्यवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। उनका प्रतिनिधित्व श्री एल. एन. यादव उपशासन सचिव, वित्त ने किया।

श्री अखंय राज, आवासन आयुक्त भी अवकाश पर रहने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

श्री सी. एस. मेहता, मुख्य नगर नियोजक एवं वास्तुविद सलाहकार, राजस्थान सरकार आवश्यक राजकीय कार्यवश दिनांक 9.12.87 को आयोजित बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

शेष पृ. सं. 2 पर

बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई :-

137.1 मण्डल की 136 वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।

मण्डल की 136 वीं बैठक दिनांक 3.10.87 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गई।

137.2 मण्डल की 134, 135 व 136 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।

मण्डल की उपरोक्त तीनों बैठकों में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई क्रियान्विति टिप्पणी का अवलोकन किया गया।

137.3 स्टेट मैनेजर के पदों पर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति बाबत।

कार्मिक प्रबन्धक

सर्वसम्मति से मण्डल के 6 वृत कार्यालयों में वसूली व सम्पत्ति निष्पादन तथा सक्षम अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला (1720-3350) में 6 पद सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि बोर्ड उक्त पदों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के साथ साथ राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों को भी प्रतिनियुक्ति पर लेने पर विचार कर सकता है। यह भी निर्णय लिया गया कि 6 पदों के सृजन के बावजूद प्रारम्भ में 3-4 अधिकारियों को ही प्रतिनियुक्ति पर लिया जावे। तत्पश्चात यदि आशानुकूल सुधार होता है तो बाकी पदों पर भी अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर ले लिये जावें।

शेष पृ.सं. 3 पर

137.4 मण्डल कर्मचारियों/अधिकारियों तथा प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा मण्डल के मकान, समय पर खाली न करने के सम्बन्ध में नवीन व्यवस्था।

प्रस्ताव पर विचार करते हुए यह स्वीकार किया गया कि बोर्ड के मकानों में यदि बोर्ड के कर्मचारी अथवा प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारी अस्थाई आवंटन पर रह रहे हैं और उन्हें उनके स्थानान्तरण पर या अन्य किसी कारण से मकान खाली करने के लिए निर्देश दिये जाते हैं तो निम्न शर्तों के अधीन उन्हे मकान अविलम्ब खाली करना चाहिए:-

1- मण्डल के जो कर्मचारी/अधिकारी मण्डल द्वारा किराये पर आवंटित मकानों में रहते हैं, वे सेवानिवृत होने की स्थिति में सेवानिवृति की तिथि से 3 माह तक की अवधि तक ही आवंटित मकान में रह सकते हैं।

2- स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारी/कर्मचारी मण्डल से वापिस स्थानान्तरण होने पर कार्यमुक्त होने की तिथि से अधिक से अधिक तीन माह की अवधि तक मण्डल द्वारा आवंटित मकान अपने पास रख सकते हैं।

3- मण्डल के ऐसे कर्मचारी/अधिकारी की, जिन्हें किराये का मकान आवंटित हो, सेवा में रहते हुए आकस्मिक मृत्यु हो जाने की स्थिति में मृतक कर्मचारी/अधिकारी का परिवार मृत्यु से 6 महिने तक की अवधि के लिए आवंटित आवास में रह सकता है।

4- मण्डल के जिन कर्मचारियों/अधिकारियों को रेन्टल स्कीम में मकान आवंटित हों उन्हे यदि स्वयं का मकान आवंटित हो जावे तो आवंटन पत्र की तिथि से तीन माह की अवधि में या कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक माह की अवधि तक जो भी अधिक हो, मण्डल के रेन्टल स्कीम के मकान में रह सकते हैं।

यह भी निर्णय लिया गया कि यदि बोर्ड के कर्मचारी/अधिकारी अथवा प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारी/कर्मचारी मण्डल का मकान उपरोक्त अवधि में खाली नहीं करते हैं तो संबंधित तिथि से उन्हें दोषी (Defaulter) माना जायेगा और उनसे निम्नानुसार दंडनीय किराया वसूल किया जायेगा :-

दोष अवधि	मूल वेतन से काटे जाने वाली प्रतिशत राशि
1- दोष (Default) प्रारंभ होने से 1 माह की अवधि से दो माह की अवधि में मकान खाली करने पर।	सामान्य दो गुना किराया
2- दोष (Default) प्रारम्भ होने से 3 माह से 4 माह की अवधि में मकान खाली करने पर।	सामान्य से तीन गुना किराया
3- दोष (Default) प्रारम्भ होने से 5 माह से 6 माह की अवधि में मकान खाली करने पर।	सामान्य से 5 गुना किराया
4- दोष (Default) प्रारम्भ होने से 7 माह से आठ माह की अवधि में मकान खाली करने पर।	सामान्य से 7 गुना किराया
5- दोष (Default) प्रारम्भ होने से 9 से 10 माह की अवधि में मकान खाली करने पर।	सामान्य से 10 गुना किराया

शेष पृ. सं. 5 पर

यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त निर्णय तुरन्त प्रभाव से लागू कर दिये जावें और इस सम्बन्ध में नियम/उपनियम बनाकर उन्हें प्रसारित कर दिया जावे।

137.5 . मण्डल की मानसरोवर योजना में निर्मित फ्लेट्स के निस्तारण के संबंध में।

मण्डल की मानसरोवर योजना में निर्मित फ्लेट्स के निस्तारण की मौजूदा स्थिति का अवलोकन कर प्रस्तावानुसार निम्न निर्णय लिये गये :-

(अ) 1- इन सभी फ्लेट्स को जैसे हैं वैसी स्थिति में मण्डल/अब तक के पंजीकृत सभी आवेदकों को श्रेणी विशेष की बंदिशा से मुक्त करते हुए आवंटित करवाने के लिए छूट दे दी जावे।

आवासन अधिकारी/ आवासन आयुक्त द्वितीय

2- यदि कोई पंजीकृत आवेदक एक साथ दो बराबर के फ्लेट्स जोडे के रूप में लेना चाहे तो उनको जैसे हैं वैसी हालत में आवंटित कर दिये जावें।

3- यदि कुछ पंजीकृत आवेदक एक साथ एक ब्लाक विशेष में फ्लेट लेने के इच्छुक हों तो उन्हें उनकी इच्छा के अनुरूप बिना लाटरी के फ्लेट्स आवंटित कर दिये जावें।

4- जो सरकारी, अर्द्ध-सरकारी संस्थान, सार्वजनिक प्रतिष्ठान जैसे बैंक, बीमा निगम या कम्पनियाँ आदि नकद भुगतान के आधार पर ये फ्लेट्स एक साथ लेना चाहें तो उन्हें ये फ्लेट्स दे दिये जावें और यदि वे मण्डल से इन मकानों में कुछ परिवर्तन भी करवाना चाहें तो उनके खर्चे पर ऐसे आवश्यक परिवर्तन भी करा दिये जावें।

शेष पृ. सं. 6 पर

यदि अब तक के पंजीकृत आवेदक उपरोक्तानुसार दिये गये विकल्पों के आधार पर फ्लेट्स एक निर्धारित तिथि तक, जो एक माह से अधिक की नहीं होगी, लेने के प्रति इच्छा जाहिर न करें तो इन फ्लेट्स को ओपन काउन्टर सैल के आधार पर बिना विशेष पंजीकरण खोले नये आवेदकों को भी दे दिये जावें।

(ब) यदि बोर्ड के 1973 व 1979 के पंजीकृत आवेदकों ने जिन्हें उपरोक्त फ्लेट्स आफर किये गये थे किसी कारण से इन फ्लेट्स को लेने की अनिच्छा जाहिर की है तो उन्हें निम्न विकल्प दे दिये जावें :-

1- वे अपनी जमा पंजीकरण राशि, सीडमनी नियमानुसार कटौतीयाँ करवाकर बोर्ड से अपनी रकम वापस लेलें।

2- यदि आवेदक जिन्हें मानसरोवर में फ्लेट्स आफर किये गये, फ्लेट्स नहीं लेना चाहें और पारिजात (स्वचित्त पोषण) कुबेर या नकद भुगतान के आधार पर स्वतन्त्र मकान का विकल्प दें तो उनको हुए फ्लेट का आवंटन निरस्त कर उनका पंजीयन चालू रखा जावे पर उन्हें उस वर्ष की वरीयता जिसमें वे पंजीकृत हैं, अन्तिम स्थान पर रखा जावे। मण्डल पुनः उन्हें किराया क्रय पद्धति पर मकान नहीं देगा।

उपरोक्त विकल्पों में यह भी स्पष्ट कर दिया जावे कि उन्हें मकान मण्डल की किसी भी कालोनी में जहाँ स्वतन्त्र मकान उपलब्ध होगें तत्समय की लागत पर दिया जावेगा।

137.6 श्री आर. के. अग्रवाल को जवाहर नगर में आवंटित मकान का हस्तांतरण उनके स्व. भ्राता की विधवा श्रीमती राज अग्रवाल के नाम किये जाने हेतु।

उप निवासन आयुक्त, वृत प्रथम

प्रस्तावानुसार श्री आर. के. अग्रवाल को जवाहर नगर में आवंटित फ्लेट नं. 4/146 का हस्तान्तरण उनके स्वर्गीय लघु भ्राता की विधवा श्रीमती राज अग्रवाल के नाम करने सम्बन्धी अध्यक्ष महोदय के निर्णय की पुष्टि की गई।

शेष पृ. सं. 7 पर

137.7 विशिष्ठ पंजीकरण योजना/स्ववित्त पोषित योजना की निर्माण योजना हाथ में न लिये जाने के कारण पंजीकरण राशि पर देय ब्याज दर में संशोधन हेतु।

प्रस्तावानुसार यह निर्णय लिया गया कि स्ववित्त पोषित योजना व विशिष्ठ पंजीकरण योजना के ऐसे आवेदकों को जिनकी राशि 2 साल से भी अधिक समय के लिए रही है व जिनके लिए बोर्ड ने मकान निर्माण नहीं किये हैं, उनकी राशि 10 प्रतिशत साधारण ब्याज देकर लौटा दी जावे।

यह भी निर्णय लिया गया कि पंजीकरण राशि पर ब्याज दर वहीं होगी जो सामान्य पंजीकरण योजना के पंजीकृत आवेदकों को दी जाती है।

यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे आवेदक यदि आगे स्ववित्त पोषित योजना (पारिजात) के तहत मकान लेना चाहते हैं, तो उन्हें मकान बना कर दे दिये जावें किन्तु उनके मामले में निर्माण की 2 साल की अवधि का ब्याज नहीं दिया जायेगा। इससे अधिक पूर्व अवधि का ब्याज ही देय होगा।

137.8 नोहर में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि नोहर में जमीन उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप वहाँ आवेदकों को ब्याज सहित पंजीकरण राशि लौटा दी जावे। पंजीकरण राशि पर ब्याज निम्नानुसार दिया जावे :-

1-	प्रथम तीन वर्ष तक अवधि का	6 प्रतिशत साधारण ब्याज
2-	3 से 5 वर्ष की अवधि का	8 प्रतिशत साधारण ब्याज
3-	5 वर्ष की अवधि से ऊपर	10 प्रतिशत साधारण ब्याज,

शेष पृ.सं. 8 पर

137.9 सुमेरपुर में अवाप्ति हेतु विचाराधीन भूमि को अवाप्ति से मुक्त किये जाने बाबत।

भूमि अवाप्ति-अधिकारी

प्रस्तावानुसार सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सुमेरपुर हेतु 94 बीघा 01 बिस्वा भूमि, जिसकी बोर्ड को अब आवश्यकता नहीं है अवाप्ति से मुक्त करने सम्बन्धी कार्यवाही अमल में लायी जावे।

✓ 137.10 पूर्वग्रहण राशि जमा न कराये जाने पर वसूल की जाने वाली शास्ति के नियमों के सम्बन्ध में।

आवासन अधिकारी/समस्त उप आवासन आयुक्त

प्रस्ताव पर विचार करते हुए यह महसूस किया गया कि विभिन्न आयवर्ग के आवेदकों से सीडमनी राशि जमा न कराने के फलस्वरूप जो ब्याज/पैनल्टी मौजूदा नियमों में ली जाती है वह 36 प्रतिशत से 41.38 प्रतिशत तक है और अधिकांश मामलों में ब्याज/पैनल्टी की राशि इतनी अधिक हो जाती है कि आवंटी विभिन्न प्रकारों से छल बनाने का प्रयास करता है व सम्पदा के निस्तारण में विलम्ब होता है जिससे बोर्ड को हानि होती है। आवेदक से सीडमनी प्राप्त न होने से मण्डल को दूसरे श्रोतों से अधिक ब्याज पर राशि का ऋण लेकर व्यवस्था करनी पड़ती है। अतः आवंटी से समय पर सीडमनी लेने व सीडमनी की राशि नहीं आने पर ऐसी राशि पर अधिक ब्याज लेने का औचित्य बनता है। सारी स्थिति पर विचार करते हुए प्रस्तावानुसार निम्न निर्णय लिये गये :-

1- जिस व्यक्ति से सीडमनी नहीं जमा होती है उसके साथ वाले उसी वर्ग के पंजीकृत व्यक्तियों को सीडमनी की किश्तों के जमा कराने की निश्चित तिथि से निम्न ब्याज लिया जावे :-

(क)	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग एवं अल्प आयवर्ग के व्यक्ति	18 प्रतिशत
(ख)	मध्यम आयवर्ग एवं उच्च आयवर्ग के व्यक्ति	24 प्रतिशत

शेष पृ. सं. 9 पर

यह ब्याज सीडमनी की दोनों किश्तों के लिये अलग अलग गिना जावेगा।

2- इसी प्रकार जिन पत्रावलियों में सीडमनी का नोटिस नहीं है या जहाँ आवंटी सीडमनी नोटिस नहीं मिलने का दावा पता गलत होने के कारण सही रूप से करता है या जहां पत्रावलियां नहीं मिल पा रही हैं उनसे भी उपरोक्त दर पर ही ब्याज लगाकर मकानों के कब्जे दे दिये जावें।

3- जिन मामलों में नियम 8 ए में राज्यादेश के कारण या विधवाओं की प्राथमिकता के कारण सीधा मकान ही दिया जाता है वहां सीडमनी की प्रथम किश्त पर उपरोक्त ब्याज दर से 2 वर्ष का तथा दूसरी किश्त पर डेढ वर्ष का ब्याज लिया जायेगा।

137.11 आवंटियों पर सम्बन्धित आवंटन लाटरी के नियम लागू करने के सम्बन्ध में।

बोर्ड के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 1981 की संशोधित प्रक्रिया लागू होने के पहले आवंटन के निम्न नियम लागू थे :-

1- (अ) जब किसी भी कालोनी में मकान लिंटल लेवल पर पहुँच जाते थे तो आवंटियों से, मकानों की संख्या के अनुसार आयवर्ग में उपलब्ध मकानों के प्लाट साईज, उनकी अनुमानित लागत आदि का विवरण देते हुए उनसे विकल्प मांगे जाते थे।

(ब) विकल्प आने पर लाटरी द्वारा उस कालोनी में मकानों का आरक्षण कर दिया जाता था। ये आरक्षण मकानों के लिंटल लेवल पर पहुँचने पर किया जाता था। आरक्षण होने के बाद जैसे जैसे मकान तैयार होते जाते थे वैसे वैसे मकानों का का आवंटन किया जाता था। आवंटन लाटरी के लिए

शेष पृ. सं. 10 पर

भी बुकलेट जारी की जाती थी जिसमें मकानों की लागत उनकी किश्तें और किस दर से ब्याज लिया जायेगा आदि सारा विवरण दिया जाता था।

§स§ एक लाटरी के आवेदकों से एक ही प्रकार के मकानों के लिए एक समान लागत वसूल की जाती थी।

2- आरक्षण/आवंटन पुस्तिका में उस समय के प्रचलित नियम भी दिये जाते थे।

3- नये नियम अप्रैल 1982 के बाद लागू किये गये एवं पुराने नियमों के तहत 1981 तक लाटरी की जाती रही।

4- पंजीकरण पुस्तिका में जो भी नियम दिये हुए थे उन्हें बोर्ड कभी भी बदल सकता है और वे आवेदकों को मान्य होते हैं। परन्तु आरक्षण एवं आवंटन लाटरी में जिसके अन्तर्गत मकान आवेदकों से विकल्प मांगने के बाद दिये गये हैं, उसमें वही नियम लागू होने चाहिए क्योंकि आवेदकों ने उन नियमों को पढ़कर अपने विवेक से लाटरी में अपना विकल्प दिया था।

5- क्योंकि सभी मकान एक साथ तैयार नहीं होते हैं एवं कुछ मकानों के पूर्ण होने में समय लग सकता है, अतः उपरोक्त लाटरीज के अन्तर्गत कुछ मकान तो पुराने नियमों से दे दिये गये परन्तु शेष मकानों पर बोर्ड अधिकारियों ने बिना किसी आदेश के नये नियम लागू कर दिये।

6- कई स्थानों पर ऐसे लगभग 2 हजार मकान हैं जो कि विकल्प लेकर आवंटित कर दिये गये परन्तु नये नियम लागू होने के पहले कब्जा नहीं दिया जा सका। कब्जा देते समय जब इन पर नया नियम

शेष पृ. सं. 11 पर

लागू किया गया तो आवंटियों ने प्रतिवेदन देना चालू कर दिया कि उनके विकल्प पत्र में जो शर्तें थीं उन्हीं के अनुसार इन मकानों का निस्तारण किया जावे।

विचारोपरान्त यह स्वीकार किया गया कि आवंटियों की मांग न्यायोचित प्रतीत होती है तथा निर्णय लिया गया कि जो मकान विकल्प लेकर आवंटित किये गये हैं उनमें वे ही नियम लागू किये जाने चाहिएं जिनके तहत विकल्प दिया गया था।

137.12 आवंटियों को आवंटित मकानों के अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरण/बेचान तथा उनके पंजीयन की व्यवस्था में सरलीकरण बाबत।

मण्डल के सम्पदा विनिमय के प्रस्ताव पर मंडल की 100 वीं बैठक व 124 वीं बैठक में पूर्व में लिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विचार कर निम्न निर्णय लिये गये :-

1- राजस्थान आवासन मण्डल में सम्पदा विनिमय के लिए एक कक्ष स्थापित कर लिया जावे जिसके माध्यम से आवासन मण्डल के मकान बेचने व लेने वालें की सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जावे।

2- किराया क्रय पद्धति वाले मकानों का हस्तान्तरण/बेचान :-

अब तक नकद भुगतान पद्धति वाले आवंटी ही पूरा मकान भुगतान होने के बाद ही आवंटित सम्पदा को किसी अन्य को स्थानान्तरित कर सकता था। इससे मंडल द्वारा निर्मित सम्पदाएं ऐसे कई लोगों को हस्तान्तरित हो जाती थीं जिनके पास पहले से सम्पदा होती थी। मण्डल को पूरा पैसा मिलने के कारण मण्डल ऐसे क्रेताओं की पात्रता नहीं देख पाता था। मण्डल के पास बड़ी संख्या में पंजीकृत

शेष पृ. सं. 12 पर

व्यक्ति प्रतीक्षारत हैं। ऐसे लोगों को सम्पदा का हस्तान्तरण हो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये निर्णय लिया गया कि अब बोर्ड से प्राप्त मकान को किराया क्रय पद्धति का आवंटी भी किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति को बेच सकेगा। इस प्रकार के हस्तान्तरणों की निम्न शर्तें होगी :-

(i) किराया क्रय पद्धति के आधार पर ऐसा मकान उसी क्रेता को हस्तान्तरित हो सकेगा जो पहले से राजस्थान आवासन मण्डल में पंजीकृत हो।

(ii) मकान क्रय करने वाला व्यक्ति अपनी आय वर्ग से एक श्रेणी ऊंचे या नीचे वाले वर्ग तक का मकान खरीद सकेगा जैसे मध्यम आय वर्ग "ब" वाला व्यक्ति मध्यम आय वर्ग "अ" व उच्च आयवर्ग की श्रेणी के मकान खरीद सकेगा। जिस आय वर्ग का वह मकान खरीदेगा उस पर उसी आयवर्ग के लिये निर्धारित ब्याज दर लगेगी। मकान के हस्तान्तरण की अनुमति देने के बाद शेष साझेदारी किश्तें, लीजरनी तथा अन्य प्रभार क्रेता को देने होंगे।

(iii) मण्डल द्वारा इस प्रकार के हस्तान्तरण/बेचान के सम्बन्ध में निम्नानुसार शुल्क, प्रशासनिक शुल्क के रूप में आवंटी या क्रेता द्वारा जमा कराये जाने पर हस्तान्तरण/बेचान की अनुमति प्रदान की जा सकेगी :-

(अ) यदि हस्तान्तरण/बेचान कब्जा लेने की तारीख से :-

क-	एक वर्ष की अवधि में किया जाता हो तो	मकान की कीमत का 7 प्रतिशत
ख-	एक वर्ष के बाद किन्तु 5 वर्ष की अवधि में किया जाता हो तो	मकान की कीमत का 5 प्रतिशत
ग-	5 वर्ष के बाद किन्तु पंजीयन से पूर्व किया जाता हो तो	मकान की कीमत का $2-\frac{1}{2}$ प्रतिशत

शेष पृ. सं. 13 पर

(ब) यदि मकान का पंजीयन मूल आवंटी के नाम हो जाने के बाद किया जाता हो तो-

क- उच्च आयवर्ग व मध्यम आयवर्ग के आवंटियों द्वारा 500/- रू.

ख- अल्प आयवर्ग व आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग वाले आवंटियों द्वारा 250/-

(iv) मकान क्रय करने वाले व्यक्ति को मण्डल में निर्धारित प्रपत्र में एक अण्डर टेकिंग देनी होगी कि वह भविष्य में प्रोच बनी हुई किश्तें, मण्डल को देय अन्य राशि तथा लीजमनी जमा करायेगा तथा उसे नया लीज एग्रीमेंट भरना होगा।

(v) इस प्रकार के हस्तान्तरण के फलस्वरूप मूल आवंटी तथा क्रेता दोनों का ही मण्डल में पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा, और यह स्पष्ट कर दिया जायेगा कि वे मण्डल में भविष्य में पंजीकरण नहीं करा सकेंगे।

3- नकद भुगतान पद्धति से आवंटित मकानों का विक्रय।

(अ) मण्डल में मकान आवंटन हेतु पंजीकृत व्यक्तियों को विक्रय:-

नकद भुगतान पद्धति से मकान लेने वाला मूल आवंटी किसी भी समय राजस्थान आवासन मण्डल के प्रतीक्षारत पंजीकृत आवेदक को निम्न प्रशासनिक शुल्क देकर आवास के हस्तान्तरण की मण्डल से स्वीकृति कभी भी प्राप्त कर सकता है :-

क- उच्च आयवर्ग एवं मध्यम आयवर्ग वाले आवंटी 500/- रू.

ख- अल्प आयवर्ग एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग वाले आवंटी 250/- रू.

शेष पृ. सं. 14 पर

शर्तें:--

(i) मकान क्रय करने वाले व्यक्ति अर्थात हस्तान्तरिति द्वारा मण्डल में निर्धारित प्रपत्र में एक अण्डर टेकिंग देनी होगी कि वह भविष्य में मण्डल को देय प्रभार तथा लीजमनी जमा करायेगा।

(ii) इस प्रकार के हस्तान्तरण के फलस्वरूप मूल आवंटी तथा क्रेता दोनों का ही मण्डल में पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा और यह स्पष्ट कर दिया जायेगा कि वे मण्डल में भविष्य में पंजीकरण नहीं करा सकेंगे।

(iii) यदि मकान का पंजीयन विक्रेता के हक में नहीं हुआ है तो मण्डल क्रेता के हक में सीधा पंजीयन करा सकेगा।

(ब) अन्य व्यक्ति को विक्रय :--

(iv) सकद भुगतान पद्धति में मण्डल से मकान लेने वाले आवंटी उन व्यक्ति को जो मण्डल में मकान लेने हेतु पंजीकृत नहीं हैं मकान का हस्तान्तरण करता है तो मण्डल की 124 वीं बैठक के अनुसार निश्चित शर्तों पर हस्तान्तरण कर सकता है।

(v) मकान लेने के 3 वर्ष पूर्व कोई हस्तान्तरण नहीं होगा। उसके बाद मूल आवंटी अपने पक्ष में विक्रय प्रलेख पत्र पंजीयन कराने के बाद ही बेचान कर सकेगा। बेचान करने से पूर्व आवंटी/क्रेता द्वारा निम्न शुल्क मण्डल को देना होगा :-

क- मूल आवंटन से चतुर्थ वर्ष की अवधि में	आवास/फ्लेट/भवन की मूल आवंटन राशि का 10 प्रतिशत।

शेष पृ.सं. 15 पर

ख-	मूल आवंटन से पंचम वर्ष में।	आवास/फ्लेट/भवन की मूल आवंटन राशि का 7-$\frac{1}{2}$- प्रतिशत।
ग-	मूल आवंटन से षष्ठम वर्ष में।	आवास/फ्लेट/भवन की मूल आवंटन राशि का 5 प्रतिशत।
घ-	मूल आवंटन से सप्तम वर्ष में।	आवास/फ्लेट/भवन की मूल आवंटन राशि का 2 प्रतिशत।
ङ-	मूल आवंटन से अष्टम वर्ष में।	कुछ नहीं।

(vi) क्रेता द्वारा लीज की राशि तथा बोर्ड को देय अन्य राशि जमा कराने हेतु निश्चित प्रपत्र में एक अण्डर टेकिंग देनी होगी।

यह भी निर्णय लिया गया कि मण्डल की 127 वीं बैठक के बिन्दु सं. 127.17(4) के आधार पर प्रसारित कार्यालय आदेश क्रमांक 584 दिनांक 6.12.86 के सम्बन्ध में यह दुरूस्ती कर दी जावे कि वह आदेश मण्डल में पंजीकरण के हस्तान्तरण से संबंधित है न कि मकान के हस्तान्तरण/बेचान से।

137.13 Loan from Hudco for EWS Housing Scheme Ph.IV, at Naka Madar, Ajmer (Scheme No.5410).

लेखाधिकारी/ शासन अभियंता कार्यालय-द्वितीय

प्रस्तावानुसार उपरोक्त योजना जिसके लिए हुडको ने 67.09 लाख रूपये का ऋण स्वीकृत किया है, उसे हुडको की शर्तों पर प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

137.14 Loan from Hudco for EWS Housing Scheme at Ph X Chopasani Road Extn. Jodhpur (Scheme No.5414).

लेखाधिकारी/ शासीय अभियंता कार्यालय-द्वितीय

उपरोक्त योजना के लिए हुडको द्वारा 29.85 लाख रूपये का ऋण

शेष पृ.सं. 16 पर

स्वीकृत किया गया। उसे हुडको की शर्तों पर प्राप्त करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

137.15 Agenda Note by circulation No.79 regarding payment of Bonus/ Ex-gratia for the year 1986-87.

मुख्यलेखाधिकारी/ कार्मिक प्रबन्धक

वर्ष 1986-87 के लिए बोर्ड के कर्मचारियों/अधिकारियों को बोनस/ अनुग्रह राशि दिये जाने के सम्बन्ध में अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव के अनुरूप की गई कार्यवाही की बाबत द्वारा पुष्टि की गई।

137.16 Agenda Note by circulation No.80 regarding Operational Financing Support by HUDCO.

मुख्यलेखाधिकारी/ आवासीय अभियंता मुख्यालय-द्वितीय

प्रस्तावानुसार अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव हुडको द्वारा दो करोड़ रुपये की राशि "आपरेशनल फाइनेन्शियल असिस्टेन्स" के रूप में प्राप्त करने की पुष्टि की गई।

137.17 Agenda Note by circulation No.81 regarding loan from HUDCO for land acquisition scheme at Sanganer Town Jaipur (Scheme No. 4536)

मुख्यलेखाधिकारी/ आवासीय अभियंता मुख्यालय-द्वितीय

सांगानेर टाऊन, जयपुर योजना के लिए प्रस्तावानुसार स्कीम नं. 4536 जिसके अन्तर्गत हुडको से सांगानेर की भूमि अवाप्ति हेतु 239.75 लाख रुपये का ऋण चाहा गया था और जिसके तहत 125.74 लाख रु. का ऋण स्वीकृत हुआ है के सम्बन्ध में अनुक्रमानुसार अनुमोदित प्रस्ताव पर की गई कार्यवाही की पुष्टि की गई।

शेष पृ.सं. 17 पर

137.18 मण्डल की विभिन्न समितियों के निर्णयों का अवलोकन।

मण्डल की विभिन्न समितियों के निर्णय जो बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये गये, का बोर्ड द्वारा अवलोकन किया गया :-

1- दिनांक 14-9-87 एवं 2-11-87 को आयोजित सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक के निर्णय।

2- दिनांक 17-9-87 एवं 9-10-87 को आयोजित अपीलीय समिति की बैठक के निर्णय।

3- दिनांक 6-10-87 को आयोजित कनिष्ठ चयन समिति की बैठक के निर्णय।

-:अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:-

137.19 Rationalisation of Allowances, perquisites and benefits to the employees of the Board.

मण्डल के समक्ष ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राईजेज, राजस्थान सरकार से प्राप्त परिपत्र क्रमांक एफ-9/बी/815सीएसई/84/पार्ट-11/4015 दिनांक 31 अक्टूबर, 87 विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। यह प्रस्तावित किया गया कि उपरोक्त परिपत्र में दी गई निर्देशिका के अनुरूप बोर्ड में भी सी. सी. ए. कन्वेयन्स अलाउन्स व यात्रा भत्ता के प्रावधानों को प्रस्तावानुसार 1-6-87 से प्रभावी कर दिये जावें। सर्वसम्मति से इसका अनुमोदन किया गया।

मंडल के समक्ष "मकान किराया भत्ता" तथा "मेडीकल अटेन्डेन्स बेनीफिट्स" के सम्बन्ध में नीचे वर्णित संशोधनों के साथ स्वीकार करने की अनुशंसा की गई और निम्नानुसार निर्णय लिए गए :-

शेष पृ. सं. 18 पर

8.8 मकान किराया भत्ता :

मण्डल को यह बतलाया गया कि मण्डल में 1.9.83 से ही राज्य सरकार के कर्मचारियों से कुछ भिन्न पेटर्न पर मकान किराया भत्ते के नियम प्रभावी हैं। यह बताया गया कि कर्मचारियों की 1978-79 से वेतन श्रृंखला में सुधार करने संबंधी चल रही मॉग को ध्यान में रखते हुए भी पूर्व में राज्य सरकार, राजकीय उपक्रम विभाग ने 1-9-83 से राज्य सरकार के कर्मचारियों से भिन्न निम्न दरों पर मकान किराया भत्ता मण्डल कर्मचारियों को देने का निर्णय लिया था :-

1-	जयपुर व जोधपुर में	12-$\frac{1}{2}$- प्रतिशत
2-	दूसरे जिलों के मुख्यालयों पर	10 प्रतिशत
3-	जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त नगरों में	7-$\frac{1}{2}$- प्रतिशत

अध्यक्ष ने बताया कि मंडल के कर्मचारियों की मांग अधिक वेतन तथा मकान किराया की थी जिस पर विचार कर राजकीय उपक्रम विभाग ने मकान किराये में राज्य कर्मचारियों से अधिक मकान किराया मंडल के कर्मचारियों को दिया तथा वेतनमान राज्य कर्मचारियों के ही रखे। मण्डल की बैठक में प्रस्तावित किया गया कि राज्य सरकार द्वारा दी गई निर्देशिका में प्रदत्त दरों से 2-$\frac{1}{2}$- से 3 प्रतिशत दर वृद्धि कर कर्मचारियों को 1.6.87 से निम्नानुसार मकान किराया भत्ता स्वीकृत कर दिया जाना चाहिए :-

		निर्देशिका में दी गई दर	मण्डल कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित दर
1-	जयपुर व जोधपुर	12 प्रतिशत	15 प्रतिशत
2-	जिला मुख्यालयों पर	9 प्रतिशत	12 प्रतिशत
3-	जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त नगरों में	7 प्रतिशत	10 प्रतिशत

शेष पृ. सं. 19 पर

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मण्डल अध्यक्ष इस बिन्दु पर राज्य सरकार/ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टर प्राईजेज को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दें व राज्य सरकार के निर्णय के बाद यह मामला विचारार्थ मण्डल की बैठक में पुनः रखा जावे।

मेडीकल अटेन्डेन्स बेनीफिट्स :

बोर्ड के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि बोर्ड ने अपने कर्मचारियों को एक्स-रे व अन्य प्रकार की चिकित्सकीय जाँच कुछ निजी (प्राईवेट) क्लिनिक्स से करवाने व उनके पुनर्भरण की सुविधा पहले से ही दी हुई है। उक्त परिपेक्ष में प्रस्तावानुसार यह निर्णय लिया गया कि ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राईजेज द्वारा दी गई निर्देशिका के अनुसार नवीन मेडीकल एटेन्डेन्स बेनीफिट्स बोर्ड में प्रभावी कर दिये जावें व एक्स-रे व अन्य टैस्ट (जाँच) प्राईवेट क्लिनिक्स में करवाने की छूट व उसके पुनर्भरण का लाभ पूर्वानुसार प्रभावी रखा जावे।

137.20 राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 के तकनीकी शिड्यूल में संशोधन बाबत।

प्रस्तावानुसार यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार (ए-II) विभाग के नोटिफिकेशन क्र0 एफ-7/(1)/डीओपी/ए-II/75 दिनांक 7-12-85 के अनुरूप राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम, 1976 के तकनीकी शिड्यूल के क्रम सं. 2 में परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) से परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित 50 प्रतिशत कोटे में से भविष्य में 20 प्रतिशत पद डिग्रीधारी परियोजना अभियन्तागण (कनिष्ठ) से तथा 30 प्रतिशत पद डिप्लोमाधारी परियोजना अभियन्तागण (कनिष्ठ) से पदोन्नति द्वारा भरे जावें। साथ साथ ही राजस्थान

शेष पृ. सं. 20 पर

आवासन मण्डल कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम, 1976 के तकनीकी शिड्यूल के क्रम सं. 2 पर जहां सेवानुभव का उल्लेख किया गया है उसके सम्बन्ध में विचार विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि डिप्लोमा-धारी परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) को 7 वर्ष व डिग्रीधारी परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) को 3 वर्ष का कार्यानुभव बोर्ड में कार्य करने का होना आवश्यक होगा। यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 के तकनीकी शिड्यूल में उपरोक्तानुसार संशोधन कर दिया जावे।

137.21 मण्डल में ड्राईवर के पदों के सृजन बाबत।

कार्मिक प्रबन्धक

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुये मण्डल में अभी न तो नये वाहन खरीदे जावें और न ही ड्राइवरों के नये पदों का सृजन किया जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि कालिटी कन्ट्रोल खण्ड जयपुर तथा जोधपुर को आवश्यकतानुसार वाहन किराये पर लेने की अनुमति दे दी जावे।

137.22 आवासन मण्डल की कालोनीज में धार्मिक स्थान सुरक्षित करने हेतु।

ए. टी. पी.
समस्त उप आवासन आयुक्त

प्रस्ताव पर विचार करते हुये यह सोचा गया कि उपभोक्ताओं की धार्मिक प्रवृति को ध्यान में रखते हुये यह उचित रहेगा कि बोर्ड धार्मिक स्थानों के लिये अपनी बस्तियों में प्रारम्भ से ही उचित स्थान का प्रावधान करे ताकि अवैध रूप से धार्मिक स्थानों का निर्माण न हो। विस्तृत विचार के बाद निर्णय लिया गया कि सामुदायिक उपयोग के लिये कालोनी में रखी गई भूमि में से धार्मिक स्थानों यथा मंदिरों आदि के निर्माण के लिये भूमि प्रस्तावित कर निम्न दरों के आधार पर दी जावे :-

(अ) 200 वर्गमीटर तक योजना की सुरक्षित दर का 25 प्रतिशत

शेष पृ. सं. 21 पर

(ब)	200 वर्ग मीटर से अधिक एवं 400 वर्गमीटर तक (अधिक भूमि का)	योजना की सुरक्षित दर का 50 प्रतिशत
(स)	400 वर्ग मीटर से 600 वर्गमीटर (अधिक भूमि का)	योजना की सुरक्षित दर का 75 प्रतिशत
(द)	600 वर्गमीटर से 1000 वर्गमीटर तक (अधिक भूमि का)	योजना की सुरक्षित दर पर।

यह भी निर्णय लिया गया कि जो भूमि मंदिर आदि के लिये आवंटित की जावे उसकी सीमा पर चारदीवारी बनाने के लिये सम्बन्धित आवंटी/संस्था से दीवार बनाने में लगने वाली राशि अग्रिम रूप में प्राप्त की जावे और चारदीवारी बनाकर ही ऐसी भूमि का कब्जा सम्बन्धित आवंटी/संस्था को दिया जावे। इस परिपेक्ष्य में निम्न निर्णय लिये गये:-

1- इस जमीन के आवंटन हेतु कालोनी निवासियों की पंजीकृत समिति बनानी होगी एवं यह जमीन पंजीकृत समिति को ही आवंटित की जा सकेगी। समिति द्वारा आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए अलग से नियम बनाये जा सकते हैं।

2- जहां तक मंडल की भूमि पर बने हुए मंदिरों के वर्तमान ढांचों का प्रश्न है, जनता और अधिक जमीन पर कब्जा न करे अत: आवश्यक है कि ऐसे सभी स्थानों का सर्वे करवाकर प्रत्येक स्थान के लिए दी जाने वाली जमीन का क्षेत्रफल नियत कर लिया जावे एवं सम्बन्धित लोगों को उसकी लागत जमा कराने हेतु लिख दिया जावे।

3- उस स्थान पर आसपास अधिक अतिक्रमण न हो अत: नक्शा बनाकर उसके आसपास बोर्ड दुकानें बना दे ताकि उनके बेचान से बोर्ड को भी कुछ आर्थिक फायदा हो सके।

शेष पृ.सं. 22 पर

/137.23 बोर्ड की कालोनीज में शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

ए. टी. पी.
समस्त उप आवासन आयुक्त

(1) प्रस्ताव पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि मंडल को सभी कालोनीज में नीचे दिये गये मापदंड के आधार पर सरकारी भवनों के लिये भूमि छोड़नी चाहिये :-

प्राथमिक स्कूल	प्रति 5 हजार आबादी पर	एक से कम एक, यदि आबादी कम हो।
उच्चतर माध्यमिक स्कूल	प्रति 20 हजार आबादी पर	
डिस्पेंसरी	प्रति 15 हजार आबादी पर	
सामुदायिक केन्द्र	प्रति 15 हजार आबादी पर	

यदि राज्य सरकार उपरोक्त आधार पर शिक्षण संस्थाएं व चिकित्सा संस्थाएं खोलने की सहमति दे दे तो उनके भवन मंडल द्वारा बनाये जायेंगे। सरकारी चिकित्सालय,, शिक्षण संस्थाओं एवं सामुदायिक केन्द्र के लिये रखी जाने वाली उपरोक्त भूमि उपयोगी क्षेत्र नहीं मानी जायेगी और ऐसे भवनों की लागत का भार योजना की बाकी बची भूमि पर डाला जायेगा।

(2) मंडल की पुरानी कालोनीज में सामुदायिक सुविधाओं के लिये निम्न मापदंड स्वीकार किये गये :-

प्रति 4 से 5 हजार आबादी के लिये	6 से 10 दुकानें
प्रति 15 से 20 हजार आबादी के लिये	लोकल शॉपिंग सेन्टर
प्रति 1 लाख आबादी के लिये	डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेन्टर
प्रति 2 से 5 लाख आबादी के लिये	सेंट्रल बिजनिस डिस्ट्रिक्ट

शेष पृ. सं. 23 पर

कालोनीज में लोकल सेन्टर तथा डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेन्टर का प्रावधान तो अवश्य किया जावे साथ ही साथ छोटी छोटी दुकानें भी हर सेक्टर में बना दी जानी चाहिये ताकि बोर्ड को पर्याप्त धन भी प्राप्त हो तथा मकानों में दुकानें खोलने की जो प्रवृत्ति लोगों में है वह भी बंद हो। शॉपिंग सेन्टर से जो आमदनी होगी वह पुरानी कालोनीज में उपरोक्त सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये उपयोग में ली जायेंगी।

सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण व संचालन में बोर्ड की कालोनीज में नागरिकों को भागीदार बनाने की दृष्टि से निम्न निर्णय भी लिये गये :-

अ- नागरिक/कालोनी निवासी, अपनी एक समिति बनायेंगे जिनसे सदस्यता शुल्क लिया जायेगा।

ब- आवासन मण्डल सामुदायिक केन्द्र के लिये नागरिकों को जमीन निशुल्क देगा।

स- उपरोक्त समिति सदस्यता शुल्क एवं जमीन के पेटे ऋण लेकर सामुदायिक केन्द्र का निर्माण करायेगी।

द- शादी आदि के अवसरों पर सामुदायिक केन्द्र किराये से देने के लिये समिति द्वारा किराया तय किया जाएगा।

य- समिति में आवासन मण्डल का पूर्ण प्रतिनिधित्व होगा एवं सम्बन्धित आवासीय अभियन्ता, समिति के अध्यक्ष होंगे तथा अन्य पदाधिकारियों के चुनाव समिति के सदस्यगण करेंगे।

यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त व्यवस्था के लिये अलग से नियम बना लिये जावें।

शेष पृ.सं. 24 पर

137.24 नकद भुगतान पद्धति के कोटे को अग्रनयन करने के सम्बन्ध में।

प्रस्तावानुसार विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि मंडल को कुबेर योजना के पंजीकृत आवेदकों को नकद भुगतान पद्धति में मकान लेने वालों के कोटे में शामिल माना जावे। चूँकि मंडल द्वारा बनाये जाने वाले मकानों में से 45 प्रतिशत मकान नकद भुगतान पद्धति में आवंटित किये जा सकते हैं, यह भी निर्णय लिया गया कि जो व्यक्ति कुबेर योजना में पंजीकृत हैं या सामान्य पंजीकरण योजना के तहत नकद भुगतान पद्धति से मकान प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें उनकी अलग प्राथमिकता के आधार पर उनके लिये अलग से बनाये गये मकानों का आवंटन किया जा सकता है। ऐसा करने से किराया क्रय पद्धति से मकान लेने वाले आवंटियों का प्रतिशत पूर्व की तरह 55 प्रतिशत ही रहेगा।

सचिव
आवासन अधिकारी

इस हेतु यह निर्णय लिया गया कि बैंक, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया, राष्ट्रीय आवास बैंक, हुडको आदि वित्तीय संस्थाओं से 5 वर्ष या उससे कम समय में भुगतान किये जाने वाला ऋण लेकर मण्डल यदि मकान बनाता है तो ऐसे मकान 100 प्रतिशत आधार पर नकद भुगतान पद्धति से आवंटित किये जावें। यदि पहले से किराया क्रय पद्धति हेतु पंजीकृत आवेदक इन मकानों को लेने का विकल्प देते हैं तो उसी वर्ष के नकद भुगतान पद्धति से विकल्प वाले आवेदकों को मकान देने के बाद ऐसे आवेदकों को भी इस सुविधा का लाभ दिया जा सकेगा।

137.25 स्वावित्त पोषित योजना के आवेदकों का पंजीकरण, पूर्व की स्थिति में बरकरार रखने के सम्बन्ध में।

आवासन अधिकारी
समस्त उपआवासन आयुक्त

प्रस्तावानुसार विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि मंडल को स्वावित्त पोषित/पारिजात योजना में आवंटन हेतु अपना नाम अंकित कराने वाले किसी भी आवंटी का सामान्य पंजीकरण किसी भी श्रेणी में

शेष पृ.सं. 25 पर

में है । तब तक यथावत रखा जावे जब तक कि उसे स्ववित्त पोषित/पारिजात योजना में मकान बनाकर उपलब्ध नहीं करवा दिया जाता।

इस स्थिति में यदि ऐसा कोई आवेदक जिसने स्ववित्त पोषित/पारिजात योजना में आवेदन कर कुछ किश्तें जमा करा दी हैं और बाकी किश्तों में चूक कर देता है तो उसके संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी:-

1- यदि वह व्यक्ति स्ववित्त पोषित/पारिजात योजना से अपना नाम वापिस लेना चाहता है तो उसका सामान्य पंजीकरण यथावत रखा जायेगा किन्तु उस द्वारा जमा कराई गई राशि का ब्याज उस दिन तक का देय नहीं होगा जब तक कि वह सामान्य पंजीकरण के तहत मकान प्राप्त करने के लिये अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करता।

2- अगर स्ववित्त पोषित/पारिजात योजना में कोई आवेदक किश्तें जमा कराता है और उसी समय उसे सामान्य पंजीकरण में उसकी वरीयता के आधार पर आवंटन हेतु मकान उपलब्ध हो जाता है तो उस व्यक्ति को सामान्य वरीयता के आधार पर मकान का आवंटन कर दिया जाना चाहिये। स्ववित्त पोषित योजना में बनने वाला मकान जब पूर्ण होगा तब सामान्य योजना में नकद भुगतान पद्धति हेतु उपलब्ध करवा दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में भी उस तारीख तक जब तक इस प्रकार का आवंटी सामान्य पंजीकरण योजना में मकान लेने का आवेदन करता है, उसके द्वारा स्ववित्त पोषित/पारिजात योजना के अन्तर्गत जमा कराई गई राशि का ब्याज देय नहीं होगा।

137.26 मण्डल द्वारा छोटे स्थानों पर मकान बनाने सम्बन्धी नीति।

प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात निम्न निर्णय लिये गये :-

शेष पृ.सं. 26 पर

आवासन
आयुक्त (मुख्यालय)
लेखाधिकारी
अवाप्ति अधिकारी

1- सुनेल व भवानीमंडी :-

सुनेल तथा भवानीमंडी में पानी उपलब्ध नहीं है और पंजीयन की सीमित संख्या देखते हुए वहां बडे उपनगर भी नहीं बन सकते। चूंकि दोनों ही स्थानों पर भूमि उपलब्ध हो चुकी है, अतः अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थल निरीक्षण तथा आवेदकों से बातचीत के बाद निम्न विकल्पों में से किसी भी विकल्प पर निर्णय लिया जावे :-

अ- भूमि का विभाजन कर आवेदकों को विकसित प्लाट उपलब्ध कराया जिये जावें।

ब- यदि भूमि को विकसित कराया जाना संभव प्रतीत न हो तो अविकसित प्लाट भी आवेदकों को आवंटित कर दिये जावें, बशर्ते कि आवेदक अविकसित प्लाट लेने के लिये सहमत हों।

स- यदि [illegible] पर दिये गये विकल्प अंशिक प्रतीत होते हों तो आवेदकों को उनके द्वारा जमा कराई गई राशि ब्याज सहित बिना किसी प्रकार की कटौती किये हुये लौटा दी जावे, और भूमि का निस्तारण या तो नगरपालिका को देकर या अन्य प्रकार से जो मुनासिब समझा जावे, कर दिया जावे। इस स्थिति में ब्याज की दर निम्नानुसार होगी :-

प्रथम तीन वर्ष की अवधि के लिये	6 प्रतिशत साधारण ब्याज
तीन वर्ष से 5 वर्ष की अवधि के लिये	8 प्रतिशत साधारण ब्याज
5 वर्ष से अधिक अवधि के लिये	10 प्रतिशत साधारण ब्याज

2- हिण्डौन व गेंडता

इन स्थानों का अध्यक्ष, आवासन मंडल निरीक्षण करले और पंजीकृत व्यक्तियों से जिस स्थान पर राजस्व विभाग की मंडल को मिलने वाली भूमि है। उसमें

शेष पृ.सं. 27 पर

लेने के विकल्प मांग लिये जायें अगर वे विकल्प दें तो योजना ली जावे अन्यथा मेड़ता व हिण्डौन की आवासीय योजना को अन्तिम रूप से छोड़ दिया जावे और आवेदकों को उनके द्वारा जमा कराई गई राशि बिना किसी कटौती के निम्नानुसार ब्याज दर सहित लौटा दी जावे:-

प्रथम तीन वर्ष की अवधि के लिये	6 प्रतिशत साधारण ब्याज
तीन वर्ष से 5 वर्ष की अवधि के लिये	8 प्रतिशत साधारण ब्याज
5 वर्ष से अधिक अवधि के लिये	10 प्रतिशत साधारण ब्याज

3- नौहर

निर्णय लिया गया कि नौहर के आवेदकों द्वारा जमा कराई गई राशि को हिन्डौन के संबंध में लिये गये निर्णयानुसार अविलम्ब वापिस कर दी जावे।

137.27 ड्राइंग सैक्शन को अप-ग्रेड करने के सम्बन्ध में।

प्रबन्धक इस बिन्दु पर विचार स्थगित रखा गया।

137.28 Amendment in schedule 'planning' of Rajasthan Housing Board Employees condition of Recruitment & promotion Regulation 1976.

प्रबन्धक विचार स्थगित रखा गया।

137.29 व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेने के सम्बन्ध में।

अधिकारी प्रस्तावानुसार यह निर्णय लिया गया कि जवाहर नगर शॉपिंग सेन्टर में 232 दुकानों के बनाने के लिये 16.5 प्रतिशत की दर पर और प्रस्ताव में वर्णित शर्तों के अनुरूप आंध्रा बैंक से 24.3 लाख रू. का ऋण ले लिया जावे। बैंक के साथ अन्य बाकी शर्तें तय करने के लिये

प्रस्ताव पृष्ठ सं. 28 पर

मंडल के अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया। साथ ही साथ यह भी सुझाव दिया गया कि इसे अंतिम रूप देने से पहले एक बार यह भी देख लिया जाये कि क्या हुडको से वाणिज्यिक योजना के लिये और बेहतर शर्तों पर लाभान्वित करने की संभावना से अतिरिक्त लाभ उपलब्ध हो सकता है।

137.30 आवंटन के नियमों को युक्ति संगत बनाने के सन्दर्भ में।

सचिव
आवासन अधिकारी

प्रस्ताव पर विचार करते हुये यह महसूस किया गया कि आवंटन पत्र को राशि जमा कराने में चूक होने, पंजीकरण के निरस्तीकरण के बाद में भुगतान व कब्जा देरी से लेने के बारे में शास्ति की जो दरें वर्तमान में प्रचलित हैं वे युक्तिपूर्ण नहीं हैं तथा काफी अधिक हैं। कई मामलों में तो लगाई जा रही शास्ति प्रोपरटी रेगूलेशन 1970 के प्रावधानों के विपरीत भी हैं। अतः विस्तृत विचार के बाद निम्न निर्णय लिये गये:-

ब्याज के

1- आवंटन पत्र की राशि जमा कराने में चूक करने वाले आवेदकों से ली जाने वाली शास्ति।

एक मासिकी चूक की स्थिति में आवेदक से उसके आय वर्ग के ब्याज से 2 प्रतिशत अधिक ब्याज लिया जायेगा। इससे अधिक चूक के लिये ब्याज की दर प्रतिमाह 2 प्रतिशत और अधिक ली जायेगी और यह क्रम आवंटन निरस्त किये जाने तक चलता रहेगा। मौजूदा ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुये निम्न तालिका के अनुरूप चूक की राशि का ब्याज लिया जायेगा :-

शेष पृ.सं. 29 पर

आयवर्ग	सामान्य ब्याज दर	ब्याज दर एक माह की चूक के लिये	दूसरे माह के लिये	दो माह से अधिक चूक के लिये।
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	9	11	13	प्रतिमाह के लिये 2 प्रतिशत बढ़ाकर
अल्प आयवर्ग	10	12	14	प्रतिमाह के लिये 2 प्रतिशत बढ़ाकर
मध्यम आयवर्ग "अ"	13	15	17	प्रतिमाह के लिये 2 प्रतिशत बढ़ाकर
मध्यम आयवर्ग "ब"	14	16	18	प्रतिमाह के लिये 2 प्रतिशत बढ़ाकर
उच्च आयवर्ग	15	17	19	प्रतिमाह के लिये 2 प्रतिशत बढ़ाकर

यदि ब्याज की दरें हुडको द्वारा बदली जाती हैं और बोर्ड भी उन्हें मान्यता देता है तो ऐसी संशोधित दरें सामान्य ब्याज दर मानी जायेगी और चूक की स्थिति में उपरोक्तानुसार प्रत्येक माह के लिए 2 प्रतिशत अधिक ब्याज लिया जायेगा।

2- नकद भुगतान पद्धति में आवंटन पत्र जारी होने की तारीख से आवेदक को राशि व दस्तावेज जमा कराने के लिये अधिकतम में 4 माह की अवधि न दी जाकर केवल 3 माह का ही समय दिया जायेगा। मंडल, अगले तीन माह तक आवंटी को बढ़े हुये ब्याज उपरोक्त दर के साथ रकम जमा कराने की छूट

शेष पृ. सं. 30 पर

देगा एवं इसके बाद आवंटन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। इसी प्रकार किराया क्रय पद्धति में आवंटित मकानों के लिये भी आवंटी को भविष्य में शास्ति अर्थात चढ़े हुये ब्याज के साथ रकम जमा कराने की छूट निर्धारित एक माह की अवधि के बाद केवल 2 माह की अवधि तक ही उपलब्ध होगी और इसके बाद आवंटन स्वतः ही रद्द समझा जायेगा। मण्डल में लम्बित ऐसे सभी प्रकरण अब उपरोक्त प्रक्रिया के अनुरूप निष्पादित किये जायेंगे।

3- पंजीकरण के निरस्तीकरण की स्थिति में ब्याज के भुगतान के सन्दर्भ में।

पंजीकरण के निरस्तीकरण की स्थिति में आवंटी को पंजीकरण राशि का 20 प्रतिशत काट कर शेष पंजीकरण राशि वापिस करने का प्रावधान है। सीडमनी पर ब्याज देने या उसमें से कटौती करने के प्रावधान सम्बद्ध नहीं है। अतः विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि आवेदक द्वारा जमा कराई गई सीडमनी की राशि पर भी निम्नानुसार ब्याज दिया जायेगा:-

अ- यदि पंजीकरण का निरस्तीकरण आवेदक ने स्वयं अपने कारणों से कराया है तो उसे सीडमनी पर 6 प्रतिशत साधारण ब्याज ही देय होगा।

ब- यदि मंडल द्वारा किसी विशेष कारण से जैसे भूमि उपलब्ध न होने के कारण या अन्य किसी कारण से पंजीकरण निरस्त किया जाता है तो पंजीकरण राशि में से कोई राशि नहीं काटी जायेगी बल्कि ब्याज भी निम्न दरों से दिया जायेगा :-

प्रथम तीन वर्ष की अवधि के लिये	6 प्रतिशत साधारण ब्याज
तीन वर्ष से 5 वर्ष की अवधि के लिये	8 प्रतिशत साधारण ब्याज
पाँच वर्ष से अधिक अवधि के लिये	10 प्रतिशत साधारण ब्याज

4- मांग राशि जमा कराने के बाद भी आवंटित मकान का कब्जा नहीं लेने वालों पर शास्ति।

शेष पृ.सं. 31 पर

(i) यह निर्णय लिया गया कि यदि आवेदक आवंटन पत्र में चाही गई राशि तो समय पर जमा करवा देता है लेकिन या तो दस्तावेज जमा न कराने के फलस्वरूप उसको कब्जा नहीं दिया जाता या आवेदक स्वयं कब्जा लेने में विलम्ब करता है तो उस स्थिति में निम्नानुसार शास्ति ही ली जायेगी :-

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग	0.50 रू. प्रतिदिन
अल्प आय वर्ग	0.50 रू. प्रतिदिन
मध्यम आय वर्ग "अ"	1.00 रू. प्रतिदिन
मध्यम आय वर्ग "ब"	1.50 रू. प्रतिदिन
उच्च आय वर्ग	2.00 रू. प्रतिदिन

(ii) जिन आवेदकों ने समय पर पैसे जमा नहीं कराये हैं उनसे शास्ति एवं ब्याज अलग से वसूल किया जाता है। अतः उन पर उपरोक्त शास्ति नहीं लगाई जायेगी।

5- किराया क्रय पद्धति पर मकान लेने वाले ऐसे आवंटियों के लिये जो अपनी देय किश्ते भी जमा नहीं कराते और मकान का कब्जा लेने में भी देरी करते हो।

ऐसे आवंटियों से देय किश्तों पर दंडनीय ब्याज के वसूल की जायेगी। साथ ही साथ कब्जा लेने में विलम्ब करने की अवस्था में निम्नानुसार शास्ति और लगाई जायेगी :-

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग	0.50 रू. प्रतिदिन
अल्प आय वर्ग	0.50 रू. प्रतिदिन
मध्यम आय वर्ग "अ"	1.00 रू. प्रतिदिन
मध्यम आय वर्ग "ब"	1.50 रू. प्रतिदिन
उच्च आय वर्ग	2.00 रू. प्रतिदिन

6- यदि आवेदी द्वारा डिमाण्ड-ड्राफ्ट या राजकीय चैक जो निर्धारित तारीख से पहले की तारीख का हो, प्रस्तुत किया जाय और ऐसा प्रस्तुतीकरण निर्धारित तिथि से 3 दिन की अवधि के अन्तर्गत हो तो उक्त राशि को समय पर जमा कराई हुई मानी जावेगी और राशि विलम्ब से जमा कराने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं लगाई जावेगी सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त को एक लाख तक के विलम्ब को कण्डोन (अनदेखा) करने का अधिकार होगा।

137.31 The Rajasthan Housing Board (Amendment) Oridiance 1987.

मण्डल ने उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार किया और Oridiance के प्रारूप का अनुमोदन किया। यह निर्णय लिया गया कि इसे राज्य सरकार की स्वीकृति के लिये भेज दिया जावे।

सचिव

तत्पश्चात धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(एन. के. रेड्डी)
सचिव,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

ओ. पी. वर्मा

92

91

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 138 वीं बैठक दिनांक 27.1.88 को मंडल मुख्यालय के बोर्ड कक्ष में श्री एम. एल. मेहता, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मंडल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

1-	श्री एम. एल. मेहता	अध्यक्ष
2-	श्री पी. बी. माथुर	शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3-	श्री एल. एन. यादव	उप शासन सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)
4-	श्री सी. एस. मेहता	मुख्य नगर नियोजक एवं वास्तुविद् सलाहकार
5-	श्री अखयराज	आवासन आयुक्त
6-	श्री एन. के. सेठी	सचिव

बैठक में निम्न अधिकारीगण भी उपस्थित थे :-

1-	श्री अब्दुल गतीन	उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय)
2-	श्री आर. के. शर्मा	मुख्यलेखाधिकारी

वित्त सचिव, राजस्थान सरकार आवश्यक शासकीय कार्यवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। उनका प्रतिनिधित्व श्री एल. एन. यादव, उप शासन सचिव, वित्त ने किया।

बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई :-

138.1 मंडल की 137 वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।

मंडल की 137 वीं बैठक दिनांक 5.12.87 एवं 9.12.87 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गई।

138.2 मंडल की 137 वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन।

मंडल की 137 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

138.3 मंडल का वर्ष 1988-89 का बजट।

मंडल का वर्ष 1987-88 का परिशोधित बजट एवं वर्ष 1988-89 का प्रस्तावित बजट विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। चूंकि बजट के अध्ययन तथा विस्तार से चर्चा के लिये कुछ समय की आवश्यकता होगी, अतः इस पर विचार आगामी बैठक के लिये स्थगित रखा गया।

138.4 आवास आवंटन हेतु कराये गये पंजीकरण का हस्तान्तरण मंडल के पंजीकृत आवेदकों को किये जाने हेतु।

मंडल की 137 वीं बैठक में मंडल द्वारा आवंटित मकानों के हस्तान्तरण/बेचान कतिपय शर्तों पर पंजीकृत आवेदकों एवं अन्य व्यक्ति को किये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया था। यह महसूस करते हुये कि कुछ पंजीकृत आवेदक अपने पंजीकरण का हस्तान्तरण अवैध रूप से पावर ऑफ एटार्नी द्वारा कर देते है, यह प्रस्तावित किया गया कि मंडल के पंजीकृत व्यक्तियों के बीच में पंजीकरण को विनिमय की स्वीकृति भी दे दी जानी चाहिये। प्रस्ताव के व्यवहारिक पक्ष को देखते हुये यह निर्णय लिया गया कि कुछ शर्तों सहित पंजीकृत आवेदकों को पंजीकरण दूसरे पंजीकृत आवेदक को हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति दे दी जावे। इस प्रकार के मामलों में निम्न शर्तें रखी जावे :-

1- पंजीकरण का हस्तान्तरण उसी स्थिति में किया जावे जबकि पंजीकरण क्रय करने वाला व्यक्ति मंडल की "पारिजात" या "कुबेर" योजना के अन्तर्गत पंजीकरण कराने के लिये अपनी सहमति प्रदान करता हो।

Secretary/
HO

94

92

2- पंजीकरण का हस्तान्तरण उस ही स्थिति में किया जावे जब वह पंजीकरण दो वर्ष से अधिक अवधि का हो। पंजीकरण हस्तान्तरण कराने वाला पंजीकृत आवेदक तब ही पंजीकरण हस्तान्तरण कराने योग्य होगा जबकि उसका मूल पंजीकरण एक वर्ष की अवधि से अधिक का हो गया हो।

3- पंजीकरण हस्तान्तरण कराने वाला पंजीकृत आवेदक अपने आय वर्गानुसार अथवा अपने आय वर्ग से एक वर्ग नीचे अथवा ऊपर का पंजीकरण हस्तान्तरण कराने के योग्य होगा। उदाहरण के लिये मध्यम आय वर्ग "ब" का पंजीकृत आवेदक मध्यम आय वर्ग "अ" अथवा उच्च आय वर्ग का पंजीकरण हस्तान्तरण करा सकेगा।

4- पंजीकरण हस्तान्तरण करने वाले व्यक्ति तथा पंजीकरण हस्तान्तरण कराने वाले दोनों की सहमति अनिवार्य होगी।

5- पंजीकरण हस्तान्तरण करने वाला व्यक्ति मंडल में पुनः आवास हेतु पंजीकरण कराने से वंचित रहेगा।

6- जिस व्यक्ति द्वारा पंजीकरण हस्तान्तरण कराया गया है उसके स्वयं के मूल पंजीकरण को निरस्त कर दिया जावेगा तथा उनका वह पंजीकरण भविष्य में मान्य होगा जो उन्होंने हस्तान्तरण कर लिया है। ऐसे व्यक्ति भी मण्डल में पुनः आवास हेतु पंजीकरण नहीं करा सकेंगे।

7- प्रत्येक पंजीकरण हस्तान्तरण हेतु सभी वर्गों के पंजीकृत आवेदकों द्वारा 500 रूपये प्रशासनिक शुल्क देय होगा। केवल आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों द्वारा पंजीकरण हस्तान्तरण की स्थिति में प्रशासनिक शुल्क 250 रूपये ही देय होगा।

8- पंजीकरण हस्तान्तरण उन्हीं पंजीकृत आवेदकों को हो सकेगा जो कुबेर या पारिजात का विकल्प देते हों।

138.5 पंजीकरण राशि की वापसी एवं ब्याज दरों में संशोधन हेतु।

प्रस्तावानुसार निर्णय लिया गया कि मंडल की 137 वीं बैठक के बिन्दु संख्या 137.8, 137.26 तथा 137.30 में देय ब्याज की राशि निम्नानुसार पढ़ी जावे :-

Secretary/HO

3 वर्ष की अवधि के लिये	6 प्रतिशत साधारण ब्याज
3 वर्ष से अधिक किन्तु 6 वर्ष तक की अवधि के लिये	8 प्रतिशत साधारण ब्याज
6 वर्ष बाद की अवधि के लिये	10 प्रतिशत साधारण ब्याज

138.6 ड्राइंग सैक्शन को अप-ग्रेड करने के संबंध में।

विचार स्थगित रखा गया।

138.7 Amendment in the Schedule planning of Rajasthan Housing Board Employees' Conditions of Recruitment and promotion Regulation 1976.

चूँकि इस प्रसंग पर राज्य सरकार के स्तर पर भी विचार किया जा रहा है, इस बिन्दु पर विचार स्थगित रखा गया। यह भी निर्णय लिया गया कि सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर यदि दो बार प्रयत्न करने पर भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुये है, तो इन पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने की कार्यवाही की जावे।

PM

138.8 CIS PH.I at Sect.V, Sanganer, Jaipur (Scheme No.5494)

विचारोपरान्त हुडको द्वारा स्वीकृत उपरोक्त स्कीम के लिये 137.39

96

95

लाख रूपये ऋण स्वरूप प्राप्त करने के प्रति अनुमोदन प्रदान किया गया और आवासन आयुक्त को मंडल के एक अन्य अधिकारी की मौजूदगी में ऋणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत किया गया।

138.9 CHS PH.I at Chopasani Road S.E. Extension, Jodhpur.

विचारोपरान्त हुडको द्वारा स्वीकृत उपरोक्त स्कीम के लिये 97.42 लाख रूपये ऋण स्वरूप प्राप्त करने के प्रति अनुमोदन प्रदान किया गया और आवासन आयुक्त को मंडल के एक अन्य अधिकारी की मौजूदगी में ऋणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत किया गया।

138.10 CHS PH.II, Sector.V Sanganer (Scheme No.5495)

विचारोपरान्त हुडको द्वारा स्वीकृत उपरोक्त स्कीम के लिये 103.94 लाख रूपये ऋण स्वरूप प्राप्त करने के प्रति अनुमोदन प्रदान किया गया। और आवासन आयुक्त को मंडल के एक अन्य अधिकारी की मौजूदगी में ऋणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत किया गया।

138.11 Administrative & Financial sanction for Composite Housing Ph.III at Goverdhan Vilas, Udaipur (Scheme No.5106)

प्रस्तावानुसार गोर्वधन विलास, उदयपुर स्कीम नम्बर 5106 जो 117.48 लाख रूपये की है के प्रति मंडल की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

138.12 Agenda Note by Circulation No.82 regarding special deposit of Rs. 5 Crores from U.T.I. (UTI)

प्रस्तावानुसार यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के प्रस्ताव में वर्णित शर्तों के अनुरूप पाँच करोड़ रूपये का ऋण प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई।

138.13 मण्डल की विभिन्न समितियों के निर्णयों की पुष्टि।

मण्डल की निम्न समितियों के निर्णयों की पुष्टि की गई :-

1- अपीलीय समिति की बैठक दिनांक 24.11.87

2- सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 8.12.87

3- परियोजना समिति की बैठक दिनांक 25.11.87

138.14 Loan from HUDCO for Composite Housing Scheme at Ph.VIII Adarsh Nagar, Beawar (Scheme No.5518)

विचारोपरान्त हुडको द्वारा स्वीकृत उपरोक्त स्कीम के लिये 128.68 लाख रूपये ऋण स्वरूप प्राप्त करने के प्रति अनुमोदन प्रदान किया गया और आवासन आयुक्त को मंडल के एक अन्य अधिकारी की मौजूदगी में ऋणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत किया गया।

138.15 Composite Housing Scheme Ph.II, Sect.III Sanganer Rajasthan (Scheme No.5496)

विचारोपरान्त हुडकों द्वारा स्वीकृत उपरोक्त स्कीम के लिये 88.30 लाख रूपये ऋण स्वरूप प्राप्त करने के प्रति अनुमोदन प्रदान किया गया और आवासन आयुक्त को मंडल के एक अन्य अधिकारी की मौजूदगी में ऋणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत किया गया।

138.16 Loan from HUDCO for Composite Housing Scheme Ph.IV at Goverdhan Vilas, Udaipur (Scheme No.5497)

विचारोपरान्त हुडको द्वारा स्वीकृत उपरोक्त स्कीम के लिये 148.07 लाख रूपये ऋण स्वरूप प्राप्त करने के प्रति अनुमोदन प्रदान किया गया और आवासन आयुक्त को मंडल के एक अन्य अधिकारी की मौजूदगी में ऋणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत किया गया।

138.17 आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के भूखण्डधारियों के लिये "गृहपति योजना" के नाम से पंजीकरण खोलने के संबंध में।

मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि :-

DY.HC(HC)

1- विभिन्न नगर विकास न्यास, नगर परिषदें एवं विकास प्राधिकरण आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के आवेदकों को सस्ती दरों पर भूखण्ड आवंटित करते है ये भूखण्ड जिन तबके/लोगों को आवंटित किये जाते हैं उनके पास पैसे की कमी होने के कारण वर्षों तक यह भूमि खाली पड़ी रहती है एवं जिस आवासीय समस्या को हल करने के उद्देश्य से ये संस्थाएँ सस्ती दरों पर इन लोगों को भूखण्ड उपलब्ध कराती है, वह वैसे की वैसे बनी रहती है।

2- अन्तर्राष्ट्रीय आवास वर्ष के अंतर्गत ऐसे भूखण्डधारियों के लिये मंडल द्वारा मकान बनाये जाना उचित होगा ताकि उनके भूखण्डों का उपयोग हो सके एवं आवासीय समस्या में सुधार हो सके। यह विशिष्ट योजना "गृहपति योजना" के नाम से लागू की जाना प्रस्तावित है।

3- इस योजना के भूखण्डधारियों के लिये निम्न शर्तों पर मकान बनाये जाने प्रस्तावित है :-

अ- भूखण्डधारियों को जमीन के पट्टे बोर्ड को समर्पित करने होंगे।

ब- इन भूखण्डों को भूखण्डधारियों द्वारा बोर्ड के पास गिरवी रखना होगा।

स- क्योंकि भूखंड हो सकता है, बोर्ड द्वारा तय की गयी माप से अधिक बड़े हो अतः बोर्ड जो भी निर्माण कार्य इन

भूखण्डों पर करेगा वह हुडको की सीमा के अन्तर्गत ही होगे। बोर्ड भूखण्डों की कोई लागत आर्चटी से वसूल नहीं करेगा।

4- क्योंकि ऐसे भूखण्डधारी इन भूखंडों को खरीदने पर पहले से ही खर्च कर चुके है अतः उनके लिये सामान्य पंजीकरण राशि से कम पंजीकरण राशि लेने का प्रस्ताव है जो कि इस प्रकार से होगी :-

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	500.00
अल्प आय वर्ग	1000.00

5- प्रारंभ में ऐसी योजना अलवर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, गंगानगर, बीकानेर, पाली, अजमेर, भरतपुर एवं जयपुर में खोलने का प्रस्ताव है।

विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार करते हुये यह निर्णय लिया गया कि "गृहपति योजना" के अन्तर्गत केवल उन्हीं स्थानों पर मंडल द्वारा कार्य हाथ में लिया जाये जहाँ मंडल पहले से ही कार्य कर रहा है या जहाँ की जनसंख्या 50,000 से अधिक हो। यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे स्थानों पर कार्य हाथ में न लिया जाये जहाँ 100 मकानों से कम मकान बनाने का विकल्प आये।

138.18 कल्पतरू योजना 1988 के ग्रुप इन्श्योरेन्स के सम्बन्ध में।

मण्डल में मकान का पंजीकरण कराने के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा को प्राथमिकता से मकान दिया जाता है। परिवार के मुखिया की मृत्यु होने के कारण ऐसे परिवार की आय के मुख्य श्रोत समाप्त हो जाते हैं और मकान की किश्तें देने में कठिनाई होती है। इस दृष्टि से कल्पतरू के पंजीकृत आवेदकों के लिए "ग्रुप

DD(Compartmentation)

इन्श्योरेन्स लागू करने का प्रस्ताव किया गया। जीवन बीमा निगम के माध्यम से ऐसी योजना लागू करने अथवा मण्डल में जोखिम निधि खाता खोलने के वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार किया गया।

विचार विमर्श के बाद निम्न निर्णय लिये गये :-

1- कल्पतरू के पंजीकृत आवेदकों को जीवन बीमा निगम के माध्यम से ग्रुप इन्श्योरेन्स में लेना उचित होगा।

2- ग्रुप इन्श्योरेन्स में अलग अलग आयवर्ग के लिए अलग अलग राशि का बीमा करवाया जाये।

3- आवेदक की जमा राशि तथा मकान की लागत को देखते हुए निम्न राशि का ग्रुप इन्श्योरेन्स बीमा करवाया जाय :-

आयवर्ग	जोखिम (रूपयों में)	वार्षिक प्रीमियम (रूपयों में)
आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग	15,000/-	45/-
अल्प आयवर्ग	25,000/-	75/-
मध्यम आयवर्ग "अ"	40,000/-	150/-
मध्यम आयवर्ग "ब"	70,000/-	300/-
उच्च आयवर्ग	70,000/-	360/-

ग्रुप इन्श्योरेन्स बीमा योजना के अन्तर्गत हुए प्रीमियम प्रतिवर्ष पहली मासिक किश्त के साथ जमा कराया जाय। जो राशि प्रथम किश्त के साथ न दे उनको जोखिम संवर्ग नहीं दिया जावे। बीमे की राशि का उल्लेख प्रथम मासिक किश्त के चालान में कर दिया जाय ताकि आगामी किश्त के साथ ही जमा करादे व चूक न हो।

4- आवेदक की मृत्यु होने की स्थिति में जीवन बीमा निगम से

101

उपरोक्त राशि मंडल द्वारा प्राप्त की जायेगी तथा जब आवेदक के मनोनयन के आधार पर उसके उत्तराधिकारी को मकान दिया जायेगा तो उसकी लागत में उपरोक्त राशि का समायोजन कर लिया जायेगा।

138.19 कल्पतरू 1988 प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष महोदय ने यह जानकारी दी कि आयकर अधिनियम में अभी हाल ही में हुये संशोधन के फलस्वरूप राजस्थान आवासन मंडल में जमा कराई गई 10,000 रू. तक की राशि पर धारा 80(सी) के तहत छूट का लाभ मिल सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में यह सुझाव रखा गया कि मंडल को कल्पतरू-88 योजना एक फरवरी, 1988 से प्रारम्भ कर देनी चाहिये। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि कल्पतरू 88 योजना एक फरवरी, 1988 से प्रारम्भ कर दी जाये।

सचिव/उपनिदेशक (कम्प्यूटराइजेशन)

138.20 राजस्थान के विभिन्न शहरों में भूमि अवाप्ति की योजनाओं में जयपुर विकास प्राधिकरण व न्यासों का सहयोग।

सचिव अध्यक्ष महोदय ने भी जानकारी प्रेषित की कि बड़े शहरों में मंडल ने नगर विकास न्यासों और जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर भूमि के अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का मंडल सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया।

तत्पश्चात् धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(एन. के. सेठी)
सचिव,
राजस्थान आवासन मंडल,
जयपुर।

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मंडल की 139 वीं बैठक दिनांक 9-3-1988 को मंडल मुख्यालय के बोर्ड कक्ष में श्री एम. एल. मेहता, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मंडल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

1-	श्री एम. एल. मेहता	अध्यक्ष
2-	श्री पी. बी. माथुर	शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
3-	श्री सी. एस. मेहता	मुख्य नगर नियोजक एवं वास्तुविद् सलाहकार
4-	श्री एन. के. सेठी	सचिव

बैठक में निम्न अधिकारीगण भी उपस्थित थे :-

1-	श्री अब्दुल मतीन	उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय)
2-	श्री आर. के. शर्मा	मुख्यलेखाधिकारी

वित्त सचिव, राजस्थान सरकार आवश्यक शासकीय कार्यवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। उनके प्रतिनिधि श्री एल. एन. यादव, उप शासन सचिव, वित्त भी आज अन्य मीटिंग में व्यस्त होने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। आवासन आयुक्त भी मुख्यालय से बाहर भ्रमण पर होने के कारण बैठक में शरीक नहीं हो सके।

बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न की गई :-

1. मंडल की 138 वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।

मंडल की 138 वीं बैठक दिनांक 27-1-88 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गई।

मंडल की 138 वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन।

शेष..2 पर

अध्यक्ष महोदय ने मंडल की 138 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के संबंध में की गई कार्यवाही का उल्लेख किया।

139.3 मंडल का वर्ष 1987-88 का संशोधित बजट तथा वर्ष 1988-89 का प्रस्तावित बजट।

CAO अध्यक्ष महोदय ने मंडल के वर्ष 1987-88 के संशोधित बजट और वर्ष 1988-89 के अनुमानित बजट की प्रमुख बातें विस्तारपूर्वक प्रस्तुत की। बजट में वर्ष 1988-89 के लिये 70.82 करोड़ रू. के वित्तीय साधन जुटाने तथा पुनर्भुगतान के 15.83 करोड़ रू. का प्रावधान करते हुये मण्डल की आगामी निर्माण गतिविधियों पर 54.99 करोड़ रू. के व्यय के प्रावधान के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। माननीय सदस्यों ने बजट प्रस्तावों को व्यावहारिक एवं वस्तुपरक बताते हुये सराहना की तथा अनुमोदन किया।

139.4 ड्राइंग सैक्शन को अपग्रेड करने के संबंध में।

PM इस बिन्दु पर विचार आगामी बैठक के लिये स्थगित रखा गया।

139.5 संस्थान का प्रतीक चिन्ह रोमन के तीन अक्षरों (R H B) से देवनागरी लिपि हिन्दी भाषा में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

Secy/PRO इस संबंध में भाषा विभाग से हुये पत्राचार और उसके परिप्रेक्ष्य में तैयार किये गये नमूने माननीय सदस्यों के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। निर्णय लिया गया कि मंडल का प्रतीक चिन्ह बनाने के लिये एक प्रतिस्पर्द्धा का आयोजन कर लिया जावे। इस प्रतियोगिता (काम्पीटीशन) के लिये ईनाम की राशि निर्धारित करने के लिये अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

139.6 हुडको से स्वीकृत स्कीम नं. 5494 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।

DY.HC(HQ)

शेष....3 पर

विचारोपरान्त सामूहिक आवास योजना सैक्टर-5, फेज-1, सांगानेर के लिये हुडको से स्वीकृत स्कीम संख्या 5494 जो 173.04 लाख रूपये की है, के प्रति प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

9.7 हुडको से स्वीकृत स्कीम नं. 5495 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।

विचारोपरान्त सामूहिक आवास योजना सैक्टर-5, फेज-2, सॉगानेर के लिये हुडको से स्वीकृत स्कीम संख्या 5495 जो 132.14 लाख रूपये की है. के प्रति प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

9.8 हुडको से स्वीकृत स्कीम नं. 5496 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।

विचारोपरान्त सामूहिक आवास योजना सैक्टर-तृतीय, फेज द्वितीय, सॉगानेर के लिये हुडको से स्वीकृत स्कीम संख्या 5496 जो 109.61 लाख रूपये की है, के प्रति प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

9.9 हुडको से स्वीकृत स्कीम नं. 5497 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।

विचारोपरान्त सामूहिक आवास योजना फेज-चतुर्थ, गोवर्धन विलास, उदयपुर के लिये हुडको से स्वीकृत स्कीम संख्या 5497 जो 219.52 लाख रूपये की है, के प्रति प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

9.10 हुडको से स्वीकृत स्कीम नं. 5499 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।

विचारोपरान्त चौपासनी रोड़ साऊथ-ईस्ट एक्टेंशन फेज-प्रथम, जोधपुर के लिये हुडको से स्वीकृत स्कीम संख्या 5499 जो 111.99 लाख रूपये की है, के प्रति प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

शेष ...4

139.11 हुडको से स्वीकृत स्कीम नं. 5518 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।

DY.HC(HQ) विचारोपरान्त सामूहिक आवास योजना फेज तृतीय, ब्यावर (अजमेर) के लिये हुडको से स्वीकृत स्कीम संख्या 5518 जो 176.89 लाख रूपये की है, के प्रति प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

139.12 हुडको से स्वीकृत स्कीम नं. Likely to be sanctioned की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।

DY.HC(HQ) विचारोपरान्त हुडको से स्वीकृत होने के अपेक्षा में एम.आई.जी. हाऊसिंग स्कीम सैक्टर-1, मानसरोवर, जयपुर में 365 मकानों के निर्माण की 216.18 लाख रूपयों की योजना के प्रति प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। 139.14

139.13 सिस्टम्स एनेलिस्ट के पद के स्थान पर एक वर्ष के लिये सहायक सिस्टम्स एनेलिस्ट के पद पर नियुक्ति बाबत।

PM सिस्टम्स एनेलिस्ट के पद के लिए वरिष्ठ चयन समिति की 17 फरवरी 1988 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय पर विचार किया गया। समिति ने श्री राकेश सिंघल को सिस्टम्स एनेलिस्ट के लिए योग्य पाया किन्तु उनके अनुभव में एक वर्ष की कमी को देखते हुए उन्हें एक वर्ष के लिए सहायक सिस्टम्स एनेलिस्ट के पद पर परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) के वेतनमान पर नियुक्ति तथा एक वर्ष के बाद संतोषजनक कार्य पाये जाने पर सिस्टम्स एनेलिस्ट के पद पर नियुक्ति तथा उसका वेतनमान देने हेतु सुझाव दिया था।

विस्तृत विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया- चूँकि पद सिस्टम्स एनेलिस्ट का विज्ञापित किया गया था और चूंकि श्री सिंघल

शेष...5 पर

सिस्टम्स एनेलिस्ट के पद पर नियुक्ति के लिये चयन समिति द्वारा योग्य पाये गये, अतः श्री सिंघल को सिस्टम्स एनेलिस्ट के पद पर नियुक्त किया जावे पर एक वर्ष के परीविक्षाधीन समय के लिये परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) के वेतनमान के प्रारंभिक रू. 1720/- पर जो मँहगाई भत्ता, नगरीय क्षतिपूर्ति भत्ता तथा मकान किराया मिलता है उसको मिलाकर उसके बराबर इकजाई वेतन 2200/- रू. दे दिया जाये। एक वर्ष की अवधि में श्री सिंघल का कार्य संतोषजनक पाया जावे तो सिस्टम्स एनेलिस्ट का निर्धारित वेतनमान दे दिया जावे।

19.14 आवास निधि योजना।

अध्यक्ष महोदय ने आवास निधि योजना के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये बताया कि मण्डल के पास 70,000 से भी अधिक आवेदक इस समय प्रतीक्षारत हैं। इन सबको मकान उपलब्ध कराने के लिए मण्डल को आज के लागत मूल्य के आधार पर लगभग 450 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। प्रतिवर्ष हुडको से लगभग 20 करोड़ रू. ही मिल पाता है। इस आधार पर इन उपभोक्ताओं को मकान देने में लगभग 25 वर्ष लगेंगे। इस अवधि को अतिरिक्त धन राशि जुटा कर कम करने के लिए मण्डल ने पिछले वर्ष पारिजात, कुबेर व कल्पतरू योजनाऐं लागू की, इसके आशातीत परिणाम निकले हैं।

आवासन मण्डल में अग्रिम जमा राशि पर आयकर में छूट देने की बात का अनुमोदन हो गया है। अतः कई उपभोक्ता मण्डल में रूपया जमा कराना चाहते हैं। ये लोग कल्पतरू व कुबेर योजना का लाभ उठा सकते है। इन दोनों योजनाओं में माहवारी किश्तें जमा करानी पड़ती हैं। तथा किश्तें समय पर जमा नहीं कराने पर दंडनीय ब्याज देना पड़ता है। जमा राशि पर 9 प्रतिशत चक्रवृति ब्याज मिलता है। मण्डल द्वारा एक ऐसी योजना चलाना उचित होगा जिसमें उपभोक्ता कभी भी

शेष... 6 पर

1000 रू. के गुणक में राशि जमा करा दें और ऐसी जमा राशि पर उसे 12 प्रतिशत साधारण ब्याज मिले। इस योजना का नाम आवास निधि योजना रखा जा सकता है। इस योजना की निम्न शर्तें होंगी :-

1- आवास लेने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति 1000 रू. के गुणक में राशि मण्डल के द्वारा अधिकृत किसी भी बैंक में जमा करा सकेगा।

2- जमा राशि पर 12 प्रतिशत साधारण ब्याज प्रतिवर्ष जमा राशि के समायोजन की अवधि तक दिया जावेगा।

3- यदि कोई ऐसा व्यक्ति राशि जमा कराता है जो मण्डल में पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण के बराबर राशि ब्याज सहित जमा होने पर उसकी पात्रता देखकर उसका पंजीयन कल्पतरू योजना में कर दिया जावेगा। ऐसे पंजीयन के बाद उसे कल्पतरू योजना के लिए निर्धारित माहवारी किश्तें जमा करानी होंगी। आवास निधि में पैसा जमा कराकर छोटी लागत से उपभोक्ता अपने पंजीयन की राशि एकत्रित कर सकता है।

4- जो व्यक्ति सामान्य पंजीकरण योजना में पहले से पंजीकृत है उसके द्वारा जमा राशि का समायोजन सीडमनी में किया जा सकेगा। आधार राशि (सीडमनी) से अधिक राशि जमा होती है तो उसे मकान की लागत में समायोजन किया जावेगा व मकान की शेष लागत ही उससे किश्तों में ली जावेगी। अल्प बचत के माध्यम से धीरे धीरे आधार राशि एकत्रित कर सकेंगे। इससे उन पर एक साथ आधार राशि का भार नहीं पड़ेगा।

5- पंजीकृत उपभोक्ता को आयकर में छूट का लाभ मिल सकेगा।

6- इस योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्ति मण्डल कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर चालान पुस्तिका ले सकेंगे।उन्हे एक पासबुक भी दे दी

शेष.... 7 पर

जायेगी जिसमें जमा राशि का इन्द्राज बैंक द्वारा किया जायेगा।

7- सामान्य पंजीकरण योजना में आवेदक व्यक्ति को आवास निधि में प्रथम राशि जमा कराने के पाँच वर्ष की अवधि में यदि मकान नहीं मिले तो यदि वह चाहे तो उसे जमा राशि ब्याज सहित वापस मण्डल द्वारा लौटाई जा सकेगी। जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने पर उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति या वैधिक उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन देने पर जमा राशि लौटाई जा सकेगी। यदि जमा राशि आधार राशि (सीडमनी) में समायोजित हो जाती है तो ऐसी राशि लौटाई नहीं जायेगी।

विचारोपरान्त मंडल द्वारा आवास निधि योजना प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया।

19.15 पंजीकृत आवेदकों के आयवर्ग परिवर्तन हेतु।

अध्यक्ष महोदय ने पंजीकृत आवेदकों के आय वर्ग में परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये यह व्यक्त किया कि मण्डल में अगस्त 1982 तक यह प्रक्रिया रही थी कि आवेदक अपने वर्ग से एक वर्ग ऊपर या एक वर्ग नीचे के वर्ग में अपना आयवर्ग परिवर्तित करा सकता था। पंजीकरण/आवंटन की संशोधित प्रक्रिया 1981 लागू होने के पश्चात आयवर्ग में परिवर्तन किये जाने का विकल्प समाप्त कर दिया गया था।

तत्पश्चात राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ. 7/नविआ/3/84 दिनांक 5-5-84 द्वारा मण्डल को निर्देश प्रदान किये गये कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग का आवेदक यदि अपने आयवर्ग में परिवर्तन हेतु निवेदन करे तो अपना आयवर्ग मध्यम (अ) तक ही परिवर्तित किया जाये। उच्च आयवर्ग में परिवर्तन हेतु मध्यम आयवर्ग (ब) ही अधिकृत होगा।

उक्त प्रकरण को मण्डल की 114 वीं बैठक दिनांक 27-11-84 के बिन्दु

शेष....8

संख्या 114.24 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। जिस पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि ऐसे आवेदक जो अपना आयवर्ग परिवर्तन कराना चाहते हैं, उनकी वरिष्ठता आवेदन की तिथि तक के पंजीकृत आवेदकों के अन्त में रखी जावे।

उक्त निर्णयों के कारण आवेदक को छूट मिल गई कि वह जब चाहे अपने आयवर्ग में परिवर्तन करा सकता है। आसानी से आयवर्ग परिवर्तन के कारण पिछले वर्षों में मण्डल के ऊपर भार बढ़ गया है तथा कतिपय उच्च आयवर्ग में परिवर्तन के कारण वरीयता सूची लम्बी हो गई है। अतः इस प्रवृति पर अंकुश लगाने की दृष्टि से मण्डल के समक्ष निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत है :-

1- आवेदक द्वारा जिस आयवर्ग में परिवर्तन चाहा गया है, उसके लिये आवेदकों को "कुबेर" या "पारिजात" योजना में आवेदन देना होगा।

2- जब आवेदक का आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा आयवर्ग में परिवर्तन किया जाता है तो उसकी वरीयता उस वर्ष के तब तक पंजीकृत व्यक्तियों में सबसे अन्त में रखी जावे।

3- आयवर्ग में परिवर्तन के समय परिवर्तित आयवर्ग की निर्धारित पंजीकरण राशि/का अन्तर मण्डल में जमा कराना होगा।

4- दो चरण (स्टेज) आगे तक ही आयवर्ग बढ़ाने की अनुमति आवेदकों को दी जावे।

विचारोपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

139.16 आवेदक के पंजीकरण का एक शहर से दूसरे शहर में स्थानान्तरण करने पर प्रशासनिक शुल्क निर्धारित करने हेतु।

Secretary/HO अध्यक्ष महोदय ने आवेदकों द्वारा पंजीकरण एक शहर से दूसरे शहर में

शेष...9 पर

स्थानान्तरित कराये जाने पर प्रशासनिक शुल्क निर्धारित करने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये यह व्यक्त किया कि मंडल की 109 वीं बैठक दिनांक 25/27 फरवरी 1984 के बिन्दु सं. 109.8 पर निम्नांकित 10 शहरों में पंजीकरण स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की गई थी :-

1- भरतपुर, 2- झुन्झुनू, 3- सीकर, 4- बारां, 5- सवाई माधोपुर, 6- बीकानेर, 7- भीलवाड़ा, 8- श्रीगंगानगर, 9- हनुमानगढ़, 10-धौलपुर

तत्पश्चात मंडल की 119 वीं बैठक के निर्णय बिन्दु सं. 119.31 पर अन्य शहरों के लिये आवेदक के मामले में गुण, अवगुण एवं परिस्थितियाँ देखते हुये किसी भी अन्य शहर में पंजीकरण के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु बोर्ड अध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया था।

चूँकि पंजीकरण स्थानान्तरण की प्रक्रिया में मंडल को आवेदक के रिकार्डों में परिवर्तन करना होता है, अतः पंजीकरण स्थानान्तरण के मामलों में निम्न प्रकार प्रशासनिक शुल्क लिया जाना औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है :-

क्र. सं.	आयवर्ग	शुल्क राशि
1-	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग एवं अल्प आयवर्ग	150/-
2-	मध्यम आय "अ" "ब" एवं उच्च आय वर्ग	300/-

मंडल द्वारा जिन स्थानों पर मकानों का निर्माण नहीं कराया जाता है अथवा पंजीकरण से 5 वर्ष तक भी आवेदकों को मकान नहीं मिलता है तो ऐसे आवेदकों से अन्य शहरों में पंजीकरण स्थानान्तरण के लिये कोई शुल्क नहीं लिया जाये।

जयपुर में चूँकि पूर्व पंजीकृत आवेदकों की संख्या तुलनात्मक रूप से काफी

शेष.... 10 पर

अधिक है, अतः जयपुर में पंजीकरण स्थानान्तरण "कुबेर" या "पारिजात" योजना के अन्तर्गत स्थानान्तरण किया जाना उपयुक्त होगा।

विचारोपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

139.17 विभिन्न संस्थाओं द्वारा आवासीय सुविधा की मांग के संबंध में।

Secretary/HO

अध्यक्ष महोदय ने विभिन्न संस्थाओं द्वारा आवासीय सुविधा की मांग के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये व्यक्त किया कि -

1- मण्डल के पास भारतीय जीवन बीमा निगम, दूरदर्शन एवं बैंकों आदि द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए मकानों की मांग को लेकर अनेक प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे हैं। चूंकि मण्डल के पास अपने स्वयं के पंजीकृत आवेदक लम्बे समय से प्रतीक्षारत है, अतः बोर्ड इन संस्थाओं की मांग को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठा पा रहा है।

2- पंजीकृत आवेदकों को समय पर मकान उपलब्ध नहीं कराने का मुख्य कारण जमीन एवं धन की उपलब्धि न होना है।

3- आवेदकों को प्राथमिकता से मकान देने के लिए हमने पारिजात योजना प्रारंभ की है जिसमें मकान की पूरी लागत आवेदक द्वारा इस शर्त पर दी जाती है कि हम उसे दो साल में मकान दे दें। यही सुविधा उन संस्थाओं को भी मिलनी चाहिए जो मकान की पूरी लागत जमा करा कर आवासन मण्डल से प्राथमिकता पर मकान लेना चाहती हों।

4- यदि ऐसी संस्थाओं को मकान उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जाता है तो मण्डल के पास अतिरिक्त धन उपलब्ध हो सकता है, जिसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनायी जाना प्रस्तावित है :-

अ- इन संस्थाओं से मकानों की आवश्यकता मालूम कर उन्हें दो

क्रमशः... 11 पर

किश्तों में मकान की अनुमानित लागत जमा कराने पर मकान आवंटित किये जायें।

ब- इन संस्थाओं से मकानों की सामान्य पंजीयन फीस की दुगुनी पंजीयन फीस ली जावे।

स- चूंकि इन संस्थाओं को सरकारी से मकान बनाकर दिये जायेंगे अतः जमीन की लागत आरक्षित दर से दुगुनी ली जावे।

द- इन मकानों पर अतिरिक्त सरचार्ज 5 % एवं प्रशासनिक अधिभार 15 % लिया जावे।

य- इन मकानों की लागत को कोई निश्चित सीमा नहीं रखी जावे एवं मकानों के नक्शों जमीन की उपलब्धि के अनुसार संस्थाओं से वार्ता कर तैयार किये जायें।

र- इन मकानों का आवंटन आवासीय योजना में बने मकानों की तरह ही अलग से होगा।

5- इस प्रकार से इन मकानों को बनाने में जो अतिरिक्त धन उपलब्ध होगा, वह आवासन मण्डल आनी स्कीम में समायोजित कर अधिक मकानों को बनाने के काम में ला सकेगा।

विचारोपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव इस परिवर्तन के साथ स्वीकार किया गया कि क्रम संख्या 4-द पर अंकित सरचार्ज 5 प्रतिशत अंकित न कर प्रशासनिक अधिभार को 20 प्रतिशत अंकित कर दिया जावे, तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जावे कि यदि किसी संस्था के लिये समूह में मकानों का निर्माण कराया जाता है तो बोर्ड संबंधित संस्था से उस क्षेत्र में उनके समूह के ही उपयोग हेतु खुली छोड़ी जाने वाली भूमि की कीमत भी वसूल करेगा।

शेष . 12

139.18 Loan from HUDCO for Composite Housing Scheme Ph.IV Sector XI Mansarovar, Jaipur (Scheme No.4615)

DY.HC(HQ)

विचारोपरान्त हुडको से कम्पोजिट हाऊसिंग स्कीम फेज चतुर्थ सैक्टर 11, मानसरोवर जयपुर (स्कीम नम्बर 4615) के लिये 275.93 लाख रूपये हुडको की सामान्य शर्तों पर ऋण लेने के प्रति अनुमति प्रदान की गई।

139.19 Loan from HUDCO for Composite Housing Scheme Ph.I at Sector III Sanganer (Scheme No.5493)

DY.HC(HQ)

विचारोपरान्त हुडको से कम्पोजिट हाऊसिंग स्कीम फेज प्रथम, सैक्टर तृतीय सांगानेर (स्कीम नं. 5493) के लिये 192.75 लाख रूपये हुडको की सामान्य शर्तों पर ऋण लेने के प्रति अनुमति प्रदान की गई।

139.20 Loan from HUDCO for composite Housing Scheme S.N. Extn. Ph.II at Bhilwara (Scheme No.5625).

DY.HC(HQ)

विचारोपरान्त हुडको से कम्पोजिट हाऊसिंग स्कीम एस.एन. एक्सटेन्शन, फेज द्वितीय, भीलवाड़ा (स्कीम नं. 5625) के लिये 72.67 लाख रूपये हुडको की सामान्य शर्तों पर ऋण लेने के प्रति अनुमति प्रदान की गई।

139.21 Grant of Dearness Allowance to the Employees of the Board.

DY.HC(HQ)

विचारोपरान्त मंडल के कर्मचारियों को 1.7.87 से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 13(1)(एफडी)/मुख 2086-1 दिनांक 1.1.88 के अनुसार बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ता दिये जाने संबंधी कार्यवाही की पुष्टि की गई।

139.22 बोर्ड द्वारा भूमि अवाप्ति का आवंटन नकद के बजाय विकसित भूखण्डों में देने के सम्बन्ध में।

Secretary/ CAO/LAO

अध्यक्ष महोदय द्वारा भूमि अवाप्ति में आ रही कठिनाइयों का उल्लेख

शेष....13 पर

करते हुए मुआवजे के रूप में नकद राशि के बजाय विकसित भूमि देने के बारे में निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

1- राजस्थान आवासन मण्डल को अपनी योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए राज्य के विभिन्न शहरों में भूमि अवाप्त करनी पड़ती है। नये भूमि अवाप्ति कानून के अन्तर्गत यदि धारा 17 (4) की अधिसूचना/घोषणा पत्र के बाद तीन वर्ष की अवधि में अवार्ड नहीं दिया जाता है, तो पूरी अवाप्ति की कार्यवाही स्वत: निरस्त हो जाती है। प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों तथा व्यक्तियों के विपरीत रूझान के कारण यदि निश्चित समय में कार्यवाही नहीं हुई तो मण्डल को भूमि अवाप्त करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त ब्याज व अनिवार्य अवाप्ति के प्रभार के कारण भी मण्डल को भूमि का मूल्य अधिक देना पड़ेगा। अत: भूमिधारियों से त्वरित गति से भूमि लेने के लिए विकल्प ढूंढने होंगे। दीर्घकालीन योजना की क्रियान्विति के लिए भूमि बैंक बनाने की आवश्यकता है।

2- भूमि बैंक के लिए अवाप्ति में निम्न कठिनाइयां है :-

I भूमि अवाप्ति की कार्यवाही में देरी होने से काश्तकार गृह निर्माण सहकारी समितियों या व्यक्तियों को अपनी भूमि अवाप्ति के दौरान बेच देते हैं जिससे काफी कठिनाई आती है।

II भूमि का अधिक मूल्य होने के कारण भूमि का मूल्य देने में काफी वित्तीय कठिनाइयां आती हैं। कई बार इसी वजह से भूमि की अवाप्ति समय पर नहीं हो पाती।

III अनिवार्य अवाप्ति के कारण भूमि का अधिक मूल्य देना होता है।

शेष.....14 पर

3- उपरोक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आपसी समझौते से कृषकों से भूमि लेना अधिक श्रेयस्कर होगा। इस समझौते को निम्न आधार पर किया जाना उचित होगा :-

क- जहां आपसी समझौते पर भूमि का पूरा मूल्य देकर भूमि ली जाती है वहां भूमि का मूल्य तय करने के लिए निम्न समिति बना दी जावे :-

1-	जिलाधीश	अध्यक्ष
2-	उप-जिलाधीश	सदस्य
3-	सचिव, राज्य आवासन मंडल	सदस्य
4-	क्षेत्रीय उप आवासन आयुक्त	सदस्य
5-	संबंधित आवासीय अभियन्ता	सदस्य

इस समिति द्वारा मूल्य निर्धारण करने के बाद मण्डल द्वारा उस पर विचार कर अंतिम निर्णय लिया जावेगा।

ख- कृषकों को यह भी विकल्प दिया जाना चाहिए कि वे चाहें तो भूमि के मूल्य के बदले विकसित भूमि ले लें। इस प्रकार की भूमि निम्न शर्तों के अनुसार दी जावेगी :-

अ- जो भूमिधारी/भूमि की पूरा मुआवजा विकसित भूखंडों के रूप में लेना चाहते हैं उन्हें 1/6 विकसित भू-भाग दिया जा सकता है।

ब- क्योंकि विकास कार्यों में समय लगता है अतः कुछ भूमिधारी विकसित भूखंडों के लिए इतना इंतजार न करना चाहें, ऐसे भूमिधारियों को 50 % मुआवजा तुरन्त दिया जा सकता है, शेष मुआवजे को भूखण्ड के रूप में। जो भी अग्रिम दिया जावेगा, वह बाद में 1/6 भूखंड की लागत में

क्रमशः...15

समायोजित कर शेष राशि के भूखंड भूमिधारी को दिये जावेंगे।

स- भूमिधारी यदि कुछ अग्रिम लेना चाहे तो वह उन्हें दिया जा सकता है। जमीन का विक्रय कार्य होने पर भूमिधारी को यह अग्रिम 15 % ब्याज सहित वापस करने पर ही भूखंड उपरोक्तानुसार दिये जावेंगे। अग्रिम किसी भी स्थिति में निम्न दरों से अधिक नहीं होगा :-

1-	20 हजार से कम आबादी वाले शहर	5000 रू. प्रति एकड़
2-	50 हजार से कम आबादी वाले शहर	8000 रू. प्रति एकड़
3-	2 लाख से कम आबादी वाले शहर	10000 रू. प्रति एकड़
4-	10 लाख से कम आबादी वाले शहर	15000 रू. प्रति एकड़
5-	10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर	20000 रू. प्रति एकड़

उपरोक्त अग्रिम अधिकतम प्रचलित दरों का 33 % से अधिक नहीं होगा।

भूखंडों का स्वामित्व, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अग्रिम रकम ब्याज सहित वापस करने पर ही दिया जा सकेगा। यदि खातेदार अग्रिम समय पर जमा नहीं कराता है तो उसके भूखंड का निस्तारण बोर्ड, लाभ कमा कर कर सकता है।

द- यदि खातेदार की भूमि पर रिहायशी भूखंड काटे जाते हैं तो उपरोक्त अनुपात से वह इन भूखंडों को अपने भू-भाग पर ही ले सकता है। यदि उपरोक्त जमीन पर रिहायशी भूखण्ड नहीं काटे जाते हैं तो उसी कॉलोनी में भूखंडों का आवंटन खातेदार एवं बोर्ड की सहमति से होगा।

शेष... 16 पर

घ- उपरोक्त स्थिति में यदि एक भूखंड के लिए दो खातेदार अपना विकल्प देते हैं तो निर्णय लॉटरी से किया जाएगा।

यदि एक परिवार के लिए एक से अधिक खातेदार हों तो उक्त अनुपात से बनने वाले रिहायशी भूखंडों का ठेका खातेदारों में बराबर बांट दिया जाएगा।

ङ- यदि किसी खातेदार के एक से अधिक प्लाट बनते हैं तो वह अपने विकल्पानुसार इन प्लाटों को साथ-2 भी ले सकता है।

च- खातेदारों को इन भूखंडों का बापी पट्टा दिया जायेगा। खातेदार इन आवासीय भूखंडों को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ग) भूखंड के बदले जमीन लेने का निर्णय बोर्ड के विवेक पर निर्भर करेगा, प्रस्ताव के गुण-दोष के अनुसार ऐसे प्रस्ताव अस्वीकार भी किये जा सकते हैं।

4- यदि यह प्रक्रिया अपनाई जाती है तो भूमिधारी को जो भूखंड दिये जायेंगे, वह बोर्ड की रिजर्व प्राइज पर होंगे। चूंकि आवासन मंडल की कॉलोनीज सुविधायुक्त से विकसित होती है एवं जमीन की बाजार दरें बहुत बढ़ती हैं अतः इस प्रस्ताव से भूमिधारी को काफी आर्थिक लाभ होगा। बोर्ड की कॉलोनीज में जमीनों की दरों में जिस प्रकार वृद्धि हो रही है उस हिसाब से उन्हें पूरी जमीन के भूखंड बेचने से भी अधिक लाभ हो सकता है अतः भूमिधारी इस प्रस्ताव को देखते हुए सहर्ष अपनी जमीन आवासन मण्डल को देने को तैयार हो सकते हैं।

5- जहां तक इस प्रस्ताव से बोर्ड को लाभ होने का प्रश्न है, बोर्ड को तुरन्त मुआवजा देने के लिए धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होगी।

शेष...। 7

विचारोपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकार करते हुये यह चाहा गया कि नकद मुआवजे के बजाय विकसित भूमि दिये जाने की कार्यवाही केवल ऐसे शहरों में ही की जावे जहाँ भूमि की कीमत 30,000/- रू. प्रति एकड़ से अधिक की हो। यह भी निर्णय लिया गया कि हर योजना में 1 या 2 भू-भाग अलग से निर्धारित कर दिये जावे और नकद मुआवजे की एवज में काश्तकारों को दिये जाने वाले प्लाट उन्हीं भूखण्डों में से उपलब्ध कराये जावे ताकि मंडल की आवासीय योजनाओं के स्वरूप में किसी प्रकार की भिन्नता न आने पावे।

9.23 समितियों द्वारा विकसित/अविकसित भूखण्डों पर मकान बनाने हेतु।

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस मामले पर पहले उदयपुर में जिलाधीश, नगर विकास न्यास तथा नगर परिषद के अधिकारियों से बात कर विस्तार से प्रक्रिया तय कर ली जावे। तब तक के लिये इस प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखा गया।

9.24 बोर्ड की विभिन्न कालोनीज में जन सुविधाओं के लिये भूमि आवंटनार्थ।

अध्यक्ष महोदय ने बोर्ड की विभिन्न कालोनीज में जन सुविधाओं के लिये भूमि आवंटन करने के पूर्व में लिये गये निर्णयों के आंशिक संशोधन में प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये व्यक्त किया कि--

1- मण्डल अपनी कॉलोनीज में टाउन प्लानिंग नॉर्म्स के अनुसार प्राइमरी स्कूल, सैकेण्डरी स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, सामुदायिक केन्द्र एवं दूसरी सुविधाओं हेतु प्रावधान कर जमीन छोड़ता है।

2- इन सुविधाओं के लिए अब तक बोर्ड, एन्सलरी सर्विस चार्जेज के नाम से आवंटियों से मकान के भूखंड के अनुपात में कुछ राशि वसूल कर रखता था। इस राशि को बोर्ड जमीन की लागत एवं निर्माण कार्य की लागत में समायोजित कर प्रथमतः प्रत्येक कॉलोनी में जन प्राथमिक स्कूल एवं डिस्पेन्सरी का निर्माण करता आया है यदि कॉलोनी छोटी होती है तो आवश्यकता के अनुसार

डिस्पेंसरी या प्राथमिक स्कूल में से एक भवन बना दिया जाता है।

3- बोर्ड ने अब यह निर्णय लिया है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए भवन पूर्ण निर्मित कर दिये जायें एवं उनकी लागत कॉलोनी के विकास कार्य की लागत में समायोजित कर दी जावे।

4- चूंकि टाऊन प्लानिंग मॉर्म्स के अनुसार कॉलोनी में एक से अधिक प्राथमिक स्कूल, सेकेण्डरी स्कूल आदि के लिए जगह छोड़ी जाती है। शैक्षणिक सुविधाओं के लिए मण्डल द्वारा पूर्व में इन भूखंडों के निस्तारण हेतु जो निर्णय लिये गये हैं उनके अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं को जमीन निम्न दर पर दी जायेगी :-

अ- ऐसी संस्थाएं जो राज्य सरकार की सहायता से संचालित हैं	आवासीय भूखंडों की आधी दर पर
ब- ऐसी संस्थाएं जो धार्मिक संस्थानों द्वारा संचालित की जा रही है	आवासीय भूखंडों की प्रचलित दर पर
स- ऐसी संस्थाएं जो निजी तौर पर संचालित की जाती है	आवासीय भूखंड की दर से 25% अधिक दर पर

5- साथ में यह भी निर्णय लिया गया था कि संस्थाओं द्वारा 60% लागत आवंटन पत्र जारी करने पर जमा करा दी जायेगी जबकि शेष राशि कब्जा देने के बाद 3 अर्द्धवार्षिक किश्तों में जमा करायी जायेगी। किश्तों पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

6- इस बारे में अभी हाल ही में राज्य सरकार ने अपने परिपत्र क्रमांक एफ3(196)यूडीएच/93 दिनांक 13-10-87 द्वारा आदेश जारी किये हैं जिनमें शैक्षणिक संस्थाओं से स्कूल की आने वाली लागत छोड़ी गयी है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित उपरोक्त दरें नगरपालिका/नगर विकास न्यास/ये. डी. ए. के लिए प्रस्तावित हैं। ये संस्थाएं

शेष...19 पर

भूमि बेचने में लाभ कमाती हैं जबकि आवासन मण्डल बिना लाभ एवं हानि के कार्य करता है। आवासन मण्डल इन सुविधाओं के लिए छोड़ी गयी जमीन की लागत आवासीय भूमि की लागत का 50 % ही मानकर रिहायशी आरक्षित दर निकालता है अतः राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित दरें आवासन मण्डल नहीं अपना सकता परन्तु राज्य सरकार ने विभिन्न संस्थाओं का जो वर्गीकरण किया है, उसे मण्डल मान सकता है। इस वर्गीकरण के अनुसार अब दरें निम्न प्रकार ली जाना प्रस्तावित है :-

1-	सरकारी शालाओं के लिए भूमि	निःशुल्क
2-	सरकार की सहायता से चलने वाली शिक्षण संस्थाएं तथा धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएं, जो 5 वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत हों तथा जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बिना लाभ कमाने वाली संस्था के लिए शैक्षणिक तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों हेतु आवश्यक भूमि।	आरक्षित दर की 50 % लागत
3-	अन्य पंजीकृत संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि	आरक्षित दर

7- जमीन की आरक्षित दर विकास कार्यों की लागत पर 20 % अधिभार जोड़ कर निकाली जायेगी।

8- राज्य सरकार ने अपने परिपत्र में विभिन्न शैक्षणिक स्तरों के लिए भूखंडों का क्षेत्र भी तय किया है जो कि इस प्रकार है :-

अ-	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल	3 से 4 हजार वर्गगज
ब-	सैकण्डरी एवं हायर सैकेण्डरी स्कूल	3 से 4 हजार एकड़
स-	कालेज	7 से 10 एकड़

शेष....20 पर

आवंटी संस्था को भूमि का 40 % मूल्य पहले जमा कराना होगा तथा शेष मूल्य छमाही किश्तों में तीन साल में 12 % ब्याज के साथ जमा कराना होगा। अगर निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं हुई तो मण्डल उक्त भूमि को अन्य संस्था को देने के लिए स्वतंत्र होगा।

आवासन मण्डल पहले 50 % जमीन हस्तान्तरित करेगा एवं शेष भूमि आवेदक के नाम से आरक्षित कर देगा।

विचारोपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

139.25 शिल्पी संस्थान के नाम से एक सोसाइटी के गठन के सन्दर्भ में।

अध्यक्ष महोदय ने निर्माण के क्षेत्र में शिल्पियों की कमी के संबंध में स्थिति व्यक्त करते हुये "शिल्पी" संस्थान के नाम से एक सोसाइटी का गठन किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये व्यक्त किया कि देश की आवासीय समस्या को देखते हुए मकानों के निर्माण हेतु असीमित धन की आवश्यकता है अतः मकानों की अभूतपूर्व कमी को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि उपलब्ध धन का उपयोग अधिक से अधिक मकान बनाने में हो अतः मकान सस्ते एवं स्तर के होने आवश्यक हैं।

DY.HC(HQ)

अ- जहां तक मकानों के स्तर के होने का प्रश्न है, यह सामग्री की गुणवत्ता के साथ-2 निर्माण कार्यों पर भी निर्भर करता है। निर्माण कार्य जिस गति से बढ़े हैं, उस गति से निर्माण कार्यों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। उदाहरण के तौर पर यदि कुशल कारीगरों को ही लिया जाये तो उनकी संख्या बहुत कम है। पहले यह पैतृक धंधा हुआ करता था परन्तु अब कारीगरों के बच्चे इस कार्य में कम रूचि ले रहे हैं। इस कमी को देखते हुए अकुशल कर्मी भी अपने आप को कुशल समझने लगा है। उसके लिए किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

शेष.....31 पर

ब- इसी प्रकार से ठेकेदारों का धन्धा मूल रूप से निर्माण में दक्षता प्राप्त करने की बजाय केवल पैसे कमाने का धंधा हो गया है। अतः आवश्यक है कि डिप्लोमा एवं डिग्रीधारी व्यक्ति जो कि बहुत अधिक संख्या में बेरोजगार हैं, को इसका प्रशिक्षण दिया जावे ताकि वे ठेकेदारी प्रथा में लाभ की बजाय निर्माण के स्तर पर अधिक ध्यान दे सके।

स- जहां तक मकानों के सस्ते एवं उनकी गुणवत्ता का प्रश्न है, यह तभी संभव हो सकता है जबकि स्थानीय सामग्री एवं तकनीक का प्रयोग निर्माण कार्यों में किया जावे। स्थानीय तकनीक को भी वैज्ञानिक तरीके से विकसित करना आवश्यक हो गया है ताकि कम से कम लागत में मजबूत से मजबूत कार्य हो सके।

द- देश में सरकार के कई अनुसंधान केन्द्र जो कि निर्माण क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन्होंने काफी नयी सामग्री एवं तकनीकें विकसित की हैं। इनका प्रयोग अभी तक फील्ड में बहुत कम हुआ है अतः आवश्यक हो जाता है कि मकानों की लागत को कम करने के लिए इन नयी तकनीकों एवं सामग्रियों का उपयोग किया जावे।

यह तभी संभव हो सकता है जबकि निर्माण कर्मियों, ठेकेदारों के लिए एक अलग से प्रशिक्षण केन्द्र हो एवं नयी तकनीक एवं सामग्री उपयोग के लिए नमूने के तौर पर कुछ मकान बनाकर दिये जावें।

कोई एक संस्था के रूप में इस कार्य को नहीं कर सकता है अतः आवश्यक है कि इन सभी कार्यों के लिए एक अलग से सोसायटी बना दी जावे। इस संस्था का नाम शिल्पी संस्थान होगा।

विशेष रूप से सोसायटी के मूल कार्य निम्न होंगे :-

अ- कारीगर आदि कुशल कर्मियों का प्रशिक्षण

ब- बेरोजगार डिप्लोमा एवं डिग्रीधारी इंजीनियरों का ठेकेदारों के रूप में प्रशिक्षण

शेष..22 पर

ग- कम लागत के मकानों की विधियों के बारे में प्रशिक्षण

द- कम लागत भवन निर्माण सामग्रियों के विकास तथा भवन निर्माण में उनके लागत प्रभाव के संबंध में फील्ड अध्ययन करना।

य- अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित की गयी विभिन्न कम लागत तकनीकों के बारे में सूचना प्राप्त कर क्षेत्र के साथ उनकी संबंधता को जांच करना।

र- क्षेत्रीय तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप भवन निर्माण प्रणालियों को अनुकूल बनाना।

ल- प्रौद्योगिकियों से मेल खाती तथा स्थानीय आवश्यकताओं से संबंधित डिजाइनों को विकसित तथा उपलब्ध करना।

व- मॉडयूलर निर्माण प्रेक्षियों पर मानकीकरण तथा जांच एवं गुणवत्ता निर्धारण सुविधाओं का विकास करना।

श- कम लागत भवन निर्माण सामग्रियों के निर्माण तथा विपणन में उद्यम को विकसित करना।

ष- नयी तकनीक एवं सामग्री को उपयोग में लाकर मॉडल हाउसेज का निर्माण।

उपरोक्त संस्थान के लिए स्थान का प्रबंध आवासन मण्डल द्वारा बिना किसी लागत किया जायेगा।

जहां तक इस संस्थान को चलाने का प्रश्न है :-

अ- आवासन मण्डल प्रारंभ में डेढ़ लाख रू. का अनुदान देगा एवं इसके साथ ही 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष संस्थान को चलाने के लिए अनुदान के रूप में उपलब्ध करायेगा।

ब- इसके लिए [illegible] द्वारा आगे लाख रु. उपलब्ध कराये जायेंगे।

स- नयी सामग्री एवं तकनीक को उपयोग में लाकर बनाये जाने वाले

शेष...23 पर

मकानों के लिए धन की उपलब्धि केन्द्रीय भवन अनुसंधान केन्द्र से की जाएगी।

द- जहां तक कुशल कर्मियों के प्रशिक्षण का प्रश्न है इसके लिए धन की उपलब्धि अनु. जाति एवं अनु. जनजाति विकास निगम तथा ट्राइसम के अन्तर्गत वि-विशिष्ट योजना एवं संगठन से उपलब्ध हो सकेगी। इन संस्थानों से प्रशिक्षण हेतु 75 % भाग ही उपलब्ध हो सकेगा जबकि शेष भाग हुडको एवं आवासन मण्डल से मिलने वाले अनुदान के ब्याज से पूरा किया जायेगा।

य- धीरे धीरे इस संस्थान को इस प्रकार से विकसित किया जावेगा कि इसे बाहर से मदद की आवश्यकता न हो और यह अपने स्त्रोतों से अपना कार्य चला सके। इसके लिए यह संस्थान नयी तकनीक पर आधारित निर्माण सामग्री का विपणन एवं इस सामग्री को काम में लेते हुए मकानों का निर्माण कार्य हाथ में ले सकेगा।

संस्थान सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत एक स्वतंत्र संस्था के के रूप में होगा एवं इसके प्रशासनिक ढांचे के बारे में सोसायटी ही कुछ निर्णय ले सकेगी परन्तु प्रारंभ में इसे चलाने हेतु निम्न स्टाफ दिया जा सकता है :-

1-	निदेशक	एक	यह पद एक अभियन्ता स्तर का होगा जो कि प्रारम्भ में आवासन मण्डल से प्रतिनियुक्ति पर दिया जा सकता है।
2-	सहायक निदेशक	एक	
3-	आशुलिपिक	एक	
4-	लिपिक	एक	
5-	हैल्पर्स	दो	

शेष....24 पर

प्रयास यही किया जावे कि संस्थान में कम से कम स्टाफ हो परन्तु फिर भी आवश्यकतानुसार स्टाफ में कमी या वृद्धि के लिए सोसायटी ही कुछ निर्णय लेगी।

मकानों की कमी एवं उनके निर्माण के लिए अपार धन राशि की आवश्यकता को देखते हुए उपरोक्त संस्थान सस्ते एवं स्तर के मकान बनाने में एक उपयोगी भूमिका निभा पायेगी। 139.28

विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :-

I- जयपुर में भी इसी संस्थान का पंजीकरण व समितियों के पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावानुसार कराया जावे।

II मंडल की ओर से इस संस्थान को 1.50 लाख रु. का पूँजीगत व्यय तथा स्थाई कोष के निर्माण हेतु अनुदान स्वीकार किया जावे। 139.29

III तथा प्रतिवर्ष 50,000 रु. अनुदान नियमित रूप से राजस्व व्यय हेतु दिया जावे। (HQ)

139.26 Agenda Note by Circulation No.83 regarding Administrative and Financial Sanction for S.F.S Part-II 1987 (Category-A) at Mansarovar, Jaipur. 139.30

उक्त योजना के संबंध में अनुक्रमानुसार एजेण्डा नोट नं. 83 के प्रति माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई सहमति और उसके आधार पर पारित प्रस्ताव संख्या 69, दिनांक 15.2.88 की पुष्टि की गई।

139.27 मंडल की विभिन्न समितियों के निर्णयों का अवलोकन।

माननीय सदस्यों ने मंडल की निम्न समितियों के निर्णयों का अवलोकन/अनुमोदन किया:-

I- दिनांक 13.1.88 को आयोजित परियोजना समिति की 53 वीं बैठक के निर्णय।

शेष....25 पर

2- दिनांक 20-1-88 को आयोजित अधीनस्थ समिति की 9 वीं बैठक के निर्णय।

3- दिनांक 19-1-88 को आयोजित सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक के निर्णय।

39.28 हुडको से स्वीकृत स्कीम नं. 5493 का प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।

विचारोपरान्त कम्पोजिट हाऊसिंग स्कीम फेज-प्रथम, सैक्टर-3, सांगानेर के लिये हुडको से स्वीकृत स्कीम संख्या 5493 जो 252.43 लाख रूपये की है के प्रति प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

39.29 हुडको से स्वीकृत स्कीम नं. 4615 का प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।

विचारोपरान्त कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम फेज-4, सैक्टर 11 मानसरोवर जयपुर के लिये हुडको से स्वीकृत स्कीम संख्या 4615 जो 350.02 लाख रू. की है के प्रति प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

.30 मानसरोवर योजना में पारिजात 1987 के अन्तर्गत मकानों के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

विचारोपरान्त मानसरोवर जयपुर के लिये पारिजात 1987 के अन्तर्गत मकानों के निर्माण के लिये 314.43 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

31 पारिजात-87 के अन्तर्गत जवाहर नगर में बहुमंजिले मकानों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

प्रस्ताव में विचार करते हुये यह निर्णय लिया गया कि जवाहर नगर में

शेष...26 पर

भूतल सहित दो मंजिले मकानों की बजाय भूतल सहित तीन मंजिल के मकान बना लिये जावें। यह भी निर्णय लिया गया कि इस स्कीम को तदनुसार परिवर्तन कर प्रस्तुत किया जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्य नगर नियोजक महोदय की मदद लेकर इन बहुमंजिले मकानों के लिये नये सिरे से प्लान बनवाये जावें।

139.32 पारिजात-87 के अन्तर्गत मालवीय नगर में बहुमंजिले मकानों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

DY.MC(MQ)/ DY.MC JC-I

प्रस्तावानुसार पारिजात-87 के अन्तर्गत मालवीया नगर में बहुमंजिले मकानों के निर्माण हेतु 114.17 लाख रूपये के व्यय के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

139.33 मण्डल कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जाँचों के त्वरित गति से निपटाये जाने की दृष्टि से रेखा नियुक्त अधिकारियों को जाँच अधिकारी मनोनीत करने के सम्बन्ध में।

Secretary

अध्यक्ष महोदय ने मण्डल कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जाँचों में हो रहे विलम्ब को देखते हुये व्यक्त किया कि मण्डल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जाँचों का निष्पादन राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं अपील विनियमों के तहत किया जाता है। मण्डल में इस वक्त 10 जाँच प्रकरण नियम 10 के अन्तर्गत लम्बित है और 12 जांच प्रकरण नियम 11 के अन्तर्गत लम्बित है। नियम 10 के अन्तर्गत चल रहे जांच प्रकरण छोटी सजाओं के लिए निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर चल रहे हैं जबकि नियम 11 केअन्तर्गत चल रहे जांच प्रकरण बड़ी सजाओं के लिए निर्धारित जांच प्रक्रिया के अन्तर्गत चल रहे हैं।

अधिकांश मामलों में मण्डल के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी जांच अधिकारी मनोनीत हैं। यह पाया गया है कि मण्डल की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि

शेष....27

में लगे रहने के फलस्वरूप मण्डल के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी जांच प्रकरणों को निपटाने के लिए उचित समय नहीं निकाल पा रहे हैं और जितना समय इनका इसमें लगता है इससे तकनीकी कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस वजह से बहुत से जांच प्रकरण काफी लम्बे अर्से से लम्बित चले आ रहे हैं। तबसे पुराने जांच प्रकरण सन् 1980 के चल रहा है। राजस्थान विधान सभा की आश्वासन समिति ने विगत माहिनों मण्डल का परीक्षण करते हुए इतने लम्बे अर्से से चल रहे जांच प्रकरणों के निस्तारण में गति लाने की आवश्यकता प्रतिपादित की थी। वैसे भी सहज न्याय की दृष्टि से, यह आवश्यक है कि जांच प्रकरण शीघ्रता से सम्पादित किये जायें।

राजस्थान के कई निगमों, बोर्डों व स्वायत्तशासी संस्थाओं में जांच प्रकरणों को वांछित गति से निपटाने की दृष्टि से सेवा निवृत अधिकारियों को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की प्रक्रिया अपनायी जाती है। इस प्रकार की प्रक्रिया राज. राज्य विद्युत मण्डल, राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान वित्त निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण आदि में विद्यमान है। इन संस्थाओं में प्रति जांच एक निर्धारित राशि जांच अधिकारी को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर "ओनेरेरियम" के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। यह राशि 500/- रुपये से लेकर 800/- रुपये तक है। जांच अधिकारी को जांच के लिए मुख्यालय में आने-जाने के लिए अलग से भत्ता दिये जाने का प्रावधान भी है। अतः यह प्रस्तावित है कि मण्डल में नियम 11 के तहत लम्बित जांच प्रकरणों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाये जाने की दृष्टि से वरिष्ठ सेवा निवृत अधिकारियों को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की व्यवस्था अपना ली जावे। जहाँ तक जांच अधिकारियों की नियुक्ति एवं उन्हें देय भत्तों का प्रश्न है अन्य संस्थाओं में चल रही प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए सेवा निवृत अधिकारियों के चयन तथा उन्हें देय राशि निर्धारित करने के लिए मण्डल के अन्य प्रस्तावों को अधिकृत कर लिया जाना उचित होगा।

विचारोपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

तत्पश्चात धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(एन. के. सेठी)
सचिव,
राज. आवासन मंडल,
जयपुर।

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 140 वीं बैठक दिनांक 23-4-88 को मण्डल मुख्यालय के बोर्ड कक्ष में श्री एम. एल. मेहता, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

1-	श्री एम. एल. मेहता	अध्यक्ष
2-	श्री पी. बी. माथुर	शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
3-	श्री अखैराज	आवासन आयुक्त
4-	श्री सी. एस. मेहता	मुख्य नगर नियोजक
5-	श्री एल. एन. यादव	उप सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)
6-	श्री एन. के. सेठी	सचिव

बैठक में निम्न अधिकारीगण भी उपस्थित थे :-

1-	श्री अब्दुल मतीन	उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय)
2-	श्री आर. के. शर्मा	मुख्यलेखाधिकारी

वित्त सचिव, राजस्थान सरकार आवश्यक शासकीय कार्यवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। उनका प्रतिनिधित्व श्री एल. एन. यादव, उप शासन सचिव, वित्त ने किया।

बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न की गई :-

140.1 मण्डल की 139 वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।

मण्डल की 139 वीं बैठक दिनांक 9-3-88 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गई।

शेष..2 पर

140.2 मण्डल की सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 28-3-88 एवं 6-4-88 के निर्णयों का अवलोकन।

मण्डल की निम्न समितियों की उनके सामने अंकित बैठकों की कार्यवाही का अवलोकन किया गया:-

सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक	दिनांक 28-3-88
सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक	दिनांक 06-4-88

140.3 Loan from HUDCO for land acquisition scheme at MEB Alwar (Scheme No.5771).

विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार हुडको से एन. ई. बी., अलवर योजना के लिए भूमि अवाप्ति हेतु (स्कीम नं. 5771) के लिए 82 लाख रूपये का ऋण प्राप्त करने के प्रति अनुमति प्रदान की गई।

-: अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :-

140.4 अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि श्री पी. बी. माथुर, शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग का शिक्षा सचिव के पद पर स्थानान्तरण हो गया है। मण्डल के सदस्यगणों ने श्री पी. बी. माथुर द्वारा मण्डल को दी गई सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की और निम्न प्रस्ताव पारित किया गया :-

श्री पी. बी. माथुर, सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा मण्डल के सदस्य के रूप में तथा शासन सचिव के रूप में मंडल के कार्य को गतिशील एवं प्रभावी बनाने के लिए जो सेवाएँ दी गई उनकी मण्डल सराहना करता है। श्री माथुर के चिन्तन तथा रचनात्मक विचारों से मंडल के कार्य संपादन में जो अभूतपूर्व सहयोग मिला, इसके लिए मंडल उनके प्रति आभार व्यक्त करता है।

शेष...3 पर

तत्पश्चात् धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(एन. के. सेठी)
सचिव,
राजस्थान आवासन मंडल,
जयपुर।

::: राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर :::

राजस्थान आवासन मण्डल की 141वीं बैठक दिनांक 19-5-88 को मण्डल मुख्यालय में बोर्ड कक्ष में श्री एम एल मेहता, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में संपन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1-	श्री एम एल मेहता	अध्यक्ष
2-	श्री अक्षय राज	आवासन आयुक्त
3-	श्री सी एस मेहता	मुख्य नगर नियोजक
4-	श्री अब्दुल मतीन	सचिव

बैठक में श्री आर के शर्मा, मुख्य लेखाधिकारी भी उपस्थित थे । वित्त सचिव, राजस्थान सरकार आवश्यक राजकीय कार्यवश तथा शासन सचिव न वि आ विभाग, अस्वस्थ होने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके ।

बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई :-

141.1 मण्डल की 140वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि:

प्र.प्रको. मण्डल की 140वीं बैठक में लिये गये निर्णयो की पुष्टि की गयी तथा यह निर्णय लिया गया कि श्री पी बी माथुर भूतपूर्व सचिव आवासन एवं नगर विकास को एक आभार प्रस्ताव मंडल की ओर से भिजवाया जावे ।

141.2 मण्डल की 139वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन:

का.प्रब. मण्डल की 139वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की निम्न टिप्पणी के साथ पुष्टि की गयी :-

बिन्दु सं. 139.13 :: सिस्टम एनालिस्ट के पद के स्थान पर एक वर्ष के लिए सहायक सिस्टम एनालिस्ट के पद पर नियुक्ति बाबत ।

शेष ..2पर

सिस्टम एनालिस्ट के पद पर नियुक्ति पर विचार किया गया । अध्यक्ष महोदय ने बताया कि श्री राकेश सिंघल को सिस्टम्स एनालिस्ट का नियुक्ति आदेश भेजा गया था जिसमें एक वर्ष के लिए परियोजना अभि-यंता (वरिष्ठ) के न्यूनतम वेतनमान स्तर को मानकर 2200/=रू. प्रति माह देने का उल्लेख था और एक वर्ष बाद आवासीय अभियंता का नियमित वेतनमान दिया जाना था । इसे श्री सिंघल ने स्वीकार नहीं किया । उनका कथन था कि नियमित वेतनमान उन्हें प्रारंभ से ही दिया जावे । इस पर चयन समिति के मतानुसार श्री आदिनाथ देशपाण्डे को सहायक सिस्टम्स एनालिस्ट का नियुक्ति आदेश दिया गया । श्री देशपाण्डे को 1720-3360 रू. के वेतनमान में रू. 1760 मिल रहा है, तथा सितम्बर, 88 से वेतनवृद्धि मिलकर रू. 1800 हो जाता है तथा नये वेतनमानों में फिक्सेशन के आधार पर उसका वेतन सितम्बर, 89 में रू. 1960 हो जाता है । उसने इस वेतन का बचाव चाहा है क्योंकि पद में आने से उसे वही वेतनमान मिलेगा जो आज मिल रहा है । ऐसी स्थिति में निर्णय लिया गया कि उसे चार वेतनवृद्धि वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर दे दिये जावें ताकि उसको अगले दो वर्ष में वेतन की कोई हानि न हो । इस पर भी वह नहीं आये तो श्री राकेश सिंघल को ही सिस्टम्स एनालिस्ट के नियमित वेतनमान में ले लिया जावे ।

141.3 जोधपुर में स्व-वित्त पोषित योजना एवं पारिजात योजना के अन्तर्गत बनाये जाने वाले मकानों के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु :-

उ.आ.आयु. (मु.) तकनीकी प्रको.

उपरोक्त योजनान्तर्गत बनने वाले 363 मकानों के लिए 381.647 लाख रू. की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जो, सब्कमिटी द्वारा ली गयी थी, की पुष्टि की गयी ।

शेष ..3 पर

141.4 नकद भुगतान पद्धति पर आवंटित एवं मूल आवंटी के नाम से रजिस्टर्ड मकानों के आवंटन के सात वर्ष पश्चात् मण्डल में पंजीकृत आवेदकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरण/बेचान पर प्रशासनिक शुल्क लिये जाने बाबत ।

बोर्ड नियमों में मकान के कब्जा लेने के सात वर्ष बाद नकद भुगतान पद्धति से शेष राशि जमा कराने पर आवंटी को मकान का हस्तान्तरण/बेचान किसी को भी करने का प्रावधान है । अभी तक ऐसे हस्तान्तरण/बेचान के लिए कोई भी प्रशासनिक प्रभार नहीं लिया जाता है, जबकि ऐसे हस्तान्तरण/बेचान के लिए मंडल को अपनी प्रशासनिक क्षमता एवं शक्ति का प्रयोग व रिकार्ड में परिवर्तन करना होता है । अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐसे हस्तान्तरण/बेचान के मामलों में मण्डल द्वारा निम्नानुसार प्रशासनिक शुल्क लिया जावे :-

क) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग एवं अल्प आय वर्ग	रू. 250.00
ख) मध्यम आय वर्ग-"अ, "ब एवं उच्च आय वर्ग	रू. 500.00

141.5 मण्डल द्वारा शैक्षणिक कार्यों के लिए तथा धार्मिक प्रयोजनों के लिए आवंटित की जा रही भूमि पर चार्ज की जाने वाली लीज मनी के तहत कमी किये जाने के संबंध में ।

इस पर निर्णय अगली बैठक के लिए स्थगित किया गया ।

141.6 विकलांग आवेदकों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति वर्ग के आवेदकों के समान पंजीकरण राशि की 50% राशि लिये जाने हेतु ।

इस बिन्दु को मण्डल प्रशासन द्वारा वापस ले लिया गया ।

शेष..4 पर

141.7 कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम वेस्ट एक्सटेंशन फेज-III, मुक्ताप्रसाद
उ.आ.आयु. (मु.) नगर, बीकानेर ।

विचारोपरान्त हुडको द्वारा मुक्ताप्रसाद नगर बीकानेर के लिए कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम वेस्ट एक्सटेंशन फेज-III की 200 मकानों के निर्माण हेतु, जिसकी परियोजना लागत 45.07लाख है एवं जिसके तहत 36.9 लाख रू. का ऋण प्राप्त होना है, का अनुमोदन किया गया । साथ में आवासन आयुक्त को मंडल के अन्य अधिकारी की मौजूदगी में ऋण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया ।

141.8 हुडको से मानसरोवर में मध्यम आय वर्ग फेज-III के लिए ऋण
उ.आ.आयु. (मु.) (स्कीम नं. 5699)

विचारोपरान्त हुडको से स्वीकृत 365 मध्यम आय वर्ग के मकानों के निर्माण हेतु जिसकी परियोजना लागत 218.1लाख एवं जिसके तहत 161.53 लाख रू. का ऋण प्राप्त होना है, की स्वीकृति बोर्ड द्वारा दी गयी । साथ में आवासन आयुक्त को मंडल के अन्य अधिकारी की मौजूदगी में ऋण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया ।

141.9 कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम फेज-I सैक्टर तेरह, मानसरोवर जयपुर,
उ.आ.आयु. (मु.) (स्कीम नं. 5738)

विचारोपरान्त हुडको से स्वीकृत 24 मध्यम आय वर्ग-"ब" एवं 68 उच्च आय वर्ग के 115.22 लाख की लागत के मकानों के लिए 71.58 लाख रू. का ऋण प्राप्त करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया । आवासन आयुक्त को मंडल के अन्य अधिकारी की मौजूदगी में ऋण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया ।

शेष.. 5 पर

141.10 सवाईमाधोपुर में मध्यम आय वर्ग-"फेज-चार (स्कीम न. 5739) के लिए ऋण ।

मु. मु.

विचारोपरान्त 108 मध्यम आय वर्ग के 64.78 लाख की लागत के मकानों के लिए हुडको से 48.37 लाख का ऋण लेने हेतु योजना का अनुमोदन किया गया । आवासन आयुक्त को मण्डल के अन्य अधिकारी की मौजूदगी में ऋण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया ।

141.11 मण्डल की 11.1.88 को 11.30बजे प्रातः तथा 12.1.88 को 9.30बजे प्रातः संपन्न वित्त एवं लागत समिति की बैठक के निर्णयों का अनुमोदन ।

मुख्य अधिकारी

राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर के मुख्यालय में दिनांक 11.1.88 को समय 11.30बजे मध्यान्ह पूर्व तथा दि. 12.1.88 को समय 9.30बजे मध्यान्ह पूर्व संपन्न हुई मंडल की वित्त एवं लागत समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों की समीक्षा कर पुष्टि की गयी ।

141.12 दिनांक 5-4-88 को आयोजित अपीलीय समिति के निर्णयों की पुष्टि :

मुख्य अधिकारी

दिनांक 5-4-88 को सम्पन्न हुई मंडल की अपीलीय समिति के निर्णयों की समीक्षा के उपरान्त पुष्टि की गयी ।

141.13 बोर्ड द्वारा भूमि अवाप्ति का मुआवजा नकद के बजाय विकसित भूखंडों में देने के संबंध में आंशिक संशोधन ।

तहसीलदार

बोर्ड की 9-3-88 की बैठक के बिन्दु सं. 139.22 में लिये गये निर्णय को और अधिक स्पष्टता देने हेतु यह निर्णय लिया गया कि विकसित प्लाट के बदले भूमि अवाप्ति करने के लिए खातेदार

शेष ..6 पर

को विकसित भूमि का 1/6 भू-भाग या कुल भूमि का 1/12 भाग विकसित भूमि के रूप में देना होगा ।

इस प्रकार से एक एकड़ भूमि अवाप्त करने के लिए खातेदार को 400 वर्ग गज का विकसित भूखंड दिया जायेगा ।

इस प्रक्रिया से भूमि अवाप्ति उपरोक्तानुसार की जावे ।

141.14 मण्डल में पंजीकृत आरक्षित वर्ग के आवेदकों के आवंटन में आवंटन कोटा केवल 3 वर्ष तक अग्रनयन करने हेतु ।

सचिव/आ. अधि.

राज्य सरकार ने कोटा अग्रनयन करने हेतु कुछ आदेश प्रसारित कर रखे हैं । अतः इस बिन्दु को बोर्ड की आगामी बैठक में राज्य सरकार के आदेशों के साथ पुनः रखने हेतु सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया ।

141.15 विधवाओं को प्राथमिकता के आधार पर मकान आवंटित किये जाने के संबंध में ।

सचिव/आ. अधि.

बोर्ड की दि. 27-11-84 को संपन्न हुई 114वीं बैठक के बिन्दु सं. 114.6 के निर्णयों की समीक्षा कर विचारोपरान्त यह स्पष्ट किया गया कि उपरोक्त निर्णय में आवेदक की अवयस्क सन्तान होने एवं आवेदिका द्वारा एक वर्ष के अन्दर-2 आवेदन प्रेषित करने की शर्त उचित नहीं है । हो सकता है, आवेदिका वृद्ध हो एवं उसकी सन्तान उसे सहारा नहीं दे रही हो । अतः ऐसे आवेदकों के प्रति बोर्ड का संवेदनशील होना आवश्यक है । इस प्रकार से एक वर्ष की अवधि में आवेदन देने का प्रतिबन्ध भी उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः निर्णय लिया गया कि दोनों ही बंधन हटा दिये जावें ।

दि. 27-11-84 की 114वीं बैठक के उपरोक्त बिन्दु पर लिये गये अन्य निर्णय यथावत लागू रहेंगे ।

शेष .. 7

141.16 अलवर की अल्प आय वर्ग की आवासीय योजना (एन ई बी
आ. (मु.) फेज-5 स्कीम नं. 5757) के लिए हुडको से ऋण ।

विचारोपरान्त हुडको द्वारा स्वीकृत 133 अल्प आय वर्ग के मकानों के निर्माण हेतु 39.72 लाख रू. की लागत के पेटे 33.77 लाख रू. का ऋण प्राप्त करने का अनुमोदन प्रदान किया गया। आवासन आयुक्त को मण्डल के अन्य अधिकारी की मौजूदगी में ऋण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया ।

141.17 कंपोजिट हाउसिंग स्कीम रंगबारी कोटा फेज-I (स्कीम नं. 5758)
आयु. (मु.) के लिए ऋण ।

उक्त योजना, जिसकी परियोजना लागत 150.04 लाख है, एवं जिसके तहत 125.40 लाख रू. का ऋण प्राप्त होना प्रस्तावित है, का अनुमोदन प्रदान कर आवासन आयुक्त को मंडल के अन्य अधिकारी की मौजूदगी में ऋण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया ।

141.18 कंपोजिट हाउसिंग स्कीम शास्त्री नगर भीलवाड़ा फेज-I,
आयु. (मु.) (स्कीम नं. 5732) के लिए ऋण ।

उक्त योजना, जिसकी परियोजना लागत 149.28 लाख रू. है, एवं जिसके तहत रू. 121.85 लाख का ऋण प्राप्त होना प्रस्तावित है, का अनुमोदन कर आवासन आयुक्त को मंडल के अन्य अधिकारी की मौजूदगी में ऋण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया ।

शेष .. 8 पर

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :-

1- भूमि अवाप्ति का मुआवजा नकद के बजाय विकसित भूखंड में दिये जाने एवं अंतरिम मुआवजे की राशि में बढोतरी के संबंध में ।

सचिव/तहसीलदार

बोर्ड की 139वीं बैठक में भूमि अवाप्ति का मुआवजा नकद के बजाय विकसित भूखंड के रूप में देने का निर्णय लिया गया था कि यदि खातेदार विकास कार्य होने तक प्रतीक्षा न करे तो उसे निम्न दरों पर भूमि की ऐवज में अंतरिम मुआवजा दिया जा सकता है :-

1- 20000 से कम आबादी वाले शहर - 5000 रू.प्र.एकड़
2- 50000 से कम आबादी वाले शहर - 8000 रू.प्र.एकड़
3- 2लाख से कम आबादी वाले शहर - 10000 रू.प्र.एकड़
4- 10 लाख से कम आबादी वाले शहर - 15000 रू.प्र.एकड़
5- 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर- 20000 रू.प्र.एकड़

आवासीय अभियंताओं एवं उप-आवासन आयुक्तों की बैठक में विचार विमर्श के बाद यह अनुभव किया गया कि अंतरिम मुआवजा की दरें, जो तय की गयी है, वह बहुत कम हैं और कृषक इतनी कम अग्रिम राशि पर जमीन का कब्जा नहीं देंगे ।

बोर्ड को भूमि की उपलब्धि जल्द से जल्द हो सके अतः विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि अंतरिम मुआवजे की दरें निम्न प्रकार से तय की जावें :-

1- जयपुर शहर के लिए - 30000रू.प्र.एकड़
2- 5 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों के लिए - 25000 ,,
3- 50हजार से 5लाख की आबादी वाले शहरों के लिए - 20000 रू.प्र.एकड़
4- 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों के लिए - 10000 रू.प्र.एकड़

शेष .. 9

उपरोक्त प्रक्रिया से भूमि अवाप्ति निम्न शर्तों के साथ की जाएगी :-

अ- उपरोक्त प्रक्रिया उन्हीं शहरों के लिए अपनाई जावे जहां पर कि भूमि का बाजार भाव 20000 रू. प्रति बीघा से अधिक हो ।

ब- उपरोक्तानुसार प्रत्येक प्रस्ताव पर मंडल द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही भूमि की अवाप्ति की जावे ।

स- अंतरिम मुआवजा लेने की स्थिति में विकसित भूखंड जो कि खातेदार को उपरोक्त प्रक्रिया में दिया जाना है, की नीलामी बोर्ड द्वारा की जायेगी । मुआवजे की रकम 15% ब्याज के साथ काटकर नीलामी से उपलब्ध होने वाली राशि का भुगतान खातेदार को नीलामी के बाद कर दिया जाएगा । यदि खातेदार भूखंड लेना चाहता है तो उसे अंतरिम मुआवजे की राशि 15% ब्याज के साथ वापस करनी होगी ।

2- यूनिट ट्रस्ट आॅफ इंडिया द्वारा मंडल को 250.00 लाख का विशिष्ट जमा के रूप में ऋण ।

यूनिट ट्रस्ट आॅफ इंडिया ने 250 लाख रू. आवासन मंडल के पास विशिष्ट जमा के रूप में रखने हेतु स्वीकृत किये हैं । उक्त राशि मंडल को 14% ब्याज पर उपलब्ध होगी जिसका पुन--भुगतान बोर्ड द्वारा 5 बराबर किश्तों में एक वर्ष के मोरेटेरियम के साथ किया जायेगा ।

यह विशिष्ट जमा राज्य सरकार की गारंटी के साथ उपलब्ध हो सकेगी ।

राज्य सरकार ने राज्य कर्मियों के लिए मकान बनाने हेतु मंडल को कार्य आवंटित किये हुए हैं, उपरोक्त राशि उक्त मकानों के निर्माण कार्यों पर खर्च करने हेतु प्रयोग में लाई जाएगी ।

शेष ..10 पर

यह राशि आवासन मंडल द्वारा राज्य सरकार की ओर से ऋण के रूप में ली जा रही है अतः इसके पुनर्भुगतान की जिम्मे-दारी राज्य सरकार की होगी ।

विचारोपरान्त उपरोक्त विशिष्ट जमा यू टी आई से ऋण करने हेतु अनुमोदन किया गया ।

3- बालोतरा, रायला, सिवाना, एवं बारां में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के मकानों की लागत निर्धारण बाबत ।

उ. आ. आयु. (मु.)
मु. लेखाधिकारी
लेखाधिकारी (लागत)

उपरोक्त स्थानों पर बोर्ड ने पंजीकरणानुसार मकानों का निर्माण करा दिया है परन्तु कुछ कारणों से आवेदक मकान छोड़ रहे हैं एवं अपनी पंजीकरण राशि की वापसी की मांग कर रहे हैं । चूंकि ये मकान काफी समय से बने पड़े हैं अतः मंडल पर इनके ब्याज का भार पड़ रहा है । ब्याज के कारण मकानों की लागत प्रति 6 माह बढ़ती जा रही है ।

जब कम लागत पर ही मकानों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है तो लागत पर ब्याज जोड़ने के बाद इन मकानों का निस्तारण और भी कठिन हो जाएगा अतः मण्डल द्वारा इन मकानों को विशिष्ट पंजीकरण खोलकर निस्तारित करने का प्रस्ताव है ।

इन मकानों का जल्दी निस्तारण हो अतः यह आवश्यक है कि इनकी लागत को नहीं बढ़ने दिया जावे । विचार विमर्श के बाद मकानों के जल्दी निस्तारण हेतु निर्णय लिया गया कि इन मकानों की अंतिम बार जो लागत तय की गयी थी, उसकी वैधता 30-9-88 तक बढ़ा दी जावे । सामान्य पंजीकरण खोलकर ओपन काउण्टर पर इनका निस्तारण किया जावे और इस अन्तराल में भी कुछ मकान बच जाते हैं तो उनका तब पुनः प्रस्ताव लाया जावे ।

शेष .. 11 पर

मंडल को उपरोक्त निर्णय से होने वाली हानि का समायोजन सी ई आर मद से किया जावे ।

4- खातेदारों को भूमि अवाप्ति की एवज में मासिक पेंशन देने के संबंध में ।

आवासन मण्डल अभी तक विभिन्न स्थानों पर भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत या संबंधित जिलाधीश की अध्यक्षता में गठित नेगोशिएसन कमेटी के माध्यम से भूमि अवाप्त करता आ रहा है । भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मुआवजा तय करने में काफी समय लग जाता है एवं जब तक खातेदारों को मुआवजा नहीं मिल जाता है, तब तक वे अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहते हैं । जिन किसानों को मुआवजा मिल जाता है वे उस रकम को विनियोजित करने से अनभिज्ञ रहते हैं एवं कभी-2 दलालों के चक्कर में पड़कर रकम एवं जमीन दोनों से हाथ धो बैठते हैं ।

खातेदारों की सुरक्षा की दृष्टि से मंडल प्रशासन के इस प्रस्ताव पर विचार किया गया कि जो खातेदार मुआवजा न लेना चाहे या देर से लेना चाहे उसे तत्काल प्रभाव से मासिक पेंशन स्वीकृत कर दी जाए । पेंशन की राशि, मुआवजे की राशि पर मिलने वाले ब्याज के आधार पर निर्धारित की जावे । इससे जमीन मंडल को सौंप देने के बाद काश्तकार को नियमित रूप से मासिक राशि मिलने लगेगी ।

इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :-

1- जिस जगह भूमि का मूल्य 20000 रू. बीघा से अधिक हो, वहीं इस योजना को लागू किया जावे । प्रारंभ में इसे जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर व कोटा में लागू किया जावे ।

शेष .. 12 पर

2- उन्हीं काश्तकारों को इस योजना में लिया जाये जो नकद मुआवजा तीन वर्ष से अधिक अवधि के बाद लेना चाहते हैं,। तीन वर्ष बाद ऐसे कृषकों को उनके चाहने पर 8.00रू. प्रति गज़ अथवा 38500 रू. प्रति एकड़ की दर से भुगतान कर दिया जायेगा ।

3- जिनकी भूमि अवाप्त हो चुकी है और जिन्होंने मुआवजा तक नहीं लिया है, उनको भी उनके विकल्प के आधार पर पेंशन योजना का लाभ दिया जा सकेगा ।

4- मोटे तौर पर प्रति बीघा (2764 वर्ग गज) 250.00रू. प्रति माह पेंशन की राशि निर्धारित कर दी जाये । यदि मुआवजे की राशि मुआवजा निर्धारण समिति या भूमि अवाप्ति अधिकारी अधिक तय करे तो पेंशन 12% साधारण ब्याज के आधार पर तय करके दी जाये ।

5- मुआवजे की राशि बैंक में या यू टी आई में जमा कराई जाये ताकि ब्याज से काश्तकार को प्रतिमाह पेंशन मिल सके ।

6- हर लाभान्वित कृषक की स्वीकृति पत्र में उसका प्रामाणिक नाम, पता, पेंशन की राशि व बैंक आदि का विवरण लिया जाये ।

7- मुआवजे में अनिवार्य भूमि अवाप्ति के लिए सोलेशियम पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा । इस संबंध में एक इकरार पत्र कृषक से भरवाया जाये ।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही संपन्न हुई ।

सचिव,
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर।

एस/एन::

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 142 वीं बैठक दिनांक 6-7-88 को मण्डल मुख्यालय में बोर्ड कक्ष में श्री एस. एल. मेहता, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1-	श्री एस. एल. मेहता	अध्यक्ष
2-	श्री अखयराज	आवासन आयुक्त
3-	श्री सी. एस. मेहता	मुख्य नगर नियोजक
4-	श्री एस. एस. परनामी	उप शासन सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)
5-	श्री एन. के. सेठी	सचिव

बैठक में श्री आर. के. शर्मा, मुख्यलेखाधिकारी व श्री अब्दुल वहीद, उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय) भी उपस्थित थे।

वित्त सचिव, राजस्थान सरकार आवश्यक राजकीय कार्यवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। उनका प्रतिनिधित्व श्री एस. एस. परनामी, उप शासन सचिव, वित्त एवं बजट आफीसर ने किया।

बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई :-

142.1 मंडल की 141 वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।

मंडल की 141 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गई।

142.2 मंडल की 141 वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन।

मंडल की 141 वीं बैठक के निर्णयों के संबंध में प्रस्तुत कार्यवाही प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

142.3 हुडको से स्पेशल स्कीम के अंतर्गत ऋण लेने के सन्दर्भ में।

DHC(HQ) विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार स्पेशल स्कीम के अंतर्गत ओ. आर. एस. मकान बनाने के लिये 8 करोड़ रुपये का ऋण हुडको से 15 % ब्याज पर लेने के प्रति स्वीकृति प्रदान की गई।

142.4 एच. डी. एफ. सी. से दीर्घकालीन ऋण के सन्दर्भ में।

DHC(HQ) विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार एच. डी. एफ. सी. से ओ. आर. एस. के मकान बनाने के लिये 5 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण 14 % ब्याज दर पर लेने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई।

142.5 एच. डी. एफ. सी. से अल्पकालीन ऋण लेने के संबंध में।

DHC(HQ) विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार ओ. आर. एस. के मकान बनाने के लिये एच. डी. एफ. सी. से 1.5 करोड़ (डेढ़ करोड़) रुपये का अल्पकालीन ऋण 14 % ब्याज दर पर लेने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई।

142.6 ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स से ऋण।

DHC(HQ) विचारोपरान्त ओ. आर. एस. के मकान बनाने के लिये ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स से 2 करोड़ रुपये का ऋण 15 % ब्याज दर पर लेने के प्रति स्वीकृति प्रदान की गई।

142.7 स्टेट बैंक आफ इंडिया से ऋण।

DHC(HQ) विचारोपरान्त ओ. आर. एस. के मकान बनाने के लिये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 5 करोड़ रुपये का ऋण 15 % ब्याज दर पर लेने के प्रति स्वीकृति प्रदान की गई।

नोट:- विचार बिन्दु सं. 142.3 से 142.7 तक के प्रति मंडल की स्वीकृति निम्न शर्तों के तहत दी गई है :-

...3.

1- इस ऋण से बनने वाले सभी मकान नकद भुगतान पद्धति के तहत आवंटित किये जायेंगे।

2- मंडल को इस ऋण की प्राप्ति के लिये जो ब्याज दर ऋणदात्री संस्था को देनी होगी उसके अनुसार मंडल का अधिभार लगाकर आवंटी से भी ब्याज लिया जायेगा।

3- उपरोक्त ऋण से निर्मित मकान जैसे-जैसे आवंटियों को उपलब्ध कराये जायेंगे और जैसे-जैसे राशि की वसूली होगी वह संबंधित ऋणदात्री संस्था को लौटा दी जायेगी। यदि ऋण की अवधि में समय बचा हुआ हो और उस ऋण का उपयोग नकद भुगतान पद्धति में बनने वाले और मकानों के संबंध में किया जा सकता है तो मंडल उस राशि का उस अवधि तक के लिए पुनः उसी प्रकार के काम के लिये प्रयोग में ले सकेगा।

4- इस प्रकार के ऋण का मंडल द्वारा अलग से हिसाब रखा जायेगा।

142.8 राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 के शिड्यूल (एडमिनिस्ट्रेशन) के बिन्दु सं. 6 में स्टेनोग्राफर पद हेतु सीधी भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करने बाबत।

विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 की प्रशासनिक अनुसूची के बिन्दु सं. 6

PM स्टेनोटाइपिस्ट के कालम संख्या 2 व 3 में निम्नानुसार संशोधन किया जाना स्वीकार किया गया :-

1- कालम सं. 2 में स्टेनो-टाइपिस्ट के स्थान पर स्टेनोग्राफर अंकित कर दिया जाये।

2- कालम सं. 3 में सीधी भर्ती का कोटा 50 प्रतिशत के स्थान पर

शेष...4.

80 प्रतिशत और पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का कोटा 50 के स्थान पर 20 प्रतिशत कर दिया जावे।

यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त विनियमों में वांछित संशो[illegible] प्रति राज्य सरकार का अनुमोदन भी नियमानुसार प्राप्त कर लि[illegible]

142.9 राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम [illegible] के तहत सूचिका क्लर्क के पद पर हैल्पर से क्लर्क के पद पर [illegible] के नियमों में संशोधन याचना।

PM विचारोपरान्त राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदो[illegible] विनियम 1976 के तहत प्रशासन अनुसूची में प्लम्बर (वेतनमान [illegible] 740) के पद के लिये पदोन्नति हेतु पात्रता के सम्बन्ध में निम्नां[illegible] योग्यता अंकित किया जाना स्वीकार किया गया:-

"Confirmed Helper having 6 years experience in trade (Fitt[illegible] OR I.T.I. Certificate in trade.

142.10 मंडल की चौथी बैठक दिनांक 17.6.70 के निर्णयानुसार ऐसे क[illegible] सहायकों को जो स्नातक हों, तत्कालीन वेतनमान रुपये 110-23[illegible] रुपये 130/- प्रतिमाह का प्रारम्भिक स्टार्ट दिये जाने की बात [illegible] विलोपित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

विचारोपरान्त इस बिन्दु पर निम्न निर्णय लिये गये :-

PM 1- मंडल की चौथी बैठक दिनांक 17-6-70 में लिये गये निर्णय [illegible] ऐसे कनिष्ठ सहायकों को जो सेवा में आने के वक्त स्नातक [illegible] जिन्होंने मंडल की सेवा में रहते हुये स्नातक परीक्षा पास [illegible] उन्हें उनके वेतनमान में ऊँचा प्रारम्भिक स्टार्ट दिये जाने की [illegible] व्यवस्था को दिनांक 1.7.88 से समाप्त कर दिया जावे।

....5

6/7/88

105

2- दिनांक 17.6.70 से 30.6.88 के बीच कार्यरत ऐसे कनिष्ठ सहायकों को जो स्नातक परीक्षा पास है या जिन्होंने उक्त अवधि में मण्डल सेवा में रहते हुये स्नातक की परीक्षा पास कर ली है, उन्हें मण्डल की चौथी बैठक के निर्णयानुसार ऊँचा प्रारम्भिक स्टार्ट का लाभ दे दिया जाये, ताकि मंडल के ऐसे सभी स्नातक कनिष्ठ सहायकों में समता (समानता) आ सके।

3- यदि स्नातक परीक्षा पास करने के फलस्वरूप किसी कनिष्ठ सहायक को ऊँचा स्टार्ट दिया गया है तो उसके फलस्वरूप उससे वरिष्ठ ऐसे कर्मचारी को जो स्नातक नहीं है, नियमानुसार स्टेपिंग-अप का लाभ नहीं दिया जा सकता। अतः यदि किसी कर्मचारी को इस आधार पर स्टेपिंग-अप का लाभ दे दिया गया है तो वह भी 1.7.88 से बंद कर दिया जावे और उनके वेतन स्थिरीकरण में दुरूस्ती की जावे तथा उन्हें दिये गये गलत आर्थिक लाभ को वापिस वसूल किया जावे। भविष्य में भी इस आधार पर किसी कर्मचारी को स्टेपिंग-अप का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।

142.11 मध्यम आय वर्ग "च" के 400 मकान बनाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

DMC(HQ) विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार मध्यम आय वर्ग "च" के 400 मकान नीचे दिये गये विवरणानुसार बनाने के प्रति 366 लाख रुपये की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई :-

क्र.सं.	मकान का प्रकार	मकानों की संख्या	प्रति मकान लागत	कुल लागत (लाख में)
1-	8x15 वर्ग मीटर			
	अ- पूरे मकान का ढांचा	75	रु. 89,000/-	66.75

....6.

क्र.सं.	मकान का प्रकार	मकानों की संख्या	प्रति मकान लागत
	अ- पीछे का एक कमरा छोड़कर शेष ढांचा	125	रु. 75,600/-
	ब- पीछे का एक कमरा छोड़कर शेष निर्माण पूर्ण	100	रु. 1,25,000/-
2-	6x15 वर्ग मीटर		
	अ- नक्शे के अनुसार पूर्ण मकान	50	रु. 1,17,000/-
	ब- पीछे का एक कमरा छोड़कर शेष निर्माण पूर्ण	50	रु. 92,000/-
		400	

142.12 Delegation of Powers for Sanction of Entertainment Expenditure

निवासोपरान्त प्रस्तावानुसार मनोरंजन Entertainment [illegible] निम्न राशि व्यय करने के लिये निम्नांकित अधिकारियों को [illegible] किया गया :-

Secy.

Chairman	Full Powers	Per annum
Housing Commissioner	Upto Rs.5,000/-	"
DHCS/CAO/Secretary	Rs.1,000/-	"

...7.

142.13 राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति सेवा विनियम, 1976 की प्रशासन अनुसूची में बिन्दु सं. 9 में निजी सहायक के पद पर भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करने बाबत।

विचारोपरान्त राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति सेवा विनियम 1976 की प्रशासन अनुसूची में बिन्दु सं. 9 में निजी सहायक के पद पर भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में निम्नानुसार संशोधन करना स्वीकार किया गया :-

S.No.	Description of post.	Source of recruitment.	Qualification of recruitment.	Post from which appointment by promotion is to be made.	Minimum Experience & Qualifications required for promotion.
9.	Personal Assistant	100% by promotion out of which 50% by seniority-cum-merit & 50% by test to be held by the Board.		Stenographer	5 years experience on the post of Stenographer in Hindi Or English having minimum speed of Stenography & typing in Hindi or English as follows:- English 100/40 Hindi 80/30

142.14 मंडल के पास पंजीकृत आवेदकों की आवश्यकता से अधिक अतिरिक्त भूमि को विकसित प्लाट्स के रूप में तैयार कर खुली बिक्री करने के सम्बन्ध में।

विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विभिन्न शहरों में पंजीकृत आवेदकों की आवश्यकता से अधिक उपलब्ध भूमि को विकसित प्लाट्स के रूप में तैयार कराकर बिक्री करने हेतु मंडल को अधिकृत किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि विकसित प्लाट्स की बिक्री खुली नीलामी द्वारा की जानी चाहिये :-

DHC(HQ)

...8.

1- हनुमानगढ़
2- सूरतगढ़
3- झुन्झुनू
4- मालपुरा
5- रायला
6- रामगंज मंडी
7- पारा
8- झालावाड़

142.15 राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत 24 सूत्री मांग क्रमांक 95, दिनांक 3.9.87 तथा अन्य मांगपत्र क्रमांक 101 दि 21.6.88 के सम्बन्ध में विचार।

कर्मचारी संघ की मांगों तथा मंडल द्वारा उनसे की गई वार्ता से अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्ण विवरण दिया गया। मंडल कर्मचारियों

Secy. आवंटित मकानों पर प्रशासनिक व्यय नहीं लेने के प्रश्न पर वि के प्रतिनिधि ने असहमति व्यक्त की। विचार विमर्श के बाद अ अधिकृत किया गया कि वे सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन से चर्चा कर कर्मचारी संघ की मांगों के बारे में अन्तिम निर्णय ले

142.16 राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम योजना अनुसूची में सहायक नगर नियोजक एवं सहायक वास्तुविद् पदोन्नति के कोटे में वृद्धि हेतु।

PM विचारोपरान्त राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 की योजना अनुसूची में सहायक नगर नियोजक एवं वास्तुविद् पदों पर पदोन्नति के कोटे में निम्नानुसार संशोधन स्वीकृत किया गया :-

सीधी भर्ती का कोटा 75 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कि

शेष...

(107)

और पदोन्नति का कोटा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया गया। विचारोपरान्त अनुभव के संबंध में जो संशोधन प्रस्तावित किया गया था वह स्वीकार नहीं किया गया और यह निर्णय लिया गया कि अनुभव की आवश्यकता जो विनियमों में पूर्व में अंकित है वही रखी जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि तदनुसार विनियमों में संशोधन कर राज्य सरकार से भी अनुमोदन प्राप्त कर लिया जावे।

142.17 बोर्ड में परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) के पद पर श्री अतुल शर्मा, श्री भोलादत्त शर्मा एवं श्री मुकेश जैन की सेवाएँ आयोजित की जाने के संबंध में लिये गये निर्णय की पुष्टि बाबत।

विचारोपरान्त परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) के पद पर श्री अतुल शर्मा, श्री भोलादत्त शर्मा एवं श्री मुकेश जैन की सेवाएँ आयोजित किये जाने के संबंध में लिये गये निर्णय की पुष्टि की गई।

142.18 मंडल की विभिन्न समितियों की बैठकों के निर्णयों की पुष्टि।

मंडल की निम्न समितियों की उनके समक्ष अंकित तिथियों की बैठकों की कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया गया :-

अपीलीय समिति	31.5.88
सम्पत्ति आवंटन समिति	13.5.88
सम्पत्ति आवंटन समिति	13.6.88

तत्पश्चात धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(एन. के. सेठी)
सचिव,
राजस्थान आवासन मंडल,
जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 143 वीं बैठक दिनांक 17-08-88 को मण्डल मुख्यालय के बोर्ड कक्ष में श्री एम. एल. मेहता, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1-	श्री एम. एल. मेहता	अध्यक्ष
2-	श्री चन्द्र प्रकाश	सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
3-	श्री अजयराज	आवासन आयुक्त
4-	श्री सी. एस. मेहता	मुख्य नगर नियोजक
5-	श्री एस. एस. परनामी	उप शासन सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)
6-	श्री एन. के. सेठी	सचिव

बैठक में श्री पी. आर. शर्मा, मुख्यलेखाधिकारी व श्री अब्दुल मतीन, उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय) भी उपस्थित थे।

वित्त सचिव, राजस्थान सरकार, आवश्यक राजकीय कार्यवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। उनका प्रतिनिधित्व श्री एस. एस. परनामी, उप शासन सचिव, वित्त एवं बजट आफीसर ने किया।

बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई :-

143.1 मण्डल की 142 वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।

मण्डल की 142 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गई।

143.2 मण्डल की 142 वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन।

मण्डल की 142 वीं बैठक के निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

143.3 मण्डल द्वारा सांगानेर (जयपुर) शहर में निर्माणाधीन आवासीय कालोनी का नाम "प्रताप नगर" योजना रखने बाबत।

मण्डल द्वारा सांगानेर (जयपुर शहर) में निर्माणाधीन आवासीय कॉलोनी का नाम "प्रताप नगर" रखे जाने के सम्बन्ध में प्रशासनिक कार्यालय आदेश क्रमांक प.1(6)साप्र/244, दिनांक 28.7.88 जारी किये जाने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का अवलोकन किया गया।

143.4 राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के साथ मंडल प्रशासन द्वारा किये गये समझौते दिनांक 28.7.88 की पुष्टि के सम्बन्ध में।

विचारोपरान्त राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ जयपुर के आवेदन क्रमांक 95, दिनांक 3.9.87 तथा एक अतिरिक्त 8 सूत्री मांग पत्र क्रमांक 101, दिनांक 21.6.88 के सम्बन्ध में मण्डल प्रशासन के अधिकृत अधिकारियों और राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी संघ जयपुर के बीच दिनांक 28.7.88 को निपटाये गये समझौते को देखा गया। समझौते के बिन्दु संख्या छः (6) के सम्बन्ध में संबंधित मण्डल के प्रतिनिधि एवं आवासन सचिव, वित्त ने अपना मत व्यक्त किया। तत्पश्चात विचारोपरान्त उक्त समझौता दिनांक 28.7.88 की पुष्टि की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि संभागीय अस्पताल में मण्डल के कर्मचारियों को उसी प्रकार की सुविधाएं दी जावे जो राजस्थान वित्त निगम में कर्मचारियों को दी जाती है। इसके अलावा किराया सवाई मानसिंह अस्पताल में लिये जाने वाले किराये के देय होगा।

143.5 मण्डल कर्मचारियों को देय मकान किराया भत्ता में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

C.A.O. विचारोपरान्त यह मंजूर किया गया कि राजस्थान राज्य वित्त

कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड के आदेश क्रमांक बी-2(15)64(10-44, दिनांक 18-6-88 को मकान किराया भत्ते में वृद्धि के लिये आधार नहीं बनाया जा सकता। बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि राजस्थान सरकार के ब्यूरो ऑफ पब्लिक एन्टरप्राईजेज ने इस संबंध में राजस्थान राज्य ग्रिड कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन को उपरोक्त निर्णय की समीक्षा कर उसे पी.पी.ई. के निर्देशों के अनुरूप करने के लिये निर्देश दिये हैं। ऐसी परिस्थिति में मकान किराया भत्ता के संबंध में प्रशासन द्वारा ब्यूरो के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यालय आदेश क्रमांक प-26(11)वि.सा./डा.सी./78/247 दिनांक 1.7.88 द्वारा स्वीकृत किये गये मकान किराया भत्ते की राशि में वृद्धि किया जाना संभव नहीं है। यदि राज्य सरकार, ब्यूरो ऑफ पब्लिक एन्टरप्राईजेज द्वारा मकान किराया भत्ते के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों/नीति में परिवर्तन किया जाता है तो मण्डल में भी इस पर पुनर्विचार किया जा सकेगा।

CAO

143.6 हुडको से स्वीकृत स्कीम नं. 5758 को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मांगना।

विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार हुडको से स्वीकृत स्कीम नं. 5758, सामूहिक आवास योजना फेज प्रथम, रंगबाड़ी कोटा में 482 मकान बनाने के लिये 150.04 लाख रूपये के प्रति प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

DHC(HQ)

143.7 Loan from HUDCO for CHS at Sector.XIII phase-II Mansarovar (Raj.) Scheme No.5880.

विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार मानसरोवर योजना के सैक्टर 13 फेज IInd के लिये हुडको से स्कीम नं. 5880 के तहत 91.64 लाख रूपये ऋण स्वरूप प्राप्त करने तथा 113 मकान बनाने के लिये 153.03 लाख रू. के व्यय के प्रति वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

DHC(HQ)

143.8 Regarding allotment of plot No. 10 measuring 0.47 acres in Chanakyapuri, New Delhi for construction of Rest House for the use of Officers of State Enterprises and Corporations.

अध्यक्ष महोदय ने दिल्ली में चाणक्यपुरी क्षेत्र में राजस्थान के राज्य उपक्रमों का सम्मिलित गेस्ट हाऊस बनाये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की। तत्पश्चात विचारोपरान्त इस प्रयोजन हेतु जमीन क्रय करने के संबंध में मंडल के हिस्से की राशि 5 लाख रु. के भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

Secy./ CAO

143.9 बालोतरा, रायला, सिवाना एवं बारां में निर्मित मकानों का निर्धारण मामला।

विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार बालोतरा, रायला, सिवाना, एवं बारां में निर्मित मकानों को त्वरित गति से निस्तारण की दृष्टि से 14 वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप सभी आय वर्गों के मकानों की लागत को पुरानी लागत पर रखकर ही निस्तारित करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि पुरानी लागत पर उपरोक्त चारों स्थानों के सभी आय वर्गों के मकानों को ओपन काउण्टर सेल पर विशिष्ठ पंजीकरण योजना के माध्यम से निस्तारित कर दिया जावे। यदि अगले तीन माह में इस संबंध में विशेष प्रगति न हो तो मंडल के समक्ष इन मकानों के निस्तारण के संबंध में जो भी प्रस्ताव आवश्यक हो पुनः प्रस्तुत किया जावे।

DHC(HC)

143.10 मंडल में फाइनेन्शियल एनालिस्ट के पद के सृजन के संबंध में।

विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार मंडल में फाइनेन्शियल एनालिस्ट के पद की परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) के वेतनमान में सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई और यह भी निर्णय लिया गया कि वर्तमान अकाउन्टेंट अथवा कास्ट अकाउन्टेंट (लागत लेखाकार) को जो वित्तीय योग्यता का धारक हो मण्डल द्वारा पहले रिटेनरशीप पर नियु-

PM

ठेकेदार को भाँति उचित कोत देकर 3 महिने के लिये रख लिया जाये और उसके कार्य की उपयोगिता देखने के बाद ही निर्धारित पद को भरने की कार्यवाही की जाये। रिटेनर फीस की राशि निर्धारित करने के लिये अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

143.11 मंडल की कालोनियों में पार्कों के विकास व वृक्षारोपण कार्यक्रम के संचालन हेतु सहायक वन संरक्षक व उनके अधीनस्थ पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

PM

विचारोपरान्त यह स्वीकार किया गया कि मंडल की अलग-अलग कालोनियों में पार्कों के लिये छोड़ी गई खाली जगहों में तथा कालोनियों में सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किये जाने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से जहाँ सहायक वन संरक्षक तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों के पद सृजन किये जाने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया वहीं यह भी महसूस किया गया कि पार्कों के उचित विकास एवं संधारण के लिये लैंड स्केप आर्कीटेक्ट तथा हार्टीकल्चरिस्ट (उद्यान विशेषज्ञ) की सेवा भी लेनी चाहिये। चूंकि इस वर्ष वृक्ष लगाने के लिये उपयोगी समय में से काफी समय निकल चुका है और योग्य व्यक्तियों की तलाश अत्यन्त होना मुश्किल होगी अतः यह निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष महोदय इस बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग की उद्यान शाखा से भी परामर्श करें और तत्पश्चात ही इन पदों के लिये प्रस्ताव बनाकर मण्डल में विचारार्थ रखा जाये।

143.12 मण्डल के सम्पत्ति आवंटन तथा वसूली के विकेन्द्रित कार्य को गति देने की दृष्टि से एस्टेट मैनेजर के कार्यालयों के गठन व उसके फलस्वरूप कुछ अतिरिक्त पदों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

PM

मण्डल में सम्पत्ति आवंटन तथा वसूली के विकेन्द्रित कार्य को गति देने की दृष्टि से एस्टेट मैनेजर के कार्यालयों के गठन व उसके फलस्वरूप कुछ

अतिरिक्त पदों की स्वीकृति की आवश्यकता [illegible] स्वीकार की गई। चूंकि एजेण्डा को देखने का पर्याप्त समय कुछ सदस्यों को नहीं मिला यह निर्णय लिया गया कि मा०प्रा०मा०प्रा० मण्डल की आगामी [illegible] आयोजित की जाकर इस प्रस्ताव पर विचार किया जाकर निर्णय [illegible] जावे।

143.13 हुडको से स्वीकृत स्कीम नं. 5732 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति [illegible]

विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार हुडको से स्वीकृत स्कीम नं. 5732 के अनुरूप कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम फेज-I, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा [illegible] 502, मकान बनाने के लिये 149.28 लाख रूपों के व्यय के प्रति प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

DHC(HC)

143.14 आवेदकों से ली जाने योग्य पंजीकरण राशि और पूर्वग्रहण राशि परिवर्तन हेतु।

विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार सीडयनी (पूर्वग्रहण) राशि की पूर्ति संबंध में प्रस्तावित कार्यालय आदेश क्रमांक 1262, दिनांक 29.2.88 द्वारा मंडल प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि की गई।

DHC(HC)

143.15 Amendment in RTB payment of Gratuity Regulations, 1976.

विचारोपरान्त राजस्थान आवासन बोर्ड पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार स्थगित रखते हुये यह चाहा गया मण्डल की आगामी बैठक में निम्न बिन्दुओं पर सूचना प्रस्तुत की जावे

CAO

(अ) प्रस्तावित संशोधनों से मंडल पर बनने वाले अतिरिक्त दायित्व के संबंध में जानकारी दी जावे।

(ब) राजस्थान के अन्य बोर्डस/कारपोरेशन्स में जो व्यवस्था हो

में उपलब्ध है और मंडल प्रशासन द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का एक तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत की जावे।

(ख) यदि आवश्यक समझा जावे तो इन संशोधनों के संबंध में कानूनी सलाह भी प्राप्त कर प्रस्तुत की जावे।

143.16 मण्डल की सम्पत्ति आवंटन समिति की दिनांक 5-7-88 को आयोजित बैठक के निर्णयों की पुष्टि।

HO

मण्डल की सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 5-7-88 के निर्णयों की जानकारी दी गई और उनकी पुष्टि की गई।

143.17 Market Borrowings of Rs. 2.40 Crores by issue of secured debentures during the year 1988-89.

CAO

विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार वर्ष 1988-89 में 2.40 करोड़ रुपये की मार्केट बॉरोविंग, सिक्योरिटी डिबेंचर जारी कर प्राप्त करने के प्रति स्वीकृति प्रदान की गई।

143.18 सैक्टर नं. 1 से 4 मालवीय नगर को रख-रखाव हेतु नगर परिषद को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में।

DHC(HQ)
CAO

विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार सैक्टर नं. 1 से 4 मालवीय नगर के रख-रखाव हेतु नगर परिषद को हस्तान्तरित करने के लिये नगर परिषद, जयपुर को 10.88 लाख रु. निम्न कार्यों के लिये दिये जाने के संबंध में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई :-

(अ)	बिजली एवं स्ट्रीट लाइट का कार्य	3.63 लाख रुपये
(ब)	मल नालियों का कार्य	1.40 लाख रुपये
(स)	सड़कों का कार्य	4.85 लाख रुपये
(द)	पार्कों एवं नालियों का कार्य	1.00 लाख रुपये
		10.88 लाख रुपये

143.19 मानसरोवर योजना, जयपुर में पुलिस स्टेशन निर्माण हेतु भूखण्ड आवंटनार्थ।

विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार मानसरोवर योजना में पुलिस स्टेशन स्थापित करने की दृष्टि से पुलिस विभाग को सैक्टर चार में 250 वर्ग मीटर भूमि दिये जाने के संबंध में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। इस सम्बन्ध में उक्त योजना में पुलिस स्टेशन अविलम्ब स्थापित किये जाने हेतु सैक्टर 4 में अवाप्त किये गये एक भवन को जिसकी अवाप्ति की कीमत जो अभी तक दी गई है 92965/- रूपये है पुलिस विभाग को आवंटित किये जाने के प्रति भी स्वीकृति प्रदान की।

DHC.JC-II

अध्यक्ष महोदय को अवगत किया गया कि वे पुलिस विभाग से उक्त भूमि व भवन के आवंटन के संबंध में आवश्यक बातें अपने स्तर पर तय कर लें।

143.20 मानसरोवर में ओपन काउण्टर पर आवंटित किये जाने वाले मकानों की लागत की वैलिडिटी दिसम्बर-1988 तक बढ़ाने हेतु।

विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार मानसरोवर योजना में नये क्रेताओं की लागत के संबंध में जो निर्धारण पत्र क्रमांक एफ 2131 लागत/445 दिनांक 1.6.88 जारी किया गया था और जिसकी वैलिडिटी 31.7.88 तक ही रखी गई थी, उसकी वैलिडीटी दिसम्बर-88 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

DHC(HQ)
DHC.JC.II

तत्पश्चात धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(एस. के. सेठी)
सचिव,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 144 वीं बैठक दिनांक 14.9.88 को मण्डल मुख्यालय के बोर्ड कक्ष में श्री एम.एल.मेहता, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1-	श्री एम.एल.मेहता	अध्यक्ष
2-	श्री चन्द्र प्रकाश	सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
3-	श्री अखयराज	आवासन आयुक्त
4-	श्री सी.एस.मेहता	मुख्य नगर नियोजक
5-	श्री रमेश चन्द गोयल	उप शासन सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)
6-	श्री एन.के.रोठी	सचिव

बैठक में श्री पी.आर.शर्मा, मुख्यलेखाधिकारी व श्री अब्दुल मतीन, उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय) भी उपस्थित थे।

वित्त सचिव, राजस्थान सरकार, आवश्यक राजकीय कार्यवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। उनका प्रतिनिधित्व श्री रमेश चन्द गोयल, उप शासन सचिव, वित्त ने किया।

बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई :-

144.1 मण्डल की 143 वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।

मण्डल की 143 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गई।

144.2 मण्डल की 143 वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन।

मण्डल की 143 वीं बैठक के निर्णयों के संबंध में प्रस्तुत क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

(96)

144.3 मण्डल की 143 वीं बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या 143.17 में की पुष्टि हेतु।

प्रस्तावानुसार मण्डल की 143 वीं बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या के संबंध में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रसारित कार्यालय आदेश प।।6।।ताप्र/76/बोमी-134/88-89/296, दिनांक 6.9.88 की गई और यह निर्णय लिया गया कि बिन्दु संख्या 143.17 अब निम्नानुसार पढ़ा जावे :-

"विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार वर्ष 1988-89 में रुपये 2.40 ।।रुपये दो लाख अधिक्य राशि के साथ।। कुल रुपये 2.60 करोड़ सुरक्षित ऋण पत्र जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।"

144.4 कनिष्ठ परियोजना अभियन्ता के शत प्रतिशत सीधी भर्ती से 2.5 प्रतिशत पद मण्डल कर्मचारियों के लिये आरक्षित करने प्रावधान सेवानियमों में जोड़े जाने हेतु।

Secretary/
PM

विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार यह स्वीकार किया गया कि कनिष्ठ परियोजना अभियन्ता के पदों के सम्बन्ध में राजस्थान भाप्रा कर्मचारी ।।भर्ती एवं पदोन्नति।। विनियमों में सीधी भर्ती से भरे जाने शत प्रतिशत पदों के संबंध में यह जोड़ दिया जावे कि तीन प्रतिशत पद मंडल के ऐसे नियमित कर्मचारियों में से पदोन्नति भरे जायेंगे, जो निम्न शर्तों की पूर्ति करते हो :-

1- उक्त पद के लिये निर्धारित योग्यता मण्डल प्रशासन द्वारा स्वीकृति के आधार पर प्राप्त की गई हो।

2- कर्मचारी की उम्र 45 वर्ष से अधिक न हुई हो।

नोट:- ऐसे कर्मचारियों को उनकी पूर्व सेवाओं का लाभ वरिष्ठता गणना में नहीं दिया जायेगा।

144.5 हुडको से स्वीकृत स्कीम नं.5261 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।

विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार हुडको से स्वीकृत स्कीम संख्या 5261 के अनुरूप मानसरोवर में गवर्मेंट एम्पलाईज हाउसिंग स्कीम, फेज प्रथम, सैक्टर IX के टाईप-"अ" के लिये 223 मकान मध्यम आय वर्ग-"अ" के 133.11 लाख रूपये की लागत से बनाये जाने के प्रति मण्डल को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

DHC(HQ)/ CAO

144.6 हुडको कर्मचारियों को मकान देने के संबंध में।

विचारोपरान्त हुडको के दो कर्मचारियों श्री एन.आर.आजाद एवं श्री बी.जे.नल्ला को उनके आय मानुसार मकान आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया और यह चाहा गया कि हुडको से इन कर्मचारियों के प्रति प्राप्त अभिरूचि को देखते हुये आवंटन की कार्यवाही समाप्ति आवंटन समिति की बैठक में की जाये।

DHC(HQ) CEM

144.7 मंडल में पंजीकृत आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के कोटे को केवल 3 वर्ष तक ही अग्रनयन करने हेतु।

विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार यह निर्णय लिया गया कि आरक्षित श्रेणी के पंजीकृत आवेदकों के कोटे को भविष्य में केवल तीन रजिस्ट्रेशन वर्षों तक ही अग्रनयित किया जाये। इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र भेजकर, राज्य सरकार की भी सहमति प्राप्त कर ली जाये।

Secy. PM

144.8 वर्कचार्ज के कर्मचारियों के स्थिरीकरण के संबंध में।

प्रस्तावानुसार मंडल के वर्कचार्ज स्टाफ के स्वीकृत पदों के अतिरिक्त निम्न पद और स्वीकृत करने और तदनुसार राज्य सरकार को उनकी स्वीकृति

Secy/ PM

में संशोधन करने के लिये निवेदन करने का निर्णय लिया गया।

क्र.सं.	पद	अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या	वेतन
1-	मैसन	11	820-15
2-	इलैक्ट्रीशियन	07	820-15
3-	फिटर (वैल्डर एवं पंप ड्राईवर)	05	820-15

साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि मंडल के लिये वर्कचार्ज स्टाफ में से निम्न पदों को तुरन्त प्रभाव से कम कर और राज्य सरकार को स्वीकृत पदों की संख्या में से [illegible] करने के लिये भी निवेदन कर दिया जावे :-

क्र.सं.	पद	समाप्त करने योग्य संख्या	वे
1-	कारपेंटर	07	820-15
2-	चौकीदार	36	70[illegible]
3-	स्वीपर	21	700-[illegible]
4-	हेल्पर, गार्डनर	23	700-[illegible]
		87	

144.9 मण्डल में सम्पत्ति आवंटन तथा वसूली के विकेन्द्रित कार्य भार के लिये एस्टेट मैनेजर्स के कार्यालयों के गठन व उनके फलस्वरूप अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में।

2 copy/
PM

विचारोपरान्त मंडल में नवसृजित एस्टेट मैनेजर्स तथा स्टाफ मैनेजर्स के कार्यालयों के लिये निम्नानुसार स्टाफ स्वीकृत किया

एस्टेट मैनेजर (जयपुर वृत प्रथम तथा द्वितीय, जोधपुर व कोटा वृत के लिये)

- स्टेनोग्राफर -1
- हैल्पर -1

वसूली प्रकोष्ठ

(11)	असिस्टेंट एस्टेट मैनेजर (वसूली)	-1
(12)	रेन्ट कलक्टर (कनिष्ठ लेखाकार के वेतनमान में)	-2
(13)	असिस्टेंट रेन्ट कलक्टर (लेखासहायक के वेतनमान में)	-4
(14)	कनिष्ठ सहायक	-2
(15)	हैल्पर	-2

आवासन प्रकोष्ठ

(1)	असिस्टेंट एस्टेट मैनेजर (आवासन)	-1
(2)	वरिष्ठ सहायक	-1
(3)	सहायक	-4
(4)	कनिष्ठ सहायक	-3
(5)	हैल्पर	-3

एस्टेट मैनेजर (जयपुर वृत तृतीय, तथा उदयपुर वृत के लिये)

- स्टेनोग्राफर -1
- हैल्पर -1

वसूली प्रकोष्ठ

(11)	असिस्टेन्ट एस्टेट मैनेजर (वसूली)	-1
(12)	रेन्ट कलक्टर (कनिष्ठ लेखाकार के वेतनमान में)	-1
(13)	असिस्टेंट रेन्ट कलक्टर (लेखासहायक के वेतनमान में)	-2
(14)	हैल्पर	-1

आवासन प्रकोष्ठ

(1)	असिस्टेन्ट एस्टेट मैनेजर (आवासन)	-1
(2)	वरिष्ठ सहायक	-1
(3)	सहायक	-1
(4)	कनिष्ठ सहायक	-2
(5)	हैल्पर	-1

असिस्टेन्ट एस्टेट मैनेजर (अजमेर, बीकानेर, [illegible] अलवर तथा भीलवाड़ा [illegible] लिए)

वसूली प्रकोष्ठ		आवासन प्रकोष्ठ
(1) रेन्ट कलक्टर (कनिष्ठ लेखाकार के वेतनमान में)	-1	(1) वरिष्ठ सहायक
		(2) सहायक
(2) असिस्टेंट रेन्ट कलक्टर (लेखासहायक के वेतनमान में)	-2	(3) कनिष्ठ सहायक
		(4) हैल्पर
(3) हैल्पर	-1	

तदनुसार मण्डल प्रशासन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार [illegible] कुल 114 नये पद सृजित किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार [illegible]

(1) नवसृजित कनिष्ठ सहायक के 30 पद मण्डल के कर्मचारी [illegible] समायोजित कर भरे जायेगें।

(2) नवसृजित हैल्परों के 52 पद मंडल के कर्मचारी कर्मचारियों [illegible] समायोजित कर भरे जायेगें।

(3) वरिष्ठ सहायक के 14 नये पद सहायकों में से पदोन्नति [illegible] भरे जायेंगे।

(4) सहायक के 25 रिक्त पद कनिष्ठ सहायक से पदोन्नति [illegible] जायेगें।

(5) कनिष्ठ सहायक (कम्प्यूटर) के तीन पद मंडल के कनिष्ठ [illegible] में से चयनित कर भरे जायेगें।

(6) सहायक लेखाधिकारी के 10 पदों को लेखाकार के पदों में से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(7) लेखाकार के 6 पद लेखासहायक के पदों में से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(8) कनिष्ठ लेखाकार के कुल 61 पदों में से 31 पद लेखासहायकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(9) केवल निम्न 32 पदों पर नव-नियुक्ति की जायेगी :-

(1)	कनिष्ठ लेखाकार (1140-2250)	30 पद
(2)	टेलीफोन ऑपरेटर (880-1680)	02

यह भी निर्णय लिया गया कि:-

(1) बटाली की प्रगति हर तीन माह बाद मंडल की बैठक में प्रस्तुत की जाया करेगी।

(2) एस्टेट मैनेजर के कार्यालय द्वारा किये गये कार्य की समीक्षा और उनके लिये सृजित पदों की समीक्षा दो वर्ष बाद पुनः की जायेगी।

144.10 <u>मण्डल की विभिन्न समितियों की बैठकों के निर्णयों की पुष्टि।</u>

मण्डल की विभिन्न समितियों की विभिन्न बैठकों के निर्णयों का अवलोकन किया गया :-

1. अपीलीय समिति दिनांक 10.8.99
2. सम्पत्ति आवंटन समिति दिनांक 9.8.99

144.11 मण्डल की विभिन्न समितियों की बैठकों के निर्णयों की पुष्टि

निम्न समितियों के निर्णयों के कार्यवाही विवरण का उल्लेख किया गया तथा पुष्टि की गई :-

1- कनिष्ठ चयन समिति की बैठक दिनांक 06.10.87
2- कनिष्ठ चयन समिति की बैठक दिनांक 09.10.87
3- कनिष्ठ चयन समिति की बैठक दिनांक 10.12.87
4- कनिष्ठ चयन समिति की बैठक दिनांक 15.03.89
5- कनिष्ठ चयन समिति की बैठक दिनांक 07.04.89
6- कनिष्ठ चयन समिति की बैठक दिनांक 27.04.89
7- कनिष्ठ चयन समिति की बैठक दिनांक 06.06.[illegible]
8- कनिष्ठ चयन समिति की बैठक दिनांक 05.09.89

तत्पश्चात धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त।

(सी.[illegible])
सचिव,
राजस्थान आवास [illegible]
जयपुर।

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर ।

राजस्थान आवासन मंडल की 146वीं बैठक दिनांक 31.1.89 को मंडल मुख्यालय के बोर्ड कक्ष में श्री श्रीराम गोटेवाला, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मंडल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1- श्री श्रीराम गोटेवाला	अध्यक्ष
2- श्री आर.एस.कूमट	आवासन आयुक्त
3- श्री ओ.पी.श्रीवास्तव	उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रतिनिधि)
4- श्री वी.बी.माथुर	उप शासन सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)
5- श्री एन.के.सेठी	सचिव

बैठक में श्री अखयराज, मुख्य अभियंता, श्री पी.आर.शर्मा, मुख्यलेखाधिकारी व श्री अब्दुल मतीन, उप आवासन आयुक्त (मु.) भी उपस्थित थे ।

मुख्य नगर नियोजक श्री सी.एस.मेहता आवश्यक राजकीय कार्यवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके ।

वित्त सचिव एवं सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग भी आवश्यक कार्यवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके । उनका प्रतिनिधित्व क्रमश: श्री वी.बी. माथुर व श्री ओ.पी.श्रीवास्तव, उप सचिव ने किया ।

बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई:-

146.1 मंडल की 145वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि ।

मंडल की 145वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गई ।

146.2 मंडल की 145वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन ।

सचिव ने यह अवगत कराया कि अधिकांश कर्मचारियों के दिनांक

9.1.89 से हड़ताल पर रहने के कारण 145वीं बैठक का क्रियान्विति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सका है । फिर भी 145वीं बैठक में गये मुख्य-मुख्य निर्णयों का सिंहावलोकन किया गया । मुख्यलेखाधिकारी वसूली अभियान के दौरान हुई प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया । वसूली अभियानके दौरान प्राप्त हुई उपलब्धियों का सिंहावलोकन करते हुये महसूस किया गया कि मंडल में जब तक आवंटियों के लेखें संधारित नहीं जाते हैं, तबतक वसूली की प्रक्रिया मजबूत नहीं हो सकती । इस संबंध विचार-विमर्श के दौरान यह स्वीकार किया गया कि 1.1.85 से मुख्यालय में कैशबुक का संधारण नहीं हो पाया है । इस स्थिति को गंभीरता से लिया गया और विचार-विमर्श के बाद निम्न निर्णय लिये

कार्यवाही द्वारा मुख्यलेखाधिकारी

(अ) भविष्य में चाहें कैशबुक का संधारण कम्प्यूटर की मदद से भी किया कैशबुक की प्रमाणिकता की दृष्टि से यह आवश्यक है कि उसे मेन्यु (manual) भी तैयार कराया जावे । इस दृष्टि से मुख्यलेखाधि को निर्देश दिये गये कि:-

1. अविलम्ब 1.1.89 से कैशबुक का केन्द्रीय स्तर पर मेन्युअल संधारण प्रारम्भ कराया जावे ।
2. दिनॉक 1.1.85 से 31.12.88 तक की अवधि की कैशबुक्स जो नहीं लिखी गई, उन्हें बैंक स्करोलों तथा चालानों के आधार मेन्युअली संधारित कराई जावे ।
3. यह कार्य तीन महीनों की अवधि में अर्थात् 30.4.89 तक पूरा करवाया जावे ।

(ब) मुख्यलेखाधिकारी को अधिकृत किया गया कि वे इस प्रयोजन के लिये उपलब्ध स्टाफ में से वांछित टीमें बनाकर अविलम्ब कार्य प्रारम्भ करें और कर्मचारियों के स्थानान्तरण संबंधी प्रस्ताव अविलम्ब प्रस्तुत करें

(स) यह भी निर्णय लिया गया कि जो टीमें कैशबुक संधारण में अच्छा कार्य उन्हें अभिप्रेरण, (incentives) के रूप में कुछ राशि भी स्वीकृत क

जावे । अभिप्रेरण किस स्वरूप का हो और कितना हो इसका निर्धारण करने के लिये अध्यक्ष महोदय तथा आवासन आयुक्त महोदय को अधिकृत किया गया ।

(द) यह भी निश्चित किया गया कि 1.1.85 से 31.12.88 तक के लेखे (लेजर) तैयार करायें जावे और लेजर की एक-एक प्रति मंडल के छः वृत्त कार्यालयों में तथा सभी स्वतंत्र रूप से कार्यरत खण्ड कार्यालयों में भिजवा दी जावे, ताकि इन लेखों के आधार पर सम्पदा प्रबन्धक वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर सकें । यह भी निर्णय लिया गया कि यही प्रक्रिया भविष्य के लिये भी निर्धारित होगा और इस व्यवस्था के संबंध में मुख्यलेखाधिकारी, आवासन आयुक्त के माध्यम से समुचित कार्यालय आदेश प्रसारित करवायेंगे ।

146.3 मंडल के वर्ष 1989-90 के बजट पर विचार:-

संचालक मंडल को यह अवगत कराया गया कि कर्मचारियों की हड़ताल के कारण फिलहाल यह बजट अनुमान समयाभाव से ही रखा गया है तथा पिछले वर्ष की भाँति विस्तृत रूप से बजट अनुमान संचालक मंडल की आगामी बैठक में प्रस्तुत कर दिया जावेगा ।

वर्ष 1988-89 के संशोधित बजट अनुमान व 1989-90 के बजट अनुमान पर संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा विस्तार से विचार-विमर्श किया गया । विचार-विमर्श के दौरान यह तथ्य स्पष्ट किया गया कि वर्ष 1988-89 में मकानों हेतु भूमि की उपलब्धता में कमी होने के कारण अधिक संख्या में मकान निर्मित नहीं किये जा सके । परंतु पिछले कुछ महीनों में मंडल काफी भूमि प्राप्त कर सका है, अतः 1989-90 में बड़ी संख्या में मकानों का निर्माण संभव हो सकेगा ।

संचालक मंडल ने महसूस किया कि 1989-90 के बजट अनुमान काफी महत्वाकांक्षी है । इसलिये यह चाहा गया कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विशेष प्रयास किये जावें ।

...4.

विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् वर्ष 1988-89 का 5584.71लाख रु
का संशोधित बजट तथा वर्ष 1989-90 के लिये 11314.71लाख रुपयों
बजट अनुमान प्रस्तावानुसार अनुमोदित किये गये । यह भी निर्णय लि
गया कि संचालक मंडल की आगामी बैठक में बजट अनुमान विस्तृत रूप
तैयार कर प्रेषित किये जावें ।

146.4 मंडल में "मुख्य अभियंता" का पद सृजित किये जाने के संबंध में:-

सचिव

प्रस्तावानुसार दिनांक 21.11.88 से मंडल में "मुख्य अभियंता" का रू
पद वेतनमान 4275-135-4400-150-5300-200-5500 में सृजित किये
के संबंध में की गई कार्यवाही की पुष्टि की गई । यह भी निर्णय लिया
गया कि राज्य सरकार को मंडल के निर्णय से अवगत कराते हुये मुख्य अ
के पद के सृजित किये जाने के संबंध में औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने
लिये पुनः निवेदन कर दिया जावे ।

146.5 उप आवासन आयुक्तों के तकनीकी सहायकों के पदों को प्रोन्नत कर आवासीय अभियंता के समकक्ष बनाने के संबंध में:-

सचिव

प्रस्तावानुसार मंडल में उप आवासन आयुक्तों के तकनीकी सहायकों के प
को प्रोन्नतकर आवासीय अभियंता के पद के समकक्ष किये जाने का निर्
लिया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि इस संबंध में पदों के प्रमोश
किये जाने के संबंध में राज्य सरकार को औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने
लिये निवेदन कर दिया जावे । यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य स
की स्वीकृति प्राप्त होने पर इस निर्णय के अनुरूप कार्यवाही सम्पन्न कर ली
जावे ।

146.6 निविदा निर्माण कार्य मध्यम आय वर्ग प्रथम 32 नम्बर 10 बी स्कीम, अलवर (अनुबंध संख्या 75/82-83) ठेकेदार मैसर्स वाई. आई. मनचन्दा के खिलाफ क्लोज 2 एवं 3 के तहत कार्यवाही करने के संबंध में :-

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में मंडल को होने वाले

...5.

संभावित नुकसान की गणनाकर मामला अंतिम निर्णय हेतु आवासन आयुक्त महोदय, मुख्य अभियंता महोदय तथा मुख्यलेखाधिकारी की त्रिसदस्यीय समिति को प्रस्तुत कर दिया जावे । इन तीनों अधिकारियों को इस मामले में अंतिम निर्णय लेने के लिये अधिकृत किया गया ।

146.7 आगन्तुकों को जलपान कराने हेतु "एस्टेट मैनेजर्स" को प्रतिमाह रू. 75/- की राशि व्यय करने हेतु प्रावधान करने के संबंध में:-

विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार सम्पदा प्रबन्धकों को आगन्तुकों के सम्मान में जलपान हेतु रू. 75/-प्रतिमाह तक की राशि व्यय करने के लिये अधिकृत किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि इस संबंध में मुख्यलेखाधिकारी डेलीगेशन आफ पॉवर्स में आवश्यक संशोधन जारी कर दें ।

146.8 अन्य शहरों में जयपुर में पंजीकरण हस्तान्तरण के लिये आवेदक की विधवा से पारिजात एवं कुबेर योजना के विकल्प की शर्तें ना जोड़ने बाबत:-

विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार यह निर्णय लिया गया कि अन्य शहरों से जयपुर में पंजीकरण हस्तान्तरण की प्रार्थना यदि किसी ऐसी महिला द्वारा की जावे जो उनके पति द्वारा पंजीकरण कराये जाने के बाद विधवा हो गई हो, तो प्रत्येक मामले के गुणावगुण देखते हुये उनसे कुबेर योजना या पारिजात योजना में विकल्प लिये बिना ही तथा प्रशासनिक शुल्क छोड़ते हुये पंजीकरण हस्तान्तरण की अनुमति प्रदान करने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत कर दिया जावे ।

146.9 Amendment in RIIB payment of Gratuity Regulation 1976

मंडल के उन कर्मचारियों/अधिकारियों को जिन्हें 2500/-रुपये प्रतिमाह से अधिक वेतन प्राप्त हो रहा है को, "ग्रेच्युटी कम लाईफ इन्श्योरेंस" की स्कीम के अंतर्गत सम्मिलित करने के संबंध में विस्तार से विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि चूँकि पहले से ही सभी कर्मचारियों एवं

(1) मं.ल. की विभिन्न कॉलोनियों में विद्यालय भवन, डिस्पेंसरी/ अस्पताल भवन तथा सामुदायिक केन्द्र जैसी "जन सुविधाओं" के निर्माण में समाज सेवी संस्थाओं तथा सार्वजनिक प्रन्यासों का सहयोग प्राप्त किया जावे ।

(2) यदि ऐसी कोई भी संस्था/प्रन्यास विद्यालय भवन, अस्पताल भवन या सामुदायिक केन्द्र के निर्माण पर लगने वाली सम्पूर्ण लागत अपनी ओर से लगाने को तैयार हो और उस विद्यालय, डिस्पेंसरी/अस्पताल और सामुदायिक केन्द्र का नाम अपने संस्थान/प्रन्यास के साथ जोड़ना चाहते हों तो उसके लिये भी मंडल द्वारा उन्हें स्वीकृति दे देनी चाहिये । यदि उस भवन का स्वामित्व आवासन मंडल में निहित कराने को तैयार हों ।

(3) यदि ऐसी कोई सामाजिक सेवा में लगी हुई संस्था या सार्वजनिक प्रन्यास विद्यालय भवन अस्पताल भवन या सामुदायिक केन्द्र के निर्माण पर लगने वाली सम्पूर्ण राशि अपनी ओर से उपलब्ध करवाती है और निर्मित भवन पर अपनी संस्था के नाम के साथ-साथ "राजकीय" शब्द भी जोड़ती है तो उक्त प्रयोजनार्थ उपलब्ध करवाई जाने वाली भूमि ऐसी संस्थाओं को निःशुल्क उपलब्ध करवा दी जावे ।

(4) ऐसे सभी मामलों में मंडल को संबंधित संस्थान/प्रन्यास के साथ एक अनुबंध लिपिबद्ध करना होगा और उसमें अन्य सामान्य शर्तों के अलावा यह शर्त आवश्यक रूप से जोड़ी जावेगी कि निर्मित सम्पत्ति का स्वामित्व (proprietory rights) राजस्थान आवासन मंडल में निहित रहेगा ।

इसी के साथ-साथ मंडल की 100वीं बैठक दिनांक 26.6.82 में बिन्दु संख्या 100.3 पर पार्कों के विकास के संबंध में लिये गये निर्णयों को भी देखा गया । चूंकि यह निर्णय पूर्व में केवल जयपुर नगर जयपुर योजना के संबंध में लिया गया था, यह निर्णय लिया गया कि इस निर्णय को अविलम्ब राजस्थान में राजस्थान आवासन मंडल द्वारा निर्मित सभी कालोनियों के पार्कों तथा अन्य स्थल के विकास के संबंध में लागू माना जावे ।

...8.

अधिकारियों के लिये जीवन बीमा निगम को वार्षिक प्रिमियम दी जा रही है, अतः ग्रेच्यूटी का लाभ सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को दिया जावे ।

यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन बोर्ड ग्रेच्यूटी एक्ट 1976 में आवश्यक संशोधन कर दिया जावे ।

यह भी निर्णय लिया गया कि जीवन बीमा निगम से कहा जावे कि जिन कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रिमीयम वह जिस वर्ष से ले रहा है उसी से उन कर्मचारियों/अधिकारियों को इनस्कीम के अंतर्गत लाभ हेतु अपनी स्वीकृति मंडल को भेजे । यदि किसी कारण से जीवन बीमा निगम द्वारा यह संभव नहीं होता तो जिन कर्मचारियों/अधिकारियों का प्रिमीयम दिया गया है तथा जिन्हें पुरानी तिथि से लाभ उपलब्ध नहीं कराया जाता, राशि मंडल में वापिस लेने की कार्यवाही की जावे ।

146.10 राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी चिकित्सा परिलाभ नियम:-

मुख्य लेखाधिकारी — प्रशासन द्वारा यह प्रस्ताव अपूर्ण होने के कारण वापिस लिया गया ।

146.11 Regarding special deposits of Rs. 5.00 crores from Unit Trust of India.

मुख्य लेखाधिकारी/उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय) — विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से पाँच करोड़ रूपयों की राशि उनके पत्र क्रमांक यूटी/2240/आरएस(आर-64)/88-89 दिनांक 31.10.88 के अनुरूप डिपाजिट (deposit) के रूप में स्वीकार किये जाने के प्रति मंडल की स्वीकृति प्रदान की गई ।

146.12 मंडल की कॉलोनियों में शिक्षण सुविधा एवं सामुदायिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के संबंध में:-

विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार यह स्वीकार किया गया कि:-

146.13 राजस्थान आवासन मंडल के डिप्लोमाधारी परियोजना अभियंता [illegible] आवासीय अभियंता के पद पर पदोन्नति दिये जाने के संबंध में :

सचिव

विचारोपरान्त इस मामले में अंतिम निर्णय लेने के लिये आवासन [illegible] अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया । 146.

146.14 गोल हुडको स्कीम का प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत, [illegible] योजना वर्ष 1988 में मानसरोवर में मकानों का निर्माण [illegible]

मुख्यलेखाधिकारी/ उप आवासन आयुक्त (मु.)

विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार मानसरोवर योजना में पारिजात [illegible] 1988 के अंतर्गत 136 मकानों के निर्माण किये जाने के संबंध में 242.[illegible] रूपयों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई ।

146.15 Amendments in the Rules for Grant of Conveyance advance to [illegible] Employees of the Board.

मुख्यलेखाधिकारी

विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश [illegible] एफ.(37)एफडी(ग्रुप-2)/78-पार्ट प्रथम, दिनांक 12.10.88 द्वारा Rules for grant advances for purchase of conveyance to Gov[illegible] में नियम 4 के उप नियम (1) में क्र.सं. 2 पर किये गये संशोधन को [illegible] आवासन मंडल में 12.10.88 से ही लागू करने का निर्णय लिया गया [illegible] मुख्यलेखाधिकारी को तदनुसार मंडल के नियमों में संशोधन प्रसारित [illegible] लिये अधिकृत किया गया ।

146.16 Short term corporate loan for MIG II Housing Scheme, Mansarovar Complex, Jaipur for H.D.F.C.

मुख्यलेखाधिकारी/ उपआवासनआयुक्त (मुख्यालय)

विचारोपरान्त मानसरोवर योजना में मध्यम आय वर्ग "ब" हाऊसिंग [illegible] लिये 141 मकानों के निर्माण हेतु 150लाख रूपयों की राशि एच.डी.[illegible]

उनके पत्र दिनांक 26.10.88 के परिप्रेक्ष्य में Short term corporate loan के रूप में लिये जाने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई ।

46.17 बालोतरा, रायला, सिवाना, बारां, रामगंज मंडी एवं जयपुर के फ्लेटस विस्तारण हेतु लागत निर्धारण के संबंध में:-

विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार:-

(1) बालोतरा, रायला, सिवाना एवं बारां के मकानों के बारे में मंडल की 143वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार लागत स्थिर रखने का समय 30.6.89 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया ।

(2) रामगंज मंडी के संबंध में हालांकि मंडल की 143 वीं बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया था, किंतु चूंकि वहां अभी आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के मकान निस्तारित नहीं हो पाये है, अतः उनकी लागत पूर्व में 18.12.86 को निर्धारित हुई लागत के अनुरूप 15,450/-रूपये प्रति मकान के हिसाब से 30.6.89 तक स्थिर करने का निर्णय लिया गया ।

(3) मानसरोवर योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग "अ" के फ्लेटस चूंकि निस्तारित नहीं हो पाये है, उनकी लागत जो 1.6.88 को तय की गई थी उसे 30.6.89 तक के लिये स्थिर करने का निर्णय भी लिया गया ।

तत्पश्चात् धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई ।

9.2.89

(एस.के. बैठी)
सचिव

राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 147 वीं बैठक दिनांक 15.4.89 को मण्डल मुख्यालय के बोर्ड कक्ष में श्री श्रीराम गोटेवाला, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1-	श्री श्रीराम गोटेवाला	अध्यक्ष
2-	श्री आर.एस. कूमट	आवासन आयुक्त
3-	श्री चन्द्र प्रकाश	शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
4-	श्री सी.एस. मेहता	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
5-	श्री वी.बी. माथुर	उप शासन सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)
6-	श्री बी.एन. पुरोहित	सचिव

बैठक में श्री अखयराज, मुख्य अभियन्ता, सर्व श्री अब्दुल मतीन, एन.एन. नरहरि, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं श्री पी.आर. शर्मा, मुख्यलेखाधिकारी भी उपस्थित थे ।

वित्त सचिव, राजस्थान सरकार आवश्यक कार्यवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके । उनका प्रतिनिधित्व श्री वी.बी. माथुर, उप शासन सचिव, वित्त ने किया ।

बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई:-

147.1 मण्डल की 146 वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि:-

निम्नांकित संशोधनों के साथ मण्डल की 146 वीं बैठक दिनांक 31.1.89 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गई:-

CAO

(1) निर्णय संख्या 146.2 में मण्डल की 145 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति प्रतिवेदन में मण्डल मुख्यालय में केशबुकों का केन्द्रीय स्तर पर मुन्युअल संधारण बैंक स्केरलों तथा चालानों के आधार पर दिनांक 1.1.85 से करवाना बताया गया है, उसको बजाय 1.1.86 से पढ़ा जाये एवं केशबुकों

52

...2

का केन्द्रीय स्तर पर मेन्युअल संधारण 1.1.89 की बजाय 1.4.89 से प्रारम्भ कराया जाय, पढ़ा जाये। इसी प्रकार 146.2 (द) में 1.1.85 से 31.12.88 की बजाय लेखे (Ledger) 1.1.86 से 31.12.88 पढ़ा जाये।

(2) 146.3 में वर्ष 1988-89 का पूँजीगत 5101.06 लाख का संशोधित बजट रखने का संशोधन किया हुआ माना जाये।

147.2 मण्डल की 145 वीं व 146 वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्वित प्रतिवेदन:-

मण्डल की दिनांक 28.10.88 को आयोजित 145 वीं बैठक एवं दिनांक 31.1.89 को आयोजित 146 वीं बैठक के निर्णयों के क्रियान्वित प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

147.3 फैरोमैन से ट्रेसर के पद पर पदोन्नति का कोटा 20 प्रतिशत निर्धारित करने बाबत :-

PM

प्रस्तावानुसार ट्रेसर के पद पर सीधी भर्ती 80 प्रतिशत एवं पदोन्नति 20 प्रतिशत के बजाय राज्य सरकार के पैटर्न पर सीधी भर्ती 75 प्रतिशत एवं पदोन्नति 25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया।

147.4 आवास विकास संस्थान के सचिव पद पर होने वाले व्यय भार का बोर्ड द्वारा वहन किये जाने के संबंध में :-

CAO

श्री अब्दुल मतीन को आवास विकास संस्थान में सचिव पद पर प्रतिनियुक्ति पर भेजने एवं एक वर्ष तक संस्थान के सचिव पद पर होने वाले वेतन एवं दूसरी सहायताओं का व्यय राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वहन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई, लेकिन यह शर्त रखी गई कि संस्था समय-समय पर प्रगति से मण्डल को सूचित करती रहेगी।

...3

147.5 आवास विकास संस्थान के अधीन निर्माण केन्द्रों के लिये मण्डल द्वारा जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में :-

LAO जयपुर में मानसरोवर एवं सांगानेर में संस्था द्वारा खोले जाने वाले केन्द्रों के लिये 3-3 एकड़ जमीन निःशुल्क देने एवं शेष 6 जिलों यथा अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, कोटा एवं अलवर में 3-3 एकड़ भूमि आरक्षित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई ।

147.6 आवास विकास संस्थान को बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में :-

CAO आवास विकास संस्थान को डेढ लाख रुपये (1,50,000/-रु0) प्रति निर्माण केन्द्र के हिसाब से अनुदान देने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की गई ।

147.7 आवास विकास संस्थान के अधीन जयपुर में खोले जाने वाले दो निर्माण केन्द्रों के लिये निदेशक नियुक्त करने के संबंध में:-

PM सांगानेर एवं मानसरोवर केन्द्रों के लिये श्री के. एन. माथुर, आवासीय अभियन्ता की सेवाएँ निदेशक पद पर प्रतिनियुक्ति पर देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

147.8 मण्डल में कम्प्यूटर कार्य के लिये डेटा एण्ट्री ऑपरेटर के पद के लिये योग्यता निर्धारित किये जाने और वेतनमान में संशोधन किये जाने के संबंध में:-

PM डेटा एण्ट्री ऑपरेटर की अर्हताएँ एवं वेतनमान प्रस्तावानुसार रखने एवं तीनों पदों को मण्डल में कार्यरत कनिष्ठ सहायकों में से भरने का अनुमोदन किया गया । यह भी निर्णय किया गया कि मण्डल में कार्यरत कर्मचारियों में से कोई उपयुक्त नहीं पाया जाये तो सीधी भर्ती से भरा जाये । इसके साथ यह भी निर्णय किया गया कि मण्डल के कर्मचारियों से भरने का उपरोक्त प्रस्ताव केवल वर्तमान में उपलब्ध तीन पदों के लिये केवल एक बार के लिये ही होगा । भविष्य में सीधी भर्ती से भरा जायगा ।

147.9 आवंटन/कब्जा पत्र की राशि जमा कराने में चूक (व्यतिक्रम) करने वाले आवेदकों से लिये जाने वाले विलम्ब शुल्क के संबंध में:-

CEM (ID) मण्डल द्वारा आवंटन के तीन माह में कब्जा न लेने की स्थिति में आवंटन स्वतः ही निरस्त किये जाने की शर्त नोटिस में जोड़ने की प्रक्रिया की पुष्टि की गई। लेकिन यह भी निर्णय लिया कि विशेष परिस्थितियों में निरस्त किये गये मामले को अध्यक्ष समिति में प्रस्तुत किया जाये, जो अन्तिम निर्णय लेने के लिये सक्षम होगी। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी कारण से आवंटन पत्र निर्धारित अवधि में निरस्त होने से रह जाता है तो छूट की अवधि के बाद ब्याज दर में मूल के अतिरिक्त 6 प्रतिशत से अधिक ब्याजदर नहीं होगी।

147.10 सेवा में रहते उपार्जित अवकाशों के एवज में नकद भुगतान हेतु राजस्थान सेवा नियम के अन्तर्गत राजस्थान सेवा नियम 91 ए(4) के अनुरूप संशोधन करने के क्रम में:-

CAO उपार्जित अवकाश की एवज में नकद भुगतान संबंधी नियमों में राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधन के अनुरूप संशोधन करना एवं 1.4.89 से प्रभावी रखने का निर्णय लिया गया।

147.11 मण्डल की विभिन्न उप समितियों में तकनीकी अधिकारी के रूप में मण्डल के मुख्य अभियन्ता को सदस्य मनोनीत करने बाबत:-

Secretary मुख्य अभियन्ता को (1) वित्त एवं लागत समिति (2) लैण्ड नेगोसियेशन कमेटी (3) प्रोजेक्ट कमेटी (4) वर्क्स कमेटी (5) गुणवत्ता नियंत्रण समिति में सदस्य रखने के प्रस्ताव के अतिरिक्त सम्पत्ति आवंटन समिति का सदस्य बनाने का निर्णय लिया। मुख्य अभियन्ता के अतिरिक्त समितियों में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (वर्क्स) एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (प्लानिंग) को भी सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया।

...5

147.12 नेहरू शताब्दी वर्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के सदस्यों की आर्थिक दशा को सुदृढ़ करने हेतु दुकानों का आवंटन:-

CEM (HD) अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को दुकानों की मूल लागत की गणना करते समय जमीन की लागत रिहायशी दर पर रखने, 10 प्रतिशत लागत एवं 10 प्रतिशत सी.ई.आर. वसूल नहीं करने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया एवं यह भी निर्णय लिया गया कि इस वर्ष नेहरू शताब्दी वर्ष होने के कारण आरक्षित

ACE (W) कोटा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया जाये जिसमें से अनुसूचित जाति के लिये 12 प्रतिशत एवं जन जाति के लिये 8 प्रतिशत रखा जावे। अनुसूचित जन जाति के लिये 5,000/-रूपये का अनुदान अनुसूचित जन जाति निगम से प्राप्त करने के लिये उक्त निगम से बात की जावे।

147.13 LIG HS Ph-II Chandra Shekhar Azad Nagar, Bhilwara.(Scheme.6413)

ACE (W) विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार हुडको से स्वीकृत उपरोक्त स्कीम के संबंध में 142.92 लाख रूपये ऋण स्वरूप लेने और इस स्कीम पर 168.15 लाख रू0 व्यय करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

147.14 CHS Ph-V Goverdhan Vilas Udaipur. (Scheme No.6412)

ACE (W) विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार हुडको से स्वीकृत उपरोक्त स्कीम के संबंध में 110.03 लाख रूपये ऋणस्वरूप लेने और इस स्कीम पर 137.83 लाख रू0 व्यय करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

147.15 HIG IS West Extn. Ph-VI Chopasani Road, Jodhpur.(Scheme (6412)

विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार हुडको से स्वीकृत उपरोक्त स्कीम के संबंध में 62.60 लाख रूपये ऋणस्वरूप लेने और इस स्कीम पर 104.33 लाख रू0 व्यय करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई ।

ACE (W)

147.16 मण्डल मुख्यालय में पुलिस दल की व्यवस्था करने के संबंध में:-

मण्डल मुख्यालय में एक उप निरीक्षक के नेतृत्व में 20 सिपाहियों के एक दल को एक वर्ष की अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर रखने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

PM

147.17 राजस्थान आवासन बोर्ड भर्ती एवम् पदोन्नति नियम 1976 के शैड्यूल आफ प्लानिंग के बिन्दु संख्या 5 में संशोधन बाबत्

ट्रेसर से कनिष्ठ प्रारूपकार के पद पर सीधी भर्ती से पदोन्नति कोटा वर्तमान में 75 व 25 प्रतिशत से क्रमशः 50-50 प्रतिशत किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया । यह भी किया गया कि इन दोनों स्त्रोतों के लिये योग्यताएँ वही रखी जायें जो राज्य सरकार में निर्धारित हैं ।

PM

147.18 (1) Agenda Note by circulation No.84 (A) regarding Loan HUDCO for CIS & S Extn. Ph-III Chopasani Road, (Scheme No.6253)

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत बनने वाले 476 मकानों के लिये लाख रूपयों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सरकुलर नं. 84-ए द्वारा ली गई थी की पुष्टि की गई ।

(2) Agenda Note by Circulation No.85 regarding Loan HUDCO for CIS Ph-III Bhiwadi (Scheme No.6190)

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत बनने वाले 197 मकानों के लिये लाख रूपयों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सरकुलर 85 द्वारा ली गई थी, की पुष्टि की गई ।

...

(3) Agenda Note by Circulation No.86 regarding Loan from HUDCO for CHS Ph-I Bharatpur (Scheme No.6302)

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत बनने वाले 437 मकानों के लिये 164.63 लाख रूपों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सरकुलेशन नं. 86 द्वारा ली गई थी, की पुष्टि की गई ।

(4) Agenda note by circulation No.87 regarding Loan from HUDCO for LIG HS West Extn.Ph-VII at Chopasani Road, Jodhpur (Scheme No.6269)

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत बनने वाले 141 मकानों के लिये 103.90 लाख रूपों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सरकुलेशन नं. 87 द्वारा ली गई थी, की पुष्टि की गई ।

(5) Agenda Note by Circulation.No.88 regarding Loan from HUDCO for MIG HS Ph-IX Sect.II Mansarowar, Jaipur. (Scheme No. 6320)

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत बनने वाले 59 मकानों के लिये 54.35 लाख रूपों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सरकुलेशन नं. 88 द्वारा ली गई थी, की पुष्टि की गई ।

(6) Agenda Note By circulation No.89 regarding Loan from HUDCO for MIG HS Ph-VI H.P. Nagar West Extn.Bikaner. (Scheme No.6387).

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत बनने वाले 126 मकानों के लिये 61.70 लाख रूपों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सरकुलेशन नं. 89 द्वारा ली गई थी, की पुष्टि की गई ।

(7) Agenda Note by Circulation No.90 regarding Operational Finance support by HUDCO.

हुडको से आपरेशनल फाइनेन्सिंग सपोर्ट के अन्तर्गत 500 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता हुडको के नियमों के अनुसार प्राप्त करने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सरकुलेशन नं. 90 द्वारा ली गई थी, की पुष्टि की गई ।

...8

(8) Agenda Note by Circulation No.91 regarding Loan f
for land acquisition Scheme at Jhalamand, Jodhpur

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत 1582.2 बीघा जमीन अवाप्त
लिये 317.85 लाख रूपये व्यय करने की प्रशासनिक एवं वित्त
स्वीकृति सरक्यूलेशन नं. 91 द्वारा ली गई थी, की पुष्टि

(9) Agenda note by circulation No.92 regarding Loan f
for Land Acquisition Scheme for Mansarowar, Jaipur

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत 425.6 बीघा जमीन अवाप्त करने
लिये 216.59 लाख रूपये व्यय करने की प्रशासनिक एवं वित्त
स्वीकृति सरक्यूलेशन नं. 92 द्वारा ली गई थी, की पुष्टि

147.19 मण्डल की विभिन्न समितियों की बैठकों के निर्णयों की

प्रस्तावानुसार मण्डल की दिनांक 24.11.88 व 18.1.89 को
आयोजित परियोजना समिति की बैठकों के निर्णयों एवं दिनां
24.11.88 व 13.12.88, 29.12.88 को आयोजित सम्पत्ति
आवंटन समिति की बैठकों के निर्णयों को अनुमोदित किया गया

147.20 डाक्टर एस. राधाकृष्णन की जन्म शताब्दी पर राजस्थान वि
विद्यालय के श्रेष्ठ प्रोफेसरों को 5 मकानों का आवंटन :-

राजस्थान के पाँचों विश्वविद्यालयों के सर्वश्रेष्ठ 5 Emerites
CEM (ID) प्रोफेसरों को कुल पाँच मकान आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोद
किया गया।

...9

147.21 एक और पद अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता का सृजित किये जाने तथा मुख्य अभियन्ता के तकनीकी सहायक के पद को आवासीय अभियन्ता से क्रमोन्नत कर उप आवासन आयुक्त के स्तर पर करने बाबत :-

PM — अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के एक अतिरिक्त पद को छः माह के लिये सृजन का निर्णय लिया गया । इस बिन्दु पर मण्डल की अगली बैठक में पुनः समीक्षा की जायेगी । मुख्य अभियन्ता के तकनीकी सहायक के पद को उप आवासन आयुक्त के स्तर का क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई ।

147.22 HIS HS Ph-V, Naka Madar Ajmer (Scheme No.6477)

ACE (W) — विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार हुडको से स्वीकृत उपरोक्त स्कीम के संबंध में 81.06 लाख रुपये ऋणस्वरूप लेने और इस स्कीम पर 95.37 लाख रुपये खर्च करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई ।

147.23 आवासीय अभियन्ताओं के तकनीकी सहायकों के पद को क्रमोन्नत कर परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) के स्तर का करने बाबत :-

CAO/PM — इस मामले में निर्णय लिया गया कि इस मामले का परीक्षण पहले वित्त समिति कर ले ।

147.24 श्री कुलदीप साहनी को जयपुर की जवाहर नगर योजना में उच्च आय वर्ग का फ्लैट आवंटन हेतु:-

इस मामले को ड्रोप किया गया ।

147.25 मण्डल के डेलीग्रेशन ऑफ पावर्स में संशोधन के संबंध में:-

PM — इस मामले को अगली बैठक में विचारार्थ रखने का निर्णय लिया गया ।

...10

147.26 मण्डल का 1988-89 का संशोधित बजट अनुमान व 1989-90 का अनुमानित बजट :-

CAO वर्ष 1988-89 का संशोधित बजट अनुमान व 1989-90 का अनुमानित बजट स्वीकृत किया गया ।

तत्पश्चात् धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त

(बी. एन. पुरोहित)
सचिव
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर ।

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 148वीं बैठक दिनांक 15.6.89 को मंडल मुख्यालय के बोर्ड कक्ष में श्री श्रीराम गोदेवाला, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मंडल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1-	श्री श्रीराम गोदेवाला	अध्यक्ष
2-	श्री आर.एस.कूमट	आवासन आयुक्त
3-	श्री पी.एन.भंडारी	शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
4-	श्री सी.एस.मेहता	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
5-	श्री वी.बी.माथुर	उप शासन सचिव वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)
6-	श्री बी.एन.पुरोहित	सचिव

बैठक में श्री अयपराज, मुख्य अभियन्ता, श्री श्री अब्दुल मतीन, एन.एन.नरहरि, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं श्री पी.आर.शर्मा, मुख्यलेखाधिकारी भी उपस्थित थे।

वित्त सचिव, राजस्थान सरकार आवश्यक कार्यवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। उनका प्रतिनिधित्व श्री वी.बी.माथुर, उप शासन सचिव, वित्त ने किया।

बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई :-

प्रारम्भ में अध्यक्ष महोदय ने मंडल की विभिन्न गतिविधियाँ, पंजीकरण एवं निर्माणाधीन मकानों के बारे में विवरण दिया। उन्होंने जमीन अधिग्रहण करने की कार्यवाही में तेजी लाने पर जोर दिया और भविष्य में भूमि आपसी समझौते के द्वारा प्राप्त किये जाने पर जोर दिया। उन्होंने सांगानेर योजना के पास दो हजार बीघा ग्राम टीलावाला में निर्धारित कर लिये जाने की सूचना, जयपुर विकास प्राधिकरण को तीन लाख वर्ग मीटर भूमि विद्याधर नगर में आवंटन करने के लिये निबेटन किये जाने की सूचना देते हुये इसकी शीघ्र स्वीकृति प्राप्त होने की

आशा की। मानसरोवर योजना के सेक्टर 7 व 8 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के मामले जुलाई-अगस्त तक निर्णय होने की आशा जताई। प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड एवं आवास विकास मंडल निर्माण कार्य आवंटित करने के बारे में चल रहे विचार-विमर्श की सूचना दी गई।

148.1 मंडल की 147 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन।

मंडल की 147वीं बैठक दिनांक 15.4.89 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गई।

148.2 मंडल की 147वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन।

मंडल की दिनांक 15.4.89 को हुई 147 वीं बैठक के निर्णयों के क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

148.3 लाल भवन पार्क, सुभाष नगर जयपुर, नाहरी का नाका, जयपुर के विकास हेतु।

लाल भवन पार्क, सुभाष नगर जयपुर के विकास हेतु राजस्थान आवास मंडल की तरफ से एक लाख रुपये मंडल द्वारा व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

148.4 LIG M.S ph-I Chandra Shekhar Azad Nagar, Bhilwara (Scheme No. 3523)

चन्द्र शेखर आजाद नगर, भीलवाड़ा की अल्प आय वर्ग, फेज प्रथम की 229.38 लाख रुपयों का ऋण प्राप्त करने के लिये अनुमति प्रदान की गई।

148.5 CIS S.E Extn. ph-II Chopasani Road Jodhpur. (Scheme No. 45221)

चोपासनी रोड, फेज द्वितीय, जोधपुर (योजना सं. 45221 के लिये

166.46 लाख रूपयों का ऋण हडको से लेने की स्वीकृति प्रदान की गई एवं निर्माण कार्य के लिये 196.14 लाख रूपयों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

140.6 MIG II H.S. Ph.IV Shastri Nagar, Bhilwara (Scheme No.6596)

ACE(W) शास्त्री नगर, भीलवाड़ा मध्यम आय वर्ग (ब) (योजना नं. 6596) के लिये 44.62 लाख रूपयों का ऋण हुडको से प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई।

140.7 मंडल की विभिन्न समितियों की बैठकों के निर्णयों की पुष्टि :-

मंडल की निम्न समितियों की बैठकों में की गई कार्यवाही की पुष्टि की गई।

1. दिनांक 6.4.89 को आयोजित प्रोजेक्ट समिति की बैठक
2. दिनांक 6.4.89 को आयोजित सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक एवं
3. दिनांक 12. 5.89 को आयोजित अपीलीय समिति की बैठक

140.8 मानसरोवर योजना के सेक्टर नं. 9 में उच्च आय वर्ग के 82 मकानों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

ACE(W) मानसरोवर योजना के सेक्टर नं. 9 में उच्च आय वर्ग के 82 मकानों की लागत 106.00 लाख रूपये व्यय करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

140.9 प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पारिजात योजना 1988, जोधपुर।

ACE(W) जोधपुर में पारिजात योजना 1988 के अन्तर्गत 123.54 लाख रूपयों की लागत से निर्माण की योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

140.10 पारिजात योजना 111/88 के तहत बनाये जाने वाले मकानों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।

ACE(W) जयपुर की मानसरोवर योजना में पारिजात योजना 111/88 के लिये

कुल निर्माण लागत 946.73 लाख रुपयों की प्रशासनिक एवं [illegible] स्वीकृति प्रदान की गई।

148.11 मानसरोवर योजना में मध्यम आय वर्ग "अ" के 208 मकानों की [illegible] की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति [illegible]

LCA(W) मानसरोवर योजना जयपुर के सेक्टर 12 में मध्यम आय वर्ग "अ" 6×12 वर्ग मीटर के 208 मकानों के लिये 124.15 लाख रुपये [illegible] लागत की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

148.12 श्री एस.एन. [illegible], स्वतन्त्रता सेनानी के नाम आवंटित आवास संख्या 7/184, मालवीय नगर पर पूर्वग्रहण राशि पर [illegible] माफ करने के बारे में।

DMC(JC-I) विचार-विमर्श के पश्चात यह पाया गया कि सेटआफ हो जाने [illegible] राशि के पश्चात शास्ती 4,200/- रुपये रह जायेगी। अतः [illegible] अल्प राशि को माफ करने का कोई औचित्य नहीं है। मंडल ने [illegible] भी निर्देश दिया कि वृत कार्यालय ने सेटआफ पूर्व में ही क्यों नहीं [illegible] दिया एवं पूरी शास्ती की राशि क्यों वसूल की [illegible] पुष्ट किया जाए एवं कब्जा देने में विलम्ब करने वालों का [illegible] निश्चित कर गलती करने वाले के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही [illegible] जाए।

148.13 मंडल की दोनों सड़क दिनांक 17.6.70 के निर्णयानुसार [illegible] सहायकों को जो स्नातक है, तत्कालीन वेतनमान रुपये 110-2[illegible] रुपये 130/- प्रतिमाह पर प्रारम्भिक स्टार्ट दिये गये [illegible] सड़क दिनांक 6.7.83 के विचार बिन्दु संख्या 142.10 पर [illegible] निर्णयों पर पुनः विचार करने के संबंध में।

CAO इस मामले पर निर्णय स्थगित रखा गया और यह निर्णय लिया [illegible]

कि सचिव, मुख्यलेखाधिकारी एवं श्री डी.डी. माथुर, पूरे प्रकरण का विस्तृत रूप में परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

148.14 राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 के तकनीकी शिड्यूल में उप आवासन आयुक्त से अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के नियमों को शामिल करने बाबत।

कालम 13 में अनुभव पांच वर्ष की बजाय 7 वर्ष करने के निर्णय के साथ प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अब अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद पर 100 प्रतिशत पदोन्नति होगी जो उप आवासन आयुक्त के पद से की जायेगी। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के लिये अभियांत्रिकी में स्नातक शिक्षित होना, 7 वर्ष का उप आवासन आयुक्त का अनुभव होना व कम से कम 17 वर्ष की कुल सेवा होना निर्धारित किया गया। पदोन्नति पूर्णतः योग्यता के आधार पर होगी।

148.15 सम्पदा प्रबन्धक के पद पर पदोन्नति हेतु राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 में प्रावधान जोड़ने बाबत।

विचार स्थगित रखा गया एवं निर्देश दिया गया कि प्रस्ताव एक बार नये सिरे से परीक्षण कर प्रस्तुत किया जाए।

148.16 राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 के शिड्यूल आफ एकाउन्टस में लेखाधिकारी से वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु प्रावधान जोड़ने बाबत।

प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद 50 प्रतिशत पदोन्नति एवं 50 प्रतिशत राज्य सरकार के लेखा सेवा संवर्ग से प्रतिनियुक्ति पर लेकर भरा जायेगा। पदोन्नति के लिये लेखाधिकारी के पद पर पाँच वर्ष का अनुभव, कुल 15 वर्ष की सेवा एवं स्नातक होना आवश्यक रखा गया। इस पद पर पदोन्नति पूर्णतया योग्यता के आधार पर होगी।

148.17 राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम की प्रशासनिक अनुसूची में टेलीफोन आॅपरेटर के पद पर सीधी भर्ती पदोन्नति हेतु योग्यता शामिल करने बाबत।

PM

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया लेकिन योग्यता के हायर सेकण्डरी के टी.टी.सी. से पी.ए.बी.एक्स के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। राज्य स्तर के खिलाडी होने के प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी गई।

148.18 हुडको कर्मचारियों को जयपुर की विभिन्न योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के मकान/फ्लेट आवंटन के संबंध में।

CLM (ID)

विचार-विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि श्री अरोड़ा व श्री तनेजा हुडको कर्मचारियों को उनके आय वर्गानुसार मकान आवंटन समिति के माध्यम से दे दिया जाए। इसी प्रकार यू.टी.आई. (यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया) के कर्मचारी श्री कुलदीप साहनी को भी मकान आवंटित करने की स्वीकृति दी गई।

148.19 सहायक सचिव पद पर भर्ती/पदोन्नति का स्त्रोत तय कर सेवा नियमों में शामिल करने बाबत।

PM

प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। जिसके अनुसार प्रशासनिक शाखा में 1400-3050 वाली वेतमान श्रृंखला में अर्हरत कार्मिक प्रबन्धक, जन सम्पर्क अधिकारी, सहायक आवासन अधिकारी जो कम से कम स्नातक हो (स्नातकोत्तर को प्राथमिकता) 7 वर्ष का अनुभव का स्क्रीनींग कर लिया जाए। पात्र अधिकारी उपलब्ध न होने पर आर.ए.स. किया जा सकेगा।

148.20 अजमेर शहर की खानपुरा आवासीय योजना के लिये अवाप्त की जा रही भूमि पर अनधिकृत निर्माण होने के कारण भूमि के अवाप्ति को समाप्त (लैप्स) करने की पुष्टि बाबत।

LAO प्रस्तावानुसार अवाप्ति से समाप्ति (लैप्स) की कार्यवाही की पुष्टि की गई।

148.21 मंडल की लैण्ड नेगोसियेशन कमेटी की बैठक दिनांक 14.2.89 एवं 17.4.89 के निर्णयों की पुष्टि हेतु।

लैण्ड नेगोसियेशन कमेटी की बैठक दिनांक 14.2.89 एवं 17.4.89 के निर्णयों का अवलोकन किया गया एवं पुष्टि की गई।

148.22 राष्ट्रीय हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी संघ के 13 सूत्री मांग पत्र पर संघ पदाधिकारियों एवं मंडल प्रशासन के मध्य दिनांक 30.8.88 को हुये समझौते की पुष्टि बाबत।

15/6/89

PM राष्ट्रीय हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी संघ के साथ हुये समझौते के प्रारूप को अनुमोदित किया गया लेकिन यह निर्णय लिया गया कि समझौते पर हस्ताक्षर करने के पूर्व निर्णय संख्या 3 "वर्कचार्ज कर्मचारी श्रम कल्याण कोष" की स्थापना संबंधी मामला राज्य सरकार को प्रस्तुत कर उसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए।

148.23 ड्राइंग सेक्शन को अपग्रेड करने के संबंध में।

PM देवल वरिष्ठ वास्तुविद् नगर नियोजक के स्थान पर देवल वरिष्ठ नगर नियोजक के नाम से पद सृजित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। लेकिन यह निर्देश दिये गये कि राज्य सरकार से इस पद पर अधिकारी लेते समय यह स्पष्ट निवेदन किया जाए कि राजस्थान आवासन मंडल में वास्तुविद् नगर नियोजक की आवश्यकता है। अगर वास्तुविद् विभाग में उपलब्ध न हो तो खुले बाजार से नियुक्ति कर ली जाए।

नव सृजित पद के सहयोग के लिये अधीनस्थ कर्मचारियों के बारे आवासन आयुक्त, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मंडल के सचिव एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा परीक्षण करवा कर पृथक से प्रस्ताव मंडल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाए।

148.24 मंडल की वित्त एवं लागत समिति की बैठक दिनांक 5.6.89 के निर्णय पुष्टि हेतु।

वित्त एवं लागत समिति की बैठक दिनांक 6.6.89 की कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया गया जिसमें आवासीय अभियन्ता के तकनीकी सहायक पद को परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) से परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव है। इस विवरण के उपरान्त वित्त एवं लागत समिति के प्रस्ताव को पारित किया।

PM

148.26 जमीनों की लागत के संबंध में।

जमीनों की लागत के संबंध में प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

148.29 मानसरोवर में फ्लेट्स के निस्तारण के संबंध में।

मानसरोवर योजना में फ्लेट्स का निस्तारण नहीं होने के कारण लागत को 30.6.89 तक स्थिर करने के पूर्व के बोर्ड निर्णय को 31.12.89 तक बढ़ाया गया।

CAO
DHO (JC-II)

समयाभाव के कारण निम्न विचार बिन्दुओं को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया :-

148.25 मुख्य विधि सहायक एवं विधि सहायक का एक - एक पद सृजित कर सेवा नियम 1976 प्रशासनिक अनुसूची में शामिल करने बाबत।

Submitted in 145th B.M.

148.27 आवास विकास संस्थान को मशीनों की खरीद एवं बैंक से ऋण लेने हेतु काउण्टर गारंटी देने के संबंध में।

148.28 भूखण्डों के निस्तारण के संबंध में।

Submitted in 149th B.M.

हेलीगोन आॅफ पावर्स का प्रस्ताव भी आगामी बैठक में विचारार्थ लिया जायेगा।

तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(बी. एन. पुरोहित)
सचिव,
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 149 वीं बैठक दिनांक 26.7.89 को मण्डल मुख्यालय के बोर्ड कक्ष में श्री श्रीराम गोटेवाला, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1-	श्री श्रीराम गोटेवाला	अध्यक्ष
2-	श्री पी. एन. भण्डारी	शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
3-	श्री सी. एस. मेहता	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान
4-	श्री वी. बी. माथुर	उप शासन सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)
5-	श्री बी. एन. पुरोहित	सचिव

बैठक में सर्व श्री अखयराज, मुख्य अभियन्ता, अब्दुल मतीन, एन. एन. नरहरि, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं श्री पी. आर. शर्मा, मुख्य लेखाधिकारी भी उपस्थित थे ।

आवासन आयुक्त आकस्मिक अवकाश पर होने के कारण एवं वित्त सचिव राजस्थान सरकार आवश्यक कार्यवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके । वित्त सचिव का प्रतिनिधित्व श्री वी. बी. माथुर, उप-शासन सचिव, वित्त ने किया ।

बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई :-

149.1 मण्डल की 148 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन :-

मण्डल की 148 वीं बैठक दिनांक 15.6.89 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गयी ।

149.2 मण्डल की 148 वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन :-

क्रियान्विति प्रतिवेदन आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निवेदन किया गया जो स्वीकार कर लिया गया ।

149.3 केन्द्रीय आवास नीति के संबंध में राजस्थान आवासन मण्डल की
ACE(P&M) गतिविधियों एवं भूमि अवाप्ति :-

भूमि अवाप्ति में गति लाने हेतु विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि जमीन अवाप्ति हेतु निम्न प्रक्रिया भी अपनाई जावे:-

§अ§ विकसित भूखण्डों का विकल्प देकर जमीन की अवाप्ति

§ब§ भू धारियों या निजी निर्माणकर्ताओं से मिलकर आवासीय योजना की क्रियान्विति ।

§अ§ विकसित भूखण्डों के बदले जमीन अवाप्त करना :-

विकसित भूखण्डों के बदले जमीन के बारे में यह तय किया गया कि प्रत्येक स्थान पर खाली भूमि की कीमत देखते हुए एक स्टेण्डर्ड प्रोफार्मा पेश किया जाना आवश्यक है जिसमें निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जा सकता है :-

1- जमीन मण्डल को तुरन्त अवाप्ति हेतु उपलब्ध हो रही है, अतः अवाप्ति में लगने वाले समय के ब्याज की बचत होगी ।

2- स्टेण्डर्ड फार्मूला ऐसा हो, जिससे कि अधिक से अधिक लोग अपनी भूमि मण्डल को देने हेतु आकर्षित हो सकें ।

3- राजस्थान आवासन मण्डल को भूमि के मुआवजे के तौर पर कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है, अतः इस पर भी ब्याज की बहुत बचत हो रही है ।

इन सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए तय किया गया कि जयपुर के लिए भूमि का 12 प्रतिशत विकसित क्षेत्र भूमिधारी को अवाप्ति के बदले में दिया जावे । भूमि धारी को विकसित क्षेत्र के अतिरिक्त भूमि का और कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा ।

§ब§ भू-धारियों या निजी निर्माणकर्ताओं के साथ मिलकर आवासीय योजना की क्रियान्विति :-

किसी भूमि धारी या निजी निर्माणकर्ता के साथ मिलकर कार्य करने के लिए निर्णय लिया गया । इस हेतु एक प्रारम्भिक कार्यक्रम तैयार किया जावे एवं उस पर विचार विमर्श करने हेतु बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्ताव रखा जावे ।

इन दोनों प्रक्रियाओं से जमीन लेने में "अलसर" अधिनियम से भूमि को मुक्त कराने की आवश्यकता हुई तो राज्य सरकार की ओर से स्वायत्त शासन सचिव ने विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार ऐसे प्रस्तावों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी ।

इसी सन्दर्भ में विभिन्न शहरों में पंजीकृत आवेदकों की संख्या व भूमि की उपलब्धि की समीक्षा की गयी । विचार विमर्श के दौरान कोटा की स्थिति की समीक्षा करने पर पाया गया कि वहां कार्य को देखते हुए उपलब्ध स्टाफ की आवश्यकता पर ध्यान देना आवश्यक है । कोटा में प्रथम चरण में एक खण्ड को विघटित करने हेतु विचार विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि दो माह बाद पुनः स्थिति की समीक्षा कर इस पर कार्यवाही की जावे ।

जमीन की उपलब्धता की स्थिति पर चर्चा के दौरान यह पाया गया कि लम्बी प्रतीक्षारत सूची रहने का मूल कारण कई स्थानों पर समुचित भूमि का उपलब्ध नहीं होना है । चूंकि पंजीकृत आवेदक लगभग 10 से 15 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे हैं, अतः हो सकता है कि उन्होंने दूसरी जमीन ले ली हो अथवा अन्य स्त्रोतों से मकान बिना लिये हों और अब उन्हें मकान की आवश्यकता नहीं हो । मकान जरूरतमन्दों को ही दिये जावें अतः इस बात का व्यापक प्रचार कर, कि जिन लोगों ने भूखण्ड या मकान किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त कर लिये हैं ऐसे आवेदकों को मण्डल मकान देने में असमर्थ रहेगा अतः ऐसे लोगो को अपनी पंजीकरण राशि ब्याज सहित वापिस लेने हेतु कर दिया जावे ।

इस संन्दर्भ में यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे आवेदकों से 30.9.89 तक आवेदन पत्र मांग लिये जावें और प्राप्त आवेदकों को जमा राशि विशेष अभियान चला कर तुरन्त लौटा दी जावे ।

...4

149.4 ACE(P&M) आपसी समझौते से जमीन की अवाप्ति के संबंध में ।

यह बिन्दु ड्रोप्ड किया गया । क्योंकि इस सम्बन्ध में पूर्व के बिन्दु में विचार विमर्श कर निर्णय लिया जा चुका है ।

149.5 ACE(P&M) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त की गयी जमीनों में बने हुए मकानों के सन्दर्भ में :-

इस बिन्दु पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि एक समूह में किसी स्थान पर पूर्ण भूमि में 60 प्रतिशत से अधिक पर पक्के मकान बने हुए हों तो उन्हें मुआवजे से मुक्त रखा जाए लेकिन इक्के दुक्के मकान बने हुए हों तो उन्हें अवाप्त किया जा सकता है क्योंकि ऐसा नहीं करने से योजना में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना रहती है ।

149.6 ACE(P&M) वर्ष 1989-90 में 40 हजार मकानों के निर्माण के सन्दर्भ में ।

प्रस्ताव का अवलोकन किया गया ।

149.7 ACE(P&M) बेरोजगार डाक्टर्स को क्लिनिक एवं नर्सिंग होम बनाने के लिए भूमि का आवंटन :-

यह निर्णय लिया गया कि चूंकि आवासन आयुक्त के सभापतित्व में एक समिति का गठन नर्सिंग होम के लिए भूमि आवंटन के मापदण्ड तय करने के लिए किया जा चुका है । अतः इस बिन्दु पर भी वह कमेटी विचार विमर्श कर अपना प्रतिवेदन मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें ।

149.8 ACE(P&M) दुकानों एवं गोदामों के लिए जमीन के आवंटन के संदर्भ में ।

विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि दुकानों की नीलामी से निर्माण व्यय निकालकर विशुद्ध भूमि की जो औसत कीमत आती है उस कीमत पर व्यवसायिक समूहों को भूमि आवंटित की जाए ।

149.9 हनुमानगढ़, सूरतगढ, बीकानेर, बालोतरा, बारां, रामगंजमण्डी, सिवाना, झुझनू, रायला, गुलाबपुरा, शहरों में उपलब्ध जमीन में
ACE(P&M) भूखण्डों के विस्तारण के संबंध में ।

इन स्थानों पर विकसित भूखण्डों के विस्तारण हेतु जो दरें बताई गयी हैं उसके अनुसार आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अल्प आय वर्ग के लिए रियायती दरें प्रस्तावित की जा रही हैं, जबकि मध्यम आय वर्ग व उच्च आय वर्ग के लिए आरक्षित दर से अधिक दरें लेना प्रस्तावित है ।

इस संदर्भ में मुख्य नगर नियोजक महोदय ने बताया कि नगर विकास न्यास नियमों में राजस्थान सरकार द्वारा इस प्रकार का प्रावधान किया हुआ है ।

अतः यह निर्णय लिया गया कि बिन्दु में दर्शायी गयी दरें एवं नगर विकास न्यास द्वारा प्रस्तावित दरों की समीक्षा कर जो भी दरें आवासन मण्डल के हित में हों, वे दरें स्वीकृत मानी जावे । इसके लिए विवरण बनाकर आवासन आयुक्त को प्रस्तुत किया जावे ताकि वे इस पर निर्णय ले सकें । उनके द्वारा लिया गया निर्णय अनुमोदित समझा जावे ।

149.10 आवास विकास संस्थान को मशीनों की खरीद एवं बैंक से ऋण लेने हेतु काउण्टर गारंटी देने के सम्बन्ध में :-
ACE(P&M)

प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

149.11 ठेले एवं थड़ियों के लिए जमीन आवंटन करने के सन्दर्भ में :-

प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखा गया ।

149.12 हुडको के अपने कर्मचारियों के लिए आवासीय भूखण्डों का आवंटन :-
ACE(P&M)

हुडको ने अपने जयपुर कार्यालय के कर्मचारियों के लिए 10 प्लाट सांगानेर योजना में मांगे थे । इन भूखण्डों पर मकान हुडको के

[illegible]रा ही बनाये जायेंगे जो कि हुडको उनके कर्मचारियों को किराये पर देगा । इस सम्पत्ति का स्वामित्व हुडको का ही रहेगा ।

प्रस्ताव पारित किया गया ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न बिन्दुओं पर विचार कर निर्णय लिया गया

/149.13 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेडियम के विकास के लिए भूखण्ड आवंटन हेतु :-

ACE(P&M)

ACE (W)

यह सिद्धान्ततः स्वीकृति दी गयी कि बैंक को भूखण्ड आवंटित कर दिया जाए । लेकिन इसकी शर्त क्या होगी ? कितनी अवधि में एवं कितने चरणों में स्टेडियम का विकास किया जावेगा ? इसकी सूचना बैंक से मांग ली जाए एवं मामला पुष्टि के लिये मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए ।

/149.14 वर्ष 1989-90 में 2.60 करोड़ रुपयों के सिक्योर्ड ऋणपत्र जारी करने की स्वीकृति :-

CAO

प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

/149.15 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जयपुर से 536.24 लाख रु0 टर्म लोन के रूप में प्राप्त करने की स्वीकृति :-

CAO

प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई ।

॥बी. एन. पुरोहित॥
सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 150 वीं बैठक दिनांक 18.12.89 को मण्डल मुख्यालय के बोर्ड कक्ष में श्री श्रीराम गोटेवाला, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1-	श्री श्रीराम गोटेवाला	अध्यक्ष
2-	श्री पी. एन. भण्डारी	शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
3-	श्री पी. के. लोरिया	आवासन आयुक्त
4-	श्री सी. एस. मेहता	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान
5-	श्री वी. बी. माथुर	उप शासन सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)
6-	श्री बी. एन. पुरोहित	सचिव

बैठक में सर्व श्री अब्दुल मतीन, एन. एन. नरहरि, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं श्री पी. आर. शर्मा, मुख्यलेखाधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठक की कार्यवाही शुरू करने से पूर्व मण्डल ने निवर्तमान आवासन आयुक्त श्री आर. एस. कूमट, आई. ए. एस. एवं सेवानिवृत मुख्य अभियन्ता श्री अक्षयराज माथुर द्वारा इस बोर्ड में दी गयी अनुकरणीय सेवाओं के लिये प्रशंसा की।

बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई :-

150.1 मण्डल की 149 वीं बैठक में निर्णय संख्या 149.3 में कोटा में एक खण्ड को विघटित करने के स्थान पर दो खंड विघटित करने, निर्णय संख्या 149.6 में प्रस्ताव का अवलोकन किया गया" के आगे "इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट आफ इंडिया" को आपसी समझौते से दिये गये निर्माण कार्यों के ठेके की पुष्टि की गई" शब्द जोड़े जाने तथा 149.8 में "औसत कीमत पर व्यवसायिक समूहों को भूमि आवंटित की जाए" के आगे "भविष्य में प्रत्येक ग्रुप के लिये मामला मण्डल में प्रस्तुत किया जाय" शब्द जोड़े जाने के निर्देश के साथ

DD(SPM)
ACE(W)

2..

149 वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया। 149.13 के निर्णय के बारे में यह निर्देश दिये गये कि इस मामले में बैंक से प्राप्त सूचना के साथ मामला बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जावे।

150.2 मण्डल की 148 व 149 वीं बैठकों के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन।

मण्डल की 148 व 149 वीं बैठकों के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया।

150.3 सेवा में रहते उपार्जित अवकाशों के एवज में नकद भुगतान हेतु राज्य सेवा नियम के अन्तर्गत राजस्थान सेवा नियम 91 ए (4) के अनुसार संशोधन के क्रम में।

संचालक मण्डल की बैठक संख्या 147.10 दिनांक 15.4.89 के निर्णय में क्रियान्विति के लागू करने की तारीख 1.4.89 रखी गयी थी, इसके
CAO/PM बजाय उसे 1.1.83 से प्रभावशील करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी।

150.4 राजस्थान आवासन मण्डल में एसकलेशन क्लाज का समावेश।

सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं अन्य सरकारी संस्थाओं में प्रचलित एसकलेशन क्लाज को बोर्ड द्वारा अंगीकार किये जाने संबंधी प्रस्ताव को सिद्धान्ततः
ACE(W) स्वीकृति दी गयी, लेकिन पूर्णतः परीक्षण कर अंतिम निर्णय लेने के लिये श्री पी.के. लोढ़िया, आवासन आयुक्त एवं श्री वी.वी. माथुर, वित्त विभाग के प्रतिनिधि को अधिकृत किया गया।

150.5 कोटा स्थित मण्डल की आवासीय योजना "बल्लभवाड़ी" से सरोवर नगर के रूप में नाम परिवर्तन करने बाबत।

इस प्रस्ताव को वापिस ले लिया गया।

..3

150.6 मुख्य विधि सहायक एवम विधि सहायक का एक-एक पद सृजित कर सेवा नियम 1976 प्रशासनिक अनुसूची में शामिल करने बाबत।

मण्डल में वर्तमान में उपलब्ध विधि सहायक का एक पद को क्रमोन्नत कर वेतन श्रृंखला 1490-3050 (पुनरीक्षित 2000-3200) में मुख्य विधि सहायक बनाने, 100 % पदोन्नति से भरने एवं इसके लिये विधि सहायक के पद पर 5 वर्ष के अनुभव निर्धारित करने तथा विधि सहायक का एक अतिरिक्त पद सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। विधि सहायक का पद शत प्रतिशत सीधी भर्ती से भरने एवं इसके लिये विधि ~~सहायक~~ के लिये (तीन वर्षीय व्यवसायिक डिग्री) अर्हतायें निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। बोर्ड ने यह भी सुझाया कि प्रत्येक वृत में एक विधि सहायक का पद हो जो उस वृत से संबंधित सभी अदालती मामलों में प्रभारी अधिकारी का कार्य करे ताकि तकनीकी अधिकारियों को इस कार्य से मुक्त रखा जा सके। इस संबंध में वित्तीय भार बताते हुये प्रस्ताव बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

PM

150.7 उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु उपभोक्ता समिति के गठन के संबंध में।

मण्डल में उपभोक्ता समझौता समिति निम्नानुसार गठित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी।

CHM

1-	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पदेन)	संयोजक
2-	सचिव, राज. आवासन मण्डल	सदस्य
3-	विधि अधिकारी	सदस्य
4-	मुख्यलेखाधिकारी	सदस्य
5-	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक	सदस्य-सचिव
6-	संबंधित उप आवासन आयुक्त	आमन्त्रित सदस्य

...4.

इसके साथ ही यह निर्देश भी दिये गये कि कोटा, जोधपुर, उदयपुर में महिनें में एक बार समिति अपनी बैठक रख कर वहाँ की शिकायतों का निस्तारण करे। समिति अपने मामलें जिसमें निर्णय करने के लिये बोर्ड सक्षम हो, ऐसे मामलों को मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

150.8 राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ एवं मण्डल प्रशासन के बीच दिनांक 23.8.89 को सम्पन्न हुए समझौते की मण्डल द्वारा पुष्टि वाचत।

राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के 29 सूत्री माँग-पत्र एवं मांग पत्र

PM भाग "ब" के संबंध में मण्डल प्रशासन द्वारा किये गये समझौते की पुष्टि की गयी।

150.9 राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ एवं मण्डल प्रशासन के बीच दिनांक 23.8.89 को हुये मांग पत्र भाग "ब" के मांग संख्या 3 के सम्बन्ध में।

लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, वरिष्ठ प्रारूपकार, कनिष्ठ प्रारूपकार, परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ), सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर एवं भू-

1.1 निरीक्षक के पदों के लिये राज्य सरकार द्वारा 21.10.87 के आदेश द्वारा संशोधित वेतनमान के अनुरूप बोर्ड द्वारा जारी किये गये आदेशों की पुष्टि की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में जब-जब राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पदों के लिये वेतनमान में संशोधन किया जावे तो उसी पद नाम के मण्डल के पदों के लिये भी वेतनमान लागू कर दिये जावें केवल वहीं मामले मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जावे जिनमें पद नाम व उनके उत्तरदायित्व के संबंध में भिन्नता हो अथवा संशय हों।

150.10 राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी संघ एवं मण्डल प्रशासन के बीच दिनांक 23.8.89 को हुये मांग पत्र भाग "ब" के मांग संख्या 6 के संबंध में।

आवासन मण्डल के सहायक पद के कर्मचारियों के वेतनमान 1.2.85 से

PM 610-1090 की बजाय 625-1120 तथा 1.9.86 से 1120-2050 की

...5

बजाय 1140-2250 पर निर्धारित किये जाने/एवं भविष्य में वेतनमान संशोधित करते समय राज्य सरकार के कार्यालयसहायक के वेतन से नीचे के वेतन स्केल निर्धारित किये जाने के प्रस्ताव पर मण्डल के सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि श्री सी. सी. माथुर एवं मण्डल के मुख्यलेखाधिकारी की कमेटी गठित की गयी, जो इस मामले का विस्तृत परीक्षण कर अन्तिम निर्णय लेने के लिये अधिकृत किया गया।

150.11 प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पारिजात योजना 1/89 मानसरोवर के संबंध में "हुडको से ऋण का चुकाँ, जोधपुर में भूमि अवाप्ति के लिये ऋण के संबंध में", एम. आई. जी. फेज-III, भारतीय नगर, भीलवाड़ा, स्कीम नं. 6655 की स्वीकृति के संबंध में" एवं "हुडको से पानेरियों की भादरी, उदयपुर में भूमि अवाप्ति के लिये ऋण के संबंध में" परिचलन से स्वीकृत प्रस्तावों की पुष्टि की गयी।

ACE(W)

विचारणीय बिन्दु संख्या 94 के लिये हुडको से ऋण के संबंध में बिन्दु संख्या 9 में आवाप्ति का 1/3 भाग आवासीय सहकारी समितियों को देने के बारे में यह निर्देश दिये गये कि राजस्थान की आवासीय समितियों की वर्तमान स्थिति को हुडको के ध्यान में लाया जावे।

150.12 सम्पदा प्रबन्धक के पद पर पदोन्नति हेतु राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 में प्रावधान जोड़ने बाबत।

PM इस प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखा गया।

150.13 मण्डल की विभिन्न समितियों की बैठकों के निर्णयों की पुष्टि बाबत।

अपीलीय समिति की बैठक दिनांक 24.7.89, परियोजना समिति की बैठक दिनांक 16.8.89 एवं सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 20.7.89, 26.9.89 एवं 9.11.89 के निर्णयों की पुष्टि की गयी।

ACE(W)
CEM

..6. पर

150.14 राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 की अनुसूची लेखा में उपलब्ध लेखा सहायक के पद को कनिष्ठ लेखाकार के रूप में परिवर्तित करने तथा भर्ती के स्रोत निर्धारित करने बाबत।

PM समयाभाव के कारण इस पर विचार स्थगित किया गया।

150.15 मण्डल की चौथी बैठक दिनांक 17.6.70 के निर्णयानुसार ऐसे कनिष्ठ सहायकों को जो स्नातक हैं, तत्कालीन वेतनमान रूपये 110-230 में रूपये 130/- प्रतिमाह का प्रारम्भिक स्टार्ट दिये गये मण्डल की 142 वीं बैठक दिनांक 6.7.88 के विचार बिन्दु संख्या 142.10 पर लिये गये निर्णयों पर पुन: विचार करने के संबंध में।

PM दिनांक 1.9.86 से 30.6.88 तक पदस्थापित कनिष्ठ सहायकों को उनके द्वारा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वेतन श्रृंखला 880-1680 में प्रारम्भिक मूल वेतन 910 दिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी और इस प्रस्ताव को भी स्वीकार किया गया कि जिन स्नातक कर्मचारियों ने पूर्व में ऊँचे स्टार्ट का लाभ ले लिया हैं, उन्हें इस निर्णय के कारण उत्पन्न हुये वेतन विसंगतियों के आधार पर किसी प्रकार का लाभ पुन: प्राप्त करने का हक नहीं होगा।

150.16 कार्यालय अधीक्षक से सहायक सम्पदा प्रबन्धक/सहायक आवासन अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु सेवा नियमों में निर्धारित कार्यानुभव में प्रथम एक वर्ष की छूट दिये जाने बाबत।

PM समयाभाव के कारण इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।

150.17 मण्डल की वित्त एवं लागत समिति की बैठक दिनांक 26.6.89 एवं 6.9.89 के निर्णय की पुष्टि हेतु।

CAO मण्डल की वित्त एवं लागत समिति की बैठक दिनांक 26.6.89 एवं 6.9.89 के निर्णयों की पुष्टि की गयी।

..7

-: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लिये गये प्रस्ताव :-

150.18 विभिन्न शहरों में भूमि का पूर्ण विकास कर विभिन्न श्रेणी के आवासीय मकानों का निर्माण कार्य कराने के लिये "टर्न की प्रोजेक्ट" प्राईवेट निर्माण संस्थाओं को दिये जाने का निर्णय लिया गया। जिसके लिये दैनिक

ACE समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया। प्राप्त प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने के लिये अध्यक्ष, आवासन बोर्ड, शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, आवासन आयुक्त, मुख्य नगर नियोजक एवं वित्त विभाग के प्रतिनिधि श्री वी. बी. माथुर की कमेटी गठित की गई। कमेटी का निर्णय मण्डल का निर्णय माना जायेगा।

150.19 सैनेटरी डीलर्स को गोदाम कम शोरूम के लिये भूखण्ड आवंटन के संबंध में।

सैनेटरी डीलर्स को गोदाम कम शोरूम के लिये भूमि आवंटन के लिये,

CEM/ACE भूमि की दर कमेटी द्वारा सुझाई गई 750/- रूपये प्रति वर्गमीटर की दर को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि भविष्य में कोई व्यवसायिक संगठन द्वारा सामूहिक रूप से व्यवसायिक भूखण्ड आवंटन का प्रस्ताव प्राप्त होगा तो उस पर निर्णय के लिये मंडल के समक्ष रखा जाए।

तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(बी. एन. पुरोहित)
सचिव,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

-: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लिये गये प्रस्ताव :-

150.18 विभिन्न शहरों में भूमि का पूर्ण विकास कर विभिन्न श्रेणी के आवासीय मकानों का निर्माण कार्य कराने के लिये "टर्न की प्रोजेक्ट" प्राईवेट निर्माण संस्थाओं को दिये जाने का निर्णय लिया गया। जिसके लिये दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया। प्राप्त प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने के लिये अध्यक्ष, आवासन बोर्ड, शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, आवासन आयुक्त, मुख्य नगर नियोजक एवं वित्त विभाग के प्रतिनिधि श्री वी. बी. माथुर की कमेटी गठित की गई। कमेटी का निर्णय मण्डल का निर्णय माना जायेगा।

ACE

150.19 सैनेटरी डीलर्स को गोदाम कम शोरूम के लिये भूखण्ड आवंटन के संबंध में।

सैनेटरी डीलर्स को गोदाम कम शोरूम के लिये भूमि आवंटन के लिये, भूमि की दर कमेटी द्वारा सुझाई गई 750/- रूपये प्रति वर्गमीटर की दर को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि भविष्य में कोई व्यावसायिक संगठन द्वारा सामूहिक रूप से व्यावसायिक भूखण्ड आवंटन का प्रस्ताव प्राप्त हो तो उस पर निर्णय के लिये मंडल के समक्ष रखा जाए।

CEM/ACE

तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(बी. एल. पुरोहित)
सचिव,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर ।

राजस्थान आवासन मंडल की 151वीं बैठक दिनांक 30.1.90 को श्री श्रीराम गोटेवाला, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मंडल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1. श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष
2. श्री पी. एन. भण्डारी : शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
3. श्री एस. के. मुखर्जी : आवासन आयुक्त
4. श्री सी. एस. मेहता : मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान
5. श्री वी. बी. माथुर : उप शासन सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)
6. श्री बी. एन. पुरोहित : सचिव

बैठक में सर्वश्री एन. एस. नरहरि, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अब्दुल मतान, अध्यक्ष के तकनीकी सहायक एवं पी. आर. शर्मा, मुख्यलेखाधिकारी भी उपस्थित थे ।

बैठक की कार्यवाही शुरू करने से पूर्व मंडल ने निवर्तमान आवासन आयुक्त श्री पी. के. लोरियाँ की आवासन आयुक्त के रूप में अल्प अवधि में मंडल को दी गई सेवाओं के लिये प्रशंसा की ।

बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई:-

151.1 मंडल की 150वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन:-

मंडल की 150वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया ।

151.2 मंडल की 149वीं बैठक के निर्णय विन्दु संख्या 149.13 एवं 150वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन:-

ACR(W) O.A.O. मंडल की 149वीं बैठक के निर्णय की क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया । इस संबंध में निर्णय संख्या 150.4 के बारे में यह तय

...2.

किया गया कि क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अभियांत्रिकी विभागों के 51.5
रेसकेलेशन क्लॉज की समीक्षा की जा रही है अतः राज्य सरकार द्वारा
भी निर्णय लिया जाए उसी के अनुरूप मंडल में भी लागू कर दिया जाए
150.19 के निर्णय की क्रियान्विति का अवलोकन करते समय यह निर्देश
दिये गये कि भविष्य में किसी भी व्यवसायिक क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र में 51.6.
परिवर्तन करने से पूर्व परियोजना समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जा

151.3 आवासन मंडल के वर्ष 1989-90 के संशोधित बजट अनुमान व वर्ष 1990-91 के बजट अनुमान:- AO 55(1)

CAO राजस्थान आवासन मंडल के वर्ष 1989-90 के रुपये 63.39करोड़ संशोधि बजट अनुमान व वर्ष 1990-91 के रुपये 87.78 करोड़ का बजट अनु 51.7
का अनुमोदन किया गया।

151.4 सम्पदा प्रबन्धक के पद पर पदोन्नति हेतु राजस्थान आवासन बोर्ड कर्म भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 में प्रावधान जोड़ने बाबत:- 51.8

EM सम्पदा प्रबन्धकों के पद पर पदोन्नति हेतु राजस्थान आवासन बोर्ड के भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 की अनुसूची प्रपत्र में निम्नानुसार संशोधित प्रावधान जोड़ने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया:- 55(1)

S.No.	Description post.	Source of Recitt.	Qualification for deputationists	Post from which aptt ce & qualif by promotion require to head. promotion.	Minimum expe	51.9
1-	Estate Manager	Two by deputation from Jr.Scale Officers of R.A.S. cadre org.time scale, two from Asstt.Accounts Officer of the Board & the remaining by promotion from AAO's.	1)Asstt. Housing Officer 2)Asstt. Accounts Officer	5 yrs.experic on the post o Asstt.housin icer/Asstt.Ac Officers, but length of ser should not be than 15 yrs.i Board. All the will be fille on the basis merit alone.		51.10

...3.

का गई।

कार्यालय अधीक्षक से सहायक सम्पदा प्रबन्धक/सहायक आवासन अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु सेवा नियमों में निर्धारित कार्यानुभव में प्रथमत: एक वर्ष की छूट दिये जाने बाबत:-

इस बिन्दु पर विचार स्थगित रखा गया ।

जोधपुर कुडी भगतासनी योजना में इंदिरा गाँधी नगर योजना के शिलान्यास को कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में:-

कुडी भगतासनी, जोधपुर में इंदिरा गाँधी नगर योजना के शिलान्यास पर रुपये 92,116.00/- (बिरानवे हजार एक सौ सोलह मात्र) के व्यय का अनुमोदन किया गया ।

सांख्यिकी एवं आयोजना प्रकोष्ठ में [illegible] सहायक एवं एक पद लेखाकार का सृजित करने के संबंध में:-

इस बिन्दु पर विचार स्थगित रखा गया ।

चौपासनी योजना, जोधपुर में 190 आवासों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में:-

चौपासनी योजना, जोधपुर में 190 आवासों के लिये अनुमानित 154.10 लाख रुपये की लागत की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई ।

पैनल की समाप्ति आवंटन समिति की दिनांक 2.1.90 की बैठक के निर्णयों की पुष्टि हेतु:-

समाप्ति आवंटन समिति की दिनांक 2.1.90 को आयोजित बैठक की कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया गया ।

-:अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लिये गये प्रस्ताव:-

राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 के लेखा अनुसूची में कनिष्ठ सहायक से लेखा सहायक के पद पर पदोन्नति के लिये निर्धारित योग्यता में संशोधन:-

PM राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम में लेखा अनुसूचियों कनिष्ठ 5 सहायकों से लेखा सहायकों के पद पर के संबंध में दक्षता अवरोध संबंधी बोर्ड प्रस्ताव संख्या 86.128 पारित प्रस्ताव एवं राज्य सरकार द्वारा 30.8.85 को स्वीकृति किये गये संशोधन को पूर्व प्रभाव अर्थात् समाविष्ट की गई तिथि शिथिलीकृत करने का निर्णय लिया गया ।

151.11 आपसी समझौते से कृषि भूमि लेने के लिये 12 प्रतिशत विकसित लेने के संबंध में:-

BAO कृषि भूमि आपसी समझौते से लेने के लिये पूर्व में मंडल ने निर्णय कि जो कृषक अपनी कृषि भूमि मंडल को देगा उसे 12 प्रतिशत भूमि उसी योजना में दी जायेगी एवं कोई रोकड़ राशि उसे देय होगी । यह प्रस्ताव जयपुर शहर के लिये था । मंडल ने विचार के पश्चात् यह निर्णय लिया कि यह व्यवस्था सभी शहरों के लिये की जाए । इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि 12 प्रतिशत विकसित भूखण्ड देने के पूर्व जिन कृषकों ने 8 प्रतिशत भूमि देने का लिखा था मंडल द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया लेकिन कुछ स्थानों से स्थगन आदेश वापिस नहीं हो सके हैं तथा कृषक से कह रहे हैं ऐसे मामलों में 8 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने को परिवर्तित कर 12 प्रतिशत भूमि दे दी जाए ।

151.12 निर्माण योजनाओं में अवाप्त भूमि में स्थापित पक्के मकानों की जाने वाली भूमि का मूल्य निर्धारण:-

BAO अवाप्त की जाने वाली भूमि में बने पक्के मकान छोड़ने की स्थिति में भूमि अवाप्ति के लिये पारित अवार्ड में जो दर निर्धारित की उसी के अनुरूप बने हुये मकानों व चारों ओर से सैटबेक के लिये भूमि छोड़ी जाती है तो उसके लिये अवार्ड की दर से राशि वसूल इससे अधिक भूमि छोड़ी जाती है तो उसके लिये योजना के लिये

CLM
CAO

कोटा के लिए आवंटित मकानों एवं दुकानों को अलॉट करवाने के निर्देश दिये गये । यह भी निर्णय लिया गया कि गये विभिन्न वर्गों के मकानों की कीमत कालोनीवार रूप से निर्धारित कर दी जाए । इन मकानों को आ[illegible] निर्णय किया गया कि इन मकानों के लिये वरिष्ठता सूची [illegible] के आधार पर बंजोड़ आवेदकों से विकल्प माँग लि[illegible] सभी उपलब्ध मकानों का ब्यौरा देकर, इनकी लागत तथा [illegible] पुस्तिका तैयार कर एक सप्ताह के अंदर-अंदर विज्ञप्ति [illegible] में आवेदन माँग लिये जावे । अंत प्राप्त आवेदनों में से बंजो[illegible] से आवंटन किया जावे । इस प्रकार कोटा में निर्मित सभी [illegible] थोड़े-थोड़े नीलाम करने के निर्देश दिये गये ।

इस हेतु यह भी निर्णय लिया गया कि एक अन्य [illegible] करना था के सम्भवतः को आवंटन कार्य के लिये [illegible] [illegible] रखा जाए ।

151.16 विभिन्न आवासीय कालोनियों के विभिन्न वर्ग के मकानों के आवंटन में लागत निर्धारण के संबंध में:-

CLM
CAO

मकानों की लागत में देरी के कारण आवंटितों [illegible] रहा [illegible] के लिये यह निर्णय लिया गया कि एक वर्ष के लिये [illegible] के मकानों का एक बार में कीमत निर्धारण कर [illegible] जिनके बनने वर्ष में हुई लागत में औसत [illegible] एवं फूल ला[illegible] [illegible] होगी, [illegible] ध्यान में रख कर किया जा[illegible] निर्णय किया गया कि ऐसी निर्धारित दर कब्जा देने की ति[illegible] होगा । और मकान अगले वर्ष में दिया जाता है तो उसकी [illegible] वर्ष की [illegible] के आधार पर लागू की जायेगी । यह भी लिया गया कि अधिकांश में लागतें केवल उन्हीं मकानों की [illegible] में [illegible] प्रकार से पूरी हों ।

दर से राशि वसूल की जाए ।

मांडू एवं संजय बाजार के विस्थापितों को आवंटित मकानों की बकाया वसूली के संबंध में:-

मांडू (जिला धारावाड़) एवं जयपुर के संजय बाजार के विस्थापितों को दिये गये मकानों की वसूली में दंडनीय ब्याज लगाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये आवास आयुक्त, वित्त मंडल के प्रतिनिधि श्री वी.बी. माथुर, मंडल के सचिव, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (निर्माण) एवं मुख्यलेखाधिकारी की एक समिति गठित की गई । जिसने विस्तृत परिचर्चा द्वारा मंडल से पारित करवाने के लिये निर्णय दिये गये । यह भी निर्णय किया गया कि यदि आवंटी दंडनीय ब्याज के बिना समस्त राशि या किश्तों की राशि जमा करायें, तो कर लिया जाए ।

51.14 राज्य सरकार द्वारा पूर्ण लागत पर मकानों की रजिस्ट्री कराने के लिये दंडनीय ब्याज की दर एवं "कोई बकाया नहीं" प्रमाण पत्र देने में छूट के संबंध में:-

राज्य सरकार ने 31.3.90 तक रजिस्ट्री पुराने नियमों के अंतर्गत करने की सुविधा प्रदान की है एवं इसके लिये आवेदन लाखों पंजीकृत है लेकिन मंडल में लेखे तैयार हो रहे है जिसमें समय लगने की संभावना है । अतः आवंटियों की सुविधा के लिये यह निर्णय लिया गया कि 31.3.90 की अवधि तक जो आवंटी समस्त बकाया जमा करा देंगे उनसे सामान्य दर से ब्याज लिया जाए । इस प्रकार पंजीकृत रजिस्ट्री सामान्य दर से ब्याज जमा करा देने वालों के मकानों की रजिस्ट्री करवा दी जाए लेकिन उसमें यह स्पष्ट कर दिया जाए कि इसमें समयावधि बढ़ा दी जाने का कोई प्रमाण नहीं माना जायेगा । इस हेतु एक अध्यादेश 31.मार्च तक चलाने का निर्णय किया गया ।

51.15 मंडल के कोटा में अनआवंटित आवासीय मकानों को एक संशोधित लागत निर्धारित करने एवं दुकानों आवंटन के संबंध में:-

...6.

(44)

स्वामी चरण दास मेमोरियल ट्रस्ट से प्रथम बार में 40 प्रतिशत की बजाय 20 प्रतिशत राशि लेने के संबंध में:-

स्वामी चरणदास मेमोरियल ट्रस्ट को आवंटित भूमि की प्रथम किस्त की राशि 40 प्रतिशत राशि लेने के बजाए 20 प्रतिशत राशि लेने की स्वीकृति दी गई एवं शेष राशि तीन वर्ष की किस्तों में वसूल किये जाने का निर्णय लिया गया ।

जवाहर नगर योजना जयपुर में होटल की भूमि का निस्तारण:-

जवाहर नगर में होटल की भूमि [illegible] व्यवसायियों को 2500/- [illegible] देने का निर्णय लिया गया । थोक व्यापारी [illegible] को इस भूमि में से प्लाट काट कर दे सकेंगे । प्रत्येक व्यापारी दुकान का [illegible] एवं प्रथम मंजिल का ही निर्माण करा सकेंगे एवं प्रथम मंजिल को [illegible] पर स्वामित्व मंडल का रहेगा । ऊपरी [illegible] तर भूमि की होगी ।

अतिरिक्त मुख्य अभियंता के एक अस्थाई पद का अवधि 31.12.89 तक बढ़ाने के संबंध में:-

मंडल की 147वीं बैठक दिनांक 15.4.89 में निर्णय संख्या 21 द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता के एक अस्थाई पद का सृजन छः माह के लिये किया गया था, जिसकी अवधि 31.12.89 तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई । इस तिथि के बाद अस्थाई सृजित पद समाप्त किया गया समझा जायेगा ।

रेखा लेखाकारों के पद का नाम कनिष्ठ लेखाकार करने एवं कनिष्ठ लेखाकारों के पदों के नियमों में परिवर्तन के संबंध में:-

रेखा लेखाकारों के पदनाम कनिष्ठ लेखाकार के पद पर परिवर्तन करने के प्रस्ताव को सिद्धान्त: स्वीकार किया गया । लेकिन इसका निर्णय लेने से पूर्व मंडल के सचिव, मुख्य लेखाधिकारी एवं वित्त सचिव के प्रतिनिधि

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर ।

राजस्थान आवासन मंडल की 151वीं बैठक दिनांक 30.1.90 को श्री श्रीराम गोलेचा, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मंडल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1.	श्री श्रीराम गोलेचा	: अध्यक्ष
2.	श्री पी. एन. भण्डारी	: शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
3.	श्री एस. के. मुखर्जी	: आवासन आयुक्त
4.	श्री सी. एस. बेदला	: मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान
5.	श्री वी. बी. माथुर	: उप शासन सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)
6.	श्री बी. एस. पुरोहित	: सचिव

बैठक में सर्वश्री एन. एम. नवलानी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अब्दुल मतीन, अध्यक्ष के तकनीकी सहायक एवं पी. आर. शर्मा, मुख्य लेखाधिकारी भी उपस्थित थे ।

बैठक की कार्यवाही शुरू करने से पूर्व मंडल ने निवर्तमान आवासन आयुक्त श्री पी. के. लोरियाँ का आवासन आयुक्त के पद में अल्प अवधि में मंडल को दी गई सेवाओं के लिये प्रशंसा की ।

बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई:-

151.1 मंडल की 150वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन:-

मंडल की 150वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया ।

151.2 मंडल की 149वीं बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या 149.13 एवं 150वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन:-

AO:3(W) 6.1.90. मंडल की 149वीं बैठक के निर्णय की क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया । इस संबंध में निर्णय संख्या 150.4 के बारे में यह तय

...2.

श्री वी.वी. माथुर की एक कमेटी गठित की गई जो सम्पूर्ण [illegible] परीक्षण करेगी ।

151.21 डिप्लोमाधारी परियोजना अभियंताओं (वर्किंग) के पदोन्नति नियमों में आवश्यक संशोधन हेतु:-

[illegible] डिप्लोमाधारी परियोजना अभियंता (वर्किंग) का आवासीय [illegible] पदोन्नति के लिये नियमों में प्रावधान करने के मामले [illegible] अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं की कमेटी की रिपोर्ट पर विचार [illegible] लिये, वित्त सचिव के प्रतिनिधि श्री वी.वी. माथुर, मंडल के [illegible] मुख्यलेखाधिकारी की एक कमेटी बनाई गई जो अपनी सिफारिशें [illegible] लिये पिछले निर्णयों को ध्यान में रख [illegible] सरकार को भेजेगा ।

151.22 बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के क्रियान्वयन नहीं करने के [illegible]

[illegible] मंडल ने यह निर्देश दिये कि राजस्थान आवासन मंडल अधि[illegible] में जिन मामलों में राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति, अधिनियम के [illegible] आवश्यक हो उन मामलों में मंडल द्वारा अधि[illegible] में [illegible] स्वीकृति प्राप्त किये बिना कोई कार्यवाही नहीं की जावे ।

151.23 भवन निर्माताओं के सहयोग से भूमि अवाप्ति एवं मकानों के निर्माण [illegible]

AC.(.) [illegible] के विज्ञापन के माध्यम से ऐसे प्रस्ताव मांगे गये थे [illegible] स्थान उपलब्ध लेकर मकान बना कर आवासन मंडल को [illegible] ।

विभिन्न [illegible] विचार-विमर्श के बाद निम्न निर्णय लिये गये: [illegible] योजनाओं के अन्तर्गत, निजी क्षेत्र के भवन निर्माता द्वारा ली जा [illegible] आवासन मंडल को बिना लागत के हस्तान्तरित की जावेगी ।

(ख) यदि इस भूमि के लिये, निजी निर्माणकर्ता स्वयं प्राप्त बनाना चाहता है तो उसे इस प्रारूप को स्वीकृति बोर्ड की परियोजना समिति द्वारा लेनी होगी ।

(ग) क्योंकि भवन निर्माणकर्ता जमीन किसानों द्वारा बोर्ड को हस्तान्तरण करवाना चाहते है एवं 12 प्रतिशत भूखण्ड स्वयं लेना चाहते है । भवन निर्माता स्वयं रजिस्ट्री के लिये जिम्मेदार रहेगा ।

(घ) हस्तान्तरित भूमि में से कुछ भूमि यदि [illegible] में आती है एवं जो विकसित भूखण्ड निजी निर्माताओं को [illegible] के बदले दिये जाते है, उन पर यदि सीलिंग के नियम लागू होते है तो सीलिंग से मुक्ति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जावे । यदि निजी भूमि के लिये भूमि रूपान्तरण की आवश्यकता हो तो इसका प्रस्ताव भी राज्य सरकार के पास तुरन्त भेजे जावे ।

कुछ निजी निर्माण-कर्ताओं ने प्रस्ताव दिये है कि यदि विकसित भूमि के बदले वह कुछ मकान बना कर बिना किसी लागत के बोर्ड को देंगे, जबकि शेष मकान वह अपने पास रखेंगे । इस बारे में निर्णय लिया गया कि:-

(अ) निर्माणकर्ता एवं बोर्ड के मध्य किस अनुपात में मकान रहेंगे, इसका इकनोमिक्स का अध्ययन कर निर्णय लिया जाए ।

(ब) ऐसे अनुबंध करते समय निजी निर्माणकर्ता से मकानों के बारे में निम्न बातें भी तय की जावे:-

(i) विभिन्न आय वर्ग के मकानों के मानक

(ii) मकानों को पूरी कर बोर्ड को हस्तान्तरण करने का अधिकतम समय जो दो वर्ष से अधिक न हो ।

(स) अनुबंध में यह भी स्पष्ट कर दिया जावे कि उपरोक्त शर्तें केवल रिहायशी क्षेत्र के लिये ही होगा एवं पार्क, व्यावसायिक एवं सामुदायिक आदि सुविधाओं के लिये छोड़े गये क्षेत्र का स्वामित्व आवासन मंडल का होगा।

तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई ।

(एम.एन.गुरुमिता)
सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 152 वीं बैठक दिनांक 28 व 29 मई, 1990 को मण्डल मुख्यालय के बोर्ड कक्ष में श्री चन्द्र प्रकाश, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	श्री चन्द्र प्रकाश	: अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	: अध्यक्ष
2.	श्री एन. के. वर्मा	: शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	: सदस्य
3.	श्री एस. के. मुखर्जी	: आवासन आयुक्त, राज. आवासन मण्डल	: सदस्य
4.	श्री सी. एस. मेहता	: मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार	:
5.	श्री विनोद पांडेया	: विशेषाधिकारी, वित्त विभाग	: वित्त सचिव के प्रतिनिधि
6.	श्री बी. एन. पुरोहित	: सचिव, राज. आवासन मण्डल	: सचिव

बैठक में सर्वश्री एन. एन. नरहरि, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, अब्दुल मतीन, अध्यक्ष के तकनीकी सहायक एवं पी. आर. शर्मा, मुख्यलेखाधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व मण्डल के निवर्तमान अध्यक्षों श्री श्रीराम पोटेवाला एवं श्री पी. एन. भण्डारी द्वारा मण्डल को दी गई सेवाओं के लिये प्रशंसा की गई।

बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई:-

152.1 मण्डल की 151 वीं बैठक दिनांक 30.1.'90 के निर्णयों का अनुमोदन:-

मण्डल की 151 वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

152.2 मण्डल की 151 वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्वयन प्रतिवेदन:-

मण्डल की 151 वीं बैठक के निर्णय के क्रियान्वित प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

...2

152.3 कार्यालय अधीक्षक से सहायक सम्पदा प्रबन्धक/सहायक आवासन अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु सेवा नियमों में निर्धारित कार्यानुभव में प्रथमतः एक वर्ष की छूट दिये जाने बाबत् ।

इस बिन्दु पर विचार स्थगित रखा गया ।

152.4 सांख्यिकी एवं आयोजना प्रकोष्ठ में एक पद सांख्यिकी सहायक एवं एक पद संगणक का सृजित करने के सम्बन्ध में :-

एक पद सांख्यिकी सहायक एवं एक पद संगणक का सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

152.5 केयर टेकर के पद को कार्यालय अधीक्षक के केडर में सम्मिलित करने बाबत्

इस बिन्दु पर विचार स्थगित रखा गया ।

152.6 वर्कचार्ज कर्मचारी संघ एवं मण्डल प्रशासन के मध्य समझौते की पुष्टि बाबत्

सुपरवाईजर संबंधित समझौते के अंशों को छोड़कर वर्कचार्ज कर्मचारी संघ के साथ किये गये शेष समझौते का अनुमोदन किया गया । सुपरवाईजर संबंधी मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरह ही कार्य किया जायगा ।

152.7 पूर्व ग्रहण राशि जमा न कराये जाने पर वसूल की जाने वाली शास्ती

जिन व्यक्तियों को पूर्व ग्रहण राशि जमा करवाने के लिए पत्र न भेजा गया हो तथा बी.ए.सी. द्वारा मकान आवंटित कर दिया गया हो, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के साथ भले उसी वर्ग के पंजीकृत आवेदकों को पूर्व ग्रहण राशि की किस्त जमा कराने की निश्चित तिथि से निम्नानुसार ब्याज लिया जाए :-

क्र.सं.	आय वर्ग	ब्याज की दर
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग	18 प्रतिशत
2.	मध्यम आय वर्ग "अ" एवं "ब" तथा उच्च आय वर्ग	24 प्रतिशत

...3

पूर्व ग्रहण राशि की तीन किश्त एक साल, डेढ़ साल व दो साल रखी जाए और इन किश्तों के ब्याज की गणना अलग-अलग की जाए ।

152.8 पारिजात योजना के अन्तर्गत पंजीकरण का अन्य आवेदकों में हस्तान्तरण हेतु:-

CEM पारिजात योजना के अन्तर्गत पंजीकरण को अन्य पंजीकृत आवेदकों को हस्तान्तरण की अनुमति नहीं दिये जाने का निर्णय लिया गया ।

152.9 पारिजात 89 जोधपुर के अन्तर्गत मकानों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति :-

ACE जोधपुर में 113 आवासों के निर्माण के लिये 148.55 लाख रूपयों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई ।

152.10 प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पारिजात योजना-88 द्वितीय तिमाही:-

ACE जयपुर में मानसरोवर योजना में 80 मकानों के निर्माण के लिये रूपये 1,14,24,656.00/- (एक करोड़ चौदह लाख चौबीस हजार छः सौ छप्पन रू.) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई ।

152.11 प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्माण कार्य पारिजात"अ" श्रेणी के 90 मकान मानसरोवर के सम्बन्ध में :-

ACE जयपुर मानसरोवर योजना में पारिजात "अ" श्रेणी के 90 मकान बनाने के लिये 179.92 लाख रूपयों की लागत की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई ।

152.12 सिरोही में विभिन्न आय वर्ग के मकानों के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु:-

ACE सिरोही में 248 मकानों के निर्माण के लिये 135.33 लाख रूपये व्यय

करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि मकानों का निर्माण पूर्ण ग्रहण राशि जमा होने के बाद प्रारम्भ किया जाए ।

152.13 मण्डल की कालोनियों के विकास के लिये राशि की व्यवस्था के संबंध में:-

ACE/CAU गंगानगर में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा योजना में रखी गई कमियों को देखते हुये सिंचित खाईयां एवं ड्रेन लाईन को ठीक कराने के लिये आवश्यक राशि व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई लेकिन इसे प्रीसीडेंस पूर्वक्रम नहीं माना जायेगा । 52.18

152.14 आवंटियों को आवंटित मकानों के अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरण/बेचान तथा उसके पंजीयन की व्यवस्था में सरलीकरण बाबत् :- 52.19

CEM विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि आवंटित मकानों के अन्य व्यक्तियों में हस्तान्तरण/बेचान तथा उनके पंजीयन की प्रचलित व्यवस्था चालू रखी जाए । राज्य सरकार को इसमें कोई कानूनी आपत्ति हो तो उसे स्पष्ट करते हुये अपनी स्पष्ट मंशा बतानी चाहिये । CEM

152.15 कोटा सूत के तीसरे खण्ड को यथावत रखे जाने के सम्बन्ध में :-

PM इस बिन्दु पर विचार स्थगित रखा गया ।

152.16 कुबेर योजना को समाप्त करने तथा कल्पतरू योजना को स्थगित करने के सम्बन्ध में:-

CEM कुबेर योजना को तुरन्त बंद करने का निर्णय लिया गया । कल्पतरू योजना को स्थगित रखने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई ।

152.17 बालोतरा (बाड़मेर) के आवंटकों द्वारा पंजीकरण/जमा राशि मांगने के सम्बन्ध में :-

CEM बालोतरा के आवंटियों को नोटिस देने का निर्णय लिया गया कि वे

आवश्यक राशि जमा कराकर मकान का कब्जा ले लें अन्यथा उनको आवंटित मकान नीलाम कर दिये जायेंगे एवं नीलामी से प्राप्त राशि लागत से कम आई तो मण्डल को होने वाली नुकसान की राशि को आवेदकों की जमा राशि से समायोजित कर ली जायेगी एवं कोई राशि बची तो उन्हें लौटाई जायेगी । इस नोटिस की अवधि समाप्ति के पश्चात् मकानों की नीलामी की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाए ।

2.18 व्यवसायिक एवं समूह पंजीकरण योजनान्तर्गत पंजीकृत आवेदकों को आवास उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में :-

इस बिन्दु पर विचार स्थगित रखा गया ।

2.19 मण्डल की आवासीय योजनाओं में नि:शुल्क भूमि आवंटन के संबंध में :-

मण्डल की आवासीय योजनाओं में नि:शुल्क भूमि संबंधी मण्डल की 139 वीं बैठक दिनांक 9.3.88 के बिन्दु संख्या 24§6§ §1§ के द्वारा सरकारी शालाओं के लिये नि:शुल्क भूमि आवंटित करने के निर्णय को जारी रखना, 146 वीं बैठक दिनांक 31.1.89 के बिन्दु संख्या 12 द्वारा संस्था या प्रन्यास विद्यालय भवन, डिस्पेन्सरी/अस्पताल एवं सामुदायिक केन्द्र के निर्माण में लगने वाली सम्पूर्ण लागत वहन करने के साथ-साथ नाम जोड़ने व उसके साथ राजकीय शब्द जोड़ने तथा निर्मित सम्पत्ति का स्वामित्व मण्डल में निहित रखने की शर्त के साथ उक्त प्रयोजनार्थ भूमि नि:शुल्क आवंटित करने से संबंधी निर्णयों में यह संशोधन किया गया कि सरकारी स्कूल§ विद्यालय§ स्वास्थ्य संस्थाओं के लिये भूमि राज्य सरकार के संबंधित विभाग को ही आवंटित की जाए एवं संस्था या प्रन्यास भवन के निर्माण के लिये आवश्यक राशि उस विभाग में जमा करा दें । सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण मण्डल स्वयं करें एवं ऐसे निर्मित भवनों को योजना के निवासियों के उपयोगार्थ उनकी समिति को किराये

पर दें और इस प्रकार 137 वीं बैठक दिनांक 5.12.87 एवं 9.12.87 के निर्णय संख्या 23§3§ में संशोधन किया हुआ माना जाए और यह भी निर्णय लिया गया कि 100 वीं व 146 वीं बैठक क्रमशः दिनांक 26.2.82 एवं 30.1.89 के निर्णय संख्या 3 व 12 के द्वारा संस्था को पार्कों में 5 से 10 प्रतिशत भूमि में उपयोग हेतु निर्माण कार्य करने की जो छूट दी हुई थी उस प्रावधान को समाप्त किया जाए ।

152.20 मण्डल की विभिन्न योजनाओं में पार्कों तथा ओपन स्पेस के विकास एवं रख-रखाव हेतु इन्हें प्रतिष्ठित संस्थान/क्लब आदि को सौंपने हेतु निर्धारित शर्तों के सम्बन्ध में :-

मण्डल की विभिन्न योजनाओं में पार्कों तथा ओपन स्पेस के विकास एवं रख-रखाव हेतु संस्थान/क्लब को सौंपी जाने वाली भूमि में 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत भूमि पर निर्माण कराने संबंधी 146 वीं बैठक दिनांक 31.1.89 के निर्णय संख्या 12 में संशोधन किया गया कि 5 से 10 प्रतिशत भूमि पर निर्माण कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाए और इस शर्त को लोपित किया जाए ।

152.21 हनुमानगढ़ के अल्प आय वर्ग के 48 मकानों एवं उच्च आय वर्ग के 12 मकानों की अन्तिम लागत का पुनः निर्धारण बाबत् :-

हनुमानगढ़ अल्प आय वर्ग के 48 मकानों व उच्च आय वर्ग के 12 मकानों की लागत दिनांक 31.3.90 तक स्थिर की गई थी उसे 30.6.90 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और यह भी निर्देश दिया गया कि भविष्य में ऐसे मामले को वित्त एवं लागत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए जिसका निर्णय अन्तिम होगा ।

152.22 आवासीय योजना कालोनी सिवाना के आवासों की लागत स्थिरीकरण करने बाबत् :-

सिवाना के आवासों को पूर्वगत लागत पर बेचान की वैधता की अवधि

दिनांक 30.9.90 तक करने की स्वीकृति प्रदान की गई लेकिन यह निर्देश दिये गये कि निस्तारण के लिये सभी संभव प्रयास किये जाए जिनमें सिवाना के महन्त के माध्यम से विभिन्न विकल्पों से निस्तारण भी सम्मिलित हैं ।

2.23 Chs CR South Extn. Sector 18 ph Jodhpur (Scheme No. 7191)

जोधपुर चौपासनी रोड़ साउथ एक्सटेंशन योजना में 307 मकानों के निर्माण के लिये 121.92 लाख रूपयों की लागत की योजना के लिये 96.23 लाख रूपयों का ऋण लेने की अनुमति प्रदान की गई और इसके लिये आवासन आयुक्त को हुडको के साथ ऋण संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत किया गया ।

2.24 CHS Sector III ph-IX Mansarowar, Jaipur (Scheme No. 7192)

मानसरोवर योजना सेक्टर तीन में 285 मकानों के लिये 126.38 लाख रूपयों की लागत की स्वीकृति तथा साथ ही 98.34 लाख रूपयों का ऋण हुडको से लेने के लिये एवं आवासन आयुक्त को इस संबंध में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

2.25 CHS ph- I Dausa (Scheme No. 7268)

दौसा में 203 मकानों के लिये 91.67 लाख रूपयों की लागत की राशि स्वीकृत की गई एवं 71.74 लाख रूपयों का ऋण प्राप्त करने एवं इसके लिये आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिये आवासन आयुक्त को प्राधिकृत किये जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई ।

2.26 CHS Sector III ph III Sanganer (Scheme No. 7280)

सांगानेर योजना में 418 मकानों के लिये 123.04 लाख रूपयों की लागत को

...8

व्यय करने एवं 94.95 लाख रूपयों का ऋण प्राप्त करने एवं इस प्रयोजनार्थ आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिये आवासन आयुक्त को प्राधिकृत किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई ।

152.27 CHS ph-II Near S.T College, Bharatpur (Scheme No. 7355)

एस.टी. कॉलेज भरतपुर के पास 124 मकानों के निर्माण के लिये 91.85 लाख रूपयों की लागत को व्यय करने एवं 65.69 लाख रूपयों का ऋण प्राप्त करने एवं इस प्रयोजनार्थ आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिये आवासन आयुक्त को प्राधिकृत किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई ।

152.28 CHS Chopasani Road ph-I Sector XVIII Extn. Jodhpur (scheme No. 7266)

चौपासनी रोड़, फेज प्रथम, जोधपुर में 250 मकानों के लिये 129.78 लाख रूपये की लागत को व्यय करने एवं 99.06 लाख रूपयों का ऋण प्राप्त करने एवं इस प्रयोजनार्थ आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिये आवासन आयुक्त को प्राधिकृत किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई ।

152.29 LIG H.S ph XI Mahaveer Nagar Extn. Kota (Scheme No. 7360)

महावीर नगर विस्तार योजना कोटा फेज ग्यारह के अल्प आय वर्ग के 422 मकानों के निर्माण के लिये 83.52 लाख रूपये व्यय करने की स्वीकृति एवं 70.90 लाख रूपये का ऋण प्राप्त करने एवं इस प्रयोजनार्थ आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिये आवासन आयुक्त को प्राधिकृत किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई ।

...9

52.30 CHS ph-V, Sector XII, Mansarowar, Jaipur (Scheme No. 6934)

जयपुर के मानसरोवर फेज पाँच में 245 मकानों के लिये 195.34 लाख रूपयों की लागत एवं 135.56 लाख रूपयों का ऋण प्राप्त करने एवं इस प्रयोजनार्थ आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिये आवासन आयुक्त को प्राधिकृत किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई ।

52.31 उप आवासन आयुक्त (गुणवत्ता) के एक पद की पुष्टि एवं राज्य सरकार की स्वीकृति बाबत :-

उप आवासन आयुक्त के पद के सृजन की मण्डल की 127 वीं बैठक दिनांक 22.10.86 के प्रस्ताव द्वारा दी गई स्वीकृति की पुनः पुष्टि करते हुये राज्य सरकार को इसकी शीघ्र स्वीकृति दिये जाने के लिये निवेदन किये जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई ।

52.32 मण्डल की विभिन्न कालोनियों में जन सुविधाओं के लिये भूखण्ड आवंटन बाबत व उनसे वसूल की जाने वाली कीमत :-

राजस्थान आवासन मंडल में वाणिज्यिक भूमि की दर आरक्षित भूमि की दर से चार गुणा लिये जाने का प्रावधान है । राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने 3.5.85 को एक विज्ञप्ति जारी कर युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले सैनिकों की विधवाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों एवं विकलांगों के लिये आरक्षित दर की दो गुणी राशि लिये जाने का निर्णय लिया है । इस संबंध में राज्य सरकार के नियम मण्डल में भी लागू करने का निर्णय लिया गया । इसके साथ ही ऐसे मामलों में जहां एक मुश्त राशि जमा कराने में किसी आवंटी को कोई विशेष कठिनाई हो तो मण्डल के अध्यक्ष को अधिकृत किया गया कि वे उचित किश्तें निर्धारित कर राशि लेने का निर्णय ले लें ।

...10

152.33 आवासों की लागत की वैधता अवधि के सम्बन्ध में :-

इस बिन्दु पर विचार स्थगित रखा गया ।

152.34 राज्य कर्मचारियों को नकद भुगतान पद्धति में मकान आवंटन होने पर सीमित किराया क्रय पद्धति में बदलने के संबंध में :-

राज्य कर्मचारियों को नकद भुगतान पद्धति में मकान आवंटन होने पर सीमित किराया क्रय पद्धति में बदलने के बाद ब्याज की सूचना नहीं दी गई हो तो उन्हें अब उन्हें आंशिक किस्त की राशि पर संबंधित मकान की लागत में ब्याज की जो दर लगाई गई है उस दर से देय राशि जमा कराने की सीमित दे दिया जाए । जिन्हें राज्य कर्मचारियों ने देयनीय ब्याज जमा करा दिया है उनके द्वारा पुनर्भुगतान हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर परीक्षण कर उपरोक्त निर्णयानुसार ब्याज की राशि को निर्धारित कर अधिक दी गई राशि का भुगतान कर दिया जाए ।

CAO

152.35 17.2.90 को आयोजित विभिन्न समितियों द्वारा लिये गये निर्णयों का अवलोकन:-

ACE
CAO

दिनांक 17.2.90 को आयोजित परियोजना समिति की 60 वीं बैठक एवं दिनांक 12.12.89 को आयोजित वित्त एवं लागत समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों का अवलोकन किया गया ।

152.36 परिचालन से लिये गये निर्णयों की पुष्टि:-

(1) शासकीय आवासीय अंतर्गत 100 मकानों के निर्माण के लिये 102.40 लाख रुपयों की लागत की राशि एवं 71.68 लाख रुपये का ऋण ।

ACE

(2) चंदेलिया, चित्तौड़गढ़ योजना में 314 मकानों के निर्माण के लिये 168.26 लाख रुपयों की लागत की राशि एवं 124.95 लाख रुपये का ऋण ।

ACE

...11

(डी) सांगानेर फेज द्वितीय, सेक्टर 6 के 398 मकानों के निर्माण के लिये 200.37 लाख रूपयों की लागत की राशि एवं 150.69 लाख रूपये का ऋण ।

(ई) सांगानेर फेज प्रथम सेक्टर 7 के 868 मकानों के निर्माण के लिये 316.65 लाख की लागत एवं 246.56 लाख रूपयों का ऋण ।

(एफ) मानसरोवर योजना फेज चतुर्थ, सेक्टर 12 में 191 मकानों की 161.96 लाख रूपयों की लागत एवं 109 लाख रूपयों का ऋण ।

(जी) तिरोड़ी में 248 मकानों की लागत 135.38 लाख रूपये एवं 103.90 लाख रूपये का ऋण ।

(एच) अलवर में तुजेरा रोड़ में 476 मकानों के निर्माण की लागत 188.33 लाख रूपये एवं 147.36 लाख रूपयों का ऋण ।

(एल) अलवर एन.ई.सी. विस्तार योजना फेज 2 में 432 मकानों के निर्माण की लागत 176.21 लाख रूपये व 135.82 लाख रूपयों का ऋण ।

(आई) जोधपुर चौपासनी रोड़ फेज 6 में 184 मकान की लागत 129.99 लाख रूपये व ऋण 94.33 लाख रूपये ।

(जे) अलवर में तुजेरा रोड़ फेज 4 में 230 मकानों के निर्माण की लागत 218.65 लाख रूपये व ऋण 155.20 लाख रूपये ।

(के) जोधपुर चौपासनी रोड फेज चतुर्थ में 284 मकानों के निर्माण की लागत 175.18 लाख रूपये व ऋण 127.31 लाख रू0

(एल) अलवर तुजेरा रोड़ फेज 3 में 236 मकानों के निर्माण की लागत 214.94 लाख रू0 व ऋण 155.14 लाख रू0

(एम) जोधपुर फेज 5 में अलग आय वर्ग के 423 मकानों के निर्माण के लिये 99.11 लाख रूपये व ऋण 84.25 लाख रूपये ।

(एन) जोधपुर चौपासनी रोड़ फेज 7 में 124 मकानों के लिये लागत 138.70 लाख रूपये व ऋण 95.68 लाख रूपये ।

(ओ) जोधपुर चौपासनी रोड़ फेज 7 में 419 मकानों के निर्माण की लागत 138.97 लाख रू0 [illegible] ऋण 112.02 लाख रूपये के ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

152.37 मण्डल द्वारा आवंटित मकानों की रजिस्ट्री आवंटी के मुख्तारनामाधारक द्वारा किये जाने बाबत :-

मकानों की रजिस्ट्री मूल आवंटी के पक्ष में और उसके नाम में उसके मुख्तारनामाधारक द्वारा निष्पादित कराने की स्वीकृति प्रदान की गई लेकिन यह निर्देश दिये गये कि समस्त प्रपत्रों पर मूल आवंटी के ही हस्ताक्षर कराये जाए । मुख्तारनामा उप पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत कराये जाने की शर्त रखी जाए ।

152.38 लेखा सहायकों के वेतनमान दिनांक 1.2.85 एवं 1.9.86 से सहायकों के वेतनमान के बराबर करने हेतु :-

लेखा सहायकों के वेतनमान सहायकों के वेतनमान के बराबर अर्थात 1.2.85 से 625-1120 एवं 1.9.86 से 1140-2250 किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई । भविष्य में सहायक व कनिष्ठ लेखाकार के वर्ग में वेतनश्रृंखला की तुलना नहीं होगी ।

152.39 राजस्थान आवासन मण्डल में विशिष्ट समूह पंजीकरण योजनान्तर्गत पूर्व पंजीकृत वकीलों द्वारा नीलि नगर के लिये पारिजात में आवेदन करने की तिथि बढ़ाए जाने बाबत :-

इस पर विचार स्थगित रखा गया ।

152.40 कर्मचारी संघ एवं मण्डल प्रशासन के मध्य समझौते में निर्णय संख्या 9 की पुष्टि बाबत :-

कर्मचारी संघ एवं मण्डल प्रशासन के मध्य समझौते के अनुच्छेद संख्या 9 के बारे में स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक भूत कार्यालय को 5 हजार रूपये की राशि दी जायेगी ।

...13

152.41 दिनांक 6.1.90 को आयोजित वित्त एवं लागत समिति के बैठक के निर्णयों का अनुमोदन बाबत् :-

CAO दिनांक 6.1.90 को आयोजित वित्त एवं लागत समिति की बैठक के निर्णयों का अवलोकन किया गया ।

152.42 कोटा के अवशिष्ट आवासों की लागत दिनांक 31.7.90 तक स्थिर करने बाबत् :-

कोटा के अवशिष्ट आवासों की वर्ष 1989-90 में तय की गई लागत की वैधता 31.7.90 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई एवं यह भी निर्णय लिया गया कि कोटा भूखण्ड के अवशिष्ट आवासों के आवंटन व कब्जा पत्र जारी कर मण्डल की सम्पत्ति का निष्पादन उक्त तिथि तक करवा लिया जाए ।

CEM

152.43 जोधपुर में पारिजात आवेदकों हेतु निर्माण किये जाने की स्वीकृति हेतु:-

जोधपुर में पारिजात योजना के आवेदकों हेतु 140 मकान बनाने के लिये 221.60 लाख रूपये व्यय करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई ।

ACE

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नलिखित बिन्दु:-

152.44 मध्यम आय वर्ग स्कीम के 156 मकान मानसरोवर योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में :-

मानसरोवर योजना में मध्यम आय वर्गीय" के 156 फ्लेटों का निर्माण कराने के लिये 188.95 लाख रूपये व्यय करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई ।

ACE

...14

152.45 वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने पर गारंटी:-

वित्त सचिव के प्रतिनिधि ने इस बात पर जोर दिया कि वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते समय राज्य सरकार की गारंटी ली जाए। इस पर विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि अगर मण्डल को राज्य सरकार की गारंटी लेना लाभप्रद हो तो ऐसे मामलों में राज्य सरकार की ही गारंटी कराई जाए।

CAO

152.46 मण्डल ने निर्देश दिया कि हर 3-4 माह बाद निर्माण कार्यों में प्रगति एवं मण्डल की वित्तीय स्थिति के संबंध में एक समीक्षात्मक रिपोर्ट मण्डल को सूचनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत की जाए।

ACE
CAO

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

26.6.90

॥बी. एम. पुरोहित॥
सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 153 वीं बैठक दिनांक 23.8.90 को ...ल मुख्यालय के बोर्ड कक्ष में श्री चन्द्र प्रकाश, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन ...ल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

श्री चन्द्र प्रकाश	अध्यक्ष, राज. आवा. मण्डल	: अध्यक्ष
" एन. के. वर्मा	शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	: सदस्य
" एस. के. मुखर्जी	आवासन आयुक्त, राज. आवा. मण्डल	: सदस्य
" सी. एस. मेहता	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार	: सदस्य
" विनोद पाण्डया	विशेषाधिकारी, वित्त विभाग	: वित्त सचिव के प्रतिनिधि
" नरहरी शर्मा	सचिव, राज. आवा. मण्डल	: सचिव

बैठक में सर्वश्री अब्दुल मतीन, अध्यक्ष के तकनीकी सहायक, श्री एन. एन. नरहरी, ...रिक्त मुख्य अभियन्ता एवं श्री पी. आर. शर्मा, मुख्यलेखाधिकारी भी उपस्थित थे ।

...में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई :-

3.1 मण्डल की 152 वीं बैठक दिनांक 28-29.5.90 के निर्णयों का अनुमोदन:-

मण्डल की 152 वीं बैठक की कार्यवाही का अवलोकन किया गया । बिन्दु संख्या 152.32 के सम्बन्ध में विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि स्पष्टीकरण हेतु इस बिन्दु पर लिये गये निर्णय को निम्नानुसार पढ़ा जावे ।

M/CAO

राजस्थान आवासन मण्डल में वाणिज्यिक भूमि पर आरक्षित भूमि की दर से चार गुना लिये जाने का प्रावधान है । इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है कि पेट्रोल पम्प तथा एल. पी. जी. गैस गोदामों के लिये रिहायशी आरक्षित दर की चार गुना दर से भूमि दी जायगी । इसे लागू रखा जावे । परन्तु युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले सैनिकों की विधवाओं, अनु. जाति/जनजाति के सदस्यों एवं विकलांगों के लिये जो भूमि, गैस (एल. पी. जी.) तथा पेट्रोल पम्प के लिये आवंटित

...2

की जावे उसके लिये भूमि की रिहायशी दर आरक्षित भूमि की दर से दो गुना ही ली जावे। इसके साथ ही ऐसे मामलों में जहां एक मुश्त राशि जमा कराने में किसी आवंटी को कठिनाई हो तो इसके लिए मण्डल के अध्यक्ष को राशि की उचित किश्तें निर्धारित करने के लिये अधिकृत किया गया।

उपरोक्त संशोधन के साथ 152 वीं बैठक की कार्यवाही का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

.2 मण्डल की 152 वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन :-

मण्डल की 152 वीं बैठक के निर्णय के क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

.3 कार्यालय अधीक्षक से सहायक समादेश प्रबन्धक/सहायक आवासन अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु सेवा नियमों में निर्धारित कार्यानुभव में प्रथमतः एक वर्ष की छूट दिये जाने बाबत् :-

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

4 केयर टेकर के पद को कार्यालय अधीक्षक के केडर में सम्मिलित करने बाबत:-

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

.5 कोटा भूमि के तीसरे खण्ड कार्यालय को यथावत् रखे जाने के संबंध में:-

/ACE प्रस्ताव वापिस लिया गया।

6 आवासों की लागत की वैधता अवधि के सम्बन्ध में :-

0 इस संबंध में समाविष्ट प्रकरणों के बारे में पूर्ण सूचना उपलब्ध न होने के कारण प्रस्ताव स्थगित किया गया।

.7 राजस्थान आवासन मण्डल में विशिष्ट समूह पंजीकरण योजनान्तर्गत पूर्व पंजीकृत वकीलों द्वारा नीतिनगर के लिये पारिजात में आवेदन करने की तिथि बढ़ाये जाने बाबत् :-

EM इस बन्दु पर विचार स्थगित रखा गया।

3.8 परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) को वरिष्ठता सूची को डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी में विभाजित करने बाबत :-

विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि इस संबंध में राज्य सरकार व सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में प्रचलित नियमों के बारे में पता किया जावे उसके पश्चात् पूर्ण तथ्य बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जावें ।

3.9 कोटा में खण्ड तृतीय के कार्य को मार्च, 1991 तक निरन्तर जारी करने बाबत् :-

/PM कोटा खण्ड तृतीय को मार्च, 1991 तक निरन्तर रखने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

3.10 प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पारिजात 89, सेक्टर-13, मानसरोवर जयपुर की तृतीय तिमाही के सम्बन्ध में :-

जयपुर में मानसरोवर योजना में निम्नानुसार मकानों के निर्माण के लिये राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई :-

क्र. सं.		संख्या	प्रतिमकान लागत	कुल लागत
1.	उच्च आय वर्ग	15 मकान	2,98,678.25	44.80 लाख
2.	मध्यम आय वर्ग "ब"	प्रथम- 29	1,84,037.07	
		द्वितीय-8	1,65,435.88	77.87 लाख
		तृतीय -3	1,35,534.18	
3.	मध्यम आय वर्ग प्रथम	प्रथम -9	1,30,590.20	
		द्वितीय-1	1,12,880.31	12.87 लाख

कुल अनुमानित लागत:- 128.34 लाख

3.11 सी. एच. एस. फेज 3 चन्द्र शेखर आजाद नगर, बीलवाड़ा (स्कीम नं. 7641)

मण्डल की उपरोक्त योजना में मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के कुल 223 मकान प्रस्तावानुसार निर्माण के लिए 207.38 लाख रूपये की लागत को व्यय करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं

144.33 लाख रूपयों का हुडको से ऋण प्राप्त करने एवं इस प्रयोजनार्थ आवश्यक दस्तावेजों पर आवासन आयुक्त को हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई ।

3.12 सी. एच. एस. चौपासनी रोड़ वेस्ट एक्सटेन्शन फेज 9 जोधपुर (स्कीम नं. 7581)

मण्डल की उपरोक्त योजना में मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के कुल 190 मकान प्रस्तावानुसार निर्माण के लिए 215.84 लाख रूपये की लागत को व्यय करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं 129.15 लाख रूपयों का हुडको से ऋण प्राप्त करने एवं इस प्रयोजनार्थ आवश्यक दस्तावेजों पर आवासन आयुक्त को हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई ।

3.13 परिचलन से लिए गये निर्णयों की पुष्टि :-

(ए) सी. एच. एस. रंगबाड़ी फेज III कोटा (स्कीम नं. 7454) में 151 मकानों के निर्माण के लिए 150.71 लाख रूपयों की लागत की राशि एवं हुडको से 101.95 लाख रूपयों का ऋण ।

(बी) सी. एच. एस. फेज I रंगबाड़ी कोटा (स्कीम नं. 7413) में 297 मकानों के निर्माण के लिए 141.75 लाख रूपयों की लागत की राशि एवं हुडको से 110.54 लाख रूपयों का ऋण ।

(सी) सी. एच. एस. फेज I हुडा सिटी नगर नाथद्वारा (स्कीम नं. 7470) में 100 मकानों के निर्माण के लिए 51.23 लाख रूपयों की लागत की राशि एवं हुडको से 38.50 लाख रूपयों का ऋण ।

(डी) एल. आई. जी. एच. एस. सेक्टर 8 फेज II सांगानेर (स्कीम नं. 7412) में 716 मकानों के निर्माण के लिए 210.58 लाख रूपयों की लागत की राशि एवं हुडको से 178.99 लाख रूपयों का ऋण ।

(इ) सी. एच. एस. माही सरोवर नगर फेज I लांबाखाड़ा (स्कीम नं. 7453) योजना में 104 मकानों के निर्माण के लिए 59.48 लाख रूपयों की लागत की राशि एवं हुडको से 44.61 लाख रूपयों का ऋण ।

(एफ) सी. एच. एस. फेज I नागोर (स्कीम नं. 7520) में 185 मकानों के निर्माण के लिए 63.88 लाख रूपयों की लागत की राशि एवं हुडको से 52.27 लाख रूपयों का ऋण ।

(जी) सी. एच. एस. फेज I सुवेल (स्कीम नं. 7521) में यह निर्णय लिया गया कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के जो 167 मकानों का कार्य चल रहा है केवल उन मकानों के निर्माण के लिए 27.41 लाख रूपये की लागत की राशि एवं हुडको से 24.67 लाख रूपयों का ऋण के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है, अन्य मकानों के संबंध में अध्यक्ष महोदय इनके निर्माण की आवश्यकता को देखकर सन्तुष्ट होने पर इस प्रस्ताव पर मण्डल की आगामी बैठक में विचार किया जावेगा ।

(एच) सी. एच. एस. रंगवाडी फेज चतुर्थ कोटा (स्कीम नं. 7551) योजना में 277 मकानों के निर्माण के लिए 159.77 लाख रूपयों की लागत की राशि एवं हुडको से 122.25 लाख रूपयों का ऋण ।

(आई) सी. एच. एस. फेज I प्रतापगढ (स्कीम नं. 7550) योजना में 174 मकानों के निर्माण के लिए 80.68 लाख रूपयों की लागत की राशि एवं हुडको से 62.47 लाख रूपयों का ऋण स्कीम के मण्डल की प्रोजेक्ट कमेटी से अनुमोदन के पश्चात् लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

14 (झ) मण्डल की विभिन्न समितियों में लिये गये निर्णयों की पुष्टि:-

सम्पति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 27.6.90 के निर्णयों का अनुमोदन किया गया ।

...6

53.14 (बी) समाति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 27.7.90 के निर्णयों का अनुमोदन किया गया ।

53.15 प्रस्तावानुसार 200 लाख रुपये के ऋण पत्र राज्य सरकार की प्रत्याभूति
AO पर जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

53.16 संचालक मण्डल के सदस्यों ने यह सूचित किया कि मण्डल की 152 वीं
बैठक के बिन्दु संख्या 152.46 द्वारा लिए गये निर्णयानुसार मण्डल
AO की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति के मुख्य-मुख्य बिन्दुओं पर रिपोर्ट संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए । मण्डल के मुख्य-लेखाधिकारी इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें । तत्पश्चात् धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई ।

06.9.90

(नरहरी शर्मा)
सचिव
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर ।

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 154 वीं बैठक दिनांक 29.11.90 को मण्डल मुख्यालय के बोर्ड कक्ष में श्री चन्द्र प्रकाश, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1-	श्री चन्द्र प्रकाश	अध्यक्ष, राज. आवासन मण्डल	: अध्यक्ष
2-	श्री एन. के. वर्मा	शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	: सदस्य
3-	श्री एस. के. मुखर्जी	आवासन आयुक्त, राज. आवासन मण्डल	: सदस्य
4-	श्री सी. एस. मेहता	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार	: सदस्य
5-	श्री विनोद पाण्डेया	विशेषाधिकारी, वित्त विभाग	: वित्त सचिव के प्रतिनिधि
6-	श्री एन. एन. नरहरी	सचिव, राज. आवासन मण्डल	: सचिव

बैठक में श्री अब्दुल गफ्फार, अध्यक्ष के तकनीकी सहायक, श्री एन. एन. नरहरी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं श्री पी. आर. शर्मा, मुख्यलेखाधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई:-

154.1 मण्डल की 153 वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि:-

मण्डल की 153 वीं बैठक दिनांक 23.8.90 के निर्णयों की पुष्टि की गई। बिन्दु संख्या 153.1 के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में मास्टर प्लान में आने वाली ही भूमि को मण्डल द्वारा अधिग्रहित करने की कार्यवाही की जावे। ग्रीन बैल्ट में आने वाली भूमि पर अगर मण्डल द्वारा योजना बनाई जाती है तो उसकी स्वीकृति राज्य सरकार से पूर्व में प्राप्त की जावे।

LAO

154.2 मण्डल की 153 वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन:-

मण्डल की 153 वीं बैठक के निर्णय के क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

154.3 राजस्थान आवासन मण्डल भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 के प्रावधान अनुसूचि में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रावधान:-

P.M. इस बिन्दु पर विचार स्थगित रखा गया ।

154.4 आवेदक के पंजीकरण का एक शहर से दूसरे शहर में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में:-

CEM इस बिन्दु पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भविष्य में जयपुर के लिये स्थानान्तरण नहीं होंगे । दूसरे शहरों में केवल एक बार ही स्थानान्तरण की अनुमति दी जावेगी एवं स्थानान्तरण हो पर आवेदक का नाम उस शहर की सूची में उस वर्ष में सबसे नीचे रहेगा

154.5 मण्डल की विभिन्न योजनाओं में जन सुविधाओं के लिये भूखण्ड आवंटन एवं उनसे वसूल की जाने वाली प्रशासनिक व्यय के संदर्भ में निर्णय:-

CEM इस बिन्दु पर विचार स्थगित रखा गया एवं साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि मण्डल की आगामी बैठक में इसकी विस्तृत जानकारी जयपुर विकास प्राधिकरण के आधार पर बनाई जाकर, प्रस्तुत की जावे

154.6 Mobilisation of Resources and Targets & Achievements

CAO इस बिन्दु पर विचार किया गया तथा जो कार्य किया गया उसकी सराहना की गई । साथ ही इस संबंध में एक समिति मुख्य नगर नियोजक, मुख्यलेखाधिकारी एवं विशेषाधिकारी, वित्त विभाग के सदस्यों की गठित की गई । इस समिति से अपेक्षा की गई कि वह इस संबंध में विस्तृत नोट बनाकर मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें कि अगली पंचवर्षीय योजना में इसका क्या स्वरूप रहेगा एवं वर्ष 2000 तक क्या स्थिति रहेगी ? इसके साथ ही मण्डल के आंतरिक अंकेक्षण को विशेष सोचनीय होने के कारण मण्डल के लेखों का अंकेक्षण किस से करवाया जावे; के संबंध में भी यह समिति विस्तृत नोट बनाकर प्रस्तुत करे।

...3

154.12 MIG HS ph-VII at SWB Alwar (Scheme No. 7835)

ACE विचार विमर्श के पश्चात् स्कीम नं. 7835 के लिये 54 मकानों के नि हेतु 52.85 लाख रू0 को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की

154.13 CHS ph-III Ganesh Talab, Kota (Scheme No. 7834)

ACE विचार विमर्श के पश्चात् स्कीम नं. 7834 के लिये 335 मकानों के निर्माण हेतु 151.74 लाख रू0 को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई ।

154.14 CHS ph-I Jawahar Nagar, Bundi (Scheme No. 7807)

ACE विचार विमर्श के पश्चात् स्कीम नं. 7807 के लिये 249 मकानों के निर्माण हेतु 85.04 लाख रू0 को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई ।

154.15 CHS ph-I Doari, Ajmer (Scheme No. 7833)

ACE विचार विमर्श के पश्चात् स्कीम नं. 7833 के लिये 468 मकानों के नि हेतु 149.50 लाख रू0 को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान

154.16 राजस्थान आवासन मण्डल में कार्यरत आशुलिपिक जो अंग्रेजी एवं हि दोनों भाषाओं का शीघ्रलिपि ज्ञान रखते हों, को उनकी वेतन श्रेणी में दो वेतन वृद्धि देने के प्रावधान के क्रम में ।

PM विचार विमर्श के पश्चात् इसका अनुमोदन किया गया । साथ ही लिये परीक्षा वर्ष में एक बार किस स्वतंत्र संस्था से कराई जाए, इस निर्णय लिये जाने हेतु पत्रावली मण्डल के अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाए

154.17 मण्डल की आनन्दसरोवर योजना में "फ्री गिफ्ट कूपन स्कीम" के अन्तर्ग निदेशक, अल्पबचत योजना, राजस्थान सरकार को एक मकान आवंटन करने बाबत ।

CEM विचार विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु को अनुमोदित किया गया ।

154.7 Treating the Hire Purchase allottees as " Limited Hire Purchase " allottee.

इस बिन्दु पर विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि

CEM/CAO राज्य सरकार के कर्मचारी/पब्लिक अंडर टेकिंग एवं उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को लिमिटेड हायर परचेज में करने की अनुमति दे दी जावे

154.8 गोवर्धन विलास फेज चतुर्थ, उदयपुर में उच्च आय वर्ग के पारिजात टाईप तृतीय के 119 मकानों के निर्माण हेतु रूपये 1.73 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु:-

ACE विचार विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु का अनुमोदन किया गया । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में बनाई जाने वाली योजना में सभी वर्गों के मकान बनें, इसका ध्यान रखा जाना चाहिये ।

154.9 मण्डल की विभिन्न उप समितियों के बैठकों के निर्णयों की पुष्टि:-

(अ) सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 7.8.90 के निर्णयों का अनुमोदन किया गया ।

(ब) वित्त एवं लागत समिति की बैठक दिनांक 22.10.90 के निर्णयों का अनुमोदन किया गया ।

154.10 CHS Nimbahera Chittorgarh (Scheme No. 7839)

ACE विचार विमर्श के पश्चात् स्कीम नं. 7839 के लिये 112 मकानों के निर्माण हेतु 61.02 लाख रू0 की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई ।

154.11 CHS ph-I Bhawani Mandi (Scheme No. 7806)

ACE विचार विमर्श के पश्चात् स्कीम नं. 7806 के लिये 79 मकानों के निर्माण हेतु 17.11 लाख रू0 की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई ।

154.18 आवंटियों को आवंटित मकानों के अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरण/बेचान तथा उसके पंजीयन की व्यवस्था में सरलीकरण बाबत ।

CEM विचार विमर्श के पश्चात् इसका अनुमोदन किया गया । यह निर्णय तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नांकित सुझाव दिये गये, जिन पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

154.19 §1§ आय वर्ग परिवर्तन:-

CEM विचार विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु को स्थगित रखा गया ।

§2§ छोटे मकान अधिक संख्या में बनाने के संबंध में:-

ACE/CAO/CEM विचार विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु का अनुमोदन किया गया ।

§3§ मकानों को पूर्ण करके ही कब्जा देने के संबंध में :-

ACE/CEM विचार विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु का अनुमोदन किया गया ।

§4§ छोटे स्थानों पर मकान बनाने की प्रक्रिया के बारे में:-

ACE/CEM विचार विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु का अनुमोदन किया गया ।

§5§ पंजीकरण निरस्त करने के बाद उसे पुनर्जीवित करने के नियमों के बारे में :-

CEM विचार विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु का अनुमोदन किया गया ।

§6§ मकानों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में:-

CEM विचार विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु का अनुमोदन किया गया ।

तत्पश्चात् धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई ।

सचिव,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर

2

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 155 वीं बैठक दिनांक 29.1.91 को मण्डल मुख्यालय के बोर्ड कक्ष में श्री चन्द्र प्रकाश, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	श्री चन्द्र प्रकाश	अध्यक्ष, राज. आवा. मण्डल.	: अध्यक्ष
2.	श्री एन. के. वर्मा	शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	: सदस्य
3.	श्री एस. एल. जोशी	आवासन आयुक्त, राज. आवा. मण्डल	: सदस्य
4.	श्री सी. एस. मेहता	मुख्य नगर नियोजक, राज. सरकार	: सदस्य
5.	श्री बिनोद पाण्डया	विशेषाधिकारी, वित्त विभाग	: वित्त सचिव के प्रतिनिधि
6.	श्री नरहरी शर्मा	सचिव, राज. आवा. मण्डल	: सचिव

बैठक में श्री अब्दुल मतीन, अध्यक्ष के तकनीकी सहायक, श्री एन. एन. नरहरि, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं श्री पी. आर. शर्मा, मुख्यलेखाधिकारी भी उपस्थित थे । बिन्दु सं. 154.18 की प्रगति के संदर्भ में श्रीमती प्रमिला सुराणा, मुख्य सम्पदा प्रबन्धक को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया ।

बैठक की कार्यवाही निम्नानुसार सम्पन्न हुई:-

155.1 मण्डल की 154 वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि:-

मण्डल की 154 वीं बैठक दिनांक 29.11.90 के निर्णयों की पुष्टि की गई । इस सम्बन्ध में मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार (सदस्य)

L.A.O ने गत बैठक के बिन्दु संख्या 154.1 के संदर्भ में उनके द्वारा प्रेषित पत्र की ओर ध्यान आकर्षित कराया । निर्णय लिया गया कि पत्र के अनुरूप कार्यवाही करते हुये औपचारिक आदेश जारी कर मुख्य नगर नियोजक तथा शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को शीघ्र भिजवाया जावे ।

...2

आवासीय अभियंता (मु0प्रो0)

155.9 मण्डल की विभिन्न योजनाओं में जन सुविधाओं के लिये भूमि आवंटन व उनसे वसूल किये जाने वाले प्रशासनिक व्यय के सम्बन्ध में :-

CAO/CEM

मण्डल की विभिन्न योजनाओं में जन सुविधाओं के लिये भूमि आवंटन व उनसे वसूल किये जाने वाले प्रशासनिक व्यय के संबंध में पैट्रोल पम्प एवं गैस गोदाम के लिये भूमि की दर आरक्षित दर की चारगुनी कर दी गई है व विशेष वर्गों-सैनिकों की विधवाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों एवं विकलांगों के लिये यह दर आरक्षित दर की दो गुनी रखी गई है । मण्डल द्वारा इस दर पर 36.5 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय वसूल किया जाता है । यह प्रशासनिक व्यय अभी भूमि की कुल लागत निकालकर उस पर वसूल किया जा रहा था । मण्डल की बैठक में इस पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि आरक्षित वर्गों-सैनिकों की विधवाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति आवेदकों एवं विकलांगों से प्रशासनिक व्यय भूमि की आरक्षित दर पर ही वसूल किया जावे और तत्पश्चात् भूमि की दर आरक्षित दर की दो गुनी कर वसूल की जावेगी । इस प्रकार इन वर्गों के लिये प्रशासनिक व्यय केवल आरक्षित दर पर ही देय होगा । प्रशासनिक व्यय केवल आरक्षित दर पर लिया जायगा-व्यापारिक दर पर नहीं । यह कदम इसलिये आवश्यक हो गया क्योंकि पैट्रोल पम्प तथा गैस गोदाम बनाना व्यापारिक कार्य के साथ बस्ती का सुविधा कार्य भी है ।

श्रीमती पुष्पा मित्तल के प्रकरण पर पृथक से विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि उनसे भी प्रशासनिक व्यय केवल भूमि की आरक्षित दर पर ही वसूल किया जावेगा न कि वाणिज्यिक/कॉमर्शियल दर पर । इस प्रकार के अन्य श्रेणी के प्रकरण प्राप्त होने पर उनके गुणावगुण के आधार पर अलग से निर्णय लिया जावेगा ।

...5

155.10 मण्डल की विभिन्न उप समितियों के बैठकों के निर्णयों की पुष्टि:-

(अ) दिनांक 12.11.90 को आयोजित परियोजना समिति की 61 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन किया गया ।

(ब) सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 13.12.90 के निर्णयों का अनुमोदन किया गया ।

155.11 राजस्थान आवासन मण्डल के वर्ष 1990-91 के संशोधित बजट अनुमान एवं वर्ष 1991-92 के बजट अनुमान का अनुमोदन :-

CAO

राजस्थान आवासन मण्डल के वित्तीय वर्ष 1990-91 के संशोधित अनुमानित बजट एवं वित्तीय वर्ष 1991-92 के बजट अनुमान को विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् विवरण के अनुरूप स्वीकृत और अनुमोदित किया गया ।

155.12 श्री महेन्द्र सिंह, आई.ए.एस. को अतिरिक्त जमीन के आवंटन हेतु :-

CHM
PA TO CM

समयाभाव के कारण इस बिन्दु पर पूर्ण विचार नहीं हो सका । श्री महेन्द्र सिंह को किस दर पर भूमि दी जाय यह भी राज्य सरकार से पूछ लिया जाय । वर्तमान में बोर्ड इस प्रकार की भू-पट्टियां किस दर पर बेचता है-यह राज्य सरकार को बताया जाय । अगर पहले भी इस प्रकार के निर्णय बोर्ड ने लिये हों तो उनका भी विवरण प्रस्तुत किया जाय ।

155.13 विधि सहायक के नये पदों के सृजन बाबत :-

P.M

विचार-विमर्श के उपरान्त मण्डल में तीन विधि सहायकों के पद सृजित करने को स्वीकृति दी गई । किन्तु निर्णय लिया गया कि नव-सृजित पदों को सीधी भर्ती द्वारा नहीं भरा जाकर योग्य उम्मीदवार शासन सचिवालय, विधि विभाग से प्रतिनियुक्ति पर (एक मुख्यालय, एक कोटा वृत, एक उदयपुर वृत के लिये) लिये जावेंगे ताकि शीघ्रता से काम हो सके।

तत्पश्चात् धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई ।

(नरहरी शर्मा)
सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 156 वीं बैठक दिनांक 19.4.91 को मण्डल मुख्यालय के बोर्ड कक्ष में श्री चन्द्र प्रकाश, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1.	श्री चन्द्र प्रकाश	अध्यक्ष, राज. आवा. मण्डल	: अध्यक्ष
2.	श्री एस. एल. जोशी	आवासन आयुक्त, राज. आवा. मण्डल	: सदस्य
3.	श्री सी. एस. मेहता	मुख्य नगर नियोजक, राज. सरकार	: सदस्य
4.	श्री बिनोद पाण्डया	विशेषाधिकारी, वित्त विभाग	: वित्त सचिव के प्रतिनिधि
5.	श्री आर. सी. अग्रवाल	सचिव, राज. आवा. मण्डल	: सचिव

बैठक में श्री अब्दुल मतीन, अध्यक्ष के तकनीकी सहायक, श्री एन. एन. नरहरि, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं श्री पी. आर. शर्मा, मुख्यलेखाधिकारी उपस्थित थे।

श्री एन. के. वर्मा, शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजकीय कार्य में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक की कार्यवाही निम्नानुसार सम्पन्न हुई:-

156.1 मण्डल की 155 वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि:-

मण्डल की 155 वीं बैठक दिनांक 29.1.91 के निर्णयों की पुष्टि की गई।

156.2 मण्डल की 155 वीं एवं मण्डल की 154 वीं बैठक के निर्णय बिन्दु सं. 154.16 के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन:-

मण्डल की 155 वीं एवं 154 वीं बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या 154.16 के निर्णयों के क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

156.3 जमीनों की लागत के सम्बन्ध में:-

विचार-विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु को वापिस लिया गया, क्योंकि

A to CM
CAO

यह मण्डल की 148 वीं बैठक में बिन्दु संख्या 148.26 अनुमोदित हो चुका है ।

156.4 जोधपुर में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग से एक आवासीय अभियन्ता को प्रतिनियुक्ति पर लेने के संबंध में:-

P.M जोधपुर वृत्त में मकानों का आवंटन कार्य पानी की लाईन डालने का कार्य पिछड़ा होने के कारण नहीं हो पा रहा है । वर्तमान में 1466 पूर्ण रूप से निर्मित आवास पानी की लाईन के अभाव में रूके पड़े है अथवा आवंटित हो जाने के पश्चात् आवंटियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है । अतः जोधपुर में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग से एक आवासीय अभियन्ता मय सम्बन्धित प्रस्ताव/स्टाफ को प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने हेतु बिन्दु पर विचार-विमर्श के पश्चात् इसका अनुमोदन किया गया । जोधपुर में पी. एच. ई. डी. कार्य के लिये एक नया डिविजन सृजित किया जायगा ।

156.5 प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पारिजात योजना, गोवर्धन विलास, उदयपुर :-

ACE(W) विचार-विमर्श के पश्चात् 56 मकानों के निर्माण हेतु रूपये 143.43 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई एवं साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जितनी भी भूमि मण्डल द्वारा अवाप्त की जावे उसका पूर्ण रूप से उपयोग होना चाहिये एवं व्यर्थ भूमि नहीं छोड़ी जावे । इस बात का भी ध्यान रखा जावे कि भूमि के मुआवजे का भुगतान भूमि का कब्जा लिये जाने के पश्चात ही किया जावे । अध्यक्ष महोदय ने सुवेल, जिला झालावाड़ में भूमि के मुआवजों के भुगतान करने एवं भूमि पर कब्जा नहीं मिलने का उदाहरण देते हुये बताया कि इस प्रकार की कार्यवाही भविष्य में नहीं होनी चाहिये । इस मामले में तथ्य भी अध्यक्ष के समक्ष रखे जायें ।

156.6 प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पारिजात योजना, महावीर नगर, कोटा के 67 मकानों हेतु :-

ACE(W) विचार-विमर्श के पश्चात् 67 मकानों के निर्माण हेतु रूपये 1,56,41,772/- की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई ।

156.7 मण्डल में ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु:-

ACE(W)/CAO विचार-विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु का राज्य सरकार द्वारा प्रसारित संशोधित आदेशों के आधार पर ही मण्डल में भी ठेकेदारों का पंजीकरण किये जाने का अनुमोदन किया गया ।

156.8 Agenda note for introducing price escalation in contract agreement of Rajasthan Housing Board.

ACE(W)/CAO विचार-विमर्श के पश्चात् भविष्य में होने वाले ठेकों में राज्य सरकार द्वारा प्रसारित मूल्यवृद्धि संबंधी आदेश का समावेश करने की सहमति प्रदान की गई । आवास विकास संस्थान को अभी इसकी सुविधा नहीं मिल रही है, अतः तत्काल प्रभाव से यह सुविधा आवास विकास संस्थान को दिये जाने का निर्णय लिया गया । चूंकि ई.पी.आई. को पूर्व में ही यह सुविधा मिल रही है, ई.पी.आई. के संबंध में अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

156.9 Agenda note by circulation No. 127 regarding Duplex H.S. Sect. III, HIG, Mansarovar, Jaipur (Scheme No. 7961).

ACE(W) विचार-विमर्श के पश्चात् 312 मकानों के निर्माण हेतु रूपये 657.63 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई ।

156.10 घटित घटना की रिपोर्ट संबंधित पुलिस स्टेशन पर दर्ज करवाने के संबंध में :-

L.O/DD(SPM) मण्डल में अपराधिक घटना घटित हो जाने पर कौन अधिकारी पुलिस में रिपोर्ट करायेगा यह प्रश्न काफी दिनों से विचाराधीन चल रहा है।

अतः विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि यदि अपराध (घटना) किसी कार्यालय विशेष में घटित होती है, उस संबंधित कार्यालय अधिकारी द्वारा ही प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाई जानी चाहिये एवं मुख्यालय पर कोई अपराध घटित होता है तो मण्डल के सचिव के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जावे, इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई ।

156.11 पारिजात योजना अन्तर्गत पंजीकृत आवेदकों को जमा राशि पर ब्याज देने बाबत :-

CAO / CEM

विचार-विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु का अनुमोदन किया गया ।

156.12 मण्डल में अवाप्ति में आने वाली भूमि के मुआवजे के बदले 12 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने के बजाय 15 प्रतिशत विकसित भूखण्ड दिये जाने के संबंध में :-

LAO

बोर्ड ने पहले समझौते से भूमि अवाप्त करने हेतु 12 प्रतिशत का फोरमूला तय किया हुआ है, जिसके अन्तर्गत भूमिधारी कुल भूमि के 12 प्रतिशत विकसित भूखण्ड लेकर बोर्ड को भूमि हस्तान्तरित कर सकता है । इस फार्मूले से भूमि लेने हेतु अखबारों में विज्ञापन भी दिये गये, परन्तु बोर्ड को इसमें विशेष सफलता नहीं मिली । मीटिंग में यह विचार आया कि भूमिधारी पहले कुछ जमीन छुड़वाते हैं तथा बाद में नयी भूमि का 12 प्रतिशत भाग प्राप्त करना चाहते हैं, जो बोर्ड के हितों के विरुद्ध है । विचार - विमर्श के बाद इस प्रक्रिया को अधिक लोकप्रिय बनाकर तुरन्त भूमि उपलब्ध होने के लिये विकसित भूखण्डों का प्रतिशत 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्तावानुसार निर्णय लिया गया । यह फार्मूला केवल जिला मुख्यालयों के लिये लागू होगा। पहले पांच मामले बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिये रखे जायेंगे क्योंकि छोटे स्थानों पर घाटा होने की संभावना रहेगी ।

156.13 अवाप्त की जाने वाली भूमि के मुआवजे की राशि का भुगतान करने के संबंध में ब्याज व सोलेशियम आदि की राशि के भुगतान के संबंध में:-

भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23(1)(ए) में वर्णित 12 प्रतिशत राशि को मुआवजा माना जावे या नहीं एवं इस धारा के अन्तर्गत इस राशि पर ब्याज की गणना की जावे या नहीं इस बिन्दु पर कई दिनों से विचार-विमर्श चल रहा था । इस संबंध में बोर्ड ने कई प्रकरण न्यायालय में लगा रखे हैं एवं बोर्ड को जमीन भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है । इस प्रकरण में संबंधित अधिकारियों, विधिवेत्ताओं, आदि से वार्तालाप पाया गया कि 12 प्रतिशत राशि अतिरिक्त मुआवजे की रकम मानी जावेगी । प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं निर्णय लिया गया कि जमीन को तुरन्त अवाप्त करने हेतु ऐसे प्रकरणों को न्यायालय से वापस ले लिया जावे । मीटिंग में प्रस्तुत किया गया नोट पूर्णतया न्यायोचित है अतः अनुमोदित किया जाता है ।

156.14 स्व-वित्त पोषित योजना/पारिजात योजना में मकानों के आवंटन एवं मकान आवंटन न करने की स्थिति में दिये जाने वाले ब्याज के संबंध में संशोधन प्रक्रिया:-

विचार-विमर्श के पश्चात् मुख्यलेखाधिकारी को इस बिन्दु को विस्तृत टिप्पणी के साथ संचालक मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्णय लिया गया ।

156.15 शहरी जमा बन्दी की एकमुश्त जमा:-

विचार विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु पर निम्न निर्णय लिये गये:-

(1) वर्तमान आवंटी द्वारा आगामी 10 वर्षों की शहरी जमा बन्दी की राशि एकमुश्त जमा कराये जाने पर अवशेष अवधि के लिये वार्षिक शहरी जमा बन्दी के दायित्व से मुक्त होगा ।

(2) मण्डल द्वारा वर्तमान में शहरी जमा बन्दी की राशि भूमि की कीमत का 2.5 प्रतिशत (ढाई प्रतिशत) वसूल की जा रही है लेकिन

अब यह राशि जो कम से कम एक रुपये प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष की दर से कम नहीं ली जायेगी। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार।

(3) मण्डल द्वारा पूर्व में आवास आवंटन के समय ही एक वर्ष की अग्रिम शहरी जमाबन्दी राशि ली जाती थी, वह समाप्त की जाकर जिन आवंटियों ने एक वर्ष की शहरी जमा बन्दी की राशि अग्रिम जमा करा रखी है उन आवंटी द्वारा एक मुश्त 9 वर्षकी ही राशि जमा कराये जाने पर अवशेष अवधि के लिये शहरी जमा बन्दी के जमा कराने से मुक्त किया जायेगा।

156.16 Houses to be constructed by RHB through E.P.I.

ACE(W) विचार-विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु को स्थगित रखा जाकर इसे आगामी संचालक मण्डल की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

156.17 कल्पतरू योजना से प्राप्त राशि का हुडको में विनियोजन:-

CAO / CEM विचार विमर्श के पश्चात् कल्पतरू योजना से प्राप्तराशि का आधिक्य होने पर राशि हुडकों में विनियोजन किये जाने का निर्णय लिया गया।

156.18 दिनांक 3 अप्रैल 91 की वर्क्स कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णयों का मण्डल द्वारा अनुमोदन:-

ACE(W) विचार-विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने संचालक मण्डल के सदस्यों को यह अवगत कराया कि ई.पी.आई. को सात दिवस की अवधि के लिये 40 लाख रुपये की राशि उनके एक करोड़ रूपये से अधिक के बनाया बिलों के विरूद्ध अग्रिम के तौर पर दिये जाने का उनके द्वारा जो निर्णय लिया जा चुका है, उसकी पुष्टि की जावे। यह राशि उक्त फर्म के आगामी बिलों में से एक मुश्त एक सप्ताह में समायोजित की जायेगी। संचालक मण्डल ने अध्यक्ष महोदय के इस निर्णय की पुष्टि की।

तत्पश्चात् धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

सचिव,
राज. आवा. मण्डल,

153.8 परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) की वरिष्ठता सूची को डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी में विभाजित करने बाबत :-

PM विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि इस संबंध में राज्य सरकार व सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में प्रचलित नियमों के बारे में पता किया जावे उसके पश्चात् पूर्ण तथ्य बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जावें ।

153.9 कोटा में खण्ड तृतीय के कार्य को मार्च, 1991 तक निरन्तर जारी करने बाबत् :-

ACE/PM कोटा खण्ड तृतीय को मार्च, 1991 तक निरन्तर रखने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

153.10 प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पारिजात 89, सेक्टर-13, मानसरोवर जयपुर की तृतीय तिमाही के सम्बन्ध में :-

ACE जयपुर में मानसरोवर योजना में निम्नानुसार मकानों के निर्माण के लिये राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई :-

क्र. सं.		संख्या	प्रतिमकान लागत	कुल लागत
1.	उच्च आय वर्ग	15 मकान	2,98,678.25	44.80 लाख
2.	मध्यम आय वर्ग "ब"	प्रथम- 29	1,84,037.07	
		द्वितीय-8	1,65,435.88	77.87 लाख
		तृतीय -3	1,35,534.18	
3.	मध्यम आय वर्ग प्रथम	प्रथम -2	1,30,929.20	
		द्वितीय-1	1,12,080.31	12.87 लाख

कुल अनुमोदित लागत:- 128.34 लाख

153.11 सी. एच. एस. फेज 3 चन्द्र शेखर आजाद नगर, भीलवाड़ा (स्कीम नं. 7641)

ACE मण्डल की उपरोक्त योजना में मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के कुल 223 मकान प्रस्तावानुसार निर्माण के लिए 207.38 लाख रुपये की लागत को व्यय करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं

144.33 लाख रूपयों का हुडको से ऋण प्राप्त करने एवं इस प्रयोजनार्थ आवश्यक दस्तावेजों पर आवासन आयुक्त को हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई ।

153.12 सी. एच. एस. चौपासनी रोड़ वेस्ट एक्सटेन्सन फेज 9 जोधपुर (स्कीम नं. 7531)

मण्डल की उपरोक्त योजना में मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के
ACE कुल 190 मकान प्रस्तावानुसार निर्माण के लिए 215.84 लाख रूपये की लागत को व्यय करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं 129.15 लाख रूपयों का हुडको से ऋण प्राप्त करने एवं इस प्रयोजनार्थ आवश्यक दस्तावेजों पर आवासन आयुक्त को हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई ।

153.13 परिचलन से लिए गये निर्णयों की पुष्टि :-
ACE

(ए) सी. एच. एस. रंगबाड़ी फेज III कोटा (स्कीम नं. 7454) में 151 मकानों के निर्माण के लिए 150.71 लाख रूपयों की लागत की राशि एवं हुडको से 101.95 लाख रूपयों का ऋण ।

(बी) सी. एच. एस. फेज I रंगबाड़ी कोटा (स्कीम नं. 7413) में 297 मकानों के निर्माण के लिए 141.75 लाख रूपयों की लागत की राशि एवं हुड़को से 110.54 लाख रूपयों का ऋण ।

(सी) सी. एच. एस. फेज I कुआंडिया नगर नाथद्वारा (स्कीम नं. 7470) में 100 मकानों के निर्माण के लिए 51.23 लाख रूपयों की लागत की राशि एवं हुड़को से 33.50 लाख रूपयों का ऋण ।

(डी) एल. आई. जी. एच. एस. सेक्टर 8 फेज II लांगानेर (स्कीम नं. 7412) में 716 मकानों के निर्माण के लिए 210.58 लाख रूपयों की लागत की राशि एवं हुड़को से 178.99 लाख रूपयों का ऋण ।

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 157 वीं बैठक दिनांक 10.8.91 को मण्डल मुख्यालय के बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	श्री एस. अहमद	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	: अध्यक्ष
2.	श्री एन. के. वर्मा	सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	: सदस्य
3.	श्री एस. एल. जोशी	आवासन आयुक्त	: सदस्य
4.	श्री सी. एस. मेहता	मुख्य नगर नियोजक, राज. सरकार	: सदस्य
5.	श्री विनोद पाण्डया	नियोजनाधिकारी, वित्त विभाग	: वित्त सचिव के प्रतिनिधि
6.	श्री पी. सी. अग्रवाल	सचिव, राज. आवा. मण्डल,	: सचिव

बैठक में श्री अब्दुल मतीन, अध्यक्ष के तकनीकी सहायक, श्री एन. एन. नरहरी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, श्री पी. आर. शर्मा, मुख्यलेखाधिकारी एवं श्रीमती प्रमिला सुराणा, मुख्य सम्पदा प्रबन्धक भी उपस्थित थे ।

बैठक की कार्यवाही निम्नानुसार सम्पन्न हुई :-

157.1 मण्डल की 156 वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि :-

मण्डल की 156 वीं बैठक दिनांक 19.4.91 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 156.5 में यह जोड़ते हुये कि जो विचार बिन्दु परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु संचालक मण्डल के समक्ष रखे जाते हैं उनकी पूर्व में प्रोजेक्ट कमेटी द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है, अनुमोदन किया गया ।

CS (W)

विचार विमर्श के पश्चात् कार्यवाही विवरण में उक्त संशोधन स्वीकार किया गया । इसके अतिरिक्त 156 वीं बैठक के अन्य निर्णयों की पुष्टि की गयी ।

...2

157.2 मण्डल की 156 वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन:-

मण्डल की 156 वीं बैठक के निर्णयों के क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया ।

DD

157.3 कुबेर योजना में पंजीकृत आवेदकों को प्राथमिकता से आवास आवंटन के सम्बन्ध में:-

CEM

कुबेर योजना में पंजीकृत आवेदकों को प्राथमिकता से आवास आवंटन करने के बिन्दु पर विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में उक्त पंजीकृत आवेदकों को मकान आवंटन के बारे में विशिष्ठ प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावें ।

157.4 स्ववित्त पोषित योजना/पारिजात योजना में मकानों के आवंटन एवं मकान आवंटन न करने की स्थिति में दिए जाने वाले ब्याज के संबंध में संशोधन प्रक्रिया :-

CAO

विचार-विमर्श के पश्चात् मण्डल द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि की गयी ।

157.5 मण्डल के 17 तदर्थ कनिष्ठ सहायकों को वरिष्ठता एवं अन्य लाभ देने बाबत :-

DD

विचार-विमर्श के पश्चात् परिशिष्ठ अ में वर्णित 17 तदर्थ कनिष्ठ सहायकों को राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की दिनांक तक पूर्व वर्षों की वेतन वृद्धियाँ नोशनल आधार पर देने का निर्णय लिया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त कर्मचारियों को एरियर देय नहीं होगा ।

157.6 कम्प्यूटर के रख-रखाव हेतु फर्म मैसर्स एच. सी. एल. से तीन वर्ष के अनुबन्ध हेतु :-

CAO

विचार-विमर्श के पश्चात् मैसर्स एच. सी. एल. को प्रस्ताव के अनुसार कम्प्यूटर के रख-रखाव के कार्य हेतु 3 वर्ष के लिये 60,000/-प्रति वर्ष की दर से 1,80,000/- रू0 अग्रिम देने के निर्णय का अनुमोदन किया गया

157.7 मण्डल में कार्यरत परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) की वरिष्ठता सूची को डिग्रीधारी एवम् डिप्लोमाधारी में विभाजित करने बाबत :-

DD

डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारी परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) की वरिष्ठता सूचियां पृथक-पृथक जारी करने का निर्णय लिया गया ।

157.8 विभिन्न आय वर्गों के आवेदकों से जमीन की लागत आरक्षित दर से कम अथवा अधिक वसूल करने बाबत :-

CAO

विचार विमर्श के पश्चात् वर्ष 1990-91 की निश्चित की गयी भूमि एवं विकास लागत दर का अनुमोदन किया गया ।

157.9 प्रताप नगर (सांगानेर स्कीम) के सेक्टर 1 से 8 की सीवरेज स्कीम की प्रशासनीय एवं वित्तीय स्वीकृति :-

CM (W)

एजेण्डा नोट के अनुसार प्रताप नगर (सांगानेर योजना) के सेक्टर 1 से 8 की सीवरेज स्कीम को स्वीकृति दी गयी ।

157.10 प्रतिवर्ष अप्रेल माह में रु0 30,000/- की राशि राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी कल्याण कोष सहायतार्थ उपलब्ध कराने के क्रम में :-

CAO

राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी कल्याण कोष को प्रस्तावानुसार 30,000/-रु0 की राशि प्रतिवर्ष देने की स्वीकृति दी गयी ।

157.11 राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी सेवा नियम 1970 के अध्याय 4 नियम 22 उच्च पद पर पदोन्नति या नियुक्ति पर वेतन की धाराओं में राज्य सरकार के सेवा अधिनियम की धारा 11 "ए" के समकक्ष वेतन निर्धारण में परिकल्पित वेतन वृद्धियों का लाभ दिये जाने के नियमों को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में :-

CAO/DD

कर्मचारियों की पदोन्नति पर वेतन स्थिरीकरण करते समय पदोन्नत किये गये वर्ष से परिकल्पित वेतन वृद्धियों का लाभ दिये जाने से संबंधित प्राविधान मण्डल के सेवा नियमों में जोड़ने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया । अध्यक्ष की अनुमति से किये गये वेतन स्थिरीकरण का भी किया गया ।

(क्रमशः संख्या 8456)

157.12 श्री ओ.पी. बोहरा, आवासीय अभियन्ता को कारड़ियो वतेक्यूलर सरजरी हेतु राज्य के बाहर चिकित्सा निदान के लिये अग्रिम एवं खर्च की स्वीकृति के संबंध में :-

CAO मण्डल के श्री ओ.पी. बोहरा, आवासीय अभियन्ता को उनकी बीमारी की गम्भीरता को देखते हुये 62,000/- अग्रिम दिये जाने का अनुमोदन किया गया एवं वास्तविक खर्च के बिलों का भुगतान अध्यक्ष की अनुमति से किये जाने का भी निर्णय लिया गया ।

157.13 हिरनमगरी, उदयपुर में एल.आई.जी. मकानों का मूल्यांकन :-

CAO इन मकानों की लागत गणना हेतु वर्ष 1990-91 की भूमि दर मद्दल करने का निर्णय लिया गया ।

157.14 वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निर्माण कार्य 208 मकान, पारिजात योजना-4/89, सेक्टर-2, मानसरोवर, जयपुर :-

ACE(A) 208 मकान, पारिजात योजना-4/89, सेक्टर-2, मानसरोवर, जयपुर के निर्माण कार्य की 380.59 लाख रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक जो अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रदान की जा चुकी है, का अनुमोदन किया गया ।

157.15 पारिजात योजना के अन्तर्गत आवंटित मकानों के आवंटन पत्र में वर्णित वांछित राशि जमा कराने की अवधि बढ़ाने बाबत :-

CAO/CEM पारिजात योजना के आवंटियों के ऐसे प्रकरण जिनमें आवंटन पत्रों में लागत एवं आरक्षण पत्र में अंकित अनुमानित लागत में 10% से अधिक का अन्तर है, उन आवंटियों से आवंटन पत्र के द्वारा वांछित राशि जमा कराने हेतु तीन माह का समय दिये जाने का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया । साथ ही जिन प्रकरणों में इन दोनों में 10% या इससे कम का अन्तर है, उनमें एक माह का समय यथावत रखा जाने का निर्णय लिया गया ।

CAO

क्र-

...5

को ?

57.16 वर्तमान कम्प्यूटर के विस्तार एवं नये उपकरणों के क्रय हेतु :-

CAO

वर्तमान कम्प्यूटर के विस्तार एवं नये उपकरणों के क्रय हेतु प्रस्तावानुसार वर्ष 1991-92 के बजट में 7 लाख रूपये की राशि के अतिरिक्त प्रावधान करने का निर्णय लिया गया ।

57.17 अप्रवासी भारतियों को होटल, अस्पताल, कालेज, ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट एवं स्कूल के लिये जमीन का आवंटन :-

AOE (P&C)
CGM

विचार-विमर्श के पश्चात् राजस्थान आवासन मण्डल की कालोनीज में अप्रवासी भारतियों को प्रस्तावानुसार होटल, अस्पताल, कालेज, ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट एवं स्कूल हेतु प्रत्येक केस में गुणवत्ता के आधार पर जमीन आवंटन करने का निर्णय लिया गया । होटल हेतु जमीन वाणिज्यिक दर पर आवंटन करने का एवं अस्पताल, कालेज, ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट तथा स्कूल हेतु जमीन आवासीय आरक्षित मूल्य पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया ।

57.18 सरकुलेशन के द्वारा पारित एजेण्डा नोट संख्या 129 से 133 की पुष्टि:-

57.18 (ए) एल. आई. जी. एच. एस. फेज-11, कुरी भगतासनी, जोधपुर (स्कीम संख्या 8454) योजना में 576 मकानों का निर्माण :-

AOE (W)

एल. आई. जी. एच. एस. फेज-11, कुरी भगतासनी, जोधपुर (स्कीम संख्या 8454) योजना में 576 मकानों के निर्माण के लिये 189.60 लाख रूपयों की लागत की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा योजना के लिये 161.16 लाख रूपयों का ऋण लेने की अनुमति प्रदान की गयी और इसके लिये आवासन आयुक्त को हुडको के साथ ऋण संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत किया गया ।

57.18 (बी) एच. आई. जी. फ्लेट सेक्टर 3, फेज-4, सांगानेर, जयपुर (स्कीम संख्या 8456) योजना में 120 मकानों का निर्माण :-

एच. आई. जी. फ्लेट सेक्टर 3 फेज-4, सांगानेर, जयपुर (स्कीम संख्या 8456)

ACE (W) योजना में 120 मकानों के निर्माण के लिये 241.29 लाख रूपयों की लागत को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा योजना के लिये 144.77 लाख रूपयों का ऋण लेने की अनुमति प्रदान की गई और इसके लिए आवासन आयुक्त को हुडको के साथ ऋण संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत किया गया ।

157.18(सी) डुप्लेक्स एच. एस. सेक्टर 6, मानसरोवर, जयपुर (स्कीम संख्या 8548) योजना में 407 मकानों का निर्माण:

ACE (W) डुप्लेक्स एच. एस. सेक्टर 6, मानसरोवर, जयपुर (स्कीम संख्या 8548) योजना में 407 मकानों के निर्माण के लिये 795.24 लाख रूपयों की लागत को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा योजना के लिये 477.14 लाख रूपयों का ऋण लेने की अनुमति प्रदान की गई और इसके लिये आवासन आयुक्त को हुडको के साथ ऋण संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत किया गया ।

157.18(डी) एल. आई. जी. एच. एस., फेज-II, पाल रोड़, जोधपुर (स्कीम संख्या 8450) योजना में 272 मकानों का निर्माण :-

ACE (W) एल. आई. जी. एच. एस., फेज-II, पाल रोड़, जोधपुर (स्कीम संख्या 8450) योजना में 272 मकानों के निर्माण के लिये 89.38 लाख रूपयों की लागत को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा योजना के लिये 75.98 लाख रूपयों का ऋण लेने की अनुमति प्रदान की गयी और इसके लिये आवासन आयुक्त को हुडको के साथ ऋण संबंध दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत किया गया ।

157.18(ई) एलएच. एस, फेज-I, सेक्टर 6ए, मानसरोवर, जयपुर (स्कीम संख्या 8455) योजना में 269 मकानों का निर्माण :-

ACE (W) एलएचएस, फेज-I, सेक्टर 6ए, मानसरोवर, जयपुर (स्कीम संख्या 8455) योजना में 269 मकानों के निर्माण के लिये 153.58 लाख रूपयों की लागत को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा योजना के

...7

लिये 117.27 लाख रुपयों का ऋण लेने की अनुमति प्रदान की गयी और इसके लिये आवासन आयुक्त को हुडको के साथ ऋण संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत किया गया ।

157.19 सीएचएस, फेज-1, दौसा स्कीम संख्या 8612 योजना में 189 मकानों का निर्माण :-

---

सीएचएस, फेज-1 दौसा स्कीम संख्या 8612 योजना में 189 मकानों के निर्माण के लिये 90.87 लाख रुपयों की लागत की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा योजना के लिये 71.50 लाख रुपयों का ऋण लेने की अनुमति प्रदान की गई और इसके लिये आवासन आयुक्त को हुडको के साथ ऋण संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत किया गया ।

ACE (W)

157.20 सीएचएस, फेज-11, सेक्टर 5, मानसरोवर, जयपुर स्कीम संख्या 8625 योजना में 260 मकानों का निर्माण ।

सी. एच. एस., फेज-11, सेक्टर 5, मानसरोवर, जयपुर स्कीम संख्या 8625 योजना में 260 मकानों के निर्माण के लिये 258.39 लाख रुपयों की लागत की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा योजना के लिये 193.79 लाख रुपयों का ऋण लेने की अनुमति प्रदान की गयी और इसके लिये आवासन आयुक्त को हुडको के साथ ऋण संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत किया गया ।

ACE (W)

157.21 आर्वटियों के वर्ष 87-88 के लेखों का निरीक्षण सनदी लेखाकार से कराया जाना ।

प्रस्तावानुसार वर्ष 87-88 के लेखों का निरीक्षण मैसर्स जगत व्यास, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से कराये जाने का निर्णय का अनुमोदन किया गया ।

CAO

157.22 जवाहरनगर योजना, जयपुर में मैसर्स अदिनी पिक्चर्स प्रा. लि. को सिनेमा हॉल के लिए नीलाम किये गये भूखण्ड के संबंध में ।

मैसर्स अदिनी पिक्चर्स प्रा. लि. को सिनेमा हाल के लिये नीलाम किये

...8

गये भूखण्ड के स्थान पर कॉमर्शियल काम्पलेक्स बनाने के बिन्दु पर विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि उक्त फर्म से इस बिन्दु पर सहमति प्राप्त की जावे कि वे उक्त भूखण्ड को कॉमर्शियल काम्पलेक्स के काम में लेने हेतु वर्तमान वाणिज्यिक दर से भूखण्ड की कीमत का भुगतान करने को तैयार है । फर्म द्वारा जमा करायी गयी राशि वाणिज्यिक दर के अनुसार भूखण्ड के मूल्य में से कम की जावेगी एवं परन्तु फर्म द्वारा जमा करायी गयी राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

फर्म की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण पुनः मण्डल के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया ।

157.23 एल. आई. जी. एच. एस., फेज-1, सेक्टर 11, कुडी भगतासनी, जोधपुर स्कीम संख्या 8453 योजना में 409 मकानों का निर्माण ।

ACE (W) एल. आई. जी. एच. एस., फेज-1, सेक्टर-11, कुडी भगतासनी, जोधपुर स्कीम संख्या 8453 योजना में 409 मकानों के निर्माण के लिये 84.39 लाख रुपयों की लागत की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा योजना के लिये 71.73 लाख रुपयों का लेने की अनुमति प्रदान की गयी और इसके लिये आवासन आयुक्त को ऋणकर्ता के साथ ऋण संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत किया गया ।

157.24 एल. आई. जी. एच. एस., फेज-6, गोवर्धन विलास, उदयपुर स्कीम संख्या 8452 योजना में 142 मकानों का निर्माण ।

ACE (W) एल. आई. जी. एच. एस., फेज-6, गोवर्धन विलास, उदयपुर स्कीम संख्या 8452 योजना में 142 मकानों के निर्माण के लिये 36.95 लाख रुपयों की लागत की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा योजना के लिये 31.41 लाख रुपयों का ऋण लेने की अनुमति प्रदान की गयी और इसके लिये आवासन आयुक्त को ऋणकर्ता के साथ ऋण संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत किया गया ।

...9

157.25 हुडको द्वारा वित्तीय सहायता हेतु स्वीकृत योजनाओं के लिये राजकीय प्रत्याभूति ।

108 (P.M) हुडको द्वारा एजेन्डा नोट के अनुसार स्वीकृत मण्डल की 22 योजनाओं में एवं अन्य स्वीकृत योजनाओं में राज्य सरकार के वित्त विभाग के परिपत्र संख्या व्यय-4/सानिविनि/90/दिनांक 17.8.90 के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार की प्रत्याभूति पर हुडको से ऋण लिये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई एवं प्रति प्रत्याभूति पर आवासन आयुक्त को संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत किया गया ।

157.26 राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न समितियों का पुनर्गठन ।

मण्डल की विभिन्न समितियों का प्रस्तावानुसार पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया ।

157.27 हिरण मगरी, उदयपुर में स्वावित्त पोषित योजना के अन्तर्गत बने अर्द्ध निर्मित उच्च आय वर्ग के मकानों की भूमि दर निर्धारण के सम्बन्ध में ।

हिरण मगरी, उदयपुर में स्वावित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निर्मित मकानों की लागत मूल्य हेतु वर्ष 1990-91 की भूमि दर वसूल करने का निर्णय लिया गया ।

157.28 ई.पी.आई. द्वारा भवन निर्माण ।

विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि ई.पी.आई. को बिजली के कार्यों पर भी 1984 की बी.एस.आर. पर 42% बचाऊ की दर से भुगतान किया जावे ।

157.29 दिनांक 7.8.91 को सम्पन्न हुई मण्डल की वित्त एवं लागत समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन ।

मण्डल की वित्त एवं लागत समिति की बैठक दिनांक 7.8.91 की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया ।

157.30 ई.पी.आर्ड. की सिक्योरिटी राशि ।

विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि ई.पी.आर्ड. से

ACE (W)/CAO केवल रु0 1.50 लाख की सिक्योरिटी काटी जावे एवं अलग-अलग एग्रीमेन्ट में काटी गई सिक्योरिटी वापस कर दी जावे ।

157.31 दिनांक 3.8.91 को सम्पन्न हुई वर्क्स कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन ।

वर्क्स कमेटी की दिनांक 3.8.91 की बैठक की कार्यवाही का अनु

ACE (W) किया गया ।

तत्पश्चात् धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई ।

(पी. सी. अग्रवाल)
सचिव
राजस्थान आवासन मण्डल,

जैन/

राजस्थान आवासन मण्डल: जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 158 वीं बैठक दिनांक 26.11.91 को मण्डल मुख्यालय के नीचे कक्ष में सम्पन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1 श्री एस . अहमद अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल : अध्यक्ष
2 श्री एन . के. वर्मा सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग: सदस्य
3 श्री. एस . एल. जोशी आवासन आयुक्त : सदस्य
4 श्री सी. एस. मेहता मुख्य नगर नियोजक, राज0 सरकार : सदस्य
5 श्री विनोद पाण्डया विशेषाधिकारी, वित्त विभाग : वित्तीय सचिव के प्रतिनिधि
6 श्री एम. के. खन्ना सचिव, राजस्थान आवासन मंडल : सदस्य

बैठक में श्री अब्दुल मतीन, अध्यक्ष के तकनीकी सहायक, श्री एस. एन. नरहरी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (कमर्स), श्री पी. आर. शर्मा, मुख्य लेखाधिकारी एवं श्रीमती प्रमिला सुराणा, मुख्य सम्पदा प्रबन्धक भी उपस्थित थे ।

कार्यवाही विवरण :-

मण्डल की 157 वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि :-

मण्डल की 157 वीं बैठक दिनांक 10.9.91 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गई ।

मण्डल की 157 वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन ।

मण्डल की 157 वीं बैठक के निर्णयों के संबंध में प्रस्तुत कार्यवाही प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया ।

आवंटियों को आवंटित मकानों का पंजीयन के पश्चात अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरण/विक्रय बाबत ।

मूल आवंटी के नाम रजिस्ट्री होने के पश्चात मंडल के अन्य पंजीकृत आवेदक के नाम आवास का विक्रय/हस्तांतरण एवं वह मूल आवंटी जिन्होंने रजिस्ट्री होने के पश्चात अन्य व्यक्ति (जो मण्डल में पंजीकृत नहीं है) के नाम आवास का विक्रय /हस्तान्तरण किया हो, उनमें भिन्नता रखी गयी है जिसके अनुसार उनके द्वारा देय प्रशासनिक शुल्क में भी भेद किया गया हैं ।

....2

मण्डल ने निर्णय लिया कि बोर्ड द्वारा प्रस्तावित दरें जो नीचे दी गयी है वह बोर्ड एवं आवंटी के पक्ष में रजिस्ट्री के पश्चात अगर आवंटी किसी को भी विक्रय/हस्तान्तरण करना चाहे तो प्रस्तावित दर जमा कराने पर स्वीकृति दी जा सकेगी ।

दरें :-

1 उच्च आय वर्ग — रुपये 2,000/-
2 मध्यम आय वर्ग-(ब) एवं मध्यम आय वर्ग-(अ) — रुपये 1,000/-
3 अल्प आय वर्ग एवं आर्थिक दृष्टि रुपये 250/- से कमजोर आय वर्ग

158.4 C.E.M. प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों /कर्मचारियों तथा मण्डल की सेवाएँ छोड़ कर गये अधिकारियों /कर्मचारियों को मकान आवंटन के सम्बन्ध में ।

मण्डल ने इस प्रकरण को आगामी बोर्ड बैठक तक स्थगित किया ।

158.5 C.E.M. पंजीकरण /आवंटन के निरस्तीकरण पश्चात पुनर्जीवित करने हेतु निश्चित समयावधि निर्धारण हेतु ।

विचार-विमर्श के पश्चात मण्डल ने पंजीकरण/आवंटन के निरस्तीकरण पश्चात पुनर्जीवित करने की प्रस्तावित एक वर्ष का समयावधि स्वीकार करने का निर्णय लिया । विशेष परिस्थितियों में समयावधि पश्चात भी अध्यक्ष निरस्तीकरण के मामलों को पुनर्जीवित करने में सक्षम होंगे ।

158.6 Addl.C.E. (Works) सांगानेर योजना, जयपुर में वाणिज्यिक एवं आवासीय केन्द्र के निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति ।

प्रस्ताव अनुसार सांगानेर योजना, जयपुर में वाणिज्यिक एवं आवासीय केन्द्र के निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति इस आशय के साथ दी गयी की, इसका डिजाईन प्रोजेक्ट कमेटी द्वारा अनुमोदन करने के पश्चात ही स्वीकृति समझी जावे ।

158.7 Addl.C.E. (Works) पारिजात तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही 1989 के अन्तर्गत आवासों के निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति ।

एजेण्डा नोट के अनुसार सांगानेर योजना में पारिजात तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही 1989 के अन्तर्गत 142 मकानों के निर्माण के लिये 376.26 लाख रुपयों की लागत की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी ।

158.8 Asstt.Sec./C.A.O. परिचलनों से लिये गये निर्णयों की पुष्टि :-

....3

(a.) प्रस्ताव जो परिचलन पद्धति से परिचलन संख्या 134 से राज्य सरकार द्वारा हुडको से प्राप्त ऋण की गारन्टी की स्वीकृति बाबत।

पूर्व में जो निर्णय परिचलन में लिये गये थे, इनकी संचालक मण्डल द्वारा पुष्टि की गयी ।

(b.) प्रस्ताव जो परिचलन पद्धति से परिचलन संख्या 135 से काम चलाऊ वित्तीय सहायता एवं हुडको से प्राप्त करने हेतु भेजे गये थे इनकी संचालक मण्डल द्वारा पुष्टि बाबत ।

पूर्व में जो निर्णय परिचलन में लिये गये थे, इनकी संचालक मण्डल द्वारा पुष्टि की गयी।

मण्डल की विभिन्न उप समितियों की बैठकों में लिये गये निर्णयों की पुष्टि :-

(अ) दिनांक 6.8.91 एवं 10.10.91 को आयोजित सम्पत्ति आवंटन समिति के बैठकों के निर्णय ।

मण्डल की दिनांक 6.8.91 एवं 10.10.91 को आयोजित सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठकों की कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया गया एवं लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गयी ।

(ब) दिनांक 5.9.91 को आयोजित 62 वीं परियोजना समिति के बैठक के निर्णय।

मण्डल की दिनांक 5.9.91 को आयोजित 62 वीं परियोजना समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया गया एवं लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गयी ।

मण्डल की विभिन्न योजनाओं में जन सुविधाओं के लिये भूमि आवंटन के सम्बन्ध में ।

मण्डल को दिये गये प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि आवंटी संस्था को भूमि का सम्पूर्ण मूल्य पहले जमा कराना होगा, जिसके लिये 3 माह का समय दिया जायेगा । तीन माह की अवधि में संस्था द्वारा राशि जमा न कराने पर ब्याज सहित राशि जमा कराने पर संस्था को और तीन माह की छूट दी जा सकेगी किन्तु इसके पश्चात आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पहले 50 प्रतिशत भूमि हस्तान्तरित किये जाने का प्रावधान भी समाप्त कर दिया जाये। संस्था द्वारा पूरी राशि चुका देने के पश्चात ही उसे पूरी भूमि ही हस्तान्तरित की जावेगी ।

.....4

150.11 C.E.M. **कुबेर योजना में पंजीकृत आवेदकों को प्राथमिकता से आवास आवंटन के सम्बन्ध में ।**

मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार मण्डल द्वारा आवास आवंटन हेतु सामान्य पंजीकरण के आवेदकों की लाटरी निकालते समय 5 प्रतिशत कोटा कुबेर योजना के आवेदकों के लिये आरक्षित कर दिया जावे ताकि धीरे-धीरे कुबेर योजना के सभी आवेदकों को आवास प्राप्त हो सकें ।

150.12 C.E.M. **उच्च आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग में किराया क्रय पद्धति का विकल्प समाप्त किये जाने बाबत ।**

मण्डल द्वारा प्रस्तावानुसार उच्च आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग(अ) एवं मध्यम आय वर्ग(ब) के आवेदकों के लिये किराया क्रय पद्धति का विकल्प 1 जनवरी 1992 से समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया चूंकि इन वर्गों के आवेदक सामान्यतः आर्थिक दृष्टि से नकद भुगतान पद्धति के आधार पर आवास लेने में सक्षम हैं और साथ ही वित्तीय संस्थाओं से आवश्यक धन राशि की व्यवस्था भी कर सकते हैं ।

158.13 C.A.O. **बाजार से 2.50 करोड रुपये उधार लेने के लिये वर्ष 1991-92 में सुरक्षित ऋण पत्र जारी करने बाबत ।**

प्रस्तावानुसार 2.50 करोड रुपये के ऋण पत्र राज्य सरकार की प्रत्याभूति पर जारी करने की स्वीकृति दी गई ।

158.14 C.A.O. **आवंटियों द्वारा जमा कराई जाने वाली राशि की प्रणाली में परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव ।**

आवंटियों द्वारा जमा करायी जाने वाली राशि की प्रणाली में परिवर्तन के सुझाव रखे गये, इनमें ऐसे प्रस्ताव है जिनसे आवंटियों को एवं बोर्ड को सुविधा प्राप्त होगी । आवंटियों को उनकी कॉलोनियों में राशि जमा कराने की सुविधा और बोर्ड को वसूली से प्राप्त राशि का तुरन्त उपयोग करने की सुविधा होगी ।

158.15 C.A.O. **मण्डल के कर्मचारियों/अधिकारियों को वर्ष 1990-91 हेतु बोनस/एक्सग्रेशिया के भुगतान के क्रम में ।**

मण्डल द्वारा कर्मचारियों / अधिकारियों को वर्ष 1990-91 हेतु बोनस/एक्सग्रेशिया के भुगतान के क्रम में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन एवं पुष्टि की गयी ।

.....5

विभिन्न संवर्गों में नये पदों के सृजन की स्वीकृति बाबत ।

मण्डल द्वारा प्रस्तावित नयी आवंटी द्वारा जमा कराये जाने वाली राशि की प्रणाली एवं आवास आवंटन में बढ़े हुये कार्य को देखते हुए विभिन्न संवर्गों में नये पदों के सृजन की स्वीकृति चाही गयी । विचारोपरान्त मंडल ने निम्नानुसार नवीन पद सृजित करने की स्वीकृति दी गयी :-

कार्यालय अधीक्षक के 3 पद सृजन एवं सहायक के 6 पदों को कार्यालय अधीक्षक के पद पर क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में । (वेतनमान आर.पी.एस.1988 के अनुसार 1640-2900)

कार्यालय अधीक्षकों के पदों में 3 नये पदों का सृजन एवं 6 सहायकों के पदों को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव पेश किये गये । 3 नये पद गोपनीय खण्ड एवं अलवर भीलवाड़ा खंड कार्यालयों में एक एक कार्यालय अधीक्षक का पद जो वहाँ के आवास आवंटन एवं वसूली के कार्य को देखेंगे। साथ ही 6 कुल कार्यालयों में सहायक के पदों को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये, जिन्हें मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया ।

निजी सहायक के 5 पद सृजित करने के सम्बन्ध में (वेतनमान आर.पी.एस.1988 के अनुसार 1640-2900)

निजी सहायक के 5 पद सृजित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये । जो निम्न अधिकारियों के यहाँ पदस्थापित होंगे :-

1. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (बजट)
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (प्रशासन)
3. उप आवासन आयुक्त (गुणवत्ता नियंत्रण)
4. तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त
5. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

उपरोक्त अधिकारियों के यहाँ निजी सहायक लगाने हेतु नये पद सृजन की मण्डल द्वारा स्वीकृति दी गयी ।

वसूली की नवीन कार्य प्रणाली के अन्तर्गत स्टाफिंग पैटर्न की संरचना ।

वसूली की नवीन प्रणाली के अन्तर्गत मण्डल द्वारा जो परिवर्तन किये है उसके लिये विभिन्न संवर्गों में नये पदों के सृजन की आवश्यकता पड़ेगी । मण्डल को जहाँ उधार ली गयी राशि पर भारी ब्याज भुगतान करना पड़ता है वहीं दूसरी तरफ बोर्ड के विभिन्न खाते में करीब 1.5 से करोड़ रुपये बिना प्रयोजन पड़े रहते है। जिस पर 10 प्रतिशतसाधारण ब्याज दर की गणना से वर्षोपरांत बोर्ड को 20-21 लाख रुपये की अप्रत्यक्ष हानि होती है। इस नवीन प्रणाली से जहाँ आवेदकों को सुविधा

....6

मिलेगी वहीं वसूली में भी गति आवेगी। अतः उपरोक्त कार्य हेतु निम्न पदों के सृजन/क्रमोन्नत करने की संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृति दी गयी है

(वेतनमान आर.पी.एस.1988 के अनुसार)

वरिष्ठ लेखाधिकारी	1 पद 3000 - 4500	क्रमोन्नत
लेखाधिकारी	4 पद 2200 - 4000	क्रमोन्नत
लेखाकार	3 पद 1640 - 2900	क्रमोन्नत
रोकड़िया (कनिष्ठ सहायक)	7 पद 0950 - 1600	सृजन

158.16(D) मुख्य सम्पदा प्रकोष्ठ में अतिरिक्त पद सृजन बाबत।

D.D./
C.E.(W).

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक प्रकोष्ठ के अधीन अनवरत रूप से चालू कल्पतरु और पारिजात योजना तथा हाल ही में बन्द की गयी कुबेर योजना से सम्बन्धित कार्य सम्पादित किया जा रहा है। कल्पतरु और कुबेर योजना की काफी फालतियाँ जो विभिन्न जिलों और कस्बों से संबंधित हैं इनका कार्य भी जयपुर में किया जा रहा है। इस कार्य को व्यवस्थित रूप से करने के लिये अतिरिक्त पद सृजन की आवश्यकता है। मुख्य सम्पदा प्रकोष्ठ में निम्न नये पदों के सृजन के प्रस्ताव किये गये, जिन्हें मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया :-

(वेतनमान आर.पी.एस.1988 के अनुसार)

सम्पदा प्रबन्धक	1 पद 2200-4000	प्रतिनियुक्ति पर
सहायक	2 पद 1400-2300	
स्टेनो	1 पद 1400-2300	
कनिष्ठ सहायक	4 पद 0950-1600	

158.17 राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवम् पदोन्नति विनियम 1976 के प्रशासनिक शिड्यूल में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों को हैल्पर से पदोन्नति द्वारा भरने हेतु निर्धारित कोटे 12.5 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत करने हेतु।

D.D.

राज्य सरकार में हैल्पर से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति से भरे जाने हेतु निर्धारित कोटे को 12.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत कर दिया गया है, उसके अनुरूप बोर्ड में भी करने की स्वीकृति चाही गयी। मण्डल द्वारा प्रस्तावानुसार स्वीकृत की गयी।

158.18 राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 के शिड्यूल ऑफ एकाउन्टस में कनिष्ठ लेखाकार की योग्यता निर्धारित कर शामिल करने बाबत।

D.D.

प्रस्तावानुसार नियमों में संशोधन करने की स्वीकृति दी गयी।

158.19 भिवाड़ी में एक खण्ड कार्यालय सृजित करने के सम्बन्ध में।

D.D./C.E.(W)/

मण्डल द्वारा भिवाड़ी में एक खण्ड कार्यालय हेतु प्रशासनिक अधिकारी के पद का सृजन किया जाता है।

.....

उदयपुर में एक खण्ड कार्यालय और सृजित करने के सम्बन्ध में ।

5.(w)/
मण्डल द्वारा उदयपुर में एक और खण्ड कार्यालय हेतु आवासीय अभियन्ता के पद का सृजन किया जाता है।

मण्डल के सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी को मण्डल का वाहन निवास से कार्यालय एवं कार्यालय से निवास तक लाने- ले जाने के सम्बन्ध में ।

मण्डल के सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी को मण्डल का वाहन निवास से कार्यालय एवं कार्यालय से निवास तक लाने- ले जाने की सुविधा उनके द्वारा 100 रुपये प्रतिमाह जमा कराने पर राज्य सरकार के परिपत्र के तहत चाही गयी, जिसे मण्डल द्वारा स्वीकार कर अनुमोदन किया गया ।

डिजाईन असिस्टेन्ट का पदनाम वास्तविक सहायक करने बाबत ।

प्रस्तावानुसार मण्डल द्वारा स्वीकृति दी गयी ।

विधायकों /सांसदों के आय वर्ग में परिवर्तन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्तावानुसार मण्डल द्वारा विधायकों के आय वर्ग सम्बन्धी प्रकरण पर अनुमोदन किया गया।

भवन निर्माण अग्रिम राशि में बजट प्रावधान की बढ़ोतरी के सम्बन्ध में ।

प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गयी ।

वरिष्ठ सहायक के 14 पदों को सहायक के पद में परिवर्तन करने एवं वरिष्ठ सहायक के पदों को समाप्त करने के सम्बन्ध में ।

विचार-विमर्श के पश्चात मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार 14 वरिष्ठ सहायकों के पदों को समाप्त कर दिया जावे एवं 14 वरिष्ठ सहायक के पदों को सहायक के पद में परिवर्तित कर दिया जावे ।

स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर पदों को स्थाई घोषित कर उनके विरुद्ध कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थाई करने के संबंध में ।

मण्डल में वर्तमान में कितने पद स्वीकृत है का कोई लेखा-जोखा नहीं है, जिससे मण्डल कर्मचारियों को उन पदों के विरुद्ध स्थायीकरण किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा था । अतः प्रस्ताव किया गया कि वर्ग

1988 में मंडल द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 2572 दि 29.9.88 के तहत बनाये गये प्लाटिंग पैटर्न को मण्डल के स्थायी का आधार मानने की स्वीकृति दी जावे । जिस पर मण्डल स्वीकृति दी गयी ।

158.27 Addl.C.E. (works) प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति उच्च आय वर्ग के 111 सेक्टर-14, मालवीय नगर, जयपुर ।

एजेण्डा नोट के अनुसार मालवीय नगर स्कीम में उच्च आय वर्ग के 11 मकानों के निर्माण के लिये 333.78 लाख रुपयों की लागत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी ।

158.28 C.-.O. राजस्थान आवासन मण्डल में यात्रा भत्तों के नियमों में संशोधन बाबत ।

हाल ही में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग द्वारा एक विज्ञप्ति जारी कर विभिन्न निगमों, मण्डलों के अधिकारियों को नई दिल्ली की यात्रा पर राजस्थान हाऊस में ठहरने के लिये पाबन्दी लगाई है । इससे मण्डल के अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त को उनके द्वारा आवास हेतु वास्तविक खर्च की स्वीकृति देना आवश्यक हो गया है । ऐसे अन्य बोर्ड एवं निगमों में भी प्रावधान किया गया है । अन्य अधिकारियों को दिल्ली में एवं अन्य स्थानों पर होटल सुविधा के लिये भत्ता स्वीकृत है । विशेष परिस्थितियों में अन्य अधिकारियों को भी अध्यक्ष द्वारा वास्तविक व्यय करने की स्वीकृतियों के प्रावधान किये गये हैं।

अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त को अपने नई दिल्ली प्रवास के दौरान भारी मात्रा में आवास एवं खर्च हेतु भारी राशि ले जानी पड़ेगी जिसके रखने में असुविधा होना स्वाभाविक है। अतः अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये, मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया।

158.29 ..A./ मुख्य सम्पदा प्रकोष्ठ के अधीन मुख्यालय स्तर पर आवासन से सम्बन्धित न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों हेतु विधि प्रकोष्ठ की स्थापना के बारे में।

विचार-विमर्श के पश्चात मण्डल द्वारा विधि अधिकारी के अधीन विधि प्रकोष्ठ स्थापित करने की स्वीकृति दी गयी एवं इस प्रकोष्ठ हेतु निम्न पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गयी:-

(वेतनमान आर.पी.एस.1988 के अनुसार)

मुख्य विधि सहायक 2 पद 2500-3200
(प्रतिनियुक्ति पर)

....

इसके बाद अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(एम. के. खन्ना)
सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल::जयपुर ।

राजस्थान आवासन मण्डल की 159 वीं बैठक दिनांक 31.1.92 को न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

श्री एस. अहमद, अध्यक्ष, राज. आवासन मण्डल	: अध्यक्ष
श्री एन. के. वर्मा, सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	: सदस्य
श्री एस. एल. जोशी, आवासन आयुक्त	: सदस्य
श्री विनोद पाण्ड्या, विशेषाधिकारी, वित्त विभाग	: वित्त सचिव के प्रतिनिधि
श्री एम. के. खन्ना, सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	: सदस्य

श्री सी. एस. मेहता, मुख्य नगर नियोजक, सदस्य अनुपस्थित थे ।

बैठक में श्री बी. जी. शर्मा, मुख्य अभियन्ता, श्री अब्दुल मतीन, तकनीकी यक, अध्यक्ष, श्री एन. एन. नरहरि, अति. मुख्य अभियन्ता निर्माण, श्री पी. आर. , मुख्यलेखाधिकारी एवं श्रीमती प्रमिला सुराणा, मुख्य सम्पदा प्रबन्धक भी स्थित थे ।

कार्यवाही विवरण :-

9.1 मंडल की 158 वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि :-

मंडल की 158 वीं बैठक दिनांक 26.11.91 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गई ।

9.2 मंडल की 158 वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन :-

मंडल की 159 वीं बैठक के निर्णयों के संबंध में प्रस्तुत कार्यवाही प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया ।

159.3 मंडल के बजट अनुमान वर्ष 1992-93 एवं संशोधित अनुमान 1991-92 :-

C.A.O. मुख्यलेखाधिकारी द्वारा प्रस्तुत मंडल के बजट अनुमान वर्ष 1992-93 एवं संशोधित अनुमान 91-92 मंडल की बैठक में प्रस्तुत किया गया । इस पर विस्तृत विचार नहीं हो सका, अगली बैठक में विचार किये जाने का निर्णय लिया गया ।

159.4 आवंटी के नाम पंजीयन के उपरान्त मकान अन्य व्यक्ति के नाम हस्तान्तरण/विक्रय बाबत :-

C.E.M.

प्रस्तावानुसार मंडल द्वारा मूल आवंटी के नाम स्वामित्व प्रपत्रों के निष्पादन के उपरान्त क्रेता/विक्रेता के आवेदन पर तथा क्रेता के नाम पंजीकृत विक्रयपत्र की प्रति प्रस्तुत करने पर बिना किसी प्रकार का शुल्क लिये मकान हस्तान्तरण करने का निर्णय लिया गया ।

159.5 राज्य सरकार के सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों को शीघ्र आवास उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

C.E.M.

वर्तमान में मंडल में पंजीकृत आवेदकों की विभिन्न श्रेणीयां निर्धारित है और कुल आवंटन में से 24 प्रतिशत कोटा विभिन्न वर्गों के लिये आरक्षित हैं । शेष 76 प्रतिशत में से 40 प्रतिशत वैतनिक वर्ग के आवेदकों के लिये और 36 प्रतिशत अवैतनिक वर्ग के लिये निर्धारित हैं । अतः प्रस्तावानुसार वैतनिक वर्ग के आवेदकों का कोटा भी 40 प्रतिशत से घटाकर 36 प्रतिशत किये जाने एवं शेष 4 प्रतिशत कोटा ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये आरक्षित किया गया जो या तो मण्डल में पंजीकृत है एवं रिटायर हो चुके है अथवा जो अगले 2 वर्ष में रिटायर होने वाले है और बोर्ड में पंजीकृत हैं । ये आरक्षण राज्य सरकार एवं मण्डलों/निगमों के उपरोक्तानुसार सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये ही होगा ।

.....3

पारिजात 1990 के अन्तर्गत आवासों के निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु :-

प्रस्ताव अनुसार सांगानेर योजना में पारिजात 1990 के अन्तर्गत विभिन्न नाप एवं प्रकार के 216 मकानों का निर्माण कराये जाने हेतु रू.5,33,89,163/- की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई ।

वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निर्माण कार्य 97 मकान, उच्च आय वर्ग (पारिजात योजना) 1/11/111/वृत/89, सेक्टर-13 मानसरोवर :-

प्रस्ताव अनुसार सेक्टर 13 मानसरोवर में उच्च आय वर्ग के 97 मकान पारिजात 1/11/111/89 के निर्माण हेतु रू. 288.13 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई ।

एम.पी. नगर, वेस्ट एक्सटेंशन फेज पार्ट बीकानेर (स्कीम नं. 8955) में मध्यम आय के मकान निर्मित करवाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति:-

प्रस्ताव अनुसार मध्यम आय वर्ग प्रथम एवं द्वितीय के 191 मकानों के निर्माण हेतु रू.177.01 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई ।

पारिजात योजना, उदयपुर के लिये रू.170.86 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत :-

प्रस्ताव अनुसार उदयपुर में पारिजात योजना के अन्तर्गत 71 मकानों के निर्माण हेतु रू.170.86 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई ।

159.10 कल्पतरू योजना बन्द किये जाने के संबंध में :-

C.E.M. मंडल के पास मकानों के निर्माण कराये जाने हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण कल्पतरू योजना वर्ष 1987 के पंजीकृत आवेदकों के लिये अभी तक आवास निर्माण की कोई योजना तैयार नहीं की गई है । इसी प्रकार वर्ष 1979 से अभी तक में पंजीकृत आवेदक प्रतीक्षारत है, जिन्हें आवास आवंटन किये जाने में भी काफी समय लगने की संभावना है, अतः भूमि की अनुपलब्धता के कारण प्रस्तावानुसार कल्पतरू योजना सभी शहरों के लिये दिनांक 7.2.92 से बंद किये जाने का निर्णय लिया गया ।

159.11 जयपुर एवं सांगानेर के लिये पारिजात योजना बन्द किये जाने बाबत :-

C.E.M. जयपुर में पारिजात योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक बड़ी संख्या में प्रतीक्षारत है । अभी तक वर्ष 89 तक के अंतिम तिमाही के आवेदकों को ही आरक्षण पत्र जारी किये जा सके है जबकि वर्ष 90 एवं 91 की सभी तिमाही में पंजीकृत आवेदकों को अभी आरक्षण पत्र जारी किये जाने शेष है । जयपुर में भूमि की उपलब्धता की समस्या गंभीर होने से सामान्य पंजीकृत योजना में भी पंजीकृत आवेदक बहुत बड़ी संख्या में प्रतीक्षारत है, अतः विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि सांगानेर में फिलहाल पारिजात योजना को यथावत चालू रखा जावे एवं जयपुर में यह योजना प्रस्तावानुसार दिनांक 7.2.92 से बन्द कर दी जावे । अन्य शहरों की भांति सांगानेर के लिये भी आवेदकों को सीधे ही पारिजात योजना में पंजीकरण करवाना होगा । सांगानेर योजना व अन्य शहरों (जहां पारिजात योजना चालू हैं) में इसके अन्तर्गत पंजीकरण का जो प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार लिये जाने का भी निर्णय लिया गया :-

1. उच्च आय वर्ग - 50,000/-
2. मध्यम आय वर्ग "ब" - 30,000/-
3. मध्यम आय वर्ग "अ" - 20,000/-

12 दिनांक 13.1.92 को हुई मंडल की प्रोजेक्ट कमेटी की 63 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि :-

दिनांक 13.1.92 को हुई प्रोजेक्ट कमेटी में लिये गये निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

13 मंडल की विभिन्न उप समितियों के पुनर्गठन के संबंध में :-

प्रस्तावानुसार मुख्य अभियंता को प्रोजेक्ट कमेटी, निर्माण कमेटी, गुणवत्ता नियंत्रण कमेटी, सम्पत्ति आवंटन समिति एवं लैण्ड रेगुलेशन कमेटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित किये जाने का अनुमोदन किया गया ।

14 राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 के शिड्यूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बिन्दु संख्या 7 पर अंकित निजी सहायक के पदोन्नति नियमों में संशोधन बाबत:-

प्रस्तावानुसार राज्य सरकार के अनुरूप ही मंडल में स्टेनोग्राफर से निजी सहायक के पद पर पदोन्नति के नियम निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया । इस कारण मंडल में वर्तमान नियमों में से 50 प्रतिशत पदों हेतु विभागीय टैस्ट के रखे गये प्रावधान को समाप्त कर 100 प्रतिशत पदों को वरिष्ठता के आधार पर भरे जाने का निर्णय लिया गया ।

इसी प्रकार राज्य सरकार के अनुरूप मंडल में निजी सहायक से निजी सहायक (वरिष्ठ) के पद पर पदोन्नति हेतु नियमों में संशोधन किये जाने का भी निर्णय लिया गया ।

159.15 परिचलन से जारी बिन्दुओं की पुष्टि:-

A.C.E.(W) A.C.E.(P&M) (क) आवासीय योजना सेक्टर 6 जगतपुरा, जयपुर में उच्च आय वर्ग के 192 मकानों के निर्माण हेतु रू. 368.12 लाख रूपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने की पुष्टि की गई।

D.D. (ख) मंडल में सचिव एवं मुख्य सम्पदा प्रबन्धक के पदों को प्रस्तावानुसार क्रमोन्नत करने का अनुमोदन किया जाकर पुष्टि की गई।

A.C.E.(P&M) (ग) हुडको से भूमि अवाप्ति के लिये ऋण लेने के लिये प्रस्तावानुसार अनुमोदन कर पुष्टि की गयी।

A.C.E.(P&M) (घ) प्रस्तावानुसार हुडको के वित्तीय ढांचे के परिवर्तन के अनुरूप वित्तीय ढांचे में परिवर्तन करने का अनुमोदन कर पुष्टि की गयी।

159.16 हुडको द्वारा वित्तीय व्यवस्था में बदलाव के कारण मंडल के नियमों में फेरबदल करने के संबंध में :-

A.C.E.(P&M) प्रस्तावित विचार बिन्दु का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

159.17 वाणिज्यिक भूमि एवं विकास दर में उपरिव्यय वसूल करने बाबत :-

A.A.O. समन्वित लागत सिद्धान्तों के नियम ले 15.1 के अनुसार वाणिज्यिक भूमि एवं विकास लागत दर पूर्व में निम्नानुसार वसूल की जाती थी:-

1.	अल्प प्रत्यक्ष व्यय	2 प्रतिशत
2.	टी. एंड पी. व्यय (मूल्य प्लान्टस)	5 प्रतिशत
3.	प्रशासनिक व्यय	10 प्रतिशत
4.	सी. ई. ओ.	10 प्रतिशत
5.	लाभ	10 प्रतिशत
	36 44081 % अर्थात्	36.5 प्रतिशत

.....7

....7.....

प्रशासनिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुये प्रस्तावानुसार वाणिज्यिक दर तय करते समय उक्त अपरिव्यय चार गुणा दर पर न लिये जाकर आरक्षित दर पर ही वसूल किये जाने एवं भूमि की आरक्षित दर का वाणिज्यिक उपयोग हेतु पूर्वानुसार चार गुणा ही किया जायेगा । अतः उपरोक्त दर सभी वाणिज्यिक संस्थानों को भूमि आवंटित करते समय एवं दुकानों की आरक्षित कीमत तय करते समय लागू किये जाने का निर्णय लिया गया ।

मंडल द्वारा आवेदकों को आवास आवंटन हेतु पंजीकरण योजना की शर्तों में परिवर्तन के संबंध में :-

प्रस्तुत विचार-बिन्दु का अवलोकन कर नोट किया गया ।

संस्थाओं को आवंटित भूखण्डों की राशि जमा कराने के संबंध में बैंक गारण्टी दिलाने बाबत :-

प्रस्तुत विचार बिन्दु का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

मंडल में ड्राईवर के दो पद वेतनमान 0950 - 1680 में सृजन करने हेतु :-

प्रस्तावानुसार मंडल में ड्राईवर के दो पद वेतनमान 0950-1680 में सृजित किये जाने के प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) को वरिष्ठता सूची को डिप्लोमा एवं डिग्री में पृथक-पृथक से निर्धारित करने के संबंध में :-

प्रस्तावानुसार संचालक मण्डल के विचार बिन्दु संख्या 131.16 की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् ही बिन्दु संख्या 157.7 पर पुनः विचार करने हेतु प्रस्तुत किये जाने पर विचार किये जाने का निर्णय लिया गया । अतः बिन्दु संख्या 131.16 के निर्णय अनुसार कार्यवाही किये जाने के प्रस्ताव का अवलोकन एवं अनुमोदन किया गया ।

(एम. के. खन्ना)
सचिव

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर ।

राजस्थान आवासन मंडल की 160वीं बैठक दिनांक 25.4.92 को सम्पन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1. श्री एस. अहमद, अध्यक्ष, राज. आवासन मंडल : अध्यक्ष
2. श्री एस.एल.जोशी, आवासन आयुक्त : सदस्य
3. श्री सी.एस.मेहता, मुख्य नगर नियोजक : सदस्य
4. श्री विनोद पाण्ड्या, विशेषाधिकारी, वित्त विभाग : वित्त सचिव के प्रतिनिधि
5. श्री एम.के.खन्ना, सचिव, राज. आवासन मंडल : सचिव

श्री एन.के.वर्मा, सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजकीय कार्यों में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके ।

बैठक में सर्वश्री अब्दुल मतीन, तकनीकी सहायक, अध्यक्ष, एन.एन.नरड़ारि, अति. मुख्य अभियंता (निर्माण), पी.आर.वर्मा, मुख्यलेखाधिकारी, श्रीमती प्रमिला सुराणा, मुख्य सम्पदा प्रबन्धक एवं श्री आर.सी.अग्रवाल, उपनिदेशक भी उपस्थित थे:-

कार्यवाही विवरण:-

160.1 मंडल की 159वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि:-

मंडल की 159वीं बैठक दिनांक 31.1.92 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गई ।

160.2 मंडल की 159वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन:-

मंडल की 159वीं बैठक के निर्णयों के संबंध में प्रस्तुत कार्यवाही प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया ।

...2.

(1)

160.3 मंडल के संशोधित अनुमान बजट 1991-92 एवं बजट वर्ष 1992-93:

C.A.O. मंडल के संशोधित अनुमान बजट 1991-92 एवं बजट वर्ष 1992-93 को अनुमोदित किया गया ।

160.4 पूर्वग्रहण राशि जमा न कराने पर वसूल किये जाने वाले ब्याज के संबंध में:

C.A.O./ C.E.M. पूर्वग्रहण राशि जमा न कराने पर वसूल किये जाने वाले ब्याज के संबंध में विचार-विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि हुडको द्वारा राजस्थान आवासन मंडल से जो ब्याज दर वसूल की जाती है, उसके आधार पर ब्याज दर मंडल द्वारा आवंटी से वसूल की जावे ।

160.5 Loan from Hudco for various land acquisition scheme.

A.C.E.(W) विचार-विमर्श के पश्चात पंचशील, अजमेर एवं प्रताप नगर, उदयपुर की भूमि योजनाओं को अनुमोदित किया गया एवं शेष कुड़ीभगतासनी एवं निम्बाहेड़ा की भूमि योजनाओं के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि इन योजनाओं को नगर नियोजक विभाग से भूमि उपयोग हेतु स्वीकृति करवा लिया जाए एवं उसके पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जाए । स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात इन योजनाओं को मंडल की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाए ।

160.6 Financing assistance for implementation of various housing schemes from N.H.Bank.

C.A.O./ A.C.E.(P&M) प्रस्तावित विचार बिन्दु का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

160.7 Loan from Hudco for Night Shelter schemes at Jaipur, Udaipur, Kota & Dhilwara.

A.C.E.(W)/ A.C.E.(P&M) प्रस्तावित विचार बिन्दु का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

160.8 Loan from N.C.R. Planning Board for implementation of composit housing scheme at Bhiwari for land and development

प्रस्तावित विचार बिन्दु का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

160.9 A & F sanction for Construction of 95 houses under Parijat scheme in Mahaveer Nagar scheme Kota.

प्रस्तावित विचार बिन्दु का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

160.10 राजस्थान आवासन मंडल सेवा नियम 1970 में संशोधन करने हेतु:-

राजस्थान आवासन मंडल सेवा अधिनियम 1970 के चेप्टर 6 प्रथम अवकाश के नियम 38 में उपार्जित अवकाश कर्मचारी के खाते में अधिकतम 180 दिन तक जमा के प्रावधान को राज्य सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 28.12.91 के अंतर्गत राजस्थान सेवा अधिनियम 1951 के नियम 94 में उपार्जित अवकाश की जमा सीमा 180 दिन से बढ़ाकर 240 दिन कर दिये जाने पर मंडल के सेवा नियमों में भी उपार्जित अवकाश की सीमा अधिकतम 180 दिन के स्थान पर 240 दिन किये जाने के प्रस्ताव को विचार-विमर्श कर अनुमोदन किया गया ।

160.11 A & F sanction of Construction of 37 HIG houses under Parijat scheme in vaishali Nagar scheme Ajmer.

प्रस्तावित विचार बिन्दु का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

160.12 A & F sanction for the Construction of proposed commercial cum Residential complex at Jawahar Nagar, Jaipur, Amounting to Rs.739.21 Lacs.

प्रस्तावित विचार बिन्दु का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

160.13 सभी शहरों के लिये पारिजात योजना बन्द करने बाबत:-

167 C.E.M. प्रस्तावित विचार बिन्दु का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

160.14 बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से स्थायी एवं अस्थायी अधिविकर्ष (ओवरड्राफ्ट) की सुविधा हेतु:-

C.A.O. प्रस्तावित विचार बिन्दु का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

160.15 आवेदकों व अपीलार्थियों के संबंध में किये गये आवश्यक निर्णय:-

C.E.M. प्रस्तावित विचार बिन्दु का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

160.16 पूर्व कर्मचारी 10 वर्ष 6 सदस्यकों की सेवाओं में आये ब्रेक (सेवा व्यवधान) को समाप्त कर असाधारण/असैवानिक अवकाश स्वीकृत करने बाबत:-

D.D. प्रस्तुत विचार बिन्दु पर विचार-विमर्श कर सेवा अवधि में आये व्यवधान को निरन्तर किये जाने हेतु सेवा मुक्ति आदेशों को वापिस लेते हुये 6 कर्मचारियों को निरन्तर रखे जाने का निर्णय लिया गया । इन 10 कर्मचारियों के सेवा में आये हुये व्यवधान की अवधि के लिये इनके द्वारा अवकाश का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर देय अवकाश स्वीकृत किया जावेगा ।

160.17 राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारियों को 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा अवधि पर पदोन्नति के अभाव में समयबद्ध वेतन श्रृंखला दिये जाने के संबंध में :-

C.A.O. प्रस्तुत विचार बिन्दु का अवलोकन कर इस शर्त के साथ अनुमोदन किया गया कि उपर्युक्त अनुमोदन राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा कर दिया जाता है तो वह अनुमोदित माना जावे ।

160.18 राजस्थान आवासन मंडल (संशोधन वेतनमान) नियम 1989 की वेतन-तालिकाओं में संशोधन किये जाने के रूप में:-

C.A.O. प्रस्तुत विचार बिन्दु का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

160.19 मानसरोवर योजना, जयपुर में सितम्बर 88 के पारिजात योजना, उच्च आय वर्ग के टाईप तृतीय के आवासों के संदर्भ में:-

प्रस्तुत विचार-बिन्दु का अवलोकन कर यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण पर लागत समिति विचार कर अपना निर्णय दे। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इस लागत समिति में विशेष रूप से मुख्य नगर नियोजक एवं वित्त सचिव के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया जावे।

160.20 विभिन्न संवर्गों में नये पदों के सृजन की स्वीकृति एवं कुछ पदों की समाप्ति के संबंध में:-

प्रस्ताव में यह प्रस्तावित किया गया है कि विभिन्न संवर्ग के लगभग 95 नये पद सृजित किये जावे एवं लगभग 61 पद समाप्त किये जावे। ये पद आवासन प्रकोष्ठ, ड्राईंग प्रकोष्ठ, लेखाप्रकोष्ठ, भूमि अवाप्ति प्रकोष्ठ एवं विशेषाधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) प्रकोष्ठ से संबंधित है। नये पदों के सृजन के फलस्वरूप मंडल पर कितना वित्तीय भार आवेगा एवं इससे प्रशासन में किस प्रकार की गति आवेगी के बारे में विस्तृत चर्चा की गई एवं सदस्यों ने विभिन्न प्रतिक्रियाँ व्यक्त की। अतः यह पाया गया कि इसमें अभी काफी जानकारी एकत्रित कर मंडल को प्रस्तुत की जानी है, सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग भी बैठक में उपस्थित नहीं थे, इस प्रकार के प्रशासनिक व्यय के बारे में भी राज्य सरकार का एक दृष्टिकोण है, अतः यह उचित समझा गया कि इस प्रकरण में सर्वप्रथम सभी विस्तृत सूचनाएँ एकत्रित की जावे।

महत्वपूर्ण एवं अत्यंत आवश्यकता को देखते हुये विचार-बिन्दुओं के परिपेक्ष्य निम्न नये पदों के सृजन की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया:-

1. कार्यालय अधीक्षक 3 पद स्वतंत्र मण्डल कार्यालय बीकानेर, अजमेर, भरतपुर के लिये

2. रोकड़िया 9 पद कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर प्रत्येक के लिये तीन-तीन पद

3. सहायक आवासन अधिकारी (विधि) (दो) 2 पद मुख्यालय के लिये

4. कार्यालय अधीक्षक (विधि) (एक) 1 पद मुख्यालय के लिये

इसके साथ ही प्रस्तावानुसार 61 पद समाप्त किये जाने का अनुमोदन किया गया ।

160.21 दिनांक 1.2.92 को आयोजित सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि:-

C.E.M. दिनांक 1.2.92 को आयोजित सम्पत्ति आवंटन समिति में लिये गये निर्णयों का अवलोकन कर पुष्टि की गई ।

160.22 राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 के शिड्यूल आफ एडमिनिस्ट्रेशन में निर्धारित सहायक के भर्ती/पदोन्नति नियमों में संशोधन बाबत:-

D.D. राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 के शिड्यूल आफ एडमिनिस्ट्रेशन में सहायकों के 25 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा तथा 75 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है । मंडल में वर्तमान में निर्धारित नियमों के अंतर्गत कनिष्ठ सहायकों को वांछित कार्य-अनुभव पूर्ण हो जाने के पश्चात भी पदोन्नति का लाभ लम्बे समय तक नहीं मिल पाने के कारण राज्य सरकार की भाँति मंडल में सहायक संवर्ग के पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से ही निर्धारित सहायकों के पद 75 प्रतिशत को परिवर्तित कर 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा निर्धारित करने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

160.23 परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) की वरिष्ठता सूची को डिप्लोमा एवं डिग्री में पृथक-पृथक से निर्धारित करने की स्वीकृति के संबंध में:-

प्रस्ताव को विचार-विमर्श के पश्चात् स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि यह अनुभव किया गया कि इसे पृथक करने से पूर्व विभिन्न विभागों से विचार-विमर्श करना जरूरी है एवं इस प्रकरण से संबंधित मुद्दों पर गहन से अध्ययन करना आवश्यक है ।

160.24 सीधी भर्ती के सृजित दो ड्राईवरों के पदों को पदोन्नति में परिवर्तन करने के संबंध में:-

प्रस्तुत प्रकरण का विचार-विमर्श के पश्चात् इस शर्त के साथ अनुमोदन किया गया कि अगर इस प्रकरण में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो इसे अनुमोदित माना जावे ।

160.25 उपनिदेशक (एस.पी.एम.) एवं विधि अधिकारी के पद नामों में परिवर्तन करने के संबंध में:-

प्रस्तुत प्रकरण पर विचार-विमर्श के पश्चात् उपनिदेशक का पद नाम अतिरिक्त सचिव एवं विधि अधिकारी का पद नाम मुख्य विधि अधिकारी किये जाने का अनुमोदन किया गया ।

160.26 Creation of two New Division (Dn. V Jodhpur & Hanumangarh).

प्रस्तुत विचार-बिन्दु पर विचार-विमर्श के पश्चात् इसे वर्तमान में स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया ।

160.27 सुनी बिक्री योजना के अंतर्गत आवासों के विस्तारण के संबंध में:-

प्रस्तुत प्रकरण पर विचार-विमर्श के पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-

1. क्रय किये जाने वाले व्यक्ति को आवास की सम्पूर्ण राशि एकमुश्त जमा करानी होगी ।

2. कोई भी व्यक्ति अगर मंडल में पंजीकृत हो या किसी आवंटी के रूप में उसके द्वारा पूर्व में मंडल का आवास ले लिया गया है तो ऐसे व्यक्ति इस खुली बिक्री योजना के अंतर्गत जितने आवास क्रय करना चाहें, कर सकते है ।

3. खुली बिक्री योजना के अंतर्गत कोई पात्रता नहीं होगी ।

160.28 मध्यम आय वर्ग, कुंती प्रसाद नगर, वेस्ट एक्सटेंशन फेज पंचम, बीकानेर (योजना संख्या 8955)

A.C.E.(W) प्रस्तुत विचार बिन्दु पर बाद विचार-विमर्श के पश्चात् ऋण लेने एवं ऋणपत्र निष्पादन हेतु आयोगन आयुक्त को अधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

160.29 मालवीया नगर में लघुपंजिकी फ्लैट हेतु ऋण प्राप्त करने के प्रस्ताव :-

C.A.O. प्रस्ताव पर विचार कर अनुमोदन किया गया साथ ही ऋणपत्रों के आवश्यक पत्रों के निष्पादन करने हेतु आयोगन आयुक्त को अधिकृत करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया ।

(एस. के. मन्ना)
सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल::जयपुर ।

राजस्थान आवासन मण्डल की 161 वीं बैठक दिनांक 31.8.92 को सम्पन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1. श्री एस. अहमद, अध्यक्ष, राज. आवासन मंडल : अध्यक्ष
2. श्री एन. के. वर्मा, सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग : सदस्य
3. श्री एस. एल. जोशी, आवासन आयुक्त : सदस्य
4. श्री सी. एस. मेहता, मुख्य नगर नियोजक : सदस्य
5. श्री एम. के. खन्ना, सचिव, राज. आवासन मण्डल : सचिव

श्री विनोद पाण्ड्या, विशेषाधिकारी, वित्त विभाग जो वित्त सचिव के प्रतिनिधि है, बैठक में उपस्थित नहीं हो सके ।

बैठक में सर्वश्री अब्दुल मतीन, तकनीकी सहायक, अध्यक्ष, एन. एन. नरहरि, अति. मुख्य अभियंता निर्माण, पी. आर. शर्मा, मुख्य लेखाधिकारी, श्रीमती प्रमिला पुराणा, मुख्य सम्पदा प्रबन्धक एवं आर. सी. अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव भी उपस्थित हुये ।

कार्यवाही विवरण :-

61.1 मंडल की 160 वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि :-

मंडल की 160 वीं बैठक दिनांक 25.4.92 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गई ।

61.2 मंडल की 160 वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन :-

मण्डल की 160 वीं बैठक के संबंध में प्रस्तुत कार्यवाही प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया ।

...2

161.3 आवंटन पत्र में वर्णित राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराने पर वसूल किये जाने वाले ब्याज के संबंध में :-

C.E.M.

इस बिन्दु पर विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि जिन प्रकरणों में यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जावे कि आवंटी को आवंटन पत्र मंडल की [illegible] के कारण प्राप्त नहीं हुआ है, तथा इसमें आवंटियों की कोई गलती नहीं है ऐसे प्रकरणों में आवंटन पत्र में वर्णित राशि देरी से जमा कराने के कारण [illegible] की अवधि के लिये ब्याज उस दर पर वसूल किया जावे जिस दर पर [illegible] आवासन मण्डल हुडको को ब्याज का भुगतान करता है ।

161.4 होटल क्लार्क्स, आमेर के सामने संस्थागत प्रयोजन हेतु रिक्त पड़ी भूमि के उपयोग के संबंध में :-

C.E.M.

विचार-विमर्श के पश्चात् मास्टर प्लान योजना में होटल क्लार्क्स, आमेर के सामने रिक्त पड़ी भूमि लगभग 2160.59 वर्गमीटर मंडल के गैस्ट हाउस, कान्फ्रेंस का एग्जीक्यूटिव हाउस तथा उसके आगे आवास विकास संस्थान के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु आवास विकास संस्थान को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया । इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इस भूमि का स्वामित्व आवासन मंडल में निहित रहेगा ।

161.5 सांगानेर आवासीय योजना नगर परिषद, जयपुर की सीमा में आ जाने के कारण सांगानेर योजना में पंजीकृत आवेदकों को नियमों में छूट देने बाबत ।

C.E.M.

राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद, जयपुर की सीमाएँ बढ़ा देने के कारण मण्डल की सांगानेर योजना जयपुर की सीमा में आ गई है जबकि सांगानेर योजना में पंजीकरण करते समय सांगानेर जयपुर की सीमा से बाहर था । अतः विचार-विमर्श के पश्चात् सांगानेर योजना में पंजीकृत आवेदक या अब तक अन्य शहरों से सांगानेर योजना में स्थानान्तरित आवेदकों को

.....3

मंडल के नियमों में छूट दी जाकर उनसे पूर्व में किये गये अनुबंध के अनुसार जयपुर शहर में आवास / भूखण्ड होते हुये भी सांगानेर शहर में आवास आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है । यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में जो भी आवेदक अपना पंजीकरण अन्य शहरों से सांगानेर योजना के लिये स्थानान्तरित करवाना चाहेगा उसे इस आशय का शपथपत्र देना होगा कि उसका जयपुर में स्वयं के नाम से, पति/पत्नी एवं अन्य आश्रितों के नाम से कोई भूखण्ड/मकान फ्री होल्ड/लीज होल्ड पर नहीं हैं ।

61.26 आवंटित आवासों का आवंटियों द्वारा अपने पक्ष में पंजीयन कराये बिना सीधे ही अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरण/बेचान करने से संबंधित लंबित प्रकरणों के निस्तारण बाबत ।

संचालक मण्डल की 137वीं बैठक के बिन्दु संख्या 137.12 के निर्णयानुसार मंडल द्वारा यह प्रक्रिया निर्धारित की गई थी कि आवंटी आवंटित मकानों का हस्तान्तरण/विक्रय सीधे ही मंडल में पंजीकृत अन्य व्यक्ति को कर सकता था और उस आवास का पंजीयन सीधे ही उस व्यक्ति के नाम करवा दिया जाता था, जिसके नाम आवास का हस्तान्तरण किया गया है । इस प्रक्रिया पर राज्य सरकार द्वारा आपत्ति की गई क्योंकि आवासों के हस्तान्तरण से राज्य सरकार को मुद्रांक शुल्क की हानि हो रही थी । इसके कारण प्रकरण मंडल की 154वीं बैठक दिनांक 29.11.90 में प्रस्तुत किया गया और बिन्दु संख्या 154.18 के अन्तर्गत आवास हस्तान्तरण के उक्त प्रचलित प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई । रोक लगाये जाने के समय आवास हस्तान्तरण संबंधी विभिन्न शहरों की आवासीय योजनाओं के लगभग 425 प्रकरण विचाराधीन थे । इस कारण दिनांक 29.11.90 से पूर्व लंबित प्रकरणों का हस्तान्तरण पूर्व प्रक्रियानुसार करने की स्वीकृति राज्य सरकार से चाही गई । राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 8(11)नविआ/3/92 दिनांक 14.8.92 द्वारा

इन लंबित प्रकरणों का निस्तारण पूर्व प्रक्रियानुसार किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। अतः विचार-विमर्श के पश्चात् मंडल की 154वीं बैठक दिनांक 29.11.90 के पूर्व के आवास हस्तान्तरण हेतु लंबित प्रकरणों का निस्तारण मंडल की पूर्व प्रचलित प्रक्रियानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया।

161.7 स्व-वित्त पोषित योजना प्रारम्भ किये जाने के संबंध में :-

C.E.M.

मण्डल की 159वीं बैठक के बिन्दु संख्या 159.11 के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जयपुर के लिये पारिजात योजना दिनांक 7.2.92 से बंद कर दी जावे एवं साथ ही सांगानेर एवं अन्य शहर के लिये पारिजात योजना चालू रखने का भी निर्णय लिया गया था, जिसके लिये पंजीकरण राशि को दूरे परिवर्तित कर दी गई थी। इस प्रकरण के संबंध में मंडल की 160वीं बैठक में बिन्दु संख्या 160.13 द्वारा पारिजात योजना सांगानेर सहित अन्य शहरों के लिये भी दिनांक 1.4.92 से बंद किये जाने का निर्णय लिया गया था।

हुडको द्वारा ऋण की शर्तों, नये पंजीकरण नियमों तथा एच.डी.एफ.सी., भारतीय जीवन बीमा निगम आदि से व्यक्तिगत ऋण सुविधा का लाभ उठाने के उद्देश्य से मंडल द्वारा रखी योजना स्व वित्त पोषित योजना के नाम से प्रस्तावित है।

विचार-विमर्श के पश्चात् यह स्व-वित्त पोषित योजना केवल मंडल में पहले से किसी भी योजना के अंतर्गत पंजीकृत आवेदकों के लिये लागू करने एवं यह किराया क्रय पद्धति, नगद भुगतान पद्धति के अतिरिक्त मकानों के लागत की भुगतान की तीसरी पद्धति प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया। विचार-विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु के संबंध में निम्न निर्णय भी लिये गये :-

1. यह योजना निश्चित और सीमित अवधि के लिये होगी ।
2. पंजीकरण भूमि की उपलब्धता पर ही खोला जावेगा ।
3. जितनी भूमि उपलब्ध होगी उतने ही पंजीकरण किये जावेगें ।

161.8 नगद भुगतान पद्धति के अंतर्गत आवास आवंटन का प्रतिशत बढ़ाये जाने के संबंध में :-

मण्डल की 158वीं बैठक के द्वारा 1 जनवरी 1992 से मध्यम आय वर्ग "अ" एवं मध्यम आय वर्ग "ब" के आवेदकों के लिये किराया क्रय पद्धति का विकल्प पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है । अब उक्त आय वर्ग के आवेदक केवल नगद भुगतान पद्धति में ही अपना पंजीकरण करवा सकते है । आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के आवेदकों के लिये किराया क्रय पद्धति का विकल्प जारी रखा गया है ।

मंडल में 1 जनवरी 1992 से पूर्व सभी आय वर्गों में किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत बड़ी संख्या में आवेदक पंजीकृत है, जिन्हें मंडल की 24 वीं बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या 24.6 के अनुसार आवास का आवंटन किया जा रहा है । इस प्रकार वर्तमान में प्रत्येक वर्ग में 45 प्रतिशत आवासों का आवंटन नगद भुगतान पद्धति पर, 55 प्रतिशत आवासों का आवंटन किराया क्रय पद्धति में किया जाता है । किराया क्रय पद्धति के आवेदकों को आवास आवंटन के पश्चात् उनके द्वारा किश्तों का भुगतान या तो बिल्कुल नहीं किया जाता है या किश्तें जमा करवाने में अत्यधिक विलम्ब होता है, जिससे मंडल को समय पर राशि प्राप्त नहीं हो पाती है और मंडल की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, अतः विचार-विमर्श के पश्चात् सभी आय वर्गों के अंतर्गत 65 प्रतिशत आवासों का आवंटन नगद भुगतान पद्धति के आधार पर एवं 35 प्रतिशत आवासों का आवंटन किराया क्रय पद्धति के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया ।

161.9 पंजीकृत आवेदकों को भूखण्ड आवंटित किये जाने बाबत :-

C.E.M. राजस्थान आवासन मण्डल में बहुत बड़ी संख्या में पंजीकृत आवेदक कई वर्षों से प्रतीक्षारत है जिन्हें विभिन्न कारणों से आवास उपलब्ध करवाना संभव नहीं हो पा रहा है । विशेषकर मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के लिये मकान बनाना प्राय: संभव नहीं हो पा रहा हैं क्योंकि इसके निर्माण हेतु हुडको से समय पर समुचित धन की व्यवस्था नहीं हो पाती है । अत: विचार-विमर्श के पश्चात् मंडल द्वारा केवल पंजीकृत आवेदकों को निर्मित आवासों के अतिरिक्त कुछ विकसित भूखण्ड उपलब्ध करवाने की योजना प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया । इसके साथ ही प्रस्तुत विचार बिन्दु की शर्तों एवं नियमों का भी अनुमोदन किया गया ।

161.10 किराया क्रय पद्धति के आवंटियों से गारंटी पत्र प्राप्त करने के संबंध में:-

C.E.M. किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत आवंटित आवासों के अधिकांश आवंटियों द्वारा आवंटित आवासों की मासिक किश्तें नियमित रूप से निर्धारित अवधि में जमा नहीं करवाई जा रही है, साथ ही कई आवंटियों द्वारा लम्बे समय से मकानों की किश्तों का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण मंडल की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जबकि मंडल द्वारा अपनी भावी योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना पड़ता है जो काफी ऊँची ब्याज दरों पर प्राप्त होता है ।

अत: विचार-विमर्श के पश्चात् किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत आवंटित आवासों के आवंटियों से समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के गारण्टी पत्र जो कि 10/-रू0 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हो, प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया । गारंटी पत्र का प्रारूप भी अनुमोदित किया गया ।

(82)

161.11 परिचलन से जारी विचार बिन्दुओं की पुष्टि:-

Add. Secy. 161.11(अ) Agenda note for increasing the monthly rent of the premises being used as the Chairman residence.

विचार-विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु की पुष्टि की गयी ।

ACE(P&M) RE(FIC) 161.11(ब) Acceptance of Block State Govt. Guarantee by Govt. for taking loans from HUDCO and other financial Institutes.

विचार-विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु की पुष्टि की गयी ।

ACE(P&M) RE(FIC) 161.11(स) Loan from LIC Housing Finance Limited for financing the expenditure in respect of Jawahar Nallah Reclamation Scheme, Malviyanagar, Jaipur.

विचार-विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु की पुष्टि की गयी ।

Add. Secy. 161.11(द) प्लम्बर के समाप्त किये गये पद को वापिस पुनर्जीवित किये जाने के संबंध में :-

विचार-विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु की पुष्टि की गयी ।

161.12 विभिन्न समितियों की आयोजित बैठकों में लिये गये निर्णयों की पुष्टि:-

161.12(अ) दिनांक 30.4.92 को आयोजित सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि:-

विचार-विमर्श के पश्चात् दिनांक 30.4.92 को आयोजित सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गई ।

....8

161.12(ब) दिनांक 16.7.92 को आयोजित सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि :-

विचार-विमर्श के पश्चात् दिनांक 16.7.92 को आयोजित सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गई ।

161.12(स) दिनांक 7.5.92 को आयोजित प्रोजेक्ट कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि :-

विचार-विमर्श के पश्चात् दिनांक 7.5.92 को आयोजित प्रोजेक्ट कमेटी में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गई ।

161.13 विभिन्न संवर्गों के नये पदों की स्वीकृति के सृजन के संबंध में :-

C.P.U. विभिन्न संवर्गों के नये पदों के सृजन के संबंध में विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में जो पद समाप्त किये गये हैं उससे मंडल को वित्तीय कितनी बचत हुई साथ ही प्रत्येक सृजित किये जाने वाले पद के संबंध में विस्तृत विवरण में प्रत्येक पद सृजन के संबंध में प्रत्येक पद की आवश्यकता, उससे मंडल में होने वाले लाभ का विवेचन, जस्टीफिकेशन प्रस्तुत किया जावे, ताकि इन पदों के सृजन हेतु विचार-विमर्श कर अंतिम निर्णय लिया जा सके । विचार-विमर्श के पश्चात् निम्न अधिकारियों की एक कमेटी भी गठित किये जाने का निर्णय लिया गया जो नये पदों के सृजन के संबंध में वित्तीय भार, पदों के सृजन की आवश्यकता एवं इससे मंडल के कार्य में सुधार के संबंध में अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करेगी :-

1. सचिव
2. मुख्य लेखाधिकारी
3. मुख्य नगर नियोजक

.....9

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

161.14 जीवन बीमा गृह वित्त लिमिटेड द्वारा मंडल को रू. 1200.00 लाख का ऋण देने के संबंध में :-

CE(P&M)
E(FIC)

जीवन बीमा गृह वित्त लिमिटेड द्वारा पंचशील योजना, अजमेर हेतु राजस्थान आवासन मंडल को उच्च आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के 2165 लाख रू0 की लागत से कुल 820 आवासों के निर्माण हेतु 1200.00 लाख रू0 का ऋण स्वीकृत किया गया है । विचार-विमर्श के पश्चात् जीवन बीमा गृह वित्त लिमिटेड द्वारा स्वीकृत पत्र में दर्शाई गई शर्तों के अनुसार 18 प्रतिशत की ब्याज की दर पर राज्य सरकार की प्रतिभूति पर ऋण लेने हेतु आवासन आयुक्त को ऋण अनुबंध आदि पर हस्ताक्षर करने एवं प्राधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गई । इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा निर्देशित दर पर प्रतिभूति कमीशन के भुगतान की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की गई ।

161.15 जवाहर नगर सेवा सदन ट्रस्ट, जयपुर को भूमि आवंटन के संबंध में :-

C.E.M.

जवाहर नगर सेवा सदन ट्रस्ट को जवाहर नगर में सार्वजनिक उपयोग हेतु सेवा सदन के निर्माण करवाने हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जो 2336 वर्ग मीटर भूमि पूर्व में आवंटित की गई थी, के संबंध में विचार-विमर्श के पश्चात् इस भूमि के संबंध में सभी पक्षों को सुनकर अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण सम्बन्धित आवंटन समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया ।

161.16 संचालक मण्डल के सदस्य श्री एस. एल. जोशी के सेवानिवृति के संबंध में :-

Jd. Secy.

संचालक मण्डल के सदस्य श्री एस. एल. जोशी जो मंडल में आवासन आयुक्त के पद पर पदस्थापित थे एवं जो सार्वजनिक निर्माण विभाग से मंडल में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे, के दिनांक 31 अगस्त, 1992 को सेवा निवृत्त

होने के कारण मण्डल के समक्ष निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :-

"श्री एस. एल. जोशी, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने राजस्थान आवासन मंडल में प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 1.1.91 को आवासन आयुक्त के पद पर कार्यभार संभाला था । श्री जोशी मंडल में आवासन आयुक्त के पद पर 20 माह तक पदस्थापित रहे ।

श्री जोशी ने कार्यभार संभालने पर आवासन मंडल में विभिन्न प्रकोष्ठों में आपसी तालमेल बैठाकर मंडल में विकास के कार्यों को नियमित एवं व्यवस्थित ढंग से चलाने का कार्य किया जो मंडल हित में उनका अच्छा प्रयास रहा । इस प्रकार आवासन से संबंधित निर्माण एवं आवंटन के कार्यों में भी उन्होंने गहरी रुचि लेकर समयावधि में पूर्ण करवाये जो भी एक बहुत अच्छी उपलब्धि कही जा सकती है ।

श्री जोशी ने अपने मृदुल स्वभाव से अधिकारियों में कार्य करने की भावना जागृत की जिससे काफी कार्य को कम अवधि में निस्तारण हुआ ।

श्री जोशी की सेवाओं को मंडल सदैव याद रखेगा एवं श्री जोशी के आज सेवा निवृत्त होने के कारण मंडल उनके उज्ज्वल भविष्य एवं दीर्घायु की कामना करते हुये एक बार पुनः उनके द्वारा किये गये सराहनीय कार्यों की प्रशंसा करता है एवं मंडल को जब-जब आवश्यकता होगी, सहयोग मिलता रहेगा ।"

संचालक मंडल ने उक्त प्रस्ताव को सहर्ष एवं सर्वसम्मति से पारित किया एवं निर्णित किया कि प्रस्ताव को श्री जोशी को औपचारिक रूप से सूचित किया जावे ।

(एस. के. [illegible])
सचिव

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर ।

राजस्थानआवासन मंडल की 162वीं बैठक दिनांक 30.1.93 को सम्पन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1. श्री एस. अहमद, अध्यक्ष, राज. आवासन मंडल : अध्यक्ष
2. श्री बी.एस. मिन्हास, सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार : सदस्य
3. श्री सी.एस. मेहता, मुख्य नगर नियोजक : सदस्य
4. श्री बी.जी. शर्मा, आवासन आयुक्त : सदस्य
5. श्री विनोद पाण्डया, उप आय व्यय अधिकारी, वित्त विभाग (सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि) : सदस्य
6. श्री आर.एस. गठाला, सचिव, राज. आवासन मंडल : सचिव

बैठक में सर्वश्री अब्दुल मतीन, प्रबन्ध निदेशक, आवास विकास संस्थान, एन.एन. नरहरि, मुख्य अभियंता, राज. आवासन मंडल, एस.सी. व्यास, मुख्य लेखाधिकारी, श्रीमती प्रमिला सुराणा, मुख्य सम्पदा प्रबन्धक एवं आर.सी. अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव भी उपस्थित हुये ।

कार्यवाही विवरण

162.1 मंडल की 161वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि:-

मंडल की 161वीं बैठक दिनांक 31.8.92 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गयी ।

...2.

162.2 मण्डल की 161 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति प्रतिवेदन :-

मण्डल की 161 वीं बैठक के सम्बन्ध में प्रस्तुत कार्यवाही प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया ।

CAO 162.3 मण्डल के बजट अनुमान वर्ष 1993-94 एवं संशोधित अनुमान 1992-93:-

मण्डल के बजट अनुमानों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श कर वर्ष 1992-93 के संशोधित अनुमान बजट एवम् वर्ष 1993-94 के बजट अनुमानों को अनुमोदित किया गया ।

162.4 मण्डल द्वारा किराया क्रय पद्धति पर आवास आवंटित किये जाने की योजना वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने के संबंध में।

पूर्व में सभी आय वर्गों के अन्तर्गत नकद भुगतान पद्धति के साथ-साथ किराया क्रय पद्धति में भी आवासों का आवंटन किया जाता रहा है । किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत आवंटित आवासों के सम्बन्ध में एक मुख्य कठिनाई है कि अधिकांश आवेदक या तो मासिक किश्तें जमा नहीं कराते या अत्यधिक विलम्ब से जमा कराने के फलस्वरूप राशि समय पर प्राप्त न होने के कारण मण्डल को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । भविष्य में किये जाने वाले पंजीकरण में भी मण्डल द्वारा किराया क्रय पद्धति का विकल्प समाप्त कर दिया गया है ।

सम्पत्ति निस्तारण विनियम 1970 के अनुच्छेद 5 में मण्डल को ये शक्तियाँ दी गई है कि वह अपनी सम्पत्ति के निस्तारण के लिये समय-समय पर जैसा उचित समझे, वैसा आधार निर्धारित कर सकता

....3

है । अतः मण्डल के उपरोक्त प्रावधान के प्रकाश में विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि मण्डल द्वारा किराया क्रय पद्धति पर आवासों का आवंटन अब विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से किया जावे । नवीन पद्धति के तहत आवेदकों को आवश्यक ऋणराशि की व्यवस्था या तो अपने स्त्रोतों से या फिर वित्तीय संस्थाओं से करनी होगी और मासिक किश्तों का भुगतान मण्डल के स्थान पर वित्तीय संस्था को करना होगा जिससे उन्होंने ऋण प्राप्त किया है ।

162.5 प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों/कर्मचारियों तथा मण्डल की सेवायें छोड़ कर गये अधिकारियों /कर्मचारियों को मकान आवंटन के संबंध में :-

मण्डल के कर्मचारियों हेतु 3 % प्रतिशत मकान आवंटन में कोटा निर्धारित है । उक्त कोटे में मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों को भी सम्मिलित किया हुआ है लेकिन नियमों के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने पर मण्डल कर्मचारियों के कोटे में मकान आवंटन करने से वंचित होना पड़ता है । इसी प्रकार जो मण्डल कर्मचारी तीन-चार वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् दूसरे विभाग में चले जाते है उन्हें भी कर्मचारी कोटे में आवास आवंटन करने से वंचित होना पड़ता है । यह युक्ति संगत नहीं मालूम होता है । अतः विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि -

1.1 प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारी/बोर्ड कर्मचारियों हेतु खोली गई विशिष्ठ पंजीकरण योजना में भाग ले सकेंगे लेकिन आवास आवंटन हेतु ये आवश्यक होगा कि ऐसे कर्मचारी ने प्रतिनियुक्ति का कम से कम एक वर्ष पूर्ण कर लिया हो ।

....4

(2) प्रतिनियुक्ति पर आये ऐसे अधिकारियों/ कर्मचारियों को अपने मूल विभाग में लौट जाने के उपरांत भी बोर्ड कर्मचारी कोटे के अन्तर्गत आवास आवंटित किये जा सकेंगे जिन्होंने मण्डल में कम से कम एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है और मण्डल कर्मचारी कोटे में पंजीकरण करवा रखा है ।

(3) प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों के संबंध में ये निर्णय राज्य सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबंध के हटाये जाने की स्थिति में ही लागू होंगे ।

(4) मण्डल के ऐसे कर्मचारी/अधिकारी जिन्होंने मण्डल की सेवायें छोड़ दी हो अथवा अन्य विभाग में नियुक्त हो गये हो उन्हें भी कर्मचारी कोटे के अन्तर्गत आवास आवंटित किये जा सकेंगे बशर्ते उन्होंने मण्डल में दो वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो ।

162.6 यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन के सम्बन्ध में :-

CAO

राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या 1590 दिनांक 1.5.92 एवम् क्रमांक 3007 दिनांक 7.8.92 के अनुसार मण्डल में यात्रा भत्ता नियमों में उपरोक्तानुसार आवश्यक संशोधन कर आदेश क्रमांक 175 ए दिनांक 31.7.92 एवम् दिनांक 27.8.92 जारी किये जा चुके है ।

अतः विचार-विमर्श कर मण्डल के यात्रा भत्ता में उपरोक्तानुसार संशोधित किये जाने का अनुमोदन किया गया ।

....5

162.7 पंजीकरण/आवंटन में आवेदक के निकट सम्बन्धी का नाम जोड़ने के संबंध में:-

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 2474, दिनांक 5.1.93 जो किसी भी पंजीकृत आवेदक/आवंटी द्वारा आवेदन करने पर ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से उसके पंजीकरण/आवंटन में उसके निकट संबंधियों में केवल पंजीकृत आवेदक/आवंटी के पुत्र/पुत्री, माता-पिता, भाई-बहिन ही सम्मिलित किये जाने से संबंधित है, का अनुमोदन कर पुष्टि की गई ।

162.8 आगन्तुकों को जलपान कराने हेतु व्यय राशि में वृद्धि करने के संबंध में:-

उक्त विचार-बिन्दु को विचार सूची में से हटा लेने की स्वीकृति दी गई ।

Secy.

162.9 बोर्ड के मुख्य लेखाधिकारी का पद नाम वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी किये जाने के संबंध में:-

Secy/CAO

राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम 1970 के अध्याय 2 की धारा 14 की उपधारा (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट बोर्ड के मुख्य लेखाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन किये जाने का प्रावधान है । तदनुसार ही मंडल में मुख्यलेखाधिकारी पद पर राजस्थान लेखा संवर्ग के अधिकारी को राजस्थान सरकार द्वारा पदस्थापित किया जाता है । मुख्यलेखाधिकारी के कार्य क्षेत्र में विस्तार के कारण प्रस्तावानुसार इनका पदनाम वित्तीय सलाहकार एवं मुख्यलेखाधिकारी किये जाने के प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार- विमर्श कर इसे स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया ।

162.10 Authorising Chairman, Rajasthan Housing Board for acceptance raising loans and issuing Administrative and financial approval for various housing schemes.

ACE(P&M)

वित्तीय संस्थाओं से आवास निर्माण हेतु ऋण प्राप्त करने की वर्तमान प्रक्रिया बड़ी जटिल है एवम् काफी समय व्यतीत हो जाता है। इसमें सरलीकरण का प्रस्ताव इस विचार बिन्दु में प्रस्तुत था । अतः विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने एवं विभिन्न आवासीय योजनाओं के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु एक मुश्त वर्ष भर के ऋण प्रस्ताव मण्डल के सम्मुख: प्रस्तुत करने और मण्डल इन पर अनुमोदित करते हुये अध्यक्ष, आवासन मण्डल को ऋण प्राप्त करने और संबंधित ऋणपत्रों पर हस्ताक्षर और स्वीकृति इन सभी प्रस्तावों पर करने को एक साथ ही अधिकृत करने का अनुमोदन किया गया ।

162. 11 C.H.S. Ph.-II PANRIO KI MADRI, Udaipur
(Scheme No. 9836)

ACE(W)/ ACE(P&M)

प्रस्तुत विचार बिन्दु पर विचार-विमर्श के पश्चात् मण्डल द्वारा हुडको की शर्तों पर 192.92 लाख रुपये ऋण प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (योजना)/मण्डल के अन्य अधिकारी को हुडको से ऋण प्रपत्र निष्पादित करने हेतु अधिकृत किया गया तथा साथ ही उपरोक्त योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण के सम्बन्ध में 316.73 लाख रुपये प्रशासनिक खर्च की स्वीकृति प्रदान की गई ।

162. 12. राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी भर्ती एवम् पदोन्नति विनियम 1976 के परिशिष्ठ प्लानिंग में संशोधन के संबंध में :-

Secy.

सहायक नगर नियोजक एवम् सहायक वास्तुविद् पदों पर पदोन्नति हेतु प्रस्तावित संशोधन पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के प्रचलित नियमों व मुख्य नगर नियोजक से परामर्श प्राप्त कर मण्डल के समक्ष प्रस्ताव "परिचलन" द्वारा अनुमोदन

हेतु प्रस्तुत किया जावे और तत्पश्चात् ही इसमें तदनुरूप आवश्यक संशोधन किया जावे ।

162.13 अल्प आय वर्ग एवम् आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग में किराया क्रय पद्धति का विकल्प समाप्त किये जाने के संबंध में :-

मण्डल ने अपनी पूर्व बैठक 158 दिनांक 26.11.91 के बिन्दु संख्या 158.12 द्वारा 1 जनवरी 1992 से उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग (ब) एवम् मध्यम आय वर्ग (अ) के आवेदकों के लिए किराया क्रय पद्धति का विकल्प पूर्णतः समाप्त कर दिया है ।

प्रायः ये देखा गया है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवम् अल्प आय वर्ग के आवंटियों द्वारा किश्तों का भुगतान या तो बिल्कुल ही नहीं किया जाता है या किश्तें जमा करवाने में अत्यधिक विलम्ब किया जाता है जिससे मण्डल की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । अतः मण्डल द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग एवम् अल्प आय वर्ग के आवेदकों के लिये भी 1.10.92 से किराया क्रय पद्धति का विकल्प समाप्त करने के प्रस्ताव को विचार-विमर्श के बाद स्वीकार करने का निर्णय किया गया।

162.14 Issue of Administrative and Financial Sanction for the scheme.

ACE(W)/ACE(P&M)

वर्तमान में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार मण्डल के अध्यक्ष को आवास निर्माण के सम्बन्ध में परियोजना की प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु एक करोड़ रूपये की सीमा निर्धारित है । यह आवश्यकता से बहुत कम पायी गई है ।

अतः प्रस्तावानुसार अध्यक्ष को 5 करोड़ रूपये तक की परियोजना की वित्तीय एवम् प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने हेतु विचार-विमर्श के पश्चात् अधिकृत किया गया ।

162.15 स्वीकृति निर्माण कार्य 29 मकान, पारिजात, सेक्टर 13, मानसरोवर, ज

ACE(W)/ ACE(P&M)

प्रस्तावानुसार सेक्टर 13 मानसरोवर में पारिजात (अ) टाईप प्रथम के उच्च आय वर्ग के 29 आवासों (प्रथम तिमाही, 1990 के आवेदकों) हेतु के निर्माण कार्य हेतु 126.00 लाख रूपये की वित्तीय एवम् प्रशासनिक स्वीकृति विचार के पश्चात् प्रदान की गई ।

162.16 मण्डल हित में मण्डल के अधिकारियों को जिनमें मण्डल को पक्षकार बनाया गया है वाद दायर करने के सम्बन्ध में अधिकृत करने हेतु :-

Secy/CLO

विचार-बिन्दु पर विचार-विमर्श के पश्चात् मण्डल हित में मण्डल के निम्नांकित पद के अधिकारियों को जिनमें मण्डल को पक्षकार बनाया जाता है वाद दायर करने एवम् बचाव के लिए मण्डल का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत करने का निर्णय किया गया -

1. आवासन आयुक्त
2. सचिव
3. मुख्य लेखाधिकारी
4. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
6. अतिरिक्त सचिव
7. उप आवासन आयुक्त

...9

8. लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी
9. सहायक आवासन अधिकारी
10. जन सम्पर्क अधिकारी
11. कार्मिक प्रबन्धक
12. मुख्य विधि सहायक
13. वरिष्ठ लेखाधिकारी
14. भूमि अवाप्ति अधिकारी
15. आवासीय अभियंता
16. परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) एवम् (कनिष्ठ)

इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा मार्ग दर्शक सिद्धान्त भी निर्धारित कर जारी करवाने हेतु कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया ।

162.17 नकद भुगतान पद्धति के निर्धारित कोटे का अग्रनयन किये जाने और आवासों का निस्तारण विशिष्ठ पंजीकरण योजना के द्वारा किये जाने के संबंध में :-

CEM

मण्डल की 137 वीं बैठक में लिये निर्णय अनुसार नकद भुगतान पद्धति के 45 % कोटे का अग्रनयन किये जाने का निर्णय लिया गया था और यह निर्धारित किया गया था कि नकद भुगतान पद्धति के अनुसार यदि पर्याप्त आवेदक नहीं मिलते है तो शेष मकानों का निस्तारण किराया क्रय पद्धति के कोटे से या नीलामी द्वारा किया जावे । चूंकि दोनों ही विकल्पों के अनुसार आवासों का निस्तारण करने में कठिनाई हो रही है, अतः प्रस्तावानुसार इन आवासों का निस्तारण विशिष्ठ पंजीकरण योजना के द्वारा किये जाने के विकल्प के भी बिन्दु पर विचार कर, स्वीकार किया गया । इस योजना

के अन्तर्गत आवास आवंटन नकद भुगतान पद्धति में ही किये जाने का भी निर्णय लिया गया । उक्त योजना में कोई भी व्यक्ति चाहे वह मण्डल में पंजीकृत हो अथवा नहीं आवेदन कर सकेगा किन्तु आवास आवंटन में प्राथमिकता उस शहर के लिए मण्डल में पंजीकृत आवेदक को दी जायेगी जिस शहर के लिए यह योजना खोली गई है।

162.18 मण्डल की विभिन्न उपसमितियों के गठन के सम्बन्ध में :-

Secy.

मण्डल की 157 वीं बैठक दिनांक 10.8.91 के बिन्दु संख्या 157.26 के निर्णयानुसार विभिन्न उप समितियों का गठन किया गया था । उक्त विभिन्न कमेटियों में अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं (कार्य एवम् योजना) को भी सदस्य मनोनीत किया गया था, चूंकि दोनों ही अधिकारियों की पदोन्नति मुख्य अभियंता के पदों पर की जा चुकी है, । अतः प्रस्तावानुसार उपरोक्त कमेटियों का पुर्नगठन विचार-बिन्दु के परिशिष्ठ (अ) के अनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया ।

162.19 पूर्व में परिचलन से जारी किये गये विचार-बिन्दुओं की पुष्टि :-

ACE(W)
ACE(P&M)

(A) Proposal of Framing Hudco Scheme of Sumerpur :-

विचार-विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु की पुष्टि की गई ।

(B) L.D.S.P. at Sanganer Jaipur Sector 5. NHB I ,NI

विचार-विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु की पुष्टि की गई ।

(C) Execution of loan agreement with the Financial Institutions for raising borrowings from them :-

.....11

विचार-विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु की पुष्टि की गई ।

(D) Market borrowings of Rs.2.50 crores by issue of secured debentures during the year 1992-93 :-

---

विचार-विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु की पुष्टि की गई ।

(E) Loan from Hudco for Financing expenditure for the various Housing schemes :-

---

विचार-विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु की पुष्टि की गई ।

(F) Mortgaging of land to Financial Institutions and providing counter guarantee in favour of Avas Vikas Sansthan :-

---

विचार-विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु की पुष्टि की गई ।

162.20 विभिन्न समितियों की आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय की पुष्टि :-

---

(अ) दिनांक 20.10.92 को सम्पन्न हुई सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया किया गया ।

(ब) दिनांक 1.1.93 को सम्पन्न हुई सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से -

162.21 HIG H.S. Ph-II Sect 4&7 Bhiwadi.

ACE(W)/
ACE(P&M)

प्रस्तावानुसार मंडल द्वारा हुडको की शर्तों पर एच.एस.फेज II, सेक्टर 4 एवं 7 भिवाड़ी हेतु 131.80 लाख रुपये ऋण प्राप्त कर एवं हुडको से ऋण प्रपत्र निष्पादित करने हेतु अधिशासी अभियन्ता को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया तथा साथ ही उक्त योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के संबंध में 222.44 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई । इस हेतु गारंटी राशि के भुगतान के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर तय किये अनुसार बोर्ड को सहमति व्यक्त की गई ।

162.22 मंडल में समय-समय पर नवीन पदों के सृजन अथवा पूर्व सृजित पदों के क्रमोन्नतिकरण के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं । विचार विमर्श पश्चात् यह निर्णय लिया कि विभिन्न परिस्थितियों, जैसे कि बर्ष में मितव्ययता, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देश इत्यादि को ध्यान में रखते हुये जब भी मंडल में ऐसे प्रस्ताव आये तो इस बिन्दु का भी विश्लेषण करें कि कौन से समकक्ष पूर्व सृजित पद समाप्त/कम किये जा सकते हैं । ऐसा करने से प्रशासनिक व्यय की सीमा निर्धारित रहेगी और अनावश्यक रूप से मंडल में जन-शक्ति में वृद्धि न होगी ।

Secy
CAO

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 163 वीं बैठक दिनांक 19.4.93 को सम्पन्न। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

श्री एस. अहमद,	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	: अध्यक्ष
श्री सी. एस. मेहता,	मुख्य नगर नियोजक,	: सदस्य
श्री जी. जी. शर्मा,	आवासन आयुक्त,	: सदस्य

बैठक में सर्व श्री एस. के. जन्ना, उप शासन सचिव, भारतीय विकास एवं शासन विभाग, श्री विनोद पाण्डया, उप आय-व्यय अधिकारी, वित्त विभाग, अब्दुल मतीन, प्रबन्ध निदेशक, आवास विकास संस्थान, श्री एन. एन. नरहरी, अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, श्री एस. के. गठाला, सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, श्री एस. सी. व्यास, मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, श्री प्रमिला सुराणा, मुख्य लेखाधिकारी एवं श्री आर. सी. अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव भी उपस्थित थे।

कार्यवाही विवरण:

163.1 मण्डल की 162 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन:

मण्डल की 162 वीं बैठक दिनांक 30.1.93 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

163.2 मण्डल की 162 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति प्रतिवेदन।

मण्डल की 162 वीं बैठक के कार्यवृत्त में प्रस्तुत कार्यवाही प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

163.3 राजस्थान आवासन मण्डल सम्पत्ति निस्तारण विनियम 1970 में संशोधन।

DDHC(AC)/CEM

राजस्थान आवासन मण्डल सम्पत्ति निस्तारण विनियम 1970 को राज्य सरकार द्वारा 1971 में स्वीकृत किये गये थे। समय के अन्तराल के साथ मण्डल को विनियमों में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हो रही है

...2

विचार विमर्श के पश्चात् मण्डल ने विनियमों में प्रस्तावानुसार §परिशिष्ट-अ§ तथा रेखा करने का निर्णय लिया । संशोधित विनियम को राज्य सरकार से भी अनुमोदित करवा लिया जाए ।

163.4 स्व-वित्त-पोषित योजना अन्तर्गत "ठाँचे" के रूप में निर्माण किये जाने वाले मकानों के निर्माण में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण आवंटियों को मकान लेने में आयी कठिनाइयों को देखते हुए भविष्य में नये पंजीयन के तहत केवल स्व-वित्त-पोषित योजनान्तर्गत अर्द्ध निर्मित ठाँचे के रूप में मकान दिये जाने का निर्णय लिया गया ।

163.5 Compensatory (Fixed Conveyance) Allowance :

प्रस्ताव राज. गोप सचिव खुले की [illegible] के पत्र क्रमांक 1034 दिनांक 17.3.93 के [illegible] अनुमोदन के लिये लिया गया है । वित्त विभाग के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि वित्त विभाग एवं ब्यूरो ने अभी इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया है, अतः फिलहाल इस पर निर्णय स्थगित रखा जाता है तो उचित होगा ।

विचार विमर्श के पश्चात् इस मामले पर निर्णय स्थगित रखा गया ।

163.6 राजस्थान आवास मंडल अधीन कर्मचारियों को 9,13,एवं 27 वर्ष की सेवा अवधि पर [illegible] के अवसर में [illegible] लाभ दिया जाना ।

वित्त विभाग के प्रतिनिधि ने अवगत कराया है कि यह प्रस्ताव वित्त विभाग एवं राजकीय कर्मचारी ब्यूरो के बीच विचाराधीन है अतः इस पर निर्णय स्थगित रखना उचित होगा ।

बात विचार विमर्श मण्डल ने प्रस्तावानुसार अपने कर्मचारियों को उक्त सुविधा देने का अनुमोदन करता है । आवेदन कर्ता के पूर्व प्रतिनिधि द्वारा उठाये गये मुद्दे को मुल्तवी रखते हुए ब्यूरो स्वीकृति प्राप्त करती जाए ।

...3

163.7 CEM

163.8 Adl.Secy. P.M.

163.9 AGE(P&M) FA&CAO - (a) PM

163.7 पंजीकरण/आवंटन में आवेदक/आवंटी के निकट सम्बन्धी का नाम जोड़ने
SEM हेतु ।

प्रस्ताव का बाद विचार विमर्श अनुमोदन एवं संशोधन के साथ किया गया । प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के अनुच्छेद तीन में पंक्ति नम्बर 6 व 7 में शब्द " वह निकट सम्बन्धियों के नाम के नाम पूर्व में आवास होते हुए भी वे अपना नाम पंजीकरण/आवंटन में जुड़वा सकते हैं ।" विलोपित किये जावें ।

163.8 राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी सेवा विनियम 1970 में संशोधन
ADL.Secy. हेतु ।
P.M.

प्रस्तावानुसार राजस्थान सेवा नियमों के नियम 244 §2§ के अनुरूप राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी सेवा विनियम 1970 में नया नियम 34 §ए§ निम्नानुसार जोड़े जाने का निर्णय लिया गया:-

// "34-A Compulsary retirement on the recommendation of the Revi w Committee :-

The appointing authority on the recommendation of the review committee to be appointed by U.D.H. Department for the officers & by the Chairman for other employees shall be competent to retire an employee of the Board who has com-pleted 25 years of qualifying service or 50 years of age by adopting the same procedure as prescribed in 244 (2) of R.S.R." //

पूर्व में परिपत्र से किये गये संशोधनों की पुष्टि:-

163.9 (a) MIG-II HS at Sector X, Sanganer.
ACE(Plan)
FAC.CO
PM

विचार विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु की पुष्टि की गई ।

...4

(b) Acceptance of Block State Govt. Guarantee by Govt. for taking Loans from HUDCO and Other Financial Institutions.

विचार विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु की पुष्टि की गई ।

(c) Loan for construction of MIG-II Flats Sector X, Sanganer, Scheme, amounting to Rs.540 lacs.

विचार विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु की पुष्टि की गई ।

(d) To Authorise Chairman, R.H.B., to approve on behalf of the Board the raising of loans and issuing administrative and financial approvals for various housing schemes.

विचार विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु की पुष्टि की गई ।

(e) For nomination as nominal member of Rajasthan State Co-operative Bank Ltd.

विचार विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु की पुष्टि की गई ।

(f) राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी पेन्शन नियम 1993 एवं अन्य सम्बन्ध वैधिक निधि नियम 1993

उक्त प्रस्ताव का मण्डल से अनुमोदन करा लिया गया था जिसकी पुष्टि की गई । यह योजना दिनांक 1.1.93 से लागू की जाने के लिए नियमित कर्मचारी निर्धारित की जाकर सेवानिवृत्त किये जाते । यदि आवश्यकता हो तो राज्य सरकार से स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जावे ।

(g) सम्पदा प्रबन्धक के पद पर पदोन्नति हेतु राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति नियम 1976 में प्रावधान जोड़ने/संशोधन करने के सम्बन्ध में ।

पूर्व में मण्डल से जारी किये गये विचार बिन्दुओं पर कार्यों का सहमति प्राप्त हो चुकी थी । पुनः इस बिन्दु की पुष्टि की गई ।

...3

163.10 CH Ph VII Kuri Bhagtasani, Jodhpur.
(Scheme No. 9910)

मण्डल द्वारा हुडको की शर्तों पर 198.66 लाख रुपये की ऋण प्राप्त करने हेतु आवासन आयुक्त को उक्त प्रपत्र निष्पादित करने के लिए § बोर्ड के उप आवासन आयुक्त एवं एक अन्य अधिकारी की उपस्थिति में§ बोर्ड की कामन सील § Common seal § के द्वारा अधिकृत किये जाने की स्वीकृति दी गयी । साथ ही प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु 239.83 लाख रुपये व्यय करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गयी ।

163.11 पटाल § जिला § की अप्राप्त भूमि रीको को आवंटन करने के सम्बन्ध में ।

प्रस्तावानुसार ग्राम पटाल, जिला जोधपुर की 102 बीघा 09 बिस्वा भूमि जो कि अजमेर के अधीन है, की हस्तान्तरण राशि एवं प्रशासनिक व्यय रीको से प्राप्त होने पर उक्त संस्था को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया ।

163.12 विभिन्न समितियों के निर्णयों की पुष्टि :-

§अ§ दिनांक 29.3.93 को सम्पन्न हुई सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक के निर्णयों का अनुमोदन किया गया ।

§ब§ लागत एवं वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.3.93 के निर्णय

दिनांक 27.3.93 को उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया ।

163.13 राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 के परिशिष्ट प्रावधान के संशोधन के सम्बन्ध में ।

विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि मण्डल प्रथमतः मुख्य नगर नियोजक से प्राप्त नियमों एवं मण्डल के विद्यमान नियमों की जांच करते एवं जो संशोधन वांछित हों उनके लिये प्रस्ताव पुनः बना कर परिकलन से प्रस्तुत किये जायें ।

163.14 मण्डल की लागत एवं वित्त समितियों की बैठकों में 24.2.92, 7.5.92, 25.7.92, 20.8.92, 9.10.92, 17.10.92 एवं 23.11.92 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से-

163.15 Revised Financial pattern for HUDCO Financial Schemes effective from 1-4-93 :

हडको वित्त योजनाओं के Financial Pattern में दिनांक 1.4.93 से संशोधन किया गया है । मण्डल द्वारा जारी के अनुरूप हडको के आवासीय योजनाओं के लिये ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

163.16 Revision of Income Categories cost ceiling Registration amount interest rates repayment periods and seed money etc.

ACE(P&M)
CEM

हडको वित्त योजनाओं के Financial Pattern में दिनांक 1.4.93 से संशोधित किये जाने के कारण वित्तीय आयामों में आय सीमा, "सीमित लागत" "पुनर्भुगतान" की अवधि एवं "लाभ" आदि में परिवर्तन किया है । उक्त के अनुरूप रा० आवास आयोग के पी परिपत्र-1 के अनुसार संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

163.17 CHS for Rondi workers in Ph III, Jawahar Nagar Bundi (Scheme No. 10071)

ACE(P&M)

प्रतापगढ़ जिला विभाग के कार्यालय पत्र द्वारा हडको से रु० 62.33 लाख ऋण प्राप्त करने हेतु आवासीय आयुक्त/ अन्य कोई अधिकारी की अधिकृत करने एवं प्रपत्र निष्पादित करने हेतु अधिकृत किया गया । योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण के संबंध में रु० 33 लाख व्यय करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की

163.18 PM मण्डल को अवगत कराया गया कि कार्यालय आदेश क्रमांक ए.1§1§कार्मिक/स्थानान्तरण/46/93/159 दिनांक 16.4.93 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता खण्ड, गुणवत्ता नियंत्रण, जयपुर का पद वित्तीय वर्ष 93-94 के लिये द्रुत कोटा में कार्य को देखते हुए स्थानान्तरित किया गया है ।

163.19 PM मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि कार्यालय आदेश क्रमांक प.1§1§कार्मिक/सहायक लेखा./3/93/187 दिनांक 17.4.93 द्वारा सहायक लेखाधिकारी§नियंत्रण§ मुख्यालय का पद द्रुत ग्राम, जयपुर के अन्तर्गत कार्य की महत्ता को देखते हुए स्थानान्तरित किया गया है ।

मण्डल ने दोनों प्रस्तावों पर विचार विमर्श के पश्चात् जारी किये गये आदेशों की पुष्टि की । मण्डल ने यह भी निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरण भविष्य में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्य की महत्ता को देखते हुए जारी किये जा सकते हैं ।

F.6-3/6194
24.4.93.

§आर. एस. गठाला§
सचिव
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर

राजस्थान आवासन मंडल की 164वीं बैठक दिनाँक 13.7.93 को सम्पन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1. श्री एस. अहमद,	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मंडल	: अध्यक्ष
2. श्री सी. एस. मेहता,	मुख्य नगर नियोजक	: सदस्य
3. श्री बी. जी. शर्मा,	आवासन आयुक्त	: सदस्य

बैठक में सर्वश्री विनोद पाण्डया, उप आय-व्यय अधिकारी, वित्त विभाग, अब्दुल मतीन, प्रबन्ध निदेशक, आवास विकास संस्थान, एन. एन. नरहरि, मुख्य अभियंता, राजस्थान आवासन मंडल, आर. सी. अग्रवाल, सचिव, राजस्थान आवासन मंडल, एस. सी. व्यास, मुख्यलेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मंडल एवं श्रीमती प्रमिला सुराणा, मुख्य सम्पदा प्रबन्धक भी उपस्थित थे ।

सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग अन्य आवश्यक कार्यों में व्यस्त होने के कारण, बैठक में सम्मिलित नहीं हो सके ।

कार्यवाही विवरण:-

164.1 मंडल की 163वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि:

मंडल की 163वीं बैठक दिनाँक 19.4.93 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

164.2 मंडल की 163वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन:

मंडल की 163वीं बैठक के सम्बन्ध में प्रस्तुत कार्यवाही प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया ।

164.3 राजस्थान आवासन मंडल द्वारा आवास विकास संस्थान के माध्यम से परसरामद्वारा, आमेर सड़क एवं रामबाग, आमेर के जीर्णोद्धार कार्य के निष्पादन के सम्बन्ध में:

H.C

..2.

राजस्थान आवासन मंडल द्वारा आवास विकास संस्थान के
से परसरामद्वारा, आमेर सड़क एवं रामबाग, आमेर के जीर्ण
स्थलों के विकास/पुनर्निर्माण हेतु आवास विकास संस्थान के
बिल्डिंग सेन्टर के द्वारा कारीगरों को जयपुर की पुरानी
कला में प्रशिक्षण देने हेतु यह विचार किया गया कि इन दो
पर जयपुर की पुरानी स्थापत्य कला के आधार पर ही पुन
किया जावे, जिसके लिये बिल्डिंग सेन्टर के द्वारा प्रशिक्षित
जाने वाले कारीगरों को स्टाईफंड का प्रबन्ध आवास विकास
द्वारा किया जावेगा लेकिन विकास कार्यों में सामग्री एवं श्रम
के खर्च के लिये धन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये पर
एवं रामबाग, आमेर पर क्रमशः रुपये 15 लाख एवं 10 लाख
खर्च करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

Secy.

164.4 कनिष्ठ सहायक (लेखा) के पद से कनिष्ठलेखाकार के पदपर पदो
कोटे में संशोधन हेतु:

Secretary

Secy.

मंडल द्वारा मंडल की 160वीं बैठक के बिन्दु संख्या 160.22 के
निर्णयानुसार सहायक के पदपर 75 प्रतिशत से 25 प्रतिशत में वृ
जाकर सहायक के पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का नि
लिया गया था । वर्तमान में कनिष्ठ लेखाकार के पद 50 प्रतिशत
भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, इ
75 प्रतिशत पदोन्नति से एवं 25 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जा
विचार-बिन्दु पर विचार-विमर्श किया जाकर नियमों में संशोध
किये जाने का अनुमोदन किया गया ।

164.5 राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम
के परिशिष्ट प्लानिंग में संशोधन करने बाबत:

Secy.

संचालक मंडल की 163वीं बैठक दिनांक 19.4.93 के निर्णय बिन्दु

163.13 में यह निर्णय लिया गया था कि मंडल मुख्य नगर नियोजक से प्राप्त नियमों एवं मंडल के विद्यमान नियमों की जाँच कर लें अगर कोई संशोधन वाँछित हो तो उसके लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

मंडल के समक्ष प्रस्तुत किये गये राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 के परिशिष्ट प्लानिंग में मुख्य नगर नियोजक विभाग के अनुरूप विचार-बिन्दु का अवलोकन कर इसमें संशोधन किये जाने का अनुमोदन किया गया ।

Secy. 164.6 मुख्य विधि सहायक का पदनाम परिवर्तन करने बाबत:

मंडल में मुख्य विधि अधिकारी के पद के अतिरिक्त अन्य कोई विधि अधिकारी का पद सृजित नहीं होने के कारण न्यायालयों में मुख्य विधि सहायक को अपने कर्तव्य एवं दायित्व का और अधिक प्रभावी ढ़ंग से निर्वाह करने की दृष्टि से विचार-विमर्श के पश्चात् मंडल में तीन मुख्य विधि सहायक में से एक पद का पदनाम विधि अधिकारी वेतन श्रृंखला 2000-3200 में परिवर्तन किये जाने का अनुमोदन किया गया । इसी के साथ यह भी निर्णय लिया गया कि इस पदनाम के परिवर्तन के फलस्वरूप किसी प्रकार का वित्तीय लाभ, परिलाभ देय नहीं होगा ।

Secy. 164.7 राजस्थान आवासन मंडल के मुंशी प्रथम, मुंशी द्वितीय एवं मुंशी (वरिष्ठ) (वर्कचार्ज कर्मचारी) के पदनाम परिवर्तन बाबत:

राष्ट्रीय हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी संघ द्वारा दिनाँक 20.1.90 को संघ एवं मंडल प्रशासन में माँग संख्या 2 पर जो समझौता हुआ था, उसके अनुरूप मुंशी (वरिष्ठ), मुंशी ग्रेड प्रथम एवं मुंशी ग्रेड द्वितीय के पदनामों को परिवर्तित किये जाने की माँग पर विचार किया जाकर इस शर्त के साथ प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया कि अगर संघ द्वारा

लिखित में यह आश्वासन दिया जाता है कि पदनाम परिवर्तन किये
जाने पर उनके द्वारा ऐसे पदनामों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग,
इत्यादि के अनुरूप वेतनमान की माँग नहीं की जावेगी तो मुंशी (वरि
का पदनाम सुपरवाईजर वरिष्ठ, मुंशी ग्रेड प्रथम का पदनाम सुपरवा
एवं मुंशी ग्रेड द्वितीय का पदनाम सुपरवाईजर (कनिष्ठ) परिवर्तित क
दिया जावे । इन परिवर्तित पदनामों में वेतनमान वर्तमान अनुसार
रहेगें ।

CAO. 164.8 राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी मेडिकल अटेण्डेण्ट रेग्यूलेशन एक्ट CEM
1970 में संशोधन हेतु:

जयपुर की बढ़ती हुई आबादी एवं विकसित कालोनियों को ध्यान
रखते हुये कुछ नये निजी अस्पताल एवं कुछ ट्रस्ट द्वारा संचालित कि
है, अतः प्रस्तावानुसार मंडल के कर्मचारियों की कठिनाईयों को
में रखते हुये कि समय पर रोगी को तत्काल चिकित्सा उपलब्ध हो
इसके लिये रूँगटा चिल्ड्रन एवं जनरल अस्पताल, जयपुर हास्पिटल,
हॉस्पिटल एवं सोनी हॉस्पिटल में भी बीमारी का ईलाज करवा
विचार-विमर्श किया जाकर प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।
अस्पतालों के व्यय के पुनर्भरण हेतु वही प्रक्रिया एवं नियम अपना
जो कि वर्तमान में सेतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल अस्पताल में लिये
उपचार के पुनर्भरण पर है ।

CAO 164.9 चैकों पर हस्ताक्षर करने के लिये अधिकारों में संशोधन के सम्बन्ध

चैक पर हस्ताक्षर करने में कठिनाई को ध्यान में रखते हुये प्रस्ता
अध्यक्ष महोदय एवं आवासन आयुक्त महोदय को सम्पूर्ण शक्तियां
आयुक्त एवं मुख्यलेखाधिकारी को सम्पूर्ण शक्तियाँ, मुख्यलेखाधि
वरिष्ठ लेखाधिकारी को 50 लाख रुपये तक, मुख्यलेखाधिकारी

लाख रुपये तक, वरिष्ठ लेखाधिकारी को 2 लाख रुपये तक, लेखाधिकारी को 50 हजार रुपये तक एवं सहायक लेखाधिकारी को 10,000/-रुपये तक के चैकों पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव पर अवलोकन कर विचार-विमर्श के पश्चात् अनुमोदन किया गया ।

164.10(ए) मंडल की योजनाओं में विभिन्न प्रयोजनार्थ आवंटित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल, आवंटन की दरों एवं भुगतान पद्धति के संबंध में:

मंडल द्वारा अपनी आवासीय योजनाओं में शैक्षणिक, धार्मिक, चैरिटेबल एवं अन्य पंजीकृत संस्थाओं को विभिन्न प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन किया जाता है । विभिन्न प्रयोजनार्थ आवंटित किये जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल, आवंटन की दरों एवं भुगतान पद्धति के सम्बन्ध में मंडल द्वारा समय-समय पर अनेक कार्यालय आदेश प्रसारित किये जाते रहे हैं । इसी प्रकार बैंकों, डाक-घर, दूरसंचार एवं बीमा कम्पनियों, इत्यादि विभागों को भूमि का आवंटन किस दर पर किया जायेगा, इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट आदेश नहीं होने के कारण अनावश्यक रूप से समस्या उत्पन्न हो रही थी इसी कारण पूर्व में समय-समय पर जारी कार्यालय आदेशों के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश क्रमांक 585, दिनांक 26.6.93 जारी कर प्रकरण मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसे मंडल ने विचार-विमर्श के पश्चात् अवलोकन कर अनुमोदन किया ।

CEM. 164.10(बी) नगद भुगतान पद्धति पर आवंटित आवासों की राशि जमा कराने के सम्बन्ध में:

वर्तमान में आवंटियों को आवास नकद भुगतान पद्धति पर आवंटित किये जा रहे हैं । आवंटियों को आवास की समस्त राशि आवंटनपत्र जारी होने के 3 माह की अवधि में चुकानी पड़ती है लेकिन आवंटियों

...6.

3

को वित्तीय संस्थाओं से पूर्ण रूप में ऋण प्राप्त नहीं होने के
काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसी को ध्या
रखते हुये एक कार्यालय आदेश क्रमाँक 558, दिनाँक 17.6.93
जारी किया गया जिसके अंतर्गत आवंटियों को आवास के आ
में माँगी गई राशि का 75 प्रतिशत पूर्व की भाँति आवंटनपत्र
होने की दिनाँक से 3 माह की अवधि में जमा कराना होगा
25 प्रतिशत राशि जमा कराने के लिये तीन माह का समय अ
जावेगा । इस शेष 25 प्रतिशत राशि पर मंडल द्वारा नियमा
हुडको दर से ब्याज वसूल किया जावेगा । निर्धारित अवधि
जमा नहीं कराने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवंटन
दिया जावेगा । जारी आदेश का अवलोकन कर विचार-वि
पश्चात् अनुमोदन किया गया । MD(A

CEM. 164.10(सी) पंजीकरण/आवंटन सम्बन्धी निर्धारित शर्तों एवं मानदण्डों

मंडल द्वारा आवेदकों का आवास हेतु पंजीकरण एवं आवंटन
निर्धारित शर्तों एवं मानदण्डों के आधार पर किया जाता है
फिर भी कुछ ऐसे बिन्दु जिनके सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से निर्देश
के कारण निर्धारित प्रावधानों के दुरूपयोग की संभावना रहती
अतः इस सम्बन्ध में एक कार्यालय आदेश क्रमाँक480, दिनाँक
को जारी किया गया ताकि निर्धारित प्रावधानों के दुरूपयोग
सम्भावना नहीं बनी रहे । इस आदेश का अवलोकन कर विचा
के पश्चात् अनुमोदन किया गया ।

MD(AVS) 164.10(डी) दिनाँक 27.5.93 को जारी प्रस्ताव:

मंडल की 163वीं बैठक दिनाँक 19.4.93 के निर्णय बिन्दु सं
163.9(डी) के द्वारा मंडल के अध्यक्ष महोदय को आवासीय
के लिये ऋण प्राप्त किये जाने एवं वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वी

..

जारी किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था । इसी आधार पर मंडल के अध्यक्ष महोदय ने आवासीय योजनाओं के लिये हुडको से ऋण प्राप्त करने हेतु 1031.56 लाख रुपये की स्वीकृति दी थी एवं आवासन आयुक्त को ऋण अनुबन्ध एवं अन्य पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया था । इसी आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जो आवासों के निर्माण हेतु रु. 1354.28 लाख की मंडल द्वारा दी गई थी उस पर विचार-विमर्श के पश्चात् अनुमोदन किया गया ।

164.10(ई) दिनाँक 14.6.93 को जारी प्रस्ताव:

MD(AVS)

सैक्टर-5, फेज 4, साँगानेर में 64 आवासों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रकरण अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किये जाने पर रु. 106.27 लाख का ऋण दीवान हाऊसिंग फाइनेंस कार्पोरेशन लि. से(मंडल की 163वीं बैठक दिनाँक 19.4.93 के निर्णय बिन्दु संख्या 163.9(डी) के अनुसार) लेने हेतु मंडल की ओर से अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया था । इसी आधार पर मंडल द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आवासों के निर्माण हेतु राशि 154.782 लाख रु. की राशि का प्रस्ताव क्रमाँक 790, दिनाँक 14.6.93 जारी किया गया था, का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

164.11 विभिन्न समितियों के निर्णयों की पुष्टि:

(1) दिनाँक 5.5.93 को आयोजित सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

(2) दिनाँक 26.5.93 को आयोजित लागत एवं वित्त समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

§3§ दिनाँक 30.6.93 को आयोजित लागत एवं वित्त समिति
कार्यवाही विवरण का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया

164.12 राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम
में संशोधन के सम्बन्ध में:-

Secy. -

प्रकरण मंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने पर यह पाया गया
सूचना अन्य निगमों, मंडलों एवं राज्य सरकार से प्राप्त होनी
थी वह पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं हुई है, अतः प्रथमतः सूचनाएँ औ
की जावें, तब तक के लिये विचार-विमर्श के पश्चात इस प्रक
स्थगित रखा गया ।

164.13 घटाल §भिवाड़ी§ की अवाप्त भूमि रीको को 10 प्रतिशत प्रशा
व्यय पर आवंटित करने के सम्बन्ध में:-

Secy. -

मंडल की दिनाँक 19.4.93 को आयोजित 163वीं बैठक के
संख्या 163.11 में मंडल द्वारा ग्राम घटाल, तहसील तिजारा
जिला अलवर में अवाप्त 102 बीघा 09 बिस्वा भूमि रीको
राशि + §प्लस§ 20 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय लेकर आवंटि
निर्णय लिया था एवं इसी आधार पर रीको को राशि जमा
हेतु सूचित किया था लेकिन रीको के प्रबन्ध संचालक ने यह
कराया कि जिस प्रकार रीको द्वारा नगर विकास न्यास अ
निमराना में भूमि आवंटित की गई है एवं इसमें रीको द्वारा
प्रतिशत प्रशासनिक व्यय लिया जा रहा है, उसी के अनुरूप
रीको से 10 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय लेकर भूमि रीको को
करें । इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के पश्चात अवलोकन
किया गया ।

164.14 श्री थानसिंह जाटव एवं श्री हंसराज गुर्जर को सांसदों/विधा
आरक्षित कोटे में आवंटित 162 वर्ग मीटर के आवासों के

CEM

200 वर्ग मीटर के आवास आवंटित करने बाबत:

श्री थानसिंह जाटव एवं श्री हंसराज गुर्जर ने साँसदों एवं विधायकों के लिये आरक्षित कोटे में आवास आवंटन हेतु मंडल की कल्पतरू योजना के अंतर्गत उच्च आय वर्ग में पंजीकरण करवाया था, जिसके कारण मानसरोवर योजना में उच्च आयवर्ग के क्रमश: आवास संख्या 3/31 एवं 3/33 उन्हें आवंटित किये गये जिनकी माप 162 वर्ग मीटर है, जबकि इनके आय वर्ग के पूर्व के साँसदों/विधायकों को आवंटित आवास की माप 200 वर्ग मीटर या इससे अधिक है। मंडल द्वारा पूर्व में 8 विधायकों/साँसदों को निम्न आयवर्ग के आवास आवंटन के पश्चात उनके द्वारा उच्च आयवर्ग के आवास आवंटन हेतु अनुरोध करने पर मंडल की 158वीं बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या 158.23 में इन्हें उच्च आयवर्ग के आवास आवंटन हेतु स्वीकृति दी गई थी, अत: श्री थानसिंह जाटव एवं श्री हंसराज गुर्जर को आवंटित आवासों को निरस्त करते हुये 200 वर्ग मीटर के उपलब्ध आवासों में से आवास आवंटित करने के बिन्दु पर अवलोकन कर विचार-विमर्श के पश्चात अनुमोदन किया गया।

164.15(अ) मानसरोवर योजना, जयपुर में पारिजात योजना के अंतर्गत विभिन्न आयवर्गों के 945 मकानों के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु:-

MD(AVS)

कार्य समिति की बैठक दिनाँक 11.5.93 में मानसरोवर योजना सैक्टर नम्बर 5, 8 एवं 14 में विभिन्न आय वर्गों के लिये पारिजात योजना के अंतर्गत 945 मकानों के निर्माण का निर्णय लिया गया था। उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय से उक्त मकानों के सम्बन्ध में प्राप्त तकमीनों के अनुसार रु. 35.08करोड़ की अस्थाई वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति अध्यक्ष महोदय के

आदेशानुसार दिनाँक 16.6.93 को जारी की गई, जिसका अ
कर अनुमोदन किया गया ।

164.15(ब) हुडको द्वारा वित्तीय ढाँचे (ब्याज दर एवं पुर्नभुगतान) में प
के कारण संशोधन की स्वीकृति के सम्बन्ध में:

MD(AVS) हुडको द्वारा अपने वित्तीय ढाँचे ब्याज दर एवं पुर्नभुगतान में
करने के कारण दिनाँक 12.7.93 को जारी संशोधित आदेश का
अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

164.16 चार्टेड अकाउण्टेंट की योग्यता रखने वाले बोर्ड कर्मचारियों को
अग्रिम वेतन वृद्धि देने के सम्बन्ध में:

CAO

श्री एम.के. तिवाड़ी, कनिष्ठ लेखाकार ने एक प्रार्थनापत्र प्रेषित
निवेदन किया है कि उन्होंने मंडल की सेवा में रहते हुये चार्टे
की योग्यता प्राप्त कर ली है, अतः अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत
वर्तमान में मंडल में अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत किये जाने का को
नहीं है लेकिन जिस प्रकार से रीको, राज. राज्य पथ परिवहन
द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ठीक
प्रकार से मंडल के कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन दिये जाने का
था । मंडल ने इस प्रकरण पर विचार-विमर्श के पश्चात इस शर्त
इसका अनुमोदन किया कि यदि ऐसा प्रावधान अतिरिक्त योग्य
में रहते हुये प्राप्त करने का अभी राज्य सरकार/अन्य निगमों/
कारपोरेशन में विद्यमान हो तो स्वीकार कर लिया जावे ।

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल::जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 165वीं बैठक दिनांक 01.10.93 को सम्पन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	श्री एस. अहमद	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	: अध्यक्ष
2.	श्री सी. एस. मेहता	मुख्य नगर नियोजक	: सदस्य
3.	श्री बी. जी. शर्मा	आवासन आयुक्त	: सदस्य

बैठक में सर्वश्री अब्दुल मतीन, प्रबन्ध निदेशक, आवास विकास संस्थान, एन. एन. नरहरि, मुख्य अभियंता, राजस्थान आवासन मंडल, आर. सी. अग्रवाल, सचिव, राजस्थान आवासन मंडल, एस. सी. व्यास, मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल भी उपस्थित थें ।

सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग एवं वित्त सचिव अन्य आवश्यक कार्यों में व्यस्त होने के कारण बैठक में सम्मिलित नहीं हो सके ।

कार्यवाही विवरण :-

165.1 मण्डल की 164वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि

मण्डल की 164वीं बैठक दिनांक 13.7.93 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया ।

165.2 मण्डल की 164वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन

मण्डल की 164वीं बैठक के सम्बन्ध में प्रस्तुत कार्यवाही प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया ।

.....2

165.3 मंडल की योजनाओं में योजना के प्रारम्भ से ही कुछ भूमि केन्द्रीय
CEM स्थानों पर शाप कम रेजीडेन्स के निर्माण हेतु आरक्षित रखने एवं उनका निस्तारण नीलामी द्वारा किये जाने बाबत् ।

मंडल की जवाहर नगर योजना में निर्माणाधीन फ्लेट में से 145 फ्लेट पंजीकृत आवेदकों को आवंटन के पश्चात् शेष रह जाते है जिनका निस्तारण मण्डल को करना है । जवाहर नगर योजना मण्डल की पूर्व विकसित योजना है जहाँ आवासों और वाणिज्यिक सम्पत्ति की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है । अत: उपलब्ध पंजीकृत आवेदकों को आवास आवंटन के पश्चात् जितने फ्लेट्स शेष रह जाते है उनका निस्तारण खुली नीलामी द्वारा किया जावे । नीलामी हेतु मुख्य रूप से ऐसे फ्लेटस रखे जावे जिनमें भूतल पर दुकानों का निर्माण करवाया जा रहा है ताकि मंडल को अच्छी धनराशि प्राप्त हो सके ।

विचार-विमर्श के पश्चात् उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, साथ ही भविष्य में मंडल की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रारम्भ से ही कुछ बीघा भूमि केन्द्रीय स्थानों पर शाप कम रेजीडेन्स के निर्माण हेतु आरक्षित किये जाने एवं कुछ वर्षों के अंतराल के पश्चात् जब योजना पूरी तरह विकसित हो जावे तो उक्त आरक्षित भूमि पर शाप कम रेजीडेन्स का निर्माण करा कर उसका निस्तारण खुली नीलामी द्वारा किये जाने का भी निर्णय लिया गया ।

165.4 आवासन बोर्ड के कर्मचारियों को मकान आवंटन पर प्रशासनिक व्यय में छूट
FA&CAO

उपरोक्त बिन्दु के संबंध में विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि चूँकि इस बिन्दु को विस्तार में परीक्षण कर प्रस्तुत नहीं किया गया है,

.....3

अतः इस बिन्दु पर विस्तार से परीक्षण कर पुनः प्रस्तुत किया जावे ताकि निर्णय लिया जाना सम्भव हो सके । अतः यह बिन्दु स्थगित रखा गया ।

165.5(अ) नकद भुगतान पद्धति पर आवंटित आवासों की राशि जमा करवाने के सम्बन्ध में ।
CEM

मंडल की 164वीं बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या 164.10 द्वारा नकद भुगतान पद्धति के अंतर्गत आवंटित आवासों के आवंटियों को आवंटन पत्र में मांगी गई राशि का 75 प्रतिशत आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से तीन माह में जमा कराने एवं शेष 25 प्रतिशत राशि मंडल नियमानुसार हुडको दर से ब्याज लेते हुये 3 माह में जमा करवाने की सुविधा प्रदान की गई थी लेकिन आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के आवेदकों को इस प्रकार शेष राशि जमा करवाने की सुविधा नहीं प्रदान किये जाने के कारण कठिनाई उत्पन्न हो गई थी । अतः इस कारण कार्यालय आदेश क्रमांक 1136, दिनांक 5.8.93 द्वारा कार्यालय आदेश जारी किया गया जो निम्न प्रकार है :-

(1) आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के आवंटियों के लिये:-

(अ) आवंटी को आवास के आवंटन पत्र के द्वारा मांगी गई राशि की 50 प्रतिशत राशि आवंटन पत्र जारी होने से तीन माह की अवधि में जमा कराना होगा ।

....4

(ब) शेष 50 प्रतिशत राशि में से 25 प्रतिशत राशि आवंटी को अगले तीन माह में और अंतिम 25 प्रतिशत राशि उससे अगले तीन माह में जमा करानी होगी ।

(स) इस 50 प्रतिशत राशि की दोनों किश्तों पर मंडल द्वारा नियमानुसार हुडको दर से ब्याज वसूल किया जावेगा ।

(द) आवंटी द्वारा आवंटन पत्र जारी होने के 6 माह की अवधि में 75 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(2) मध्यम आय वर्ग "अ" "ब" एवं उच्च आय वर्ग के आवंटियों के लिये:-

(अ) आवंटी को आवास के आवंटन पत्र द्वारा मांगी गई राशि का 75 प्रतिशत पूर्वानुसार आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि में जमा कराना होगा ।

(ब) शेष 25 प्रतिशत राशि जमा करानें के लिये 3 माह का समय और दिया जायेगा ।

(स) इस शेष 25 प्रतिशत राशि पर मंडल द्वारा नियमानुसार हुडको दर से ब्याज वसूल किया जावेगा ।

(द) निर्धारित अवधि में राशि जमा न कराने पर निर्धारित प्रकिया के अनुसार आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा ।

.....5

(3) आवंटी को आवंटित आवास का कब्जा आवास की सम्पूर्ण राशि जमा कराने के पश्चात् ही सौंपा जायेगा ।

उपरोक्त प्रस्ताव मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया जिसका मण्डल ने विचार-विमर्श के पश्चात् अवलोकन कर अनुमोदन किया ।

165.5(ब) दिनांक 19.7.93 को जारी प्रस्ताव ।

MD (AVS)

मंडल की 163 वीं बैठक दिनांक 19.4.93 के बिन्दु निर्णय संख्या 163.9(डी) के द्वारा मंडल के अध्यक्ष महोदय को आवासीय योजनाओं के लिये ऋण प्राप्त किये जाने एवं वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था । इसी आधार पर मण्डल के अध्यक्ष महोदय ने आवासीय योजनाओं के लिये एनविल से ऋण प्राप्त करने हेतु 262.00 लाख रू. की स्वीकृति दी थी एवं आवासन आयुक्त को ऋण अनुबन्ध एवं अन्य प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया था । इस आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जो आवासों के निर्माण हेतु रू. 325.36 लाख की मंडल द्वारा दी गई थी, उसका विचार-विमर्श के पश्चात् अनुमोदन किया गया ।

165.5(स) दिनांक 19.7.93 को जारी प्रस्ताव ।

MD (AVS)

मण्डल की 163 वीं बैठक दिनांक 19.4.93 के बिन्दु निर्णय संख्या 163.9(डी) के द्वारा मण्डल के अध्यक्ष महोदय को आवासीय योजनाओं के लिये ऋण प्राप्त किये जाने एवं वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी

....6

किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था । इसी आधार पर मंडल के अध्यक्ष महोदय ने आवासीय योजनाओं के निर्माण के लिये राष्ट्रीय आवास बैंक से एनविल के माध्यम से ऋण प्राप्त करने हेतु 104.37 लाख रू. की स्वीकृति दी थी एवं आवासन आयुक्त को ऋण अनुबन्ध एवं अन्य प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया था को वापिस लिया जाकर इसी आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आवासों के निर्माण हेतु सीधे ही एनविल से ऋण प्राप्त करने हेतु रू. 104.37 लाख की विचार-विमर्श के पश्चात् स्वीकृति दी गई एवं आवासन आयुक्त को ऋण अनुबन्ध एवं अन्य प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया । इसी आधार पर विचार-विमर्श के पश्चात् प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृ[illegible] रू. 117.68 लाख की प्रदान की गई ।

165.5(द) <u>दिनांक 26.7.93 को जारी प्रस्ताव ।</u>

MD (AVS) मण्डल की 163वीं बैठक दिनांक 19.4.93 के बिन्दु निर्णय संख्या 163.9(ड) के द्वारा मण्डल के अध्यक्ष महोदय को आवासीय योजनाओं के लिये ऋण प्राप्त किये जाने एवं वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था । इसी आधार पर मण्डल के अध्यक्ष महोदय ने आवासीय योजनाओं के लिये हुडको से ऋण प्राप्त करने हेतु 1868.8 लाख रू. की स्वीकृति दी थी एवं आवासन आयुक्त को ऋण अनुबन्ध एवं अन्य प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया था । इस आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जो आवासों के निर्माण हेतु रू. 2443.27 लाख की मंडल द्वारा दी गई थी उसका विचार-विमर्श के पश्चात् अनुमोदन किया गया ।

.... 7

5.5(ता) दिनांक 1.9.93 को जारी प्रस्ताव ।
A'S)

मण्डल की 163वीं बैठक दिनांक 19.4.93 के बिन्दु निर्णय संख्या 163.9(डी) के द्वारा मण्डल के अध्यक्ष महोदय को आवासीय योजनाओं के लिये ऋण प्राप्त किये जाने एवं वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था । इसी आधार पर मण्डल के अध्यक्ष महोदय ने आवासीय योजनाओं के लिये हुडको से ऋण प्राप्त करने हेतु 212.48 लाख रू. की स्वीकृति दी थी एवं आवासन आयुक्त को ऋण अनुबन्ध एवं अन्य प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया था । इस आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जो आवासों के निर्माण हेतु रू. 307.52 लाख की मंडल द्वारा दी गई थी उसका विचार-विमर्श के पश्चात् अनुमोदन किया गया ।

165.6 पूर्व में परिचलन से जारी किये गये विचार बिन्दुओं की पुष्टि ।
Secy

(अ) मुख्य विधि सहायक का पदनाम परिवर्तन करने बाबत ।

उक्त बिन्दु मंडल की 164वीं बैठक दिनांक 13.7.93 की बिन्दु संख्या 164.6 में प्रस्तुत किया गया था जिस पर विचार-विमर्श के पश्चात् तीन मुख्य विधि सहायकों में से एक मुख्य विधि सहायक का पद नाम विधि अधिकारी में परिवर्तन किये जाने का अनुमोदन किया गया था लेकिन तीन मुख्य विधि सहायकों में से एक का पदनाम परिवर्तन किये जाने के कारण प्रशासन के सामने कठिनाई उत्पन्न हो गई है, अतः तीनों मुख्य विधि सहायकों के पदनाम विधि अधिकारी वेतनमान 2000-3200 में परिवर्तन करने हेतु एक प्रस्ताव परिचलन से बिन्दु संख्या 186

.....8

जारी कर संचालक मण्डल के सदस्यों की सहमति प्राप्त कर कार्मिक प्रकोष्ठ के प्रस्ताव क्रमांक 1570, दिनांक 27.8.93 द्वारा सीनों मुख्य विधि सहायक के पदनाम विधि अधिकारी किये जाने का, अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

FA & CAO (ब) वर्ष 1993-94 के लिये रू. 2.50 करोड़ के ऋण पत्र जारी करने बाबत।

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प3(6)वि.भा./93, दिनांक 2.7.93 के क्रम में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पत्र क्रमांक आई.डी.एम.सी./521/08.05/93-94 दिनांक 21.8.93 द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप मंडल द्वारा रू. 2.50 करोड़ के ऋण पत्र जारी करने हेतु परिचलन विचार बिन्दु संख्या 187 संचालक मण्डल के सभी सदस्यों से सहमति प्रदान करने हेतु कार्यालय के पत्र क्रमांक 1898, दि. 13.9.93 को जारी किया गया था । इस प्रस्ताव पर बहुमत प्राप्त होने पर वित्तीय वर्ष 1993-94 हेतु रू. 2.50 करोड़ के ऋण पत्र राज्य सरकार की प्रत्याभूति पर जारी करने की अनुमति का प्रस्ताव क्रमांक 1706 दिनांक 13.9.93 को जारी किया गया था, का अवलोकन कर, अनुमोदन किया गया ।

165.7 दिनांक 21.8.93 को आयोजित सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक के निर्णय की पुष्टि ।

CEM

दिनांक 21.8.93 को आयोजित सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

165.8 राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी (मेडिकल अटेन्डेन्ट रेगुलेशन एक्ट-1970 में संशोधन हेतु) ।

FA & CAO

मण्डल के वर्तमान नियमों में मण्डल के कर्मचारियों को राज्य सरकार के

.....

अधीनस्थ अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही हैं । इसके अलावा मंडल द्वारा 143 वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार यह सुविधा संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल अस्पताल में भी उपलब्ध करवाई जा रही है । इसी प्रकार मंडल की 164 वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार संगटा चिल्ड्रन एवं जनरल अस्पताल, जयपुर हास्पिटल, मोनीलेक हास्पिटल एवं सोनी हॉस्पिटल में भी सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है ।

जोधपुर शहर की बढ़ती हुई आबादी एवं विकसित कॉलोनियों को ध्यान में रखते हुये जोधपुर में कुछ नये निजी अस्पताल एवं ट्रस्ट संचालित किये गये है । अत: प्रस्तावानुसार मंडल के कर्मचारियों की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये कि समय पर रोगी को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके इसके लिये लोकसेवा हास्पिटल, जोधपुर जो ट्रस्ट द्वारा संचालित है में भी बीमारी का ईलाज करवाने हेतु विचार-विमर्श किया जाकर प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया । इस अस्पताल के व्यय के पुर्नभरण हेतु वहीं प्रक्रिया एवं नियम अपनाये जावेंगे जो कि वर्तमान में संतोकबा दुर्लभजी मैमोरियल अस्पताल में लिये गये उपचार के पुर्नभरण पर है ।

165.9 परिचलन से जारी विचार बिन्दु संख्या 188 का अनुमोदन ।
MD (AVS) ----------

आवास विकास संस्थान के लिये मशीन क्रय करने के लिये एवं कार्यशील पूंजी के लिये ऋण राजस्थान आवासन मण्डल की गारंटी पर उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्ताव संख्या 188 मंडल के सदस्यों को सहमति हेतु प्रस्तुत किया गया था जिस पर बहुमत प्राप्त होने पर आवास विकास संस्थान

को कार्यशील पूँजी एवं मशीनें क्रय करने हेतु ऋण पर राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रत्याभूति दिये जाने के प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

(एस.डी. भास्कर)
सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल: जयपुर ।

राजस्थान आवासन मण्डल की 166वीं बैठक दिनांक-15-1-94 को सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1-	श्री एस. अहमद, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	: अध्यक्ष
2-	श्री सी. एस. मेहता, मुख्य नगर नियोजक	: सदस्य
3-	श्री बी. जी. शर्मा, आवासन आयुक्त,	: सदस्य

बैठक में श्री आर. एस. गुप्ता, उपशासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, श्री अब्दुल मतीन, प्रबन्ध निदेशक, आवास विकास संस्थान, श्री एन. एन. नरहरि, मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, श्री ए. आर. पठान, सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, श्री एस. सी. व्यास, मुख्यलेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल एवं श्री आर. सी. अग्रवाल, मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल भी उपस्थित थे ।

सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग एवं वित्त सचिव अन्य आवश्यक कार्यों में व्यस्त होने के कारण बैठक में सम्मिलित नहीं हो सके ।

कार्यवाही विवरण:-

166.1 मण्डल की 165वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि

मण्डल की 165 वीं बैठक दिनांक 1-10-93 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया ।

166.2 मण्डल की 165वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन

मण्डल की 165वीं बैठक के सम्बन्ध में प्रस्तुत कार्यवाही प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया ।

क्रमश--2--

CAO 166.3 मण्डल के बजट अनुमान वर्ष 94-95 एवं संशोधित अनुमान 93-94.

मुख्यलेखाधिकारी ने मण्डल के वर्ष 94-95 के बजट अनुमान एवं वर्ष 93-94 के संशोधित अनुमान के सम्बन्ध में वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों वित्तीय प्राप्तियां ऋण सहित, राजस्व वसूली एवं भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी ।

विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्तुत बजट अनुमान वर्ष 94-95 एवं संशोधित अनुमान वर्ष 93-94 का अनुमोदन किया गया एवं राजस्व वसूली की पर सन्तोष प्रकट किया गया ।

166.4 Term Loan under DRI Scheme of the Bank for construction of house for SC/ST applicants.

MD(AVS) & CAO

अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिये भवन के निर्माण हेतु मण्डल को यू.बी.आई. बैंक द्वारा प्रस्तुत विशेष योजना के अन्तर्गत एक करोड़ राशि के टर्म लोन विशेष योजना डी.आर.आई. योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने का अनुमोदन किया गया ।

166.5- यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन बाबत ।

CAO

राजस्थान आवासन मण्डल में यात्रा भत्ता राजकीय उपक्रम विभाग निर्धारित लाभ परिलाभ के समानान्तरण दिये जाते हैं ।

मण्डल के ए-1 एवं ए-2 श्रेणी के अधिकारियों को सर्किट हाउस, आर डी.सी. होटल्स व राजस्थान हाउस, दिल्ली में रहने की सुविधा रा सरकार के अधिकारियों की भाँति निर्धारित दरों पर उपलब्ध नहीं तथा उनको कॉमर्शियल दरों से भुगतान करना पड़ता है, जबकि पुनः भ उपक्रम विभाग की निर्धारित दरों से किया जाता है जो कि वास्त चार्जेज से काफी कम होता है। इस कारण उक्त श्रेणी के अधिकारियों अतिरिक्त चार्जेज का भार स्वयं को वहन करना पड़ता है ।

क्रमशः--3

अतः विचार विमर्श के पश्चात् मण्डल के ए-1 व ए-2 श्रेणी के अधिकारियों को सर्किट हाऊस, राजस्थान हाउस, दिल्ली तथा आर.टी.डी.सी. की होटल्स में किये गये वास्तविक भुगतान का पुर्नभरण किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

166.6- राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी मेडिकल अटेण्डेन्ट रेगुलेशन एक्ट 1970 में संशोधन हेतुः-

CAO

मण्डल के वर्तमान नियमों में कर्मचारियों को राज्य सरकार के अधीनस्थ अस्पतालों एवं डिस्पेन्सरियों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के साथ साथ मण्डल द्वारा जयपुर शहर में पूर्व में निम्न अस्पतालों में भी सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही हैः-

1- संतोकबा दुर्लभजी मैमोरियल अस्पताल
2- रूंगटा चिल्ड्रन एवं जनरल अस्पताल
3- मोनोलेक हास्पिटल
4- जयपुर हास्पिटल
5- सोनी हॉस्पिटल

इन अस्पतालों के साथ ही राजधानी हास्पिटल में भी बोर्ड कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

166.7- Term Loan from Banks

CAO & MD(AVS)

मण्डल के वर्ष 93-94 के बजट में यू.बी.आई. से 5करोड़, रूपये की ऋण राशि लिये जाने का प्रावधान किया गया था ।उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू.बी.आई. ने पत्र दिनांक-29-12-93 द्वारा 5करोड़ रूपये की ऋण राशि 16 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर, 6वर्ष की अवधि में पुर्नभुगतान करने एवं किसान विकास पत्र प्रतिभूति के रूप में रखने की शर्त पर दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की है ।

क्रमशः--4--

मुख्य लेखा अधिकारी / मु.स.प्र.

MD(AVS) विचार विमर्श के पश्चात् बैंक द्वारा उक्त स्वीकृत की गई ऋण राशि एवं शर्तों पर सहमति व्यक्त करते हुये ऋण लिये जाने का अनुमोदन किया गया

166.8- ग्रीन कार्ड होल्डरों को प्राथमिकता के आधार पर दो प्रतिशत मकानों आवंटन में दी गई सुविधाओं को निरस्त करने हेतु ।

Asstt.Secy Secy चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय आदेश क्रमांक-प।।4।32। चिकि.स्वा./3/92, दिनांक 20-8-93 द्वारा ग्रीनकार्ड होल्डर्स को दी सुविधायें तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दी गई है, अतः मण्डल द्वारा भ ग्रीनकार्ड होल्डर्स को दिये जाने वाली सुविधा को निरस्त करने के लि बिन्दु का अनुमोदन किया गया ।

168.9- विचार-बिन्दु जो अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदन किये जाकर जारी जा चुके हैं, के अवलोकन एवं पुष्टि हेतुः-

MD(AVS) (अ) दिनांक 25-10-93 को जारी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया
(ब) दिनांक 20-12-93 को जारी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया
(स) परिचलन द्वारा जारी एजेण्डा संख्या 188 पर अध्यक्ष महोदय स्वीकृति से जारी संशोधन आदेश क्रमांक-1955, दि. 13-10-93 पुष्टि की गई ।

166.10- दिनांक 3-11-93 को आयोजित सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक के निर्णयों की पुष्टि ।

CEM विचार-विमर्श के पश्चात् दिनांक-3-11-93 को आयोजित सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई ।

क्रमशः--5--

166.11- अतिरिक्त सचिव के पद को राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतन श्रंखला स्तर का करने बाबत ।

PM
Secy

विचार-विमर्श के पश्चात् अतिरिक्त सचिव के पद को चयनित वेतनश्रंखला के स्थान पर वरिष्ठ वेतनश्रंखला में क्रमावनत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

166.12- सम्पदा प्रबन्धक (मुख्यालय) का एक पद समाप्त करने बाबत ।

PM
Secy

विचार-विमर्श के पश्चात् मण्डल मुख्यालय से वृत्त कार्यालयों को हस्तान्तरित कार्य पर विचार करते हुये सम्पदा प्रबन्धक, मुख्यालय का एक पद समाप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

166.13- श्री राम सहाय गार्डनर के निधन पर उनके परिवार को दी गई सहायता राशि रू. 10,000/- की स्वीकृति बाबत ।

PM
Secy

मृतक कर्मचारी के परिवार की स्थिति को देखते हुये मण्डल द्वारा तत्काल प्रदान की गई सहायता को अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गई स्वीकृति का अनुमोदन किया गया ।

166.14- Corrigendum to the amendments approved in the RHB's disposal of property regulation.

DHC
(P&M)

प्रस्तुत कोरिजण्डम (Corrigendum) का अनुमोदन किया गया ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत विचार बिन्दु

166.15- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आवास एवं नगर विकास निगम के पत्र दिनांक 30-9-93 के सम्बन्ध में आवासन मण्डल के नियमों में संशोधन हेतु ।

क्रमशः:--6--

मुख्य लेखा अधिकारी / मु.स.प्र.

MD (AVS) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आवास एवं नगर विकास निगम दिल्ली के
दिनांक-30-9-93 में प्रस्तावित आवासन मण्डल के नियमों में संशोधन
वैधानिक दस्तावेजों की पूर्ति एवं हुडको द्वारा घोषित योजनाओं हेतु
ऋण प्राप्त करने में अनावश्यक विलम्ब दूर होगा ।

अत: विचार-विमर्श के पश्चात् उक्त पत्र में सुझाये गये संशोधन हेतु मण्ड
द्वारा राज्य सरकार से अग्रिम स्वीकृति लिये जाने की कार्यवाही किये
जाने का अनुमोदन किया गया ।

विचार

166.16- प्रोजेक्ट कमेटी द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में परामर्शदाताओं
नियुक्ति के सम्बन्ध में ।

MD(AVS) मुख्य नगर नियोजक को मण्डल की प्रोजेक्ट कमेटी द्वारा अनुमोदित प्रो
पर फिर से परामर्शदाताओं की नियुक्तियों पर आपत्ति थी।

विचार-विमर्श के पश्चात् तय किया गया कि इस मुद्दे पर ध्यान रखा

सचिव,

राजस्थान आवासन मण्डल::जयपुर ।

राजस्थान आवासन मण्डल की 167 वीं बैठक दिनांक 11.7.94 को आयोजित की गई बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	श्री एन. के. वर्मा, सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, एवं अध्यक्ष, राज0 आवासन मण्डल, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री अब्दुल मतीन, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	सदस्य
3.	श्री सी. एस. मेहता, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान	सदस्य
4.	श्री गणपत वर्मा	सदस्य
5.	श्री मोहम्मद मियाँ	सदस्य
6.	श्री हीरालाल कटारिया	सदस्य
7.	श्री बाबूलाल कुमावत	सदस्य
8.	श्री बनवारी लाल दुसाद	सदस्य
9.	श्री ए. आर. पठान	सदस्य-सचिव

बैठक में सर्व श्री एन. एन. नरहरि, मुख्य अभियन्ता, श्री एस. सी. व्यास, मुख्यलेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल भी उपस्थित थे ।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मण्डल के निवर्तमान अध्यक्ष श्री एस. अहमद द्वारा आवासन मण्डल के मकानों के निस्तारण, भूमि अवाप्ति, वसूली में बढ़ोतरी आदि के लिए किये गये प्रशंसनीय कार्यों की सराहना की गई ।

इसके साथ ही नये बोर्ड सदस्य सर्व श्री गणपत वर्मा, श्री मोहम्मद मियाँ, श्री हीरालाल कटारिया, श्री बाबूलाल कुमावत, श्री बनवारी लाल दुसाद के बोर्ड में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में सम्मिलित होने पर उनका हार्दिक स्वागत किया गया ।

....2

कार्यवाही विवरण

167.1 मण्डल की 166वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि :

मण्डल की 166वीं बैठक दिनांक 15.1.94 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया ।

167.2 मण्डल की 166वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति प्रतिवेदन :

मण्डल की 166 वीं बैठक के संबंध में प्रस्तुत कार्यवाही का अवलोकन किया गया ।

167.3 Secy. P.M. राजस्थान आवासन मण्डल बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 के परिशिष्ठ प्रशासन में निजी सचिव के पद के लिए वर्तमान प्रावधान में संशोधन करने बाबत ।

प्रस्तावानुसार नियमों में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई ।

167.4 Secy. P.M. वरिष्ठ लेखाधिकारी - द्वितीय के लिये निजी सहायक का एक नवीन पद स्वीकृत करने के संबंध में ।

उक्त बिन्दु को वापिस लिया गया ।

167.5 Secy. P.M. कनिष्ठ सहायक (लेखा) से कनिष्ठ लेखाकार के पद पर पदोन्नति देने के संबंध में ।

विचार-विमर्श कर कनिष्ठ सहायक (लेखा) से कनिष्ठ लेखाकार के पद पर पदोन्नति के संबंध में निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया ।

167.6 FA & CAO Secy. कम्प्यूटर के रख-रखाव हेतु मैसर्स एच.सी.एल. से 3 वर्ष केलिए अनुबंध :

कम्प्यूटर के रख-रखाव हेतु मैसर्स एच.सी.एल. से 60,000/-रूपये प्रति

वर्ष पर 3 वर्ष का अनुबन्ध किया गया था जो कि दिनांक 28.02.94 को पूर्ण हो चुका है। विचार-विमर्श के उपरान्त उक्त फर्म से आगामी तीन वर्षों के लिए अनुबन्ध निम्नांकित शर्तों पर किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. 3 वर्ष के रख रखाव का व्यय 1,80,000/-रू. अर्थात् 60,000/-रू. प्रति वर्ष।
2. फर्म मण्डल द्वारा भुगतान की गई राशि 1,80,000/-रू. की बैंक गारन्टी देगा।

167.7 Secy. P.M. श्री रूंथाराम की आकस्मिक मृत्यु पर मण्डल द्वारा 5,000/-रू. की सहायता के रूप में राशि स्वीकृति के संबंध में।

श्री रूंथाराम के दिनांक 3.4.94 को आकस्मिक निधन होने पर मण्डल द्वारा मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर सहायता राशि के रूप में 5,000/-रू. मृतक के निकट संबंधी को किये गये भुगतान का अनुमोदन किया गया।

167.8 M.D.(AVS) DHC(P&M) हडको का संशोधित (1.4.94) वित्तीय पैटर्न :

हडको द्वारा अपने वित्तीय ढांचे, सीलिंग कास्ट, अधिकतम पुर्नभुगतान अवधि, ब्याज दर आदि में दिनांक 01.04.94 से संशोधन किया है। उसी के अनुरूप आवासीय योजनाओं के निर्माण एवं भूमि अधिग्रहण योजनाओं के लिए हुडको से ऋण प्राप्त करने हेतु मण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

167.9 M.D.(AVS) DHC(P&M) सांगानेर में 160 मध्यम आय वर्ग-अ के फ्लेट्स सैक्टर-1 में 147.76 लाख रू. का ऋण लेने के संबंधमें (स्कीम नं. 11387)

अध्यक्ष महोदय को प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप उनके द्वारा उपरोक्त योजना की स्वीकृति का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। उक्त योजना के

....4

निर्माण पर रू. 197.01 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वी भी प्रदान की गयी ।

167.10 शास्त्रीनगर एक्सटेंशन, भीलवाड़ा-फेज-4 में अल्प आय वर्ग के मध्यम आय वर्ग के 23 आवासों के निर्माण हेतु हडको से 39. रू. का ऋण लेने के संबंध में ।

M.D.(AVS)
DHC(P&M)

अध्यक्ष महोदय को प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप उनके द्वारा उपरो योजना को स्वीकृति का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया योजना के निर्माण हेतु 43.75 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई ।

167.11 मण्डल कर्मचारियों को अंतरिम राहत दिये जाने के संबंध में ।

FA & CAO

राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप ही मण्डल के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत दिये जाने हेतु क्रमांक 400 दिनांक 20.3.94 कार्यालय आदेश जारी किये गये है, जिसका मण्डल द्वारा अनुमो किया गया ।

167.12 बैंकों से ऋण लेने के संबंध में ।

FA & CAO

मण्डल को धन की आवश्यकता को देखते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडि से 15 % वार्षिक ब्याज दर पर 5.5 करोड़ रू. का लिया था । ऋण को लिये जाने का अनुमोदन किया गया ।

167.13 मण्डल के वसूली कार्यों के संबंध में ।

FA & CAO

वसूली के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन का अवलोकन कर चाहा गया कि वसूली के लक्ष्य एवं उपलब्धियों की समय-समय पर समीक्षा की जावे एवं वसूली बढ़ाने के सभी प्रकार के उपाय किये जावें ।

167.14 उप आवासन आयुक्त (पी एंड एम) के पद का सृजन :
Secy.

मण्डल द्वारा उप-आवासन आयुक्त (गुणवत्ता नियंत्रण) के एक पद के सृजन संबंधी प्रस्ताव का अवलोकन कर उस पर निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया ।

167.15 वर्ष 1994-95 के लिए लागत निर्धारण के संबंध में ।
FA & CAO

सम्पत्ति के त्वरित निस्तारण हेतु प्रस्तावानुसार मण्डल द्वारा समस्त आवासीय योजनाओं हेतु वर्ष 1993-94 में जो भूमि लागत निर्धारित की गई थी, को वर्तमान वित्तीय वर्ष 1994-95 हेतु स्थिर रखे जाने की स्वीकृति दी गई ।

167.16 आवासन प्रकोष्ठ का विकेन्द्रीयकरण :
C.E.M.
M.D.(AVS)

प्रस्तावानुसार जयपुर में आवासन प्रकोष्ठों का विकेन्द्रीयकरण उप आवासन आयुक्तों के अन्तर्गत निम्नानुसार किये जाने की मण्डल के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई:-

1) आवास आवंटन तक समस्त प्रक्रिया नवीन पंजीकरण प्रारंभ करना, आवेदकों को पंजीकरण कार्ड जारी करना, वरीयता निर्धारण करना एवं उप-आवासन आयुक्त/आवासीय अभियंताओं से आवंटन हेतु उपलब्ध आवासों की सूची के अनुसार आवंटन लाटरी का आयोजन करना एवं पैडिंग एवं पंजीकरण/आवंटन के रिकार्ड का संधारण वर्तमान की तरह मुख्य सम्पदा प्रबन्धक के नियन्त्रण में रहेगा ।

2) आवास आवंटन के पश्चात् आवंटियों की पत्रावलियाँ संबंधित उप आवासन आयुक्तों को भेजी जायेंगी तथा मकानों के आवंटन /कब्जा पत्र जारी करने का कार्य विकेन्द्रित कर उप-आवासन आयुक्त स्तर पर किया जायेगा । अदेयता प्रमाणपत्र जारी करने की जिम्मेदारी भी उप आवासन आयुक्तों की होगी ।

....6

3. आवंटन/कब्जा पत्र जारी करने हेतु प्रत्येक वृत कार्यालय संबंधित स्टाफ अध्यक्ष महोदय द्वारा तय कर आवश्यकता दिया जायेगा ।

जयपुर से बाहर सभी वृत्त कार्यालयों में पूर्ववत् प्रक्रिया रहेगी ।

167.17 C.E.M. आवास आवंटन के पश्चात् पंजीकृत आवेदक के नजदीकी रिश्तेदार के नाम आवंटन का हस्तान्तरण :

वर्तमान नियमानुसार आवास आवंटन के पूर्व ही पंजीकरण का आवेदक के नजदीकी रिश्तेदारों में किये जाने का प्रावधान है । महसूस किया गया है कि आवंटी ऋण लेने हेतु अपने नजदीकी रिश्तेदार के नाम मकान का हस्तान्तरण कराना चाहता है । अत: सम्पत्ति के जल्दी निस्तारण की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए मकान आवंटन के पश्चात् मकान का हस्तान्तरण आवेदक के नजदीकी रिश्तेदार पुत्र-पुत्री, भाई-बहन, पति-पत्नी के नाम किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

167.18 Secy. Asstt. Secy. राजस्थान आवासन मण्डल वर्कचार्ज कर्मचारी कल्याण कोष की स्थापना एवं संविधान पर सहमति बाबत:

उक्त संबंध में गठित कमेटी की सिफारिशों के अनुसार मण्डल के नियमित कर्मचारियों के लिए जिस प्रकार कर्मचारी कल्याण कोष की स्थापना की गई है, उसी भाँति राज0 आवासन मण्डल वर्कचार्ज कर्मचारी कल्याण कोष की स्थापना (परिशिष्ठ-अ) के अनुसार संविधान सहित) किये जाने की स्वीकृति मण्डल द्वारा प्रदान की गयी ।

167.19 M.D.(AVS) DHC(P&M) राज0आवासन मण्डल की योजनाओं के लिए ऋण लेने एवं उनकी एकमुश्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत करने के संबंध में ।

मण्डल की 162 वीं बैठक के बिन्दु संख्या 162. 10 के निर्णयानुसार आवासीय योजनाओं के लिए एक मुश्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

जारी करने एवं ऋण प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने हेतु अध्यक्ष महोदय को दो माह तक ऐसी योजनाओं हेतु अधिकृत किया गया था । इसके बाद की योजनाओं के लिये प्रस्ताव मंडल की अग्रिम बैठक में रखने हेतु भी निर्णय लिया गया ।

हड़को की योजनाओं के लिये ब्लाक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में :

वर्ष 1994-95 में हाथ में ली जाने वाली सभी योजनाऐं जिनके लिये हड़को से ऋण लेना आवश्यक है, ब्लोक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मंगवाने हेतु प्रस्तावानुसार अनुमति दी गई ।

हड़को से 100 करोड़ रू0के ऋण हेतु राज्य सरकार की ब्लोक गारण्टी प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।

वर्ष 1994-95 में हड़को द्वारा स्वीकृत कराये जाने वाली योजनाओं के लिये राज्य सरकार से ब्लोक गारण्टी लेने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन प्रस्तावानुसार किया गया ।

167.22 निम्न विचार बिन्दू अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित किये जाकर जारी किये जा चुके हैं :

(अ) दिनांक-17.2.94 को जारी प्रस्ताव
(ब) दिनांक-03.01.94 को जारी प्रस्ताव
(स) दिनांक-15.03.94 को जारी प्रस्ताव (द) दि. 15.3.94 को जारी प्रस्ताव
(य) दिनांक-28.03.94 को जारी प्रस्ताव
उपरोक्त सभी जारी प्रस्तावों का मंडल द्वारा अनुमोदन किया गया ।

167.23 (अ) दिनांक-29.01.94 एवं 30.03.94 को आयोजित सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक के निर्णयों की पुष्टि :

(ब) दिनांक-01.03.94 एवं 03.05.94 को आयोजित वित्त एवं लागत समिति की बैठक के निर्णयों की पुष्टि :

मंडल द्वारा अवलोकन कर पुष्टि की गई ।

167.24 राजस्थान विधानसभा की मंडल के कार्यकलापों की जांच हेतु गठित समिति का अंतरिम प्रतिवेदन :

राजस्थान विधान सभा की राज0आवा0मंडल के कार्यकलापों की जांच हेतु गठित समिति द्वारा अंतरिम प्रतिवेदन दिनांक-07.04.94 को विधान सभा में प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है :

(1) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग और अल्प आय वर्ग के व्यक्ति किराया क्रय पद्धति जारी रखी जावें और दिनांक-1.1.9 पंजीकृत ऐसे व्यक्तियों के लिये ही नहीं बल्कि आगे भी उ के व्यक्तियों के लिये किराया क्रय पद्धति का विकल्प खुला

(2) समिति की राय है कि मध्यम आय वर्ग-अ, ब और उच्च आ व्यक्तियों के लिये इन वर्गों की श्रेणी में पंजीकरण करवाने क्रय पद्धति व नकद भुगतान पद्धति से मकान आवंटन का प्रति का अनुपात है । इन श्रेणियों में किराया क्रय पद्धति व नकद से मकान आवंटित करने की प्रक्रिया उन प्रार्थियों के लिये जा जावें जिन्होंने 1.01.92 से पूर्व पंजीकरण करवाया है । भवि लिये मंडल चाहे तो नियमों व अन्य कोई प्रक्रिया जारी कर लेकिन समिति की राय है कि इसके लिये सरकार से मंडल पू अनुमति प्राप्त करें, इसके पश्चात् ऐसी पद्धति प्रारम्भ करें ।

(3) सरकार सम्पत्ति निस्तारण विनियम-5 को राजस्थान आवास अधिनियम-1970 की धारा 53 की शर्त के अनुरूप विनियमित और उस पर अपनी अनुमति प्रदान करें । सरकार द्वारा यह जाना चाहिये कि मंडल जब-जब इस विनियम के अन्तर्गत मकानों आवंटन के प्रतिशत में रद्दोबदल करें तो उसके लिये सरकार से अ प्राप्त करें ।

(4) इसमें राज्य सरकार के **निर्णय मान्य होंगे** ।

(5) मंडल द्वारा विचार-विमर्श कर विधान सभा की समिति की उक्त सिफारिशों का अवलोकन किया गया एवं इस पर राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले निर्णय मानने हेतु स्वीकृति प्रदान की ग ।

167.25 <u>मंडल के क्रियाकलापों का लेखा जोखा</u> :

विगत वर्षों की उपलब्धियां एवं 1994-95 के लक्ष्यों का मंडल द्वारा अवलो किया गया एवं इससे सुधार लाने हेतु कार्यवाही करने की भी आवश्यकता महसूस की गई

167.26 <u>राजस्थान आवासन मंडल के कार्यक्रमों में सुधार के लिये प्रोत्साहन योजना लागू करने के सम्बन्ध में :</u>

प्रस्तावानुसार मकानों की गुणवत्ता सुधारते हुए कम लागत एवं समय

.....

पर मकान पूर्ण करने, मकानों की लागत में कमी के उपाय निर्माण में काम में लेना, अधिक से अधिक मकानों का निस्तारण एवं वसूली में सुधार करने व मण्डल की पिछली फँसी हुई राशि को निकलवाने आदि के लिए राज्य सरकार की तरह प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया । योजना का स्वरूप क्या हो, एवं पुरस्कार राशि कितनी रखी जावे, इस हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया :

1.	आवासन आयुक्त	संयोजक
2.	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत व्यक्ति	सदस्य
3.	सी.टी.पी.	सदस्य
4.	मुख्य अभियन्ता	सदस्य
5.	सचिव	सदस्य
6.	मुख्यलेखाधिकारी	सदस्य
7.	उप-शासन सचिव, राज0सरकार	सदस्य
8.	तक0सहायक आवासन आयुक्त	सदस्य-सचिव

उक्त समिति उप आवासन आयुक्त एवं दूसरे अधिकारियों से वार्ता कर अध्यक्ष महोदय को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी । समिति द्वारा की गई अभिशंसाओं को स्वीकृत करने हेतु मण्डल द्वारा अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया ।

167.27 आवासन मण्डल के कार्यक्रमों के अनुसार विभाग का पुर्नगठन करने के संबंध में ।

TA to H.C.

इस बिन्दु पर मण्डल द्वारा विचार-विमर्श कर प्रस्तावानुसार मण्डल के विभिन्न प्रकोष्ठों के पुर्नगठन, वसूली के कार्य को प्रभावशील बनाने एवं कर्मचारियों की मांगों आदि के संबंध में किसी अनुभवी सेवा निवृत्त प्रशासनिक अधिकारी के तत्वाधान में एक समिति गठित करने का अनुमोदन किया गया । इस समिति के लिए किस अधिकारी को

नियुक्त किया जाय एवं इस रिपोर्ट को तैयार करने पर कि
पैसा दिया जाये और क्या-क्या सुविधाएँ दी जाये इसके लि
मण्डल द्वारा अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया । यह
तय किया गया कि इस प्रयोजन हेतु गठित समिति को मुख्य
अभियन्ता, मुख्यलेखाधिकारी, मुख्य सम्पदा प्रबन्धक एवं
संबंधित अधिकारी रिपोर्ट तैयार करने में मदद करेंगे ।

167.28 मुख्य विधि अधिकारी का नाम परिवर्तन बाबत ।

Secy.
Asstt. Secy

प्रस्तावानुसार मुख्य विधि अधिकारी का पदनाम "निदेशक वि
करने का निर्णय लिया गया ।

167.29 अधूरे मकानों के आवंटन के संबंध में ।

TA to HC
CEM

निर्माण सामग्री एवं मजदूरी की दरों में उत्तरोत्तर वृद्धि के फ
स्वरूप मकानों की कीमतें इतनी बढ़ गयी है कि आवंटी पैसे
ले रहे हैं । पिछले वर्षों में ढाँचे के मकान आवंटित करने का नि
लिया गया था, जो काफी सफल रहा था । अतः प्रस्तावानुसा
निर्माण स्तर पर मकानों के आवंटन का निर्णय लिया गया :-

निर्माण का स्तर	निर्माण समय
1. प्लिन्थ स्तर	6 माह
2. लिण्टल स्तर	9 माह
3. छत स्तर	12 माह

साथ ही उपरोक्तानुसार आवंटित मकानों पर निर्माण समय का
ब्याज लगाने का भी निर्णय लिया गया । नियमानुसार उपरो
समय के आधे समय का बहुत लगाया जावेगा ।

167.30 अभाव अभियोग समिति गठित करने के संबंध में ।

TA to HC

आवंटियों की समस्याओं के निराकरण निवारणार्थ निम्नानुसार अ

... 11

अभियोग समिति गठित करने का निर्णय लिया गया :-

1.	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत एक बोर्ड सदस्य	संयोजक
2.	क्षेत्र के बोर्ड सदस्य	सदस्य
3.	क्षेत्र के उप आवासन आयुक्त	सदस्य
4.	मुख्यलेखाधिकारी	सदस्य
5.	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक	सदस्य
6.	क्षेत्र के आवासीय अभियन्ता	सदस्य-सचिव

उक्त समिति कम से कम दो माह में एक बार प्रत्येक स्थान पर जाकर आवंटियों की समस्याओं को सुनेगी एवं निर्णय देगी । नीतिगत प्रकरणों में समिति अध्यक्ष महोदय को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी ।

167.31 बोर्ड सदस्यों को सुविधाओं के संबंध में :

TA to HC प्रस्तावानुसार प्रत्येक सदस्य जो मुख्यालय में बोर्ड के कार्य हेतु आये है को 200/-रू. प्रतिमाह स्वल्पाहार मद में व्यय करने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया ।

167.32 सम्पदा प्रबन्धक के पद की पूर्ति बोर्ड कर्मचारी से भरे जाने बाबत ।

Secy. P.M. उक्त संबंध में निर्णय लिया गया कि प्रकरण अध्यक्ष महोदय के अधिकार क्षेत्र में रखा जावे ।

167.33 लागत सिद्धान्तों की समीक्षा :

FA & CAO आवंटियों को किस प्रकार से लागत में राहत दी जा सकती है इस हेतु प्रचलित लागत सिद्धान्तों की समीक्षा हेतु चार्टर्ड अकाउण्टेंट या कास्ट अकाउन्टेन्ट को प्रकरण संदर्भित करने हेतु निर्णय लिया गया ।

किसको यह कार्य देना है, एवं उसे इस हेतु कितनी फीस दे
इसके लिए अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया । यह भी
लिया गया कि इस प्रकार से दी जाने वाली फीस रू. 25,0
से अधिक न हो ।

सचिव
राज0 आवासन मण्ड
जयपुर

156

राजस्थान आवासन मण्डल::जयपुर ।

राजस्थान आवासन मण्डल की 168 वीं बैठक दिनांक 2/1/95 आयोजित की गई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

श्री एन. के. वर्मा, सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग एवं अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	- अध्यक्ष
श्री अब्दुल मतीन, आवासन आयुक्त	- सदस्य
श्री सी. एस. मेहता, मुख्यनगर नियोजक, राजस्थान	- सदस्य
श्री दीक्षित, वित्त सचिव, राज0 सरकार के प्रतिनिधि	- सदस्य
श्री मोहम्मद मियाँ	- सदस्य
श्री बनवारी लाल दुसाद	- सदस्य
श्री गणपत वर्मा	- सदस्य
श्री हीरालाल कटारिया	- सदस्य
श्री बाबूलाल कुमावत	- सदस्य
श्री बी. एस. सोईन, क्षेत्रीय प्रमुख, हुडको	- सदस्य-सचिव
श्री भरतलाल बी. परमार, सचिव	

बैठक में श्रीमती पंकज पाटनी, मुख्यलेखाधिकारी भी उपस्थित थीं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व नववर्ष की शुभकामनायें प्रकट की गई साथ ही बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य के रूप में श्री बी. एस. सोईन का हार्दिक स्वागत किया गया ।

कार्यवाही विवरण

168.1 मण्डल की 167 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन :-

मण्डल की 167 वीं बैठक दिनांक 11.7.94 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया ।

.....4

168.2 मण्डल की 167 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति

मण्डल की 167 वीं बैठक दिनांक 11.7.94 में लिये
की क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन किया ।

168.3 FA & CAO/ Secretary

AMENDEMENTS IN THE RULES FOR GRANT OF CO
ADVANCE TO THE EMPLOYEES OF THE BOARD.

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अपने आदेश
एफ.डी.(ग्रुप-2)/78/पी.टी-1 दिनांक 9.8.94 द्वारा
क्रय अग्रिम नियमों में संशोधन किया । तदनुरूप मण्डल
उपरोक्तानुसार संशोधन का निर्णय लिया गया ।

168.4 F.A. & CAO/ Secretary

मण्डल में कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों के वेतनमान में सं

राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांक एफ(2)एफ.डी.
तृतीय/89 दिनांक 16-4-94 द्वारा वर्कचार्ज के कुछ पदों
श्रृंखला में संशोधन किया है । मण्डल के निर्णयों की पूर्वा
में अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन पश्चात् राज्य सरकार के
के उक्त संशोधन के अनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक 221
7.9.94 जारी कर दिया गया है । जिसकी कार्योत्तर
का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

168.5 F.A.& CAO

लागत प्रकरण, मध्यम आय वर्ग (ब) मालवीय नगर, जूनि
बोर्ड कर्मचारियों के संबंध में :-

मध्यम आयवर्ग(ब) के 13 बोर्ड कर्मचारियों जिन्हें जून-8
मकान आवंटित किये गये थे, के लागत प्रकरण पर वित्त
लागत समिति द्वारा 89-90 की भूमि दर 30.4.92 त
करते हुये एवं 18 % की दर से प्रतिवर्ष 1993-94 में प्रा

.....

दर ब्याज ...ूल करने के निर्णय की पुष्टि की गई ।
साथ ही ...टिरी में इसी प्रकार के प्रकरण भविष्य में
आने पर..... ुसार कार्यवाही करने का वित्त एवं लागत
समिति के निर्णयों की पुष्टि की गई ।

श्रीमतीजगदीश कौर ग्रेवाल के राशि रिफण्ड के बारे में :-

.6 M. ***

उक्त प्रस्ताव को ड्राप किया गया ।

8.7 C(P&M) ******

Revision of Cost Ceiling. Registration amounts, interest rates, repayment periods and seed money etc.

हुडको द्वारा अपने वित्तीय ढांचे, सीलिंग कॉस्ट, अधिकतम पुर्नभुगतान अवधि ब्याज दर आदि में दिनांक 1.4.94 से संशोधन किया है । तदनुरूप मण्डल में ही संलग्न विवरणानुसार विभिन्न आयवर्ग में निर्धारित कॉस्ट सीलिंग, पंजीकरण, पंजीकरण राशि, सीडमनी, ब्याज दर एवं पुर्नभुगतान अवधि आदि के संशोधन किया गया, जिसका मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया ।

168.8 cretary/ tt.Secy/ r.Manager. *********

वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक एवं उप सचिव का एक-एक पद वेतनश्रृंखला 3000 - 4500 में सृजित करने बाबत :-

मण्डल द्वारा विचार-विमर्श कर वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक का एक पद वेतन श्रृंखला 3000 - 4500 में सृजित करने का निर्णय लिया गया । साथ ही वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक पद पर पदोन्नति के लिये कार्मिक प्रबन्धक/सहायक सचिव में से किसी भी पद पर 5 वर्ष का अनुभव निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

.....4

168.9
Dy.H.C. (P&M)
****
****

Regarding Transfer of [illegible]यों की [illegible]
Authorities for UP keep [illegible]

राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 7.970 [illegible]
तहत निर्मित कॉलोनियों के रखरखाव हेतु स्था[illegible]
को स्थानान्तरित किये जाने का प्रावधान है [illegible]
कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण स्थानीय [illegible]
करते है, जिसके कारण कॉलोनियों के स्थाना[illegible]
हो जाता है तथा मण्डल को ही अपने स्तर प[illegible]
आवश्यक सेवाओं पर व्यय करना पड़ता है। [illegible]
के समय सड़कों, नालियों, सीवर लाईन आदि [illegible]
अतिरिक्त रूप से व्यय करना पड़ता है। अतः [illegible]
"एंसीलरी सर्विस चार्जेज" पर 1/2 प्रतिशत वृद्धि [illegible]
1-1-95 से प्रभावी किये जाने की स्वीकृति प्रदा[illegible]

168.10
Dy.H.C. (P&M)
****
****

Loan assistance of Rs.48.03 Lacs from [illegible]
Development Corporation for the const[illegible]
CHS, Ph-2, Dorai, Ajmer.(Scheme No.11[illegible]

अध्यक्ष महोदय की प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप उनके [illegible]
योजना की स्वीकृति का प्रस्तावानुसार अनुमोदन [illegible]
उक्त योजना के निर्माण हेतु 48.03 लाख रूपये का [illegible]
से प्राप्त करने एवं 75.98 लाख रूपये की प्रशासनि[illegible]
स्वीकृति प्रदान की गई।

168.11
To be HC/FA&CAO
****
****

Construction of a State Guest House at [illegible]
New Delhi for State Govt. various corpo[illegible]
Board's officials.

दिल्ली में राज्य कार्य से जाने वाले निगमों/मण्डलों [illegible]
को "राजस्थान हाऊस" में अपर्याप्त आवासीय सुविधा[illegible]

कमरों आदि का आरक्षण नहीं हो पाता । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा चाणक्यपुरी, दिल्ली में एक "गैस्ट हाउस" के निर्माण की योजना बनाई है एवं राजस्थान आवासन मण्डल से अपनी आवासीय जरूरत Residential accommodation के बारे में जानकारी चाही है । प्रति कमरे की अनुमानित लागत 10 लाख रूपये बताई गई है ।

मण्डल द्वारा निम्नानुसार 4 कमरों की आरक्षण करने की स्वीकृति प्रदान की गई :-

क्र.सं.	अधिकारी का स्तर	कमरों की संख्या
1-	मुख्य एक्जीक्यूटिव	2 कमरें
2-	मध्य स्तर के अधिकारी हेतु	1 कमरा
3-	अधीनस्त पदाधिकारी/स्टॉफ हेतु	1 कमरा

2. Loan assistance of Rs.101.97 Lacs from Housing (P&M) Urban Development Corporation for the Construction of MIG, Ph-II, Sect.7, Sanganer, Jaipur.

अध्यक्ष महोदय की प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप उनके द्वारा उपरोक्त योजना की स्वीकृति का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया एवं 135.96 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई ।

3. Loan assistance of Rs.70.04 Lacs from Housing Urban (P&M) Development Corporation for the construction of Pocket Housing Scheme, Sector 6, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur. (Scheme No. 11745)

.....6

अध्यक्ष महोदय को प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप उनके द्वारा उपरो
योजना की स्वीकृति का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया
एवं साथ ही 124.75 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय
स्वीकृति भी प्रदान की गई ।

168.14 DHC(P&M) ********** Loan assistance of Rs. 130.66 lacs from Housin
Urban Development Corporation for the constru
of MIG Duplex / HIG (Flats), Sector -7, Ph V,
Jaipur (Scheme No. 11755).

- -

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप उपरोक्त योजना
की स्वीकृति प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया । साथ ही
207.62 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी
प्रदान की गई ।

168.15 DHC(P&M) ******** Loan assistance of Rs.231.83 lacs from Housing
Urban Development Corporation for the constru
of EHS PH-II ,Kotra, Ajmer. (Scheme No. 11852

- -

अध्यक्ष महोदय को प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप उपरोक्त योजना
की स्वीकृति प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया । साथ ही
38 लाख रू. की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी
प्रदान की गई ।

168.16 DHC(P&M) ******** Loan assistance of Rs. 844.76 Lacs from Housi
Urban Development Corporation for the constr
of HIG Flats Sectt7.PH-VIII, Mansarover, Jai

अध्यक्ष महोदय को प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप उपरोक्त योजना
की स्वीकृति का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया । सा

.....

ही 1563.97 लाख रू. की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई ।

.17 (P&M) ****** ******

Loan assistance of Rs.208.25 Lacs from Housing Urban Development Corporation for the construction of MIG Duplex. HIG Flats. Ph-II, Sect.7, Mansarover, Jaipur. (Scheme No. 11857)

अध्यक्ष महोदय की प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप उपरोक्त योजना की स्वीकृति का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया । साथ ही 337.38 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई ।

8.18 C. (P&M) ******** ********

Loan Assistance of Rs.746.13 Lacs from Housing Urban Development Corporation for the construction of HIG Flats. Sect.7., PH-IX, Mansarover, Jaipur.(S.N. 11853)

अध्यक्ष महोदय की प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप उनके द्वारा उपरोक्त योजना की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया । साथ ही 1346.51 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई ।

168.19 H.C. (P&M) ********** **********

Loan assistance of Rs.217.47 Lacs from Housing Urban Development Corporation for the construction of MIG Duplex/HIG Flats, PH-IV, Sect.7, Mansarover, Jaipur. (Scheme No. 11859).

अध्यक्ष महोदय की प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप उनके द्वारा उपरोक्त स्वीकृति का अनुमोदन किया गया साथ ही 370.12 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई ।

168.20 H.C. (P&M) ********** **********

Loan assistance of Rs.217.85 lacs from Housing Urban Development Corporation for the construction of MIGDuplex, HIG Flats, ph-III, sect.7, Mansarover, Jaipur. (Scheme No. 11055).

अध्यक्ष महोदय की प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप उ
स्वीकृति का अनुमोदन किया गया साथ ही
की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी प्रदा

168.21
Dy.H.C.(P&M)
****
****

Loan assistance of Rs.349.32 Lacs fro
Urban Development Corporation for th
of MIG HS. Sect. 10, PRatap Nagar,
(Scheme No. 11856).
अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप
उपरोक्त स्वीकृति का अनुमोदन किया गया ।
489.05 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय
प्रदान की गई ।

168.22
Dy.H.C.(P&M)
****
****

Loan assistance of Rs. 203.43 Lacs fro
Urban Development Corporation for the
of MIG (Duplex) HIG Flats Sect.7,PH-
अध्यक्ष महोदय की प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप उनके
स्वीकृति के अनुरूप उनके द्वारा उपरोक्त स्वीकृति
किया गया । साथ ही 333.27 लाख रूपये की प्र
वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई ।

168.23
Secretary/
F.A. & CAO
****
****

श्री एल.सी.यादव, सहायक आवासन अधिकारी को
मैमोरियल अस्पताल, बम्बइ में अपने इलाज के लिये
यात्रा के दौरान ठहरने पर किये गये खर्चे की प्रतिपू

श्री एल.सी.यादव, सहायक आवासन अधिकारी जो
पीड़ित हैं को कार्यालय आदेश क्रमांक 524 दिनांक
के द्वारा टाटा मैमोरियल अस्पताल, बम्बई में इला
व नियमानुसार चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करने
दी गई थी ।

161

श्री यादव ने इलाज एवं चैकअप के लिये बम्बई जाने पर ठहरने व खाने पर किये गये खर्चे को भी दिये जाने की प्रार्थना की है । प्रस्तावानुसार निम्न शर्तों के साथ प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया :-

1- होटल के कमरे के किराये की प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि 150/-रू. प्रतिदिन से अधिक नहीं होगी ।

2- होटल के कमरे की किराये की राशि उतने दिनों के लिये ही दी जायेगी जितने दिन टाटा मैमोरियल अस्पताल द्वारा चैकअप के लिये प्रमाण पत्र दिया गया है ।

3- होटल के कमरे की किराये की राशि का भुगतान का कैशमीमों प्रस्तुत करना होगा ।

8.24 श्री एल0सी0असवाल, आर0 ए0 एस0 तत्कालीन आवासन अधिकारी से मण्डल द्वारा किराये पर आवंटित मकान का किराया वसूल करने बाबत :-

tary/ CAO ****** ******

राजस्थान आवासन मण्डल ने अपने कर्मचारियों को मकान देने हेतु अपने स्वयं के नियम बनाये हुये हैं । जिनमें ऐसे कर्मचारी जो स्थानान्तरण होने पर न्यूनतम अवधि से अधिक समय तक मकान खाली नहीं करते है, उनसे दंडनीय किराया वसूल करने के नियम राज्य सरकार से अलग हैं । विचारणीय प्रश्न प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित था ।

इस संदर्भ में निर्णय लिया गया कि प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये राज्य सरकार के नियम ही लागू होंगे ।

इसके साथ-साथ यह भी निर्णय लिया गया कि क्योंकि मण्डल सभी मामलों में राज्य सरकार के नियमों का ही पालन कर रहा है, अतः बोर्ड के कर्मचारियों को किराये के मकान उपलब्ध

कराने के संदर्भ में अब राज्य सरकार के नियम [illegible]
एवं बोर्ड के नियम वापस लिये जावे ।

168.25 A.C.E-II/ Secretary/ TA to HC ********* *********

आवासन मण्डल में कम्प्यूटरीकरण हेतु आवश्यक [illegible]
की स्वीकृति बाबत :-
- -

वसूली, आवंटन आदि के कार्यों में अत्यधिक बढ़ो[illegible]
कारण विचार-विमर्श के बाद बोर्ड के विभिन्न का[illegible]
अधिक से अधिक कम्प्यूटरीकरण करने की आवश्यकता[illegible]
हुए, बोर्ड के राजस्थान में स्थित विभिन्न कार्यालय[illegible]
कम्प्यूटर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया एवं[illegible]
40 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई । यह भी[illegible]
गया कि बोर्ड इस कार्य हेतु हुडको से उपलब्ध अधिक[illegible]
अनुदान प्राप्त करने का प्रयास करे ।

कम्प्यूटरीकरण हेतु तुरन्त कार्यवाही करने का भी नि[illegible]
गया ।

जहां तक इस कार्य में स्टाफ की आवश्यकता का प्रश्न [illegible]
निर्णय लिया गया कि इस हेतु बहुत ही आवश्यक स्टा[illegible]
भर्ती की जावे एवं इसमें अधिक से अधिक कार्य उपलब्ध [illegible]
से ही उन्हें कम्प्यूटर की ट्रेनिंग देकर करवाया जावे।

कम से कम कितने नए पद सृजित करने हैं एवं कितने लो[illegible]
किस प्रकार की ट्रेनिंग देनी है, को तय करने हेतु निम्न[illegible]
पर आधारित एक समिति बनाने का निर्णय लिया :-

1-	आवासन आयुक्त	संयोजक
2-	श्री बनवारी लाल दुसाद	सदस्य
3-	श्री गणपत वर्मा	सदस्य

168.27 C.D.D. [illegible] H.C. [illegible]

4- श्रीमती पंकज पाटनी, मुख्यलेखाधिकारी सदस्य

5- एक कम्प्यूटर एक्सपर्ट सदस्य(अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)

6- श्री ए0 एस0 शर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता सदस्य-सचिव

उक्त समिति आदेश जारी होने के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी रिपोर्ट देगी ।

यह भी निर्णय लिया गया कि कम्प्यूटरीकरण कार्य की जिम्मेदारी श्री ए0 एस0 शर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता की होगी एवं वह इस कार्य की देख-रेख करेगें ।

168.26 C.E.M. ***** *****

(अ) दिनांक 1-11-94 को आयोजित सम्पत्ति आवंटन समिति के बैठक के निर्णयों की पुष्टि ।

(ब) दिनांक 9-8-94 को आयोजित वित्त एवं लागत समिति की बैठक के निर्णयों की पुष्टि ।

- -

मण्डल द्वारा अवलोकन कर पुष्टि की गई ।

168.27 & C.A.D./ C.E.M. Dy. H.C.'s ********** **********

दुकानों की छत का अधिकार देने के संबंध में :-

मण्डल अभी तक दुकानों की नीलामी में छत का स्वामित्व अपने पास ही रख रहा था । इन दुकानों के स्वामी, छतों का स्वामित्व उन्हें देने हेतु प्रार्थना पत्र दे रहे है । इन दुकानों की छतों का बोर्ड के पास कोई उपयोग भी नहीं हैं ।

अतः निर्णय लिया गया कि दुकानों की छतों का स्वामित्व संबंधित दुकान के मालिकों को उसी दर पर दिया जाये जो कि उस क्षेत्र के लिये वाणिज्यक भूमि की है, जो प्रायः रिहायशी भूमि की आरक्षित दर की 4 गुणा होती है ।

यह भी निर्णय लिया गया कि यदि दुकानों के मालिक
पर छत लेने के लिये तैयार नहीं होते है, तो छतों का
नीलामी से किया जावे ।

इसी संदर्भ में यह भी निर्णय लिया गया कि आगे से दुकान
नीलामी छतों के साथ ही की जावे । इस स्थिति में
की लागत निकालने के लिये जमीन की लागत रिहायशी
दर की आठ गुना मानी जावेगी ।

दुकानों हेतु वाणिज्यिक भूमि की नीलामी की जाती है
स्थिति में छत का स्वामित्व आवंटी का ही हो जाता
निर्णय लिया गया कि दुकानों हेतु नीलाम की जाने वा
की वाणिज्यिक आरक्षित दर रिहायशी आरक्षित दर को
गुणा रखी जावे ।

168.28
Dy.H.C.(P&M)
****
****

अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल को, मण्डल की विभि
योजनाओं के लिये ऋण लेने एवं इन योजनाओं की प्रशासनि
एवं वित्तीय स्वीकृति देने हेतु अधिकृत करने के संबंध में :-
- -

मण्डल की 167 वीं बैठक दिनांक 11.7.94 के बिन्दु संख्या
167.19 में निर्णयानुसार आवासीय योजनाओं के लिये एक
प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने एवं ऋण प्रपत्र
पर हस्ताक्षर करने हेतु अध्यक्ष महोदय को दो माह के लिये
किया गया था । बाद की योजनाओं के लिये प्रस्ताव अग
बैठक में प्रस्तुत करने हेतु भी निर्णय लिया गया था । प्रस्ता
वित्तीय वर्ष 1994-95 हेतु योजनाओं को वित्तीय एवं प्र
स्वीकृति जारी करने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया

जनवरी 94 से स्वीकृत लागत की वैधता अवधि बढ़ाने हेतु :-

CAB
H.Cs
***

पिछले वर्षों में लगभग 16,000 मकान आवंटियों को नकद भुगतान पद्धति पर आवंटित किये गये थे । इनमें अधिकतर आवंटी ऐसे थे जिन्हें मण्डल ने नकद भुगतान पद्धति पर मकान, उनका विकल्प किराया क्रय पद्धति का होते हुए भी दिये गये थे ।

इस प्रकार से दिये गये मकानों के निस्तारण एवं कब्जों की शोचनीय स्थिति को देखते हुये राज्य सरकार के आदेशानुसार एवं अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति के बाद निम्न कार्यवाही की गई थी :-

अ- ऐसे आवंटियों को जिन्हें किराया क्रय पद्धति का विकल्प होने पर, बोर्ड ने अपनी ओर से नकद भुगतान पर मकान आवंटित कर दिये थे, उन्हें मकान किश्तों पर ही दिये जावें ।

ब- किश्तों एवं नकद में दिये गये / दिये जाने वाले मकानों की लागत में विसंगति न हो, अतः मकानों की लागत 31-12-1994 तक स्थिर कर दी जावें ।

कुछ कारणों से सभी आवंटियों को उनके विकल्पानुसार किश्तों पर संशोधित आवंटन पत्र जारी नहीं किये जा सके, अतः लागत की स्थिरता बढ़ाने की आवश्यकता समझी गई ।

अतः अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत उक्त निर्णयों की पुष्टि करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त मकानों के लिये लागत 31-3-1995 तक स्थिर कर दी जावे । साथ में यह भी चाहा गया कि अब यह लागत अन्तिम बार स्थिर की जा रही है, अतः सभी आवंटन पत्र उक्त तिथि तक जारी हो जाने चाहिये ।

....14

168.30
C.E.M.
Dy. HC- III
****
****

श्री गुरूद्वारा गुरूसिंह सभा की मण्डल की मालवीय
में आवंटित भूमि पर आरोपित ब्याज दर की रा
वसूल करने के संबंध में :-

विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि इस प्रक
को विशेष प्रकरण मानते हुये बोर्ड द्वारा की गई कार्य
की पुष्टि की जाती है, परन्तु यह निर्णय दूसरे ऐसे प्र
पर स्वत: ही लागू नहीं होगा ।

168.31
T.A. to H.C.
****
****

मण्डल की अनिस्तारित सम्पत्ति के निस्तारण हेतु :-

उक्त बिन्दु को लंबित रखे जाने का निर्णय लिया गया

168.32
F.A. & C.A.O.
All Dy.HC's
****
****

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग एवं
मध्यम आय वर्ग के मकानों के लिये कब्जा राशि कम करने

बोर्ड द्वारा आवंटित लगभग 18000 मकानों में बहुत बड़ी
में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग, अल्प आयवर्ग एवं म
आय वर्ग के मकान हैं । इनको नकद भुगतान से किश्तों में
परिवर्तित करने पर भी आवंटी मकानों के कब्जे लेने हेतु आ
नहीं आ रहे है । जो मकान सीधे ही किश्तों में आवंटित
किये गये है, इन आयवर्गों के ऐसे मकानों के आवंटियों ने
वांछित राशि जमा नहीं कराई है एवं अधिकतर मकान निस्
नहीं हो पा रहे है । जिसका मुख्य कारण यह है कि आवंटी
से मकान की लागत की लगभग 50 प्रतिशत से अधिक राशि
नियमानुसार नकद में जमा कराने हेतु एवं शेष राशि किश्तों
में जमा कराने हेतु कहा जा रहा है । इन वर्गों के आवंटियों
के लिये सम्भवत: इतनी राशि की व्यवस्था करना भी संभव
नहीं हो पा रहा है ।

164

अत: विचार-विमर्श के बाद इन [illegible] वर्ग को राहत पहुंचाने हेतु निर्णय लिया गया कि इन वर्गों के आवंटियों से पंजीकरण एवं पूर्वग्रहण राशि समेत कुल नकद राशि मकान की कुल लागत की 25 प्रतिशत रखी जावे एवं शेष राशि की किश्तें कर दी जावे । इस स्थिति में ब्याज नकद में ली जाने वाली राशि के अनुसार होगा एवं वसूली । वर्ष में की जावेगी ।

168.33 /ACE-I/ CE-II ******* *******

मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं के अधीन व्यक्तिगत स्टाफ के पद सृजित करने के संबंध में :-

निर्णय बिन्दु संख्या 168.52 के अनुसार ।

168.34 & CAO ******* *******

बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों को बोर्ड बैठक में उपस्थित होने एवं दिये जाने वाले कन्वेन्स में बढोतरी के संबंध में :-

प्रस्तावानुसार बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों को बोर्ड की बैठक एवं बोर्ड की अन्य समिति में उपस्थित होने पर सिटिंग फीस 200/-रू. एवं कन्वेयेन्स चार्ज 50/-रू० दिये जाने का निर्णय लिया गया ।

168.35 H.C.- III/ t- H.C./ ecretary ********* *********

जवाहर नगर, जयपुर में पूर्व में सिनेमा हेतु नीलाम किये गये भूखण्ड पर व्यावसायिक केन्द्र बनाने हेतु :-

जवाहर नगर में पूर्व में सिनेमा हेतु भूमि का निस्तारण नीलामी द्वारा किया गया था । इसके लिये आवंटन पत्र भी जारी कर दिया गया । आवंटी ने समय पर मांगी गई राशि जमा नहीं करवाई । क्योंकि अब सिनेमा की मांग कम हो गई है, अब आवंटी चाहता है कि उसे इस जमीन पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाने हेतु स्वीकृति दी जावे ।

....16

आवासन मण्डल की बहुत बड़ी राशि इसमें रूकी हुई है । द्वारा कोर्ट केस कर रखा है। सिनेमा की मांग भी कम हो है । अतः इसे व्यावसायिक उपयोग में लेने हेतु निर्णय लिया जाना तर्क संगत होगा ।

उपरोक्त बात को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे को तय करने के लिये निम्न सदस्यों पर आधारित एक समिति बना दी जावे :-

1-	आवासन आयुक्त	संयोजक
2-	मुख्य नगर नियोजक	सदस्य
3-	क्षेत्रीय प्रमुख, हुडको	सदस्य
4-	सचिव, आवासन मण्डल	सदस्य
5-	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्यलेखाधिकारी आवासन मण्डल .	सदस्य-सचिव

उक्त समिति निम्न बातों पर अपनी सिफारिशें करेगी :-

1- क्या वाणिज्यिक उपयोग मे लाने के लिए उक्त भूमि पर स्वामित्व राजस्थान आवासन मण्डल के पास रखा जायेगा, या पूर्व सिनेमा आवंटी को दे दिया जाय ।

2- पूर्व सिनेमा आवंटी को स्वामित्व देने की स्थिति में उसे सिनेमा से वाणिज्यिक उपयोग करने के लिये अतिरिक्त राशि ली जावे ।

3- यदि वाणिज्यिक उपयोग के लिये भूमि मण्डल के पास रहती है तो सिनेमा आवंटी की जमा राशि के बारे में क्या किया जावे ।

उक्त समिति अपनी सिफारिशें बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत करेगी, ताकि आगामी बैठक में विचार किया जा सके ।

36 लेखाधिकारी वसूली के 3 पद सृजित करने के सम्बन्ध में ।

CAO निर्णय बिन्दु संख्या 168.52 के अनुसार ।

37 खुली बिक्री योजना में मकानों का आवंटन किराया क्रय पद्धति के आधार पर करने के संबंध में :-

M./ Dy.HC's

कई कारणों से आवासन मण्डल में लगभग 18,000 मकान अनिस्तारित पड़े हैं । इसमें मुख्य कारण मकानों को बिना आवंटी के विकल्प के नकद भुगतान पद्धति पर आवंटित करना है । बहुत सी जगह पंजीकृत आवेदक किराया क्रय पद्धति पर भी मकान लेने के इच्छुक नहीं है । राज्य सरकार के आदेशानुसार उच्च आय वर्ग व मध्यम आय वर्ग के 45 प्रतिशत मकान नकद भुगतान पद्धति पर देने है । शेष मकान किराया क्रय पद्धति पर देने है । परन्तु कई स्थान ऐसे है जहाँ पर किराया क्रय पद्धति पर भी मकान बिक नहीं पा रहे है एवं पंजीकृत आवेदकों ने अपने पैसे वापिस ले लिये हैं । यह इस स्थिति में हो रहा है जबकि हमने एक साल से लागत को स्थिर कर रखा है । अतः बहुत सारे स्थानों पर मकानों को खुली बिक्री में किश्तों पर देना पड़ेगा ।

उक्त स्थिति में गहन-विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा एवं उदयपुर व अजमेर के अतिरिक्त सभी स्थानों पर खुली बिक्री में मकान किश्तों पर देने हेतु कार्यवाही की जावे । जोधपुर में कुड़ी भगतासनी योजना के लिये भी उक्त कार्यवाही की जावे । उदयपुर में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग एवं अल्प आय वर्ग व उच्च आयवर्ग के मकान निस्तारित नहीं हो पा रहे हैं । अतः उदयपुर के उक्त मकानों के लिये भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाने का निर्णय लिया गया ।

जयपुर में सांगानेर व मानसरोवर में फ्लेट्स के निस्तारण में भी उपरोक्त समस्या आ रही है परन्तु इसके लिये निर्णय लिया गया कि पहले खुली बिक्री में नकद भुगतान पद्धति पर आवंटन के लिये जनता को मकान प्रस्तावित किये जावें। यदि इस पर भी आवेदक नहीं आते है तो इस हेतु दुबारा बोर्ड के पास प्रस्ताव 31-3-95 के बाद होने वाली बैठक में रखा जावे।

इस प्रकार के निस्तारण हेतु यह प्रक्रिया तय की गई है कि ऐसे आवेदकों को मकान देते समय वहीं पर इनका फॉर्म भरवा लिया जावे व मकान का आवंटन उसी प्रकार किया जावे जैसे पंजीकृत आवेदकों को किया जाता है। आवेदक से आरक्षण व अतिरिक्त राशि की मांग एक साथ की जावेगी एवं शेष राशि की किश्तें कर दी जावेगी। ऐसे आवंटनों में पंजीकृत आवेदकों को वरीयता दी जावेगी। इसे अखबारों के माध्यम से समय-समय पर प्रसारित करना होगा।

168.38
Secretary
****
****

खण्ड चतुर्थ जोधपुर का सांगानेर खण्ड 12 में स्थानांतरित किये के संबंध में :-
- -

जोधपुर में विभिन्न खण्डों के पास कार्यभार कम होने के कारण अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन पश्चात् खण्ड चतुर्थ, जोधपुर को कार्यालय आदेश क्रमांक 1724 दिनांक 17.11.94 द्वारा उप खण्ड (सांगानेर) जयपुर के रूप में स्थानान्तरण कर दिया गया है। मण्डल के निर्णय की पूर्वापेक्षा में जारी उक्त आदेश पर मण्डल की सहमति दी गई।

166

.39 लेखाकार के 3 नवीन पद सृजित करने बाबत :-

tary/ CAO ****** ******

खण्ड भिवाड़ी एवं उदयपुर खण्ड -II में मात्र आवासीय अभियंता का एक-एक पद सृजित है। ये दोनों ही खण्ड लगभग 3 वर्ष से कार्य कर रहे हैं एवं काफी खर्चा करते आ रहे है। अतः वहाँ एक-एक लेखाकार उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था। इसी प्रकार निरीक्षण प्रकोष्ठ में भी लेखाकार की कमी महसूस की जा रही थी। अतः अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति पश्चात् कार्यालय आदेश क्रमांक 1682 दिनांक 2/11/94 द्वारा उक्त स्थानों हेतु लेखाकार के 3 नवीन पद सृजित किये गये हैं। मण्डल द्वारा इसकी पुष्टि की गई।

इसके अतिरिक्त उदयपुर खण्ड द्वितीय एवं भिवाड़ी खण्ड हेतु "मार्मूल" के अनुसार सभी पद जो कि सामान्य खण्ड में होते है स्वीकृत किये गये।

168.40 भिवाड़ी में भूमि के निस्तारण के सम्बन्ध में :-

Dy.HC-III/ O.S.D. / L.A.O. ********** **********

भिवाड़ी में उपलब्ध भूमि एवं नगर विकास न्यास अलवर से ली गई भूमि के पर्याप्त हिस्से में मकान बन गये है, जबकि सभी स्थानों की भाँति यहाँ भी लोग-बाग मकान लेने में रूचि नहीं ले रहे हैं। अभी भी नगर विकास न्यास की भूमि शेष है। मण्डल ने इन भूमियों के अतिरिक्त भिवाड़ी में ग्राम मिल्कपुर गूजर में 103.8 एकड़ भूमि के लिए 13.35 करोड़ रू. का भुगतान किया है।

चूँकि पंजीकृत आवेदकों के लिए हमारे पास काफी मकान व भूमि उपलब्ध है, अतः इस भूमि को निस्तारित करना बहुत आवश्यक

है, अन्यथा व्यर्थ ही बोर्ड को रख-रखाव पर व्यय करना
एवं इस भूमि पर अतिक्रमण होने की भी सम्भावना है ।

इस स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया गया कि इस भूमि
वहाँ के उद्योगपतियों एवं प्राईवेट बिल्डर्स यदि वे माँगे त
निम्न प्रकार से निस्तारित किया जावे :-

अ- यदि अविकसित भूमि दी जाती है तो निम्न दरों
दी जा सकती है :-

क- भूमि की लागत - जिसमें कुँए पक्के मकानों
का मुआवजा व किसानों को दिया जाने पा
ब्याज सम्मिलित होगा ।

ख- मुआवजे की तिथि से अब तक का 18 प्रतिशत
दर से ब्याज ।

ग- उपरोक्त राशि पर 20 प्रतिशत की दर से प्रशा
व्यय ।

ब- यदि पेरीफेरियल डवलपमेन्ट कर भूमि दी जाती है तो
निम्न निर्णय लिये जावे :-

क- उपरोक्तानुसार जमीन की लागत - पेरीफेरियल
डवलपमेन्ट चार्ज + ओवर हेड ।

स- यदि विकसित प्लाट दिये जाते हैं तो ये बोर्ड के नियमा
आरक्षित दर पर होगें ।

इसी संदर्भ में निर्णय लिया गया कि परशुरामपुरिया सिन्थेटिक्स
जिसने उक्त भूमि लेने की मंशा जाहिर की है, को उपरोक्तानुसार
प्रस्ताव भेज दिया जावे ।

167

41 उच्च आयवर्ग के बोर्ड कर्मचारियों को मालवीया नगर सैक्टर-6 में आवंटित मकानों की जमीन की लागत के संबंध में ।

CAO
****
****

बोर्ड कर्मचारियों हेतु मालवीया नगर में 68 मकान मध्यम आयवर्ग-"ब" एवं 13 उच्च आय वर्ग के बनाये गये । 68 में से कई मकानों की लागत मार्च 90 में हो कर दी गई थी, शेष 13 मकानों का निर्माण भूमि संबंधी विवाद के कारण 93-94 में संभव हुआ । तदनुसार लागत भी 93-94 की लगाई गई । इसी तरह उच्च आयवर्ग के 13 मकानों का निर्माण कार्य ठेकेदार की धीमी गति के कारण जहाँ है, जैसे है, की लागत 1991 में की गई जिसमें भूमि की लागत 735/- रू0 प्रति वर्गमीटर लगाई गई ।

अतः प्रस्तावानुसार उच्च आय वर्ग के प्रकरण में भी भूमि की लागत मध्यम आयवर्ग - "ब" के मकानों (बिन्दु संख्या 168.5) के अनुसार लेने की मण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई ।

42 विशेष वसूली अभियान में वसूली कैम्प लगाने हेतु :-

& CAO
*****
*****

प्रस्तावानुसार आवंटियों से बकाया मासिक किश्तें वसूल करने हेतु एक माह का वसूली कैम्प लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई । उक्त अवधि में बकाया राशि पर दण्डनीय ब्याज में निम्नानुसार छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया :-

1-	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	75 प्रतिशत
2-	अल्प आय वर्ग	60 प्रतिशत
3-	मध्यम आय वर्ग-"अ"	50 प्रतिशत
4-	मध्यम आय वर्ग-"ब"	40 प्रतिशत
5-	उच्च आय वर्ग	25 प्रतिशत

उपरोक्त छूट एवं माफ के समय में कैम्प कार्यालय में नि
की गई मांग के अनुसार भांग पत्र जारी के अनुसार नि
तिथि तक कुल बकाया राशि जमा कराने वाले को दो

168.43 Revision of Financing Pattern.

Dy. H.C.(P&M)

हुड्को द्वारा दिनांक 9.11.94 से वर्तमान के वित्तीय दो
यथा ब्याज दर समय पर पुर्नभुगतान पर छूट एवं भूमि अवा
के पुर्नभुगतान अवधि आदि में संलग्न विवरणानुसार संशोध
किया है। मण्डल द्वारा तदनुसार संशोधन की स्वीकृति प्र
की गई।

168.44 श्री प्रहलाद राय जेवरिया को उनके द्वारा जमा कराई गई
लौटाने अथवा उनकी पुत्री को आवास आवंटन के संबंध में :-

C.E.M.

श्री प्रहलाद राय जेवरिया को 1993 में लाटरी द्वारा मालवी
नगर में मकान नंबर 13/102 आवंटित किया गया था, जिसे
26-12-84 को परिवर्तित कर मकान नंबर 9/6 आवंटित किय
गया, क्योंकि पहले आवंटित मकान उनके आयवर्ग से कम का
था। मकान नंबर 9/6 का आवंटन पत्र जारी किया गया पर
उन्हें नहीं मिल सका क्योंकि संभवत: उनका वहाँ से स्थानान्तर
हो चुका था।

इसी बीच आवंटी ने पत्र लिखकर चाहा कि क्योंकि उन्हें जयपुर
विकास प्राधिकरण से एक प्लाट मिल चुका है, अत: पंजीकरण
उनकी माता के नाम हस्तान्तरित कर दिया जावे परन्तु उनकी
प्रार्थना पर निर्णय नहीं लेते हुए आवंटन रद्द कर दिया गया।

169

अब श्री जेवरिया ने फिर निवेदन किया है या तो पंजीकरण राशि मय ब्याज के दी जावे या पंजीकरण उनकी पुत्री के नाम हस्तान्तरित कर आवंटन किया जावे क्योंकि अब उनकी माताजी का देहान्त हो चुका है ।

विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि श्री जेवरिया यदि चाहते तो उनको प्लाट आवंटित होने तक आसानी से चुका सकते थे व मालवीया नगर में मकान लेकर लाभ उठा सकते थे, परन्तु ऐसा न कर लाभ लेना उचित नहीं समझा, पंजीकरण भी नियमानुसार हस्तान्तरित हो सकता था, यदि वे उपरोक्त तथ्य को नहीं छुपाते । इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें उनके पंजीकरण को बहाल कर इसे उनकी पुत्री के नाम परिवर्तित कर दिया जावे व निरस्तीकरण रद्द समझा जावे क्योंकि पूर्व में आवंटित मकान किसी दूसरे को आवंटित हो गया, अतः दूसरा मकान आवंटित किया जावे ।

168.45 Secretary ******** ********

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के दिनांक 1-8-92 से 3 अधिसंख्यक पद सृजित करने और इन्हें दिनांक 1-4-94 से नियमित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में ।

प्रस्तावानुसार मण्डल में दिनांक 1-4-92 से अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के 3 अधिसंख्यक पद सृजित करने एवं दिनांक 1-4-94 से नियमित किये जाने के संबंध में मण्डल के निर्णयों की पूर्वापेक्षा में की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया ।

168.46 Dy.H.C.-III

जवाहर नगर, जयपुर में फल सब्जी ठेलेवालों के साथ 19-9-94 को हुये समझौते की स्वीकृति बाबत :-

---

जवाहर नगर, जयपुर में फल सब्जी ठेलेवाले लोगों ने मण्डल की

...24

बहुमूल्य जमीन पर कब्जा कर रखा था । इन
ऐसे दुकानदारों को जिनको इस स्थान पर दुका
दी गई थी कब्जा नहीं दिया जा सकता था,
56 लाख रू0 की थी । मण्डल ने उक्त भूमि को
एवं नीलामी द्वारा लेने वालों को भूमि का कब्जा
सब्जी वालों एवं नगर पालिका से एक करार कि
ने भूमि खाली करवाने एवं अपने खर्चे से सड़क चौड़ी
चाहा कि नगर निगम इस भूमि पर बने अपने 6
तुड़वा दगा एवं इसके बदले बोर्ड 8 निर्मित किये
140 प्लेटफार्म में से बाकी बचे 17 प्लेटफार्म भी
इसके साथ ही फल सब्जी वालों से करार किया
आवंटित प्लेटफार्म की कुल लागत जो कि 24,600
गई है वही रहेगी एवं इस लागत में से 17,000/-
जमा करायेंगे व बाकी 2/3 छः माही किश्तों में
जायेगी जिस पर वे ब्याज नहीं देंगे । इस बात को
रखते हुए कि उक्त समझौते से 78 लाख रुपये की
जायेगी और ठेलेवालों से भी 17,000/-रू. प्रति
हिसाब से काफी राशि मिलेगी, विचार-विमर्श कर
लिया गया कि बोर्ड द्वारा नगर निगम एवं ठेलेवालों
गया करार की पुष्टि कर दी जावे । यह समझौता
विशेष प्रकरण मान कर स्वीकृत किया जा रहा है
प्रकरणों में आधार नहीं बनाया जावेगा ।

168.47
FA & CAO/
C.E.M.
*****
*****

सम्पति निस्तारण विनियम 1970 के नियम 8 में
प्राप्त राज्य सरकार के आदेशों के संदर्भ में निर्णय
- -

सम्पत्ति निस्तारण विनियम 1970 के नियम 8 में

168.48
Secretary/
to H
*****

आवंटन में आवेदकों से कीमत के संबंध में प्रस्तावानुसार निम्न प्रकार निर्णय लिया गया :-

1- जिन आवेदकों को पुराने (वर्ष 1992 से पूर्व) मकान आवंटित किये जा रहे हैं उनसे वर्ष 1992 की लागत वसूल की जावे एवं तत्कालीन किश्तें छूटकों की दर से ब्याज सहित वसूल की जावे ।

2- जिन स्थानों पर मकान उपलब्ध नहीं है एवं नये मकान दिये जा रहे है, उनसे वर्ष 1992 की भूमि लागत लेते हुये नवीन निर्माण लागत लादे जावे परन्तु भूमि लागत के पेटे अभी तक जो किश्तें बनती है उन्हें कब्जा देने से पूर्व छूटकों की ब्याज दर से वसूल की जावे ।

यह भी निर्णय लिया गया कि आवंटियों को उनके विकल्पानुसार किराया क्रय पद्धति/नकद भुगतान पद्धति पर मकान दिये जावे ।

168.48 Secretary/ T.A. to HC
****
****

परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) से परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) के पद पर पदोन्नति बाबत :-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-1 (1) डीओपी/ए/ दिनांक 28-6-1993 को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त आदेशों को राजस्थान में भी लागू करने हेतु निर्णय लिया गया ।

उक्त आदेशों के तहत ऐसे सभी परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) जो कि सीधी भर्ती से नियुक्त होने के काबिल हो, सीधीभर्ती के पदों पर पदोन्नति देने हेतु निर्णय लिया गया ।

इन सभी सीधी भर्ती वाले पदों पर उपरोक्त वर्ग के अभियन्ताओं की पदोन्नति के बाद भी कुछ पद बचे रहते हैं, उस पर सिविलोपाधारियों को पदोन्नति देने हेतु निर्णय लिया गया ।

....26

उपरोक्त निर्णय के अनुसार ऐसे डिग्रीधारी अभि[illegible] 5 वर्ष का अनुभव परिसंहेजनाद अभियन्ता के पद पर कर लिया है वे डिग्रीधारी जिन्होंने कनिष्ठ अभि[illegible] पद पर 12 से 15 वर्ष का अनुभव निर्धारित होने [illegible] कर लिया है को पदोन्नति देने हेतु स्वीकृति प्रदान [illegible] गई ।

यह आदेश केवल एक बार ही लागू होगें अर्थात सीधी भर्ती में खाली होने वाले पदों को सीधी भर्ती द्वारा ही जितने भी डिप्लोमाधारी इन पदों पर पदोन्नत [illegible] है उनके लिये भी यह व्यवस्था एक बारगी लागू होगी इन पदों को भविष्य में पदोन्नति से होने वाले खाली में समायोजन कर लिया जावेगा ।

168.49 Secretary P.M.

श्री [illegible] शर्मा, अभिलेखाधिकारी को पदोन्नति के प्रस्तावानुसार सहायक निदेशक (अभिलेख) का एक पद वे 2200 - 4000 में सृजित करने का निर्णय लिया गया । निदेशक के पद के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित [illegible] एवं कार्यभार निर्धारित किये जाने का भी निर्णय लिया एवं श्री रतनलाल शर्मा, अभिलेख अधिकारी को इस पद पर किये जाने की सहमति संचालक मण्डल द्वारा दी गई ।

168.50 Secretary F.A.& CAO

वित्तीय नियमों एवं कार्मिक नियमों के संबंध में :-

प्रस्तावानुसार वर्तमान स्थिति के लिये आर० एस० आर० एवं वित्तीय नियमों के लिये जी० एफ० ए० आर० तथा पी० डब्लू० डी० एफ० ए० आर० के नियमों के पालन की स्वीकृति प्रदान की गई ।

T.A. Secr

.....2

राजस्थान आवासन मण्डल::जयपुर ।

राजस्थान आवासन मण्डल की 169 वीं बैठक दिनांक 27.1.95 को आयोजित की गयी । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	श्री एन.के.वर्मा, सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा अध्यक्ष, रा.आ.मंडल	अध्यक्ष
2.	श्री अब्दुल मतीन, आवासन आयुक्त	सदस्य
3.	श्री सी.एस.मेहता, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार	सदस्य
4.	श्री मोहम्मद मियाँ	सदस्य
5.	श्री बनवारी लाल दुसाद	सदस्य
6.	श्री गणपत वर्मा	सदस्य
7.	श्री हीरा लाल कटारिया	सदस्य
8.	श्री बाबूलाल कुमावत	सदस्य
9.	श्री बी.एस.सोईन, क्षेत्रीय प्रमुख हुडको	सदस्य
10.	श्री बी.एन.मूलचन्दानी, मुख्य अभियंता	सदस्य
11.	श्री भरतलाल बी.परमार, सचिव	सदस्य-सचिव

बैठक में श्रीमती पंकज पाटनी, वि.स.एवं मुख्यलेखाधिकारी भी उपस्थित थी ।

169.1 F.A & C.AO — मण्डल के बजट अनुमान 1995-96 एवं संशोधित अनुमान 94-95

मुख्यलेखाधिकारी ने मण्डल के वर्ष 1995-96 एवं संशोधित अनुमान 94-95 के संबंध में वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों, वित्तीय प्रतिभूतियों ऋण सहित, राजस्व वसूली एवं भूमि अवाप्ति के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी ।

विचार विमर्श के पश्चात् प्रस्तुत बजट अनुमान वर्ष 95-96 एवं संशोधित अनुमान वर्ष 94-95 का अनुमोदन किया एवं राजस्व वसूली की प्रगति पर संतोष प्रकट किया ।

.....2

T.A TO H.C
F.A& C.A.O
D.H.C JODHPUR

169.2 आवासन मण्डल, जोधपुर वृत द्वारा वर्ष 1992 में जीते गये पुरस्कार की राशि के वितरण के संबंध में ।

राजस्थान आवासन मण्डल के जोधपुर वृत ने हुडको एवं हरिओम ट्रस्ट नडियाद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अल्प कीमत के मकान बनाने की प्रतियोगिता "अरबन 1992" में भाग लेकर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया था । पुरस्कार स्वरूप 30,000/-रू. का चैक एवं शील्ड मण्डल को प्राप्त हुई ।

मण्डल ने पहले भी कई बार ऐसे पुरस्कार जीते है, एवं इन्हें संबंधित अधिकारियों को ही बाटें जाते रहे है । पुरस्कार की राशि को संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों में बाटें जाने के संबंधित उक्त प्रस्ताव पर मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि राजस्थान आवासन मण्डल के रजत जयन्ती समारोह के उद्घाटन दिवस पर उक्त पुरस्कार प्रस्तावानुसार वितरित किये जाये ।

C.E.M
ALL C.H

169.3 मण्डल में कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित संवर्ग में सम्मिलित किये जाने बाबत ।
F.A& C.A.O

प्रकरण में विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि ऐसे वर्कचार्ज कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान लागू कर दिया जावे । वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित करने के प्रस्ताव को राज्य सरकार के आदेशानुसार बोर्ड में मानने हेतु सहमति दी गई ।

इस संबंध में यह भी तय किया गया कि राज्य सरकार के दूसरे इंजीनियरिंग विभागों में, जैसे सार्वजनिक निर्माण, जलदाय एवं सिचाई विभाग आदि में इन आदेशों के बारे में कुछ प्रक्रिया

....3

अपनाई गई होगी । स्वायत शासन विभाग द्वारा भी इस संबंध में कुछ निर्णय किये गये है, अत: इन विभागों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुये, बोर्ड में भी विस्तृत नियम बना दिये जायें । मुख्य लेखाधिकारी इन नियमों को तुरन्त बना कर एक माह के अन्दर-अन्दर अध्यक्ष महोदय से स्वीकृत करा कर लागू करने की व्यवस्था करें ।

169.4
C.E.M
ALL D.H.C

मण्डल द्वारा नकद भुगतान पर आवंटित मकानों को किराया क्रय पद्धति में परिवर्तन हेतु जारी आदेशों के संबंध में ।

पिछले आवंटन में, जिन्हें उनके बिना विकल्प दिये गये नकद भुगतान पर मकान आवंटित कर दिये गये थे, उनके संबंध में निर्णय किया गया था कि यदि ऐसे आवंटी अपना विकल्प बदलना चाहते है तो उनके विकल्पानुसार, उन्हें किश्तों पर मकान दिये जावे । इस निर्णय के क्रियान्वयन में ऐसे आवेदकों को जिन्होनें सीड्मनी जमा नहीं कराई थी, वरीयता ऊपर होने के कारण, नीची वरियता वाले आवंटियों को संशोधित आवंटन पत्र जारी नहीं हो पा रहे थे ।

अत: निर्णय लिया गया कि सभी जगह पर्याप्त संख्या में आवंटी उपलब्ध होने के कारण उपरोक्त सभी आवंटियों को बिना वरीयता का ध्यान में रखते हुए संशोधित आवंटन पत्र जारी कर दिये जायें । उनसे कब्जे के पहिले मांगी गई राशि, सामान्य आवेदकों से 10 % अधिक ली जाये ।

शेष आवेदक जिन्होनें सीड्मनी जमा नहीं कराई थी, उनके लिये निर्णय किया गया कि ऐसे सभी आवेदकों को दुबारा सीड्मनी पत्र जारी किए जायें जिनमें स्पष्ट उल्लेख हो कि मकान उनके

विकल्पानुसार ही दिये जायेगें । सीड्मनी आते ही उन्हें आवंटित निरस्त आवासों का नियमानुसार आवंटन किया जाये ।

169.5
C.E.M
ALL D.H.C

मकानों का एक योजना से दूसरी योजना में हस्तान्तरण के संदर्भ में ।

ऐसे प्रकरण आ रहे है, जिनमें आवंटी, पूर्व आवंटित मकान को एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी या उसी कॉलोनी में दूसरा मकान आवंटित करने हेतु अध्यक्ष महोदय से निवेदन कर रहे है । मकानों के निस्तारण हेतु ऐसे प्रकरण पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेने हेतु सम्पति आवंटन समिति को अधिकृत किया गया । इस स्थिति में आवंटी का पिछला आवंटन निरस्त होने के कारण, पंजीकरण निरस्त नहीं किया जायेगा ।

तदुपरान्त अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

सचिव

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर

राजस्थान आवासन मंडल की 170वीं बैठक दिनांक 15.9.95 को सम्पन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1. श्री सत्य नारायण गुप्ता, अध्यक्ष, राज. आवासन मंडल : अध्यक्ष
2. श्री एन. एन. नरहरि, आवासन आयुक्त : सदस्य
3. श्री सी. एस. मेहता, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान : सदस्य
4. श्री एम. एल. गुप्ता, उप शासन सचिव, वित्त सचिव, राज. सरकार के प्रतिनिधि : सदस्य
5. श्री मोहम्मद मियां : सदस्य
6. श्री गणपत वर्मा : सदस्य
7. श्री बन्वारी लाल दुसाद : सदस्य
8. श्री हीरा लाल कटारिया : सदस्य
9. श्री बाबू लाल कुमावत : सदस्य
10. श्री बी. एस. सोईन, क्षेत्रीय प्रमुख, हुडको : सदस्य
11. श्री एस. डी. जैन, सचिव : सदस्य सचिव

बैठक में श्रीमती पंकज पाटनी, वि. स. एवं मुख्यलेखाधिकारी भी उपस्थित थी ।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष श्री एन. के. वर्मा के कार्य-काल में उनके द्वारा दिये गये मार्ग-दर्शन एवं सराहनीय कार्य के लिये धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया तथा नये अध्यक्ष श्री सत्यनारायण गुप्ता का स्वागत किया गया । साथ ही राज्य सरकार द्वारा 15 अगस्त, 95 को जिन मंडल अधिकारियों को सम्मानित किया गया है उस संबंध में राज्य सरकार के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया ।

कार्यवाही का विवरण

170.1 मंडल की 168वीं एवं 169वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि:-

...2.

प्रस्तावानुसार बिन्दु संख्या 168.47, 168.48 और 168.52 के निर्णयों में संशोधन निमित्त प्रसारित संशोधित आदेश परि "अ" की पुष्टि सहित अन्य कार्यवाही की भी पुष्टि की गई

170.2 मंडल की 168वीं एवं 169वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन:-

मंडल की 168वीं एवं 169वीं बैठक के निर्णयों के क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया । बिन्दु संख्या 168.53 की क्रियान्विति रिपोर्ट के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया कि राजस्थान आवासन मंडल की रजत जयन्ती के उपलक्ष्य में मंडल द्वारा एक स्मारिका प्रकाशित की जाए, जिसमें बोर्ड की गति विधियों, आदि का लेख प्रकाशित किया जाए और पूर्व के अध्य एवं मंडल से जुड़ी संस्थाओं को सम्मानित किया जाए । इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या 168.54 के संबंध में यह निर्देश दिये गये कि आन्तरिक मूल्यांकन संबंधी पूर्ण विवरण निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जाए ।

170.3 मंडल के पास विभिन्न शहरों में उपलब्ध अतिरिक्त भूमि को निर्मित मकान के बजाय विकसित आवासीय भूखण्ड के रूप में आवंटित करने बाबत:-

Secy/LAD / ACE (P&M)

प्रस्तुत प्रकरण में विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्यक्रम पर सैद्धान्तिक सहमति है । परन्तु कार्यवा से पूर्व यह परम आवश्यक है कि प्रस्ताव में अंकित स्थानों पर जो भवन बने हुये है, जहाँ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है, जहाँ ऐसे विकसित भूखण्ड तैयार कर दिये गये है उनकी समीक्षा आवश्यक

से की जाए और वांछित सूचना संबंधित वृत्त कार्यालयों व खण्ड कार्यालयों से आवश्यक रूप से प्राप्त की जाए ऐसी सूचना प्रत्येक क्षेत्र की पृथक-पृथक तैयार की जावेगी, जिससे कि सही मूल्यांकन हो सके । प्रकरण की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

1.	मुख्य अभियंता, राज. आवासन मंडल	: अध्यक्ष
2.	मुख्य नगर नियोजक	: सदस्य
3.	श्री बी. एल. दुसाद	: सदस्य
4.	श्री गणपत वर्मा	: सदस्य
5.	श्री बी. एल. कुमावत	: सदस्य
6.	श्री ए. एस. शर्मा, अति. मुख्य अभियंता	: संयोजक

संबंधित क्षेत्र से विस्तृत सूचना उपलब्ध होने के उपरान्त उक्त समिति परीक्षण कर अपना प्रतिवेदन अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करेंगी ।

170.4 राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी कल्याण कोष की अंशदान राशि रु. 30,000/- से बढ़ाकर रुपये 50,000/- करने के क्रम में:-

A & CAO

प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी कल्याण कोष की अंशदान राशि 30,000/- रुपये से बढ़ाकर रुपये 50,000/- वर्ष 1995-96 से उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

170.5 कम्प्यूटर पर कार्य करने के लिये स्टेनोग्राफर, निजी सहायक, वरिष्ठ निजी सहायक को प्रोत्साहन राशि देने बाबत:-

ACE (P&M)

कम्प्यूटर पर कार्य करने के लिये स्टेनोग्राफर, निजी सहायक, वरिष्ठ निजी सहायक को प्रोत्साहन राशि देने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के माप-दण्ड के अनुसार

...4.

प्रोत्साहन राशि दी जाए । प्रस्तुत प्रस्ताव में बिन्दु संख्या
यह निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्ष
निदेशक, कम्प्यूटर या हरीशचन्द्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्था
से प्रशिक्षण संबंधित कार्य कराया जावे ।

इसी प्रकार बिन्दु संख्या 3 पर यह निर्णय लिया गया कि
कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाना है, उनकी संख्
योग्यता एवं पात्रता को अति. मुख्य अभियंता पी. एण्ड एम.
प्रस्तुत सूची की समीक्षा एवं अनुमोदन आवासन आयुक्त द्वारा
जावेगा ।

170.6 Sponsoring Shri B.N. Moolchandani, Addl. Chief Engineer for 1½ year correspondance course in " Construction Management" to be organised by Delhi Productivity Council. CAO

TA to HC

प्रस्तावानुसार श्री बी.एन. मूलचन्दानी, अति. मुख्य अभियंता को
डेढ़ वर्षीय पत्राचार पाठ्यक्रम कन्सट्रक्शन मैनेजमेंट में करने के लिये
कुल रु. 5,500/- की राशि उनके द्वारा व्यय करने के पश्चात् मंडल
के रिसर्च फण्ड में से पुनर्भरण किये जाने का निर्णय लिया गया ।

170.7 सम्पत्ति निस्तारण विनियम 1970 धारा 8(ए) के तहत प्राप्त
राज्य सरकार के आदेशों के संदर्भ में निर्णय लेने बाबत:-

FA & CAO/ C.E.M.

उक्त बिन्दु के क्रम में 170.1 के परिशिष्ठ"अ" के अनुसार शुद्धि
पत्र दिनांक 17.2.95 को जारी किया जा चुका है, अत: किये
गये संशोधन का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

170.8 मंडल में कम्प्यूटरीकरण हेतु पदों एवं वेतनक्रम का सृजन:-

Secy/ACE(P&M)

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा-उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि

...5

पदों के सृजन की स्वीकृति दी जाती है परन्तु:-

1. सिस्टम एनालिस्ट, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर तथा प्रोग्रामर के पदों का कार्य वर्तमान में अनुबन्ध के आधार पर या प्रतिनियुक्ति के आधार पर पूर्ण कराया जायें ।

2. कनिष्ठ प्रोग्रामर कम ऑपरेटर एवं डेटा एण्ट्री ऑपरेटर के पदों से संबंधित कार्य वर्तमान में मंडल के उपलब्ध कर्मचारियों से पूर्ति-उपरान्त कराया जावे ।

170.9 चयनित वेतनमान देने बाबत:-

CAO

राजस्थान आवासन मंडल के कर्मचारियों को चयनित वेतनमान देने के लिये मंडल की 163वीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि ब्यूरो आफ पब्लिक एण्टरप्राइजेज की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् आदेश प्रसारित कर दिये जाए । मंडल द्वारा ब्यूरों की स्वीकृति कुछ संवर्गों में प्राप्त होने पर आदेश जारी कर दिये गये है किन्तु लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, सहायक, कनिष्ठ ड्राफ्टमैन के संबंध में ब्यूरों की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है । उक्त सीधी भर्ती के नियुक्त कर्मचारियों को चयनित वेतनमान का लाभ कुछ निगमों/बोर्डों में भी बिना ब्यूरों की स्वीकृति के दे दिया गया है एवं राजस्थान आवासन मंडल में भी अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के पश्चात् उक्त संवर्गों के लिये चयनित वेतनश्रृंखला प्रदान करने के लिये आदेश दिनांक 26.8.95 को जारी कर दिये गये है । जिनकी मंडल द्वारा पुष्टि की गई । साथ ही इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि लेखाकार की तृतीय वेतन श्रृंखला 27 वर्ष की निरन्तर सेवावधि पूर्ण होने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनश्रृंखला ही दी जाय । बोर्ड के वर्तमान जारी आदेशानुसार नहीं ।

170.10 सांगानेर योजना में ग्राम देहलावास की अवाप्त भूमि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु पी.एच.ई.डी. को आवंटन करने के संबंध में

Secretary/ LAO

सांगानेर योजना में ग्राम देहलावास की अवाप्त भूमि सीवरेज -ट्रीटमेंट प्लांट हेतु पी.एच.ई.डी. को देने हेतु मंडल को यह बताया गया कि उक्त भूमि के बदले डेढ़ करोड़ रुपये की राशि पी.एच.ई.डी. द्वारा मंडल कोष में जमा करवा दी गई है, अतः बकाया राशि प्राप्त करके शेष भूमि भी देने की सहमति प्रदान की गई ।

170.11 Authorising Chairman RHB to app-rove raising of loans and issuing Administrative & Financial (A&F) sanction for various schemes.

Dy.HC(P&M)

विभिन्न आवासीय योजनाओं हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये एवं इनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु 31.3.91 तक अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया । तत्पश्चात् समग्र प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जो अध्यक्ष महोदय द्वारा इस वित्तीय वर्ष में दी जायेंगी बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया ।

170.12 नियमितिकरण पर वसूलने योग्य प्रशासनिक व्यय राशि:-

FA & CAO/ C.E.M.

प्रस्तावानुसार नियमितिकरण के मद में होने वाले व्यय की राशि को संबंधित आवंटी से वसूल करने का निर्णय लिया गया और उक्त राशि प्रशासनिक व्यय के नाम से जानी जायेगी एवं नियमित किये जाने वाले मकान के आवंटनपत्र की मूल राशि के एक प्रतिशत के बराबर होगी एवं आवंटी से इस राशि की वसूली बकाया नहीं

प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व ही की जायेगी । नियमितिकरण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा 31.3.95 तक स्वीकृति दी थी, अत: राज्य सरकार से अनुरोध किया जावे कि उक्त अवधि को बढ़ाने का निवेदन किया जाय ।

170.13 पदों के सृजन/क्रमोन्नत किये जाने हेतु अनुमोदन बाबत:-

तत्कालीन अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के पश्चात् मंडल के निर्णय की पूर्व-अपेक्षा में निम्न पदों का सृजन किया गया:-

कार्यालय आदेश क्रमांक/दिनांक	पद नाम	पदों की संख्या
3118/2.6.95	परियोजना अभियंता(व.) के नये पद	05
3338/18.7.95	नये पद लेखाधिकारी	03
3338/18.7.95	सहायक लेखाधिकारी के पदों को लेखाधिकारी के पद पर क्रमोन्नत	03

उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि पदों के सृजन/क्रमोन्नत के संबंध में औचित्यपूर्ण तथ्यात्मक विवरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए ।

170.14(अ) दिनांक 30.12.94 को सम्पन्न हुई सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि:-

दिनांक 30.12.94 को सम्पन्न हुई सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों का अवलोकन कर पुष्टि की गई ।

170.14(ब) दिनांक 9.3.95 को सम्पन्न हुई सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि:-

....8.

दिनांक 9.3.95 को सम्पन्न हुई सम्पत्ति आवंटन समि
बैठक में लिये गये निर्णयों का अवलोकन कर पुष्टि की गई

170.15 Issuing of Block State Govt.Gurantee for Rs.50.00 crore by Govt.of Rajasthan in favou of Raj.Housing Board for taking loans from HUDCO for the year 1995-96.

Dy.HC(P&M)

राज्य सरकार से 50 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करने हेतु गारंटी एवं तद्नुरूप हुडको से ऋण लेने हेतु वर्ष 95-96 के लि स्वीकृति प्रदान की गई एवं ऋण प्रपत्रों का निष्पादन करने लिये तथा ऐसे संबंधित पत्रादि निष्पादित करने के लिये मुख अभियंता को अधिकृत किया गया।

170.16 Issuing of Block Administrative and Financia sanction by the Govt.of Rajasthan in favour o Raj.Housing Board for taking loan from HUDCO for the year 1995-96.

Dy.HC(P&M)

विभिन्न आवासीय योजनाओं हेतु हुडको से 50 करोड़ रुपये ऋण प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव वर्ष 95-96 के लिये राज्य सरकार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया

170.17 कन्वेंश एवं माइलेज चार्जेज की दरों में संशोधन बाबत:-

FA & CAO

राजस्थान आवासन मंडल में कन्वेंश एवं माईलेज चार्जेज का भुगता राजकीय उपक्रम ब्यूरों, राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किया जाता है। राजकीय उपक्रम विभाग के आदेश दिनांक 3.4.95 के अनुसार मंडल में भी उपरोक्तानुसार संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई।

170.18 Payment of Medical Exp. & fair by Air incurred by Sh. M.L.Dubey, Addl.C.E. for the treatment of his wife Smt. Pushpa Dubey.

आचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, जयपुर की अभिशंषा दिनांक 16.11.93 के द्वारा श्री एम.एल.दुबे, अति.मुख्य अभियंता ने उनकी पत्नी श्रीमती पुष्पा देवी को स्वास्थ्य परामर्श एवं चिकित्सा हेतु विशेष परिस्थितियों में वायुयान यात्रा की थी और उक्त यात्रा एवं चिकित्सा संबंधी व्यय 14,606/-रु. श्री दुबे द्वारा वहन किया गया था । मंडल के प्रचलित नियमों में रोगी को वायुयान द्वारा यात्रा करने का प्रावधान नहीं है । चूँकि श्रीमती पुष्पा दुबे का स्वास्थ्य विपरीत स्थिति में था, अतः उनकी वायुयान की यात्रा अपरिहार्य थी । चिकित्सा नियमों में शिथिलता देते हुये श्री दुबे को उक्त यात्रा एवं चिकित्सा पर व्यय की गई राशि रु.14,606/- के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

170.19 Loan assistance of Rs.207.01 lacs from the Bank of Rajasthan Ltd.for the construction of 104 houses Phase-6, Sector-7, Mansarovar, Jaipur.

C(P&M)

मानसरोवर योजना में उच्च आय वर्ग के 104 मकानों के निर्माण हेतु फेज 6 सेक्टर 7, मानसरोवर योजना हेतु राजस्थान बैंक से 207.01 लाख रुपये का ऋण बैंक की सामान्य शर्तों पर लेने हेतु अति.मुख्य अभियंता, पी.एण्ड एम. को ऋण-प्रपत्रों को निष्पादन करने हेतु अधिकृत किया गया । अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पी.एण्ड एम. मंडल के किसी सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में पत्रादि का निष्पादन करेंगे । उक्त योजना हेतु रुपये 255.71 की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी करने का भी निर्णय लिया गया ।

170.20 बोर्ड में अभिलेख अधिकारी के पद को सहायक निदेशक(अभिलेख) क्रमोन्नत बाबत:-

Secretary/
Sr.P.M.

मंडल में सृजित अभिलेख अधिकारी का पद(वेतन श्रृंखला 2000-32 को सहायक निदेशक (अभिलेख) वेतन श्रृंखला 2200-4000 में क्रमो करने का निर्णय लिया गया ।

170.21 राज्य सरकार के आदेश संख्या प7(6)नविआ/3/94, दिनांक 17.9.94 में शिथिलता के लिये निवेदन करके मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के मकान किराया क्रय पद्धति में आवंटन की अनुमति लेने के विषय में:-

TA to HC/
CEM

मंडल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर गहन विचार-विमर्श किया जिसमें अवगत कराया गया कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.9. द्वारा बोर्ड को यह आदेश दिये गये कि वह आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के आवेदकों को 80 प्रतिशत मकान किराया क्रय पद्धति पर एवं 20 प्रतिशत मकान नगद भुगतान पद्धति पर आवंटित करें एवं मध्यम आय वर्ग "अ", "ब" एवं उच्च आय वर्ग में 55 प्रतिशत किराया क्रय पद्धति तथा 45 प्रतिशत मकान नगद भुगतान पद्धति पर । इसके साथ यह रोक लगाई कि "जब तक किराया क्रय पद्धति एवं नकद भुगतान पद्धति का अनुपात 55:45 हो जाता है तब तक मध्यम आय वर्ग अ, ब एवं उच्च आय वर्ग में मकान का आवंटन नकद भुगतान पद्धति पर ही करें ।"

विचार-विमर्श के पश्चात् मंडल की ये राय रही कि यद्यपि ये आदेश बोर्ड की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये बहुत उपयोगी है, परन्तु बोर्ड के पास उपलब्ध अनिस्तारित मकानों की संख्या को देखते हुये यह योजना विशेष लाभकारी साबित नहीं हुई । इसके अतिरिक्त हमारे पास बहुत अधिक संख्या में किराया क्रय पद्धति के

...1

आवेदक प्रतीक्षारत है । इस कारण बोर्ड की जनता में छवि पर भी विपरीत असर पड़ रहा है । माननीय उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न आदेशों में कहा है कि वर्ष 1992 के पहले के पंजीकृत आवेदकों को उनके मूल विकल्प के अनुसार ही मकान दिये जायें । राज्य सरकार के वर्तमान आदेशों के कारण इस तरह के लंबित प्रकरणों पर भी निर्णय नहीं हो पा रहा है और बोर्ड के विरूद्ध अवमानना याचिकाएँ प्राप्त होती है

मंडल की सम्पत्ति के निस्तारण के अथक प्रयासों के उपरान्त भी अनिस्तारित सम्पत्ति पड़ी हुई है । मंडल के पास बड़ी संख्या में फ्लेट्स भी उपलब्ध है ।

अतः ये निर्णय लिया गया कि पूर्व की भाँति मध्यम आय वर्ग अ, ब एवं उच्च आय वर्ग में आवंटन का अनुपात नगद भुगतान एवं किराया क्रय पद्धति में क्रमशः 45:55 किया जावे । परन्तु यदि नगद भुगतान पद्धति में वाँछित संख्या में आवेदक उपलब्ध न हो तो उन मकानों को किराया क्रय पद्धति से वर्ष अनुसार वरीयता के आधार पर निस्तारित कर दिया जावे । तथा राज्य सरकार के आदेश दिनाँक 17.9.94 में शिथिलीकरण हेतु राज्य सरकार को निवेदन कर दिया जावे ।

170.22 विद्युत प्रकोष्ठ को विद्युत खण्ड (वर्किंग डिविजन) में परिवर्तन के क्रम में नवीन पद सृजन हेतुः-

Secretary

प्रस्तावानुसार विद्युत प्रकोष्ठ को विद्युत खण्ड (वर्किंग डिविजन) में परिवर्तन करने के क्रम में नवीन पदों के सृजन हेतु मंडल के निर्णय की पूर्व-अपेक्षा में अध्यक्ष महोदय से अनुमोदित निम्न पदों का कार्यालय आदेश दिनाँक 28.7.95 जारी किया गया, जिसका मंडल द्वारा अनुमोदन किया गया ।

लेखाकार	- एक
कनिष्ठ लेखाकार	- तीन
कनिष्ठ सहायक	- दो
हैल्पर	- एक

170.23 श्री कैलाश चन्द उत्तमचन्दानी, कनिष्ठ लेखाकार के राज्य बाहर इलाज के मेडिकल भुगतान बाबत:-

Secretary/ FA & CAO

जोधपुर के राजकीय अस्पताल में कोई न्यूरो विभाग नहीं कारण निजी न्यूरो चिकित्सक ने बीमारी की गंभीरता को हुये बंबई के बाम्बे हास्पिटल से इलाज कराने की सिफारिश है और उसी के अनुसार श्री कैलाश उत्तमचन्दानी, कनिष्ठ लेखाकार ने अपना ईलाज बाम्बे हास्पिटल में कराया और उनके द्वारा व्यय की गई 21,678.75/-रुपये की चिकित्सा राशि के पुर्नभरण की स्वीकृति प्रदान की गई ।

170.24 Loan assistance of Rs. 74.65 lacs from HUDCO for the construction of MIG HS Ph-3, Shivaji Nagar Extension Dungerpur (Scheme No.12613).

Dy.HC(P&M)

शिवाजी एक्सट्रक्शन योजना डूंगरपुर (स्कीम नं. 12613) में मध्यम आय वर्ग के 112 मकानों के निर्माण हेतु हुडको की सामान्य शर्तों पर 74.65 लाख रुपये का ऋण लेने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई । साथ ही अति. मुख्य अभियंता, पी. एण्ड एम को हुडको से ऋण प्रपत्रों पर अनुबन्ध करने हेतु अधिकृत किया गया । अतिरिक्त मुख्य अभियंता (पी. एण्ड एम.) मंडल के किसी सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में पत्रादि का निष्पादन करेंगे । उक्त योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रू. 104.51 लाख की जारी करने का भी निर्णय लिया गया ।

170.25 पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त करने पर वेतन वृद्धि देने बाबत:-

etary
S to CM.

मंडल कर्मचारी द्वारा पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त करने पर उन्हें कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाय या राज्य सरकार के नियमानुसार वेतन - वृद्धि दी जाय इसके संबंध में निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया जाता है ।

170.26 राजस्थान आवासन मंडल में राज्य सरकार द्वारा सीधी भर्ती में अन्य पिछड़े वर्ग हेतु किये गये संशोधन के अनुसार आरक्षण बाबत:-

etary

मंडल को बताया गया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार अनु. जाति/जनजाति के अभ्यार्थियों के लिये भर्ती एवं पदोन्नति हेतु आरक्षित कोटे का दिनांक 9.7.85 के आदेशानुसार 100 प्वाइंट रोस्टर संधारित किया जा रहा है । राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 26.2.94 द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के लिये भी सीधी भर्ती हेतु रोस्टर में संशोधन किया है, अत: निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के संशोधित 100 प्वाइंट रोस्टर में पिछड़ी जाति के अभ्यार्थियों के लिये भी राज्य सरकार के अनुरूप लागू किये जाने का निर्णय लिया गया ।

170.27 अ मंडल द्वारा निर्मित दुकानों के निस्तारण हेतु:-

etary/
to HC

राजस्थान आवासन मंडल द्वारा निर्मित एवं अनिस्तारित दुकानों के निस्तारण हेतु नीलामी द्वारा निष्पादन करने की सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति दी गई और इस हेतु जयपुर शहर/अन्य शहर के लिये प्रस्तावानुसार निम्न समिति गठिन की गई:-

जयपुर शहर के लिये

1. अध्यक्ष महोदय द्वारा मनोनीत मंडल सदस्य

2. अति. मुख्य अभियंता, द्वितीय
3. वि. स. एवं मुख्यलेखाधिकारी
4. उप आवासन आयुक्त

जयपुर के अतिरिक्त अन्य शहर के लिये

1. एक बोर्ड सदस्य अध्यक्ष महोदय द्वारा मनोनीत
2. संबंधित अति. मुख्य अभियंता
3. संबंधित उप आवासन आयुक्त
4. वि. स. एवं मुख्यलेखाधिकारी या उनका प्रतिनिधि जो वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद से कम नहीं हो ।

170.27(ब) मंडल द्वारा निर्मित दुकानों के निस्तारण हेतु:-

जवाहर नगर क्षेत्र में अनिस्तारित फ्लेट तथा दुकानों के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

Secretary/
TA to HC

1. फ्लेट्स निस्तारण के संबंध में:-

इस संबंध में निर्णय लिया गया कि फ्लेट की बिक्री के समय आवेदक से 40 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल की जायेगी और सम्पूर्ण शेष राशि आवेदक से प्रचलित ब्याज दर सहित 10 वर्ष की मासिक किश्तों में वसूल की जायेगी ।

2. दुकानों के निस्तारण के संबंध में:-

इस संबंध में निर्णय लिया गया कि क्रेता को प्रथम स्तर पर कुल मूल्य का 40 प्रतिशत मूल्य एक मुश्त जमा कराना होगा और शेष राशि प्रचलित ब्याज दर सहित 5 वर्ष में मासिक किश्तों में भुगतान करनी होगी ।

उक्त फ्लेट एवं दुकानों का निस्तारण विशिष्ठ पंजीकरण योजना के अंतर्गत किया जायेगा ।

...15

170.28 राजकीय व्यय में मितव्ययता:-

CAO वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने अपने परिपत्र दिनाँक 4 जुलाई, 95 के अनुसार राजकीय उपक्रमों को वर्ष 95-96 में विभिन्न मदों पर व्यय में मितव्ययता करने एवं निर्देशों की पालना की अपेक्षा की है । प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

170.29 वित्तीय नियमों एवं कार्मिक नियमों के संबंध में:-

CAO प्रस्तावानुसार मंडल की 168वीं बैठक में लिये गये निर्णय संख्या 168.50 में यह संशोधन किया गया कि जिस संबंध में मंडल के स्वयं के नियम बने हुये है वहाँ मंडल के नियमों की ही पालना की जावे तथा इनके अलावा यदि जहाँ मंडल के नियम नहीं है तो राज्य सरकार के सेवा नियम एवं वित्त नियमों के लिये जी.एफ. एण्ड ए.आर. तथा वर्क्स के लिये पी.डब्लू.एफ.एण्ड ए.आर. के नियमों के अनुरूप पालना की जावे ।

170.30 वर्ष 1994-95 की भूमि एवं विकास दर वर्ष 95-96 के लिये स्थिर करने के क्रम में:-

& CAO प्रस्तावानुसार आनसरोवर योजना में भूमि की दर 460/-रु. प्रति वर्ग मीटर मध्यम आय वर्ग"अ" के मकानों के लिये वर्ष 95-96 के लिये स्थिर की गई । प्रस्तावानुसार अन्य योजनाओं के लिये सम्पूर्ण राजस्थान हेतु भी भूमि एवं विकास दर जो वर्ष 94-95 के लिये भी स्थिर की गई है वर्ष 95-96 के लिये भी स्थिर किया जाने का निर्णय लिया गया ।

170.31 लागत एवं वित्त समिति की बैठक दिनाँक 15.2.95, 8.5.95 एवं 16.8.95 के अनुमोदन हेतु:-

& CAO दिनाँक 15.2.95, 8.5.95 एवं 16.8.95 को आयोजित लागत

एवं वित्त समिति की बैठकों में लिये गये निर्णयों का अनुमो
कर पुष्टि की गई ।

170.32 मंडल कर्मचारियों को अंतरिम राहत दिये जाने के संबंध में:-

FA &CAO राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप ही मंडल के कर्मचारियों को
अंतरिम राहत दिये जाने हेतु क्रमांक 254, दिनांक 4.9.95
कार्यालय आदेश जारी किये गये है, जिसका मंडल द्वारा अनुमो
किया गया ।

170.33 वाहन चालक के सीधी भर्ती के दो पद पदोन्नति में परिवर्तन
अतिरिक्त पद सृजन हेतु:-

Secretary वाहन चालक के सीधी भर्ती के दो पद पदोन्नति में परिवर्तित
एवं 4 नये पद सृजित करने के क्रम में प्रस्तुत प्रस्ताव पर गहन
विमर्श करके यह निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में कुल
संख्या व उन पर कार्यरत वाहन चालकों के नाम सहित विस्तृत
विवरण प्रस्तुत किया जाय ।

170.34 दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी श्रीमती पुष्पा पिल्लई को नि
नियुक्ति प्रदान किये जाने बाबत:-

Secretary उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि
पर पहले निदेशक, विधि की राय ली जाकर प्रकरण पुन: मंडल की
में प्रस्तुत किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

TA to HC माननीय सदस्यों द्वारा यह ध्यान में लाया गया कि श्री रा
मोहन कमेटी एवं बोर्ड सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट आगा
बैठक में प्रस्तुत की जावे ।

सचिव

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर ।

राजस्थान आवासन मंडल की 171वीं बैठक दिनांक 29.1.96 को सम्पन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1. श्री सत्य नारायण गुप्ता, अध्यक्ष, राज. आवासन मंडल	: अध्यक्ष
2. श्री एन.एन. नरहरि, आवासन आयुक्त	: सदस्य
3. श्री सी.एस. मेहता, मुख्य नगर नियोजक	: सदस्य
4. श्री एम.एल. गुप्ता, उप शासन सचिव वित्त सचिव, राज. सरकार के प्रतिनिधि	: सदस्य
5. श्री गणपत वर्मा बोर्ड सदस्य	: सदस्य
6. श्री बनवारी लाल दुसाद, बोर्ड सदस्य	: सदस्य
7. श्री बाबू लाल कुमावत, बोर्ड सदस्य	: सदस्य
8. श्री बी.एस. सोईन, क्षेत्रीय प्रमुख हुडको	: सदस्य
9. श्री एस.एन. कल्ला, सचिव	: सदस्य सचि

बैठक में श्री अब्दुल मतीन, प्रबन्ध निदेशक, आवास विकास संस्थान एवं श्रीमती पंकज पाटनी, वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी तथा श्री ए.एस. शर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (पी.एण्ड एम.) भी उपस्थित थे ।

कार्यवाही का विवरण

171.1 मंडल की 170वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन:-

मंडल की 170वीं बैठक के संबंध में प्रस्तुत कार्यवाही प्रतिवेदन का बिन्दु संख्या 170.28 में लिये गये निर्णयों में निम्न संशोधन सहित अनुमोदन किया गया -"आवश्यकतानुसार गुण-अवगुण के आधार पर अध्यक्ष महोदय को निर्णय लेने के लिये अधिकृत किया गया ।"

171.2 मंडल के बजट अनुमान 1996-97 एवं संशोधित अनुमान 95-96

मुख्यलेखाधिकारी ने मंडल के वर्ष 1996-97 एवं संशोधित अनुमान

...2.

95-96 के सम्बन्ध में वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों, वित्तीय प्रतिभूतियों (ऋण सहित), राजस्व वसूली एवं भूमि अवाप्ति के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी ।

विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्तुत बजट अनुमान वर्ष 1996-97 एवं संशोधित अनुमान वर्ष 1995-96 का अनुमोदन किया एवं राजस्व वसूली की प्रगति पर संतोष प्रकट किया ।

171.3 मंडल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिये गये बोनस एवं एक्सग्रेसिया राशि की पुष्टि बाबत:-

प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मंडल में 1994-95 के लिये कर्मचारियों एवं अधिकारियों को बोनस एवं एक्सग्रेशिया के रूप में अनुमानत: रू.1,65,51,000/- किये गये भुगतान की पुष्टि की गई ।

171.4 सम्पत्ति आवंटन समिति की दिनॉक 14.9.95 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि बाबत:-

दिनॉक 14.9.95 को सम्पन्न हुई सम्पत्ति आवंटन समिति में लिये गये निर्णयों का अवलोकन कर पुष्टि की गई ।

171.5 Issuing of Block Adminstrative & Financial Sanction by the Govt.of Rajasthan in favour of R.H.B. for taking loan from Hudco for the year 1996-97.

विभिन्न आवासीय योजनाओं हेतु हुडको से 60 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव 1996-97 के लिये राज्य सरकार से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया ।

171.6 Issuing of Block State Govt.guarantee for Rs. 60 crore by Govt.of Rajasthan in favour of R.H.B. for taking leans from Hodco for the year 1996-97.

राज्य सरकार से 60.00 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करने हेतु ब्लाक गारंटी एवं तदनुरूप हुडको से ऋण लेने हेतु वर्ष 1996-97 के लिये स्वीकृति

...3.

प्रदान की गई एवं ऋण प्रपत्रों का निष्पादन व ऐसे संबंधित पत्रादि निष्पादित करने हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियंता (पी.एण्ड एम.) को अधिकृत किया गया ।

171.7 राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य को प्राथमिकता के आधार पर आवास आवंटन हेतु:-

प्रस्तावानुसार मंडल अधिकारियों/कर्मचारियों की भाँति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त संचालक मंडल के सदस्यों को आवास आवंटन में निर्धारित 3 प्रतिशत आरक्षित कोटे में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया ।

सचिव

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर

राजस्थान आवासन मंडल की 172वीं बैठक दिनांक 22.3.96 को सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1. श्री सत्य नारायण गुप्ता, अध्यक्ष, राज. आवासन मंडल	: अध्यक्ष
2. श्री एन. एन. नरहरि, आवासन आयुक्त	: सदस्य
3. श्री सी. एस. मेहता, मुख्य नगर नियोजक	: सदस्य
4. श्री गणपत वर्मा, बोर्ड सदस्य	: सदस्य
5. श्री बनवारी लाल दुसाद, बोर्ड सदस्य	: सदस्य
6. श्री बाबू लाल कुमावत, बोर्ड सदस्य	: सदस्य
7. श्री मोहम्मद मियाँ, बोर्ड सदस्य	: सदस्य
8. श्री बी. एस. सोईन, क्षेत्रीय प्रमुख, हुडको	: सदस्य
9. श्री एम. एल. जाँगिड़, सचिव	: सदस्य सचिव

बैठक में श्री अब्दुल मतीन, प्रबन्ध निदेशक, आवास विकास संस्थान एवं श्री सी. एम. अग्रवाल, वि. स. एवं मुख्यलेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मंडल भी उपस्थित थे।

कार्यवाही का विवरण

172.1 मंडल की 171वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि:-

मंडल की 171वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।

Secy./LAO 172.2 मंडल की 170वीं बैठक एवं 171वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन:-

मंडल की 170वीं बैठक एवं 171वीं बैठक के निर्णयों के क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया एवं निम्न बिन्दुओं पर निम्नानुसार

..2.

कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया:-

Secy./AO(P&M) (1) 170.3 मंडल के पास विभिन्न शहरों में उपलब्ध अतिरिक्त
को निर्मित मकान के बजाय विकसित आवासीय भू
रूप में आवंटित करने बाबत:-

उक्त संबंध में निर्णय लिया गया कि उक्त बिन्दु के
निर्णयानुसार गठित कमेटी की बैठक दिनांक 15.4.
कर ली जावे ।

&CAO

ACE(P&M)/ Secy. (2) 170.8 मंडल में कम्प्यूटीकरण हेतु पदों का सृजन:-

उक्त संबंध में निर्णय लिया गया कि चूँकि कम्प्यूटर
किये जा चुके है, कम्प्यूटीकरण के कार्य हेतु आवश्यक
के सृजन की कार्यवाही की जाए एवं सिस्टम एनालि
आदि के पदों को राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति प
की कार्यवाही की जाए । आपरेटर के पद बोर्ड कर्म
से भरे जायें ।

A&CAO

FA & CAO (3) 171.2 मंडल के बजट अनुमान 1996-97 एवं संशोधित अनुमा

उक्त संबंध में यह निर्णय लिया गया कि बजट को रा
सरकार से अनुमोदन करवाने की कार्यवाही की जाए
संशोधित बजट आगामी बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किय
जाए ।

FA & CAO 172.3 मंडल कर्मचारियों को पी. जी. जनरल हास्पिटल कोटा की चिकि
सुविधाए उपलब्ध कराने बाबत:-

FA&CAO

उक्त बिन्दु पर प्रस्तावानुसार कोटा शहर में पी. जी. जनरल हा
एण्ड रिसर्च सेंटर की सुविधा मंडल कर्मचारियों को उपलब्ध करा

Cwel

निर्णय लिया गया एवं जयपुर में फर्टिलिटी एण्ड माइक्रो सर्जरी रिसर्च सेंटर, जयपुर की सुविधा भी मंडल कर्मचारियों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया ।

साथ ही जयपुर में पूर्व में मंडल कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जा रही जयपुर हॉस्पिटल, सोनी हॉस्पिटल एवं रूंगटा चिल्ड्रन एण्ड जनरल हॉस्पिटल, जयपुर की सुविधा समाप्त करने का भी निर्णय लिया गया ।

CAO 172.4 मंडल पेंशनर्स को राज्य सरकार के अनुरूप मंहगाई राहत की राशि भुगतान करने के संबंध में:-

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया एवं यह भी निर्णय लिया गया कि जब भी राज्य सरकार द्वारा पेंशनर्स को मंहगाई भत्ते की दर में परिवर्तन किया जाता है तो उसी के अनुसार मंडल पेंशनर्स पर भी लागू समझी जाए ।

A&CAO 172.5 श्री राकेश कुमार जैन, कनिष्ठ लेखाकार को चिकित्सा व्यय की भुगतान की गई राशि की पुष्टि बाबत:-

श्री राकेश कुमार जैन, कनिष्ठ लेखाकार को राज्य के बाहर दुर्घटना के कारण चिकित्सा पर हुई व्यय राशि रू.7014.25/-का भुगतान जो अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के पश्चात् किया गया है, उसकी मंडल द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति एवं पुष्टि की गई । साथ ही मंडल द्वारा भविष्य में इस प्रकार के अस्वीकृत चिकित्सालय-भुगतान प्रकरणों में रू.25,000/- तक की राशि स्वीकृत करने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया ।

A&CAO 172.6 आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवंटियों को भूमि की लागत दर में छूट देने के संबंध में:-

उक्त संबंध में यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 10.3.96 से 31.3.97 तक आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवेदकों को आवंटित किये जाने

वाले आवासों की भूमि की दर का 25 प्रतिशत ही लागत ली जाय। आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के मकानों की लागत निर्धारण पूर्व अनुसार लागत सिद्धान्तों के अनुसार किया जाना है और भूमि की लागत में जो छूट दी जानी है को लागत निर्धारण के अंत में घटाकर विशेष छूट के रूप में अंकित किया जाना है। उपरोक्त छूट दिनांक 10.3.96 से 31.3.97 तक इस श्रेणी के आवेदकों को जारी किये जाने वाले आवंटनपत्र में दी जायेगी। इस प्रकार से होने वाली आय में कमी की पूर्ति मंडल द्वारा रिहायशी भूमि को निलामी कर आय में बढ़ोतरी से की जायेगी।

172.7 वाणिज्यिक भूमि, पेट्रोल पम्प आदि की भूमि की निलामी के लिये
FA&CAO आरक्षित दर के संबंध में:-

यह निर्णय लिया गया कि सभी प्रकार की वाणिज्यिक भूमि, पेट्रोल पम्प तथा सीनेमा आदि के लिये नीलाम की जाने वाली भूमि की आरक्षित दर रिहायशी भूमि की दर की 4 गुना रखी जायेगी।

FA&CAO 172.8 वर्ष 1996-97 के वित्तीय वर्ष हेतु भूमि व विकास दर में परिवर्तन करने के संबंध में:-

उपरोक्त संबंध में यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिये भूमि व विकास दर को पुनः संशोधित किया जाना है, अतः नियमानुसार 18 प्रतिशत ब्याज जोड़ते हुये वर्ष 1995-96 की भूमिदर को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। संशोधित भूमि व विकास दर दिनांक 1.7.96 से जारी होने वाले आवंटन पत्रों पर लागू होगी आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवंटियों को उक्त वृद्धि दर से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवंटियों से वर्ष 95-96 की ही भूमि दर वर्ष 96-97 में ली जायेगी।

172.9 आवेदकों से किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत आवासों की लागत वसूलने बाबत:-

उपरोक्त संबंध में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक आय वर्ग के आवंटियों से आवास की कुल लागत का 25 प्रतिशत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के लिये 30 प्रतिशत मध्यम आय वर्ग "अ" के लिये व 40 प्रतिशत मध्यम आय वर्ग "ब" एवं उच्च आय वर्ग के लिये प्रारम्भिक राशि के रूप में लिया जाना है तथा शेष राशि किश्तों में 13 वर्ष में वसूल किया जाना है । पूर्व में इस संबंध में जो आदेश जारी किये गये थे वे इस संबंध में आदेश जारी होने पर स्वत: ही समाप्त हो जायेंगे । निर्णय का विवरण संलग्न है ।

172.10 धार्मिक संस्थाओं हेतु भूमि की दरों में संशोधन:-

उक्त बिन्दु पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि इस संबंध में फिलहाल पूर्व निर्णयानुसार ही कार्यवाही की जाए ।

172.11 विचार बिन्दु संख्या 172.11 में प्रस्तावित अनुसार लागत सिद्धान्तों में निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय लिया गया:-

(1) वर्तमान लागत सिद्धान्तों के बिन्दु संख्या 6.01(सी) में वाणिज्यिक भूमि का 40 प्रतिशत ही सेलेबल एरिया को जोड़कर भूमि की दर की फलावट की जाती है । अत: इसमें संशोधन कर यह निर्णय लिया गया कि 40 प्रतिशत के स्थान पर वाणिज्यिक भूमि का 160 प्रतिशत सेलेबल एरिया को जोड़कर भूमि की दर की गणना की जावे क्योंकि 40 प्रतिशत वाणिज्यिक भूमि की नीलाम करते समय मंडल द्वारा आरक्षित दर रिडायशी भूमि का चार गुणा रखी जाती है ।

(2) वर्तमान लागत सिद्धान्तों के बिन्दु संख्या 6.03 में भूमि की दर तथा विकास दर पर ब्याज की राशि 18 प्रतिशत जोड़ने का निर्णय लिया गया और यह राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर से गणना की जावेगी।

...6.

इसके लिये वर्ष 93-94 की स्वीकृत भूमि दर तथा नई योजनाओं में 1995-96 तक स्वीकृत दरों को आधार मानते हुये गणना की जायेगी इसके साथ यह भी निर्णय लिया गया कि बिन्दु संख्या 6.06 में भूमि के प्रावधानों में संशोधन कर एक वर्ष किया जाये और प्रत्येक वर्ष अप्रेल व मई के बीच वृत/खण्ड कार्यालयों से वास्तविक सूचना प्राप्त कर जून माह में भूमि की दर निर्धारित कर दी जावे जो कि एक जुलाई से प्रभावी हो, उक्त प्रक्रिया के अभाव में साधारण ब्याज दर से 18 प्रतिशत की प्रत्येक वर्ष बढ़ोतरी की जावे ।

(13) लागत सिद्धान्त के बिन्दु संख्या 6.12 में स्ट्रिप लैण्ड देने का प्रावधान है उसमें यह निर्णय लिया गया कि 100 वर्ग मीटर से अधिक स्ट्रिप लैण्ड नहीं दी जावे और जो आवंटी के आवास/दुकान का साइज है उससे लैण्ड की स्ट्रिप नहीं दी जावे । इसमें यह संशोधन भी किया जाता कि भूमि की दर आरक्षित दर से दो गुणा तथा उस पर 25 प्रतिशत ओवर हैड चार्ज भी वसूल किया जावे ।

(14) लागत सिद्धान्त के बिन्दु संख्या 7.02 में नये प्रावधान जोड़ने का निर्णय लिया गया क्योंकि कुछ प्रकरण में मंडल द्वारा भू-तल की वाणिज्यिक दुकानें तथा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय मंजिल के आवासीय फ्लेट्स बनाये गये हैं । ऐसे प्रकरणों में वाणिज्यिक दुकानों की भूमि दर रिहायशी भूमि दरों से तीन गुणी तथा फ्लेट्स की भूमि दर प्रथम मंजिल के लिये रिहायशी भूमि दर का 50 प्रतिशत, द्वितीय मंजिल के लिये 30 प्रतिशत तथा तृतीय मंजिल के लिये 20 प्रतिशत चार्ज की जावे । तथा ऐसे फ्लेट्स के नीचे भूमि के अन्दर (अण्डरग्राउण्ड) में कोई भूमि या कोई स्थान दिया जाता है तो उसमें एक गुणा आरक्षित दर यदि व्यावसायिक कार्य/उद्देश्य के लिये दिया जाये तो वसूल की जाये जो रिहायशी भूखण्ड के लिये ली जानी है ।

§5§ लागत सिद्धान्त के बिन्दु संख्या 19.0 में यह निर्णय लिया गया कि रिहायशी प्लाट नीलाम करते समय आरक्षित दर से दुगुनी राशि इनके लिये आरक्षित दर के रूप में रखी जावे ।

§6§ लागत सिद्धान्त के बिन्दु संख्या 21.04 के संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि रिहायशी भूमि के 4 गुणा जो कि वाणिज्यिक भूमि के लिये आरक्षित दर है उसी पर लीज राशि वसूल की जावे, लीज राशि की वसूली आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड का कब्जा लेने से प्रारम्भ मानी जावे । यह भी निर्णय लिया गया कि भूखण्डों पर लीज नियमों के अनुसार 3 वर्ष तक आधी तथा उसके बाद पूर्ण राशि वसूल की जावे ।

171.12 मंडल के "स्टाफिंग पेंटर्न" का पुर्नगठन:-

HC

मंडल में कई पदों पर कर्मचारी वर्षों से कार्यरत है लेकिन पदोन्नति हेतु पद उपलब्ध न होने या नियम नहीं होने के कारण उन्हें अभी भी पदोन्नति नहीं दी जा सकी है । एक पद पर 10-10 वर्ष या इससे अधिक वर्षों तक कार्य करने एवं पदोन्नति न होने के कारण कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है, अत: उक्त संबंध में अपनी सिफारिश देने हेतु मंडल की 167वीं बैठक के निर्णयानुसार सेवानिवृत आई.ए.एस., श्री राम मोहन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया । श्री राम मोहन कमेटी की सिफारिशों में विलम्ब की संभावना को देखते हुये श्री एन.एन. नरहरि, मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया । उक्त दोनों कमेटियों की सिफारिशें मंडल को प्राप्त हो गई है । दोनों कमेटियों की सिफारिशों के अध्ययन के उपरान्त वर्तमान में नितान्त आवश्यक अतिरिक्त पदों के सृजन/क्रमोन्नत करने का निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. <u>प्रिंसीपल प्राईवेट सेक्रेटरी:-</u>

(ma) मंडल में अध्यक्ष का पद राज्य सरकार के केबीनेट मंत्री के समकक्ष है, चूँकि

...8.

केबीनेट मंत्री के पास प्रिंसीपल प्राईवेट सेक्रेटरी होता है, अतः मंडल में भी एक पद प्रिंसीपल प्राईवेट सेक्रेटरी का प्रथमतः एक वर्ष के लिये अस्थाई रूप से सृजित करने का निर्णय लिया गया । उक्त पद पदोन्नति से भरा जायेगा ।

2. उप सचिव:-

मंडल में वेतनश्रृंखला 3000-4500 में एक पद अतिरिक्त सचिव का सृजित है, उक्त पद को इसी वेतनश्रृंखला में उप सचिव के पद में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया ।

3. सहायक निदेशक (स्टेटिस्टीक्स):-

मंडल में वेतनश्रृंखला 2000-3200 में सृजित एक पद सांख्यिकी अधिकारी को सहायक निदेशक (स्टेटिस्टीक्स) वेतन श्रृंखला 2200-4000 में क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया गया । उक्त पद सांख्यिकी अधिकारी से भरा जायेगा एवं पद भरने की तिथि से सांख्यिकी अधिकारी का पद समाप्त समझा जायेगा ।

4. वरिष्ठ भू-निरीक्षक:-

मंडल में भू-निरीक्षक के तीन पद वेतन श्रृंखला 1400-2600 में सृजित है । इनमें से दो पदों को वेतन श्रृंखला 1640-2900 में वरिष्ठ भू-निरीक्षक में क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया गया । उक्त पद पदोन्नति से भरे जायेंगे, उक्त पदों के भरने की तिथि से दो पद भू-निरीक्षक के समाप्त समझे जायेंगे ।

5. वरिष्ठ लेखाधिकारी:-

वरिष्ठ लेखाधिकारी के दो पद वेतनश्रृंखला 3000-4500 में लेखाधिकारी से क्रमोन्नत किये जाने का निर्णय लिया गया । उक्त पदों को भरने की तिथि से लेखाधिकारी के दो पद समाप्त समझे जायेंगे ।

6. आवासीय अभियंता:-

पाँच परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) के पद क्रमोन्नत कर आवासीय अभियंता के 5 पद स्वीकृत किये जाने का निर्णय हुआ । परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) के 5 पद समाप्त समझे जायेंगे ।

कमेटी की शेष सिफारिशों पर निर्णय लेने हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवासन आयुक्त, राज. आवासन मंडल
2. श्री अब्दुल मतीन, प्रबन्ध निदेशक, आवास विकास संस्थान
3. श्री बी. एल. दुसाद, बोर्ड सदस्य
4. वि. स. एवं मुख्यलेखाधिकारी, राज. आवासन मंडल
5. सचिव, राज. आवासन मंडल : संयोजक

172.13 विकसित भूखण्डों का आवंटन करने बाबत:-

उक्त बिन्दु को स्थगित रखा गया ।

172.14 समूह आवास योजना:-

समूह आवास योजना के बिन्दु पर विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि आवंटन हेतु संस्थाएँ सोसायटी एक्ट के तहत अथवा कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ नॉन ट्रेडिंग कंपनी के रूप में पंजीकृत होनी चाहिये एवं शेष शर्तें मंडल नियमानुसार तय करेगा । इसी क्रम में यह भी ध्यान रखा जाए कि उक्त योजना प्रारम्भ करने का उद्देश्य यह रहना चाहिये कि इस प्रकार की योजना से पंजीकृत आवेदकों के अधिकारों का हनन न हो एवं उक्त योजना नई योजनाओं एवं उन्हीं स्थानों में प्रारम्भ की जाए जहाँ पंजीकृत आवेदक न हों ।

C.172.15 पूर्व में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत किये गये विचार-बिन्दुओं की पुष्टि:-
M) Loan assistance of Rs.57.35 lacs from Hudco for the construction of MIG Ph-2, Panerion Ki Madri Ext. Udaipur (Scheme No.12664).

विचार-विमर्श के पश्चात् इस बिन्दु की पुष्टि की गई ।

CEM 172.16 सम्पत्ति आवंटन समिति की दिनांक 1.11.95 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि:-

दिनांक 1.11.95 को सम्पन्न हुई सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों का अवलोकन कर पुष्टि की गई ।

CEM 172.17 सम्पत्ति आवंटन समिति की दिनांक 9.1.96 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि:-

दिनांक 9.1.96 को सम्पन्न हुई सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों का अवलोकन कर पुष्टि की गई ।

Sr.P.M. 172.18 वाहन चालकों के स्वीकृत किये गये 4 पदों के सृजन की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत:-

संचालक मंडल के निर्णयों की पूर्वापेक्षा में अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के पश्चात कार्यालय आदेश क्रमांक 4718, दिनांक 26.2.96 द्वारा वाहन चालकों के 4 निम्नलिखित अधिकारियों के यहां सृजित किये गये है:-

1. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, प्रथम
2. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, द्वितीय
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, तृतीय
4. निदेशक, विधि

मंडल द्वारा इन पदों के सृजन की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

Sr.P.M. 172.19 सुपरवाईजर वरिष्ठ के प्रत्येक खण्ड में 2 अतिरिक्त पद सृजित किये जाने के क्रम में:-

विचार-विमर्श कर उक्त बिन्दु पर निर्णय लिया गया कि वांछित सूचना सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त की जाकर आगामी बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत की जावे ।

सचिव

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर ।

राजस्थान आवासन मंडल की 173वीं बैठक दिनांक 18.9.96 को सम्पन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1. श्री एस. एन. गुप्ता, अध्यक्ष, राज. आवासन मंडल : अध्यक्ष
2. श्री एन. एन. गरड़ारि, आवासन आयुक्त : सदस्य
3. श्री सी. एस. मेहता, मुख्य नगर नियोजक : सदस्य
4. श्री गणपत वर्मा, बोर्ड सदस्य : सदस्य
5. श्री बनवारी लाल दुसाद, बोर्ड सदस्य : सदस्य
6. श्री बाबू लाल कुशवाह, बोर्ड सदस्य : सदस्य
7. श्री मोहम्मद मिया, बोर्ड सदस्य : सदस्य
8. श्री हीरा लाल कटारिया, बोर्ड सदस्य : सदस्य
9. श्री एम. एल. जांगिड़, सचिव : सदस्य सचिव

बैठक में श्री अब्दुल वहीद, विशेषाधिकारी, आवास विकास लिमिटेड (आवास विकास संस्थान), श्री बी. एन. पुरोहित, कार्यवाहक मुख्य अभियंता, श्री सीताराम शर्मा, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी एवं श्री एस. एस. चतुर्वेदी, मुख्य सम्पदा प्रबन्धक (विशेष सचिव के आमंत्रित) भी उपस्थित थे ।

कार्यवाही विवरण:-

173.1 मंडल की 172वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन:-

मंडल की 172वीं बैठक दिनांक 22.3.96 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया ।

173.2 मंडल की 172वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति प्रतिवेदन:-

मंडल की 172वीं बैठक की क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन किया गया

...2.

CASH MEMO 379308
RAJDHANI typing institute
All kinds of typing, Electronic Typing (Hindi & English)

एवं अन्यान्य विभिन्न रिपोर्ट में प्रस्तुत बिन्दुओं पर निम्नानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्णय लिया गया :-

C.E./A.C.E. I/II/DHC,Kota

170.3 मंडल के पास विभिन्न शहरों में उपलब्ध अतिरिक्त भूमि को निर्मित मकानों के बजाय विकसित भूखण्ड (आवासीय) के रूप में आवंटित करने बाबत:- FA&CAO

प्रथम चरण में रामगंज मंडी, कुनिल, गुलाबपुरा, रायला, मालपुरा, गुलाबसागर, नगर, नोकारे शहरों में [illegible] आवासों की मांग नहीं होने के कारण उपलब्ध अतिरिक्त भूमि को निर्मित मकानों के बजाय विकसित आवासीय भूखण्ड आवंटित करने का निर्णय लिया गया, जिसकी कार्य योजना 7 दिवस में मुख्य अभियंता प्रस्तुत करेंगे। 172.3 FA&CAO

साथ ही नगर पालिका को भूमि पेटे जो 10 लाख रुपये दिये गये हैं उनका तुरन्त समायोजन किया जाये तथा [illegible] में आवासन मंडल का एक रेस्ट हाऊस बनाने का भी निर्णय लिया गया। 172.7 FA&CAO/CE/CEM

A.C.E.(P&M)/SECY.

170.8 मंडल में कम्प्यूटरीकरण हेतु पदों का सृजन:-

निर्णयानुसार सिस्टम एनालिस्ट (वेतन श्रृंखला 3000-4500) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार को क्रमांक [illegible] दिनांक 8.5.96 को संस्तुति किया गया था। तत्पश्चात, [illegible] आवासन मंडल द्वारा मंडल को अवगत कराया गया कि उक्त वेतनश्रृंखला में प्रतिनियुक्ति पर भेजना संभव नहीं है। अतः निर्णय लिया गया कि उक्त पद को निदेशक, क कम्प्यूटर से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन. ओ. सी.) लेकर भरने की कार्यवाही की जावे।

मंडल [illegible] में नवीन विभिन्न कम्प्यूटर कक्ष का उद्घाटन

अध्यक्ष राजस्थान पर्यटन मंडल द्वारा दिनांक 30.9.96 के पूर्व को शिलान्यास कर लिया जावे । इससे पूर्व समस्त बकाया उपकरण आदि इंस्टॉल किया जाना अति. मुख्य अभियंता इलै. एण्ड एम. सुनिश्चित करावें ।

FA&CAO 171.2 संशोधित बजट 1996-97 अगली बोर्ड बैठक में अवश्य रखा जावे ।

172.3 FA&CAO मंडल कर्मचारियों को पी.बी. जनरल अस्पताल कोटा की चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने बाबत:-

उक्त बिन्दु की ट्रिबनिल रिपोर्ट का अवलोकन करते हुये निर्णय लिया गया कि मंडल कर्मचारियों को जयपुर फर्टीलिटी एण्ड माइक्रो सर्जरी रिसर्च सेन्टर, जयपुर की सुविधा को हटा लिया जावे ।

172.7 FA&CAO/CE/CEM वाणिज्यिक भूमि पेट्रोल पंप आदि को भूमि की नीलामी के लिये आरक्षित दर के संबंध में:-

वाणिज्यिक भूमि/पेट्रोल पम्प आदि के लिये भूमि नीलामी द्वारा दिये जाने के निर्णय में निम्न संशोधन किये जाने का निर्णयहुआ कि पेट्रोल पम्प को भूमि नीलामी के बजाये एक कोटी द्वारा आवंटित की जाये तथा आवंटन की दर बाजार दर/रजिस्ट्रेशन की दर आदि को ध्यान में रख कर तय की जाये जो आरक्षित दर से 4 गुणा से कम नहीं होगी । यहभी तय हुआ कि आवंटन में आयत कम्पनियों को प्राथमिकता दी जावे यदि आयत कम्पनी स्वयं भूखण्ड नहीं ले तथी अन्य अधिकृत डीलर को आवंटित की जावे ।

यह भी निर्णय लिया गया कि मंडल में सिनेमा हाल के भूखण्ड के बजाय सिनेमा कम कॉम्पलिक्स भूखण्डों का नीलामी की जावे ।उक्त भूखण्ड में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ एवं सिनेमा प्रयोजन हेतु भूमि उपयोग का अनुमत प्रोजेक्ट कोटी द्वारा तय करवाया जावे । तत्पश्चात् ही नीलामी की कार्यवाही शुरू की जावे ।

172.8 वर्ष 1996-97 के [illegible] वर्षों हेतु भूमि व विकास दर में परिवर्तन करने के संबंध में:-

FA & CAC — इस संबंध में पुनः बोर्ड सदस्यों को स्पष्ट किया गया कि लागत [illegible] हेतु [illegible] लगाया जाने वाला आवंटन को साधारण दर से प्रतिवर्ष लगाया जाये [illegible] में [illegible] हेतु कर व्याज नहीं लगाया जाये [illegible] 5 वर्ष तक [illegible] अथवा 6 वर्ष तक इस विचार बिन्दु [illegible] लागत [illegible] विचार-विमर्श कर, यदि संशोधन आवश्यक हो [illegible] आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जावे । लागत कम करने हेतु [illegible] में [illegible] सदस्य श्री [illegible] लाल [illegible] एवं [illegible] को [illegible] कर सुझाव आगामी बोर्ड बैठक में रखे जावे ।

172.14 [illegible]

C.E.M. — प्रथमतः [illegible] को [illegible] बैठक में विचार-विमर्श हेतु प्रस्तुत किया जावे ।

173.3 हनुमान गढ़ में एक नवीन खण्ड के सृजन बाबत:-

SECY. C.E. — विचार-विमर्श कर [illegible] को आवश्यक पदों के सृजन के संबंध में [illegible] लेने हेतु अधिकृत किया । साथ ही आवश्यकताओं के अनुरूप खण्ड कार्यालयों [illegible] पुनर्गठन हेतु 2 [illegible] को [illegible] निम्नानुसार किया जाता है:-

1. श्री अब्दुल [illegible], विशेषाधिकारी (आवास विकास लिमिटेड)
2. श्री [illegible] वर्मा, बोर्ड सदस्य
3. सचिव, [illegible] — संयोजक

173.4 पंडल में पंजीकृत [illegible] को [illegible] आवंटन के संबंध में:- FA&

C.E.M. C.A. — विचार-विमर्श कर [illegible] में प्रचलित कार्यालय आदेश क्रमांक मु.म.प्र. [illegible] /5/94/1453, दिनांक 8.8.94 को निरस्त कर, निम्नानुसार संशोधित [illegible] SE

...5.

करने का निर्णय लिया गया:-

1. भविष्य में तीन चरणों के बजाय निम्न दो चरणों के आवंटन किये जायें :-

   (अ) प्लिन्थ स्तर

   (ब) ढांचा छत डला हुआ

2. भविष्य में आवेदकों से आवेदन पत्र में दो विकल्प मांगे जाये । जो पुराने आवेदक है उनसे अखबार में सूचना प्रकाशित कर उक्त विकल्प मांग लिये जावे ।

3. इस प्रकार के विकल्प उन्हीं मकानों के लिये लागू होंगे जिनका निर्माण भविष्य में (18.9.96 के बाद) प्रस्तावित किया जाना है । परन्तु जो आवेदक पूर्व में विकल्प दे चुके है उन पर लागू होगा ।

4. विशिष्ठ पंजीकरण योजना भांगागोर (जयपुर), कोटा तथा अलवर में आवेदकों द्वारा पूर्व में प्रस्तुत विकल्प के अनुसार ही आवंटन किया जायेगा ।

5. भविष्य में 25 प्रतिशत आवास प्लिन्थ स्तर पर आवंटित किये जायेंगे जिनका आवंटन लॉटरी द्वारा किया जावेगा ।

6. इस संबंध में सम्पत्ति आवंटन समिति एवं जिला आवंटन समिति द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय प्रभावित नहीं होंगे वे मान्य रहेंगे । विशेष परिस्थितियों में सम्पत्ति आवंटन/समिति/जिला आवंटन समिति निर्णय लेकर आवंटन उपरोक्त विकल्प अनुसार कर सकेगी ।

173.5 भूमि व विकास दर 30.9.96 तक स्थिर किये जाने हेतु:-

FA&CAO भूमि व विकास की संशोधित दर को 31.12.96 तक स्थिर करने का निर्णय लिया गया ।

173.6 श्री डी. डी. वारसवानी, कनिष्ठ लेखाकार को बिना वेतन असाधारण अवकाश

SECY. स्वीकृत किये जाने प्रस्ताव:-

विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि श्री डी. डी. बारबानी, कनि... ACE(P&M)
लेखाकार का बिना वेतन असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के पूर्व नवीन...
परफोरमैन्स रिपोर्ट संबंधित से प्राप्त की जावे ।

173.7 स्व. श्री लालचन्द, जमादार को 6.1.92 से 9.10.94 तक की अवधि का...
असाधारण अवकाश स्वीकृत किये जाने बाबत:-

SECY. प्रस्तावानुसार स्व. श्री लालचन्द, जमादार को 6.1.92 से 9.10.94 तक...
अवधि का असाधारण अवकाश स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया ।

173.8 परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) व परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) के पदों...
सृजन बाबत:-

SECY. प्रस्तावानुसार उदयपुर भूत की आवासीय योजनाओं में पानी की व्यवस्था...
मंडल के अधीन लागू करने हेतु निम्नानुसार परियोजना अभियंता (कनिष्ठ)...
वरिष्ठ) के पदों के सृजन का निर्णय लिया गया:-

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	परियोजना अभियंता (वरिष्ठ)	1	2200-4000
2.	परियोजना अभियंता (कनिष्ठ)	2	1400-2600

ACE(...

उपरोक्त अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से प्रतिनियुक्ति...
पर लिये जावेंगे एवं आवासीय अभियंता, पी. एच. ई. डी. खण्ड-जोधपुर के
अधीन कार्य करेंगे ।

173.9 Distribution of gifts on the occasion of Deepawali Festival.

AC

ACE(P&M) उक्त बिन्दु को स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

173.10 Availing facility of Negative lien from HUDCO as a security for its loan assistance in the Schemes sanctioned during the financial year 1996-97.

(P&M) प्रस्तावानुसार निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान हुडको द्वारा स्वीकृत विभिन्न आवासीय योजनाओं के लिये ऋण प्राप्त करने हेतु स्थाई रूप से निगेटिव लियन सुविधा (Negative lien) का उपभोग करने के क्रम में अधिकृत करना ।

2. हुडको के पक्ष में पावर आफ अटार्नी को अधिकृत एवं स्वीकृति प्रदान की गई ।

3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (पी. एण्ड एम.) को अधिकृत किया गया कि वो मंडल की मुद्रा से किसी अधिकारी की उपस्थिति में हुडको से पावर आफ अटार्नी एवं अन्य आवश्यक प्रपत्रों का निष्पादन करें ।

173.11 Issuing of Block Administrative and Financial Sanction by the Government of Rajasthan in favour of RHB for taking loan from HUDCO for the year 1996-97.

CE(P&M) विभिन्न आवासीय योजनाओं हेतु हुडको से 60 करोड़ का ऋण प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव 1996-97 के लिये राज्य सरकार से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया । उक्त योजनायें निगेटिवलियन के अंतर्गत रहेंगी ।

173.12 Loan assistance of Rs.85.27 lacs from HUDCO for the construction of CHS, Sector-1, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur.(Scheme No.13529).

CE(P&M) सी. एच. एस. सैक्टर 1 प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर (स्कीम नं. 13529) में मध्यम आय वर्ग के 31 एवं मध्यम आय वर्ग (ब) के 28 कुल 59 मकानों के निर्माण हेतु हुडको की साधारण शर्तों पर 85.27 लाख रुपये का ऋण लेने की स्वीकृति प्रदान की गई । साथ ही उक्त योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रु. 123.78 लाख जारी करने का निर्णय लिया गया

...8.

अतिरिक्त मुख्य अभियंता (पी. एण्ड एम.) को हुडको से ऋण प्रपत्रों पर अनुबन्ध करने हेतु अधिकृत किया गया ।

173.13 Loan assistance of Rs.83.42 lacs from HUDCO for the construction of CHS, Ih-IV, Saket Nagar, Beawar, (Scheme No.13557).

ACE(P&M) साकेत नगर, ब्यावर (स्कीम नं. 13557) में मध्यम आय वर्ग "ब" के 32 एवं उच्च आय वर्ग के 13 मकानों के निर्माण हेतु हुडको को सामान्य शर्तों पर रु. 83.42 लाख का ऋण लेने की स्वीकृति प्रदान की गई । साथ ही उक्त योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रु. 127.67 लाख जारी करने का भी निर्णय लिया गया । अति. मुख्य अभियंता (पी. एण्ड एम.) को हुडको से ऋण प्रपत्रों पर अनुबन्ध करने हेतु अधिकृत किया गया । निर्माण लियन होने की स्थिति में राज्य सरकार अथवा हुडको को गारंटी कमीशन का भी मंडल हुंकारा करें ।

173.14 Loan assistance of Rs.17.45 lacs from HUDCO for the construction of Pocket Housing Scheme No.2, Sector 6, Sanganer, Jaipur. (Scheme No.13389).

ACE(P&M) सेक्टर 6, सांगानेर जयपुर (स्कीम 13389) में मध्यम आय वर्ग प्रथम, मध्यम आय वर्ग द्वितीय "ब" एवं उच्च आय वर्ग के कुल 20 मकानों के निर्माण हेतु हुडको की शर्तों पर रु. 17.45 लाख का ऋण लेने की स्वीकृति प्रदान की गई । साथ ही उक्त योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रु. 34.87 लाख जारी करने एवं अति. मुख्य अभियंता (पी. एण्ड एम.) को हुडको से ऋण प्रपत्रों पर अनुबन्ध करने हेतु अधिकृत किया गया ।

173.15 Agenda item for approval of the Board regarding change in the name of Akshyaya Avas Nirman Vitta Ltd. to BOB Housing Finance Ltd.

ACE(P&M) मंडल की 160वीं बैठक (25.04.1992) के बिन्दु संख्या 160.6 द्वारा अक्षय आवास निर्माण लिमिटेड से 300.00 लाख का ऋण लेने हेतु निर्णय लिया गया था । उक्त संस्था द्वारा सूचित किया है कि उनकी संस्था का नाम अब "बॉब हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" (BOB HOUSING FINANCE LIMITED) में परिवर्तित कर दिया गया लेकिन उनका संविधान

...9.

एवं पंजीकृत कार्यालय अपरिवर्तनीय है । संस्था ने मंडल पर 31.12.95 तक बकाया ऋण राशि 300.00 लाख रुपये की स्वीकृति स्वरूप पत्र का निष्पादन करें । अब इस हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियंता (पी. एण्ड एम.) को उक्त प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया ।

173.16 Revision in financing pattern of HUICO from 2nd May, 1996.

ACE(P&M) हुडको द्वारा दिनांक 2.5.96 से वर्तमान में वित्तीय ढांचे यथा ब्याज दर समय पर पुनर्भुगतान पर छूट, मध्यम एवं उच्च आय वर्ग हेतु लोन सीलिंग भूमि अवाप्ति के पुनर्भुगतान आदि में संलग्न ज्ञापनानुसार संशोधन किया । मंडल द्वारा तदनुसार संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई ।

173.17 Authorising Addl. Chief Engineer (P&M) to execute all necessary documents/agreements/amendments etc. with HUDCO and all other financial institutions on behalf of the Board.

ACE(P&M) प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मुख्य अभियंता (पी. एण्ड एम.) को समस्त आवश्यक प्रपत्र/अनुबन्ध/संशोधन आदि पर हुडको/बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया ।

173.18 Authorising Chairman, RHB to approve raising of loans and issuing Administrative and Financial (A&F) Sanction for various Schemes.

ACE(P&M) विभिन्न आवासीय योजनाओं हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये एवं इनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु 31.3.97 तक अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया । तत्पश्चात् समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जो अध्यक्ष महोदय द्वारा इस वित्तीय वर्ष में दी जायेगी, बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया ।

173.19 Authorising Chairman, RHB for signing of Memorandum of Undertaking (MOU) on behalf of the Board.

ACE(P&M) विचार-विमर्श पश्चात् उक्त प्रकरण को प्रथमतः इन-हाऊस मीटिंग में विचारार्थ

..10

प्रस्तुत किया जाकर पुनः बोर्ड में प्रस्तुत किया जाये ।

173.20 Revision of cost ceiling, registration amounts, interest rates, repayment period and seed money etc.

ACE(P&M) मुख्य अभियन्ता (वित्तीय नियंत्रण) द्वारा विस्तृत विवरण ‡ में दिनांक 2.5.96 संशोधन किये जाने के कारण विभिन्न आय वर्ग में आय सीमा "सीलिंग" पुर्नभुगतान की अवधि एवं ब्याज की दर आदि में परिवर्तन किया है । उक्त अनुरूप राजस्थान आवासन मंडल में भी परिशिष्ठ‡ के अनुसार संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई ।

173.21 Decision of the P.A.C. held on 24.5.96, 31.5.96and 1.6.96 and 14.6.96 for confirmation.

C.E.M. Decisions of the above Committee perused and confirmed.

173.22 Amendment in R.H.B. Employees Service Regulations, 1970 with regard to joining time.

SECY. मंडल द्वारा उक्त बिन्दु पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार कर मंडल की पूर्व 125वीं बैठक दिनांक 20.6.86 के बिन्दु संख्या 125.3 पर लिये गये निर्णय के अतिरिक्त पूर्ण कार्य ग्रहण काल में से जितने दिन का वास्तव में उपभोग किया गया है उसे कम करते हुये शेष दिनों के एवज में कर्मचारी के अवकाश के लेखों में उपार्जित अवकाश के रूप में जोड़े जाने का भी पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुमोदन किया गया । तथा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक 2050, दिनांक 11.7.86 में संशोधन कर मंडल द्वारा लिये गये निर्णयानुसार संशोधित परिपत्र जारी करने के निर्देश दिये गये ।

इसके साथ ही अंशकालिकों को स्थायीकरण पर कार्यग्रहण काल के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (कार्यग्रहण काल) नियम 1981 के प्रावधान के अनुरूप कार्यग्रहण काल का लाभ दिये जाने हेतु राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी सेवा विनियम 1970 के नियम 45 में प्रस्तावानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया ।

173.23 श्री रतन लाल अरोड़ा (अप्रवासी भारतीय) को मंडल की मानसरोवर योजना में उच्च आय वर्ग का आवास आवंटन के संबंध में:-

C.E./C.E.M. उक्त बिन्दु पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि श्री अरोड़ा का आवेदन/रजिस्ट्रेशन मानसरोवर में स्थानान्तरित कर आवंटन नहीं किया जा सकता। यद्यपि निर्णय हुआ कि अप्रवासी भारतीयों के लिये बड़े भूखण्ड (लगभग 400 गज) आवंटन हेतु सांगानेर में योजना प्रारम्भ की जावे। इस संबंध में मुख्य अभियंता को निर्देश दिये गये कि उक्त संबंध में प्लानिंग कर के कार्य योजना दिनांक 1.10.96 के पूर्व अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करें।

173.24 श्री बी. के. मल्होत्रा, कनिष्ठ लेखाकार को बिना वेतन असाधारण अवकाश स्वीकृत किये जाने बाबत:-

SECY. निर्णय लिया गया कि श्री बी. के. मल्होत्रा, कनिष्ठ लेखाकार को बिना वेतन असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के पूर्व संबंधित से इनकी नवीनतम परफोरमेंस रिपोर्ट प्राप्त की जावे।

173.25 राजस्थान आवासन मंडल में पेंशनरों को चिकित्सा राहत देने संबंधी योजना:-

FA&CAO विचार विमर्श के पश्चात् राजस्थान आवासन मंडल के पेंशनर्सको प्रस्तावानुसार चिकित्सा राहत देने की योजना का अनुमोदन किया गया।

173.26 समूह दुर्घटना बीमा योजना:-

FA&CAO मंडल के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को समूह दुर्घटना बीमा योजना का लाभ प्रस्तावानुसार देने का निर्णय लिया गया।

173.27 मंडल में कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन:-

FA&CAO मंडल में वर्कचार्ज कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान 1990 जो कि दिनांक 1.9.88 से लागू है, में ब्लेक स्मिथ के पद को वेतन श्रृंखला में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.12(एफ.डी./व्यय/III/89 दिनांक 16.9.94 के तहत दिनांक 1.9.88 से संशोधित किये जाने का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

...12.

All kinds of typing, Electron... English)

173.28 श्रीमती उर्मिला चतुर्वेदी पत्नी श्री एस. एस. चतुर्वेदी, मुख्य सम्पदा प्रबन्
C.E.M. के बाम्बे अस्पताल, बंबई में गुर्दा प्रत्यारोपण पर वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में ईलाज पर हुये कुल व्यय रूपये 2,09,136.00 का व्यय आ है । उक्त राशि का भुगतान पुर्नभरण बिल प्रस्तुत करने पर अध्यक्ष महोद की स्वीकृति से किया जा चुका है । कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन किया गया ।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में ऐसे मामलों में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाये ।

173.29 राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी सेवा विनियम 1970 के नियम 35 में
Secy. अर्द्धवेतन/अध्ययन अवकाश हेतु संशोधन किये जाने हेतु:-

प्रस्तावानुसार मंडल कर्मचारियों को भी अर्द्ध वेतन अवकाश (Half pay leave) एवं अध्ययन अवकाश (Study leave) का लाभ दिये जाने हेतु राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी सेवा विनियम 1970 के नियम 35 में अर्द्धवेतन अवकाश एवं अध्ययन अवकाश का प्र जोड़े जाने का निर्णय लिया गया । तथा अर्द्धवेतन अवकाश की देयता के राजस्थान सेवा नियमों के नियम 93(1) एवं अध्ययन अवकाश के लिये राजस्थान सेवा नियम के नियम 110 से 121 के अनुरूप रखा जाने कर नि लिया गया ।

इसके साथ ही राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी सेवा विनियम 1970 के नियम 39 में संशोधन कर Sick Leave की देयता भी राजस्थान सेवा नियम के नियम 93(2) के अनुरूप रखे जाने का निर्णय लिया गया ।

173.30 राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम 1970 के तहत बने सम्पत्ति निस्तारण
C.E.M. विनियम 1970 में अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को मकान आवंटन बाबत प्रावधान करने बाबत:-

उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरका जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक प9(4)सविआ/95/दिनांक 2.2.96 द्वारा राजस

..13

E.M. आवासन मंडल अधिनियम 1970 की धारा 53 की उप धारा (2) के अंतर्गत मंडल को निर्देश दिये है कि ऐशियाड व ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त खिलाड़ियों को वरियता के आधार पर मकान आवंटन बाबत मंडल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम 1970 में प्रावधान किया जाये ।

प्रस्तावानुसार ऐशियाड एवं ओलम्पिक खेलों में पदक विजेताओं को वरीयता के आधार पर आवंटन करने हेतु 1/2 (आधा) प्रतिशत कोटा आरक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया । सम्पत्ति निस्तारण विनियम 1970 में भी उपरोक्तानुसार संशोधन कर लिया जाये ।

173.31 सम्पदा प्रबन्धक के पद को भरने हेतु नियमों में संशोधन बाबत:-

SECY. उक्त प्रकरण आगामी बोर्ड मीटिंग के पूर्व 31.10.96 तक "स्टाफिंग पैटर्न" कमेटी में संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

173.32 मंडल में निम्नवर्ग प्लम्बर ग्रेड प्रथम वेतन श्रृंखला 1200-2050 का पद सृजन करने बाबत:-

SECY. मंडल में प्लम्बर ग्रेड द्वितीय का वेतनश्रृंखला 950-1680 का स्वीकृत है जिस पर श्री चौथमल वर्ष 1989 से कार्यरत है । राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 20/89/एफ. डी./पी. डी./21/89, दिनांक 1.2.92 में दिये गये नियमों में प्लम्बर ग्रेड प्रथम उन्हीं को देय है, जो आई. टी. आई. प्रमाण पत्र धारक है तथा जो प्लम्बर ग्रेड द्वितीय का पद का 15 वर्ष का अनुभव रखते हैं।

श्री चौथमल यह योग्यता एवं अनुभव नहीं रखते । फिर भी प्लम्बर के तकनीकी कार्य पर अनुभव की दृष्टि से नियमों में शिथिलता देते हुये उन्हें प्लम्बर ग्रेड प्रथम (वेतन श्रृंखला 1200-2050) पर पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया । इस हेतु प्लम्बर ग्रेड प्रथम 1200-2050) का एक पद सृजित किया गया तथा प्लम्बर ग्रेड द्वितीय का पद श्री चौथमल की पदोन्नति पर कार्य ग्रहण तिथि से समाप्त समझा जायेगा ।

...14.

173.33 Protection of pay of Shri Gopal Krishan on appointment as P.E.(Sr.) through direct recruitment.

SECY. FA&CAO — प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि वित्तीय सलाहकार एवं मुख्यलेखाधिकारी मामले का परीक्षण कर पुनः प्रस्तुत करें ।

173.34 टेलीफोन आपरेटर पद को कनिष्ठ सहायक पद की वरिष्ठता सूची में सम्मिलित करने बाबत

SECY. — प्रस्तावानुसार राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ3(9)(कार्मिक (क-2) 2180, दिनांक 6.3.82 एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1957 में किये गये संशोधन दिनांक 14.6.83 के अनुरूप मंडल में भी टेलीफोन आपरेटर पद पर कार्यरत कर्मचारियों को कनिष्ठ सहायकों की वरिष्ठता सूची में सम्मिलित करने एवं आगे पदोन्नति के लिये आवश्यक संशोधन प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार करने का निर्णय लिया गया

173.35 विशेष मामले में तदर्थ कनिष्ठ सहायकों को टंकण परीक्षा में छूट:-

SECY. — अगली बोर्ड बैठक में रखने का निर्णय हुआ ।

173.36 मंडल के गैर सरकारी बोर्ड सदस्यों को बोर्ड कर्मचारी कोटे में मकान आवं

C.E.M. SECY. — मंडल की दिनांक 29.1.96 को आयोजित 171वीं बैठक के निर्णयानुसार के गैरसरकारी सदस्यों को भी प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों की तरह बोर्ड कर्मचारी मानते हुये कर्मचारियों के लिये आरक्षित 3 प्रतिशत कोटे में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया था । मंडल में सदस्यों द्वारा मालवीय नगर में कर्मचारी कोटे में मकान आवंटन हेतु आवेदन किया हुआ है प्रस्तावानुसार बोर्ड सदस्यों (सदस्य सचिव हित) को उनके विकल्पानुसार मालवीय नगर में विशिष्ठ पंजीकरण योजना खोल कर उच्च आय वर्ग के मकान आवंटन करने का निर्णय लिया गया । उक्त संशोधन अनुसार डी.पी.आर. 19 में भी संशोधन कराया जावे ।

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर ।

राजस्थान आवासन मंडल की 174वीं बैठक दिनांक 18.12.96 को सम्पन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1. श्री एस. एन. गुप्ता, अध्यक्ष, राज. आवासन मंडल : अध्यक्ष
2. श्री मनोहर लाल, आवासन आयुक्त : सदस्य
3. श्री सी. एस. मेहता, मुख्य नगर नियोजक : सदस्य
4. श्री गणपत वर्मा, बोर्ड सदस्य : सदस्य
5. श्री बनवारी लाल दुसाद, बोर्ड सदस्य : सदस्य
6. श्री बाबू लाल कुमावत, बोर्ड सदस्य : सदस्य
7. श्री मोहम्मद मिया, बोर्ड सदस्य : सदस्य
8. श्री बी. एस. सोईन, क्षेत्रीय प्रमुख, हुडको : सदस्य
9. श्री एम. एल. जांगिड़, सचिव : सदस्य सचिव

बैठक में श्री अबदुल मतीन, विशेषाधिकारी, आवास विकास लिमिटेड, श्री एन. एन. नरहरि, प्रबन्ध निदेशक, आवास विकास संस्थान, श्री बी. एन. मूलचन्दानी, कार्यवाहक मुख्य अभियंता, श्री सीता राम शर्मा, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्यलेखाधिकारी (विशेष रूप से आमंत्रित) भी उपस्थित थे । नव पदस्थापित आवासन आयुक्त महोदय का स्वागत तथा निवर्तमान आवासन आयुक्त के कार्यों की प्रशंसा के पश्चात् कार्यवाही आरम्भ की गई ।

कार्यवाही विवरण

174.1 मंडल की 173वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन:-

मंडल की 173वीं बैठक दिनांक 18.9.96 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया ।

174.2 मंडल की 173वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति प्रतिवेदन:-

मंडल की 173वीं बैठक की क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन किया

...2.

गया एवं क्रिया निम्नांकित रिपोर्ट में प्रस्तुत बिन्दुओं पर निम्नानुसार [illegible] निर्णय लिया गया:-

170.3[illegible] मंडल के द्वारा विभिन्न शहरों में उपलब्ध अतिरिक्त भूमि निर्मित मकानों के बजाय विकसित भूखण्ड (आवासीय) के रूप में आवंटित करने बाबत।

CE/CEM/FA&CAO

मुख्य अभियंता, आवासन मंडल ने बताया कि उक्त 6 शहरों में कुल 1877 भूखण्डों की योजना बनाई गई है। अलवर में भूखण्ड नहीं दिये जाने है, परन्तु अर्द्धनिर्मित आवास जैसी में [illegible] उपलब्ध है दिये जाने हैं। भूमि की दर निर्धारित जाना शेष है जिसके संबंध में निर्णय लिया गया कि भूखण्ड आवंटन की दर उक्त शहर में योजना के निकटतम स्थल पर भूखण्ड की पंजीकरण दर (रजिस्ट्रार) उप पंजीयक (स्टाम्प) के यहां से, आवासन मंडल की आरक्षित दर तथा उक्त शहर में मंडल की योजना के नजदीक में प्रचलित बाजार दर के आधार पर तय की जावे। उक्त दरें मुख्य अभियंता 10 दिवस के भीतर उपलब्ध करवायें जिनका परीक्षण मुख्य अभि[illegible] मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी संयुक्त रूप से कर अनुमोदन हेतु आवासन आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय से 15 दिवस में अनुमोदन करवायेंगे।

H.C

170.3[illegible] सिवाना में अतिक्रमित 210 भवनों के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि आवासन आयुक्त महोदय जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर से निस्तारण के संबंध में वार्ता करें तथा मुख्य अभियंता एवं बोर्ड सदस्य श्री बी.एल. कुपावत एवं श्री मोहम्मद मियां मौका निरीक्षण कर मंदिर ट्रस्टियों से एवं अधिकारियों से वार्ता कर निस्तारण का प्रयास करेंगे।

...3

..3..

170.3831 नाथद्वारा नगरपालिका को 15.00लाख रुपये भुगतान के बाबत भूमि का कब्जा [illegible] के संबंध में [illegible] हेतु श्री हीरा लाल कटारिया, [illegible] सदस्य को अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिकृत किया गया था जिसकी [illegible] प्रस्तुत नहीं हुई है । यह भी तय हुआ आवासन आयुक्त, [illegible] जिला कलक्टर, राजसमन्द से वार्ता सम्पन्न [illegible] करेंगे ।

HC

171.02 संशोधित बजट 1996-97

FM&CAG

वर्ष 1996-97 का संशोधित बजट अनुमान कुछ कार्यालयों से न आने के कारण प्रस्तुत नहीं किये जा सके । बजट बनाने की प्रक्रिया जारी है तथा आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा । मुख्य-लेखा अधिकारी [illegible] सचिव, आवासन [illegible] के बजट राज्य सरकार द्वारा [illegible] करवाने में [illegible] जिस पर [illegible] सदस्यों द्वारा एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यवाही की सराहना की गयी ।

172.7 वाणिज्यिक भूमि पेट्रोल पम्प आदि की भूमि की नीलामी के आरक्षित दर के संबंध में ।

CE/STP

प्रकरण में [illegible] निर्धारक क्षेत्र की [illegible] कमेटी की बैठक में योजना का अनुमोदन करवाकर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

172.14 समूह आवास योजना ।

CEM

उक्त योजना [illegible] में किया गया प्रस्तुत [illegible] है ।

Cmcb...

173.10 Availing facility of Negative Lien from HUDCO as a security for its loan assistance in the Schemes sanction during the financial year 1996-97.

ACE P&M — कार्यवाही जारी है ।

173.12 Loan assistance of Rs 85.27 lacs from HUDCO for the construction of CHS, Sector 1, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur. (Scheme No 13529).

ACE P&M — कार्यवाही जारी है ।

173.13 Loan assistance of Rs 83.42 lacs from HUDCO for the construction of CHS, PH-IV, Saket Nagar, Beawar. (Scheme No 13557).

ACE P&M — कार्यवाही जारी है ।

173.14 Loan assistance of Rs 17.45 lacs from HUDCO for the construction of Pocket Housing Scheme No 2, Sector 6, Sanganer, Jaipur. (Scheme No 13389).

ACE P&M — कार्यवाही जारी है ।

173.19 Authorising Chairman, RHB for signing of Memorandum of Undertaking (MOU) on behalf of the Board.

ACE P&M — आगामी इन-हाउस-मिटिंग में तय किया जाना है ।

173.22 राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी सेवा विनियम 1970 में जोयनिंग समय के संबंध में संशोधन बाबत ।

Secy — सचिव ने बताया कि उक्त संशोधन आज प्रेषित किया जा रहा

173.25 राजस्थान आवासन मंडल में पेंशनरों को चिकित्सा राहत देने संबंधी योजना ।

F A & C AO — कार्यवाही जारी है ।

173.26 समूह दुर्घटना बीमा योजना ।

FA&CAO — कार्यवाही जारी है ।

173.30 राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम 1970 के तहत बने सम्पत्ति निस्तारण विनियम 1970 में अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को मकान आवंटन बाबत प्रावधान करने बाबत ।

CEM — प्रस्ताव मुख्य सम्पदा प्रबन्धक द्वारा भिजवाया जाना प्रस्तावित है ।

173.33 Protection of pay of Shri Gopal Krishan on appointment as PE (Sr) through direct recruitment.

FA&CAO — कार्यवाही की जा रही है, प्रशासनिक स्तर पर उचित निर्णय लिया जावे ।

173.34 टेलीफोन ऑपरेटर पद को कनिष्ठ सहायक पद की वरिष्ठता सूची में सम्मिलित करने बाबत ।

Secy — कार्यवाही जारी है ।

173.36 मंडल के गैर सरकारी बोर्ड सदस्यों को बोर्ड कर्मचारी कोटे में मकान आवंटन हेतु ।

CEM — यह निर्णय लिया गया कि सम्पत्ति निस्तारण विनियम 1970 में संशोधन का प्रस्ताव मुख्य सम्पदा प्रबन्धक तुरन्त राज्य सरकार को भिजवायें ।

173.41 आवास विकास लिमिटेड को गारन्टी देने के संबंध में ।

ACE P&M/ FA&CAO — कार्यवाही जारी है । आवास विकास लि. की पत्रावली उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में दस्तावेज आवास विकास लि. से मंगवाकर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया ।

...6.

173.44 वसूली हेतु विशेष अभियान ।

FA&CAO

वसूली हेतु वि. स. एवं मुख्यलेखाधिकारी द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना की गयी तथा यह तय किया गया कि दिनांक 15.1.97 तक बकाया राशि के नोटिस हर सूरत में आवंटियों को प्रेषित कर दिये जावे तथा वसूली में गति ला जावे ।

174.3 श्री डी. डी. वासवानी, कनिष्ठ लेखाकार को बिना वेतन असाधारण अवकाश स्वीकृत करने बाबत ।

Secy

श्री वासवानी का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया तथा भविष्य सेवा संबंधी ऐसे प्रकरणों में अंतिम निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष महोदय को अ किया गया ।

174.4 श्री बी. के. मल्होत्रा, कनिष्ठ लेखाकार को बिना वेतन असाधारण अव स्वीकृत करने बाबत ।

Secy

श्री मल्होत्रा का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया तथा भविष्य सेवा संबंधी ऐसे प्रकरणों में अंतिम निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया ।

174.5 विशेष मामले के तहत कनिष्ठ सहायकों को टंकण परीक्षा में छूट ।

Secy

यदि एक बार ऐसी छूट टंकण से दी गयी तो भविष्य में इसे उदाहरण बनाया जायेगा तथा मंडल में टंकण कार्य में बाधा आयेगी तथा उक्त शेष 27 कर्मचारियों को टंकण परीक्षा हेतु और मौके दिये जाने का निर्णय लिया गया ।

174.6 सहायक निदेशक (अभिलेख) के पद पर पदोन्नति हेतु राजस्थान आवास मंडल कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 में प्रावधान करने

Secy

विचार-विमर्श कर सेवा नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया

...7

174.7 वरिष्ठ भूनिरीक्षक का पदनाम नायब तहसीलदार में परिवर्तन करने बाबत एवं राजस्थान आवासन मंडल में कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 में प्रावधान करने बाबत ।

Secy/HC चूँकि इस प्रकरण को पूर्व में बोर्ड की 172वीं बैठक में प्रस्ताव पर निर्णय किया जा चुका है, अतः पुनः स्वीकृत किया जाना उचित नहीं है, यदि वरिष्ठ भूनिरीक्षक का पदनाम उचित नहीं है तो आवासन आयुक्त प्रकरण का परीक्षण कर कोई अन्य नामकरण कर दें । उक्त कर्मचारी यदि कार्यालय अधीक्षक एवं आवासन कैडर में मर्ज होना चाहे तो ऐसा भी निर्णय लिया जा सकता है ।

174.8 मंडल के स्टॉफिंग पैटर्न का पुर्नगठन बाबत नवीन पदों के सृजन/क्रमोन्नत बाबत

Secy प्रस्तावों के संबंध में यह निर्णय हुआ कि शेष बिन्दुओं पर स्टॉफिंग पैटर्न कमेटी की सिफारिशों के साथ ही निर्णय लिया जायेगा । पूर्व में मंडल निर्णय बिन्दु संख्या 172.12, दिनांक 22.3.96 के द्वारा सृजित प्रिंसिपल प्राइवेट सैकेट्री का पद समाप्त करने का निर्णय भी लिया गया ।

174.9 कार/जिप्सी क्रय करने हेतु तथा एक ड्राईवर का अतिरिक्त पद सृजित करने के संबंध में ।

Secy आवासन आयुक्त हेतु एक कार/जिप्सी वाहन क्रय करने हेतु एवं एक ड्राईवर का अतिरिक्त पद स्वीकृत करने हेतु इन हाउस में विचारार्थ प्रस्तुत कर अनुमोदन किया जावे ।

174.10 राजस्थान आवासन मंडल में कार्यरत ठेकेदारों के श्रमिकों पर भविष्य निधि अधिनियम लागू करने के संबंध में ।

FA&CAO उक्त प्रकरण में यह निर्णय लिया गया कि वि. स. एवं मुख्यलेखाधिकारी एवं बोर्ड सदस्य श्री बी. एल. दुसाद प्रकरण का परीक्षण कर आयुक्त, भविष्य निधि के निर्णय में अपील करने आदि की संभावनाओं की जाँच कर सुझाव प्रस्तुत करेंगे ।

174.11 सम्पदा प्रबन्धक के पद को भरने बाबत नियमों में संशोधन करने हेतु ।

Secy प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

174.12 लागत एवं वित्त समिति की बैठक दिनांक 2.9.96 व 7.11.96 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि हेतु ।

FA&CAO लागत एवं वित्त समिति के निर्णयों की पुष्टि की गई ।

174.13 आवासन आयुक्त के निवास हेतु किराये पर आवास देने हेतु ।

Secy प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया । ऐसे प्रशासनिक मामलों में भविष्य निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महोदय को अधिकृत किया गया

174.14 चयनित वेतनमान देने बाबत ।

FA&CAO विचार-विमर्श कर अनुमोदन किया गया ।

174.15 बोर्ड सचिव के वित्तीय अधिकार बढ़ाने बाबत ।

Secy प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, सचिव को पूर्व में 1000/-रु. खर्च करने का जो अधिकार था उसे बढ़ाकर 10,000/-रु. किया गया । श्री बी. एल दुसाद, बोर्ड सदस्य का यह भी सुझाव था कि एक नियम/उपनियम समिति भी बनाई हुई है जिसकी बैठक भी शीघ्र बुलाई जावे जिसमें नियम/उपनियम एवं कार्य संचालन प्रणाली (रूल्स ऑफ बिजनेस) संशोधित किया जावे ।

74.16 सांख्यिकी अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 में प्रावधान करने बाबत ।

Secy प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

174.17 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:-

Secy सुपरवाईजर (वरिष्ठ) के प्रत्येक खण्ड में 2 अतिरिक्त पद सृजित किये जाने क्रम में।

उक्त विचार-बिन्दु को स्थगित रखा गया ।

74.18 भूमि व विकास दर 31.3.97 तक स्थगित किये जाने के क्रम में ।

CAO भूमि एवं विकास दर में बढ़ोतरी दिनांक 31.3.97 तक स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्य संपदा प्रबंधक माह जनवरी-97 में हर सूरत में बृत-सांगानेर एवं मानसरोवर की लॉटरी निकालने की कार्यवाही करें । दिनांक 31.3.97 के पश्चात् भूमि एवं विकास दर में बढ़ोतरी स्थगित नहीं की जावेगी ।

74.19 आवास विकास संस्थान के कर्मचारियों हेतु राजस्थान आवासन मंडल द्वारा भूमि/आवास आवंटन के क्रम में ।

P/CEM यह निर्णय लिया गया कि आवास विकास संस्थान को विकसित भूमि उसी दर पर आवंटित की जावे जो दरें सामान्य आवंटियों से ली जाती हो । वरिष्ठ नगर नियोजक मौका देखकर स्थल एवं कितना क्षेत्रफल आवास विकास संस्थान को कुल 304 आवासों हेतु आवश्यक हो के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

4.20 अप्रवासी भारतीयों के लिये प्रतापनगर, सांगानेर में प्रस्तावित योजना के लिये "आरकीटेक्ट हफीज कान्ट्रेक्टर" मुम्बई से कन्सलटेन्सी लिये जाने के संबंध में ।

EM/ विचार-विमर्श किया गया तथा पूर्व में भ्रमण पर गयी कमेटी की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श हुआ तथा यह निर्णय लिया गया कि मात्र अप्रवासी भारतीयों हेतु योजनाऐं बनाई गयी तो योजनाऐं सफल नहीं होगी । अतः हाईवेल्यू क्षेत्र 400 वर्ग गज के भूखण्डों में अप्रवासियों तथा विशिष्ठ व्यक्तियों हेतु एक योजना प्रस्तुत की जावे जिसके लिये मुख्य अभियंता, वरिष्ठ नगरनियोजक एवं मुख्य संपदा प्रबंधक संयुक्त रूप से योजना बनाकर प्रस्तुत करेंगे । उक्त योजना राजस्थानी वास्तुकला को परिलक्षित करने वाली हो इस बात का ध्यान रखा जावे । योजना शीघ्र ही आवासन आयुक्त महोदय को प्रेषित की जावे ।

तदुपरान्त अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद के पश्चात् बैठक का समापन किया गया ।

एम. एल. जांगिड़
सचिव

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर ।

राजस्थान आवासन मंडल की 175वीं बैठक दिनांक 29.1.97 को सम्पन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1.	श्री एस. एन. गुप्ता, अध्यक्ष, राज. आवासन मंडल	: अध्यक्ष
2.	श्री मनोहर लाल, आवासन आयुक्त	: सदस्य
3.	श्री गणपत वर्मा, बोर्ड सदस्य	: सदस्य
4.	श्री बनवारी लाल दुसाद, बोर्ड सदस्य	: सदस्य
5.	श्री बाबू लाल कुमावत, बोर्ड सदस्य	: सदस्य
6.	श्री मोहम्मद मियाँ, बोर्ड सदस्य	: सदस्य
7.	श्री हीरा लाल कटारिया, बोर्ड सदस्य	: सदस्य
8.	श्री बी. एस. सोईन, क्षेत्रीय प्रमुख, हुडको	: सदस्य
9.	श्री डी. डी. चारण, सचिव	: सदस्य सचिव

बैठक में श्री एन. एन. नरहरि, प्रबन्ध निदेशक, आवास विकास संस्थान, श्री अब्दुल मतीन, विशेषाधिकारी, आवास विकास लिमिटेड, श्री पी. एस. भटनागर, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्यलेखाधिकारी, राज. आवासन मंडल (विशेष रूप से आमंत्रित) भी उपस्थित थें ।

कार्यवाही विवरण:-

175.1 मंडल की 174 वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन:-

मंडल की 171 वीं बैठक दिनांक 29.1.96 के बिन्दु संख्या 171.7 में लिये गये निर्णय की पुष्टि मंडल की 173वीं बैठक के बिन्दु संख्या 173.36 पर की गयी एवं बाद में मंडल की 174वीं बैठक में पालना हेतु प्रस्तुत की गयी । इसकी पालना के संबंध में सचिव द्वारा राज्य सरकार का पत्र क्रमांक प. 7(36) नविआ/3/91, दिनांक 6.1.97 की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट

कर निवेदन किया कि राज्य सरकार के उक्त पत्र के द्वारा आवासन मंडल के गैर सरकारी सदस्यों को बोर्ड की 171वीं बैठक में लिये गये निर्णय जिसकी पुष्टि बोर्ड की 173वीं बैठक के बिन्दु संख्या 36 पर हुयी है के संबंध में राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम 1970 की धारा 60 के तहत मंडल के उक्त प्रस्ताव को अमल में नहीं लेने एवं उसे तुरन्त ही खारिज करने के निर्देश जारी किये है, फलस्वरूप बोर्ड के उक्त निर्णय की पालना सुनिश्चित नहीं हो सकी है ।

इस विषय पर बोर्ड में गंभीरता से सविस्तार चर्चा हुयी एवं तदुपरान्त निर्णय लिया गया कि जब तक राज्य सरकार से इस संबंध में पुनः निर्देश नहीं आ जाते है, मामले में अग्रिम कार्यवाही नहीं की जावे ।

इस बिन्दु पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से पृथक से सविस्तार चर्चा हुयी जिसका उल्लेख कार्यवाही में आगे किया जा रहा है । मंडल द्वारा 174वीं बैठक के शेष बिन्दुओं पर लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया ।

अन्य बिन्दुओं की आंशिक पालना से भी बोर्ड को सूचित किया गया लेकिन सभी निर्णयों की पूर्ण पालना नहीं की जा सकी है । बोर्ड की आगामी बैठक से पूर्व जिसकी पालना की जावेगी । तदुपरान्त एजेन्डा अनुसार चर्चा व अनुमोदन निम्नानुसार किया गया है:-

175.2 मंडल के बजट अनुमान 1997-98 एवं संशोधित अनुमान 1996-97

मंडल के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्यलेखाधिकारी ने मंडल के वर्ष 1997-98 के बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान 1996-97 के लिये संलग्न एजेण्डा अनुसार प्रस्तुत किया गया । साथ ही में वर्ष 1996-97 के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों, वित्तीय प्रतिभूतियों (ऋण सहित), राजस्व प्राप्तियों एवं भूमि अवाप्ति के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी ।

...3.

बजट के विभिन्न पहलुओं पर सविस्तार चर्चा के बाद प्रस्तुत बजट अनुमान 97-98 एवं संशोधित अनुमान वर्ष 96-97 का अनुमोदन किया गया ।

राजस्व प्राप्तियों एवं वसूली के संबंध में विशेष चर्चा के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष के शेष समय में लक्ष्य अनुसार राजस्व प्राप्तियों एवं वसूली सुनिश्चित की जावे एवं इस कार्य को एक सघन अभियान के रूप में लिया जावे ।

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :-

175.3 सम्पत्ति निस्तारण नियम (डीपीआर) के नियम 8 में संशोधन एवं विशेष पंजीयन के संबंध में चर्चा ।

इस बिन्दु पर श्री बी. एल. दुसाद द्वारा चर्चा प्रारम्भ करते हुये बोर्ड को बताया कि बोर्ड की गत 171वीं बैठक के बिन्दु 171.7, जिसकी पुष्टि 173.36 में की गयी थी में उल्लेखित सम्पत्ति निस्तारण विनियम में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है चूंकि उक्त विनियम के नियम 8 के अंतर्गत यह स्पष्ट प्रावधान है कि मंडल किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष के लिये पंजीयन कर सकता है । इस प्रकार उक्त विनियमों में पूर्व में ही एतद् विषयक सम्यक प्रावधान होने के कारण इनमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

माननीय सदस्य श्री गणपत वर्मा ने विशेष उल्लेख के जरिये प्रश्न किया कि उपरोक्त परिचर्चा के क्रम में बोर्ड की बैठक के बिन्दु संख्या 173.36 में जहाँ कर्मचारी कोटे का उल्लेख किया गया है वह निर्णय अनुसार सही अंकन नहीं किया गया है । बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को कर्मचारी कोटे में रखने का कोई मानस भी नहीं था । फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा जो निर्देश दिनांक 6.1.97 द्वारा भिजवाये गये है वो विशेष पंजीयन के मामले में लागू नहीं होते । माननीय सदस्य श्री बी. एल. सोईन ने चर्चा में हिस्सा लेते हुये जाहिर किया कि चूंकि बोर्ड की 171वीं बैठक के मूल एजेण्डा में जो भाषा का प्रयोग हुआ है इसी की ही पुष्टि आगामी निर्णय में हुयी है एवं इसकी प्रति राज्य सरकार

को भी दी गयी है फलस्वरूप अब अंतिम हुये निर्णय के संबंध में पुनः चर्चा का औचित्य नहीं रह जाता है । आयोजन आयुक्त महोदय ने भी इनकी बात से सहमति व्यक्त की । उपरोक्त चर्चा के बाद गैर सरकारी सदस्य श्री हीरा लाल कटारिया ने सुझाव दिया कि इस विषय में बोर्ड पुनः स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है । अतः इस संबंध में निर्णय हुआ कि राज्य सरकार को उनके पत्र के क्रम में निवेदन किया जावे कि मंडल को सम्पत्ति निस्तारण विनियम की धारा 8 के अंतर्गत विशेष पंजीयन का अधिकार है तथा उक्त अधिकारों के नीचे विशेष पंजीयन का निर्णय जो पूर्व में लिया गया है उसे कर्मचारी कोटे से अलग देखते हुये सरकार से इस पर पुर्नविचार के लिये निवेदन किया जावे । अध्यक्ष महोदय सहित सभी सदस्यों द्वारा इसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं निर्णय लिया गया कि इस संबंध में सम्पत्ति निस्तारण विनियम की धारा 8 के हवाले से राज्य सरकार को बोर्ड के पूर्ववृति निर्णय 17। वीं बैठक जिसकी पुष्टि 173.36 में की गयी है के संबंध में खोली गयी विशेष पंजीयन योजना को जारी रखने की अनुमति दी जावे, हेतु लिखा जावे।

.HC(F)175.4 हुडकों से लिये जाने वाले ऋण एवं उनके भुगतान के संबंध में चर्चा ।
& CAO

श्री बी. एस. सोईन ने विशेष हवाले के जरिये बताया कि इस वर्ष मंडल द्वारा कोई बड़ी योजना तैयार कर कोई आवेदन नहीं किया गया है । इसके अलावा उन्होंने यह भी जाहिर किया कि जो भी योजना तैयार की जाती है उनकी क्रियान्विति उनकी मूल भावनाओं के अनुरूप नहीं किये जाने के कारण तथा लिये गये ऋण को उपबन्धों के अनुसार उपयोग में नहीं लेने के कारण मंडल को अनावश्यक दण्डनीय ब्याज भी देना पड़ता है । अतः जिन योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर नहीं हो तो ऐसी योजना के लिये, लिये गये ऋण को यथा समय वापिस लौटा दिया जावे तो मंडल को अनावश्यक आर्थिक भार के रूप में दंडनीय ब्याज अदा नहीं करना पड़ेगा ।

श्री सोईन के उपरोक्त मत से माननीय सभी सदस्य एक राय से सहमत थें कि सर्वप्रथम व्यवहारिक योजना बना कर ही ऋण लिया जावे एवं किसी कारणवश

समय पर इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता तो निर्धारित समय सीमा में इसको पुनः लौटा दिया जावे ताकि मंडल को दंडनीय ब्याज नहीं भुगतना पड़े ।

CAO 175.5 कोस्टिंग प्रोफाईल तैयार करने के संबंध में ।

इस संबंध में श्री हीरा लाल कटारिया बोर्ड मेम्बर एवं श्री दुसाद ने चर्चा प्रारम्भ करते हुये कहा कि मंडल में सम्यक रूप से कोस्टिंग प्रोफाईल तैयार नहीं होने के कारण भी भवनों की कीमत बढ़ती है । अतः भवनों की कीमतों को कम रखने के दृष्टिकोण से अन्य विनियमों के साथ एक कोस्टिंग प्रोफाईल भी तैयार की जावे । इस संबंध में यह निर्णय हुआ कि उक्त विषयक रिपोर्ट वित्तीय सलाहकार एवं मुख्यलेखाधिकारी तथा श्री बी. एल. दुसाद, बोर्ड सदस्य (सी. ए.) मिलकर तैयार करेंगे एवं उसे आगामी इन हाउस मीटिंग में विचारार्थ रखा जावे ।

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त तत्पर वसूली कराके वसूली के लक्ष्यों को पूर्ण करने की आवश्यकता पर बल दिया गया । तदुपरान्त बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी ।

सचिव

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर ।

कार्यवाही विवरण:-राजस्थान आवासन मंडल की 176वीं बैठक दि. 13.8.97

मंडल मुख्यालय के सभागार में 176वीं बैठक श्री एस. एन. गुप्ता, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मंडल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1. श्री एस. एन. गुप्ता, अध्यक्ष, राज. आवासन मंडल : अध्यक्ष
2. श्री परमेश चन्द्र, शासन सचिव, न. वि. आवासन विभाग, राज. सरकार : सदस्य
3. श्री मनोहर लाल, आवासन आयुक्त, राज. आवासन मंडल : सदस्य
4. श्री सी. एस. मेहता, मुख्य नगर नियोजक : सदस्य
5. श्री बी. एस. सोईन, क्षेत्रीय प्रमुख हुडको : सदस्य
6. श्री बी. एन. मूलचंदानी, मुख्य अभियंता, रा. आ. मं. : विशेष आमंत्रित
7. श्री पी. एस. भटनागर, वि. स. एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा. आ. मं. : विशेष आमंत्रित
8. श्री नन्द लाल, कार्यवाहक मुख्य संपदा प्रबन्धक, रा. आ. मं. : विशेष आमंत्रित
9. श्री डी. डी. चारण, सचिव, राज. आवासन मंडल : मंडल सचिव

बैठक में सर्वप्रथम अध्यक्ष श्री एस. एन. गुप्ता द्वारा सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. सरकार एवं अन्य आमंत्रित सदस्यों का आभार व्यक्त किया । तदनुपरान्त बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की जाकर निम्नानुसार निर्णय लिये गये ।

176.1 मंडल की 175वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन :-

मंडल की 175वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन इस संशोधन के साथ किया गया कि श्री बी. एन. मूलचंदानी को गत बैठक की कार्यवाही में विशेष आमंत्रित के रूप में अंकित किया गया तथा कोस्टिंग प्रोफाईल के संबंध में कोई कमेटी का गठन किया जाकर एक कोस्टिंग मैनुअल के रूप में इसे तैयार किया जाये ।

...2.

176.2 मंडल की 174वीं एवं 175वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपो

C.E. मंडल द्वारा क्रियान्विति रिपोर्ट को बिन्दुवार नोट किया गया 17
के संबंध में निर्णय लिया गया कि चूँकि सभी प्रयास मंडल स्तर से इन
निस्तारण के लिये किये जा चुके है । अतः जो भवन निस्तारित नहीं
है के संबंध में मंडल अध्यक्ष/आवासन आयुक्त को उनके स्तर से इस आवा
निस्तारित करने के लिये उन्हें अधिकृत किया गया । इसके साथ ही
बिन्दु को क्रियान्विति रिपोर्ट में से विलोपित किया गया ।

178.7 इस बिन्दु के संबंध में निर्णय हुआ कि स्थानीय निकायों में प्रचलित नि
C.E. STP आधार पर ही भूमि का आवंटन किया जाने का उल्लेख का निर्णय लि
गया ।

पालना में जिन-जिन बिन्दुओं में मंडल के स्तर पर विचाराधीन होन
बताया है उनकी एक-एक प्रति सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन
को देने का निर्णय लिया गया ।

173.41 इसके संबंध में निर्णय लिया गया कि आवास विकास लिमिटेड को मंडल
DHC(P&M) स्तर से गारन्टी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः उक्त बिन्दु
FA&CAO समाप्त किया जाये ।

174.20 अप्रवासी भारतीयों को प्रताप नगर योजना में प्रस्तावित योजना संबंध
C.E. S.T.P. कन्सलटेन्सी के बिन्दु को भी समाप्त किया गया । इस प्रकार पालना
बिन्दुओं में से इसे हटाने का निर्णय लिया गया ।

175.2 निर्णय हुआ कि इस संबंध में स्मरणपत्र वि. स. एवं मुख्यलेखाधिकारी पुनः
FA&CAO करेंगे ।

175.4 चर्चा के दौरान हुडको प्रमुख ने बताया कि आवासन मंडल को जो
FA&CAO DHC(P&M) स्कीम स्वीकृत हुई है एवं जो ऋण प्राप्त किये गये है, में काफी अंतर है
अतः इसकी पूर्ण पालना करवाई जाये ।

..

176.3 मंडल द्वारा संधारित उद्यानों के रख-रखाव हेतु उद्यान निरीक्षक का एक पद सृजन बाबत ।

Secy. मंडल द्वारा संधारित उद्यानों के रख-रखाव हेतु प्रस्तावानुसार उद्यान निरीक्षक के एक पद को वेतन श्रृंखला 1400-2600 में अस्थाई रूप से प्रथमत: एक वर्ष के लिये कार्यालय आदेश क्रमांक 1320, दिनांक 5.7.97 के द्वारा सृजित किये जाने का अनुमोदन किया गया । इसके साथ ही उक्त पद को भरने के लिये राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 में प्रावधान किये जाने का भी अनुमोदन किया गया ।

176.4 विशेष प्रयोजन पर अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मंडल द्वारा मंडल में अवकाश घोषित किये जाने के संबंध में:-

Secy. इस संबंध में चर्चा की गई । सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुये कहा कि इस संबंध में कोई विशेष नियम राज्य सरकार में नहीं है तथा मंडल स्तर से भी इस प्रकार की व्यवस्था किया जाना नियमों के अंतर्गत नहीं है, तथापि दिनांक 13.1.97 को उपभोग किये गये अवकाश का विशेष परिस्थिति में मंडल द्वारा अनुमोदन किया जाता है । भविष्य में राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेकर ही अवकाश घोषित किये जावे । अन्यथा ऐसे अवकाश घोषित नहीं किये जाये । इसका सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ।

176.5 विभिन्न समितियों के पुनर्गठन के संबंध में:-

Secy. मंडल के कार्यालय आदेश क्रमांक प.1.1.कार्मिक/गठन/94-97/1267, दिनांक 26.6.97 के द्वारा गठित समितियों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। ये समिति पूर्व की भाँति संभागीय आवंटन समिति का कार्य भी करेगी । सम्बन्धित आवंटन समितियों में संबंधित जिलाधीश या उनके प्रतिनिधि सदस्य के रूप में भी कार्य करेंगे ।

176.6 श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, वर्कचार्ज सुपरवाईजर (कनिष्ठ) के स्वर्गवास उपरान्त उनकी पत्नी श्रीमती मंजू शर्मा को हैल्पर के पद पर दी गई
Secy. नियुक्ति की पुष्टि के संबंध में ।

अनुमोदन कियागया ।

176.7 रेन्टल आवंटन समिति के निर्णयों की पुष्टि:-

Secy. उक्त बिन्दु पर विचार-विमर्श के उपरान्त उल्लेखित 54 आवासों की सूची का अनुमोदन किया गया तथा रेन्टल समितियों की बैठक दिनांक 5.2.97, 28.3.97, 30.6.97 एवं 5.8.97 को कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गयातथा प्रस्तावित एजेण्डा का भी अनुमोदन किया गया।

176.8 राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम में राज्य
Secy. सरकार द्वारा जारी आदेश एफ. 7(1)(क/क-2/91, दिनांक 1.4.97 के अनुरूप मंडल में भी सेवा नियमों में संशोधन हेतु ।

उक्त बिन्दु को इस संबंध में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति, जनजाति समन्वय परिषद के प्रतिवेदन पर डेफर किया गया।

176.9 मंडल में कार्यरत डिग्रीधारी परियोजना अभियंताओं को एम. ई. (अंशकालीन) में अध्ययन हेतु प्रायोजित करने व निर्धारित फीस का भुगतान करने के

Secy. इस संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई । चर्चा के दौरान सर्वसम्मति से सहमति हुई कि इस संबंध में अन्य कर्मचारियों द्वारा भी ऐसी माँग की जा सकती है एवं मंडल में वर्तमान में एतद्विषयक सम्यक प्रावधान भी नहीं होने के कारण इसको अनुमोदित करना उचित नहीं है । मंडल ने यह निर्णय किया कि आग्रिम अध्ययन हेतु मंडल स्तर से कोई व्यय किया जाना संभव नहीं है । फलस्वरूप डिग्रीधारी, परियोजना अभियंताओं को एम. ई. (अंशकालीन) अध्ययन के लिये उपलब्ध कराई गई राशि वसूल करने का निर्णय लिया

साथ ही यह भी निर्णय हुआ कि इस संबंध में बोर्ड द्वारा अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मंडल को राशि किश्तों में वसूल करने का भी अधिकार दिया जाय।

176.10 अधिकारीगण के निवासीय टेलीफोन से की जाने वाली लोकल कालस की सीमा के निर्धारण बाबत:-

Secy. प्रस्तावानुसार वर्तमान में निर्धारित कालस की सीमा बढ़ाने का अनुमोदन किया गया।

176.11 स्वर्गीय श्री लालचन्द, जमादार के अनुकम्पा स्वीकृति के संबंध में।-

Secy. प्रस्ताव अनुसार अनुमोदन किया गया।

176.12 रिवीजन इन इनकम सीलिंग फार हाउसिंग स्कीम्स:-

Dy.HC(P&M) उक्त बिन्दु पर चर्चा की गई एवं निम्नानुसार संशोधित दरें सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई:-

S.No.	Category	Existing limits	Revised limits
1.	EWS	upto 1250/-	upto 2100/-
2.	LIG	1251 to 2650	2101 to 4500
3.	MIG-A	2651 to 3500	4501 to 6000
4.	MIG-B	3501 to 4450	6001 to 7500
5.	HIG	4451 & above	7501 & above

176.13 वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकृत भूमि एवं विकास दर को 31.8.97 तक स्थिर किये जाने बाबत।-

FA&CAO इस बिन्दु पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाकर निर्णय हुआ कि [illegible]

C.E. सिद्धान्ततः बार-बार भूमि की दरों को स्थिर करने के पक्ष में नहीं है। आवासन आयुक्त/मुख्य सौदा प्रबन्धक ने अवगत करवाया कि वर्तमान में दिनांक 14.8.97 को लॉटरी प्रस्तावित है एवं इस लॉटरी में आवंटियों को कोस्टिंग कर सूचित करने का कम से कम 2 महिने का समय लगना संभावित है। ऐसी स्थिति में भूमि की कीमत दिनांक 31.10.97 तक बढ़ाया जाना औचित्य है ताकि प्रस्तावित लॉटरी के वर्तमान दर पर आवंटनपत्र जारी हो सके। उपरोक्त

...6.

परिस्थिति में भूमि की कीमतें दिनांक 31.10.97 तक स्थिर की जाने का निर्णय लिया गया लेकिन साथ ही में यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 1.11.97 से प्रस्तावित नई दरें लागू होंगी । साथ में यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 31.10.97 से पूर्व सभी प्रकार कोलॉटरिय के आधार पर आवंटियों को कब्जेपत्र वगैरह इस तारीख से पूर्व जारी किये जाये । 31.10.97 तक कोई आवंटी नहीं की जावे ।

176.14 वित्त एवं लागत समिति दिनांक 14.2.97, 4.3.97 एवं 24.4.97 के निर्णय की पुष्टि:-

FA & CAO वित्त एवं लागत समिति की बैठक दिनांक 14.2.97, 4.3.97 एवं 24.4 के निर्णयों की पुष्टि की गई ।

176.15 राजस्थान आवासन मंडल में भविष्य निधि योजना के स्थान पर राजस्था आवासन मंडल कर्मचारी पेंशन अधिनियम 1992 व राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि विनियम 1991 लागू किये जाने के संबंध

FA & CAO इसके बारे में संलग्न एजेण्डा अनुसार पुष्टि की गई ।

176.16 Authorising Chairman, RHB to approve raising of loans and issuing administrative and financial (A.F) sanction for various schemes.

Dy.HC(P&M) दिनांक 31.3.98 तक अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया ।

176.17 मानसरोवर तथा प्रतापनगर योजना में उच्च आय वर्ग के अनिस्तारित ब आवासों के निस्तारण हेतु मासिक किश्तों की अवधि 8 वर्ष से बढ़ाकर पुनः वर्ष करने बाबत:-

FA & CAO इस संबंध में गहन विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि पूर्व में स्वीकृत योजनाओं के पात्र उच्च आय वर्ग के संबंधी किश्तों के पुनर्भरण की अवधि 8 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष कर दी जाये । फलस्वरूप उच्च आय वर्ग के लिये पूर्व में स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत पुनर्भरण की अवधि 10 वर्ष करने का निर्णय लिया गया ।

..7.

176.18 वर्ष 1994 की विशिष्ठ पंजीकरण योजना के अंतर्गत पंजीकृत सांसद/विधायकों एवं अधिस्वीकृत पत्रकारों को सॉयानेर योजना के स्थान पर मानसरोवर आवास में आवासों के आवंटन हेतु प्रस्ताव:-

ACE-III

उक्त बिन्दु पर विचार-विमर्श के उपरान्त इसे डेफर (स्थगित) किया गया।

176.19 पंजीकृत आवेदकों को आवंटित बहुमंजिले फ्लेट/डूप्लेक्स आवासों के स्थान पर स्वतंत्र आवास आवंटन करने हेतु प्रस्ताव:-

ACE-III. पंजीकृत आवेदकों को आवंटित बहुमंजिले फ्लेट/डूप्लेक्स आवासों के स्थान पर स्वतंत्र आवास आवंटन के लिये निर्णय लिया गया कि ऐसे आवंटियों को जो पूर्व में आवंटित बहुमंजिले फ्लेट/डूप्लेक्स आवासों के कब्जे नहीं लेने की स्थिति में आवेदन करने पर वैकल्पिक स्वतंत्र आवास उपलब्ध होने पर आवंटन किया जा सकेगा। इस हेतु उनकी वरीयता पूर्ववत ही रहेगी। लेकिन उक्त निर्णय ऐसे आवंटियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने आवंटित भवनों का कब्जा प्राप्त कर लिया है या अपनी पंजीयन राशि पुन: ले ली है। साथ में यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे स्वतंत्र आवास चाहने वाले आवंटी संस्था द्वारा उन्हें के रूप से आवंटित किये गये आवास की उपलब्धता निर्धारित कीमत एवं आकार के बारे में कोई क्लेम नहीं कर सकेंगे।

176.20 सांसद/विधायक/अधिस्वीकृत पत्रकारों को आवंटित मकानों की लागत के बारे में:-

FA&CAO

उक्त विचार-बिन्दु विचार-विमर्श के उपरान्त स्थगित (डेफर) किया गया।

176.21 अध्यक्ष, राज्य आयोग के आदेश दिनांक 10.4.97 के अनुसार समझौता समिति के गठन की स्वीकृति बाबत:-

Director(L) उक्त विचार-बिन्दु के संबंध में सविस्तार चर्चा करने के उपरान्त निम्नानुसार कमेटी गठन करने पर सहमति हुई:-

1. सेवा निवृत्त आई. ए. एस. अधिकारी (जो सचिव स्तर से कम का न हो) : अध्यक्ष

..8.

2. राज्य सरकार/मंडल का सेवा निवृत्त मुख्य अभियंता :सदस्य
3. अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट :सदस्य
4. मेडिकल सेवा का कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी :सदस्य
(जो मंडल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भिन्न हो)

अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्रस्तावानुसार मानदेय देय होगा लेकिन सदस्यों को महीने में कम से कम 15 दिन तक बैठकें करनी होंगी एवं प्रति बैठक के लिये 50/-रु. कन्वेंस चार्जेज भी देय होगा । उक्त समिति का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार होगा:-

1. समिति के अधीन वे सभी प्रकरण जो विचारणीय होंगे जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में आते हों ।
2. समिति उपभोक्ता संरक्षण न्यायालयों से संदर्भित प्रकरणों का निपटारा करेगी तथा नये वाद भी श्रवणार्थ ग्रहण कर सकेगी ।
3. उक्त समिति रु. 50,000/- तक के अनुतोष से संबंधित प्रकरण ही सुनेगी इससे अधिक अनुतोष वाले प्रकरण उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय में ही चलाये जाने होंगे ।
4. यदि कोई वादी समझौता समिति के निर्णय से सहमत न हो तो वह अपील कर सकेगा ।
5. रजिस्ट्रेशन फीस मात्र नवीन प्रकरणों में ही देय होगी तथा संदर्भित में देय नहीं होगी ।
6. समिति एक स्वतंत्र कार्यालय के रूप में कार्य करेगी इस हेतु लगातार टिंग स्टाफ मंडल के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा जिसकी गणना निदेशक अभियोजन से पूरा कर कार्यालय अनुभाग करेगा ।
7. मंडल द्वारा समझौता समिति की उपादेयता महसूस नहीं करने पर इसे समाप्त करने का अधिकार मंडल के पास सुरक्षित रहेगा ।

इन बिन्दुओं का सम्यक-समावेश कर निदेशक अभियोजन द्वारा एजेण्डा में रखा जायेगा । इस निर्णय के साथ समिति के गठन एवं कार्यक्षेत्र का अनुमोदन किया गया ।

..9..

176.22 मैसर्स हाइवे सर्विस स्टेशन को पेट्रोल पंप स्थापित किये जाने हेतु मानसरोवर योजना में 700 वर्ग मीटर भूमि आवंटन के संबंध में :-

C.E.M. इस संबंध में निर्णय लिया गया कि नगर विकास न्यास के नियमों के अनुरूप पेट्रोल पंप हेतु भूमि का विक्रय क्षेत्र की समीपस्थ प्रचलित वाणिज्यिक दर पर ही किया जा सकेगा ।

176.23 श्री एस. के. जैन, आवासीय अभियंता को रू. 1.60लाख तिपहिया अग्रिम देने बाबत :-

FA & CAO विचार-विमर्श के पश्चात् उक्त विचार-बिन्दु को अनुमोदित किया गया ।

176.24 मंडल के स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्गठन बाबत नवीन पदों के सृजन/क्रमोन्नत बाबत ।

Secy. FA & CAO

विचार-विमर्श के उपरान्त उक्त विचार बिन्दु को आगामी बैठक के लिये स्थगित किया गया ।

176.25 सुपरवाइजर (वरिष्ठ) के प्रत्येक खण्ड में 2 अतिरिक्त पद सृजित किये जाने के क्रम में (174 वीं बैठक का स्थगित आइटम नं. 174.17)

Secy. इस बिन्दु पर विचार कर इसे स्टाफिंग पैटर्न कमेटी की बैठक में संदर्भित करने हेतु स्थगित किया गया ।

176.26 आवंटनपत्र में वर्णित राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराने पर वसूल किये जाने वाले ब्याज के संबंध में:-

C.E.M. इस बिन्दु पर विचार-विमर्श किया गया । मंडल की 161 वीं बैठक के बिन्दु संख्या 161.2 में यह निर्णय हुआ था कि जिन प्रकरणों में आवंटी को आवंटन पत्र मंडल की गलती के कारण प्राप्त नहीं हुये हैं तथा जहाँ आवंटी की कोई गलती नहीं है वहाँ पर ऐसे प्रकरणों में आवंटनपत्र में वर्णित राशि देरी से जमा कराने के कारण देरी की अवधि के लिये ब्याज उस दर

...10

से वसूल किया जाने जित दर पर राजस्थान आवासन मंडल हुडको ब्याज का भुगतान करता है । इसके संबंध में वर्तमान बैठक में यह अवगत किया गया कि जिन मामलों में मंडल की गलती के कारण जो [illegible] पर आरोपित नहीं किये है एवं ऐसे प्रकरण लागत समिति में विचारित किये जाकर मामले विशेष में यदि लागत कमेटी यह मानती है कि ब्याज के मुद्दे पर गलत गणना की गई है तो मामले विशेष में ब्याज वसूल करने के संबंध में हुडको की दर की प्रति नहीं होगी ।

176.27 Loan assistance of Rs.147.05 lacs from HUDCO for the construction of Composit Housing Scheme Ph.II, Swami Vivekanand Nagar, Kota (Sch.No.14382).

Dy.HC (P&M)

विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

176.28 Loan assistance of Rs.89.70 lacs from HUDCO for the construction of Composit Housing Scheme Mahi Extn., Banswara. (Sch. No.14375).

Dy.HC (P&M)

विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

176.29 Loan assistance of Rs.366.48 lacs from HUDCO for the construction of Composit Housing Scheme Ph.IV, Sector-19 Pratap Nagar, Sanganer., (Sch.No.14279).

Dy.HC (P&M)

विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

176.30 Issuing of Block Administrative & Financial sanction by the Govt. of Rajasthan in favour of Rajasthan Housing Board for taking loan from HUDCO for the year 1997-98.

Dy.HC (P&M)

विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

176.31 जगतपुरा आवासीय योजना फेज योजना नं. 14282 के लिये भूमि अवाप्ति के लिये हुडको से रु. 535.00 लाख के ऋण प्राप्ति हेतु ।

Dy.HC (P&M)

उक्त विचार-बिन्दु को सिद्धान्ततः स्वीकार किया गया लेकिन यह भी निर्णय लिया गया कि स्कीम को कार्य रूप देने से पूर्व देख लेने के लिये लिमिटेड हाउसिंग स्कीम के बजाय जपीन पर ऋण लेने के लिये हुडको को बदला जाए में विशेष अंतर तो नहीं है ।

176.32 दिनांक 11.7.97 को आयोजित सम्पत्ति आवंटन समिति के निर्णय पुष्टि हेतु :-

C.E.M. दिनांक 11.7.97 को आयोजित सम्पत्ति आवंटन समिति के निर्णय की पुष्टि की गई ।

176.33 दिनांक 7.5.97 को आयोजित वर्क्स कमेटी के निर्णय पुष्टि हेतु :-

C.E. दिनांक 7.5.97 को आयोजित वर्क्स कमेटी के निर्णय की पुष्टि की गई ।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य टेबिल बिन्दु के रूप में बिन्दुओं के रूप में ग्राह्य किये जाकर निर्णय लिये गये जो निम्नानुसार है:-

1. सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्र क्रमांक 177/एस/यूडी/97, दिनांक 28.7.97 पर चर्चा की गई एवं निर्णय लिया गया कि अजमेर की 50वीं वर्षगांठ पर प्रस्तावानुसार भवनों, उद्यानों का नाम को वास्तुविदों के नाम पर किये जाकर उनके महत्वपूर्ण योगदान का स्मरण किया जावे ।

C.E.
S.T.P.

2. सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्र क्रमांक 178/एस/यूडी/97, दिनांक 28.7.97 पर चर्चा की गई एवं निर्णय लिया गया कि जहाँ तक भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं का प्रश्न है इस संबंध में [illegible] में पूर्व में ही प्रावधान उपलब्ध है एवं उसके अनुसार 2 प्रतिशत का कोटा निर्धारित है । इस संबंध में निर्णय लिया गया कि उक्त कोटे से संबंधित प्रावधानों में इस बात का भी समावेश किया जावे कि जो सैनिक, सैनिक कार्यवाही के दौरान ड्यूटी देते हुये वीर गति को प्राप्त हो गये हों, उनकी विधवाओं को भी प्राथमिकता दी जावे ।

C.E.M.

3. सवाई माधोपुर चिकित्सालय में न्यूरोसर्जरी वार्ड बनाने के संबंध में मंडल की ओर से सहायता प्रदान करने संबंधी बिन्दु पर भी चर्चा हुई लेकिन अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि राजस्थान आवासन मंडल अपनी कालोनियों में ही चिकित्सा सुविधा एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराता है, फलस्वरूप इस संबंध में कोई योगदान दिया जाना संभव नहीं है।

C.E.
FA & CAO

4. आवासन आयुक्त द्वारा जाहिर किया गया कि हाल ही में मंडल द्वारा स्टेडियम में जल व्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य खेलपरिषद के आग्रह पर उनके खर्चे से निष्पादित करने का निर्णय लिया है जिसमें मंडल पर्यवेक्षण के कार्य के रूप में किसी प्रकार का खर्च वसूल नहीं करेगा। मंडल द्वारा बिन्दु का भी विचार-विमर्श पश्चात् अनुमोदन किया गया।

C.E.

तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

सचिव 6/5/9

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर ।

कार्यवाही विवरण:- राजस्थान आवासन मंडल की 177वीं बैठक
दिनांक 17.12.97

मंडल मुख्यालय के सभागार में 177वीं बैठक श्री एस. एन. गुप्ता, आई.ए.एस. राजस्थान आवासन मंडल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1.	श्री एस. एन. गुप्ता, अध्यक्ष, राज. आवासन मंडल	: अध्यक्ष
2.	श्री परमेशचन्द्र, शासन सचिव, न. वि. एवं आवासन विभाग	: सदस्य
3.	श्री मनोहर लाल, आवासन आयुक्त, रा. आ. मंडल	: सदस्य
4.	श्री ए. के. गुप्ता, अ. मुख्य नगर नियोजक	: सदस्य
5.	श्री बी. एल. दुसाद,	: गैरसरकारी सदस्य
6.	श्री गुल मोहम्मद,	: ,, ,,
7.	श्री भवानी सिंह राजावत,	: ,, ,,
8.	श्री चुन्नी लाल,	: ,, ,,
9.	श्री पुष्प जैन,	: ,, ,,
10.	श्री बी. एस. सोईन, क्षेत्रीय प्रमुख हुडको,	: ,, ,,
11.	श्री एच. एस. मीणा, सचिव, रा. आ. मंडल	: मंडल - सचिव

इनके अतिरिक्त श्री बी. एन. मूलचन्दानी, मुख्य अभियंता एवं श्री पी. एस. भटनागर, वि. स. एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मंडल विशेष आमंत्रित भी उपस्थित थे ।

बैठक में सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा नवआगन्तुक माननीय गैर सरकारी सदस्यों का अभिनन्दन किया गया । तदुपरान्त बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की जाकर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

177.1 मंडल की 176वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन:-

मंडल की 176वीं बैठक दिनांक 13.8.97 के निर्णयों का अनुमोदन किया गया ।

..2.

177.2 मंडल की 176वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट:-

मंडल द्वारा क्रियान्विति रिपोर्ट का बिन्दुवार अवलोकन कर निम्न बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

176.1 लोस्टिंग प्रोफाईल तैयार करने बाबत ।

FA & CAO मंडल की 175वीं बैठक के बिन्दु संख्या 175.5 के अनुसार भवनों की कीमतों को कम करने की दृष्टि से अन्य विनियमों के साथ एक "लोस्टिंग प्रोफाईल" वि एवं मुख्यलेखाधिकारी द्वारा तैयार की जानी थी । उ रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई । विचार-विमर्श के उपरान निर्णय लिया गया कि पूर्व निर्णयानुसार वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी पुन: बोर्ड संचालक मंडल में गठित सदस्य श्री बी.एल. दुसाद के साथ मिलकर एवं 20.1.98 तक तैयार कर लें ।

172.7 S.T.P. वाणिज्यिक भूमि पेट्रोल पम्प आदि की भूमि के लिये आरक्षित दर के संबंध में ।

वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत सूचना का अव कर संतोष प्रकट करते हुये उक्त बिन्दु को क्रियान्वि विलोपित किया गया ।

175.2 FA & CAO मंडल के बजट अनुमान 1997-98 एवं संशोधित अनु 1996-97

चर्चा के दौरान वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी द्वारा गया कि उक्त बजट स्वीकृति हेतु राज्य सरकार गया है । शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आ विभाग द्वारा बताया गया कि बजट स्वीकृति के

विषयक वित्त विभाग राजस्थान सरकार की शर्तें मंडल [illegible] सरकार के लिये [illegible]

बजट की स्वीकृति दी जाना [illegible]

इस संबंध में निर्णय हुआ कि बजट स्वीकृति हेतु वित्त विभाग राजस्थान सरकार की निर्धारित शर्तें पूर्ण की जावे ।

175.4 हुडको से लिये जाने वाले ऋण एवं उनके भुगतान के संबंध में ।
ACE(P&M)

उप आवासन आयुक्त (पी. एण्ड एम.) द्वारा प्रस्तुत क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन उपरान्त श्री बी. एस. सोईन, क्षेत्रीय प्रबंधक, हुडको द्वारा सुझाव दिया गया कि आवासीय योजनाओं के निर्माण हेतु हुडको से ऋण प्राप्त करने हेतु जो योजनायें बनाई जाती है उनमें से यदि कोई योजना स्थगित (ड्राप) कर दी गई है अथवा उनमें कमी कर दी गई हैं, उसी के अनुरूप योजनाये बनाई जावे ताकि हुडको द्वारा ऋण स्वरूप स्वीकृत राशि एवं वास्तव: ऋण प्राप्त की गई राशि में अंतर न रहे। बोर्ड द्वारा निर्णय किया गया कि श्री आर. के. तागड़िया, कार्यवाहक अतिरिक्त मुख्य अभियंता (पी. एण्ड एम.) वृत्त/खण्ड कार्यालयो से [illegible] में "करटेलमेंट" संबंधी सम्पूर्ण सूचनायें 31.1.98 तक प्राप्त कर प्रस्तुत करें ।

176.12 रिवीजन इन इनकम सीलिंग फॉर हाऊसिंग स्कीम:-
C.E.M.

हुडको द्वारा आय मर्यादानुसार "इनकम सीलिंग" में संशोधन किया गया है, उसी के अनुरूप कार्यालय आदेश शीघ्र निकाला जाये ।

176.15 राजस्थान आवासन मंडल में भविष्य निधि योजना के स्थान पर राजस्थान आवासन मंडल पेंशन अधिनियम 1992 व राजस्थान आवासन मंडल भविष्य निधि विनियम 1991 लागू किये जाने के संबंध में ।
F A&CAO

...4..

उक्त बिन्दु की क्रियान्विति रिपोर्ट के संबंध में वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी द्वारा बताया गया कि निर्णयानुसार औपचारिक कार्यालय आदेश जारी किये जाने हेतु प्रस्तुत में है ।

176.16 ACE(P&M) Authorising Chairman,RHB to approve raisi of loans and issuing administrative and f neial (A&F) sanction for various schemes.

उक्त बिन्दु की क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन कर श्री बी.एस.सोईन, क्षेत्रीय प्रमुख हुडको द्वारा राय व्यक्त की गई कि इस बात का प्रयास किया जाना चाहिये कि राज्य सरकार से "ब्लाक गारन्टी" की स्वीकृति शीघ्र मिल जाये ।

176.26 F A& C AU आवंटन पत्र में वर्णितराशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराने पर वसूल किये जाने वाले ब्याज के संबंध में :-

वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी द्वारा बताया गया कि निर्णयानुसार जारी किये जाने वाला कार्यालय आदेश प्रस्तुतीकरण में है ।

176.31 ACE(P&M) जगतपुरा आवासीय योजना फेज नंबर 14282 के लिये अवाप्ति के लिये हुडको से रुपये 535.00लाख के ऋण प्राप्त हेतु ।

उक्त बिन्दु की क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन के सम्बन्ध में आवासन आयुक्त महोदय ने बताया कि प्रकरण पर उनके द्वारा दिनांक 16.12.97 को वि.स. एवं मुख्य लेखाधिकारी से विचार-विमर्श किया है एवं वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रोजेक्ट कमेटी में विचारार्थ प्रस्तुत

किये जाने वाला प्लान तैयार कर लिया है । इसी बिन्दु की निरंतरता में श्री बी. एस. सोहेन द्वारा राय व्यक्त की गई कि ब्लाक गारन्टी एक वर्ष की हो तो उचित है । उक्त बिन्दु इसी बैठक में अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से टेबिल बिन्दुओं की क्रियान्विति रिपोर्ट:-

बिन्दु संख्या 121:- क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा इस संबंध में निर्णय लिया गया कि भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को एकान आवंटन हेतु निर्धारित 2 प्रतिशत कोटे में सैनिक कार्यवाही के दौरान ड्यूटी देते हुये वीरगति को प्राप्त हो गये सैनिकों या ऐसी कार्यवाही के दौरान जो सैनिक स्थायी रूप से विकलांग हो गये हो को भी उक्त कोटे में सम्मिलित किया जावे । तत्संबंधी प्रावधान प्रचलित नियमों में जोड़ा जावे ।

C.E.M.

177.3 FA CAO

सांसदों/विधायकों/पत्रकारों को प्रतापनगर योजना में आवंटित आवासों की लागत के क्रम में ।

सांसदों/विधायकों/पत्रकारों को सांगानेर योजना में 31.3.97 को आवंटित आवासों की लागत प्रचलित लागत नियमों के अनुसार निर्धारित कर 20.10.97 के आदेश द्वारा स्वीकृति जारी की जा चुकी है । प्रतिलिपि संलग्न है । मंडल द्वारा इसकी पुष्टि की गयी ।

ANNEXURE
177.3

: RAJASTHAN HOUSING BOARD :JAIPUR :

Dated 20.10.97

Nr.F2(3)Costing/617/334

The Chief Estate Manager/Estate Manager,
Rajasthan Housing Board
Circle . . . . . .

Sub. : Final costing of Pratap Nagar Houses/flats allotted on 31.3.97 at Sanganer,Jaipur.

Madam/Sir,

The Final costing of above houses/flats is conveyed as under :

S.No.	Size (sq.m) house Nos.	Nos.	Land rate	Date of intt.	Extra Land rate	Final cost	Repay period
COMPLETE HOUSES.							
1.	10.5x20 / p.a. 128.08	HIG 4	500/-	19%	625/-	9,33,350/-	0[illegible]
2.	8x15 / p.a.57.89	MIG A 1	460/-	18.5%	575/-	3,85,050/-	
3.	6x15 / p.a. 35.13	LIG 3	440/-	15%	550/-	2,08,400/-	
4.	5x12 / p.a. 16.665	2	420/-	13%	525/-	1,14,650/-	
SKELTON :							
5.	10.5x20 / p.a 128.096	HIG 32	500/-	19%	625/-	5,53,550/-	
6.	9x18 / p.a. 107.42	MIG B 9	[illegible]/-	18.5%	600/-	4,79,750/-	
7.	8x15 / p.a. 57.89	MIG A 1	460/-	18.5%	575/-	2,75,800/-	
8.	6x15 / p.a. 35.13	LIG	440/-	15%	550/-	1,34,800/-	
9.	5x12 / 16.665	EWS	420/	13%	525/-	69,000/-	
Plinth Level Houses							
10.	10.5x20 / p.a. 128.096	[illegible]	[illegible]/-	19%	625/-	1,91,3[illegible]0/-	

This bears the [illegible]val of the Housing/Hon'ble Chair[illegible] dated 18.10.97 in file [illegible])/costing/617 at para 61N of th[illegible] kindly ensure [illegible] anticipated expenditure does [illegible] cash exceeds the provis[illegible] given in the costing statements [illegible] by you.

Validity of [illegible] costing upto 31.10.97 from the [illegible] of issue.

Yours faithfu[illegible]
sd/-
ACCOUNTS OFF[illegible]

177.4 Revision in the financing pattern of HUDCO effective from 18th Sept.1997.

ACE(P&M)

...

हुडको द्वारा वित्तीय पैटर्न में 18.9.97 से संशोधन किया है। तदनुरूप बोर्ड द्वारा भी दिनांक 18.9.97 से निम्न संशोधन करने का निर्णय लिया गया, जिसकी पुष्टि बोर्ड की गई।

I-INTEREST RATE FOR HOUSING SCHMES

S.No.	Category	Maximum loan (%)	Net rate of interest(%)	Repayment period
1-A	EWS	25000	9.0%	15 years
2-B	LIG	70000	12.0/13.0%	10/15 years
3-C	i) MIG-I	2 lakhs	15.5%	With 10 y repayment 15 years ment is 1% addit interest be levie
	ii) MIG-II	5 lakhs	16.0%	
4-	HIG	10 lakhs	16.5%	

II-INTEREST RATE STRUCTURE FOR URBAN INF STRUCTURE SCHEMES.

Category	Net rate of interest	Repayment
Govt.& Quasi Govt. Agencies/Joint sector.	14%	10 year If repay is more years (u years ma 1% extra will be
2- Water supply, sewerage, drainage, solid waste Management, Integrated Water supply.	16%	

EXURE

177.3

ted 20.10.

letted on

conveyed as

- - - - - -

nal Report
ost period

- - - - - -

,33,050/- OR

,85,050/-

,08,400/-

,14,650/-

,53,550/-

,79,750/-

,75,800/-

,34,800/-

69,000/-

,91,350/-

ble Chair
61N of the
iture does
tatements e

97 from the

y to :

The Dy.Housing Commissioner,Circle-I,RHB Jaipur.
The Resident Engineer Dn.XII,Jaipur.
Master file
For fax message.

Sd/-
ACCOUNTS OFFICER(COSTING)

GE NO.

113/39,40,43,44,45,46	= 6
113/77	= 1
113/55,96,97	= 3
113/82,83	= 2
113/125,115,51,126,117,114,14, 108,109,113,25,50,56,29,130, 131,28,4,10,129,120,18,124,9, 119,3,123,52,6,110,61,111	= 32
114/1,3,6,12,13,15,16,17,19	= 9
113/76	= 1
113/87,88,89,90,91,92,94	= 7
113/80,81	= 2
113/23,20,101,66,107,64	= 6

Sd/-
ACCOUNTS OFFICER
RHB,JAIPUR.

/ True copy /

177.5 राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी संघ एवं मंडल प्रशासन के बीच दिनांक 8.4.96, 2.6.96 एवं 9.9.97 की बैठकों में वार्ता
Secy. पश्चात लिये गये निर्णयों की पुष्टि किये जाने बाबत ।

इस बिन्दु को प्रशासनिक निर्णय लिये जाने हेतु स्थगित किया गया।

177.6 श्री अब्दुल मतीन मुख्य अभियंता प्रबन्ध निदेशक, आवास विकास
C.E. संस्थान को राजस्थान आवासन मंडल की जवाहर नगर कॉलोनी
जयपुर में आवास आवंटन के संबंध में ।

उक्त बिन्दु पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि श्री अब्दुल मतीन, मुख्य अभियंता, प्रबन्ध निदेशक, आवास विकास संस्थान को मंडल में दी गई सराहनीय सेवाओं को देखते हुये एवं उनकी असाध्य बीमारी एवं परिस्थितियों को देखते हुये रखकर जयपुर में एक मकान आवंटन हेतु राज्य सरकार को लिखा जावे ।

177.7 श्री एन. एन. नरहरि, पूर्व आवासन आयुक्त सेवा निवृत्त के
FA &CAO पाँच दिवस के वेतन भुगतान की मंडल कमेटी द्वारा स्वीकृत
बाबत ।

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

177.8 सेवा विनियम 1976 में सहायक भूमि अवाप्ति अधिकारी पद को
Secy. भरने का प्रावधान करने बाबत ।

प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति, विनियम 1976 के शैड्यूल प्रशासन में सहायक भूमि अवाप्ति अधिकारी पद को भरने हेतु संलग्न परिशिष्ट "ल" के अनुसार प्रावधान जोड़े जाने का अनुमोदन किया गया । इस परंतुक के साथ कि अगले पाँच वर्ष तक कोई पदोन्नति इस पद पर नहीं की जा सकेगी ।

...8.

ANNEXURE - C

SCHEDULE ADMINISTRATION

177.8

S.No.	Description of post	Source of Recruitment	Qualification for recruitment.	Post from which appointment by promotion is to be made.	Minimum experience & qualification required for promotion.
1.	Asstt.Land Acquisition Officer.	100% promotion.	-	Land Inspector	5 years experience on the post of Land Inspector.

177.9 Secy. बोर्ड के पूर्व कर्मचारी श्री करणी सिंह राठौड़, लेखाकार के पुत्र श्री विक्रम सिंह राठौड़ को स्टेनोग्राफर के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के आदेश की पुष्टि जानना ।

प्रस्तावानुसार उक्त बिन्दु का अनुमोदन किया गया ।

177.10 Secy. मंडल में तदर्थ रूप से कार्यरत वाहन चालक सर्वश्री उम्मेदसिंह व एस. पन्नीकर की अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता प्रदान करने बाबत ।

श्री उम्मेदसिंह एवं श्री एस. पन्नीकर (भू.पू. सैनिकों) जिनकी मंडल में प्रथम नियुक्ति हैल्पर के पद पर हुई थी तथा वर्तमान में तदर्थ रूप से वाहन चालक के पद पर कार्यरत है, को ड्राईवर के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित रूप से नियुक्ति देने पर चयन समिति द्वारा विचार करने हेतु प्रस्तावानुसार अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता प्रदान करने का निर्णय लिया गया ।

177.11 D.L. बोर्ड द्वारा टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में ।

उक्त बिन्दु को कार्यवाही से विलोपित रखा गया ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

177.12 FA &CAO राजस्थान आवासन मंडल के कर्मचारियों को राजकीय अस्पतालों के अलावा प्राईवेट अस्पतालों की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने बाबत ।

राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी को राजकीय अस्पतालों के अलावा प्राईवेट अस्पतालों की चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने के क्रम में "उदयपुर हॉस्पिटल एण्ड मेडीकल रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लि." की चिकित्सा सेवा पूर्व में ऐसे ही प्राईवेट अस्पतालों के साथ निर्धारित शर्तों के अनुरूप, प्राप्त करने का निर्णय लिया गया । इसके अतिरिक्त

..9.

RAJASTHAN HOUSING BOARD : JAIPUR :
SCHEDULE ADMINISTRATION
ANNEXURE - C
S.No. Description of post
Source of

यह नीतिगत निर्णय लिया गया कि सी. जी. एच. एस. के अ
उनके निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप चयनित अस्पतालों को
लिये जाने पर भी विचार किया जाना चाहिये । क्योंकि
कर्मचारियों को ऐसे अस्पतालों की सेवायें भी निर्धा
उचित दरों पर मिल सकेंगी, क्योंकि इस योजना के तहत
का चयन एवं सेवाओं की दरों का निर्धारण केन्द्र सरकार
स्वास्थ्य मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा किया

177.13 ACE (P&M) फेज प्रथम जगतपुरा भूमि अवाप्ति जयपुर के लिये हुडको से
535.00 लाख का ऋण लेने बाबत योजना संख्या 1428

प्रस्तावानुसार फेज प्रथम जगतपुरा भूमि अवाप्ति हेतु स
535.00 लाख हुडको से ऋण लेने हेतु स्वीकृति प्रदान की

177.14 Secy. शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वा
दिनांक 15.10.97 के दिशा-निर्देश जो राज्य सरकार
दिनांक 25.10.97 द्वारा प्राप्त हुये है, पर मंडल में वि
के ने बाबत ।

बिन्दु संख्या 1,5,6 व 9 के संबंध में ।

177.14.1

177.14.2

177.14.3

177.14.4

शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वा
दिनांक 15.10.97 के दिशा-निर्देश जो राज्य सरकार
दिनांक 25.10.97 द्वारा प्राप्त हुये है, के बिन्दु सं
9 के संबंध में प्रस्तुत एजेण्डा आइटम का अवलोकन कर
इन-हाउस-मीटिंग में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लि

177.16 Secy

177.17 ACE- I

177.18 D.L.

177.16 Secy. निजी सचिव-मुख्य अभियंता का वेतन श्रृंखला 2500-4250 में अस्थाई रूप से सृजित पद को नियमित रूप से सृजित करने के संबंध में ।

प्रस्तावानुसार निजी सचिव का पद वेतन श्रृंखला 2500-4250 में स्थाई रूप से सृजित करने का निर्णय लिया गया ।

177.17 ACE-II दिनाँक 30 सितम्बर व 1 अक्टूबर 1997 को आयोजित संभागीय अभाव अभियोग समिति, कोटा की बैठक में लिये गये निर्णयों की मंडल द्वारा पुष्टि के संबंध में ।

दिनाँक 30 सितम्बर व 1 अक्टूबर, 1997 को आयोजित संभागीय अभाव अभियोग समिति कोटा की बैठक में लिये गये निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया ।

177.18 D.L. अध्यक्ष, राज्य आयोग के आदेश दिनाँक 10.4.97 के अनुसार समझौता समिति के गठन की स्वीकृति बाबत ।

अध्यक्ष, राज्य आयोग के आदेश दिनाँक 10.4.97 के अनुसार मंडल में समझौता समिति के गठन बाबत प्रस्ताव दिनाँक 13.8.97 को आयोजित 176वीं बैठक के बिन्दु संख्या 176.21 में प्रस्तुत किया गया । समझौता समिति के गठन बाबत पुन: प्रस्तुत प्रस्ताव में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार समझौता समिति के गठन का निर्णय लिया गया:-

1. सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीश -अध्यक्ष
2. प्रशासनिक सेवा का सेवानिवृत्त अधिकारी -सदस्य
3. राज. लेखा सेवा का मुख्य लेखाधिकारी. (प्रतिनियुक्ति पर) -सदस्य-सचिव

अध्यक्ष एवं सदस्यों को मानदेय मंडल में 176.21 के बिन्दु में प्रस्तावित देय होगा । अधिनियम में समझौता समिति के सही संगठन में निर्णय लेने में अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किये जाने का निर्णय ...

177.19 FA & CAO — सरकारी एवं अर्द्धसरकारी संस्थाओं को मंडल की विभिन्न आवासीय योजना में बहुमंजिले आवास आवंटित करने के संबंध

प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुये यह भी निर्णय लिया गया कि सरकारी एवं अर्द्धसरकारी संस्थाओं को मंडल की विभिन्न आ योजनाओं में बहुमंजिले आवास/फ्लेट आवंटन करने के साथ-साथ राजस्थान में पंजीकृत ऐसी कम्पनियों को भी आवास आवंटि करने का निर्णय लिया गया जिनकी न्यूनतम सदस्य संख्या 5 उक्त कम्पनी कम से कम 5 बहुमंजिले फ्लेट लेने को तैयार हो

177.20 C.E.M. — आवंटित आवासों का कब्जा न लेने पर पास्ती की राशि अभिवृद्धि बाबत ।

स्थगित किया गया ।

177.21 Secy. — मंडल के स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्गठन बाबत नवीन पदों के प्रोन्नत बाबत एजेण्डा बोर्ड बैठक के समय प्रस्तुत किया

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि माननीय सद बी. एल. दुसाद प्रस्तुत एजेण्डा का अध्ययन कर पदों की / यथास्थिति बाबत अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय/आ आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे । तथा यह निर्णय लिया गया कटौती के प्रस्तावों पर अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त पू विचार कर स्टाफिंग पैटर्न की नवीन पदों के सृजन की के साथ पूर्ण एजेण्डा बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत कि

177.22 C.E. — मंडल में अध्यक्ष तथा आवासन आयुक्त के अधीन तकनी के कार्य के लिये उप आवासन आयुक्त के दो पद सृजि

उक्त बिन्दु को स्थगित रखा गया ।

177.23 मंडल की विभिन्न समितियों का पुर्नगठन बाबत ।

Secy. मंडल की विभिन्न समितियों का पुर्नगठन कार्यालय आदेश क्रमांक 1269, दिनांक 26.6.97 द्वारा किया गया था । राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.12.97 द्वारा राजस्थान आवासन मंडल में 6 गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त किया गया है । अतः विभिन्न समिति में गैर सरकारी सदस्यों को लगाने हेतु प्रस्तुत प्रस्तावानुसार अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया ।

177.24 मंडल कर्मचारी/अधिकारियों को 1995-96 एवं 1996-97 के
FA & CAO बोनस एवं अनुग्रह राशि के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में ।

डेफर किया गया ।

तत्पश्चात बैठक का कार्यवाही धन्यवाद आपस के साथ समाप्त हुई ।

सचिव

: राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर :

राजस्थान आवासन मण्डल की 178 वीं बैठक दिनांक 29.1.98 को सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही -

1.	श्री एस. एन. गुप्ता	अध्यक्ष, राज. आवासन मण्डल, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री परमेश चन्द्र	शासन सचिव, न. वि. आ.	सदस्य
3.	श्री बी. एल. दुसाद	बोर्ड सदस्य	सदस्य
4.	श्री पुष्प जैन	बोर्ड सदस्य	सदस्य
5.	श्री भवानी सिंह राजावत	बोर्ड सदस्य	सदस्य
6.	श्री गुल मोहम्मद	बोर्ड सदस्य	सदस्य
7.	श्री बी. एस. सोईन	बोर्ड सदस्य	सदस्य
8.	श्री एच. एस. मीणा	सचिव, राज. आवासन मण्डल,	मण्डल सचिव

बैठक में श्री अशोक सिंघवी, विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार शासन सचिव वित्त के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे तथा श्री बी. एन. मूलचन्दानी मुख्य अभियन्ता, राज. आवासन मण्डल, श्री पी. एस. भटनागर, वि. स. एवं मुख्य लेखाधिकारी राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर उपस्थित थे ।

:: कार्यवाही विवरण ::

सर्वप्रथम मण्डल के विभिन्न पदों पर रहे एवं वर्तमान में प्रबन्ध निदेशक, आवास विकास संस्थान में कार्यरत मण्डल के वरिष्ठ अधिकारी श्री अब्दुल मतीन के लम्बी बीमारी के बाद हुए असामयिक निधन पर मण्डल के समस्त सदस्यों द्वारा शोक प्रकट किया गया तथा परमपिता परमेश्वर से उनकी आत्मा को शांति एवं उनके परिवार को इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की गई, तथा सभी ने स्व. श्री अब्दुल मतीन को भावभीनी श्रृंद्धांजली अर्पित की ।

तत्पश्चात् बोर्ड बैठक प्रारम्भ की गई ।

9. जिन केसेज में मण्डल की सम्पति अधिक कीमतों के कारण अनिस्तारित पड़ी हुई है, उनके निस्तारण हेतु कीमत को कम करने के सुझाव भी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जायें, ताकि उनका निस्तारण किया जाना संभव हो सके ।

178.3 राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी पेंशन के अंतर्गत स्वीकृत किये जाने वाले सेवा उपादान (ग्रेच्युटी) की राशि की अधिकतम सीमा में वृद्धि के संबंध में ।

वि. स. एवं मुख्य लेखाधिकारी

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत विचार बिन्दु -

178.4 दिनांक 31.3.97, 28.7.97, 26.12.97 एवं 20.1.98 को आयोजित स्क्रिनिंग कमेटी की बैठकों में लिये गये निर्णयों की पुष्टि बाबत ।

सचिव

इस बिन्दु को पुन: आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

178.5 स्व. श्री अब्दुल मतीन की विधवा पत्नि को मकान आवंटन के संबंध में

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

इस बिन्दु को तिलोपित किया गया ।

178.6 सम्पति निस्तारण विनियम 1970 के तहत ऐसे बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों को पुन: मकान आवंटित करने की छूट जिनका देहावसान किसी असाध्य बीमारी से हो गया हो तथा पूर्व में आवंटित आवास को किसी विशेष परिस्थिति के कारण बेच दिया हो तथा उनके पास अब स्वयं का आवास नहीं हो ।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया तथा इसमें यह जोड़ा जाने का निर्णय भी लिया गया कि इनमें पिछले एक वर्ष में मृतक कर्मचारियों को भी शामिल किया जाये। यह छूट ऐसे कर्मचारियों को ही उपलब्ध होगी जो बोर्ड सेवा में रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होते है ।

178.7 वर्तमान एवं निवर्तमान माननीय सांसदों, विधायकों एवं अधिस्वीकृत पत्रकारों को सांगानेर के स्थान पर मानसरोवर में आवासन आवंटन बाबत ।

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया किन्तु आगामी लोक सभा चुनावों को देखते हुए इसकी क्रियान्विति चुनावों के बाद ही किये जाने का निर्णय लिया गया।

178.8 मण्डल में अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त के अधीन तकनीकी सहायक के कार्य मुख्य अभियन्ता के लिये उप आवासन आयुक्त के दो पद सृजित करने हेतु ।

इस प्रकरण पर चर्चा के दौरान मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित समस्त प्रस्तावों के संबंध में भी चर्चा की गई तथा यह महसूस किया गया किकर्मचारियों से संबंधित प्रकरण काफी समय से लंबित चल रहे है। अध्यक्ष महोदय द्वारा इन प्रकरणों पर शीघ्र विचार किये जाने संबंधी सुझाव पर यह तय किया गया कि इस संबंध में दिनांक 19 अथवा 20 फरवरी को इस संबंध में अलग से एक इन-हाऊस बैठक आहूत कर ली जाये ताकिऐसे सभी मुददों पर विचार-विमर्श उपरान्त आवश्यक निर्णय लिये जा सकें ।

178.9 सचिव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को राजकीय उपक्रमों में नियुक्ति ।

बिन्दु संख्या 178.8 के अनुसार ।

178.10 सचिव उप आवासन आयुक्त(गुणवत्ता नियंत्रण) तथा (पी.एण्ड.एम.) के तकनीकी सहायक के रूप में आवासीय अभियंता के दो नवीन पद स्वीकृत करने के संबंध में

बिन्दु संख्या 178.8 के अनुसार ।

तदनुपरान्त अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई ।

सचिव

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर ।

राजस्थान आवासन मंडल की 179वीं बैठक दिनांक 10.3.98 को प्रातः 11.00 बजे मुख्यालय स्थित बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार रही:-

1.	श्री एस. एन. गुप्ता	अध्यक्ष, राज. आवा. मंडल	अध्यक्ष
2.	श्री बी. एल. दुसाद	बोर्ड सदस्य	सदस्य
3.	श्री भवानी सिंह राजावत	बोर्ड सदस्य	सदस्य
4.	श्री गुल मोहम्मद	बोर्ड सदस्य	सदस्य
5.	श्री पुष्प जैन	बोर्ड सदस्य	सदस्य
6.	श्री सी. एल. रतवाया	बोर्ड सदस्य	सदस्य
7.	श्री बी. एस. सोईन	बोर्ड सदस्य	सदस्य
8.	श्री एच. एस. मोणा	सचिव, राज. आवा. मंडल	मंडल-सचिव
9.	श्री बी. एन. मूलचंदानी	कार्यवाहक मुख्य अभियंता, रा. आ. मं.	विशेष आमंत्रित
10.	श्री पी. एस. भटनागर	वि. स. एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा. आ. मं.	विशेष आमंत्रित

कार्यवाही विवरण

माननीय अध्यक्ष महोदय ने मंडल की वित्तीय, प्रशासनिक एवं आर्थिक स्थिति की समीक्षा करते हुये बैठक के प्रारम्भ में अपने अभिभाषण के दौरान मंडल सदस्यों एवं अधिकारियों से बजट पर बहस के दौरान अपना प्रायोगिक दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध किया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही निम्नानुसार आरम्भ की गई:-

179.1 मंडल की 178वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन:-

मंडल की बैठक संख्या 178का अनुमोदन निम्न संशोधनों के साथ किया गया:-

1. कार्यवाही विवरण के पृष्ठ संख्या-1 पर सदस्यों की उपस्थिति में क्र. सं. 4 पर श्री पुष्प जैन के स्थान पर श्री चुन्नीलाल रतवाया पढ़ा जाये ।

2. कार्यवाही विवरण के पृष्ठ संख्या-2 पर बिन्दु संख्या 178.2 को निम्न प्रकार से पढ़ा जाये:-

वि. स. एवं मु. ले. अ.

(1) "मंडल के समक्ष मंडल का संशोधित बजट अनुमान 1997-98 एवं अनुमान 1998-99 प्रस्तुत किया गया ।

(2) विचार-विमर्श के पश्चात् संशोधित बजट अनुमान 1987-98 प किया गया ।

(3) चूँकि आगामी लोकसभा चुनाव राज्य में दिनाँक 16.2.98 को वाले है, अत: बजट अनुमान 1998-99 आगामी बोर्ड बैठक में जाने का निर्णय लिया गया ।

179.2 मंडल की बैठक संख्या 177वीं एवं 178वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्वि रिपोर्ट:-

मु. सं. प्र.

मंडल की बैठक संख्या 177वीं एवं 178वीं बैठक की क्रियान्विति पर विचार-विमर्श के दौरान निम्नानुसार संशोधन किये जाने का निर्ण गया:-

बिन्दु संख्या 178.7 को अनुमोदन कर, क्रियान्विति लोकसभा चु पश्चात् किये जाने का निर्णय लिया गया था । इसमें प्रस्तावानुस अनुमोदन के अलावा यह निर्णय भी लिया गया कि यदि किसी आ ने मंडल द्वारा निर्धारित तिथि तक यदि किसी मकान का कब्जा सांगानेर योजना में नहीं लिया है तथा उसने समय पर योजना प हेतु आवेदन कर रखा है तो उनको भी मंडल की मानसरोवर योज मकान आवंटन हेतु योग्यता तय किये जाने के लिये अध्यक्ष महोदय अधिकृत किया गया ।

बिन्दु संख्या 177.5 की बैठक की कार्यवाही से विलोपित करने निर्णय लिया गया ।

बिन्दु संख्या 177.18 की क्रियान्विति पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि संदर्भित समझौता समिति द्वारा 1 अप्रेल, 1998 से विधिवत् कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

79.3 आवासन मंडल के वर्ष 1998-99 के बजट अनुमान:-

बजट पर बहस के दौरान सभी सदस्यों द्वारा मंडल के बढ़ते वित्तीय भार एवं प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति हेतु मंडल में नये कार्यों के प्रस्ताव लाने, मंडल में आय के साधन बढ़ाने की ओर द्रुत गति से प्रयास किये जाना आवश्यक है । इस बाबत चर्चा उपरान्त आवश्यक समझा गया कि मंडल में दो उच्च स्तरीय समितियों का गठन इस कार्य हेतु निम्नानुसार कियागया । समितियाँ मंडल की वर्तमान स्थिति का आँकलन कर, समस्त कार्यालयों में समान एवं समुचित कार्य-भार, कार्य के निष्पादन, स्टॉफ की स्थिति, भावी योजनाओं आदि प्रकरणों पर समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगी:-

1. समस्त खण्डों के समग्र पुनरावलोकन के संबंध में समीक्षा हेतु समिति:-

1.	श्री गुल मोहम्मद, बोर्ड सदस्य	: अध्यक्ष
2.	श्री भवानी सिंह राजावत, बोर्ड सदस्य	: सदस्य
3.	सचिव, राज. आवा. मंडल	: सदस्य
4.	वि. स. एवं मुख्यलेखाधिकारी	: सदस्य
5.	मुख्य अभियंता, राज. आवा. मंडल	: सदस्य-सचिव

2. प्रशासनिक खर्चे के समग्र पुनरावलोकन व समीक्षा हेतु समिति:-

1.	श्री बी. एल. दुसाद, बोर्ड सदस्य	: संयोजक
2.	श्री चुन्नी लाल रतवाया, बोर्ड सदस्य	: सदस्य
3.	श्री बी. एस. सोईन, बोर्ड सदस्य	: सदस्य
4.	सचिव, राज. आवा. मंडल	: सदस्य
5.	वि. स. एवं मुख्यलेखाधिकारी	: सदस्य-सचिव

...2

समिति की बैठकें वृत्त कार्यालयों पर आयोजित की जायेंगी जिसमें संबंधित क्षेत्र के बोर्ड सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाकर उनके सुझावों अनुभवों का समावेश किया जाकर समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट एक माह मंडल के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाये ।

इसके उपरान्त बजट अनुमान वर्ष 1998-99 पर सविस्तार चर्चा हुई चर्चा के बाद निम्नलिखित संशोधन अनुमोदित किये गये:-

(अ) वर्ष के दौरान शुरू किये जाने वाले मकानों का लक्ष्य 1998-99 में 7646 के बजाय 11 हजार किया गया तथा वर्ष के दौरान पूर्ण किये जाने वाले मकानों की संख्या 8923 के बजाय 10हजार करने का नि लिया ।

(ब) भूमि की उपलब्धता बढ़ाने के लिये वर्ष 1998-99 में भूमि अवाप्ति बजट प्रावधान 20 करोड़ के बजाय 25 करोड़ करने का निश्चय कि गया ।

(स) वर्ष 1998-99 में निर्माण कार्यों पर व्यय का प्रावधान 112.12 क 125 करोड़ करने का निर्णय लिया गया ।

यह भी निर्णय लिया गया कि समयाभाव के कारण प्रस्तावित संशो बजट अनुमान 97-98 एवं बजट अनुमान वर्ष 1998-99 का अनुमोदन कर रा सरकार के लिये भेजा जावे तथा उपरोक्त संशोधनों पर कार्यवाही वर्ष 1998 के संशोधित बजट अनुमान के समय आवश्यक परिवर्तन करते हुये की जावे ।

:: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ::

179.4 मंडल के स्टॉफिंग पैटर्न के पुनर्गठन बाबत नवीन पदों के सृजन/क्रमोन्नयन बा

सचिव विचार बिन्दु के प्रत्येक बिन्दु पर विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्ता (परिशिष्ठ-अ) अनुमोदन किया गया । साथ ही उक्त परिशिष्ट-अ की क्रम 5 में एक उप नगर नियोजक के पद का सृजन भी स्वीकार किया गया, जिसकी पदोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा । परिशिष्ठ"अ" संलग्न है ।

179.5 मंडल में अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त के अधीन तकनीकी सहायक के कार्य के लिये उप आवासन आयुक्त के दो पद सृजित करने हेतु:-

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

179.6 अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को राजकीय उपक्रमों में नियुक्ति:-

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार "अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को राजकीय उपक्रमों में नियुक्ति" के स्थान पर "अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को राजस्थान आवासन मंडल में नियुक्ति" संशोधित कर लिया जाये । प्रस्ताव उपरोक्तानुसार अनुमोदित किया गया ।

179.7 दिनांक 31.3.97, 28.7.97, 26.12.97 एवं 20.1.98 को आयोजित स्क्रिनिंग कमेटी की बैठकों में लिये गये निर्णयों की पुष्टि बाबत:-

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

179.8 आवंटित आवासों का कब्जा न लेने पर शास्ती की राशि में अभिवृद्धि बाबत:-

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा ध्यान में लाया गया कि मंडल की ओर से संबंधित आवंटी को कई बार गलत पते पर पत्र भेज दिये जाते हैं तथा इस कारण उन्हें पत्र की तामील नहीं हो पाती है, एवं मंडल द्वारा उन पर शास्ति लगाने की कार्यवाही कर दी जाती है, ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिये प्रस्ताव में निम्नानुसार जोड़ा जाने का निर्णय लिया गया-आवंटी को मंडल द्वारा आवंटित आवास हेतु जारी कब्जा पत्र की तामील होने के उपरान्त भी यदि आवंटी द्वारा आवास का कब्जा नहीं लिया जाता है तो ही प्रस्तावानुसार शास्ति वसूल किये जाने का निर्णय लिया गया ।

179.9 जिला न्यायालय, जयपुर एवं आर्बीट्रेशन (श्री के. डी. सिंह, संयुक्त सचिव एवं आर्बीट्रेटर, नई दिल्ली) में विचाराधीन मैसर्स ई.पी.आई. से संबंधित समस्त कार्य में सह-निर्णायक की नियुक्ति हेतु:-

प्रस्तावानुसार सह-निर्णायक की नियुक्ति हेतु श्री एम. एल. दुबे, अतिरिक्त

मुख्य अभियंता-तृतीय वित्तीय सलाहकार एवं मुख्यलेखाधिकारी से सम्पर्क क
उचित प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करेंगे, जिस पर निर्णय
लिये जाने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया ।

179.10 हुडको के दिनांक 23.12.97 से प्रभावी वित्तीय पैटर्न (प्रतिरूप) में संशोधन

आ. आ.
ी. एण्ड एम.)

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

स. एवं
ले. अ.

179.11 वित्त एवं लागत समिति दिनांक 27.6.97 एवं 6.1.98 में लिये गये निर्णय
की पुष्टि:-

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

व. स. एवं
. ले. अ.

179.12 संशोधित वेतनमान-1998:-

प्रस्तावानुसार मंडल में संशोधित वेतनमान 1998 लागू किया जाना
अनुमोदित किया गया । वेतनमानों में संशोधन के फलस्वरूप देय बकाया र
भुगतान को नकद दिया जाना भी अनुमोदित किया गया किन्तु भुगतान
किया जाये अथवा किश्तों में इस बाबत निर्णय लिये जाने के लिये अध्यक्ष
को अधिकृत किया गया ।

179.13 श्रीमती सलीमा पत्नी स्व. श्री अब्दुल मतीन को मकान संख्या 2-ब-25-
जवाहर नगर, जयपुर को आवंटन के संबंध में:-

मु. सं. प्र.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

179.14 उप आवासन आयुक्त (गुण नियं.) तथा (पी. एण्ड एम.) के तकनीकी सहा
रूप में आवासीय अभियंता के दो नवीन पद स्वीकृत करने के संबंध में:-

सचिव

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

179.15 सेवा विनियम 1976 में सहायक भूमि अवाप्ति अधिकारी के पद को भर
प्रावधान करने बाबत:-

सचिव

संदर्भित परंतुक को हटाये जाने बाबत प्रस्तावानुसार अनुमोदन कि

तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई ।

सचिव

26.3

विचार बिन्दु संख्या 179.4 का परिशिष्ठ "अ"

पद का नाम व वेतनमान 2	नवसृजित/क्रमोन्नत पदों की संख्या 3	स्थान जहाँ पद सृजित/क्रमोन्नत किये जाने हैं 4
मुख्य वसूली अधिकारी (3450-5000)	1 पद, वरिष्ठलेखाधिकारी पद से क्रमोन्नत	वसूली कार्य हेतु (मुख्यालय
वरिष्ठ संपदा प्रबन्धक (3000-4500)	1 पद नव सृजित	मुख्य संपदा प्रबंधक के अधीन
आवासीय अभियंता गुणवत्ता नियंत्रण (3000-4500)	1 पद नव सृजित	आवासीय अभियंता गुणवत्ता नियंत्रण, द्वितीय (मुख्यालय)
परियोजनाअभियंता (वरि.) (2200-4000)	2 पद नव सृजित	,, ,,
सहायक नगर नियोजक (2200-4000)	2 पद नव सृजित	(मुख्यालय) जयपुर
लेखाधिकारी (2200-4000)	4 पद (3क्रमोन्नत, 1 सृजन)	1 पद आंतरिक अंकेक्षण हेतु नव सृजन 1 वृत्त-I, 1 जोधपुर, 1 भुगतान (क्रमोन्नत
सहायकलेखाधिकारी (2000-3200)	17 पद, नव सृजित	1. स्वतंत्र खण्ड 3 2. वृत्त कार्यालय में वसूली कार्य हेतु 3 + 3 =6 3. आवासीयअभियंता (विद्युत) खण्ड 1 4. 3 करोड़ से अधिक कार्य 7 17
लेखाकार (1640-2900)	11 पद नव सृजित 6 क्रमोन्नत 17	1. वृत्त जयपुर-I, II, III, जोधपुर/उदयपुर/कोटा (वसूली कार्य) 6 2. अति. मुख्यअभियंता प्रथम/द्वितीय/तृतीय जयपुर 3 3. हुडको (मुख्यालय) 1 4. भूमि अवाप्ति प्रकोष्ठ 1 11

...2.

1	2.	3	4
			वृत्त जयपुर I, II, III, जोधपुर/उदयपुर/कोटा में कनिष्ठ लेखाकार (वर्क्स) के पदों को क्रमोन्नत
9.	सहायक आवासन अधिकारी (2000-3200)	4 पद नव सृजित	1 वृत्त जोधपुर 1 वृत्त उदयपुर 1 कोटा (विधि कार्य हेतु 1 गोपनीय/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रकोष्ठ
10.	कार्यालय अधीक्षक (1640-2900)	6 पद नव सृजित	विधि प्रकोष्ठ कार्मिक प्रकोष्ठ संपदा प्रबंधक (मुख्यालय) भूमि अवाप्ति प्रकोष्ठ (मुख्यालय) विशेषाधिकारी प्रकोष्ठ (मुख्यालय)
11.	निजी सहायक (1640-2900)	2 पद नव सृजित 3 पद क्रमोन्नत	अति. मु. अभियंता-I, II उप सचिव वरिष्ठ नगर नियोजक विशेषाधिकारी
12.	सहायक (1400-2600)	2 पद नव सृजन	कार्मिक प्रकोष्ठ
13.	रसोइया (कुक)	1 पद नव सृजित	1 पद मानसरोवर गेस्ट हाउस हेतु
14.	बुक बाइंडर	1 नव सृजित	मुख्यालय

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर।

मंडल की 180वीं बैठक दिनांक 1.7.98 को प्रातः 11.00 बजे मंडल मुख्यालय स्थित बोर्ड कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति निम्न प्रकार रही:

1. श्री एस. एन. गुप्ता	अध्यक्ष, रा. आ. मंडल	अध्यक्ष
2. श्री मनोहर लाल	आवासन आयुक्त, रा. आ. मंडल	सदस्य
3. श्री एच. एस. मीणा	सचिव, रा. आ. मंडल	मंडल सचिव
4. श्री आर. के. शर्मा	मुख्य नगर नियोजक	सदस्य
5. श्री बी. एल. हुसाद	-	बोर्ड सदस्य
6. श्री बी. एस. राजावत	-	बोर्ड सदस्य
7. श्री गुल मोहम्मद	-	बोर्ड सदस्य
8. श्री बी. एस. सोईन	क्षेत्रीय प्रमुख, हुडको, जयपुर	बोर्ड सदस्य

उपरोक्त के अतिरिक्त श्री बी. एन. मूलचन्दानी, मुख्य अभियंता एवं श्री ए. के. गुप्ता, वि. स. एवं मुख्यलेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर भी उपस्थित थे।

कार्यवाही विवरण

180.1 मंडल की 179वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन।

मंडल की 179वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

180.2 मंडल की 179वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।

मंडल की गत विभिन्न बैठकों के निर्णयों की पालना पर चर्चा के दौरान निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया:-

बिन्दु सं. 179.1 से 21 बोर्ड बैठकों में लिये गये निर्णयों की अक्षरशः पालना कर क्रियान्विति रिपोर्ट [illegible] पर भिज[illegible] जाने बाबत सभी सदस्यों द्वारा [illegible] किया गया तथा यह भी तय किया गया कि क्रियान्विति

..2.

retary

22-7-98

रिपोर्ट नहीं भेजने के प्रकरणों को गंभीरता से लिया जाये तथा इस आशय का पत्र बोर्ड की मंशा दर्शाते हुये सभी संबंधितों को लिखा जाये ।

बिन्दु सं. 179.5 पदों के सृजन हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति हेतु भेजे गये पत्र पर कार्यवाही कराने हेतु राज्य सरकार से प्रयास किये जायें ।

बिन्दु सं. 179.9 प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रयास किये जाकर संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये ।

बिन्दु सं. 179.10 मंडल की बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं की जाने के प्रकरण को गंभीरता से लिया गया एवं यह तय किया गया कि बोर्ड की मंशा दर्शाते हुये सभी अधिकारियों को इस बाबत पत्र लिखा जाकर क्रियान्विति समय पर भिजवाने हेतु पाबंद किया जाये ।

इसी दौरान यह भी चर्चा हुई कि गत कुछ बैठकों में शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, चित्तौड़गढ़ सचिव मंडल की बैठकों में नहीं आ रहे हैं, उन्हें यथासमय सूचना पहुँचाना सचिव अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे ।

बिन्दु सं. 179.13 मुख्य संपदा प्रबन्धक द्वारा इस बाबत प्रस्तुत क्रियान्विति रिपोर्ट पर चर्चा उपरान्त यह तय किया गया कि श्रीमती सतीमा मतीन को मंडल द्वारा आवंटित किये जाने वाले मुकान से संबंधित प्रकरण की पत्रावली संबंधित बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय मंत्री महोदय को लिखे गये पत्रों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली खोली जाकर कार्यवाही की जाये ।

...3.

22.7.98

180.3 हुडको एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से संबंधित प्रपत्रों/एग्रीमेंट/संशोधन इत्यादि एवं राज्य सरकार से पत्राचार के संबंध में अति. मुख्य अभियंता (पी. एण्ड एम.) को अधिकृत करने बाबत ।

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

180.4 A & F sanction for the Police Housing Works.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

180.5 Regarding enlistment of contractors and pre-qualification teners for external electrification works.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

180.6 Revision of pension of the Pre 1.9.96 state pensionsers/family pensioners.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

180.7 भूमि एवं विकास दर निर्धारण बाबत ।

उक्त बिन्दु पर विस्तृत चर्चा के दौरान सभी सदस्यों द्वारा महसूस किया गया कि भूखंड के मकानों की कीमते पूर्व में ही काफी अधिक है । अतः वित्त वर्ष 1998-99 अर्थात दिनांक 31.3.1999 तक भूमि एवं विकास दर बढ़ाई जाकर "फ्रीज" कर दी जावे ।

180.8 सीधी भर्ती में महिला अभ्यार्थियों के लिये रिक्तियों में 20 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के संबंध में ।

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

180.9 Creation of a new cadre of Project Engineer(Jr.) Electrical and to make provision for recruitment in the RHB Employees Recruitment & Promotion Regulation, 1996.

प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त प्रस्ताव को स्थगित रखा गया ।

....4.

tary/ 180.10 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से परिचलन से जारी विचार बिन्दु संख्या 201 बाबत-उपभोक्ता प्रकरणों बाबत बोर्ड द्वारा गठित समझौता समिति से अनुतोष संबंधी वित्तीय क्षेत्राधिकार को परिभाषित करने बाबत ।

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

tary/ 180.11 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से परिचलन से जारी बिन्दु संख्या 202 बाबत-बोर्ड द्वारा गठित समझौता समिति में सदस्य-सचिव पद पर " कार्यरत मुख्य लेखाधिकारी " के पद सृजन एवं अस्थाई तौर पर सदस्य-सचिव पद पर "सेवा निवृत्त मुख्य लेखाधिकारी / सेवा निवृत्त वरिष्ठ लेखाधिकारी" की नियुक्ति के क्रम में ।

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

CAO 180.12 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से परिचलन से जारी विचार बिन्दु संख्या 203 बाबत-मंडल में किराया क्रय पद्धति के आवंटियों को बकाया मासिक किश्त एवं लीज्यूनी राशि देर से जमा कराने के कारण देय ब्याज में छूट देने के संबंध में ।

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

& CAO 180.13 Amendment in Rajasthan Housing Board Service Rules

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

& CAO 180.14 वर्कचार्ज कर्मचारियों एवं नियमित किये गये वर्कचार्ज कर्मचारियों को 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान दिये जाने के संबंध में ।

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

& CAO 180.15 Revised Pay Scales 1986 to the Work Charge Employees of the Rajasthan Housing Board.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

& CAO 180.16 मंडल में कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित संवर्ग में समायोजित किये जाने बाबत ।
प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

...

22-7-97

180.17 Amendments in the Rules for grant of conveyance Advance to the Employees of the Board.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

180.18 Rules for Grant of Housing Building Advance to RHB Employees.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

180.19 Rajasthan Civil Services (Medical Attendance) Rule 1970.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

180.20 Grant of Conveyance Allowance to Blind and Orthopaedically handicapped RHB Employees.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

180.21 स्थानीय यात्रा व्यय को नियमित करने के संबंध में ।

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

विचार-विमर्श के दौरान यह महसूस किया गया कि मंडल पर स्थानीय यात्रा पर व्यय का भार बढ़ रहा है, जिस पर प्रभावी नियंत्रण व खर्च में कटौती बाबत तुरन्त कठोर प्रयास किये जावें । इस हेतु समिति का निम्नानुसार गठन किया गया जो अपनी रिपोर्ट दिनांक 31.7.98 तक अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करेंगी ।

1. श्री बी. एल. दुसाद, बोर्ड सदस्य : अध्यक्ष
2. सचिव, रा. आ. मं. : सदस्य
3. मुख्य अभियंता, रा. आ. मं. : सदस्य
4. वि. स. एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा. आ. मं. : सदस्य-सचिव

180.22 Loan assistance of Rs.978.57 lacs from HUDCO for the construction of Houses under Eight Schemes.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया परन्तु क्षेत्रीय प्रमुख हुडको द्वारा अन्य योजनाओं को मिलाकर पैकेज के रूप में ऋण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु सुझाव दिया गया, जिस पर सभी सदस्यों द्वारा सहमति प्रकट की गई ।

180.23 Loan assistance of Rs. 175.00 lacs from LIC HFL for the construction of CHS Ph.9, Sector 2 Kuri Bhagtasani, Jodhpur.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया परन्तु क्षेत्रीय प्रमुख हुडको द्वारा अन्य योजनाओं को मिलाकर पैकेज के रूप में ऋण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु सुझाव दिया गया, जिस पर सभी सदस्यों द्वारा सहमति प्रकट की गई ।

M) 180.24 Issuing of Block Administrative and Financial sanction & Block Govt.Guarantee by Govt.of Rajasthan for Rajasthan Housing Board schemes sanctioned by HUDCO during the year 1998-99.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

180.25 A & F sanction for GAD Housing Project at various places in Rajasthan.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

ary/ 180.26 विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा [illegible] सरकार के अनुमोदन के पश्चात् जारी अवार्ड के अनुसार हुआ [illegible] .7.

22

का खातेदारों को भुगतान करने बाबत ।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात जारी आदेश के अनुसार मुआवजा राशि का खातेदारों को भुगतान करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों एवं उस पर मंडल की ओर से की कार्यवाही तथा तदनुरूप एडवोकेट-जनरल से प्रकरण पर मंडल द्वारा चाही गई राय के जवाब में प्राप्त राय को सचिव द्वारा मंडल के समक्ष रखा गया, जिस पर चर्चा कर प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुये यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार को भी सारे प्रकरण का ब्यौरा देते हुये एडवोकेट-जनरल की राय से अवगत कराये जाने हेतु एक पत्र प्रेषित किया जाये ।

tary 180.27 मंडल में सिस्टम एनालिस्ट के पद का पदनाम एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर में परिवर्तित कर प्रोग्रामर के पद से राज्य सरकार के नियमानुसार भरे जाने के संबंध में एवं कनिष्ठ प्रोग्रामर कम ऑपरेटर के पद का पदनाम कम्प्यूटर ऑपरेटर में परिवर्तित कर राज्य सरकार के नियमानुसार भरे जाने के संबंध में विभागों में प्रावधान करने बाबत ।

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

180.28 मंडल की योजनाओं में विभिन्न प्रयोजनार्थ आवंटित की जाने वाली भूमि की मांग राशि किश्तों में भुगतान के संबंध में ।

प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि संस्थाओं को मंडल द्वारा पूर्व में ही रियायती दरों पर भूमि आवंटित की जाती है, अतः मंडल को संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली राशि को बिना ब्याज वसूलने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि मंडल को राशि विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ब्याज पर ऋण लेकर प्राप्त होती है ।

इसी संदर्भ में विचार-विमर्श पश्चात संस्थाओं को कुछ राहत दिये जाने

के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में संस्थाओं से भवन की राशि कुल छः माह में वसूल करने का प्रावधान है, जिसकी अवधि विशिष्ट परिस्थितियों में मंडल अध्यक्ष द्वारा आगामी छः माह तक यानि आवंटन से कुल एक वर्ष की अवधि तक ब्याज सहित वसूली हेतु बढ़ाने हेतु अधिकृत किया गया किन्तु पूर्ण राशि वसूल होने तक भवन का कब्जा मंडल द्वारा नहीं दिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :

etary 180.29 मंडल द्वारा 31.12.1997 तक स्वीकृत समस्त पदों के स्थायीकरण बाबत ।

प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव की अवधि विस्तृत सामग्री सहित संबंधित पत्रावली अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जाये तथा इस पर निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

M. 180.30 राजस्थान आवासन मंडल में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारीगण/कर्मचारियों को आरक्षित श्रेणी में मकान आवंटन करने बाबत ।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह तथ्य सामने आये कि मंडल के अब पूर्व में प्रतिनियुक्ति पर आये एक कर्मचारी द्वारा एक वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायाधीश ने मंडल को निर्देश दिये थे कि प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों/कर्मचारियों को मंडल कर्मचारी नहीं माना जा सकता है, तथा उन्हें मंडल कर्मचारी कोटे में मकान आवंटित नहीं किया जाये तथा यदि पूर्व में कोई इस प्रकार के मकान आवंटन किये गये है तो उन्हें भी निरस्त किये जावें । इस पर निदेशक विधि को बुलाकर प्रकरण की जानकारी दी गई तथा निर्देश दिये गये कि वे उक्त निर्णय का हवाला देते हुये प्रकरण को एडवोकेट-जनरल की राय के लिये प्रेषित करें, तथा उनकी राय के अनुसार निर्णय हेतु प्रकरण माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करें । इसमें निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया ।

...9.

22.7.97

180.31 बोर्ड कर्मचारी की सेवाकाल में रहते मृत्यु होने की दशा में उस पर आश्रित परिवार में से किसी एक सदस्य को राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(5)(डीओपी/ए-II/83, दिनांक 31.12.96 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही आवासन बोर्ड में नियुक्ति दिये जाने बाबत ।

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

180.32 श्रीमती सलीमा मतीन पत्नी स्व.श्री अब्दुल मतीन को मकान संख्या 25(सी), जवाहर नगर, जयपुर आवंटित करने बाबत ।

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

180.33 बैठक में राज्य सरकार के प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प6 वित्त(नियम)/98, दिनांक 27.6.98 द्वारा अपने कर्मचारियों की अधिवार्षिकी की आयु 58 से 60 वर्ष एवं इसी के साथ राज्य में भर्ती की अधिकतम आयु सीमा में भी 2 वर्ष की वृद्धि करने के लिये गये निर्णय संबंधी आदेश अध्यक्ष महोदय की अनुमति से वि.स. एवं लेखाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये, जिस पर भी चर्चा कर यह निर्णय लिया गया कि मंडल में भी उक्त आदेशों के अनुरूप ही अधिवार्षिकी की आयु एवं मंडल सेवा में भर्ती की अधिकतम आयु सीमा में भी दिनांक 1.7.1998 से स्वीकार कर ली जाये ।

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई ।

सचिव